बुधवार, 10 अप्रैल 1985

20 चैत्र, 1907 (शक)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

दूसरा सत्र
(आठवीं लोक सभा)

...LIAMENT LIBRARY
...No.
Date

(खण्ड 2 में अंक 1 से 10 तक है)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

बुधवार, 10 अप्रैल, 1985/20 चैत्र, 1907 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

मुख पृष्ठ के पीछे टिप्पण, अंतिम पंक्ति, "अनुवाद" के बाद "प्रामाणिक" अंतःस्थापित कीजिये।

विषय-सूची, पृष्ठ III, पंक्ति 7, "प्रस्तावों" के स्थान पर "प्रस्ताव" पढ़िये

पृष्ठ 14, पंक्ति 6, "श्री मोहम्मद महफूल अली खां" के स्थान पर "श्री मोहम्मद महफूज अली खां" पढ़िये।

पृष्ठ 9, पंक्ति 25, व पृष्ठ 11, पंक्ति 30, "(अनुवाद)" का लोप कीजिये।

पृष्ठ 16, पंक्ति "(हिन्दी)" को "सुन लें" के बाद से हटाकर "कर रहे हैं?" के बाद अंतःस्थापित करिये।

पृष्ठ 23, पंक्ति नीचे से 7, "श्रीमती उषा प्रकाश चौधरी" में "प्रकाश" का लोप करिये।

पृष्ठ 53, पंक्ति 15, "श्री टी०नालागौड़" के स्थान पर "श्री टी०बालागौड़" पढ़िये।

पृष्ठ 61, पंक्ति 13 के पश्चात् "(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस प्रयोजन के लिए, यदि कोई धनराशि आवंटित की गई है, तो कितनी?" अंतःस्थापित कीजिये।

पृष्ठ 63, पंक्ति 21, "(ख)" के स्थान पर "(ग)" पढ़िये।

पृष्ठ 112, पंक्ति 13, "श्री आर०एम०भोरे" के स्थान पर "श्री आर०एम० भोये" पढ़िये।

पृष्ठ 174,पंक्ति नीचे से 9,"श्री सनन्त कुमार मण्डल" के स्थान पर "श्री सनत कुमार मण्डल" पढ़िये ।

पृष्ठ 194,पंक्ति 2,अ०प्र०संख्या "2546" के स्थान पर "2545" पढ़िये

पृष्ठ 194,पंक्ति 18,"12·00 म०म०" के स्थान पर "12·00म०प०"पढ़ि

पृष्ठ 197, पंक्ति 19,"सांस्कृति" के स्थान पर "सांस्कृतिक" पढ़िये ।

पृष्ठ 199,पंक्ति 1 के नीचे बाईं ओर "(अनुवाद)" अंतःस्थापित करि

पृष्ठ 244,पंक्ति 22,"श्री शरद दिये" के स्थान पर "श्री शरद दिघे"

पृष्ठ 263,पंक्ति 28,"(झाबुला)" के स्थान पर "(झाबुआ)" पढ़िये ।

पृष्ठ 276,पंक्ति 19,"(कटना)" के स्थान पर "(कटवा)" पढ़िये ।

विषय सूची

अष्टम माला, खण्ड 3, दूसरा सत्र, 1985/1907 (शक)

अंक 20, बुधवार 10 अप्रैल, 1985/20 चैत्र, 1907 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	1—22
*तारांकित प्रश्न संख्या : 365 से 371	
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	22—194
तारांकित प्रश्न संख्या : 364 और 372 से 384	
अतारांकित प्रश्न संख्या : 2344 से 2428, 2430 से 2439, 2441 से 2453, 2455 से 2518, और 2520 से 2545	
सभा-पटल पर रखे गए पत्र	197—199
रौलर आटा मिलों को खुले बाजार से गेहूं खरीदने के लिए दी गई अनुमति के बारे में वक्तव्य	
राव बीरेन्द्र सिंह	201—202
नियम 377 के अधीन मामले :	202—206
(एक) उत्तर प्रदेश तथा अन्य क्षेत्रों में मच्छरों के बढ़ते हुए उत्पात को रोकने के लिए मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम को पुनरुज्जीवित करने की आवश्यकता	202
श्री मदन पाण्डे	
(दो) बिहार में पेयजल की कमी की समस्या को हल करने की आवश्यकता	202
श्रीमती कृष्णा साही	
(तीन) उत्तर प्रदेश के मुसलमान मेहतरों के लिए वहां के हिन्दू मेहतरों के समान आरक्षण तथा अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करने की आवश्यकता	203
श्री महावीर प्रसाद	
(चार) पुरी, कोणार्क तथा भुवनेश्वर के, जो कि तीर्थस्थान तथा पर्यटकों के आकर्षण के केन्द्र हैं, चारों ओर विकास कार्य आरम्भ करने की आवश्यकता	203
श्री बृज मोहन महन्ती	

*किसी नाम पर अंकित † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
(पांच) बिहार में उर्वरकों की कमी	203
प्रो० चन्द्र भानु देवी	
(छः) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को अन्तरिम सहायता की दूसरी किश्त का भुगतान करने के लिए शीघ्र घोषणा किए जाने की आवश्यकता	204
श्री ललित माकन	
(सात) केसियारी में भासरघाट के निकट सुवर्ण रेखा पर बांध बनाने के पश्चिम बंगाल सरकार के प्रस्तावों को स्वीकृति देने और उसे सातवीं पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करने की मांग	204
श्री नारायण चौबे	
(आठ) बंगलौर तथा दिल्ली के बीच सीधी अतितीव्रगामी रेलगाड़ी प्रतिदिन चलाने की आवश्यकता	205
श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर	
(नौ) पश्चिम जर्मनी में बड़े पैमाने पर गायों का वध होने से बचाने के लिए उनका आयात करके उन्हें हिमाचल प्रदेश के किसानों को मुफ्त देने की आवश्यकता	205
श्री के० डी० सुलतानपुरी	
अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1985-86	206
विदेश मंत्रालय	
श्री राम नगीना मिश्र	206
श्री बी० आर० भगत	209
श्री बी० बी० रमय्या	214
श्री राम प्यारे पनिका	217
श्री तरुण कान्ति घोष	220
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह	222
श्री अब्दुल रशीद काबुली	226
श्री पी० चिदम्बरम	233
श्री पी० आर० कुमारमंगलम	236
श्री अजीत सिंह दाभी	239
श्री पीयूष तिरकी	242
प्रो० मधु दण्डवते	244
श्री मूलचन्द डागा	250
श्री महेन्द्र सिंह	252
डा० गौरी शंकर राजहंस	

विषय	पृष्ठ
श्री अमल दत्त	257
श्री जैनुल बशर	260
श्री डालचन्द्र जैन	262
श्री दिलीप सिंह भूरिया	263
डा० एस० जगत रक्षकन	265
श्री जाफर शरीफ	267
श्री राम सिंह यादव	268
श्री के० वी० थामस	269
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह	271
श्री खुर्शीद आलम खां	277
श्री राजीव गांधी	284
उत्तर प्रदेश में बरेली के निकट भारतीय वायु सेना के एक विमान के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के बारे में वक्तव्य	
श्री पी० वी० नरसिंह राव	287—288

लोक सभा

बुधवार, 10 अप्रैल, 1985 / 20 चैत्र, 1907 (शक)

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आज तो बिरले-बिरले बैठे हैं।

प्रो० मधु दंडवते : आज क्वालिटी है।···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ऐसा लगता है श्री नायक नहीं हैं। अगला प्रश्न श्री रामस्वरूप राम। आगे राम पीछे राम, सब राम ही राम और बीच में बलराम।

···(व्यवधान)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

पर्यावरण शिक्षा पर अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन

*365. **श्री रामस्वरूप राम** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने पर्यावरण शिक्षा पर हाल में हुए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया था ;

(ख) क्या सम्मेलन में पारित संकल्प सभा पटल पर रखा जायेगा ;

(ग) क्या सम्मेलन में ऐसे कुछ उपाय और साधन सुझाए गए हैं जिनसे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यावरण की दृष्टि से लाभप्रद विकास को बढ़ावा मिलेगा;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन संकल्पों के क्रियान्वयन हेतु सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीर सेन) : (क) जी, हां।

(ख) सम्मेलन में पारित संकल्पों की एक प्रति विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) तथा (घ). जी, हां। (ग) से (च) तक की सिफारिशें विशेष रूप से देश के ग्रामीण क्षेत्रों में पारिस्थितिकी रूप से सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए मानदण्ड और उपाय से संबंधित हैं।

(ङ) सुझावों की जांच की जा रही है तथा सरकार को विचाराधीन हैं।

विवरण

संकल्प

(क) पर्यावरणीय शिक्षकों की व्यवसायिक आवश्यकताओं को पूरा करने, सरकारी तथा

गैर-सरकारी अभिकरणों के साथ सम्पर्क स्थापित करने, और विकास से सहायता तथा पाठ्यक्रम सामग्रियों का प्रचार करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरणीय शिक्षा संघ (एसोसिएशनों) की स्थापना की जानी चाहिए ;

(ख) पर्यावरणीय शिक्षा में प्रशिक्षण को विश्वविद्यालय शिक्षक कार्यक्रमों में शामिल किया जाना चाहिए। केवल जब सभी प्रकार की शिक्षा में पर्यावरणीय शिक्षा केन्द्रीय स्थान ग्रहण करेगी, इससे पर्यावरणीय प्रबंध तथा नीति प्रभावित होगी। ऐसे प्रशिक्षण में मानव गतिविधियों तथा पर्यावरण से संबंधित वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक अध्ययनों को भी शामिल किया जाना चाहिए ;

(ग) प्रत्येक राष्ट्र को 16 से 22 वर्ष की आयु के युवकों का एक युवा पर्यावरण दल की स्थापना करनी चाहिए, यह दल परियोजनाओं से संबंधित कार्य करेगा जो विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में पारिस्थितिकी रूप से सतत विकास को बढ़ावा देगा। युवा दल परियोजनाओं का कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पर्यावरणीय ज्ञान तथा कुशलता सुलभ की जानी चाहिए ;

(घ) स्थानीय निवासियों, अधिकारियों, किसानों, शिक्षकों तथा व्यापारियों तथा स्थानीय निकायों, जो विभिन्न पर्यावरणीय सम्बद्ध परियोजनाओं के प्रति उत्तरदायी हैं, की एक पर्यावरणीय शिक्षा परिषद का गठन किया जाना चाहिए तथा स्थानीय स्तर पर कार्यक्रमों का गठन किया जाना चाहिए। ऐसी परिषदें सलाहकार की हैसियत से काम करेंगी ताकि स्थानीय स्तर पर कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में सहायक हो सकें।

(ङ) आर्थिक विकास परियोजनाओं के सामंजस्य से स्थानीय स्तर पर पर्यावरणीय शिक्षा प्रदर्शन परियोजनाएं तैयार की जानी चाहिए ताकि ऐसी भागीदारी को लाभों का प्रदर्शन किया जा सके। ऐसी परियोजनाएं पर्यावरणीय शिक्षण तथा पारिस्थितिकीय रूप से सतत विकास हेतु एक कार्यकारी आदर्श सुलभ करने हेतु स्थानीय सहयोग प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है ;

(च) प्रकृति संरक्षण के व्यवहारिक महत्व के प्रदर्शन के लिए ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालय के शिक्षकों के प्रयोग के लिए सरल, आसानी से लागू की जाने वाली तकनीकें विकसित की जानी चाहिए।

(छ) पर्यावरणीय शिक्षकों को व्यावहारिक शिक्षा प्रणालियां विकसित करनी चाहिए जिससे दैनिक जीवन में पर्यावरणीय स्वास्थ्य की समस्याओं का पता लगाया जा सके, जैसे—स्वच्छ पेयजल, अपशिष्ट का उपयुक्त ढंग से निपटान, उपयुक्त सफाई पद्धतियां तथा मानव पर्यावरण संबंधों के बारे में धारणाएं तथा मान्यताएं मुहैया करना ;

(ज) पर्यावरणीय शिक्षा पाठ्यक्रम की पुनरीक्षा की जानी चाहिए तथा जहां उपयुक्त हो, पर्याप्त वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक (मानवीय, राजनीतिक, आर्थिक) घटक को शामिल करके इसमें संशोधन किया जाए जिससे यह सुनिश्चित हो कि विद्यार्थी पर्यावरण तथा पारिस्थितिकी के वैज्ञानिक आधार तथा मानव सोसायटियों के संगठन तथा प्रक्रिया को समझ सकें। इस वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक विवेक के बिना विद्यार्थी वास्तविक नागरिकता और व्यावसायिक जीवन के लिए एक उपयोगी सापेक्ष महत्व को मुहैया करने में असमर्थ होते हैं ;

(झ) विश्वविद्यालयों, शैक्षणिक तथा अनुसंधान और विकास संस्थानों को उनके अपने विशिष्ट क्षेत्रों में पर्यावरणीय प्रबंध से संबंधित जानकारी के एक नए संदर्भ के सृजन के लिए बढ़ावा देना चाहिए ; तथा

(ञ) अन्तर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय शिक्षा संघ (सोसायटी) को एक व्यापक पर्यावरणीय शिक्षा सम्पर्क प्रणाली स्थापित करनी चाहिए ताकि भूमि कटाव, स्वच्छ जल उपलब्धता, खाद्य उत्पा-

ऊर्जा उपयोग, जनसंख्या वृद्धि, प्रदूषण भार अधिक वन कटाई, मरुस्थलीकरण में वृद्धि और भूमि में खारेपन के स्तरों जैसी जीवमंडल पर्यावरणीय गुणवत्ता संबंधी सूचना तथा प्रबोधन सूचकों का प्रसार हो सकें।

[हिन्दी]

श्री रामस्वरूप राम : अध्यक्ष महोदय, पर्यावरण की समस्या बहुत गंभीर होती चली जा रही है। इसके बाहरी रूप से तो ऐसा लगता है कि यह समस्या नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ा घाव है, जो धीरे-धीरे जनमानस को हम समझते हैं कि काफी प्रभावित कर रहा है।

[अनुवाद]

प्रो० मधु दण्डवते : क्या यह प्रश्न का उद्घाटन भाषण है ?

[हिन्दी]

श्री रामस्वरूप राम : सिर्फ पर्यावरण शब्द से या मात्र पेड़-पौधे लगाने से ही पर्यावरण की समस्या अधिकतर दूर नहीं हो सकती बल्कि इसकी बहुत-सी अन्तर्निहित समस्याएं हैं, जैसे-नदियां। नदियों में पर्यावरण हो रहा है। आप देखेंगे कि आज भी तीन करोड़ लोग नदियों में स्नान करते हैं।

[अनुवाद]

प्रो० मधु दण्डवते : क्या मंत्री महोदय उनके भाषण से प्रश्न निकाल सकते हैं ?

[हिन्दी]

श्री रामस्वरूप राम : यह बहुत अहम सवाल है इसलिए आपका थोड़ा समय लूंगा। एक करोड़ से ज्यादा लोग नदियों का वही दूषित पानी पीते हैं। कल-कारखानों से भी प्रदूषण हो रहा है। वैसे मैं अपने युवा प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि इन्होंने सबसे पहले गंगा जैसी पवित्र नदी की ओर ध्यान दिया जो कि दूषित हो गई थी। उसके प्यूरिफिकेशन के लिए प्रावधान किया है।

अध्यक्ष महोदय : सवाल कीजिए। मुझे पता है आप प्रधान मंत्री जी को कह रहे हैं, मुझे नहीं कह रहे हैं।

श्री रामस्वरूप राम : सवाल तो मैं कर ही रहा हूं। सवाल पूछने के लिए आप मुझ पर दबाव डाल रहे हैं तो मैं पूछ लेता हू।··· (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं तो स्वयं दबाव से दब रहा था। मैं तो यह सोच रहा था कि शायद मुझे ही सवाल न करना पड़े।

(**व्यवधान**)

श्री रामस्वरूप राम : मैं यह जानना चाहता हूं कि पर्यावरण की समस्या के निवारण में क्या सरकार सातवीं पंचवर्षीय योजना में एक विस्तृत नीति तय करने जा रही है जिससे देहाती एवम् शहरी पर्यावरण की समस्या का समाधान हो सके। उस नीति का प्रारूप क्या है।

अध्यक्ष महोदय : अब पता लगा कि आप लिखकर लाए थे।

श्री वीर सेन : सरकार पर्यावरण के सभी पक्षों के सम्बन्ध में पूरी तरह से जागरूक है और सभी पक्षों के लिए कार्यक्रम बने हुए हैं। पर्यावरण की शिक्षा लोगों को देने के लिए, नवयुवकों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए, यूनिवर्सिटीज और एजूकेशनल इंसटीट्यूशन्स के

स्लेबस में पर्यावरण विषय को सम्मिलित करने के लिए सरकार पहले से ही विचार कर रही है और ये सभी ईश्यूज सरकार के सामने हैं।

श्री राम स्वरूप राम : अध्यक्ष महोदय, पर्यावरण के विषय में लोग पूरी तरह से जागरूक हों, लोगों में जन-चेतना फैले और लोगों में इसके प्रति काफी जागरूकता हो, क्योंकि हिन्दुस्तान में हम देखते हैं कि लगभग 50 करोड़ जनसंख्या देहातों में रहती है, शहरों में नहीं रहती और वह पर्यावरण शब्द से भी परिचित नहीं है, उनमें पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए, अवाम को इसके प्रति सचेत करने के लिए क्या सरकार प्राथमिक शिक्षा स्तर से ही स्कूल पाठ्यक्रमों में पर्यावरण विषय को शामिल करने के बारे में विचार रखती है जिससे विद्यार्थियों को शुरू के स्तर से ही पर्यावरण की पूरी जानकारी हो सके।

अध्यक्ष महोदय : आपने सवाल तो बढ़िया बना दिया है, अब मंत्री जी को जवाब तो देने दीजिए।

श्री राम स्वरूप राम : मैं चाहता हूं कि प्राथमिक स्तर से ही विद्यार्थियों को पर्यावरण के सम्बन्ध में जानकारी दी जाए और काफी तेजी के साथ यह कार्यक्रम चले, इसका भी आप ख्याल रखें, प्राथमिक शिक्षा स्तर से ही पाठ्यक्रम में इसे लागू किया जाए।

श्री बीर सेन : प्राथमिक शिक्षा से लेकर डिग्री स्तर तक की शिक्षा में पर्यावरण विषय को सम्मिलित करने हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। इसके साथ ही यूनिवर्सिटीज और दूसरे कोर्सेज में भी यह सब्जेक्ट शामिल हो, पहली कक्षा से लेकर जूनियर हाई स्कूल, सीनियर स्कूल, इण्टरमीडिएट सभी स्तर पर उचित मात्रा में विद्यार्थियों को इसके बारे में जानकारी दी जाए, इसके लिए सरकार प्रयत्नशील है।

[अनुवाद]

श्री सुरेश कुरूप : केरल में वन संरक्षण अध्यादेश इस सप्ताह व्यपगत होने वाला है। केरल सरकार ने घोषणा की है कि वह अध्यादेश को पुनः पुरःस्थापित करने नहीं जा रही है। इससे केरल के 60,000 एकड़ पर लगे वनोंपर अर्थात निजी वनों पर जिनका राष्ट्रीयकरण किया गया है प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अतः इस संबंध में केन्द्रीय सरकार का क्या दृष्टिकोण है ? इससे एक गम्भीर समस्या उत्पन्न हो जाएगी।

श्री बीर सेन : प्रश्न का संबंध हाल ही में दिल्ली में हुए सम्मेलन से है। मेरे विचार में इसके लिए पूर्व सूचना की आवश्यकता है।

श्री सुरेश कुरूप : यह पर्यावरण संबंधी एक गम्भीर समस्या है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : इन्होंने कान्फरेंस के मुताल्लिक पूछा है, क्या ऐसी कोई कांफरेंस हुई थी···

श्री बीर सेन : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न के साथ कान्फरेंस का किसी तरह का संबंध नहीं है। यह बिल्कुल अलग प्रश्न है और इस प्रश्न से कान्फरेंस का प्रश्न उठता ही नहीं है।

[अनुवाद]

श्री सुरेश कुरूप : केरल में वन संरक्षण अध्यादेश इस सप्ताह व्यपगत होने वाला है और केरल सरकार ने घोषणा की है कि वह इसे पुनः पुरःस्थापित नहीं करने जा रही है।

अध्यक्ष महोदय : वह इस संबंध में कुछ नहीं कर सकते हैं। यह राज्य का विषय है।

राज्य सरकार को ही करना है।

प्रधान मंत्री (श्री राजीव गांधी) : सम्मेलन में अध्यादेश पर चर्चा नहीं हुई थी।

[हिन्दी]

श्री प्रताप भानु शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूँ कि अभी हाल ही में जो पर्यावरण शिक्षा पर अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था, उसके प्रस्ताव···

[अनुवाद]

प्रो० मधु दण्डवते : यदि अध्यादेश व्यपगत हो रहा है तो इस संबंध में मेरा यह सुझाव है कि मंत्री महोदय अपने प्रभाव का प्रयोग करें और देखें कि यह व्यपगत न हो। मैं मंत्री महोदय से अपने प्रभाव का प्रयोग करने का अनुरोध करता हूँ। (व्यवधान)

श्री बीर सेन : इसका संबंध राज्य सरकार से है।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय सुझाव दे सकते हैं।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं दी जाती है।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये।

[हिन्दी]

श्री प्रताप भानु शर्मा : अभी हाल ही में पर्यावरण शिक्षा पर जो अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था, उसके प्रस्ताव के पैरा 'डी' में इस बात का सुझाव दिया गया है कि स्थानीय लेवल पर एन्वायरमेंट कौंसिलस बनाई जाएं, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हमारी केन्द्र सरकार जिला स्तर पर पर्यावरण शिक्षा परिषदें और सलाहकार परिषदें गठित करने का निर्णय लगभग दो वर्ष पहले ले चुकी है···

क्या सभी राज्य सरकारें इस दिशा में प्रयत्न करके उन परिषदों का गठन कर रही है या वर्तमान में हमारी केन्द्र सरकार का इन परिषदों के गठन के बारे में क्या दृष्टिकोण है ?

श्री बीर सेन : एक सरकार ने इस सम्बन्ध में कुछ निर्णय लिया है, बाकी शेष सरकारों ने इस सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लिया है। वैसे बहुत से विभाग, ऐसी एजेंसियां हमारी पहले से मौजूद हैं जो इन कामों को देखती हैं जैसे डी० आर० डी० ए० है, डिस्ट्रिक्ट प्लैनिंग कमेटी है और डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक कमेटी है। इस वजह से कोई नई कमेटी बनाने की आवश्यकता महसूस नहीं करते।

अध्यक्ष महोदय : बीर सेन जी, हमारे राम स्वरूप राम जी ने जो कहा है वह बहुत अच्छा है। उसमें आप करिए कि शुरू से जो बच्चे हैं, उनको लगाइए कि उनको कितना सिविक्स सैन्स एफारस्टेशन होना चाहिए। और यह सभी के लिये बढ़िया है। स्कूलों में आप एक-एक बच्चे को दरख्त लगाने के लिये कहो और कहो कि यह कार्य तुम्हारा है, इस पर तुम्हारा नाम होगा।

श्री बीर सेन : अध्यक्ष महोदय, एक योजना ऐसी है जिसमें एक ट्री फार एवरी चाइल्ड है, जो कि योजना के मातहत शुरू हो रहा है।

**कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

आरक्षण नीति की पुनरीक्षा

*366. श्री अमर रायप्रधान : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में आरक्षण नीतिं पर पुनर्विचार करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) से (ग). लोकसभा और राज्य विधान सभाओं में स्थानों के आरक्षण के संदर्भ में आरक्षण की नीति की 1980 में पुनरीक्षा की गई थी, जब आरक्षण की अवधि को 1980 से आगे बढ़ाने के लिए लोकसभा में विधेयक पेश किया गया था। यह महसूस किया गया था कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सामाजिक, शैक्षिक तथा आर्थिक दशा जनता के दूसरे वर्ग के बराबर नहीं है इसलिए लोकसभा और राज्य विधान सभाओं में स्थानों के 1990 तक आरक्षण की जरूरत है।

इस समय उपर्युक्त नीति की पुनरीक्षा करने का कोई विचार नहीं है।

प्रो० मधु दण्डवते : इससे पूर्व कि वह प्रश्न पूछें, मैं इस प्रश्न की छपाई के बारे में कुछ स्पष्टीकरण चाहता हूं। क्या माननीय सदस्य और मंत्री महोदय के बीच कोई वैयक्तिक पत्राचार हुआ है कि प्रश्न में जिस आरक्षण नीति का जिक्र किया है, उसका संबंध लोक सभा और विधान सभाओं के स्थानों के आरक्षण के बारे में है ? उन्होंने अपने आप ही यह अर्थ लगा लिया है कि इसका संबंध लोक सभा और विधान सभाओं से है और उत्तर दे दिया है।

अध्यक्ष महोदय : क्योंकि वह स्वयं लोक सभा की सदस्या हैं, इसलिए।

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : मैं क्या कर सकती हूं। प्रश्न पूछने वाले माननीय सदस्य को स्पष्ट करना चाहिए था।

श्री अमर राय प्रधान : मैंने अनुसूचित जातियों और जनजातियों के आरक्षण के बारे में प्रश्न पूछा था परन्तु बाद में इसे बदल दिया गया। बहरहाल, माननीय राज्य मंत्री जी ने यह उत्तर दिया है "इस समय उपर्युक्त नीति की पुनरीक्षा करने का कोई विचार नहीं है।" मैं इससे प्रसन्न हूं। परन्तु जिस बात से मैं उत्तेजित हुआ हूं वह यह है।

अध्यक्ष महोदय : यह एक स्वागत-योग्य परिवर्तन है।

श्री अमर रायप्रधान : निश्चय ही यह सामान्य रूप से स्वागत योग्य है। गुजरात में क्या चल रहा है आरक्षण और आरक्षण विरोधी दंगे ? इससे गुजरात का सम्पूर्ण जीवन ठप्प पड़ गया है। अराजकता व्याप्त है। आगजनी, लूट, हत्या सब कुछ हो रहा है।

प्रो० एन० जी० रंगा : कौन कर रहा है ?

श्री अमर राय प्रधान : इसका उत्तर प्रधान मंत्री महोदय देंगे। जब गुजरात और मध्यप्रदेश जल रहे थे तब यू० एन० आई० के 28 फरवरी, 1985 के समाचार के अनुसार माननीय प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी ने कहा था कि विधान सभा चुनावों के बाद आरक्षण नीति की पुनरीक्षा की जाएगी। यह विभिन्न समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुआ था। रेडियो और दूरदर्शन से भी इसका प्रचार किया गया था। क्या मैं माननीय मंत्री और प्रधान मंत्री से यह पूछ सकता हूं कि यह जलती आग में तेल

डालने वाली बात नहीं है ? क्या यह केवल राजनीतिक चाल नहीं है ? क्या आपका अनुसूचित जातियों, जनजातियों के लिए मिशनों में, नौकरियों में विधान सभाओं में संसद में निकट भविष्य में आरक्षण करने का विचार है ?

क्या मैं यह भी जान सकता हूं कि गुजरात और अन्य स्थानों पर इन आरक्षण विरोधी दंगों को रोकने के लिए आपने क्या कदम उठाये हैं ?

प्रो० मधु दण्डवते : अब महोदय, क्या यह स्पष्ट है ? उनका कुछ और अर्थ है और मंत्री महोदय कुछ और कह रही हैं।

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चह्वाण) : जब मैंने गृह मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर वाद-विवाद का उत्तर दिया था तब इसका उत्तर दे दिया था। यह कहा गया है कि प्रधान मंत्री ने यह वक्तव्य दिया है कि आरक्षण नीति पर आम सहमति पैदा करने की आवश्यकता है। प्रधान मंत्री ने जो कहा था वह यह है अन्य पिछड़े वर्गों के सम्बन्ध में आम सहमति पैदा करने की आवश्यकता है। मैंने इस स्थिति को स्पष्ट कर दिया था। मुझे यकीन है कि माननीय सदस्य उस दिन सभा में उपस्थित नहीं थे।

प्रो० मधु दण्डवते : आपने तब बताया जब वह नहीं थे।

श्री अमर राय प्रधान : यही बिडम्बना है। सम्पूर्ण देश में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सम्बन्ध में यही त्रासदी है।

मैं अब आपका ध्यान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त के तीसरे प्रतिवेदन के अध्याय VI पृष्ठ 196 मद संख्या 31 की ओर आकर्षित करता हूं :

> "आयोग का सुझाव है कि उन अनुसूचित जाति, जनजाति समुदायों के बच्चों को आकर्षित करने हेतु एक विशेष योजना बनाई जानी चाहिए, जिनका साक्षरता प्रतिशत राज्य औसत के 50 प्रतिशत से कम है।"

क्या मैं माननीय मंत्री महोदय से यह पूछ सकता हूं कि क्या गुजरात और मध्यप्रदेश में संविधान के अनुच्छेद 29 (2) का उल्लंघन किया गया है और अनुसूचित जातियों और जनजातियों के विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं दिया गया है।

श्री एस० बी० चह्वाण : चूंकि माननीय सदस्य ने अब यह जानकारी दी है इसलिए गुजरात सरकार से सूचना प्राप्त करने में समय लगेगा।

श्री अमर राय प्रधान : यह अनुसूचित जातियों और जनजातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन में दिया है।

श्री एस० बी० चह्वाण : संबंधित राज्य सरकार से सूचना प्राप्त करनी होगी और उसके बाद ही···

श्री अमर राय प्रधान : यह प्रतिवेदन में है। क्या यह राज्य सरकार का प्रतिवेदन है ?

अध्यक्ष महोदय : पहले मंत्री महोदय को उत्तर देने दीजिए।

श्री एस० बी० चह्वाण : माननीय सदस्य ने यहां जो मुद्दा उठाया है उसके संबंध में मुझे सूचना प्राप्त होने दीजिए। मैं गुजरात सरकार से तथ्यों का पता लगाऊंगा उसके बाद ही बताऊंगा कि स्थिति क्या होगी।

श्री सोमनाथ रथ : जनसंख्या में वृद्धि और परिवर्तित स्थिति को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए संसद और विधान सभाओं में स्थानों का पुनः आवंटन करने हेतु एक समिति का गठन करेगी ?

अध्यक्ष महोदय : आपका अभिप्राय निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन से है।

श्री एस० बी० चव्हाण : क्या मैं माननीय सदस्य से प्रश्न दोहराने का अनुरोध कर सकता हूं ?

अध्यक्ष महोदय : वह जानना चाहते हैं कि क्या आपका विचार निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करने का है ?

एक माननीय सदस्य : उसका प्रश्न यहां कैसे उठता है ?

श्रीमती राम दुलारी सिन्हा : संविधान के अनुच्छेद 330 में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में लोक सभा में आरक्षण की व्यवस्था है। संविधान के अनुच्छेद 332 में राज्य विधान सभाओं के बारे में ऐसी ही व्यवस्था है। मैं अपने मूल उत्तर में पहले ही कह चुकी हूं कि नीति का पुनरीक्षण किया गया और विधेयक 1980 में लोक सभा के समक्ष आया। अतः कोई और पुनरीक्षा नहीं की जा रही है। इसे आगे 1990 तक बढ़ा दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : वह इस संबंध में नहीं पूछ रहे हैं। वह यह पूछ रहे हैं कि जनसंख्या में वृद्धि के कारण क्या आपका विचार परिसीमन का है।

श्री एस० बी० चव्हाण : जहां तक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या में वृद्धि के कारण परिसीमन का संबंध है, राष्ट्रीय विकास परिषद का एक संकल्प है कि संसद और विधान सभाओं दोनों के निर्वाचन क्षेत्रों के बारे में फैसला करते समय 1971 की जनगणना को हिसाब में लिया जाएगा और यदि जनसंख्या में वृद्धि हुई है तो उससे स्वतः ही मतदाताओं की संख्या में वृद्धि हो जाएगी परन्तु इससे परिसीमन नहीं होगा।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या यह सच नहीं है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और उत्थान की दृष्टि में रखकर ही सरकार ने अब तक आरक्षण की नीति का पालन किया है ? देश के कुछ भागों में तनाव की स्थिति को देखते हुए क्या सरकार यदि आवश्यकता हुई तो, इस नीति पर आम सहमति प्राप्त करने का प्रयास करेगी ?

श्री एस० बी० चव्हाण : जहां तक अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण का संबंध है, आम सहमति प्राप्त करने का कोई प्रश्न नहीं है। इस संबंध में सरकार अपनी नीति निर्धारित कर चुकी है और उससे हटने का प्रश्न ही नहीं है। मैंने पहले भी प्रधान मंत्री के भाषण का जिक्र करते हुए कहा था कि अन्य पिछड़े वर्गों के बारे में आम सहमति लेने की आवश्यकता है।

श्री बी० शोभना द्रीसवरा राव : क्या सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशों पर विचार किया है ? यदि हां, तो इस संबंध में कोई निर्णय लिया गया है ?

अध्यक्ष महोदय : वह इसका उत्तर पहले दे चुके हैं।

यूरोप और अमरीका से पर्यटकों को आकर्षित करने के प्रयास

*367. **श्रीमती किशोरी सिंह** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपने देश में पर्यटक यातायात बढ़ाने हेतु यूरोप तथा अमरीका से पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये विशेष प्रयास किये जा रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) जी, हां।

(ख) उपायों में समाचार-पत्रों, मेगजीनों, टेलीविज़न और रेडियो में विज्ञापन शामिल हैं। एयरलाइनों, यात्रा प्रचालकों और यात्रा अभिकर्ताओं के साथ संयुक्त रूप से बिक्री-सेमिनारों, भारत संध्याओं, सम्भाषणों और प्रदर्शनियों का भी अयोजन किया जाता है। इसके अतिरिक्त क्लबों, विश्व-विद्यालयों और इसी प्रकार के अन्य स्थानों पर फिल्म-शो, दृश्य-श्रव्य प्रदर्शनों और व्यापार-शो का भी आयोजन किया जाता है। अंग्रेजी के अतिरिक्त अन्य स्थानीय भाषाओं में पर्यटक प्रचार साहित्य (फोल्डरों, ब्रोशरों, मानचित्रों आदि) का प्रकाशन और वितरण एक अन्य सतत कार्यकलाप है।

सरकार ने विदेशों में 'गांधी' जैसी फीचर फिल्मों के निर्माण को भी प्रोत्साहन और सुविधाएं प्रदान की हैं जिसके परिणामस्वरूप के बारे में अत्यधिक रुचि और जिज्ञासा बढ़ी है।

यद्यपि परम्परा से भारत यात्रा जगत में एक 'सांस्कृतिक गंतव्य' के रूप में जाना जाता है, इसको एक 'अवकाश गंतव्य' के रूप में प्रचारित करने के भी प्रयास किए जा रहे हैं। समुद्र-तट अवकाश, साहस पर्यटन और 'अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और समागमों' के स्थल के यात्रावृत के विक्रय के रूप में एकमुश्त दौरों की पेशकश मार्किटिंग अभियान की नई से नई विशेषताओं के अन्तर्गत हैं।

इसके अतिरिक्त, पर्यटन विभाग ने अपने आतिथ्य-कार्यक्रम के द्वारा यात्रा लेखकों, यात्रा प्रचालकों, टी० बी० टीमों और यात्रा अभिकर्ताओं को भारत के परिचायक दौरों पर आमंत्रित किया है, ताकि वे उपलब्ध सुविधाओं की प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त कर सकें।

भारत उत्सव, जिसका कि यू० एस० ए० और फ्रांस में इस वर्ष जून में उद्घाटन किया जाना निश्चित किया गया है, से भी भारत के प्रति पर्याप्त मात्रा में अभिरुचि उत्पन्न होने की आशा है।

[अनुवाद]

श्रीमती किशोरी सिंह : क्या सरकार ने विदेशी ट्रेवल एजेंटों द्वारा अनुमोदित किराए के पर्यटक विमानों को भारत आने की अनुमति दे दी है। यदि हां, तो क्या एयर इंडिया ने यह आशंका व्यक्त की है कि इससे उनके अपने किराए के पर्यटक विमानों पर और नियमित यातायात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ?

[हिन्दी]

श्री अशोक गहलोत : माननीय सदस्या का जो मुख्य प्रश्न है उसमें हमें मालूम है कि यूरोप और यू० एस० ए० को मिलाकर 60 परसेन्ट टूरिस्ट वहां से आते हैं और अभी जो कांफ्रेन्स की है जहां सभी रीजनल डायरेक्टर्स आए थे उसमें हमने जो लक्ष्य निर्धारित किया है वह यूरोप के लिए 25 परसेन्ट, यू० के० के लिए 18 परसेन्ट और अमरीका के लिए 18 परसेन्ट है तथा उसी लक्ष्य के अनुसार हम आगे बढ़ रहे हैं।

[अनुवाद]

श्रीमती किशोरी सिंह : क्या 1984 के दौरान पूरे साल होटलों में ठहरने वालों की संख्या कम रही, यदि हो, तो क्या ऐसा उसे विदेशी पर्यटक प्रोत्साहन शृंखला और अमरीका और यूरोप की होटल शृंखला के कारण है जिन्होंने राजनीतिक और अन्य कारणों से भारत की सिफारिश करने से इन्कार कर दिया है। यदि नहीं तो इसके अन्य कारण क्या थे ?

[हिन्दी]

श्री अशोक गहलोत : 1984 में जो घटनायें घटीं और उनकी जो एडवर्स पब्लिसिटी इन देशों में हुई उसके कारण हमारे देश में टूरिस्ट घटे हैं—इनमें कोई दो रायें नहीं हैं। इसका जवाब मैं दे चुका हूं कि हम माइनस 3.6 परसेन्ट नीचे गए हैं लेकिन उस एडवर्स पब्लिसिटी को काउन्टर करने के लिए हम प्रयत्नशील हैं और आशा है इस साल हम आगे बढ़ पायेंगे।

[अनुवाद]

श्री ए० के० पंजा : दार्जिलिंग और सिक्किम के कालिमपोंग सहित गंगटोक पर्वतीय क्षेत्रों में विदेशी पर्यटकों के प्रवेश पर प्रतिबन्ध है जो कि बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। क्या मंत्री महोदय उन प्रतिबन्धों को हटाने के बारे में सोच रहे हैं ताकि उन क्षेत्रों में भी बड़ी संख्या में पर्यटक जा सकें।

[हिन्दी]

श्री अशोक गहलोत : जहां तक हमारे मंत्रालय का सवाल है, हमारी कोशिश है कि अधिक से अधिक जगहों पर विदेशी पर्यटकों को हम ले जायें लेकिन यह सवाल होम मिनिस्ट्री से भी जुड़ा हुआ है इसलिए उनसे भी सलाह करना आवश्यक है।

पुरुषों और महिलाओं को खेलकूद के लिए प्रोत्साहन

[अनुवाद]

*368. **कुमारी पुष्पा देवी** : क्या युवा कार्य और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पुरुषों तथा महिलाओं को खेल कूद के लिए प्रोत्साहन हेतु उपाय करती रही है;

(ख) यदि हां, तो 1985-86 के दौरान खेलों के लिये कौन-कौन से विभिन्न प्रोत्साहन देने का विचार है ; और

(ग) तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

युवा कार्य और खेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) से (ग). एक विवरण संलग्न है।

विवरण

देश में खेलों को प्रोत्साहन देने को ध्यान में रखकर, सरकार की राज्य सरकारों और संघ शासित प्रशासनों की सहमति से कई योजनायें चल रही हैं। इनमें से अधिक महत्वपूर्ण निम्नलिखित हैं :—

(I) शुरू से ही खेल मैदान और स्टेडियम उपलब्ध कराने को ध्यान में रखकर, सरकार राज्य खेल परिषदों आदि को अनुदान देने की योजना चला रही है जिसके अन्तर्गत, अन्य बातों के साथ-साथ, राज्य सरकारों को खेल मैदानों के विकास तथा उपयोगिता स्टेडियम के निर्माण के लिये वित्तीय सहायता दी जाती है यह प्रस्तावित है कि कुछ समय में देश में प्रत्येक जिला मुख्यालय में एक लघु खेल स्टेडियम होना चाहिए।

(II) ग्रामीण युवकों द्वारा खेलों में भाग लेने को प्रोत्साहित करने के लिए ग्रामीण खेल प्रतियोगिताओं की योजना चलाई जा रही है जिसके अन्तर्गत ब्लाक, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर ग्रामीण प्रतियोगितायें आयोजित की जाती हैं। इसी प्रकार महिलाओं में खेलों को बढ़ावा देने के लिए ब्लाक, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं के लिए खेल समारोह आयोजित किये जाते हैं।

(III) चालू खेल प्रतिभा खोज छात्रवृत्तियों की योजना ऐसे स्कूल और कालेज के छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए है जो खेलों में आशा जनक प्रदर्शन करते हैं।

(IV) नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान राष्ट्रीय प्रशिक्षण योजना चला रहा है जिसके अन्तर्गत विभिन्न राज्यों में प्रादेशिक प्रशिक्षण केन्द्र युवा पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को प्रशिक्षण तथा कोचिंग प्राप्त करने के लिए अवसर प्रदान करते हैं।

(V) संस्थान ने कालेज और विश्वविद्यालय छात्रों द्वारा खेलों में भाग लेने के लिए तथा इस प्रयोजनार्थ प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कई विश्वविद्यालयों में फील्ड स्टेशन स्थापित किये हैं।

(VI) राष्ट्रीय खेल संघों को वित्तीय सहायता दी जाती है ताकि वे अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए राष्ट्रीय टीमों को विदेश भेज सकें और देश में अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगितायें आयोजित कर सकें।

खेलों को बढ़ावा देने के लिए चल रहे कार्यक्रम अधिक परिव्यय से 1985-86 में जारी रहेंगे। इसके अतिरिक्त, खेलों में भाग लेने को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ नई योजनाओं की परिकल्पना है, इनमें से अधिक महत्वपूर्ण ये हैं : (I) 7-12 आयु वर्ग के बच्चों के लिए खेल प्रतिभा खोज प्रतियोगितायें आयोजित करने की योजना : (II) ऐसे स्कूलों को अपनाने की योजना जिनमें खेल कार्यकलापों पर विशेष ध्यान दिया जायेगा; (III) नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान के प्रादेशिक प्रशिक्षण केन्द्रों से सम्बद्ध खेल छात्रावासों की स्थापना ; और (IV) एथलीट्स और हाकी के लिए सिन्थेटिक परत बिछाने में राज्य सरकारों की सहायता करना।

[अनुवाद]

कुमारी पुष्पा देवी : महोदय, मैं खेल मन्त्री जी से यह जानना चाहती हूं कि क्या उन्हें पता है कि पिछले वर्ष अखिल भारतीय खेल परिषद ने खेल नीति तैयार की थी और उसे खेल मन्त्रालय को भेजा था और यदि हां, तो मन्त्रालय ने उस पर क्या कार्यवाही की है अथवा क्या मन्त्रालय कोई नई खेल नीति तैयार कर रहा है ?

श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह : महोदय, जहां तक खेल नीति का सम्बन्ध है इसे 1984 में संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत किया गया था।

कुमारी पुष्पा देवी : महोदय, खेल प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति योजना का उद्देश्य उन स्कूल एवं

कालेज छात्रों को प्रोत्साहन देना है जो खेलों में प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं। मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या यह छात्रवृत्तियां प्रत्येक राज्य में दी जाती हैं और क्या यह सत्य है कि ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित स्कूलों और कालिजों में इस योजना का पूर्णतया पालन नहीं किया जा रहा है। यदि ऐसा है तो सरकार ऐसे कौन से कदम उठाना चाहती है ताकि खेलों में महिलाओं और पुरुषों को प्रोत्साहन देने के लिए प्रत्येक स्कूल एवं कालिज में खेल प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति योजना का समुचित ढंग से पालन किया जा सके ?

श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह : महोदय, यह किसी एक स्कूल अथवा कालेज विशेष का प्रश्न नहीं है। कुछ मानक निर्धारित किये गये हैं और उन मानकों के अनुसार राज्य स्तर तथा राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है और जो छात्र उस स्तर पर आ जाते हैं उन्हें छात्रवृत्तियां दी जाती हैं।

श्री थम्पन थामस : महोदय, एशियाई खेलों के दौरान खेलों के विकास पर विपुल धनराशि व्यय की गई थी और उस समय दिल्ली में जो स्टेडियम तथा अन्य खेल सुविधाएं उपलब्ध की गई थीं उनका खेलों के संवर्द्धन में आगे उपयोग किया जाना था। 'इण्डिया टुडे' में एक लेख प्रकाशित हुआ है जिसमें कहा गया है कि हमने स्टेडियमों और अन्य सुविधाएं उपलब्ध करने पर इतनी विपुल धनराशि व्यय की है किन्तु इन सुविधाओं का बिल्कुल प्रयोग नहीं किया जा रहा है और विभिन्न विश्वविद्यालयों से जो खिलाड़ी वहां अभ्यास करना चाहते हैं उन्हें इसकी अनुमति नहीं है और इन स्टेडियमों को मात्र प्रदर्शन की वस्तु की तरह रखा जा रहा है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है और क्या सरकार की यह नीति है कि एशियाई खेलों के दौरान बनाए गए स्टेडियम और अन्य सुविधाओं का देश में खेलों के विकास के लिए प्रयोग किया जाए ?

श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह : महोदय, हमने ऐसे कोई प्रतिबन्ध नहीं लगा रखे हैं। वास्तव में एशियाई खेलों के दौरान दिल्ली में निर्मित सभी स्टेडियम सभी के लिए खुले हैं। इस सम्बन्ध में कतिपय मानक बनाये गये हैं। हम तालकटोरा स्टेडियम और जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम जैसे विभिन्न स्टेडियमों में प्रशिक्षण शिविर लगाते हैं। जहां तक दिल्ली में स्टेडियम देखने आने वाले लोगों का सम्बन्ध है, क्योंकि इन स्टेडियमों का पर्यटन दृष्टि से भी महत्व है, हम उन्हें स्टेडियम देखने से रोक नहीं सकते हैं। किन्तु हमने छात्रों और जनता के लिए कतिपय मानक निर्धारित किये हैं। हमने इन स्टेडियमों में लोगों के आने पर प्रतिबन्ध नहीं लगाया है। सभी को आने की अनुमति है। उन्हें कुछ शुल्क देना पड़ता है और उसके बाद वे वहां आकर अभ्यास कर सकते हैं और स्टेडियमों में उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग कर सकते हैं। इसमें कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

एक माननीय सदस्य : महोदय, फीस क्या होती है।

श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह : इस सम्बन्ध में मेरे पास सही आंकडे उपलब्ध नहीं हैं।

श्री ब्रजमोहन महन्ती : महोदय, राष्ट्रीय खेल नीति खेल परिषद द्वारा बनाई गई थी और इसका अनुमोदन खेल मन्त्रालय द्वारा किया गया था। सातवीं योजना में राष्ट्रीय खेल विकास योजना निर्माणाधीन थी। अतः मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या उस योजना को अन्तिम रूप दिया गया है अथवा नहीं और सातवीं योजना के दौरान खेल विकास कार्यक्रम के मुख्य मुख्य उद्देश्य क्या हैं ?

श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह : महोदय, सहायता प्रदान करना, खेल कम्पलैक्सों के लिए स्टेडियमों की व्यवस्था करना जैसी विभिन्न योजनायें हैं।

श्री ब्रजमोहन महन्ती : मैंने दूसरा प्रश्न पूछा है, मेरा, प्रश्न सहायता प्रदान करने के बारे में

नहीं है, सातवीं योजना के दौरान विकास कार्यक्रमों के उद्देश्यों के बारे में है।

प्रधान मन्त्री (श्री राजीव गांधी) : महोदय, सातवीं योजना अभी बन रही है। जब योजना प्रस्तुत की जाएगी तो इस बारे में भी सूचना उसमें होगी।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या उनके सदस्यों के बावजूद यह सच नहीं है कि महिलाओं को खेलों में भाग लेने के लिये काफी हद तक प्रोत्साहित नहीं किया जाता है। इस बारे में एक ठोस उदाहरण भी है। महोदय, कुछ दिन पहले पत्रकारों के साथ क्रिकेट मैच में आपने सांसदों की टीम का नेतृत्व किया था। क्या यह सत्य नहीं है कि उस टीम में एक भी महिला संसद सदस्या नहीं थी ? क्या महिलाओं को खेलों में प्रोत्साहन देने में आपकी असमर्थता का यह प्रमाण नहीं है ?

अध्यक्ष महोदय : इस संदर्भ में तो मेरे विचार से मुझे उन सभी संसद सदस्यों के विरुद्ध एक विशेषाधिकार का प्रस्ताव स्वीकृत करना चाहिए जिन्होंने उस मैच में भाग लिया था।

(व्यवधान)

श्रीमती गीता मुखर्जी : यदि आपने एक महिला संसद सदस्याओं की क्रिकेट टीम का नेतृत्व किया होता तो हम भी उसमें भाग ले सकती थीं।

प्रो० एन० जी० रंगा : यह वर्तमान सदस्यों का कसूर है कि उन्होंने उन्हें अवसर नहीं दिया है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : एक चीज मेरे दिमाग में भी है। आज स्कूल बढ़ते जा रहे हैं और कुछ टीचिंग शाप्स भी बढ़ती जा रही हैं। मकानों में भी स्कूल कुछ बना लेते हैं। कुछ स्कूल हैं, जिनके पास प्ले-ग्राउन्ड नहीं है। क्या आप ऐसा नहीं सोचते हैं कि स्कूलों में प्ले-ग्राउन्ड होना लाजमी है ? स्कूलों में बच्चों के लिए प्ले-ग्राउन्ड नहीं है।

[अनुवाद]

हमें इस बारे में भी सोचना चाहिए। मेरा केवल यही सुझाव है। आपको, शिक्षा विभाग को यह कार्य करना होगा। उन स्कूलों को मान्यता न दो जिनके पास खेल के मैदान नहीं हैं। उन्हें मान्यता नहीं दी जानी चाहिए। इस पर प्रतिबन्ध लगना चाहिए।

श्री मुकुल वासनिक : महोदय, क्या मैं मन्त्री महोदय से यह जान सकता हूं कि भारतीय ऑलम्पिक संघ ने सरकार से कहा है कि 1992 के ऑलम्पिक खेलों को भारत में आयोजित करने के लिये निमन्त्रण देने की अनुमति दी जाए और यदि ऐसा है तो इस सम्बन्ध में सकार का निर्णय क्या है।

श्री आर० के० जयचंद्र सिंह : महोदय, भारतीय ऑलम्पिक संघ से एक पत्र आया है। सरकार उस पर विचार कर रही है। अन्तिम निर्णय लेने से पहले सभी पहलुओं पर विचार करना होगा।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : महोदय, एशियाई खेलों के दौरान हमने यह सुझाव दिया था कि कतिपय खेलों को विभिन्न क्षेत्रों में वितरित कर दिया जाये ताकि अन्य क्षेत्रों में भी स्टेडियम बनाये जा सके। किन्तु ऐसा नहीं किया गया। यह मात्र बहलाने की बात हो सकती है और मुझे यह मालूम नहीं कि इसका राजनीतिक उद्देश्यों के लिए प्रयोग किया जायेगा अथवा नहीं किन्तु जनता के मन में यह भावना पैदा हो गई है कि चूंकि स्टेडियम बेकार पड़े हैं इसलिए सरकार उन्हें वन्य प्राणी विहार में परिवर्तित

करने पर विचार कर रही है। क्या यह बात सत्य है ?

श्री राजीव गांधी : माननीय सदस्य का स्टेडियम में आने का बहुत स्वागत किया जायेगा।

बाड़ लगाने के कार्य में बांग्लादेश राइफल्स द्वारा रुकावट डालना

*369. *श्री जी० जी० स्वैल :

श्री मोहम्मद महफूज अली खां :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बांग्लादेश की सीमा पर बाड़ लगाने के कार्य में बांग्लादेश राइफल्स द्वारा हिंसक अवरोध पैदा करने के प्रयोजन से अपनी तरफ के ग्रामीण लोगों को हथियार और प्रशिक्षण दिया जा रहा है ;

(ख) क्या बांग्लादेश उक्त बाड़ के अपनी ओर के क्षेत्र में निगरानी कक्षों का निर्माण कर रहा है ; और

(ग) क्या सरकार निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार बाड़ लगाने के कार्यक्रम को आगे भी जारी रखेगी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) सरकार को ऐसी कोई सूचनाएं प्राप्त नहीं हुई हैं।

(ख) हालांकि ऐसी सूचनाएं प्राप्त हुई हैं कि बांग्लादेश का अपनी ओर अनेक निगरानी कक्षों का निर्माण करने का इरादा है फिर भी उन्होंने अभी तक केवल एक निगरानी कक्ष का निर्माण किया है।

(ग) जी, हां श्रीमान्।

श्री जी० जी० स्वैल : महोदय, इस सम्बन्ध में मन्त्री महोदया ने यह कहा है कि उन्हें इस प्रकार की कोई सूचनाएं प्राप्त नहीं हुई, इस बात पर मुझे पूर्ण विश्वास नहीं होता क्योंकि उनकी यह बात तो इस तथ्य से गलत सिद्ध हो जाती है कि उन्होंने त्रिपुरा से लगते हुए बंगलादेश सीमा पर सीमा सुरक्षा दल के अतिरिक्त दस्ते भेजे हैं। बांध बनाने के प्रश्न पर, बंगला देशियों द्वारा भी एक बांध बनाया जा रहा है जिससे हमारे देश के हिस्से में बाढ़ आ जायेगी और जब हमारे मज़दूर वहां कार्यरत थे तो उन्होंने कहा कि उन्हें काम बन्द कर देना चाहिए वरन, उसके भयंकर परिणाम होंगे। अब मैं इस बात पर आने से पहले मैं इसका उल्लेख करना चाहता हूं कि बंगला देश की सीमा पर रहने वाली मेरे राज्य की एक महिला से मुझे कल एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें उस महिला ने कहा है कि जब वह अपने ही क्षेत्र में एक बाजार से दूसरे बाजार में जा रही थी तो बंगला देश के कुछ शरारती तत्वों ने उसे रास्ते में रोक लिया। उसका सभी कुछ लूट लिया घड़ी भी लूट ली गई और उसे छुरा घोंप कर जख्मी भी कर दिया गया। उन तत्वों ने समझा कि वह मर गई है। किन्तु वह मरी नहीं थी। कुछ लोग उसे शिलांग ले गये, जहां उनका एक अस्पताल में इलाज किया गया और सौभाग्य से अब वह स्वस्थ लाभ कर रही है। अब, इस प्रकार की घटनाएं छुट पुट नहीं है। यह अपनी प्रकार की अकेली घटना नहीं हैं। इस प्रकार की घटनाएं रोज होती हैं। बंगला देश से लोग जब इच्छा हुई आ जाते हैं और बाग में से पान के पत्ते उठा कर ले जाते हैं। वे सुपारी भी उठा कर ले जाते हैं। कई अन्य वस्तुएं उठा कर ले जाते हैं। वे वन्य उत्पाद उठा कर ले जाते हैं। वे चूना और अन्य वस्तुएं उठा कर ले जाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे सीमा क्षेत्रों में लोगों की सुरक्षा बल द्वारा भी पर्याप्त संरक्षण नहीं

दिया जाता है। मैं गृहमंत्री महोदय को इस सम्बन्ध में बताना चाहता हूं और उनसे अनुरोध करना चाहता हूं कि वे हमारे सुरक्षा बलों को अधिक सतर्क रहने और ग्रामीण जनता की सुरक्षा करने के लिए निर्देश भेजे।

महोदय, अब मन्त्री महोदया ने कहा है कि वहां एक ही निगरानी कक्ष बन रहा है। किन्तु क्या यह सत्य नहीं है कि उन्होंने त्रिपुरा से लगती हर बंगला देश सीमा पर सीमा सुरक्षा बल के अतिरिक्त जत्थे भेजे थे?

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : जहां तक निगरानी कक्ष का सम्बन्ध है, मैंने यह कहा है कि अब तक बंगला देश द्वारा एक निगरानी कक्ष निर्मित किया गया है। यह समझा जाता है कि 16 निगरानी कक्षों के निर्माण की स्वीकृति दी जा चुकी है। शेष 7 निगरानी कक्षों के बारे में निश्चित सूचना नहीं है। किन्तु महोदय, बंगला देश द्वारा निगरानी कक्षों के निर्माण पर आपत्ति करना बड़ा कठिन है क्योंकि माननीय सदस्य को यह जानना चाहिए कि यदि इन निगरानी कक्षों का निर्माण किया जाता है तो यह सीमा के अन्दर 150 गज दूरी पर होते हैं। हमारी ओर से भी सीमा सुरक्षा बल ने 105 निगरानी कक्षों का निर्माण किया है और वे अभी और कक्षों का निर्माण करेंगे। यह निगरानी कक्ष पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और असम क्षेत्रों में सीमा के 150 गज अन्दर निर्मित किये गये हैं।

श्री जी० जी० स्वैल : हम इन ब्यौरों के बारे में जानते हैं। मैंने यह पूछा है कि क्या आपने सीमा सुरक्षा बल का विशेष दस्ता वहां भेजा है और अगर भेजा है तो इससे क्या आपका यह कथन गलत नहीं सिद्ध हो जाता कि बाड़ लगाने के कार्य का हिंसात्मक ढंग से विरोध करने के लिये बंगला देश में ऐसी कोई तैयारी नहीं हो रही?

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : महोदय, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, मेघालय और असम की सीमा पर सीमा सुरक्षा बल की 27 बटालियनें तैनात हैं और इस प्रत्येक बटालियन में 500 व्यक्ति होते हैं।

जहां तक सड़क और बाड़ निर्माण का सम्बन्ध है, सीमा पर बाड़ लगाने से सीमा के पार से आना बन्द हो जायेगा। किन्तु इसे अधिक प्रभावी बनाने के लिए हमने यह फैसला किया है कि···

श्री जी० जी० स्वैल : मैं वरिष्ठ मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि उन्होंने एक दस्ता वहां फौरन भेजा था···

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : महोदय, मेरी सहयोगी मन्त्री महोदया ने जो सूचना दी है, उसे मैं पूरी करना चाहता हूं। यह सच है कि बंगला देशी हमारी सीमा के इस ओर के कार्य, चाहे वह सड़क निर्माण का कार्य हो या उस क्षेत्र में बाड़ लगाने का, उसके लिये खतरा बने हुए हैं। वहां एक प्रकार का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। हमें उस ओर से इस प्रकार की छुट पुट सूचनाएं मिलती रहती है चाहे वह सूचनाए अपुष्ट ही होती है। वहां की ग्रामीण जनता को एक प्रकार का प्रशिक्षण दिया जा रहा है और उन्होंने सीमा पर अतिरिक्त बल भी तैनात किये हैं। इसी प्रकार, हम भी अपनी गतिविधियों को सघन कर रहे हैं। असम रायफल एककों में वृद्धि की जा रही है। सीमा सुरक्षा बल बटालियनें भी उस क्षेत्र में भेजी गई हैं। हम माननीय सदस्य को यह आश्वासन दे सकते हैं कि हम सभी प्रकार की आवश्यक सावधानियां बरतेंगे।

श्री जी० जी० स्वैल : मुझे प्रसन्नता है कि वरिष्ठ मन्त्री महोदय ने इस बात की पुष्टि की कि इस प्रकार की गतिविधि वहां चल रही है। मैं उन्हें बधाई देता हूं, वे एक पुरुष होने के नाते अपेक्षाकृत अधिक साहसी हैं, उदार हैं, समझदार हैं और अधिक सूचना देने वाले हैं···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं सोचता हूं कि मुझे इस बात पर आपत्ति करनी चाहिए।

प्रो० के० के० तिवारी : उन्हें यह टिप्पणी वापस लेनी चाहिए··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपत्ति स्वीकार की जाती है।

प्रो० के० के० तिवारी : इस टिप्पणी को वापस लेना चाहिए। यह तो पुरुष दंभवाद है।

श्रीमती कृष्णा साही : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। [हिन्दी] माननीय सदस्य ने जो कहा है इस पर मुझे एतराज है। इसे इन्हें वापस लेना चाहिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या आप विरोध कर रहे हैं। आप उनकी बात सुन लें, [हिन्दी] आप शर्माते क्यों हैं ?

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णा साही : इनको यह वापस लेना चाहिए।

[अनुवाद]

श्रीमती फूलरेणु गुहा : मेरे विचार से इस टिप्पणी को कार्यवाही-वृतान्त में शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

श्री दिनेश सिंह : उन्होंने केवल उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए यह कहा।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : यह बात रिकार्ड से क्या, दिमाग से भी निकाल देनी चाहिए।

[अनुवाद]

प्रो० मधु दंडवते : समझौते के तौर पर 'पुरुष' को कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल रहना चाहिये और महिला शब्द को निकाल देना चाहिये।

श्री जी० जी० स्वैल : यदि मेरी सूचना सही है, तो पिछले महीने से इस सीमा पर बाड़ निर्माण का कार्य बन्द पड़ा है। न केवल असम में अब आप मिजोरम, त्रिपुरा तथा सब कहीं बाड़ निर्माण का कार्य करने जा रहे हैं, मुझे इस बारे में पता नहीं कि प्रगति कितनी हुई है। यद्यपि हमने प्रधान मंत्री के वक्तव्य देखे हैं जिनमें इस बात को दोहराया गया है कि बाड़ का निर्माण जारी रहेगा, मैं बाड़ के इस प्रश्न के सम्बन्ध में थोड़ा विचलित हो रहा हूँ। आपकी केवल भूमि की ही सीमा नहीं है। वहाँ अनेक नदियां गुजरती हैं। आप उनका क्या करने जा रहे हैं ? आप इन नदियों पर बाड़ नहीं लगा सकते। वे नावों में सवार होकर पार आ रहे हैं। बंगला देशी लोग नावों आदि में सवार होकर हमारी सीमाओं और अन्य क्षेत्रों में आते हैं। आप इस प्रकार की स्थिति से कैसे सुरक्षा करेंगे ? मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या आपने समय-समय निर्धारित की है जिसमें आप बाड़ को पूरा करने जा रहे हैं।

श्री एस० बी० चव्हाण : वास्तव में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग से उस क्षेत्र का और जहाँ विभिन्न क्षेत्रों में सुरक्षा आवश्यकताओं का पूर्ण सर्वेक्षण करने के लिये कहा गया है। जहाँ नदी के हिस्से का प्रश्न है, मेरे पास इस समय आवश्यक सूचना उपलब्ध नहीं है। ज्योंहि सर्वेक्षण पूरा हो जायेगा, बाड़ निर्माण का कार्य आरम्भ किया जाएगा। जहाँ तक नदी के हिस्से का सम्बन्ध है मेरे पास इस समय आवश्यक सूचना उपलब्ध नहीं है। किन्तु मैं माननीय सदस्य को आवश्यक सूचना भेज दूंगा। इस सम्बन्ध में समय सीमा निर्धारित करना बहुत कठिन है, क्योंकि यह क्षेत्र बड़ा ऊबड़-खाबड़

है जिसमें पूरा कार्य किया जाना है। किन्तु हम पूरा कार्य शीघ्र ही करने का प्रयास करेंगे।

[हिन्दी]

श्री मोहर सिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि वहां सीमा पर तार जो लगाये जा रहे हैं वे वर्षा के कारण एक या दो साल में खत्म हो जायेंगे ? दूसरे यह जो बाड़ आप बना रहे हैं, उसको वे सीमा पर बनाने नहीं देंगे और आप अपनी जमीन के अन्दर सौ, दो सौ मीटर के अन्दर बनायेंगे, क्या वे हमारी उस जमीन पर कब्जा नहीं कर लेंगे ?

श्री एस० बी० चव्हाण : ये दोनों चीजें जरूर ध्यान में रखी जाएंगी कि फेंसिंग इतनी नजदीक भी न लगाई जाएं जिससे प्रवोक हो कर उनको कुछ फायरिंग करने की नौबत आये और उसको इतना अन्दर भी न ले जाया जाए जिससे कि हमें नुकसान हो। आज जो हमको उनके प्लान देखने को मिलते हैं उसके कुछ-न-कुछ प्रवोकेटिव इमकानात हैं। इस महीने फोरन सेक्रेटरी बंगला देश जा रहे हैं। वहां पर गवर्नमेंट में काफी ऊंचे स्तर पर इस बात की चर्चा होगी और इस काम को आगे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी।

अब पूरी फेंसिंग कितने दिन तक टिकेगी, इसके बारे में हमारे सामने दो-तीन आल्टरनेटिव हैं। एक रोड कंस्ट्रक्शन करने की बात है, दूसरे फेंसिंग लगाने की बात है। तीसरे वहां पर जो हमारी पैरा-मिलिट्री फोर्सिज हैं उनको कहा जाए कि वह वहां कोई प्रवोकेटिव एक्ट न कर सकें। इस काम को भी आगे बढ़ाया जा रहा है।

[अनुवाद]

श्री श्रीकान्त दत्त नरसिंहराज वाडियार : त्रिपुरा सीमा पर बंगलादेश राइफल्स का भारी जमाव है और उनकी सहायता से भारतीय क्षेत्र को चुनौती बनी हुई है, वे बांध को निर्धारित 75' की सीमा से ऊंचा 200 फुट, 300 फुट तक ऊँचा कर रहे हैं और परिणामस्वरूप त्रिपुरा के वनीय क्षेत्रों में बहाव उलटा चल रहा है तथा 40 किमी० क्षेत्र पहले ही भाड़ ग्रस्त हो चुका है।

मेरे प्रश्न का दूसरा भाग है कि बंगला देश और भारत के बीच प्रस्तावित भाड़ा क्या उसी प्रकार का होगा जैसा दो जर्मनियों के बीच है।

श्री एस० बी० चव्हाण : जहां तक प्रश्न के पहले भाग का सम्बन्ध है, हमारे विदेश सचिव जब बंगलादेश की यात्रा करेंगे तब उनकी वार्ता के विषयों में यह मामला भी सम्मिलित होगा। इस पर हम उनकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे तथा उसके बाद भावी कार्यवाही का निर्णय लेंगे।

प्रो० के० के० तिवारी : सीमा पर कांटेदार तार की बाड़ लगाये जाने के निर्णय के बाद भिड़ंते हुई हैं तथा तनाव बढ़ा है। मैं मंत्री महोदय से संक्षेप में दो बातों की जानकारी चाहूंगा। पहला प्रश्न है कि जब बंगलादेश की सीमा के पार बांध बनाने का निर्णय हुआ तब शायद बंगलादेश सरकार ने भारत सरकार को सूचित किया कि बांध का निर्माण कार्य तथा टावरों का निर्माण साऊदी अरब की सरकार की सहायता से किया जा रहा है तथा उक्त सरकार ने इस धन का बचत एक निर्धारित कार्यक्रम के अंतर्गत दिया है तथा यदि वे निर्माण कार्य में प्रगति नहीं करते तो धन न मिल सकेगा।

मेरा दूसरा प्रश्न है कि चूंकि तनाव बढ़ रहा है तथा त्रिपुरा में आंतकवादी कार्यवाहियां बढ़ी हैं तथा उसके साथ ही टी० एन० बी० के स्वयं सेवी बहुत गये हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या त्रिपुरा में आंतकवादी क्रियाकलापों का सम्बन्ध टी० एन० बी० के कार्यकर्त्ताओं से है तथा क्या बंगला देश सरकार छिपकर उनको सहायता देने की चेष्टा कर रही है तथा दोनो देशों के बीच विद्यमान

समस्याओं से ध्यान हटा रही है।

श्री एस० बी० चव्हाण : प्रश्न के पहले भाग के बारे में मुझे पूर्व सूचना चाहिए। मैं नहीं समझता कि इस स्तर पर मैं उत्तर दे पाऊंगा।

दूसरे प्रश्न के बारे में मेरा निवेदन है कि हमें उस तरह की कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : गृह मंत्री ने बताया कि बाड़ लगाने के लिए समय सूची के विषय में सर्वेक्षण आवश्यक है। परन्तु कुछ अवसरों पर कुछ मंत्रियों ने सभा को बताया कि बाड़ लगाने का कार्य शुरू हो चुका है परन्तु गोली चलाये जाने की घटनाओं के कारण उसे रोक देना पड़ा। इसलिए क्या हम यह मानें कि बाड़ लगाने का कार्य पहले सर्वेक्षण के बिना शुरू किया गया था ?

दूसरे गोली चलाये जाने की घटनाएं पिछले वर्ष कार्य में घटी। यह कार्य पिछले एक वर्ष में शुरू क्यों नहीं किया गया ?

श्री एस० बी० चव्हाण : पिछले वर्ष लोक निर्माण विभाग द्वारा कुछ खम्भों का निर्माण हो रहा था। तब गोली चलाये जाने की घटनाएं हुई तथा हमारे अन्य व्यक्ति मारे गये। वास्तव में हम कार्य को जारी रखना चाहते थे परन्तु यह सच है कि इस पूरे क्षेत्र का सर्वेक्षण नहीं किया गया था।

कम से कम इस समय मैं नहीं बता सकता कि क्या उस क्षेत्र में सर्वेक्षण पूरा हो चुका था। जहां पर कि कार्य शुरू किया गया। जहां तक मेरी जानकारी है उन्होंने कार्य शुरू कर दिया था। परन्तु गोली चलाये जाने की घटनाओं के कारण उसे बन्द कर दिया गया। इस समय बंगला देश की ओर से भड़काने वाली घटनाएं बहुत अधिक हो रही हैं अतः हमने सोचा है कि कार्य शुरू करने से पहले उच्चतम स्तर पर बातचीत कर ली जाये ताकि पता चले कि उनका क्या रवैया है। निश्चय ही उसके बाद हम अपनी नीति तय करेंगे।

आदिवासी उप-योजना की समीक्षा

*570. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छठी पंचवर्षीय योजना की आदिवासी उप-योजना की समीक्षा कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कार्यक्रम-वार और नीति-वार उपलब्धियां क्या हैं ;

(ग) छठी योजना के दौरान आवंटन और प्रशासन के लिए क्या नीति अपनायी गयी ; और

(घ) सातवीं योजना के दौरान आवंटन और प्रशासन के सम्बन्ध में क्या परिवर्तन करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) से (घ). एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) जी हां, श्रीमान। सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए जनजातीय विकास से संबंधित कार्यदल ने छठी योजना अवधि की जनजातीय उप-योजना की उपलब्धियों की समीक्षा की।

(ख) छठी योजना के दौरान हुई महत्वपूर्ण उपलब्धियां निम्नलिखित हैं :—

(I) जनजातीय उप-योजना की विस्तृत नीति के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति जनसंख्या को पांचवीं योजना के दौरान लगभग 65 प्रतिशत से बढ़ाकर छठी योजना अवधि

के दौरान लगभग 75 प्रतिशत कर दिया गया।

(II) दिसम्बर 1984 तक लगभग 40 लाख जनजातीय परिवारों की आर्थिक सहायता की गई है जबकि 27 लाख परिवारों को आर्थिक सहायता देने का लक्ष्य था।

(III) छठी योजना अवधि के दौरान 20 नई आदिम जनजातियों का पता लगाया गया और आदिम जनजातियों के विकास कार्यक्रम आरम्भ किए गए।

(IV) शोषक प्रथाओं को रोकने के उपायों को और अधिक सुदृढ़ किया गया।

(V) जनजाति क्षेत्रों में अधिक स्कूल, कन्या छात्रावास खोलकर और अधिक नामांकन करके साक्षरता प्रतिशत बढ़ाने का प्रयास किया गया।

(VI) मूल संरचनात्मक विकास में काफी सुधार किया गया।

(ग) निम्नलिखित स्रोतों अर्थात (क) राज्य योजना, (ख) विशेष केन्द्रीय सहायता (एस० सी० ए०) (ग) केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों और (घ) संस्थागत वित्त से धन के आवंटन को सुनिश्चित किया गया। समेकित जनजाति विकास परियोजना, एम० ए० डी० ए० क्षेत्रों और आदिम जनजाति ग्रुपों के लिए उचित प्रशासनिक उपाय किए गए हैं। परियोजना सलाहकार कार्यान्वियन समिति बनाई गई।

(घ) सातवीं योजना के मुख्य लक्ष्य निम्नलिखित हैं :—

(I) गरीबी को कम करने के लिए कृषि, बागवानी, पशुपालन, वानिकी, कुटीर, ग्राम तथा लघु उद्योगों आदि के क्षेत्रों में उत्पादकता का स्तर बढ़ाना। अनुवर्ती योजनाओं के दौरान गरीबी की रेखा पार करने के लिए जनजातीय परिवारों के लिए आधार की व्यवस्था करने हेतु काफी संख्या में उनकी सहायता करने के अतिरिक्त 1989-90 तक गरीबी की रेखा पार करने के लिए कम-से-कम 40 लाख जनजातीय परिवारों की आर्थिक सहायता की जानी है।

(II) औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार की शिक्षा को व्यवसायीकरण की ओर अभिमुख करके उच्च प्राथमिकता दी जाएगी।

(III) भूमि हस्तांतरण, कृषि काश्तकारी, महाजनी, बंधक मजदूरी और ऋण बंधकता, वानिकी, शराब की बिक्री, व्यापार और सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्रों में शोषण की समाप्ति।

(IV) उत्पादन, गरीबी विरोधी, शिक्षा, शोषण विरोधी और अन्य कल्याण कार्यक्रमों के लिए पर्याप्त मूल संरचना का प्रावधान।

(V) विशेष समस्याओं का सामना कर रहे संवेदनशील जनजातीय क्षेत्रों और समूहों का निवारक कार्यवाही के लिए पता लगाना।

(VI) जनजातीय क्षेत्रों के बिगड़ते वातावरण का सुधार किया जाना।

सातवीं योजना के दौरान जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों के लिए वित्तीय आवंटन के छठी योजना के आवंटन से काफी अधिक होने की संभावना है। जनजातीय उप-योजना क्षेत्रों में प्रशासनिक इकाइयों को सुदृढ़ किया जाएगा।

श्री गिरिधर गोमांगो : मैं एक मूलभूत नीति का प्रश्न उठाना चाहता हूं क्योंकि दिया गया

उत्तर भिन्न है, वह मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है। मैंने एक नीति सम्बन्धी प्रश्न पूछा था परन्तु उन्होंने कार्यक्रमवार अथवा नीतिवार आंकड़े नहीं दिये हैं। फिर भी उन्होंने कुछ उत्तर दिया है जिसके आधार पर मैं अपने अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं। एक पुनरीक्षा की गई है तथा विवरण में बताया गया है :

"40 लाख जनजातीय परिवारों को आर्थिक सहायता दी गई जबकि 27 लाख परिवारों को आर्थिक सहायता देने का लक्ष्य था।"

मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या यह आदिमजातीय लोगों को सहायता के बारे में किया गया मूल्यांकन सही है अथवा बढ़ा-चढ़ा कर बताया गया है।

दूसरे मैं यह पूछना चाहता हूं कि मेरे मूलभूत नीति-परक प्रश्न का उत्तर क्या है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आपने तो बिल्कुल निरुत्तर ही कर दिया।

[अनुवाद]

गृह मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : माननीय सदस्य ने जानना चाहा है कि क्या यह छठी योजना का विचार है अथवा पुनरीक्षा है ? मैं नहीं जानता वास्तव में राज्य सरकारों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर पूरी सूचना एकत्र की गई है तथा सभा को दी गई है। अतः वह जो चाहें समझ सकते हैं।

श्री गिरिधर गोमांगो : मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सरकार का विचार है अथवा बढ़ा-चढ़ा कर बतायी गई बात है ? फिर भी मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न है। इसका उचित उत्तर मुझे नहीं मिला है। फिर भी मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा। यह मेरे प्रश्न के (ख) भाग के बारे में है। मैं जानना चाहता हूं कि राज्य क्षेत्र परिव्यय और जनजातीय उप-योजना के लिए दी जाने वाली विशेष केन्द्रीय सहायता राज्य सरकार के जनजातीय विभाग के माध्यम से भेजने की बजाय परियोजना को सीधे भेजी जायेगी। तभी परियोजना के लिए धन का समुचित उपयोग हो पायेगा तथा आपेक्षित परिणाम निकल सकेंगे। ऐसा चौथी योजना में किया गया था। मैं जानना चाहता हूं कि क्या वे सातवीं योजना के लिए वही नीति अपनायेंगे ?

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : चौथी योजना के दौरान धन का आवंटन परियोजना वार किया गया था क्योंकि उस समय देश में कुल 8 परियोजनाएं थीं, परन्तु अब परियोजनाओं की संख्या 50 हो गई है। अब धन केन्द्रीय सरकार, वित्तीय संस्थाओं एवं राज्य सरकारों द्वारा आवंटित किया जाता है। अतः उस प्रक्रिया को अब नहीं अपनाया जा सकता।

श्री कमल नाथ : पिछले दो दशकों में जनजातीय उत्थान के लिए बहुत सी योजनाएं तैयार हुई हैं तथा मंत्री महोदय ने बताया कि बहुत से शीर्षों में धन का आवंटन जनजातीय उत्थान के लिए किया जाता है तथा बहुत से पारियोजना क्षेत्र पारिभाषित किये गये हैं। परन्तु यदि हम यह देखना चाहें कि पिछले 20 वर्षों में इस परिव्यय से उन क्षेत्रों का कितना उत्थान हुआ है तो हम पाएंगे कि जनजातीय लोग उतने ही पिछड़े हुए हैं जितने कि पहले थे। उन 27 लाख जनजातीय परिवारों जिनका कि छठी योजना के दौरान उत्थान किया जाना था—तथा जिसके स्थान पर 40 लाख जनजातीय परिवारों के उत्थान का दावा किया गया है—मैं नहीं जानता कि ये 40 लाख जनजातीय परिवार कहां पर हैं ? वे किस जिले में हैं—किस ब्लाक में तथा देश के किस भाग में हैं जिनका कि उत्थान हुआ है।

परन्तु मूल प्रश्न यह है कि सातवीं योजना में एक इस बात का उल्लेख किया गया है कि ऋणों के बन्धन को समाप्त किया जायेगा। ऋण-बन्धन दो तरह के हैं। एक साहूकारों के प्रति। दूसरी ऋण बन्धनता बैंकों की है जो कि अधिक महत्वपूर्ण है। बैंकों, सहकारी बैंकों, भूमि विकास बैंकों द्वारा अंगूठे के निशान पर ऋण दिये जाते हैं क्योंकि ये लोग पढ़े-लिखे नहीं हैं। इसका सर्वेक्षण हुआ था तथा उस समय के कृषि मंत्री राव बीरेन्द्र सिंह ने सभा को बताया था कि जनजातीय लोगों को दिए गए बहुत से फर्जी ऋणों का पता चला था। क्या जन-जातीय उप-योजना—विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत—इन ऋणों को बट्टे खाते डालने के लिए उपयोग में नहीं लायी जा सकती। उदाहरण के तौर पर ऋण कुआं खोदने के लिए दिए जाते हैं। परन्तु जब कुआं खोदा जाता है तो उसमें पानी उपलब्ध नहीं होता। क्योंकि पानी की सतह का कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया। अतः जहां जन जातीय व्यक्ति के पास कोई ऋण नहीं था, सब एक ऋण है तथा वह और भी गरीब हो गया है। अतः क्या सातवीं योजना के अंतर्गत इस ऋण को बट्टे खाते डालने की व्यवस्था नहीं की जा सकती? ये ऋण साहूकार के नहीं हैं अपितु बैंकों के हैं?

श्रीमती राम दुलारी सिन्हा : ऋण बन्धन उत्सादन अधिनियम केन्द्रीय अधिनियम है जो 1975 में पारित हुआ था। राज्य सरकारों ने बंधुआ मजूरों का पता लगाने का काम शुरू कर दिया है। तथा वे उनका पुनर्वास कर रही हैं...

(व्यवधान)

श्री कमल नाथ : यह प्रश्न का उत्तर नहीं है प्रश्न यह है कि क्या धन का उपयोग बैंक से लिए गए ऋणों को बट्टे-खाते डालने के लिए किया जा सकता है। विभिन्न "नबार्डस" एजेंसियों ने जन-जातीय लोगों को ऋण दिए हैं।

श्रीमती राम दुलारी सिन्हा : इस अनुपूरक प्रश्न का सम्बन्ध वित्त मंत्रालय से है। मैं इसका उत्तर नहीं दे सकती।

श्री कमलनाथ : इस बात को मैं स्वीकार करता हूं।

श्री अनादि चरण दास : बताया गया है कि छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान 40 लाख जन-जातीय परिवारों का उत्थान हुआ है—अर्थात दिसम्बर, 1984 तक। क्या मैं मंत्री महोदय से जान सकता हूं कि उनमें से कितने व्यक्ति गरीबी के स्तर से नीचे के थे तथा उनका किस संस्था द्वारा आंकलन किया गया?

श्री एस० बी० चव्हाण : जहां तक उन परिवारों की संख्या का प्रश्न है जो गरीबी की रेखा से ऊपर उठ चुके हैं मैं समझता हूं कि ग्रामीण विकास मंत्रालय इसका ठीक उत्तर दे सकेगा। मेरे पास इसके आंकड़े नहीं हैं।

[हिन्दी]

श्री सोम जी भाई डामोर : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि यह ट्राइबल सब प्लान बिलकुल फेल्योर है और आदिवासियों को इससे कोई फायदा नहीं है। तो मैं उनसे जानना चाहता हूं कि क्या इसको बन्द करके जैसे—हरिजनों के लिए कम्पोनेन्ट प्लान है ऐसा ही उनके लिए भी बनाना चाहते हैं या नहीं?

श्री एस० बी० चव्हाण : अगर मेरी समझदारी ठीक है तो हरिजनों के प्लान से बहुत ज्यादा एफेक्टिव यह ट्राइबल सब-प्लान है। पता नहीं आनरेबल मेम्बर यह राय कैसे रखते हैं। अगर इसमें कोई कमी हो तो वह मैं मान सकता हूं और मैं समझता हूं कि इसमें और सतर्कता बरतने की आव-

श्यकता है। लेकिन ट्राइबल सब-प्लान बिलकुल फेल्योर है यह कहना ठीक नहीं है।

[अनुवाद]

ब्रिटिश संसद सदस्यों द्वारा काश्मीर के मामले को फिर से उठाना

***371. श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 16 मार्च, 1985 के "इंडियन एक्सप्रेस" में प्रकाशित इस समाचार की ओर आकर्षित किया गया है जिसमें बताया गया है कि ब्रिटिश संसद के कुछ सदस्यों ने तथाकथित काश्मीर के मामले को फिर से उठाने के लिए "काश्मीर सम्बन्धी समिति" गठित की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी हां।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार ब्रिटेन के कुछ संसद सदस्यों ने 13 मार्च, 1985 को लंदन में हुई बैठक में भाग लिया जिसमें बताया जाता है कि काश्मीर सम्बन्धी तथाकथित समिति गठित करने का निर्णय लिया गया था।

लंदन स्थित हमारा हाई कमीशन इस संबंध में सभी संबंधित व्यक्तियों के साथ सम्पर्क बनाए हुए है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : कम समय के कारण मैं जानना चाहूंगी कि उच्चायुक्त ने क्या कार्यवाही की है। क्योंकि समाचारों में बताया गया है कि पाकिस्तानी व्यवसायियों ने राष्ट्रपति जिया-उल-हक के आशीर्वाद से ऐसे ग्रुप के गठन में पहल की है। मैं जानना चाहता हूं कि उच्चायोग द्वारा इसके बारे में क्या पहल की गई है तथा संबद्ध व्यक्ति कौन से हैं?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

गोवा से दीव के लिए विमान सेवा

***364. श्री शांताराम नायक** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गोवा (डबोलिम) से दीव तक बरास्ता बम्बई तथा दमन अथवा किसी अन्य मार्ग से एक विमान सेवा आरम्भ करने का है;

(ख) यदि हां, तो यह सेवा कब तक आरम्भ किये जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) से (ग). गोवा और बम्बई विमानसेवा द्वारा जुड़े हुए हैं। अपेक्षित आधार संरचना का विकास होने तथा विमान क्षमता उपलब्ध होने पर, वायुदूत की सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में दमण और दीव को बम्बई से विमान सेवा से जोड़ने की योजनाएं हैं।

उच्च अधिकार प्राप्त प्रतिनिधि मंडल द्वारा पाकिस्तान का दौरा

*372 श्री नारायण चौबे : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री की मुलाकात जब वह भूतपूर्व सोवियत राष्ट्रपति श्री कोन्सटेन्टिन चेरनेन्को के अन्तिम संस्कार समारोह में भाग लेने के लिए मास्को गए थे, पाकिस्तान के राष्ट्रपति से हुई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने पाकिस्तान के राष्ट्रपति से यह वायदा किया था कि दोनों देशों के बीच पुन: वार्ता शुरू करने के लिए एक उच्च अधिकार प्राप्त प्रतिनिधि मण्डल पाकिस्तान भेजा जाएगा; और

(ग) यदि हां, तो उक्त प्रतिनिधि मण्डल कब भेजा जाएगा ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) मास्को में प्रधान मंत्री और राष्ट्रपति जिया-उल-हक की मुलाकात के क्रम में विदेश सचिव ने पड़ोसी देशों की यात्राओं की शृंखला की एक कड़ी के रूप में 4 से 6 अप्रैल, 1985 तक पाकिस्तान की यात्रा की थी ।

उत्तर प्रदेश को बीस-सूत्री कार्यक्रम के लिए आवंटित धनराशि

*373. श्री राज कुमार राय : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश को 20-सूत्री कार्यक्रम की त्वरित क्रियान्विति के लिए आवंटित की जाने वाली प्रस्तावित धनराशि का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) उत्तर प्रदेश के उन लोगों की संख्या क्या है जो गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) सातवीं योजना और उत्तर प्रदेश की 1985-86 की वार्षिक योजना को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है । 20-सूत्री कार्यक्रम के लिए परिव्यय अलग से और विशिष्ट रूप से निर्धारित नहीं किए जाते हैं लेकिन ये परिव्यय संबद्ध क्षेत्रों के लिए अनुमोदित परिव्ययों से प्राप्त किए जाते हैं ।

(ख) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (वर्ष 1977-78 के 32वें दौर) के उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या के 50.09 प्रतिशत व्यक्ति गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में 50.23 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 49.24 प्रतिशत है । राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के अगले उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण, जो वर्ष 1983 के लिए 8वें दौर का भाग था, से सूचना अभी उपलब्ध नहीं हुई है ।

जापान को कम्प्यूटरों का निर्यात

*374. श्रीमती ऊषा प्रकाश चौधरी :

प्रो० रामकृष्ण मोरे :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत जापान को बंगलौर की एक गैर-सरकारी फर्म द्वारा निर्मित और डिजाइन किए गए कम्प्यूटरों का निर्यात करेगा ; और

(ख) यदि हां, तो विभिन्न प्रकार के इन कम्प्यूटरों का ब्यौरा क्या है तथा विश्व बाजार की तुलना में इनकी कीमतें क्या हैं और गुणवत्ता की दृष्टि से ये कैसे हैं ?

विज्ञान और प्रोद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास परमाणु ऊर्जा अंतरिक्ष और इलेक्ट्रोनिक्स विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख). चौथे सोपान की सूक्ष्म एवं जटिल किस्म की कम्प्यूटर प्रणालियों के डिजाइन तथा विकास कार्य के लिए बंगलौर स्थित एक भारतीय फर्म और जापान के एक फर्म के बीच सम्पन्न हुए एक अनुबंध के अन्तर्गत भारतीय फर्म जापानी फर्म को केवल कम्प्यूटर प्रणालियों के प्रोटोटाइप (आदिप्ररूप) की ही आपूर्ति करेगा। इस कार्य में यंत्रसामग्री (हार्डवेयर) तथा यंत्रेतर-सामग्री (सॉफ्टवेयर) दोनों का ही विकास शामिल है। डिजाइन एवं विकास-कार्य की प्रभाव-सीमा तथा इन कम्प्यूटर प्रणाणियों के विवरण नीचे दिए अनुसार हैं :—

(1) कम्प्यूटर पर आधारित शिक्षा प्रणाली के लिए 32 बिट के दो मुख्य कम्प्यूटर तथा 80 टर्मिनल जिसमें स्मृति (मेमोरी) माड्यूल, डिस्क नियंत्रक माड्यूल, एल० ए० एम० माड्यूल, टर्मिनल माड्यूल, ध्वनि संश्लेषक माड्यूल, वीडियो मिक्सर माड्यूल, आदि शामिल होंगे।

(2) प्रचालन-प्रणाली के सॉफ्टवेयर।

(3) कम्प्यूटर पर आधारित शिक्षा-प्रणाली के लिए मूलभूत सॉफ्टवेयर।

जापानी फर्म इस उत्पादन को विश्व-बाजार में पेश करेगा। नई कम्प्यूटर प्रणाली की कीमत मालूम नहीं है क्योंकि इसकी कीमत जापानी फर्म द्वारा निश्चित की जाएगी।

विद्युत उत्पादन को बढ़ाने की नई प्रक्रिया

*375. **श्री वी० बी० देसाई** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोयले की उसी मात्रा से 50 प्रतिशत अधिक विद्युत उत्पादन करने वाली नई प्रक्रिया जल्दी ही वाणिज्यिक पैमाने पर इस्तेमाल के लिए उपलब्ध हो जायेगी ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह प्रक्रिया भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र द्वारा विकसित की गई है ;

(ग) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या भारत इस नई प्रक्रिया को विकसित करने वाला विश्व का प्रथम देश है ; और

(ङ) यदि हां, तो इस प्रक्रिया के विद्युत उत्पादन के लिए कब तक उपलब्ध होने की संभावना है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और इलेक्ट्रोनिक्स विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ङ). कोयले पर आधारित परम्परागत विद्युत संयंत्रों से 40 प्रतिशत के लगभग ऊर्जा रूपांतरण दक्षता प्राप्त हो सकती है। मैग्नेटोहाइड्रोडायनामिक 'एम० एच० डी०' विद्युत उत्पादक एकक के साथ जोड़ने से दक्षता को लगभग 60 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है।

एम० एच० डी० सिद्धान्त कुछ समय से जाना गया है। यह प्रौद्योगिकी विशेषकर रूस में विकसित हो चुकी है जहां प्राकृतिक गैस/तेल पर आधारित विश्व में प्रथम 500 मेगावाट एम० एच० डी० विद्युत स्टेशन स्थापनाधीन है। भारत में 5 मेगावाट के तापीय योगदान की क्षमता के साथ एम० एच० डी० विद्युत उत्पादन के लिए प्रायोगिक संयंत्र की स्थापना के लिए अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत विभाग के संरक्षण के अधीन भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र और भारत हैवीइलैक्ट्रीकल्स लि० द्वारा तिरुचिरापल्ली में संयुक्त रूप से एक परियोजना कार्यान्वित की जा रही है। प्रायोगिक संयंत्र अभी

हाल ही में पूरा किया गया है तथा प्लैज्मा उत्पादन और प्रणाली कार्य-निष्पादन पर प्रयोग शुरू किए जा रहे हैं। इस संयंत्र में, कोयले से स्वच्छ गैसीय ईंधन प्राप्त किया गया है तथा पूर्व-तापीय संवर्धित पवन के साथ दहनशील पदार्थ (कंबस्टर) में जलाया गया है। प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में स्थित एक एम० एच० डी० चैनल द्वारा परिणामी प्लैज्मा भेजा गया है। भारत में इस प्रौद्योगिकी को वाणिज्यिक स्तर पर विद्युत उत्पादन के लिए प्रयोग किए जाने से पहले, जो कि 1990 में उपलब्ध होगी, इस प्रौद्योगिकी को पुन: विकसित करने की आवश्यकता है।

आरक्षित और अनारक्षित वन क्षेत्र

*376. **श्री के० प्रधानी :** क्या **प्रधान मंत्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवीनतम आंकड़ों के अनुसार देश में राज्यवार आरक्षित और अनारक्षित कुल कितना वन-क्षेत्र है ;

(ख) वनों की कटाई को रोकने के लिए क्या उपाय करने का प्रस्ताव है ; और

(ग) सरकार का विचार उन लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का है जो आरक्षित वन भूमि में बस गये हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री राजीव गांधी) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) देश के वनों के संरक्षण के निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

(1) वन भूमि के गैर-वन भूमि के रूप में अन्धाधुन्ध उपयोग किये जाने को रोकने के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 बनाया गया है।

(2) वनों के कार्यकरण के लिए कार्यकारी (प्रबन्ध) योजनायें तैयार करने और क्षेत्र स्तर पर प्रवर्तन तंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए राज्यों और संघ क्षेत्रों को मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए गए हैं।

(3) वन संरक्षण के पक्ष में आवश्यक बल प्रदान करने के तथा इस प्रयोजन के लिए विशाल जन आन्दोलन शुरू करने के लिए राष्ट्रीय वन नीति की समीक्षा की जा रही है।

(4) वनों पर दबाव कम करने हेतु, विशेषरूप से प्रतिस्थापनी सामग्रियों के उपयोग को प्रोत्साहन देकर पद्धतियां तैयार करने की दृष्टि से गहनं अध्ययन किया जा रहा है।

(5) हमारे वन संसाधनों पर दबाव कम करने के उपाय के रूप में 1985-86 के बजट में आयातित लुगदी और लकड़ी के टुकड़ों को पूर्णत: कर मुक्त करने और सभी उपभोक्ता उद्योगों को इस रियायत को देने का प्रस्ताव है। कुछ विशिष्ट रूपों में लकड़ी पर 100 प्रतिशत सीमा शुल्क के वर्तमान स्तर से घटाकर यथा मूल्य 10 प्रतिशत किए जाने का भी प्रस्ताव है। इन रियायतों से एक पूरे वर्ष में लगभग 17.70 करोड़ रुपए के राजस्व की हानि होगी।

(ग) नीति के अनुसार, आरक्षित वन भूमि के अवैध कब्जे को नियमित नहीं किया जा सकता है। अतिक्रमणों के सबंध में राज्य सरकार द्वारा कार्यवाही की जानी है।

विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आरक्षित	सुरक्षित	अवर्गीकृत	अन्य	योग
1	2	3	4	5	6
राज्य					
आन्ध्र प्रदेश	4974.1	1237.1	145.9	—	6357.1
असम (80-81)	1707.4	—	275.9	1087·5	3070.8
बिहार (80-81)	505.1	2417.4	0.7	—	2923.2
गुजरात	1288.8	106.7	569.3	—	1964.8
हरियाणा	22.5	142.6	4.6	—	169.7
हिमाचल प्रदेश	182.5	1712·9	73.0	145·8	2114.2
जम्मू एवं कश्मीर	2188.6	—	—	—	2188.6
कर्नाटक *	2840.1	395.4	411.2	191·9	3838.6
केरल	933.6	—	—	191·5	1125·1
मध्य प्रदेश (80-81)	8099.5	6908.3	533.7	—	15541·4
महाराष्ट्र	4282.8	1537.0	242.6	354·3	6416·7
मणिपुर (80-81)	137.7	417.1	960.6	—	1515·4
मेघालय	70.6	1.2	—	779.2	851.0
नागालैंड	48.3	51.8	—	189.8	289.9
उड़ीसा	2504.2	3490.6	1.5	—	5996.3
पंजाब	4.4	103.4	26.1	125.3	259.2
राजस्थान	1197.0	1507.6	339.3	—	3043.9
सिक्किम	224.0	58.0	—	—	282.0
तमिलनाडु	1811.9	333.2	—	56.3	2201.4
त्रिपुरा	386.2	205.8	—	—	592.0
उत्तर प्रदेश (80-81)	3465.1	12.9	575.5	1061.4	5114.9
पश्चिम बंगाल (80-81)	700.0	426.0	—	57.0	1183.0
योग					

1	2	3	4	5	6
संघ राज्य क्षेत्र					
अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह	291.2	423.2	—	—	714.4
अरुणाचल प्रदेश	1257.4	0.8	3884.0	11.8	5154.0
दादर तथा नगर हवेली	20.2	—	—	—	20.2
दिल्ली	—	—	—	—	—
गोवा, दमन तथा द्वीप	4.2	—	101.1	25.6	130.9
मिजोरम	631.2	164.7	524.0	343.0	1662.9
योग (अखिल भारतीय)	39778.6	21653.7	8668.9	4620.4	74721.6

टिप्पणी : 1. जब तक आंकड़ों का अन्यथा उल्लेख न किया गया हो, 1981-82 से सम्बन्धित है।

2. आंकड़े राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त रिपोर्टों पर आधारित हैं।

शरद्कालीन खेलों को बढ़ावा

*377. प्रो० सैफुद्दीन सोज : क्या युवा कार्य और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 31 दिसम्बर, 1984 को समाप्त हुए पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में शरद्कालीन खेलों को बढ़ावा देने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कार्यक्रम प्रारम्भ किये गए हैं ?

युवा कार्य और खेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : देश में शरद्कालीन खेलों को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाये गए हैं। गुलमर्ग में स्काईंग तथा पर्वतारोहण संस्थान, गुलमर्ग को एक पर्वतीय और शरद्कालीन खेल सैरगाह के रूप में विकसित करने को ध्यान में रखकर, 1969 में स्थापित किया गया था। इस कदम ने गुलमर्ग में पर्यटक मौसम को बढ़ाने में सहायता दी है। वस्तुतः इसने गुलमर्ग के जीवन में ऐसा परिवर्तन किया है कि एक हिल स्टेशन जो केवल गर्मियों में ही गतिशील होता था, वहां अब पूरे वर्ष कार्यकलाप होते रहते हैं।

पिछले कई वर्षों से संस्थान ने केवल गुलमर्ग (जम्मू और कश्मीर) में अपितु नारकण्डा (हिमाचल प्रदेश) में भी और हाल ही में औली-जोशीमठ में भी कई शरद्कालीन स्काईंग प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किये हैं। अतः संस्थान ने वर्ष 1982-83, 1983-84 और 1984-85 के दौरान गुलमर्ग और नारकन्डा में ऐसे पाठ्यक्रम आयोजित किये और औली-जोशीमठ में भी उसने 1984-85 के दौरान ऐसे पाठ्यक्रम आयोजित किये थे। इन तीन वर्षों के दौरान एक हजार से अधिक शरद्कालीन खेल उत्साहियों ने उपलब्ध सुविधाओं का लाभ उठाया और इन केन्द्रों में शरद्कालीन स्काईंग में प्रशिक्षण प्राप्त किया।

केन्द्रीय सरकार ने पर्वतारोहण तथा शरद्कालीन खेल संस्था जवाहर संस्थान को जम्मू और कश्मीर में पहलगांव के निकट अरू में जवाहर पर्वतारोहण और शरद्कालीन खेल संस्थान स्थापित करने के लिए 3 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी थी। प्रस्तावित संस्थान केन्द्रीय सरकार और जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित होगा।

इसके अलावा, युवा कार्य और खेल विभाग का उपयुक्त स्थान पर नेताजी सुभाष राष्ट्रीय

खेल संस्थान का शरद्‌कालीन खेल-केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है।

नदी जल प्रदूषण

*378. श्री मोहन लाल पटेल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में नदी जल प्रदूषण की गंभीर समस्या विद्यमान है;

(ख) यदि हां, तो नदी जल प्रदूषण का निर्धारण करने के लिए अपनाए जा रहे तरीकों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में नदी जल प्रदूषण की समस्या हेतु सरकार क्या कदम उठा रही है ?

प्रधान मन्त्री (श्री राजीव गांधी) : (क) कुछ बड़ी नदियों के फैलाव में प्रदूषण का स्तर काफी अधिक है।

(ख) प्रदूषण के स्तरों के मूल्यांकन के लिए चुने गये प्राचलों (पैरामीटर) के सम्बन्ध में 1977-78 से नदी प्रणाली के जल की गुणवत्ता का लगातार प्रबोधन किया जा रहा है।

(ग) जल (प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण) अधिनियम, 1974 की व्यवस्थाओं में, नदियों में प्रदूषण की रोक-थाम हेतु उठाये गये कदमों में शामिल हैं :—

(i) निर्दिष्ट उपयोगों हेतु नदी फैलावों का वर्गीकरण तथा क्षेत्रों में विभाजित करना।

(ii) विभिन्न प्रदूषणकारी उद्योगों के लिए न्यूनतम राष्ट्रीय मानक बनाना तथा केन्द्रीय एवं राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्डों द्वारा उनका चरणबद्ध क्रियान्वयन।

(iii) उद्योगों को प्रदूषण नियन्त्रण के उपाय अपनाने के लिए सहमत करना।

(iv) चूककर्त्ता उद्योगों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करना।

(v) प्रदूषण नियन्त्रण उपकरण लगाने एवं उनके सन्तोषजनक निष्पादन के लिए वित्तीय प्रोत्साहन देना।

(vi) सामुदायी निस्सरण उपचार संयंत्रों के लगाने के लिए विशेषकर लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देना।

(vii) गंगा कार्यकारी योजना जैसे मुहाने-वार प्रदूषण नियन्त्रण कार्यक्रम बनाना।

(viii) प्रदूषण नियन्त्रण हेतु लागत प्रभावी प्रौद्योगिकियों का विकास।

[हिन्दी]

शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोग

*379. श्री सी० जंगा रेड्डी :

डा० ए० के० पटेल :

क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का पता लगाने के लिए क्या मानदण्ड अपनाए गये हैं और राज्य-वार ऐसे कुल कितने व्यक्ति हैं; और

(ख) ऐसे लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने हेतु वर्ष 1985-86 के लिए राज्य-वार क्या लक्ष्य निर्धारित किये गए हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) गरीब व्यक्तियों की परिभाषा में वे लोग आते हैं जिनका मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय 1977-78 की कीमतों पर ग्रामीण क्षेत्रों में 65 रु० और शहरी क्षेत्रों में 65 रु० से कम है। यह ग्रमीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति 2400 कैलोरी के दैनिक उपभोग और शहरी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति 2100 कैलोरी के दैनिक उपभोग के अनुरूप है।

गरीबी की रेखा की संकल्पना और इससे नीचे रहने वाले व्यक्तियों की संख्या के प्रतिशत का अनुमान पहली बार छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) के लिए लगाए गए थे। ये योजना आयोग द्वारा वर्ष 1977 में स्थापित न्यूनतम आवश्यकताओं तथा प्रभावी उपयोग/मांग से संबंधित कार्यकारी दल (टास्क फोर्स) की सिफारिशों पर आधारित थे। इन अनुमानों के आंकड़ों का मुख्य स्रोत राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन का उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण है। छठी योजना के अनुमान राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के वर्ष 1977-78 के सर्वेक्षण पर आधारित हैं। यह सर्वेक्षण अन्तिम उपलब्ध सर्वेक्षण है। वर्ष 1977-78 के लिए अनुमान (ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों के लिए राज्यवार आंकड़े विवरण के रूप में संलग्न हैं।

छठी योजना के आधार वर्ष (1979-80) के अनुमान राष्ट्रीय प्रतिवर्ष सर्वेक्षण संगठन के 1977-78 के सर्वेक्षण के आधार पर लगाए गए हैं जो नीचे दिए गए हैं :—

वर्ष	गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों की संख्या (मिलियन)		
	ग्रामीण	शहरी	कुल
1979-80	273.0	66.0	339.0
	(53.6 प्रतिशत)	(42.9 प्रतिशत)	(51.1 प्रतिशत)

(ख) इस सम्बन्ध में कोई वर्षवार लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते हैं फिर भी जैसा कि सातवीं पंचवर्षीय योजना के नीति पत्र में परिकल्पना की गई है, गरीबी दूर करने के लिए सभी कार्यक्रम सातवीं योजना में और भी तेज गति से कार्यान्वित किए जाते रहेंगे।

विवरण

क्र० सं० राज्य	ग्रामीण		शहरी		सम्मिलित	
	संख्या (लाख)	प्रतिशत	संख्या (लाख)	प्रतिशत	संख्या (लाख)	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
1. आन्ध्र प्रदेश	170.35	43.89	36.44	35.68	206.79	42.18
2. असम	88.34	52.65	7.07	37.37	95.41	51.10
3. बिहार	338.44	58.91	32.94	46.07	371.38	57.49
4. गुजरात	94.84	43.20	26.48	29.02	121.32	39.04

1	2	3	4	5	6	7
5. हरियाणा	22.10	23.25	6.95	31.74	29.05	24.84
6. हिमाचल प्रदेश	10.37	28.12	0.51	16.56	10.88	27.25
7. जम्मू और कश्मीर	14.57	32.75	4.35	39.33	18.92	34.06
8. कर्नाटक	124.10	49.88	38.62	43.97	162.72	48.34
9. केरल	93.42	46.00	22.19	51.44	115.61	46.95
10. मध्य प्रदेश	244.59	59.82	42.74	48.09	287.33	57.73
11. महाराष्ट्र	214.11	55.85	61.30	31.62	275.41	47.71
12. मणिपुर	3.42	30.54	0.56	25.48	3.98	29.71
13. मेघालय	5.51	53.87	0.36	18.16	5.87	48.03
14. नागालैंड	उ० न०	उ० न०	0.03	4.11	उ० न०	उ० न०
15. उड़ीसा	158.97	68.97	10.33	42.19	169.30	66.40
16. पंजाब	13.49	11.87	9.59	24.66	23.08	15.13
17. राजस्थान	85.79	33.75	19.12	33.80	104.91	33.76
18. तमिलनाडु	170.47	55.68	66.59	44.79	237.06	52.12
19. त्रिपुरा	10.93	64.28	0.61	26.34	11.54	59.73
20. उत्तर प्रदेश	429.93	50.23	72.27	49.24	502.20	50.09
21. पश्चिम बंगाल	227.65	58.94	48.10	34.71	275.75	52.54
22. सभी संघ राज्य क्षेत्र	6.35	34.32	11.24	17.96	17.59	21.69
अखिल भारतीय (भारित)	2527.74	50.82	518.39	38.19	3046.10	48.13

उ० न०—उपलब्ध नहीं

नोट—(1) उपर्युक्त अनुमान वर्ष 1977-78 की कीमतों के आधार पर 65 रु० प्रति व्यक्ति प्रति मास की गरीबी की रेखा का उपयोग करते हुए प्राप्त किए गए हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति 2400 कैलोरी की न्यूनतम दैनिक आवश्यकता के अनुसार है, 75 रु० की गरीबी की रेखा शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी की आवश्यकता के अनुसार है। इसका अनुमान अखिल भारतीय आधार पर लगाया गया है।

(2) ये परिणाम राष्ट्रीय प्रतिदर्शी सर्वेक्षण संगठन के पारिवारिक उपभोक्ता व्यय के 32 वें दौर (जुलाई, 1977 से जून, 1978) से सम्बन्धित अन्तिम और त्वरित सारणीयन पर आधारित है।

(3) केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा अपने राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी में दिये गये अखिल भारतीय निजी उपभोक्ता व्यय से सम्बन्धित कुल अनुमानों और राष्ट्रीय प्रतिदर्शी सर्वेक्षण संगठन के आंकड़ों से प्राप्त कुल अनुमानों में जो अन्तर है उसे राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में आवंटित करने के सम्बन्ध में किसी सूचना के अभाव

में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में यथा अनुपात समायोजित किया गया है।

(4) गरीबी की रेखा से नीचे के व्यक्तियों की संख्या 1 मार्च, 1978 की जनसंख्या से सम्बन्धित हैं।

(5) अखिल भारतीय आधार पर गरीबी की रेखा से नीचे के व्यक्तियों की संख्या उन राज्यों की जनसंख्या के अनुसार है, जिन्हें विवरण में शामिल किया गया है।

[अनुवाद]

गंगा परियोजना की रूपरेखा

*380. श्री जैनुल बशर : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गंगा परियोजना की रूपरेखा तैयार कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो इस रूपरेखा की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) गंगा नदी के किनारे स्थित किन-किन शहरों का मल शोधन तथा अन्य प्रयोजनों हेतु चयन करने का विचार है; और

(घ) क्या गंगा नदी के किनारे स्थित ऐसे शहरों में भी, जहां मल तथा जल निकासी की उचित व्यवस्था नहीं है और जो गंगा नदी को प्रदूषित करते हैं, ये सुविधाएं भी उपलब्ध की जायेंगी ?

प्रधान मंत्री (श्री राजीव गांधी) : (क) जी हां, गंगा के प्रदूषण को रोकने के लिए एक कार्य योजना तैयार की गई है।

(ख) योजना में निम्नलिखित घटक शामिल होंगे :

—वर्तमान मलजल पम्पों तथा उपचार संयंत्रों का नवीकरण।

—वर्तमान मलजल प्रणालियों का नवीकरण।

—चयनित शहरों में मलजल उपचार के लिए नए मलजल उपचार संयंत्रों की स्थापना तथा सिंचाई एवं जलकृषि (एक्वेकल्चर) के प्रावधानों के अतिरिक्त, विशेष रूप से बायोगैस तथा खाद संसाधन की प्रतिप्राप्ति।

(ग) कार्यान्वयन के प्रथम चरण में शामिल किए गए 27 प्रथम दर्जे के नगरों की सूची विवरण के रूप में है।

(घ) जी हां, द्वितीय चरण में मल जल के विस्तार की परिकल्पना की गई है।

विवरण

गंगा कार्य योजना के कार्यान्वयन के प्रथम चरण में शामिल किये गये गंगा नदी के किनारों पर स्थित प्रथम श्रेणी के शहर

उत्तर प्रदेश

1. हरिद्वार
2. फर्रुखाबाद तथा फतेहगढ़
3. कानपुर
4. इलाहाबाद

5. मिर्जापुर

6. वाराणासी

बिहार

7. छपरा

8. पटना

9. मुंगेर

10. भागलपुर

पश्चिम बंगाल

11. वरहामपुर

12. नवाद्वीप

13. हुगली

14. चन्दन नगर

15. भरतपुर

16. वैरकपुर

17. श्रीरामपुर

18. टीटागढ़

19. पनीहाटी

20. वाली

21. कमरहाती

22. वाड़ानगर

23. दक्षिण बम दम

24. जादवपुर

25. गार्डन रीच

26. नैहाती

27. दक्षिण सुदरवन

[हिन्दी]

भारत के मुसलमानों के बारे में पाकिस्तान के राष्ट्रपति द्वारा दिया गया कथित वक्तव्य

*381. श्री आर० एम० भोये : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने हाल ही में एक वक्तव्य दिया था जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि भारत में मुसलमानों के साथ असहानुभूति का व्यवहार किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार ने इस प्रकार के गलत बयानों के प्रति विरोध प्रकट करने के लिए पाकिस्तान को कोई विरोध-पत्र भेजा है; और

(ग) यदि हां, तो क्या भारत सरकार ने इस प्रकार के गलत बयानों के बारे में विश्व के अन्य देशों को जानकारी दी है ताकि हमारी विख्यात धर्म निरपेक्षता की सर्वविदित नीति का पता चल सके ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). सरकार ऐसी टिप्पणियों को भारत के आन्तरिक मामलों में अनुचित तथा अवांछनीय हस्तक्षेप मानती है और इस पर खेद व्यक्त करती है। इस मामले को पाकिस्तान की सरकार के साथ उठाया गया है।

चीन और पाकिस्तान में भारतीय युद्ध बन्दी

*382. **श्री दिलीप सिंह भूरिया** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1962 में चीन के साथ हुए युद्ध तथा वर्ष 1965 व वर्ष 1971 में पाकिस्तान से हुए युद्ध के समय से इन देशों में कितने भारतीय सैनिक और अन्य नागरिक युद्ध बन्दियों के रूप में कैद हैं; और

(ख) इनको मुक्त कराने के लिए सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ख). ऐसी कोई ठोस सूचना उपलब्ध नहीं है जिससे यह पता चले कि चीन में ऐसे भारतीय नजरबन्द या युद्ध-बन्दी हैं जो 1962 की लड़ाई में पकड़े गए हों।

ऐसा विश्वास किया जाता है कि 1971 के संघर्ष के बाद 43 लापता भारतीय रक्षा कार्मिक पाकिस्तान की जेलों में हैं। सरकार ने उनकी रिहाई और भारत में उनके प्रत्यावर्तन के प्रश्न को विभिन्न स्तरों पर विभिन्न अवसरों पर पाकिस्तान की सरकार के साथ उठाया है। पाकिस्तान की सरकार का यह कहना है कि कोई भी भारतीय सैनिक कार्मिक पाकिस्तान की जेलों में नहीं है। तथापि सरकार इस सम्बन्ध में अपने प्रयत्न कर रही है।

[अनुवाद]

नई वन नीति में हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में वन रोपण का कार्यक्रम

*383. **श्री जितेन्द्र प्रसाद** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एक नई वनरोपण नीति बनाई है;

(ख) क्या उक्त नीति का उद्देश्य हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में वनरोपण करना तथा पेड़ों की कटाई पर 20 वर्ष तक प्रतिबन्ध लगाना है, क्योंकि वहां अवैध और अन्धाधुन्ध पेड़ों की कटाई हुई है जिसके परिणामस्वरूप अभी हाल ही में विनाशकारी बाढ़ आई है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यह योजना कब तक लागू किए जाने की सम्भावना है ?

प्रधान मंत्री (श्री राजीव गांधी) : (क) से (घ). 1952 में घोषित की गई राष्ट्रीय वन नीति के संशोधन के बारे में सरकार विचार कर रही है।

केरल में पर्यटन संभावना

*384. प्रो० पी० जे० कुरियन :

श्री जी० एम० बनातवाला :

क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल की पर्यटन क्षमता का पूरा उपयोग करने के लिए कोई व्यापक योजना तैयार की जा रही है;

(ख) इस समय केरल में कितने प्रतिशत पर्यटन क्षमता का उपयोग किया जा रहा है;

(ग) क्या सरकार का केरल में इदुक्की और पट्टानाथिट्टा जिलों में पर्यटन-महत्व के स्थानों का विकास करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) से (घ). विभाग ने राज्य सरकार के परामर्श से केन्द्र, राज्य और प्राइवेट सैक्टरों के मिले-जुले संसाधनों से पर्यटक आधार-संरचनात्मक सुविधाओं का अवस्थाबद्ध-विकास करने के लिए केरल में दो यात्रा परि-पथ अभिनिर्धारित किए हैं जिनमें 22 केन्द्र शामिल हैं।

प्रशासनिक स्टाफ कालेज हैदराबाद ने राज्य सरकार की ओर से एक मूल पर्यटन विकास योजना तैयार की है जो राज्य में पर्यटक विकास-कार्यकलापों के लिए गाइड-लाइन काम करेगी।

राज्य सरकार के पास अभी तक इदुक्की जिले में पेरिआर टाइगर रिज़र्व में नौका सुविधाएं और सॉबेरिमाला में तीर्थयात्री-गृहों की व्यवस्था के लिए प्रस्ताव हैं। पर्यटन-सप्ताह आयोजनों के एक अंग के रूप में पट्टानाथिट्टा जिले में अरनमुला में वार्षिक सर्प-नौका-उत्सव को भी व्यापक रूप से प्रचारित किया जाता है। इन सभी केन्द्रों पर राज्य सैक्टर के अन्तर्गत अतिथि-गृहों का निर्माण कार्यान्वयन की विविध अवस्थाओं में है।

राज्य सरकार से सातवीं पंचवर्षीय योजना के तहत प्रारम्भ किए जाने के लिए ठोस प्रस्तावों को प्रस्तुत करने लिए अनुरोध किया गया है।

भारत पर्यटन विकास निगम ने कोवलम में समुद्र-तट-अवकाश के लिए एक होटल स्थापित किया है। त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे को विदेशों से आने वाले पर्यटक-चार्टर-विमानों के लिए खोल दिया गया है।

[अनुवाद]

चीन द्वारा तिब्बत पर कब्जा करने के विरोध में तिब्बतियों का प्रदर्शन

2344. श्री अमर राय प्रधान : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारत में बसे कुछ तिब्बतियों ने चीन द्वारा तिब्बत पर कब्जा करने के विरुद्ध नई दिल्ली तथा अन्य स्थानों पर चीनी दूतावासों के बाहर प्रदर्शन किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ख). थोड़े से तिब्बतियों ने, जो नई दिल्ली में बस गए हैं, तिब्बत में चीनी सेनाओं की उपस्थिति के विरुद्ध और तिब्बत को स्वाधीनता देने के लिए मुख्य रूप से चीन के राजदूतावास के बाहर प्रदर्शन किया। भारत सरकार तिब्बत को चीन का एक अंग मानती है।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार

2345. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या गृह मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि दिल्ली तथा संघशासी क्षेत्रों सहित प्रत्येक राज्य में गत एक वर्ष के दौरान अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की हत्याएं; उनके विरुद्ध दंगे, डकैतियों और अत्याचारों तथा महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाओं की संख्या कितनी है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : एक विवरण संलग्न है।

(पृ० 36-37)

यूरेनियम भण्डारों संबंधी सर्वेक्षण

2346. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में यूरेनियम भण्डारों का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों और जिलों का क्या नाम है, जहां पर यूरेनियम के भंडार मिले हैं;

(ग) क्या यूरेनियम की खोज करने के लिए कोई खोज कार्य आरम्भ किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और इलैक्ट्रोनिक्स विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) देश भर में बहुत से राज्यों में ऐसे स्थानों का पता चला है जहां यूरेनियम की विद्यमानता की द्योतक विसंगतियां मौजूद हैं। परमाणु खनिज प्रभाग ने जिन राज्यों और जिलों में यूरेनियम की विद्यमानता का पता हाल ही में लगाया है उनके नाम नीचे दिये गए हैं :

राज्य	जिला
आंध्र प्रदेश	महबूबनगर, नालगोंडा, नैल्लूर और प्रकाशम।
अरुणाचल प्रदेश	पश्चिमी कामेंग।
बिहार	सिंहभूम, पलामाऊ।
हिमाचल प्रदेश	हमीरपुर, कुल्लू, किन्नौर, शिमला, चम्बा।
जम्मू और कश्मीर	ऊधमपुर।
कर्नाटक	उत्तरी कनारा और दक्षिण कनारा।
मध्य प्रदेश	राजनंदगांव, सरगुजा, बिलासपुर।
मेघालय	पश्चिमी खासी पहाड़ियां तथा गारो पहाड़ियां।
राजस्थान	उदयपुर और अलवर।
सिक्किम	पश्चिमी और पूर्वी सिक्कम।
उत्तर प्रदेश	टिहरी-गढ़वाल, सहारनपुर, देहरादून।

विवरण

वर्ष 1984 के दौरान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पर किए गए अत्याचार हत्या और बलात्कारों की कुल संख्या का विवरण

क्रम सं०	राज्य का नाम	अनुसूचित जातियों पर किए गए अत्याचार: अपराधों की कुल सं०	हत्या	बलात्कार	टिप्पणी	अनुसूचित जनजातियों पर किए गए अत्याचार: अपराधों की कुल सं०	हत्या	बलात्कार	टिप्पणी
1.	आन्ध्र प्रदेश	181	17	12	नव० 1984 तक	45	02	16	सित० 1984 तक
2.	असम	शून्य	शून्य	शून्य		13	शून्य	शून्य	मई 1984 तक
3.	बिहार	1845	95	83		203	10	37	
4.	गुजरात	582	13	10		114	08	09	
5.	हरियाणा	120	03	26		शून्य	शून्य	शून्य	
6.	हिमाचल प्रदेश	60	शून्य	04	केवल दिसम्बर 1984	शून्य	शून्य	शून्य	
7.	जम्मू और कश्मीर	12	शून्य	10	के लिए ज़िला श्रीनगर को छोड़कर	शून्य	शून्य	शून्य	
8.	कर्नाटक	169	16	13		01	01	शून्य	
9.	केरल	96	08	08	अगस्त 1984 तक	38	शून्य	08	अप्रैल, 1984 तक
10.	मध्य प्रदेश	5195	118	200	नवम्बर 1984 तक	2906	117	156	नव० 1984 तक
11.	महाराष्ट्र	570	01	39		159	09	24	
12.	उड़ीसा	150	08	09		55	03	15	

13. पंजाब	47	06	10	शून्य	शून्य	शून्य	
14. राजस्थान	1648	24	63	400	14	11	
15. तमिलनाडु	690	06	17	04	शून्य	01	
16. उत्तर प्रदेश	4200	213	176	शून्य	शून्य	शून्य	
17. पं० बंगाल	18	शून्य	04	15	शून्य	08	
संघ शासित क्षेत्र							
1. अण्डमान और निकोबार	शून्य	शून्य	शून्य	03	शून्य	शून्य	. . .
2. दिल्ली	10	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
3. दादरा और नगर हवेली	शून्य	शून्य	शून्य	10	शून्य	शून्य	नव० 1984 तक
4. पाण्डिचेरी	01	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
जोड़	15585	537	675	3985	164	285	

टिप्पणी :—1. अन्य राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के विषय में सूचना शून्य है।

2. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों पर डकैतियों और दंगों के विषय में सूचना नहीं रखी जाती है।

(ग) तथा (घ). परमाणु खनिज प्रभाग उन क्षेत्रों के कई भागों में भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण और विस्तृत भौम अन्वेषण करता रहा है जहाँ यूरेनियम मिलने की आशा है और ऐसे भंडारों के बारे में निश्चित जानकारी प्राप्त की जा चुकी है जहाँ लगभग 73,000 मीटरिक टन यूरेनियम आक्साइड (U_3O_8) की मौजूदगी के बारे में या तो संकेत मिले हैं या अनुमान लगाया गया है। और भी भंडारों का पता लगाने के लिए आगे अन्वेषण जारी है।

देश में वन गांव

2347. श्री लक्ष्मण मलिक : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वन-गांवों की संख्या का ब्यौरा क्या है और उनमें कितने आदिवासी रहते हैं; और

(ख) क्या सरकार ने सातवीं योजना अवधि मे वन निवासियों के उत्थान के लिए भी योजना तैयार की है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीर सेन) : (क) असम, गुजरात, मध्य-प्रदेश, नागालैंड और पश्चिम बंगाल वन-गांवों वाले राज्य हैं। सभी 2285 वन-गांवों में लगभग 17.12 लाख की आबादी है, जिसमें अधिकांश आदिवासी हैं।

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा सभी राज्यों को वन-गांवों के विकास के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त परिचारित किये गये हैं। सम्बन्धित राज्य सरकारें सातवीं योजना अवधि (1985-90) के दौरान क्रियान्वयन के लिए योजनाएं तथा स्कीमें तैयार करने के लिए कार्यवाही कर रही हैं।

केरल में परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना

2348. श्री वी० एस० विजयराघवन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य में एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की मांग की है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में विशेषज्ञों के एक दल ने केरल में कुछ स्थलों का दौरा किया था; और

(ग) यदि हां, तो दल के निष्कर्ष क्या हैं और इस सम्बन्ध में सरकार का अन्तिम निर्णय क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और इलेक्ट्रोनिक्स विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) स्थल चयन समिति ने केरल के स्थलों का अध्ययन परमाणु बिजली घरों की स्थापना करने की दृष्टि से किया है तथा दक्षिणी विद्युत क्षेत्र, जिसमें केरल भी शामिल है, के बारे में उस समिति की रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है।

केन्द्र में शहरी विकास के लिए मंत्रालय

2349. श्री नरसिंह राव सूर्यवंशी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने डा० बी० सी० बर्वे और डा० सी० डी० देशमुख की अध्यक्षता में

प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा गठित एक अध्ययन दल की केन्द्र में शहरी विकास के लिए एक अलग तन्त्र 'मन्त्रालय बनाने सम्बन्धी सिफारिश पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) से (ग). प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा गठित अध्ययन-दलों ने अपनी रिपोर्ट सरकार को नहीं अपितु आयोग को प्रस्तुत की थीं। "भारत सरकार के तन्त्र तथा इसके कार्य की प्रक्रियाओं" से सम्बन्धित अध्ययन-दल ने केन्द्र में शहरी विकास के लिए एक अलग मन्त्रालय के गठन की सिफारिश नहीं की थी, बल्कि उसने नगर तथा शहर योजना, शहरी विकास, आवास, भूमि तथा स्थानीय स्वायत शासन का कामकाज देखने के लिए क्षेत्रीय योजना मन्त्रालय विभाग (प्रस्तावित स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा क्षेत्रीय योजना मन्त्रालय के अधीन) के गठन की सिफारिश की थी। आयोग के अध्ययन-दल की उपर्युक्त सिफारिश से सहमत नहीं था।

हैदराबाद में मालाखेत में महबूब मैंशन स्मारक

2350. **श्री बी० बी० रमैया** : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान हैदराबाद में मालाखेत में महबूब मैंशन की कथित उपेक्षा के सम्बन्ध में 27 फरवरी, 1985 के "न्यूज टाइम" में प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है और यदि हां, तो क्या सुधारात्मक कदम उठाये गये हैं/उठाने का विचार है; और

(ख) क्या राज्य सरकार के नियन्त्रणाधीन स्मारकों सहित विद्यमान प्रसिद्ध स्मारकों के संरक्षण के सम्बन्ध में सरकार की कोई नीति/कार्यक्रम है और यदि हां, तो महबूब मैंशन की उपेक्षा करने के क्या कारण हैं ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी, हां। मैंशन स्मारक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की सुरक्षा के अन्तर्गत नहीं है। आन्ध्र प्रदेश सरकार से इस मामले की जांच करने का अनुरोध किया गया है।

(ख) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, राज्य सरकार के अन्तर्गत आने वाले स्मारकों सहित केवल उन स्मारकों की सुरक्षा करता है जो 100 वर्षों से अधिक पुराने होते हैं और जो ऐतिहासिक, पुरातत्वीय और वास्तुशिल्पीय रूप से राष्ट्रीय महत्व के होते हैं। क्योंकि मैंशन स्मारक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन नहीं है, अतः भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा इसकी उपेक्षा करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

जल प्रदूषण की रोकथाम के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना

2351. **श्री श्रीहरि राव** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में गंगा नदी सहित सभी नदियों में भारी प्रदूषण है;

(ख) यदि हां, तो प्रदूषण सम्बन्धी पूरा ब्यौरा क्या है तथा फार्मों/नगरों से औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थों तथा खेतों से उर्वरक/कीट नाशक दवाओं के बहाए जाने से होने वाले ऐसे प्रदूषण की रोक-थाम की क्या योजनाएं हैं;

(ग) क्या उनके मन्त्रालय ने सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गंगा के प्रदूषण की रोकथाम के लिए कोई 'कार्यवाही योजना' तैयार की है;

(घ) यदि हाँ, तो उस पर अनुमानतः कितनी धनराशि खर्च होगी तथा कितने नगरों को इस योजना के अन्तर्गत शामिल किया जाएगा; और

(ङ) क्या जल प्रदूषण की रोकथाम सम्बन्धी समूचे देश की जरूरत के लिए कोई राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना तैयार की गई है और यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा इस समस्या को कितने समय में हल करने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वीर सेन) : (क) जी हाँ, कुछ नदियों के फैलाव, मुख्य रूप से बड़े नगरों के पास वाले प्रदूषित हैं।

(ख) देश की प्रमुख बड़ी नदियों में प्रदूषण शहरों तथा कस्बों के अउपचारित अपशिष्ट जल के व्यसन से होता है (कुल प्रदूषण का 80 प्रतिशत से 90 प्र० तक) मनुष्य की बसासत, औद्योगिक उपभोग खाद/कीटनाशकों इत्यादि से उत्पन्न प्रदूषण की क्षमता का गंगा नदी के मुहाने में अनुमान लगा लिया गया है। नगरीय अपशिष्ट जल 80 प्रतिशत से 90 प्रतिशत होता है तथा औद्योगिक निस्सरण 10 प्रतिशत से 20 प्रतिशत तक होता है। फार्मों, खाद तथा कीटनाशकों (गंगा को छोड़कर) के बहिःस्राव से होने वाले प्रदूषण की नदी मुहाने विशिष्ठ अध्ययन नहीं किये गये हैं। 7वीं योजना में ब्राह्मणी, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, कृष्णा, दामोदर, माही तथा साबरमती के मुहानों में अध्ययन आरम्भ किये जा रहे हैं तथा देश की शेष नदियों में ऐसे अध्ययन शुरू किये जायेंगे तथा बाद में योजना बनाई जायेगी।

(ग) तथा (घ). जी हाँ, पर्यावरण विभाग द्वारा गठित एक विशेषज्ञ समिति ने गंगा में प्रदूषण के निवारण हेतु एक कार्यवाई योजना बनाई है। कार्यक्रम के प्रथम चरण में, 250 करोड़ का अनुमानित लागत पर 27 श्रेणी I शहरों में कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(ङ) अभी तक ऐसी कोई अनुदृश्य योजना नहीं बनाई गई है। वरन् उचित समय पर योजनाएँ बनाई जायेंगी। इस समय कालावधि की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती।

[हिन्दी]

दानापुर छावनी भर्ती दफ्तर के सैनिक अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें

2352. **श्री अब्दुल हन्नान अंसारी** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय जांच ब्यूरो, पटना को दानापुर छावनी भर्ती दफ्तर के सैनिक अधिकारियों के विरुद्ध जनवरी, 1983 से 20 मार्च, 1985 तक कितनी शिकायतें मिली हैं; और

(ख) उनमें से कितनी शिकायतें निपटा ली गई हैं और कितनी शिकायतें अभी लम्बित पड़ी हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जायेगी।

[अनुवाद]

बाढ़ के कारण वनों का नष्ट होना

2353 : **श्री बनवारी लाल बेरवा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समूचे देश में बाढ़ का प्रकोप बढ़ने के क्या कारण हैं;

(ख) इसके लिए वनों का नष्ट होना कहाँ तक उत्तरदायी है; और

(ग) बाढ़ रोकने के लिए पर्वतीय क्षेत्रों में वनों के संरक्षण की योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीर सेन) : (क) देश में बाढ़ का प्रकोप बढ़ने के मुख्य कारण ये हैं :

(1) वनों का उजड़ना;

(2) अत्यधिक चराई

(3) संरक्षण उपायों के बिना खड़ी ढाल वाले क्षेत्र में कृषि और बागवानी का विस्तार;

(4) जल निकास ठीक न होना;

(5) असामान्य वर्षा; और

(6) ज्वारीभत्ति;

(ख) यद्यपि, सही मात्रा का निर्धारण नहीं किया जा सकता है तथापि, वनों का उजड़ना बाढ़ों का मुख्य कारण है।

(ग) एक विवरण सलंग्न है।

विवरण

पहाड़ी क्षेत्रों के वनों सहित देश के वनों का संरक्षण तथा विकास करने के लिए किए गए/किये जाने वाले उपाय

(1) वन भूमि के गैर-वन भूमि के रूप में अन्धाधुन्ध उपयोग किये को रोकने के लिये वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 बनाया गया है।

(2) वनों के कार्यकरण के लिये कार्यकारी (प्रबन्ध) योजनाएं तैयार करने और क्षेत्र स्तर पर प्रवर्तन तन्त्र को सुदृढ़ बनाने के लिये राज्यों और संघ क्षेत्रों को मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए गए हैं।

(3) वन संरक्षण के पक्ष में आवश्यक बल प्रदान करने तथा इस प्रयोजन के लिये विशाल जन आन्दोलन शुरू करने के लिए राष्ट्रीय वन नीति की समीक्षा की जा रही है।

(4) वनों का दबाव कम करने हेतु, विशेष रूप से प्रतिस्थापनी सामग्रियों के उपयोग को प्रोत्साहन देकर पद्धतियां तैयार करने की दृष्टि से गहन अध्ययन किया जा रहा है।

(5) हमारे वन संसाधनों पर दबाव कम करने के उपाय के रूप में 1985-86 के बजट में आयातित लुगदी और लकड़ी के टुकड़ों को पूर्णत: कर मुक्त करने और सभी उपभोक्ता उद्योगों को इस रियायत को देने का प्रस्ताव है। कुछ विशिष्ट रूपों में लकड़ी पर 100 प्रतिशत सीमा शुल्क के वर्तमान स्तर से घटाकर यथा मूल्य 10 प्रतिशत किये जाने का प्रस्ताव है।

(6) हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम

बंगाल तथा दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में 1980-81 से गंगा के बेसिन की बाढ़ प्रवण नदियों के स्रवण क्षेत्रों में समेकित पनधारा प्रबन्ध को केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना चल रही है।

(7) निम्नलिखित केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं शुरू करने से वृक्ष रोपण की गति तेज हो गई है :

(1) "हिमालय में मृदा, जल तथा वृक्ष संरक्षण"

(2) "ग्रामीण ईंधन लकड़ी रोपण सहित "सामाजिक वानिकी"; और

(3) अन्य सामाजिक वानिकी परियोजनाएं

सातवीं योजना अवधि (1985-90) में इन प्रयासों को और तेज किया जाएगा।

खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के माध्यम से बायोगैस संयंत्र

2354. **श्री हुसैन दलवाई** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड की एजेंसी के माध्यम से अब तक कितने बायोगैस संयंत्र लगाए गए हैं;

(ख) ऐसे बायोगैस संयंत्र का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या ये संयंत्र लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध हुए हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिक मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और इलेक्ट्रोनिक्स विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख). सरकार पारिवारिक आकार के बायोगैस संयंत्रों की स्थापना के लिए, बायोगैस विकास की राष्ट्रीय परियोजना (एन० पी० बी० डी०) का कार्यान्वियन कर रही है। इसी प्रकार से विभिन्न राज्यों में समुदायों और संस्थाओं के लिए प्रदर्शन योजना के अधीन बड़े आकार के सामुदायिक और संस्थागत बायोगैस संयन्त्रों की भी स्थापना की जा रही है। इन दोनों कार्यक्रमों के लिए राज्य सरकारें और खादी और ग्रामोद्योग आयोग कार्यान्वियन एंजेंसियों के रूप में है। फिर भी मध्य प्रदेश में राज्य सरकार ने एन० पी० बी० पी० के अधीन, अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत विभाग से सीधे अनुदान प्राप्त करने के लिए मध्य प्रदेश खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड को नोडल एजेंसी के रूप में मनोनीत किया है। वर्ष 1981-82 से वर्षवार, मध्य प्रदेश खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के माध्यम से खादी और ग्रामोद्योग आयोग तथा मध्य प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित किये गए संयन्त्रों की राज्यवार संख्या बताने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) बायोगैस संयन्त्रों की स्थापना से संबंधित लोगों की प्रतिक्रिया बड़ी उत्साह-वर्द्धक रही है। इस प्रकार के संयंत्र उपयुक्त ईंधन और अच्छी किस्म की खाद प्रदान करते हैं। अन्य लाभों में व्यवस्थित वृक्षों के गिरने में कमी, ग्रामीण सफाई में वृद्धि, खाना बनाने का आसान और उत्तम तरीका और ग्रामीण महिलाओं तथा बच्चों की आँखों की बीमारी की घटनाओं में कमी का होना सम्मिलित है।

विवरण

(क) बायोगैस विकास की राष्ट्रीय परियोजना (एन० पी० बी० डी०) के अधीन खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के द्वारा स्थापित किए गए बायोगैस संयंत्रों की राज्यवार संख्या

क्रम सं०	राज्य/केन्द्र प्रशासित क्षेत्र	संयंत्रों की संख्या 1981-82	1982-83	1983-84	1984-85 (फरवरी, '85 तक)
1.	आंध्र प्रदेश	515	702	1950	1769
2.	असम	23	17	112	182
3.	बिहार	2000	3900	4000	2019
4.	गुजरात	1034	700	2000	1427
5.	हरियाणा	43	39	21	3
6.	जम्मू और कश्मीर	3	1	11	53
7.	कर्नाटक	519	900	1500	1181
8.	केरल	262	530	760	1082
9.	महाराष्ट्र	3061	2765	2709	1550
10.	मध्य प्रदेश	166	105	600	438
11.	उड़ीसा	201	220	230	66
12.	पंजाब	19	117	128	55
13.	राजस्थान	28	17	63	26
14.	तमिलनाडु	313	360	576	533
15	उत्तर प्रदेश	440	405	979	565
16.	पश्चिमी बंगाल	274	205	300	36
17.	अन्य राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश	55	42	61	19
	योग	8956	11033	16000	11004

(ख) एन० पी० बी० डी० के अधीन मध्य प्रदेश खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के मध्य प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित किए बायोगैस संयन्त्रों की संख्या।

वर्ष		संयंत्रों की संख्या
1981-82		230
1982-83		5049
1983-84		4137
1984-85 (फरवरी, 85 तक)		1883
	योग	11299

यमुना का प्रदूषण

2355. श्री सुभाष यादव :

प्रो० आई० एस० महाजन :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि यमुना का पानी अत्यधिक प्रदूषित हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यमुना के पानी में प्रदूषण को कम से कम करने के लिए सरकार का विचार नजफगढ़ नाले, बरामुल्ला, तुगलकाबाद, यमुनापार के क्षेत्रों, दिल्ली नगर निगम, सेन नर्सिंग होम, महारानी बाग और कालका जी के नालों के गंदे पानी की उपयुक्त निकासी पद्धति के माध्यम से निकासी तथा गंदे पानी के उपचार के तरीके अपनाने का है ताकि केन्द्रीय प्रदूषण बोर्ड द्वारा अवशिष्टों के लिये निर्धारित स्तर को बनाए रखा जा सके;

(घ) क्या सरकार का विचार नाला गिरने के स्थान पर 'डीप शाफ्ट एरिएशन प्रोसेस' के माध्यम से गन्दे पानी का उपचार करने का भी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीर सेन) : (क) जी, हां।

(ख) यमुना नदी दिल्ली में वजीराबाद बांध के अनुप्रभाव से उत्तर प्रदेश में मथुरा तथा आगरा से लेकर इटावा के फैलाव तक प्रदूषित है। दिल्ली के अनुप्रवाह में वजीराबाद बांध तथा ओखला बांध के बीच का क्षेत्र अत्यधिक प्रदूषित है।

(ग) जी, हां। बरामुल्ला, तुगलकाबाद तथा यमुनापार, दिल्ली नगर निगम की नालियों के अपशिष्ट जल को या तो नियंत्रण किया गया है अथवा काफी सीमा तक इस जल को अन्यत्र परिवर्तित कर दिया गया है, और इसके द्वारा दिल्ली में यमुना के जल को ग्रहण करने वाली कुल जनसंख्या का

35 प्रतिशत कम हुआ है। इस समय चार नाले अर्थात् नजफगढ़, सिविल मिल, पावर हाउस, सेन नर्सिंग होम तथा ओखला प्राथमिक उपचारित बहिस्राव नहर अपशिष्ट जल (95 प्रतिशत से अधिक) के मुख्य स्रोत हैं। इन नालों नालों पर रोक लगाई जा रही है तथा नहरों में इन्हें परिवर्तित किया जा रहा है।

(घ) तथा (ङ). जी, नहीं। यद्यपि जल प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण के केन्द्रीय बोर्ड ने वर्ष 1979 में अन्तरिम उपाय के रूप में ऐसा एक प्रस्ताव रखा था लेकिन अधिक लागत के कारण इसे आरम्भ नहीं किया जा सका।

तिहाड़ जेल से विचाराधीन कैदियों का भागना

2356. **श्री अनंत प्रसाद सेठी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिहाड़ जेल (दिल्ली) के कुछ कैदियों ने 1984 में एक सुरंग के रास्ते से भागने का प्रयत्न किया था;

(ख) क्या कुछ विचाराधीन कैदियों और अपराधियों ने वर्ष 1977 में भी जेल से भागने का असफल प्रयास किया था और बड़ी संख्या में पेशेवर अपराधी और विचाराधीन कैदी जेल से भागने में सफल हो गए थे; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की आवृत्ति को रोकने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) जी हां, श्रीमान। 27-9-84 को केन्द्रीय जेल में ऐसा प्रयास किया गया था।

(ख) जी नहीं, श्रीमान।

(ग) जहां तक उपर्युक्त (क) का संबंध है, केन्द्रीय जेल के स्थानापन्न उपअधीक्षक जब अपने नेमी राउंड पर थे, तो उन्होंने एक गड्ढा देखा जिसे एक छोटी सुरंग बनाया जा सकता था। जांच पड़ताल से प्रकट हुआ कि इसमें एक उग्र कैदी का हाथ था जिसने बचकर भाग निकलने का प्रयास किया था।

इस संबंध में विभिन्न सुधारात्मक कदम उठाये गए हैं, जिनमें बेहतर तथा प्रभावकारी अधीक्षण के लिए केन्द्रीय जेल का तीन एककों में त्रिशाखन, अतिरिक्त गार्डों की नियुक्ति, मुख्य प्रवेश द्वार पर मैटल डिटेक्टर लगाना, अतिरिक्त पर्यवेक्षी कर्मचारियों की नियुक्ति और कैदियों को सुधारने के लिए अध्यात्मिक तथा नैतिक शिक्षा देना शामिल है। इसके अतिरिक्त जेलों में कैदियों की गतिविधियों पर अधिक निगरानी रखने के लिए जांच चौकियों/कक्षों का निर्माण किया जा रहा है।

दिल्ली में आग के खतरों सम्बन्धी भवन निर्माण उपनियम लागू करना

2357. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में लगभग 300 भवन ऐसे हैं, जिनमें आग लगने का गंभीर खतरा है;

(ख) यदि हां, तो भवन निर्माण उपनियमों, जिनमें अनिवार्य अग्नि सुरक्षा उपायों का उपबन्ध है, लागू करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है; और

(ग) क्या भवनों के डिजाइन बनाने वालों, वास्तु-शिल्पियों और इंजीनियरों के लिए अग्नि

सुरक्षा संबंधी प्रशिक्षण अनिवार्य किया जाएगा ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) दिल्ली प्रशासन द्वारा प्रेषित सूचना के अनुसार राजधानी में 235 बहुमंजिले भवनों में से 207 भवनों में अग्नि सुरक्षा उपाय अपर्याप्त पाये गये हैं।

(ख) और (ग). एकीकृत भवन उप-नियमों में, जो जून, 1983 में प्रवृत्त हुए, यह अनिवार्य बनाया गया है कि भवन योजनाओं को स्वीकृत करने से पहले पर्याप्त अग्नि सुरक्षा उपायों की व्यवस्था की जाए, जैसी कि मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा सिफारिश की है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि अग्नि सुरक्षा से संबंधित सिफारिशों का पालन किया गया है, भवन पूरा होने से संबंधित प्रमाण-पत्र देने से पहले मुख्य अग्निशमन अधिकारी से एक 'अनापत्ति' प्रमाण-पत्र भी लेना जरूरी है।

उप नियमों में यह भी अनिवार्य है कि सक्षम प्राधिकारी के पास पंजीकृत वास्तुकार और इंजीनियर ही भवन योजनाएं प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत हैं।

परमाणु (न्यूक्लियर) रिएक्टरों के कारण मानव जीवन को खतरा

2358. **श्री भोला नाथ सेन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में परमाणु (न्यूक्लियर) रिएक्टर स्थापित करते समय इनसे मानव जीवन और पर्यावरण को पहुंचने वाले खतरों को कम करने के लिए समुचित उपाय किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विशेष रूप से भूकम्प, बिजली गिरना, अथवा विमानों के आक्रमण जैसे बाह्य कारणों के फलस्वरूप इनसे बड़े पैमाने पर रेडियोधर्मिता निकलने से क्या सम्भावनायें हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और इलेक्ट्रानिकी विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) किए गए उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

(i) रिएक्टरों को उपयुक्त स्थलों पर लगाना;

(ii) ईंधन को ऊंची क्वालिटी की भली भांति उपयुक्त पाई गई सामग्री से समाच्छादित करना;

(iii) क्रोड़ को ठंडा करने वाली आपतकालीन प्रणाली;

(iv) रिसने का पता लगाने और रिएक्टरों का स्वतः बंद होना सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त यंत्रीकरण;

(v) किसी भी अनहोनी दुर्घटना की स्थिति में सभी विकिरण सक्रिय उत्पादों को संरोधित करने के लिए उचित ढंग से डिजायन की गई संरोधन संरचना;

(vi) गैसीय और द्रव बहिस्रावों के लिए अपशिष्ट पदार्थ नियंत्रण प्रणालियां।

(ग) भूकम्पीय क्षेत्रों में लगाए जाने वाले संयंत्रों के डिजायन इस तरह बनाए जाते हैं कि वे उन क्षेत्रों में आ सकने वाले भूकम्पों के झटकों को सह सकें। संयंत्रों की सभी संरचनाओं में बिजली से बचाव करने वाली सामान्य युक्तियां लगाकर उन्हें बिजली गिरने से होने वाली क्षति से बचाया जाता है। आटोमेटिक शट-डाउन सिस्टम और प्रबलित कंकरीट से बनी संरोधन संरचना के डिजायन ऐसे

हैं कि वे सीधा हवाई हमला होने की अनहोनी घटना की स्थिति में भी रिऐक्टर का पर्याप्त बचाव करेंगे।

दार्जिलिंग को सुन्दर बनाने की योजना

2359. श्री आनन्द पाठक : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटकों के लिए सर्वाधिक आकर्षक स्थान दार्जिलिंग को सुन्दर बनाने का कोई विचार अथवा योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख). दार्जिलिंग को सुन्दर बनाने के लिए विभाग को पश्चिम बंगाल सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। इस उद्देश्य के लिए विभाग के पास भी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

दिल्ली में लूटपाट

2360. श्री बी० बी० देसाई : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो महीनों से राजधानी में लूटपाट, डकैतियों आदि की घटनायें बढ़ती जा रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान लूटपाट और डकैतियों की कितनी घटनायें हुईं;

(ग) कितने उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया :

(घ) बड़े पैमाने पर हो रही लूटपाट की इन घटनाओं तथा उग्रवादियों की बढ़ती हुई गतिविधियां रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है;

(ङ) क्या फरवरी, 1985 में दिल्ली के लिए कोई प्रभावी पुलिस व्यवस्था लागू की गई थी;

(च) यदि हां, तो क्या कदम उठाए गए थे; और

(छ) इस प्रकार की गतिवधियों को रोकने के उक्त कदमों से कहां तक सहायता मिली है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) और (ख). जनवरी और फरवरी 1985 के दौरान लूटपाट और डकैतियों के क्रमश: 44 और 5 मामले सूचित किए गए थे। गत वर्ष की अवधि की तुलना में लूटपाट की संख्या में थोड़ी वृद्धि हुई है लेकिन डकैतियों की संख्या में नहीं।

(ग) शून्य।

(घ) से (छ). इस सम्बन्ध में निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

1. संदेहास्पद पूर्ववृत्त के व्यक्तियों पर कड़ी निगरानी रखी जाती है।

2. महत्वपूर्ण स्थानों पर टुकड़ियां तैनात की गई हैं।

3. गश्त बढ़ा दी गई है।

4. वायरलैस युक्त जीपों और मोटर साइकिलों में डकैती विरोधी गश्त लागू की गई है।

5. ज्ञात अपराधियों के छिपने के संभव स्थानों पर छापे मारे जाते हैं।

6. आसूचना तंत्र को अधिक सुचारू बनाया गया है।

7. पड़ौसी राज्यों के पुलिस बलों के साथ सावधिक समन्वय बैठकें की जाती हैं।

शेरों की संख्या बढ़ाने के लिए कदम

2361. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में शेरों की संख्या क्या है;

(ख) क्या उनकी संख्या घट रही है;

(ग) यदि हां, तो उनके संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या गुजरात में गिरवन के एशियाई नस्ल के शेरों को बरदा वन में स्थानांतरित करने की कोई योजना है;

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और यह उनके संरक्षण और उनको संख्या बढ़ाने में किस सीमा तक सहायक होगा ?

पर्यावरण और वन्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीर सेन) : (क) भारत में शेर गुजरात राज्य में गिर राष्ट्रीय पार्क तथा आश्रयस्थल के जंगली क्षेत्र में पाए जाते हैं। उनकी संख्या 205 होने का अनुमान लगाया गया है।

(ख) जी नहीं।

(ग) शेरों के संरक्षण के लिए उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल है :

(1) एशियाई शेर को वन्य प्राणि (संरक्षण) अधिनियम, 1972 को अनुसूची 1 में शामिल किया गया, जिसके तहत शेर को आखेट, व्यापार और वाणिज्य से पूर्णतः कानूनी सरक्षण प्राप्त है।

(2) गिर को राष्ट्रीय पार्क आश्रयस्थल के रूप में गठित किया गया है, जो केवल भारत में रहने वाली प्रजातियों को संरक्षण प्रदान करता है।

(3) एशियाई शेर को वन्य जन्तु तथा वनस्पति को खतरे में पड़ी प्रजातियों के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सम्बन्धी समझौते के परिशिष्ट I में भी सूचीबद्ध किया गया है; प्रजातियों या इनसे व्युत्पन्न प्रजातियों का अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पूर्णतः इसी के तहत विनिर्मित किया जाता है।

(घ) गुजरात सरकार का गिर वन से कुछ शेरों को गुजरात के बरदा वन में स्थानान्तरित करने का प्रस्ताव है। इस योजना के ब्यौरों को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(ङ) इस प्रस्ताव का कारण यह सुनिश्चित करना है कि दूसरे आवासी स्थान का निर्माण किया जाय, ताकि अतिरिक्त स्थान उपलब्ध कराया जा सके। और यदि गिर में कभी कोई महामारी फैले तो समूची प्रणालियों की आपत्तिक क्षति की सम्भावना से बचाया जा सके।

अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष में युवाओं का कल्याण

2362. **प्रो० नारायण चन्द्र पराशर** : क्या युवा कार्य और खेल मंत्री यह बताने की करेंगे कि :

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष में युवक कल्याण हेतु राज्य सरकारों और विश्वविद्यालयों से

सहयोग मांगा गया है और उनसे क्या प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या राज्यों और विश्वविद्यालयों के सहयोग से इस प्रकार की गतिविधियों के लिए शीघ्र एक व्यापक कार्यक्रम तैयार किया जाएगा ?

युवा कार्य और खेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) अन्तर-राष्ट्रीय युवा वर्ष (आई. वाई. वाई.) मनाने के लिए राज्य सरकारों और विश्वविद्यालयों को विस्तृत मार्गदर्शी रूपरेखाएं परिचालित की गई थी। सरकार को प्राप्त रिपोर्ट यह दर्शाती है कि अन्तर्राष्ट्रीय युवा वर्ष पर विशेष कार्यक्रम राज्य और विश्वविद्यालयों में शुरू किए गए हैं और जारी रहेंगे।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

तदर्थ आधार पर नियुक्त किए गए कर्मचारियों को नियमित करना

2363. **श्री राम बहादुर सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार की उन कर्मचारियों को नियमित करने की रीति क्या है जिनको 89 दिनों के लिए तदर्थ आधार पर सरकार के विभिन्न कार्यालयों और विभागों में नियुक्त किया जाता है और उन्हें एक दिन का अन्तराल देने के बाद 89 दिनों के लिए पुन: नियुक्त किया जाता है;

(ख) क्या उन सभी कर्मचारियों को जो इस तरीके से नियुक्त किए गए हैं और जिन्होंने दो वर्ष पूरे कर लिए हैं, की सेवाओं को नियमित करने के लिए आदेश जारी करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस प्रकार के उन कर्मचारियों को नियमित करने के क्या कारण हैं जिन्हें वार्षिक वृद्धि, अर्जित अवकाश, प्रसूति अवकाश, चिकित्सा अवकाश, यात्रा छूट अवकाश, आदि जैसे कोई लाभ नहीं दिए गए हैं जबकि वे 89 दिनों की नियुक्ति आधार पर वर्षों तक दक्षतापूर्वक कार्य करते रहे हैं ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) भर्ती नियमों में सभी नियुक्तियां नियमित रूप से किए जाने की विस्तृत क्रियाविधि निर्धारित होती है। फिर भी, सेवा की आवश्यकताओं तथा तात्कालिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कुछ मामलों में मंत्रालयों/विभागों द्वारा तदर्थ नियुक्तियों का सहारा लिया जाता है। तदर्थ नियुक्तियां पूर्णत: अस्थायी प्रकृति की होती हैं तथा जैसे ही निर्धारित नियमों के अनुसार नियमित ढंग से नियुक्ति करना सम्भव हो जाता है वैसे ही तदर्थ नियुक्तियां यथा-शीघ्र समाप्त की जानी होती हैं। तदर्थ नियुक्तियों को केवल 90 दिनों तक प्रतिबन्धित करने के कोई अनुदेश नहीं हैं। तदर्थ आधार पर नियुक्त व्यक्तियों के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं होता कि उन्हें नियमित किए जाने पर विचार करते समय उन्हें कोई तरजीह दी जाए। नियमित नियुक्त के लिए अन्य उम्मीदवारों के साथ उनके बारे में सामान्य ढंग से विचार किया जा सकता है बशर्ते कि वे अन्यथा पात्र पाए जाएं।

(ख) और (ग). फिर भी, मंत्रालयों/विभागों तथा उनके सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में कार्य कर रहे तदर्थ अवर श्रेणी लिपिकों की सेवाओं को नियमित करने की दृष्टि से कर्मचारी चयन आयोग द्वारा वर्ष 1982 तथा 1983 में दो विशेष अर्हक परीक्षाएं आयोजित की गई थीं। ऐसी एक और अर्हक परीक्षा जुलाई, 1985 में आयोजित करने का प्रस्ताव है। ऐसे सभी तदर्थ कर्मचारी जिनकी

भर्ती रोजगार कार्यालय के माध्यम से हुई थी और जो अपनी नियुक्ति की तारीख को कर्मचारी चयन आयोग की लिपिक श्रेणी परीक्षा में बैठने के लिए आयु-सीमा के भीतर आते थे तथा जिन्होंने 1-1-85 को कम से कम एक वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, वे उक्त अर्हक परीक्षा में बैठने के पात्र हैं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

किंगस्टन में अन्तर्राष्ट्रीय युवा सम्मेलन और सांस्कृतिक महोत्सव में भाग लेने वालों के लिए निमंत्रण

2364. **श्री पियूष तिरकी : क्या युवा कार्य और खेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को किंगस्टन (जमायका) में होने वाले अन्तर्राष्ट्रीय युवा सम्मेलन और सांस्कृतिक महोत्सव में प्रतिनिधिमण्डल भेजने के लिए निमंत्रण प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उसमें जाने वाले भारतीय प्रतिनिधिमण्डल के सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है;

(ग) भारत में राष्ट्रीय स्तर पर युवा समिति गठित न करने के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय युवा वर्ष के दौरान क्या कार्यक्रम तैयार किए गए हैं और उस सम्बन्ध में अन्य ब्यौरा क्या है ?

युवा कार्य और खेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) कोई सरकारी प्रतिनिधिमण्डल सम्मेलन में भाग नहीं ले रहा है।

(ग) राष्ट्रीय स्तर पर कार्यकारी दल अगस्त, 1983 में गठित किया गया था। उसने अन्तर-राष्ट्रीय युवा वर्ष के लिए कार्यक्रम तैयार किए थे जो सरकार द्वारा मंजूर किए गए थे।

(घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(i) राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में स्वामी विवेकानन्द के जन्म दिन (12 जनवरी) को मनाना।

(ii) राष्ट्रीय युवा सप्ताह 12 जनवरी से 19 जनवरी तक मनाना।

(iii) राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित करना।

(iv) राष्ट्रीय एकता शिविर आयोजित करना।

(v) प्रदर्शनियां आयोजित करना।

(vi) राष्ट्रीय खेलों का आयोजन करना।

(vii) राष्ट्रीय थियेटर समारोह का आयोजन करना।

(viii) युवा समारोह को आयोजित करना।

(ix) अधिक युवा छात्रावासों का स्थापित करना।

(x) संस्मारक सिक्के और टिकटें जारी करना।

(xi) नेहरू युवक केन्द्रों और राष्ट्रीय सेवा योजना की इकाइयों द्वारा विशेष कार्यक्रमों आयोजन करना।

(xii) राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्रारम्भ करना।

[अनुवाद]

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा नैमित्तिक श्रमिकों की भर्ती

2365. **श्री चित्त महाता : क्या संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नैमित्तिक श्रमिकों की भर्ती के मामले में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा श्रमिक कानूनों का भली-भांति पालन नहीं किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो वहां कितने नैमित्तिक श्रमिक हैं और वे कब से काम कर रहे हैं तथा उनकी सेवाओं को नियमित न करने के क्या कारण हैं ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) नैमित्तिक श्रमिकों की भर्ती करते समय किसी श्रमिक कानून की अवहेलना नहीं की जा रही है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है।

लखनऊ में गोमती नदी में प्रदूषण

2366. **श्री धर्मवीर सिंह : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लखनऊ के लोग एक डिस्टीलरी द्वारा औद्योगिक अवशिष्ट को गोमती नदी में बहाने के कारण जल प्रदूषण से गम्भीर स्वास्थ्य संबंधी खतरों का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस प्रदूषण को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस औद्योगिक एकक को तुरन्त अद्यतन प्रदूषण नियंत्रण यंत्र लगाने और जब तक इस प्रकार के यंत्र न लगाए जायें तब तक उत्पादन रोकने को कहने का है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीर सेन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जल (प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 के प्रावधानों के अनुसार प्रदूषक उद्योग के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की है तथा मामला न्यायालय में लम्बित है क्योंकि जिलाधीश, लखनऊ ने एक स्थगन आदेश पास कर दिया। फिर भी, बोर्ड समुचित बहिस्त्राव उपचार संयंत्र लगाने के लिये उद्योग को सहमत कर रहा है। इसके परिणामस्वरूप उद्योग ने एक स्कीम तथा संयंत्र के लगाने एवं चालू करने के लिए पहले ही एक समयबद्ध कार्यक्रम प्रस्तुत किया है।

कोयम्बटूर में पर्यटक केन्द्र

2367. **श्री आर० अन्नानम्बी : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान तमिलनाडु में कोयम्बटूर जिले में "टाप स्लिप" और "थिरूमूर्ति हिल्स" की पर्यटक केन्द्रों के रूप में विकसित करने का है क्योंकि इन स्थानों पर पर्यटन विकास की अधिक क्षमता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) से (ग). कोयम्बटूर जिले में 'टाप स्लिप' को एक पर्यटक केन्द्र के रूप में विकसित करने के लिए न तो तमिलनाडु सरकार और न ही केन्द्रीय पर्यटन विभाग के पास कोई प्रस्ताव है। तथापि, राज्य सरकार के पास थिरूमूर्ति हिल्स को एक भ्रमण-केन्द्र के रूप में विकसित करने की योजनाएं हैं।

आई० ए० एस० अधिकारियों का बारी-बारी से मंत्रालयों में स्थानांतरण

2368. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय प्रशासनिक सेवा के किसी अधिकारी को केन्द्र में उप-सचिव, संयुक्त सचिव और उससे ऊंचे पदों पर रहने की सामान्य अवधि कितनी है ;

(ख) भारतीय प्रशासनिक अधिकारियों के कार्य काल संबंधी नियम किस प्रकार अस्तित्व में आए और क्या उनका कड़ाई से पालन किया जा रहा है ;

(ग) भारतीय प्रशासनिक सेवा के किसी अधिकारी की किसी भी मंत्रालय या विभाग में उप-सचिव, संयुक्त सचिव अथवा उससे किसी ऊंचे पद पर रहने की सामान्य अवधि कितनी है और क्या इन अधिकारियों को एक मंत्रालय या विभाग में 3 वर्षों तक कार्य करने के बाद अन्यत्र स्थानांतरित कर दिया जाता है ;

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) मंत्रालय-वार और विभाग-वार ऐसे अधिकारियों की संख्या कितनी है, जो किसी एक मंत्रालय और विभाग में 3 वर्षों से अधिक समय से कार्य कर रहे हैं तथा स्वच्छ प्रशासन के हित में उनका स्थानांतरण न किए जाने के क्या कारण हैं ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) तथा (ख). भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के अधिकारियों (साथ ही अन्य अखिल भारतीय सेवाओं और संगठित केन्द्रीय सेवाओं समूह "क" के अधिकारी भी) के कार्यकाल की सामान्य अवधि विभिन्न पदों के लिए निम्न प्रकार है :

(i) उप सचिव स्तर के पद	—4 वर्ष	निम्नतर पदों पर की गई सेवा सम्मिलित करके।
(ii) निदेशक और संयुक्त सचिव के स्तर के पद	—5 वर्ष	

(iii) अपर सचिव के स्तर के पद :

(क) राज्य/सवर्गों से सीधे अपर सचिव के पद पर नियुक्त किए जाने वाले अधिकारियों का कार्यकाल 5 वर्ष होगा।

(ख) अपर सचिव के पद पर पदोन्नत संयुक्त सचिवों के मामले में संयुक्त सचिव एवं अपर

सचिव का संयुक्त कार्यकाल 5 वर्ष होगा लेकिन यह कार्यकाल इस प्रकार बढ़ा दिया जाएगा ताकि अधिकारी अपर सचिव के पद पर कम से कम 3 वर्ष तक कार्य कर सके। इस प्रकार यह कार्यकाल, संयुक्त सचिव एव अपर सचिव के पद पर 5 वर्ष पूरे होने पर अथवा अपर सचिव के पद पर 3 वर्ष पूरे होने पर, इन दोनों में जो भी बाद में हो, समाप्त होगा।

(ग) निर्धारित अधिकतम सेवावधि को समाप्त करने के पश्चात, दो वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों को उनके मूल संवर्गों में प्रत्यावर्तित नहीं किया जाएगा।

तथापि, किसी भी अधिकारी का कार्यकाल प्रशासनिक कारणों तथा लोकहित की दृष्टि से बढ़ाया/घटाया जा सकता है।

(ग) से (ङ). इस बात को ध्यान में रखते हुए कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी सीमित अवधि के लिए ही केन्द्र में लाए जाते हैं अतः उन्हें बारी-बारी से विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में तैनात करना आवश्यक नहीं है।

सातवीं पंचवर्षीय योजना में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका

2369. **श्री डी० नालागौड़ :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सातवीं योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु विज्ञान और प्रौद्योगिकी को आधार बनाने के लिए ढांचे सम्बन्धी कुछ परिवर्तन करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या योजना आयोग ने सभी राज्य सरकारों से विज्ञान और प्रौद्योगिकी के स्वतन्त्र विभाग बनाने के लिए कहा है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) और (ख). जैसा कि सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-90) के नीतिपत्र में बताया गया है, यह सुनिश्चित करने के लिए अधिकाधिक प्रयत्न किए जायेंगे कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी सभी प्रमुख सामाजिक-आर्थिक कार्यकलापों के आवश्यक और अभिन्न अंग हों। इस उद्देश्य के लिए संरचात्मक परिवर्तन किए जाएंगे ताकि विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संघटक सभी केन्द्रीय मंत्रालयों, विभागों और राज्य सरकारों की योजनाओं में उपयुक्त रूप से प्रतिबिम्बत हो सके। उत्पादन और सेवा क्षेत्रों में अनुसंधान, शैक्षिक संस्थाओं तथा राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं, निर्णय करने वाले निकायों और उपभोक्ताओं के बीच समन्वय स्थापित करने का प्रस्ताव है। प्रौद्योगिकी के पूर्वानुमान, प्रौद्योगिकीय मूल्यांकन, आयातित, प्रौद्योगिकी के अपनाने और उपयोगिता तथा अभिकल्प (डिजाइन) के उपयोग, इंजीनियरी और परामर्शी के और अधिक उपयोग आदि के संबंध में अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं की जा रही हैं।

(ग) योजना आयोग ने सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों से विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषदें/विभाग स्थापित करने के लिए अनुरोध किया है।

पर्यटन उद्योग को धक्का

2370. **श्री कमला प्रसाद सिंह :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटन उद्योग को वर्ष 1984-85 में व्यापार की दृष्टि से हानि हुई है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को और अधिक संख्या में आकर्षित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख). विदेशी पर्यटक आगमन के आंकड़े कैलेंडर वर्ष के आधार पर संकलित किए जाते हैं। 1984 के दौरान विदेशी पर्यटक आगमन में लगभग 3.6 प्र० की एक मामूली कमी आई, इसके मुख्य कारण थे, वर्ष के उत्तरार्द्ध के दौरान देश के कुछ हिस्सों में आन्तरिक गडबड़, विदेशी मीडिया में इन घटनाओं का प्रतिकूल प्रचार और बहुत संख्या में विदेशी सरकारों द्वारा नवम्बर में अपने राष्ट्रिकों को भारत की यात्रा रद्द करने अथवा स्थगित करने के निर्देश जारी करना।

(ग) पर्यटक यातायात में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा उठाये गए कदमों में पिछले दिनों प्रतिकूल मीडिया कवरेज को निष्प्रभावी करने के लिए विदेशों में किए गए ज़ोरदार प्रचार और संवर्धनात्मक प्रयास करना, उपभोक्ता-विज्ञापन पर ज़ोर देते हुए विदेशों में किए जाने वाले प्रचार का पुनर्भिमुखीकरण करना, विदेशी यात्रा प्रचालकों और यात्रा अभिकर्त्ताओं के साथ जन-सम्पर्क बढ़ाना, विदेशों से मीडिया और यात्रा व्यवसाय के चुने हुए प्रतिनिधियों को भारत की यात्रा के लिए आमंत्रित करना, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों में भाग लेना, प्रमुख पर्यटक केन्द्रों पर आधार-संरचनात्मक सुविधाओं का विकास करना और हवाई अड्डों पर सुविधाओं में सुधार करना।

जहां तक स्वदेशी पर्यटन का संबंध है, अभिनिर्धारित किए गए पर्यटक केन्द्रों में आधार-संरचनात्मक सुविधाओं में सुधार करने के लिए राज्य सरकारों और अन्य अभिकरणों के साथ मिलकर संयुक्त रूप से कदम उठाए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

राजस्थान में कोटा में बोइंग हवाई जहाजों के उतरने की सुविधाएं

2371. **श्री विष्णु मोदी** :

श्री शांति धारीवाल :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में कोटा हवाई अड्डे पर एवरो हवाई जहाज तो उतर सकते हैं लेकिन बोइंग हवाई जहाज नहीं उतर सकते हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस हवाई अड्डे पर बोइंग एरो-प्लेन्स के उतरने की सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए कोई कार्यवाही की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और क्या सरकार ने इस संबंध में कोई योजना बनाई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ). इंडियन एयरलाइन्स की निकट भविष्य में कोटा को बोइंग-737 सेवाएं चालू

करने की कोई योजनाएं नहीं हैं। इसलिए इस समय कोटा हवाई अड्डे पर उपलब्ध विमान के उतरने की सुविधाओं को उन्नत करने की योजना नहीं है।

[अनुवाद]

नई दिल्ली तथा इलाहाबाद के बीच दैनिक उड़ान

2372. **श्री राम पूजन पटेल** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली और इलाहाबाद के बीच सप्ताह में केवल एक ही उड़ान है;

(ख) यदि हां, तो जनवरी, 1984 से फरवरी, 1985 तक कुल कितनी आमदनी हुई;

(ग) क्या सरकार का इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इलाहाबाद कभी उत्तर प्रदेश की राजधानी रहा है, राजनैतिक गतिविधियों का महत्वपूर्ण केन्द्र है; विश्व का प्रसिद्ध धार्मिक शहर है तथा राज्य उच्च न्यायालय की नियमित बेंच और रेलवे तथा राज्य पुलिस का मुख्यालय वहां पर कार्य कर रहा है, सरकार का नई दिल्ली से इलाहाबाद के लिए एक दैनिक उड़ान आरम्भ करने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख). इंडियन एयरलाइन्स सप्ताह में तीन बार एचएस-748 विमान से दिल्ली-लखनऊ इलाहाबाद-वाराणसी तथा वापसी मार्ग पर एक सेवा का प्रचालन करती है। शेष चार दिनों में, यह सेवा दिल्ली-आगरा-लखनऊ-गोरखपुर तथा वापसीमार्ग पर प्रचालित की जाती है। अप्रैल, 1984 से दिसम्बर, 1984 तक इस मार्ग पर अर्जित कुल राजस्व लगभग 1.77 करोड़ रुपए था। इस अवधि में इस सेवा के प्रचालन पर कुल लागत 3.37 करोड़ रुपए थी।

(ग) और (घ). इलाहाबाद और दिल्ली के बीच वर्तमान यातायात से इस समय इस उड़ान की आवृत्ति में वृद्धि का औचित्य सिद्ध नहीं होता।

दिल्ली में मारुति कार डीलरों द्वारा बिक्री कर का भुगतान न किया जाना

2373. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** :

श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने राजधानी में मारुति कारों के कुछ डीलरों के विरुद्ध बिक्री कर का भुगतान न करने के लिए कार्यवाही की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) और (ख). दिल्ली प्रशासन द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार मारुति उद्योग लिमिटेड, गुड़गांव (हरियाणा राज्य) ने दिल्ली में ग्राहकों को मारुति कारें बेचने के लिये दिल्ली में 3 डीलरों नामतः (1) मैसर्स कम्पीटेंट मोटर्स, कनाट सर्कस, (2) मैसर्ज गंगा आटोमोबाईल्स, ग्रीन पार्क एक्सटेंशन और (3) मैसर्स अगनाल ट्रेडर्स, झंडेवाला एक्सटेंशन, नई दिल्ली को नियुक्त किया है। इनमें से दो डीलर अर्थात (1) मैसर्स कम्पीटेंट

मोटर्स, कनाट सर्कस, (2) मैसर्स गंगा आटोमोबाइल्स ग्रीन पार्क एक्सटेंशन वाहनों और उनके पुर्जों की बिक्री तथा खरीद के लिये पहले ही बिक्री कर विभाग के पास पंजीकृत हैं। तीसरा डीलर मैसर्स अगनाल ट्रेडर्स, झंडेवालान एक्सटेंशन नई दिल्ली ने इन मदों के व्यापार हेतु पंजीकरण के लिये आवेदन किया हुआ है और आवेदन बिक्री कर विभाग के विचाराधीन है। इनमें से प्रत्येक डीलर का मुख्य उद्देश्य जैसाकि उनके द्वारा कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत दिए गए मैमोरेंडम आफ एसोसिएशन की प्रति से मालूम हुआ है, ओटो मोबाइलस के एजेंटों, डिस्ट्रीब्यूटर्स, स्टाकिस्टों और डीलरों के रूप में व्यापार करना है।

2. दिल्ली प्रशासन के बिक्री कर विभाग ने कहा कि इन तीनों में से कोई डीलर दिल्ली में ग्राहकों को मारुति कारों की बिक्री के संबंध में कर का भुगतान नहीं कर रहा है। इन डीलरों के पास पंजीकृत ग्राहकों को गुड़गांव में स्थित फैक्ट्री में कार दी जाती है। मारुति उद्योग लिमिटेड और डीलरों के बीच किए गए समझौते के स्वरूप और डीलरों द्वारा प्रति वाहन 2000 रुपये कमीशन स्वीकार करने के तथ्य, हरियाणा बिक्री कर जांच चौकी पर प्रस्तुत अन्य सांविधिक दस्तावेजों, ग्राहकों के पंजीकरण के समय अनुबद्ध शर्तों और दिल्ली के डीलरों द्वारा ग्राहकों को वाहन की डिलीवरी से पहले, चाहे वह कम्पनी के नाम से है, दिल्ली में डीलरों द्वारा की जा रही कुछ तकनीकी जांच के तथ्य की दृष्टि से बिक्री कर विभाग यह महसूस करता है कि इन डीलरों द्वारा स्थायी बिक्री कर देय है जो इस समय 10 प्रतिशत की दर से है।

3. उपयुक्त मूल्यांकन प्राधिकरण ने (1) मैसर्स कम्पीटेंट मोटर्स, और (2) मैसर्स गंगा आटोमोबाइल्स को मूल्यांकन के लिये नोटिस जारी किए हैं। मूल्यांकन प्राधिकरण जो उनको दिल्ली बिक्री कर अधिनियम 1975 के अन्तर्गत सौंपे गए अर्ध न्यायिक कार्यों को कर रहा है, द्वारा अगली कार्यवाही डीलरों से कारण बताओ नोटिस का उत्तर प्राप्त होने और यदि डीलर चाहे तो उनको सुनवाई का मौका देने के बाद की जाएगी।

भारतीय श्रमिकों को स्वदेश वापस भेजा जाना

2374. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान विदेशों द्वारा कितने भारतीय श्रमिक स्वदेश वापस भेजे गए तथा उनके देश-वार और वर्ष-वार आंकड़े क्या हैं;

(ख) क्या इन श्रमिकों को वापस भेजने वाले देशों से किसी मामले में कोई शिकायत की गई है; और

(ग) क्या हमारे दूतावासों ने ऐसे मामलों की जांच के लिए कोई कार्यवाही की है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) वर्ष 1982 और 1983 से संबंधित आंकड़े मंत्रालय के पास इस समय उपलब्ध हैं और संलग्न विवरण में दिए गए हैं। 1984 के आंकड़ों के संबंध में सूचना विदेश स्थित मिशनों से एकत्र की जा रही है और उपलब्ध होते ही सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

(ख) और (ग). विदेश स्थित हमारे मिशनों से इसके ब्यौरे मालूम किए जा रहे हैं और उपलब्ध होते ही इन्हें सदन की मेज पर रख दिया जाएगा।

विवरण

वर्ष 1982 और 1983 के दौरान, वर्षवार और देशवार,
विदेशों से भारतीय कामगारों को भारत वापस भेजना,

देश का नाम	1982	1983	अभ्युक्ति
1	2	3	4
1. अफगानिस्तान	कुछ नहीं	कुछ नहीं	
2. अल्जीरिया	कुछ नहीं	कुछ नहीं	
3. अर्जेन्तीना	कुछ नहीं	कुछ नहीं	
4. आस्ट्रेलिया	*	*	(उपलब्ध नहीं)
5. आस्ट्रिया	कुछ नहीं	कुछ नहीं	
6. बहरीन	1257	214	(जून, 1983 तक)
7. बंगलादेश	कुछ नहीं	कुछ नहीं	
8. बेल्जियम	कुछ नहीं	कुछ नहीं	(इसमें लक्समबर्ग के आंकड़े भी शामिल हैं)
9. भूटान	8	कुछ नहीं	
10. ब्राजील	कुछ नहीं	कुछ नहीं	
11. बलगारिया	कुछ नहीं	कुछ नहीं	
12. बर्मा	कुछ नहीं	कुछ नहीं	
13. कनाडा	कुछ नहीं	कुछ नहीं	
14. चिली	कुछ नहीं	कुछ नहीं	
15. चीन	कुछ नहीं	कुछ नहीं	
16. कोलम्बिया	कुछ नहीं	कुछ नहीं	
17. क्यूबा	कुछ नहीं	कुछ नहीं	
18. साइप्रस	कुछ नहीं	कुछ नहीं	
19. चेकोस्लोवाकिया	कुछ नहीं	कुछ नहीं	
20. डेनमार्क	कुछ नहीं	कुछ नहीं	
21. मिस्त्र अरब गणराज्य	कुछ नहीं	कुछ नहीं	
22. इथियोपिया	कुछ नहीं	कुछ नहीं	
23. फिजी द्वीप समूह	कुछ नहीं	कुछ नहीं	
24. फिनलैंड	कुछ नहीं	कुछ नहीं	
25. फ्रांस	कुछ नहीं	कुछ नहीं	

1	2	3	4
26. जर्मन जनवादी गणराज्य	कुछ नहीं	कुछ नहीं	
27. जर्मन संघीय गणराज्य	कुछ नहीं	कुछ नहीं	
28. घना	कुछ नहीं	कुछ नहीं	
29. यूनान	कुछ नहीं	कुछ नहीं	
30. गिनी	कुछ नहीं	कुछ नहीं	
31. गुयाना	कुछ नहीं	कुछ नहीं	
32. हांगकांग	कुछ नहीं	कुछ नहीं	
33. हंगरी	कुछ नहीं	कुछ नहीं	
33. इंडोनेशिया	कुछ नहीं	कुछ नहीं	
35. ईरान	4	57	
36. इराक	*	*	(उपलब्ध नहीं)
37. आयरलैंड	कुछ नहीं	कुछ नहीं	
38. इटली	कुछ नहीं	कुछ नहीं	
39. आइवरी कोस्ट	कुछ नहीं	कुछ नहीं	
40. जमैका	कुछ नहीं	कुछ नहीं	
41. जापान	कुछ नहीं	कुछ नहीं	
42. जोर्डन	कुछ नहीं	कुछ नहीं	
43. कीनिया	कुछ नहीं	कुछ नहीं	
44. कोरियाई लोकतांत्रिक जन गणराज्य	कुछ नहीं	कुछ नहीं	
45. कोरिया गणराज्य	कुछ नहीं	कुछ नहीं	
46. कुवैत	*	*	(उपलब्ध नहीं)
47. लाओस	कुछ नहीं	कुछ नहीं	
48. लबनान	कुछ नहीं	कुछ नहीं	
49. लीबीया	कुछ नहीं	कुछ नहीं	
50. मेडागास्कर	कुछ नहीं	कुछ नहीं	(उत्तर में कोमोरेस के आंकड़े भी शामिल हैं)
51. मलावी	कुछ नहीं	कुछ नहीं	
52. मलयेशिया	कुछ नहीं	कुछ नहीं	

1	2	3	4
53. मालद्वीव	कुछ नहीं	कुछ नहीं	
54. मारीशस	कुछ नहीं	कुछ नहीं	
55. मेक्सिको	कुछ नहीं	कुछ नहीं	
56. मंगोलियाई लोक गणराज्य	कुछ नहीं	कुछ नहीं	
57. मोरक्को	कुछ नहीं	कुछ नहीं	
58. मोजाम्बीक	कुछ नहीं	कुछ नहीं	
59. नेपाल	कुछ नहीं	कुछ नहीं	
60. नीदरलैंड	74	131	
61. न्यूजीलैंड	कुछ नहीं	कुछ नहीं	
62. नाइजीरिया	कुछ नहीं	कुछ नहीं	
63. नार्वे	कुछ नहीं	कुछ नहीं	(इसमें आइसलैंड के आंकड़े भी शामिल हैं)
64. ओमान	*	*	(उपलब्ध नहीं)
65. पाकिस्तान	कुछ नहीं	कुछ नहीं	
66. मलाया	कुछ नहीं	कुछ नहीं	
67. पेरू	कुछ नहीं	कुछ नहीं	(इसमें बोलिविया के आंकड़े भी शामिल हैं)
68. फिलीपीन्स	कुछ नहीं	कुछ नहीं	
69. पोलैंड	कुछ नहीं	कुछ नहीं	
70. पुर्तगाल	कुछ नहीं	कुछ नहीं	
71. कातार	1229	1789	
72. रूमानिया	कुछ नहीं	कुछ नहीं	
73. सऊदी अरब	*30-40	*30-40	(निकटवर्ती आंकड़े)
74. सेनेगल	कुछ नहीं	कुछ नहीं	
75. सिंगापुर	कुछ नहीं	कुछ नहीं	
76. सैशल्स गणराज्य	कुछ नहीं	कुछ नहीं	
77. सोमालिया	कुछ नहीं	कुछ नहीं	
78. स्पेन	कुछ नहीं	कुछ नहीं	

1	2	3	4
79. श्रीलंका गणराज्य	कुछ नहीं	कुछ नहीं	
80. सुडान	कुछ नहीं	कुछ नहीं	
81. सूरीनाम	कुछ नहीं	कुछ नहीं	
82. स्वीडन	कुछ नहीं	कुछ नहीं	
83. स्विटजरलैंड	कुछ नहीं	कुछ नहीं	
84. सीरियाई अरब गणराज्य	14	13	
85. तंजानिया	कुछ नहीं	कुछ नहीं	
86. थाईलैंड	कुछ नहीं	कुछ नहीं	
87. त्रिनिदाद एवं तोबागो	कुछ नहीं	कुछ नहीं	(इसमें बारबडोस, सेंटविसेंट और ग्रेनाडिन्स, सेंट लुसिया अंटीगुआ और बारबूदा, डोमीनिका, सेंट किट्स, नेविस मोंटसेरात अंगुइला, ग्रेनाडा और तुर्कस और कैकोस द्वीप समूह के आंकड़े भी शामिल ।
88. ट्यूनीसिया	कुछ नहीं	कुछ नहीं	
89. तुर्की	14	कुछ नहीं	
90. उगांडा	कुछ नहीं	कुछ नहीं	(इसमें रूआंडा और बुरुंडी के आंकड़े भी शामिल हैं)
91. संयुक्त अरब अमीरात	1943	4229	
92. यूनाइटेड किंगडम	52	44	
93. संयुक्त राज्य अमरीका	*35	*35	*औसत
94. सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ	कुछ नहीं	कुछ नहीं	
95. वियतनाम समाजवादी गणराज्य	कुछ नहीं	कुछ नहीं	
96. यमन अरब गणराज्य	*	*	(उपलब्ध नहीं)
97. यमन लोकतांत्रिक जन गणराज्य	कुछ नहीं	कुछ नहीं	
98. यूगोस्लाविया	कुछ नहीं	कुछ नहीं	
99. वेनेजुएला	कुछ नहीं	कुछ नहीं	

1	2	3	4
			(इसमें जाइरे, गेबोन, इक्वाटो गिनी, मध्य अफ्रीकी गणराज्य और कांगो गणराज्य के आंकड़े भी शामिल हैं ।
100. जोइरे	कुछ नहीं	कुछ नहीं	
101. जाम्बिया	कुछ नहीं	कुछ नहीं	

हरियाणा में बायोगैस संयंत्र

2375. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हरियाणा राज्य में अब तक कितने बायोगैस संयंत्र लगाए गए हैं तथा उनकी ऊर्जा-उत्पादन क्षमता क्या है;

(ख) क्या इस राज्य में आगामी 3 वर्षों में बायोगैस संयंत्रों को बढ़ावा देने हेतु भारत सरकार द्वारा कोई कार्यक्रम तैयार किया गया है; और

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और इलैक्ट्रोनिक्स विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) 'फरवरी, 1985 तक' 1974-75 से 1984-85 के दौरान हरियाणा राज्य में 17543 परिवार आकार के बायोगैस संयन्त्रों की स्थापना की गई है। गैस का उत्पादन संयन्त्र के आकार पर निर्भर करता है जिसमें प्रतिदिन के गैस उत्पादन में 2 से 25 क्यूबिक मीटर का अन्तर है। इसके अतिरिक्त, राज्य में संस्थागत बायोगैस संयन्त्रों की स्थापना के लिए दो परियोजनाओं को पूरा किया जा चुका है इनमें प्रत्येक की प्रतिदिन की गैस उत्पादन दर क्षमता 105 क्यूबिक मीटर की है।

(ख) और (ग). सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के लिए राष्ट्रीय बायोगैस कार्यक्रम तैयार कर दिया गया है। राज्यवार लक्ष्य और राशि (फंड) की आवश्यकता सम्बन्धी बातों का निर्णय वर्ष 1985-86 के लिए राज्य सरकारों के परामर्श से किया जा रहा है। सातवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के लिए आवश्यक लक्ष्यों और राशि (फंड) की आवश्यकताओं का अन्तिम निर्णय योजना के अनुमोदन के पश्चात् किया जाएगा।

सरकारी क्षेत्र के निगम द्वारा आयातित सिलिकोन क्रिस्टल और वेफर्स को तरजीह दिया जाना

2376. **श्री रेणु पद दास** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के अधिकांश निगम 'सोलर फोटो वोल्टेइक्स' और 'सेमीकन्डक्टर प्रोडक्शन' के लिए आयातित सिलिकोन क्रिस्टल और वेफर्स को तरजीह देते हैं, हालांकि इसी प्रकार का देश में निर्मित माल भारी मात्रा में उपलब्ध है;

(ख) यदि हाँ, तो सरकारी क्षेत्र के नियमों में विदेशी माल के प्रति इस मोह के विस्तृत कारण क्या हैं;

(ग) क्या इस प्रथा को रोकने अथवा कम से कम ऐसे माल के आयात को न्यूनतम किये जाने

की कोई संभावना है; और

(घ) यदि ऐसी कोई सम्भावना नहीं है, तो उसके विस्तृत कारण क्या हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा अन्तरिक्ष और इलैक्ट्रोनिक्स विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क)तथा (ख). क्वार्टज सिलिकॉन क्रिस्टलों की वर्तमान प्रतिष्ठापित क्षमता केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा निजी क्षेत्र की कम्पनियों के बीच समान रूप से बंटी हुई है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में न केवल एकल क्रिस्टलों को काटकर वेफर बनाने की आन्तरिक सुविधा उपलब्ध है अपितु वे वेफरों को सिलिकॉन युक्तियों में बदलने की प्रक्रिया पर भी कार्य करते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र का एक और उपक्रम वेफरों का उपयोग केवल बड़े/बहुत बड़े पैमाने की एकीकृत युक्तियों में संसाधित करने की प्रक्रिया में करता है। निजी क्षेत्र की कम्पनियों द्वारा विनिर्माण की जा रही सामग्रियों का इस समय मूल्यांकन किया जा रहा है। केन्द्रीय इलैक्ट्रॉनिकी लिमिटेड से अब तक प्राप्त परिणामों से यह पता चलता है कि स्वदेशी सामग्रियों को जब सिलिकॉन युक्तियों में परिवर्तित किया जाता है तब आयातित सामग्रियों द्वारा विनिर्मित युक्तियों की तुलना में उसकी कार्यक्षमता 55 प्रतिशत से 85 प्रतिशत के बीच घटती-बढ़ती रहती है। इसके अतिरिक्त, स्वदेशी सामग्रियों का मूल्य आयातित सामग्रियों की तुलना में 50 से 75 प्रतिशत अधिक है।

(ग) और (घ). आवश्यकताओं की मात्रा तथा उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए आयात की मात्रा को कम से कम करने के प्रयास किए जाते हैं।

सरकारिया आयोग द्वारा राज्यों का दौरा

2377. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र राज्य सम्बन्धों के लिए स्थापित किये गये सरकारिया आयोग ने अब तक कितने राज्यों का दौरा किया है;

(ख) क्या उक्त आयोग द्वारा भेजी गई प्रश्नावली के सभी राज्यों ने उत्तर दे दिया है; और

(ग) उक्त आयोग द्वारा अपनी अन्तिम रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत कर दिए जाने की सम्भावना है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) आयोग ने केरल, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा और असम राज्यों का दौरा किया है और इस समय कर्नाटक राज्य के दौरे पर हैं।

(ख) जी नहीं, श्रीमान।

(ग) आयोग ने संकेत दिया है कि उनके लिये वर्तमान कार्यकाल जो 30-6-1985 तक है, के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करना संभव नहीं होगा और कार्यकाल में एक साल की और अवधि के लिए समय बढ़ोत्तरी मांगी है।

मुर्शिदाबाद का हजार द्वार महल

2378. **श्री प्रियरंजन दास मुंशी** : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुर्शिदाबाद का "हजार द्वार महल" रखरखाव की उचित व्यवस्था न होने के

कारण ढह रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इस ऐतिहासिक स्मारक को सुरक्षित रखने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ग) क्या पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन मंत्रालय से भी इस हेतु मदद ली जायेगी ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी, नहीं।

(ख) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अप्रैल, 1975 से इस महल का संरक्षण और मरम्मत कर रहा है।

(ग) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है किन्तु काफी संख्या में दर्शक इस महल को देखने आते रहते हैं।

विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों में हिन्दी अधिकारियों की नियुक्ति

2379. **श्री राम भगत पासवान** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में विदेशों में स्थित विभिन्न भारतीय मिशनों में हिन्दी अधिकारियों की नियुक्ति की गई है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन मिशनों में नियुक्तियां की गई हैं; और

(ग) इन अधिकारियों को क्या कार्य सौंपे गए हैं ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ख). जी हां। जार्ज टाऊन लन्दन और पारामारिबो स्थित हमारे मिशनों के लिए हिन्दी अधिकारियों के 3 पद फरवरी, 1983 में बनाए गए थे। ये तीनों पद पोर्ट लुई, पोर्ट-आफ-स्पेन और सुवा में विद्यमान हिन्दी अधिकारियों के पदों के अलावा हैं। उक्त सभी पदों पर हिन्दी अधिकारी काम कर रहे हैं।

(ग) अन्य बातों के अलावा ये हैं :

(i) विदेशों में हिन्दी का प्रचार;

(ii) राजभाषा से सम्बन्धित सरकारी आदेशों को मिशनों में लागू करने में सहायता देना;

(iii) सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करना;

(iv) विख्यात अध्येयताओं को एक-दूसरे के यहां भेजने की सम्भावनाओं का पता लगाना;

(v) विश्वविद्यालयों को हिन्दी, भारतीय भाषाओं और भारत विद्या की कक्षाएं शुरू करने में सहायता देना;

(vi) भारत से यात्रा पर आने वाले महत्वपूर्ण व्यक्तियों के लिए भाषण तैयार करना;

(vii) हिन्दी में समाचार बुलेटिन निकालना;

(viii) हिन्दी कक्षाएं लगाने तथा पुस्तकालयों और सूचना केन्द्रों के प्रबन्ध में सहायता देना;

(ix) मिशनों में भाषण देना और शिक्षा कार्यों की देख-रेख करना;

(x) स्थानीय प्रचार माध्यमों से सम्पर्क रखना।

[हिन्दी]

मजदूरों का पंजाब जाने से रोका जाना

2380. **श्री जगदीश अवस्थी : क्या गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिनांक 11-3-1985 के दैनिक 'जनसत्ता' में "हजारों मजदूर पंजाब जाने से रोके गए" शीर्षक से प्रकाशित हुए समाचार की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो मजदूरों को पंजाब में प्रवेश न करने देने के क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इस बारे में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) और (ख). सरकार ने तारीख 11-3-1985 के "जनसत्ता" में प्रकाशित समाचार देखा है लेकिन इसकी पुष्टि में कोई सूचना नहीं है। जहां तक केन्द्र सरकार को मालूम है, कृषि श्रमिकों पर अन्य राज्यों से पंजाब में जाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

[अनुवाद]

संगीत नाटक अकादमी में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए पदों का आरक्षण

2381. **श्री केशवराव पारधी : क्या संस्कृति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संगीत नाटक अकादमी, नई दिल्ली और उसके शाखा कार्यालयों में प्रत्येक श्रेणी के पदों पर पृथक-पृथक कुल कितने कर्मचारी/अधिकारी कार्य कर रहे हैं;

(ख) उनमें से प्रत्येक श्रेणी के पदों पर कार्य करने वाले अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या सभी श्रेणियों के पदों पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित कोटा पूरा है तथा क्या नियुक्ति और पदोन्नति में आरक्षण सम्बन्धी संवैधानिक उपबंधों और 40/1000 प्वाइंट रोस्टर को अपनाया गया है और लागू किया जा रहा है; और

(घ) यदि नहीं, तो अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों के आरक्षित कोटे में इतने अधिक रिक्त स्थान बकाया रहने के क्या कारण हैं तथा नियुक्ति और पदोन्नति के सम्बन्ध में संवैधानिक उपबन्धों तथा 40/100 प्वाइंट रोस्टर को लागू न करने के क्या कारण हैं ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय तथा संस्कृत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा पांच तारा होटलों में पूंजी निवेश

2382. **श्री अजीत कुमार साहा : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा अपनी पांच-तारा होटल परियोजनाओं में अब तक

कुल कितना पूंजी निवेश किया गया है;

(ख) ये होटल कहां-कहां पर हैं ?

(ग) उनके लिए स्थानों का चयन करने में किन-किन बातों को ध्यान में रखा जाता है ?

(घ) इस पूंजी निवेश से कितना लाभ होने की सम्भावना है;

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान इनमें से प्रत्येक होटल से कितनी आमदनी हुई;

(च) यदि आमदनी कम हुई तो उसके क्या कारण हैं; और

(छ) इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक उपाय किये गए हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा दिनांक 31-3-1984 तक अपनी 5-स्टार होटल परियोजनाओं में निवेश की गई कुल राशि (प्रयुक्त पूंजी) 3327.88 लाख रुपए थी।

(ख) और (ग). आपेक्षित सूचना संलग्न विवरण-एक में दी गई है।

(घ) उपर्युक्त होटल परियोजनाओं में प्रयुक्त-पूंजी पर 10 प्रतिशत से 12 प्रतिशत का प्रतिलाभ होने की संभावना है।

(ङ) संलग्न विवरण-दो में दी गई है।

(च) इन होटलों से कुछ होटलों की आय में कमी का मुख्य कारण, कुछ शहरों में अतिरिक्त होटल क्षमता का सृजन हो जाना था। देश के कुछ भागों में गड़बड़ी की स्थिति के फलस्वरूप विदेशी पर्यटक यातायात में कमी आ जाना भी कारण रहा है।

(छ) भारत पर्यटन विकास निगम ने अपने होटलों के कार्य-निष्पादन में सुधार लाने के लिए विभिन्न उपचारात्मक उपाय किए हैं। इनमें ओवरसीज एयर लाइनों और यात्रा अभिकर्ताओं के साथ विपणन और रिजर्वेशन टाइ-अप्स विद्यार्थी-ग्रुपों के लिए इकानॉमी ट्रेवल पैकेजिज प्रारम्भ करना, और विश्व ट्रेवल ट्रेड फोरम्ज में भाग लेना शामिल हैं।

विवरण-एक

क्रम संख्या	होटल का नाम	स्थान	स्थान-चुनाव के लिए विचार/होटल के बतौर इसका प्रचालन करने के लिए सम्पत्ति का अधिग्रहण
1.	अशोक होटल, नई दिल्ली	50-बी, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली 110021	अशोक होटल, मूलतः मैसर्स अशोका होटल्स लिमिटेड का एक एकक सन् 1956 में निर्मित किया गया था और मार्च 1970 में भारत पर्यटन विकास निगम के साथ मिला दिया गया।
2.	अकबर होटल, नई दिल्ली	चाणक्य पुरी, नई	यह भवन मूलतः नई दिल्ली

1	2	3	4
		दिल्ली 110021	नगर पालिका द्वारा निर्मित किया गया था और भारत पर्यटन विकास निगम को होटल के बतौर प्रचालन के लिए लीज पर दिया गया।
3.	कुतब होटल, नई दिल्ली	श्री अरविंद मार्ग नई दिल्ली 110016	सम्पत्ति, यू० एस० ए० आई० डी० द्वारा रिहायशी आफिस-कम्पलेक्स के बतौर बनाई गई थी यू० एस० ए० आई० डी० मिशन के कार्य-कलापों का भारत में संक्षेपण (कर्टेलमेन्ट) करने के कारण संपूर्ण कम्पलेक्स को भारत सरकार को सौंप दिया गया। रिहायशी ब्लाक को होटल में परिवर्तित किया गया और इसे कुतब होटल का नाम दिया गया जिसे भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा चलाया जा रहा है।
4.	होटल सम्राट, नई दिल्ली	चाणक्य पुरी नई दिल्ली	अशोक होटल नई दिल्ली से संलग्न खाली पड़े स्थान को इस होटल के निर्माण के लिए प्रयोग किया गया।
5.	होटल अशोक, बंगलौर	कुमारा कृपा हाई ग्राउंड्स बंगलौर 560001	यह स्थान शहर के मध्य में एक रमणीय इलाके में स्थित है और 5-स्टार होटल के लिए उपयुक्त है।
6.	कोवलम अशोक बीच रिसॉर्ट	त्रिवेन्द्रम-695522 (केरल)	समुद्र तट विहार स्थलों का विकास करने के लिए पर्यटन विभाग ने एक सर्वेक्षण कराने का कार्य क्लबमैडि-टेर्रेनी को सौंपा। सुन्दरता और स्थान की दृष्टि से आदर्श समझे जाने के कारण कोवलम बीच रिसॉर्ट को चुना गया। वायु और रेल यातायात का आसानी से सुलभ होना भी एक कारण था।
7.	ललित महल पैलेस, होटल	मैसूर-570001	ललित महल पैलेस मैसूर के महाराजा

1	2	3	4
	मैसूर	(कर्नाटक)	की सम्पत्ति थी। भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा कर्नाटक राज्य सरकार से यह एक होटल के बतौर चलाने के लीज पर ली गई है।
8.	होटल एयरपोर्ट अशोक कलकत्ता	कलकत्ता एयरपोर्ट कलकत्ता-700052	यह स्थान भारत पर्यटन विकास निगम ने एक एयरपोर्ट होटल के निर्माण के लिए आई० ए० ए० आई० से लिया था। होटल मार्गस्थ यात्रियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए था क्योंकि बहुत सी विदेशी एयर-लाइन्स दम-दम से होकर गुजरती थीं। एयरपोर्ट से संलग्न होने के कारण इस स्थान को परिकल्पित और निर्मित होटल के लिए आदर्श समझा गया।

विवरण-दो

(लाख रुपयों में)

	1982-83		1983-84		1984-85 (अनन्तिम)	
	वास्तविक	बजट कृत	वास्तविक	बजट कृत	वास्तविक	बजट कृत
अशोक, नई दिल्ली	969.63	1022.80	877.16	896.35	931.85	960.00
अकबर, नई दिल्ली	461.77	485.90	298.12	301.70	227.20	241.90
सम्राट, नई दिल्ली	34.04	36.35	182.10	190.00	290.01	280.15
कुतब, नई दिल्ली	130.05	126.00	114.14	125.05	120.67	124.30
अशोक, बंगलोर	209.10	246.95	246.70	247.85	283.85	200.45
कोवलम अशोक बीच रिसार्ट	103.48	107.15	112.86	107.95	133.37	137.35
एल० एम० पी० होटल मैसूर	46.82	45.90	50.28	44.70	61.59	61.55
एयर पोर्ट अशोक कलकत्ता	234.30	230.60	304.96	288.85	376.64	379.80

महासागर गवेषणा

2383. **श्री नवीन रावणी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) देश में महासागर गवेषणा के क्षेत्र में कार्यरत महासागर विज्ञान संस्थानों के नाम क्या हैं; और

(ख) महासागर गवेषणा तथा महासागर में उपलब्ध भंडारों के क्षेत्र में उनकी आज तक की उपलब्धियां क्या हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और इलैक्ट्रानिकी विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख). देश में महासागर गवेषणा के क्षेत्र में कार्यरत मुख्य संस्था राष्ट्रीय समुद्रविज्ञान संस्थान, गोआ है। यह संस्था तटीय जल क्षेत्रों, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और गहरे समुद्र में सजीव और निर्जीव संसाधनों के सर्वेक्षण और गवेषणा में संलग्न है। संस्थान ने पिछले कुछ वर्षों के दौरान बहुत अच्छे परिणाम प्रस्तुत किए हैं। केन्द्रीय लवण एवं समुद्री रसायन अनुसंधान समुद्र-जल से खनिजों के निकालने और समुद्र जल के विलवणीकरण तथा इसे स्वच्छ जल में परिवर्तित करने के लिए प्रौद्योगिकी के विकास में कार्यरत है। इस संस्थान द्वारा विकसित की गई कई प्रौद्योगिकियां देश में उपयोग में लाई जा रही हैं। केन्द्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान, संस्थान, कोचीन ने समुद्र के सजीव संसाधनों की गवेषणा और शंख-मीन, फिनफिश और समुद्री शैवालों के पालन के क्षेत्र में यथेष्ट कार्य किया है। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने तेल और गैस के तटवर्ती अन्वेषण में बहुत प्रशंसनीय कार्य किया है।

महासागर विकास विभाग ने वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की सहायता से मध्य हिन्द महासागर में, गहरे समुद्र में बहुधात्विक पिण्डों के सर्वेक्षण का व्यापक कार्यक्रम आरंभ किया है। लगभग 30 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का विस्तृत सर्वेक्षण करने के फलस्वरूप दो खनन-स्थलों का पता चला है। इन दो स्थलों के पंजीकरण के लिए अन्तर्राष्ट्रीय समुद्र-तल प्राधिकरण के प्रारंभिक आयोग के पास आवेदन-पत्र भेजा गया है।

निर्गुट देशों का युवा-महोत्सव

2384. **श्री जगन्नाथ पटनायक : क्या युवा कार्य और खेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या सरकार "अन्तर्राष्ट्रीय युवा वर्ष" में गुट-निरपेक्ष देशों का एक 'युवा महोत्सव' आयोजन करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

युवा कार्य और खेल विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

राष्ट्रीय वन्य प्राणि संरक्षण कार्य-योजना

2385. **श्री एच० एम० पटेल : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या सरकार ने इस समय पेड़-पौधों और जीव-जन्तुओं की बड़ी तेजी से समाप्त हो रही नस्लों को समाप्त होने से बचाने के लिए एक राष्ट्रीय वन्य प्राणि संरक्षण कार्य योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना के क्रियान्वयन के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वीर सेन) : (क) और (ख). भारतीय वन्य प्राणि बोर्ड की सिफारिशों पर राष्ट्रीय वन्य प्राणि कार्यकारी योजना को अंतिम रूप दिया गया था और अक्तूबर, 1983 में अपनाया गया था। कार्यकारी योजना देश में वन्य प्राणि संरक्षण के क्षेत्र में की जाने वाली कार्यवाही का घोषणा पत्र है। कार्यकारी योजना के मुख्य घटक नीचे दिए गए हैं :

1. **आरक्षित क्षेत्रों के प्रतिनिधि नेट वर्क की स्थापना** : राष्ट्रीय उद्यानों, आश्रय-स्थलों तथा जीव मण्डल आरक्षणों जैसे वैज्ञानिक रूप से व्यवस्थित आरक्षित क्षेत्रों के नेट वर्क की स्थापना, देश के भीतर सभी महत्वपूर्ण प्राणि-भौगोलिक सब-डिवीजनों के प्रतिनिधि तथा सूक्ष्म नमूनों को कवर करता है। इस प्रकार के आरक्षित क्षेत्रों में पर्याप्त भौगोलिक वितरण होना चाहिए।

2. **आरक्षित क्षेत्रों का प्रबंध तथा आवासी पुनर्स्थापना** : आरक्षित क्षेत्रों के लिए उपयुक्त प्रबन्ध पद्धतियों का विकास स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए उनके समर्थन तथा सहयोग को सुनिश्चित करना, उजड़े हुए वास-स्थलों की उनकी प्राकृतिक स्थिति में पुनर्स्थापन्न करना (जहां तक यह पता लगाया जा सकता है) वन्य प्राणि तथा आश्रय-स्थल प्रबन्ध के सभी पहलुओं में पूर्णतः प्रशिक्षित कार्मिकों का व्यवसायिक संवर्ग बनाना और वन्य प्राणि से सम्बन्धित सभी अधिकारियों के लिए उन्नमुखी व्यवस्था करना।

3. **बहु उपयोगी क्षेत्रों में वन्य प्राणि आरक्षण** : बहु-उपयोगी क्षेत्रों (जैसे वनों के उत्पादन तथा चारागाह भूमि) में वन्य प्राणि को पर्याप्त आरक्षण दिया गया ताकि उनके आरक्षित क्षेत्रों से जुड़े हुए अहाते बनाएं जाएं और उनके संतत जनन की व्यवस्था की जा सके।

4. **खतरे में पड़ी तथा आतंकित प्रजातियों का पुनर्वास** : देशी, खतरे में पड़ी तथा आतंकित वन्य जन्तु तथा वनस्पति की प्रजातियों के पुनर्स्थापना और उनकी विगत आवासी आरक्षित भागों में उनका सुधार इस ढंग से किया जाए जिससे हाल ही के एतिहासिक समय (100-150 वर्ष पूर्व) में उनके वितरण की कुछ झलक दी जा सके।

5. **बन्दी अवस्था में प्रजनन कार्यक्रम** : बन्दी अवस्था में संवर्धन तथा वनस्पति तथा पशुओं के लिए प्रजनन कार्यक्रमों के प्रबन्ध समर्थन, वन्य की आतंकित प्रजातियों का पुनः प्रवेश करने और जहां उपयुक्त हो, उन प्रजातियों का उपयोग करने के लिए जो पर्याप्त हैं।

6. **वन्य प्राणि शिक्षा और निर्वचन** : वन्य प्राणि शिक्षा तथा निर्वचन के प्रवर्धन तथा समर्थन का लक्ष्य मानव बेहतरी के लिए वन्य प्राणि के महत्व का व्यापक सार्वजनिक मूल्यांकन करना है।

7. **अनुसंधान तथा प्रबोधन** : अनुसंधान तथा प्रबोधन सुविधाएं विकसित करना, जो वन्य प्राणियों की संख्या तथा उनके उचित प्रबन्ध के लिए अनिवार्य आवासियों, और जहां उचित होगा उनका उपयोग करने की वैज्ञानिक जानकारी उपलब्ध कराएगा।

8. **देशी कानून तथा अन्तर्राष्ट्रीय समझौते** : समीक्षा और अद्यतन सांविधिक प्रावधानों में वन्य प्राणि की रक्षा करने और सभी प्रकार के व्यापार का विनियमन करने की व्यवस्था है ताकि उनके वर्तमान प्रभाव को सुनिश्चित किया जा सके। अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेना ताकि वन्य प्राणि संसाधनों की क्षीणता को रोका जा सके और प्रवासी प्रजातियों की रक्षा की जा सके।

9. राष्ट्रीय संरक्षण नीति : 1980 में शुरू की गई विश्व संरक्षण के आधार पर सभी जीवित प्राकृतिक संसाधनों के लिए राष्ट्रीय संरक्षण नीति का निरूपण करने तथा अपनाने में सहायता करती है।

10. स्वैच्छिक निकायों के साथ सहयोग : इस कार्यकारी योजना द्वारा प्रस्तुत किए गए वन्य प्राणि संरक्षण के समूचे प्रयास में स्वैच्छिक निकायों का समर्थन तथा सहयोग प्राप्त करना।

कार्यकारी योजना का कार्यान्वियन शुरू किया गया है और कई कदम पहले ही उठाए गए हैं। केन्द्रीय वन्य प्राणि परिरक्षण निदेशालय तथा भारतीय वन्य प्राणि संस्थान, देहरादून कार्यकारी योजना में विनिर्दिष्ट कई कार्यक्रम तथा परियोजनायें शुरू करने तथा उनका प्रबोधन करने की नोडल एजेंसियां हैं। ये राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों की सहायता से तैयार की गई हैं। जो देश में वन्य प्राणि का वास्तविक रक्षण तथा प्रबन्ध करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार हैं। अन्य सरकारी तथा गैर सरकारी एजेंसियों का सहयोग भी प्राप्त किया जा रहा है।

जबकि कार्यकारी योजना के मुख्य घटकों में से अधिकांश पर कार्यवाही शुरू की गई है, तथापि निम्नलिखित अधिक महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं :

—देश में सभी राष्ट्रीय पार्कों, आश्रयस्थलों तथा आरक्षण स्तर वाले अन्य उपयुक्त क्षेत्रों में आरक्षित क्षेत्रों का नेटवर्क सुदृढ़ करने तथा उसे बढ़ाने की दृष्टि से एक सर्वेक्षण शुरू किया गया है।

—वन्य प्राणि आरक्षण की प्रबन्ध योजनाएं तैयार करने के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त बनाए गए हैं और सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को परिचारित किए गए हैं।

—वन्य प्राणि संरक्षण सम्बन्धी सार्वजनिक समर्थन प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्तों का विकास किया गया है। ये भी सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को भी परिचारित किए गए हैं।

—वन्य प्राणि संरक्षण के लिए विशिष्ट सम्बन्धों को समायोजित करने के लिए राष्ट्रीय वन नीति की समीक्षा तथा संशोधन किया गया है।

—वन्य प्राणि (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के संशोधनों की जांच की जा रही है।

—भारतीय वन्य प्राणि संस्थान में प्रशिक्षण तथा अनुसंधान सम्बन्धी कार्यकलाप शुरू किए गए हैं।

—बन्दी अवस्था में प्रजनन तथा पुनर्वास कार्यक्रम शुरू किए गए हैं (अर्थात गैंडा पुन-प्रवेश कार्यक्रम)

—अन्तर्राष्ट्रीय समझौतों में सक्रिय रूप से भाग लेना तथा प्रवासी पक्षियों की रक्षा करने के लिए रूस के साथ हाल ही में एक समझौते को अन्तिम रूप दिया गया है।

—कुछ आरक्षण स्थलों तथा चिड़ियाघरों में आदर्श निर्वचन की सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं।

—कार्यकारी योजना के कार्यान्वियन में स्वैच्छिक निकाय। गैर सरकारी संगठन किस प्रकार से योगदान दे सकते हैं, इसका पता लगाने के लिए एक समिति गठित की गई है।

—कार्यकारी योजना के क्रियान्वयन को सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-1990) में वन्य प्राणि संरक्षण कार्यक्रमों का केन्द्रीय विषय बनाया गया है।

अनुसंधान गतिविधियों के लिए अंटार्कटिका अध्ययन केन्द्र

2386. **डॉ० वी० वेंकटेश :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसंधान गतिविधियों के लिए अंटार्कटिका अध्ययन केन्द्र की स्थापना हेतु कोई कदम उठाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रस्तावित चौथे और पांचवें अभियानों के लिए जहाजों और उपकरण खरीदने तथा हिम भेदक का निर्माण करने के लिए कोई कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन्हें किस देश से आयात किया जा रहा है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और इलैक्ट्रानिकी विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख). जी हां, श्रीमान। अंटार्कटिक अध्ययन केन्द्र स्थापित करने से संबंधित ब्यौरे तैयार करने के लिए एक अध्ययन दल गठित किया गया था। दल की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और केन्द्र के लिए अपेक्षित उपस्करों के ब्यौरों का अंतिम रूप दिया जा रहा है।

(ग) और (घ). 13 व्यक्तियों के एक दल को भारतीय अटार्कटिक स्टेशन पर छोड़कर, चौथा भारतीय अंटार्कटिक अभियान-दल 25-3-1985 को भारत लौट आया है। पांचवें अंटार्कटिक अभियान-दल के नवम्बर, 1985 के अन्त तक जाने की संभावना है। इस अभियान के लिए उपयुक्त जलयान किराये पर लेने के लिए जहाजरानी एवं परिवहन मंत्रालय के माध्यम से पहले ही बात-चीत चल रही है। जहां तक भारतीय अंटार्कटिक कार्य-कलापों के लिए हिम भेदक के निर्माण का प्रश्न है, इस प्रयोजन के लिए गठित किए गए एक अन्त टास्क फोर्स की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। वित्तीय दृष्टि से प्रस्ताव की स्वीकृति के लिए ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

पाकिस्तानी नागरिकों का भारत में अवैध प्रवेश

2387. **श्री राम प्यारे पनिका :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो महीनों के दौरान कुछ पाकिस्तानी नागरिकों को, जिन्होंने भारत में अवैध रूप से प्रवेश किया था, गिरफ्तार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है और भारत में उनके प्रवेश का क्या प्रयोजन था;

(ग) क्या सरकार ने उनके मामलों की पूरी तरह से जांच पड़ताल की है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का उनके भारतीय सम्पर्कों का भी पता चला है और यदि हां, तो सरकार का उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

देश में पुरातत्व सर्कल

2388. श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कार्यरत विभिन्न पुरातत्व सर्कलों के मुख्यालयों के नाम क्या हैं;

(ख) उनमें से कितने पुरातत्व सर्कल 1984-85 में खोले गये हैं;

(ग) नये पुरातत्व सर्कलों द्वारा अब तक कौन से काम शुरू किए गए हैं; और

(घ) तत्संबंधी अन्य ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) कार्यरत विभिन्न पुरातत्व मंडलों के मुख्यालयों के नाम इस प्रकार हैं :

1. आगरा मंडल, आगरा
2. औरंगाबाद मंडल, औरंगाबाद
3. बंगलौर मंडल, बंगलौर
4. भोपाल मंडल, भोपाल
5. भुवनेश्वर मंडल, भुवनेश्वर
6. कलकत्ता मंडल, कलकत्ता
7. चंडीगढ़ मंडल, चंडीगढ़
8. दिल्ली मंडल, नई दिल्ली
9. गौहाटी मंडल, गौहाटी
10. हैदराबाद मंडल, हैदराबाद
11. जयपुर मंडल, जयपुर
12. मद्रास मंडल, मद्रास
13. पटना मंडल, पटना
14. श्रीनगर मंडल, श्रीनगर
15. बड़ोदरा मंडल, बड़ोदरा

(ख) 1984-85 में निम्नलिखित मंडल खोले गए हैं :

1. चंडीगढ़ मंडल, चंडीगढ़
2. जयपुर मंडल, जयपुर

(ग) और (घ). क्योंकि इन दो मंडलों ने केवल मार्च में ही कार्य करना शुरू किया है, अत: कार्य करने का नियमित कार्यक्रम अब शुरू किया जा रहा है।

इलेक्ट्रॉनिकी के क्षेत्र में प्रगति

2389. **श्री हुसैन दलवाई :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इलेक्ट्रॉनिकी के क्षेत्र में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ख) इस समय भारत में कौन से उपकरण बनाए जा रहे हैं;

(ग) क्या अनेक पश्चिमी देश भारतीय इलेक्ट्रॉनिकी का सामान खरीदते हैं; और

(घ) यदि हां, तो उन इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के नाम क्या हैं जिनकी विदेशी बाजारों में अच्छी मांग है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा, महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष और इलेक्ट्रॉनिक्स विभागों के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) वर्ष 1984 में इलेक्ट्रानिकी वस्तुओं के उत्पादन का अनुमानित मूल्य बढ़कर 1865 करोड़ रु० हो गया जबकि वर्ष 1980 में यह 806 करोड़ रु० रहा, जो इस बात का द्योतक है कि इस दिशा में कुल सम्मिलित वार्षिक वृद्धि की दर लगभग 23 प्रतिशत रही ।

(ख) देश में अनेक किस्म के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण तैयार किए जाते हैं। इनमें विभिन्न प्रकार के उपकरण शामिल हैं, जिनमें से कुछ दोलनदर्शी, मल्टीमीटर, स्पेक्ट्रम विश्लेषक, पल्स जनरेटर, पैटर्न-जनरेटर, फंक्शन जनरेटर, आवृत्ति काउंटर, लॉजिक विश्लेषक, दोलित्र, रिकार्डर, मीटर एल० सी० आर० ब्रिजर, एकीकृत परिपथ टेस्टर, आदि हैं।

सूक्ष्मसंसाधित्र पर आधारित उपकरणों का विनिर्माण करने की दिशा में भी शुरूआत की गईक है।

इसके अलावा, देश में विभिन्न किस्म के विश्लेषणात्मक चिकित्सकीय, न्यूक्लीय, भू-वैज्ञानि वस्त्रों, खनन इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का भी निमार्ण किया जाता है।

(ग) जी, हां।

(घ) देश में निर्मित कुछ ही ऐसे इलेक्ट्रॉनिकी उपकरण हैं जिनके निर्यात की संभावना है। इनमें से प्रमुख इस प्रकार हैं : न्यून आवृत्ति के दोलनदर्शी, मल्टीमीटर, आवृत्ति काउंटर, श्रव्य संकेत स्रोत संकेत जनरेटर, वी० यू० मीटर, ऐमीटर, पैनल मीटर आदि।

मंडल आयोग की रिपोर्ट पर जनमत जानना

2390. **श्री उत्तम राठौर :**
श्री डी० बी० पाटिल

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंडल आयोग की रिपोर्ट पर जनमत का पता लगाने के तरीकों का निर्धारण किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और जनता को अपने विचार दर्ज कराने के लिए कितना समय दिया गया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) और (ख). मंडल आयोग ने

जिन अन्य पिछड़े वर्गों की सिफारिश की थी उन पिछड़े वर्गों की सूची पर और न कि मंडल आयोग की रिपोर्ट पर जनमत प्राप्त करने के लिए तरीकों का निर्धारण सरकार के विचाराधीन है। ब्यौरों और जनता को अपना मत दर्ज कराने के लिए समय सीमा के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उड़ीसा में पर्यटक का विकास

2391. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उड़ीसा में पर्यटन के विकास की कुछ योजनायें कार्यान्वित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो उन योजनाओं के नाम क्या हैं, जिन्हें उक्त योजना-अवधि के दौरान उड़ीसा में कार्यान्वित करने का विचार है; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) से (ग). सातवीं पंचवर्षीय योजना में विभाग राज्य सरकारों/संघशासित प्रदेशों की सरकारों के परामर्श से पर्यटन का विकास और संवर्धन करने के लिए उड़ीसा सहित भारत के विभिन्न भागों में काफी संख्या में स्कीमें शुरू करने जा रहा है। उड़ीसा से संबंधित स्कीमों को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

अहमदनगर किले को संग्रहालय में बदलना

2392. **श्री यशवन्त राव गडाख पाटिल** : क्या संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के अहमदनगर किले को संग्रहालय में परिवर्तित करने के लिए उसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को सौंपने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार इस काम को कब से शुरू करने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस बारे में सरकार का क्या विचार है ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

कुम्हरार प्रकाश और ध्वनि कार्यक्रम

2393. **श्री सी० पी० ठाकुर** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुम्हरार जहां कि खुदाई की गई थी और अशोक तथा मौर्य काल की बहुत सी वस्तुएं प्राप्त हुई थीं, उपेक्षित पड़ा हुआ है;

(ख) क्या सरकार का वहां पर प्राचीन भारत का इतिहास दर्शाने वाला प्रकाश तथा ध्वनि

कार्यक्रम आरम्भ करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो कब ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

आन्ध्र प्रदेश में प्राचीन बौद्ध स्मारकों के अवशेषों के लिए संग्रहालय

2394. **श्री वी० सोमनाथीसवरा राव** : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि ग्राम घन्टासाला, तलुक दिवी, जिला कृष्णा, आन्ध्र प्रदेश में अनेक प्राचीन बौद्ध स्मारक मिले हैं;

(ख) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने लगभग 50 मूर्तियां एकत्र की हैं और उनकी सुरक्षा के लिए कुछ चौकीदारों की नियुक्ति करके, उन्हें एक किराये के भवन में रखा है और संग्रहालय के निर्माण के लिए 70 मीटर की माप का एक प्लाट खरीदा है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है और विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए खुदाई कार्य जारी रखने हेतु क्या प्रयास किये गये हैं।

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने अब तक घन्टासाला ग्राम में और इसके आस-पास पड़ी 62 अबद्ध मूर्तियां एकत्र की हैं और उनको एक किराए के मकान में रखा है। स्थल संग्रहालय के निर्माण के लिए आवश्यक भूखंड प्राप्त कर लिया है।

(ग) संग्रहालय भवन के नक्शों की जांच की जा रही है। घन्टासाला ग्राम के दक्षिण-पश्चिम में पाटी डिब्बा में हाल ही के खुदाई कार्यों से बौद्धवाद से संबंधित संरचनात्मक और वास्तुशिल्पीय अवशेषों के अतिरिक्त बुद्धपाद (उत्कीर्ण पद चिन्हों के स्वरूप में प्रतीकात्मक चित्र) प्रकाश में आए हैं।

पश्चिम बंगाल में छठी योजना के दौरान पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उठाये गये कदम

2395. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने पश्चिम बंगाल में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए छठी योजना के दौरान क्या कदम उठाये हैं; और

(ख) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख). पर्यटन का विकास और संवर्धन एक सतत प्रक्रिया है। विभाग ने छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान पश्चिम बंगाल में निम्नलिखित स्कीमों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है :

1. अयोध्या पहाड़ियों पर कुटीरों का निर्माण।

2. सन्दाकफू-फालूत क्षेत्र में ट्रेकर्स हट्स का निर्माण।

3. ट्रेकिंग उपस्कर की व्यवस्था।

4. कांडुविला में बी० ए० यू० एल० मेले का आयोजन।

5. विष्णुपुर में टेराकोटा मंदिरों की प्रकाश-पुंज व्यवस्था।

6. सुन्दरबन में पर्यटकों को आवास सुलभ कराने के लिए एक बार्ज का निर्माण।

7. सुन्दर बन में मोटर लांच की खरीद।

8. जल्दापारा में मिनी बस की खरीद।

9. रवीन्द्र सरोवर और मिरिक झील में नौकाओं की व्यवस्था।

10. आई० टी० डी० सी० द्वारा कलकत्ता में एयरपोर्ट होटल और परिवहन एकक की सुविधाओं में वृद्धि।

संवर्धनात्मक कार्यकलापों के एक भाग के रूप में विभाग आई० टी० डी० सी० के माध्यम से विभिन्न राज्यों के बारे में, जिनमें पश्चिमी बंगाल शामिल है, फिल्मों आदि को शामिल करते हुए, प्रचार सामग्री का प्रकाशन करता है। आतिथ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत विभाग यात्रा लेखकों, यात्रा अभिकर्ताओं/यात्रा प्रचालकों को महत्वपूर्ण स्थानों की यात्रा के लिए, जिनमें पश्चिमी बंगाल के स्थान भी शामिल हैं, आमन्त्रित करता है। वापिस लौटने पर ये लोग विदेशी बाजारों में यात्राकृत स्थानों का प्रचार करते हैं।

देश में छोटे परमाणु बिजलीघरों की स्थापना

2396. **श्री आर० पी० गायकवाड़** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ही एक देश है जिसने 235 मेगावाट क्षमता की सीमा में छोटे परमाणु बिजलीघर स्थापित करने की रूपरेखा बनाई है;

(ख) आगामी दो दशकों में देश भर में इस प्रकार के कितने परमाणु बिजलीघर स्थापित किये जाने हैं;

(ग) प्रस्तावित बिजलीघर स्थापित करने पर कितनी धनराशि खर्च करने की योजना है; और

(घ) क्या वर्ष 2000 तक देश की बढ़ती हुई जनसंख्या की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए परमाणु बिजली उत्पादन कार्यक्रम में भारत आत्मनिर्भर हो जाएगा ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और इलेक्ट्रोनिक्स विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां। भारत एक-मात्र ऐसा देश है जो परमाणु बिजली पैदा करने के लिए ऐसे रिएक्टर यूनिट लगा रहा है जिनकी सकल निर्धारित क्षमता 235 मेगावाट है।

(ख) अगले 15 वर्षों में ककरापार के पहले और दूसरे यूनिट के बाद 12 ऐसे और यूनिट लगाने का प्रस्ताव है जिनमें से प्रत्येक की क्षमता 235 मेगावाट होगी।

(ग) 235 मेगावाट क्षमता के दो यूनिटों वाले बिजलीघर की अनुमानित लागत लगभग 609 करोड़ रुपए बैठती है। इन बिजलीघरों की स्थापना पर सन् 1984 के मूल्य-स्तर के आधार पर अनुमानतः 4,000 करोड़ रुपए का व्यय आवश्यक होगा।

(घ) परमाणु बिजली संबंधी एक स्वालम्बी और आत्मनिर्भर कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की क्षमता देश में स्थापित की जा चुकी है।

[हिन्दी]

भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के लिए पदोन्नति के अवसर

2397. **प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह भी सच है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा काडरों को मिलने वाले वेतनमानों और सुविधाओं में असमानताएं होने के कारण शीर्ष स्थान पाने वाले उम्मीदवार भारतीय पुलिस सेवा में नहीं जाना चाहते हैं;

(ख) क्या यह सच है कि भारतीय पुलिस सेवा में पदोन्नति के अवसर कम हैं और जोखिम ज्यादा हैं; और

(ग) चौथे वेतन आयोग द्वारा भारतीय पुलिस सेवा काडर को अधिक आकर्षक बनाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) से (ग). सामान्य पद्धति यह है कि सिविल सेवा परीक्षा देने वाले उम्मीदवार भारतीय विदेश सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और केन्द्रीय सेवा समूह "क" जैसी विभिन्न सेवाओं के लिए अपनी वरीयतायें निर्दिष्ट करते हैं। उम्मीदवारों द्वारा विभिन्न सेवाओं के लिए दी जाने वाली वरीयताओं का क्रम, विभिन्न सेवाओं की सुविधाओं, चुनौतियों/सम्भावनाओं के प्रति प्रत्येक उम्मीदवार के रुख और उसकी धारणा पर निर्भर करता है। विभिन्न सेवाओं के वेतनमान और पदोन्नति के अवसर इत्यादि इन सेवाओं द्वारा निभाए जाने वाले कार्य और इनसे सम्बद्ध कार्यों और दायित्वों के अनुसार अलग-अलग होते हैं। तीसरे वेतन आयोग ने भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के लिए भिन्न-भिन्न वेतनमानों की सिफारिशें की थी। तथापि भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा जैसी अखिल भारतीय सेवाओं सहित केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतनमान, पदोन्नति के अवसरों इत्यादि से सम्बन्धित सभी मामले इस समय चौथे वेतन आयोग के विचाराधीन हैं।

[अनुवाद]

पांच सितारा होटल बनाने के लिए ऋण

2398. **श्री थम्पन थोमस :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पांच सितारा होटलों में पूंजी निवेश न करने या पांच सितारा होटलों को ऋण न देने का निर्णय किया है;

(ख) क्या अनेक पुराने पांच सितारा होटलों को दिए गए और एसियाड-1982 के दौरान पांच सितारा होटल खोलने के लिए दिए गए ऋण वसूल हो गए हैं;

(ग) यदि नहीं, तो क्या ऋण वापस न करने वाले होटलों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है;

(घ) एशियाड-82 के दौरान होटल बनाने का वायदा करने वाले पांच सितारा होटलों/कम्पनियों को कम्पनीवार ऋण/अग्रिम राशि के रूप में कितनी धनराशि दी गई थी; और

(ङ) क्या निर्गुट सम्मेलन और राष्ट्राध्यक्षों के शिखर सम्मेलन के समय और आगे अग्रिम धनराशि दी गई थी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) सातवीं योजना में सार्वजनिक क्षेत्र के निवेश को सहायक आधार-संरचना पर संकेन्द्रित किया जाएगा जबकि प्राइवेट सेक्टर को होटल-आवास के विकास के लिए प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है।

(ख) और (ग). 5-स्टार होटलों को एशियाड 1982 के समय या उससे पूर्व दिए गए अग्रिम ऋणों की वापसी, वापसी-शेड्यूल द्वारा अधिशासित हैं कुछ मामलों में ब्याज और/अथवा मूलधन के कारण भुगतान देय हैं। वसूलियां, वित्तीय संस्थानों द्वारा लागू की जा रही हैं।

(घ) एसियाड होटल परियोजनाओं को आई० एफ० सी० आई० द्वारा स्वीकृत ऋण अग्रिम राशि 15.60 करोड़ रुपये थीं। तथापि दिसम्बर 1984 तक वितरित की गई वास्तविक धनराशि 13.66 करोड़ रुपये थी।

(ङ) जी, नहीं।

आरा मिलों के लिए लाइसेन्स देना

2399. **श्री दिग्विजय सिंह** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आरा मिलों की संख्या और स्थल वनों के संरक्षण में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं;

(ख) क्या वन भूमि को गैर-वन भूमि के रूप में उपयोग में परिवर्तित किए जाने पर आरा मिलों के लिए लाइसेंस देने से पूर्व केन्द्रीय सरकार की मन्जूरी लेने का उपलब्ध करने का विचार है;

(ग) क्या वन संरक्षण कानून में प्रस्तावित सशोधनों में ऐसा उपबन्ध करने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वीर सेन) : (क) जी हां।

(ख) आरा मिलों के लिए लाइसेंस देने के लिए केन्द्रीय सरकार की मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। तथा, जब कभी गैर-वन प्रयोजनों के लिए वन भूमि का उपयोग करना अभीष्ट होता है तो उसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उपबन्धों के तहत केन्द्रीय सरकार की अनुमति लेना आवश्यक है।

(ग) और (घ). प्रश्न ही नहीं उठते।

पोर्ट ब्लेयर में चुनाव अभियान के दौरान एक युवक की हत्या

2400. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सुरक्षा बल के एक जवान के विरुद्ध दिसम्बर, 1984 के दौरान अंडमान

निको बार द्वीप समूह में पोर्ट ब्लेयर में चुनाव अभियान के दौरान एक युवक की हत्या का मामला दर्ज किया गया है तथा द्वीप समूह के प्रशासन ने उक्त जवान को हिरासत में लेने के लिए भारत सरकार से अनुमती मांगी है; यदि हां, तो सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है; और

(ख) पोर्ट ब्लेयर में तैनात केन्द्रीय सुरक्षा बल के कमांडेंट के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है जो उपरोक्त सारे मामले को दबाना चाहता था ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी हां, श्रीमान। अंडमान तथा निकोबार प्रशासन को सलाह दी गई है कि कांस्टेबल के विरुद्ध दर्ज किए गए मामले की शीघ्रता से जांच पड़ताल की जाए और यदि प्रथम दृष्टया मामला साबित हो तो गृह मन्त्रालय को सूचित किया जाए।

(ख) यह कहना उचित नहीं है कि पोर्ट ब्लेयर में के० रि० पु० बल के कमांडेंट सारे मामले को दबाना चाहते हैं। इसलिए उनके विरुद्ध कार्यवाई करने का प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उत्थान के लिए स्वैच्छिक संगठनों को दी गई धनराशि

2401. **श्री के० डी० सुलतानपुरी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में उन संगठनों के राज्यवार नाम क्या हैं जिन्हें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उत्थान के लिए धन दिया जाता है;

(ख) क्या ऐसे स्वैच्छिक संगठनों के खिलाफ कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो उनका राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम दुलारी सिन्हा) : (क) स्वयंसेवी संगठनों को केन्द्रीय सहायता योजना के अन्तर्गत गृह मंत्रालय, अखिल भारतीय स्वरूप के स्वयंसेवी संगठनों को जो अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण कार्य में लगे हुए हैं, सहायता अनुदान प्रदान कर रहा है। उन स्वयं सेवी संगठनों के नाम जिन्हें वर्ष 1984-85 के दौरान सहायता अनुदान मंजूर किया गया था संलग्न विवरण में दिये गए हैं।

(ख) हाल के पिछले कुछ समय में ऐसे किसी संगठन के विरुद्ध कोई ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

1. धरमोड़ा माडल सातर हिल्स तथा प्लेनस
   कल्चरल इन्टीट्यूशन, नार्थ लखीमपुर, असम।
2. रामकृष्ण मिशन, छतरी बाड़ी रोड,
   गोहाटी असम।

3. रामकृष्ण मिशन सेवा आश्रम,
सिल्चर, कच्छार, असम।

4. रामकृष्ण मिशन आश्रम,
रांची बिहार।

5. रामकृष्ण मिशन विवेकानन्द सोसायटी,
जमशेदपुर, बिहार।

6. रामकृष्ण मिशन ट्यूबरकुलोसिस सेनिटोरियम,
रांची, बिहार।

7. श्री रामकृष्ण अद्वैत आश्रम,
कालाड़ी, केरल।

8. सर्वेन्टस आफ इंडिया सोसायटी,
पूना, महाराष्ट्र।

9. भारतीय समाज उन्नति मण्डल,
भिवन्डी, जिला थाणे, महाराष्ट्र।

10. रामकृष्ण मिशन आश्रम, चेरापूंजी,
डा० खा० चेरा बाजार, मेघालय।

11. रामकृष्ण मिशन, शिलांग, मेघालय।

12. नागालैंड गांधी आश्रम,
चुच्यु मिमलौंग, जिला पोकोकचुंग, नागालैंड।

13. रामकृष्ण मिशन आश्रम,
पुरी, उड़ीसा।

14. टक्टर बापा आश्रम,
डा० खा० त्रिमखण्डी, जिला गंजम, उड़ीसा।

15. सोशल वर्क एण्ड रीसर्च सेंटर,
तिलोन्या, मदनगंज, अजमेर, राजस्थान।

16. बनस्थली विद्यापीठ, डा० खा० बनस्थली, राजस्थान।

17. नीलगिरीज आदिवासी वेलफेयर एसोसिएसन, कोटा हाल रोड,
कोटागिरी, दी नीलगिरीज, तमिलनाडु।

18. केन्द्रीय नेहरू स्मारक परिषद,
लखनऊ, उत्तर प्रदेश।

19. रामाकृष्ण मिशन आश्रम, नरेन्द्रपुर,
24-परगना, पश्चिम-बंगाल।

20. रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ, डा० खा० विवेकानन्दनगर,
जिला पुरुलिया, पश्चिमी बंगाल।

21. श्री रामकृष्ण आश्रम, डा० खा० निमपीठ आश्रम,
24 परगना (सुन्दरबन) पश्चिम बंगाल।

22. निखिल भारत वनवासी पंचायत, है० आ० झारग्राम,
जिला मिदनापुर, पश्चिम बंगाल।

23. हरिजन सेवक संघ (बंगाल) नसकरपारा रोड़,
घुसुरी, हावड़ा, पश्चिम बंगाल।

24. टैगोर सोसायटी फार रूरल डवलपमेंट,
कलकत्ता पश्चिम बंगाल।

25. रामकृष्ण मिशन स्कूल,
अलोंग, जिला सियांग, अरुणाचल प्रदेश।

26. प्रान्तीय समाज कल्याण आश्रम,
उत्तरी लखीमपुर, असम, डा० खा० कीमिन, अरुणाचल प्रदेश।

27. रामकृष्ण मिशन, डा० खा० नरोत्तम नगर, जिला तिरप,
अरुणाचल प्रदेश।

28. हरिजन सेवक संघ,
किंग्सवे, दिल्ली।

29. इंडियन रेडक्रास सोसायटी, 1, रेडक्रास रोड,
नई दिल्ली।

30. हिन्द स्वीपर सेवक समाज,
198-एच, कालीबाड़ी मार्ग, नई दिल्ली।

31. जागरण, ई-7/10-बी, बसन्त विहार,
नई दिल्ली।

32. भारतीय आदिम जाति सेवक संघ,
डॉ० अम्बेडकर मार्ग, ठक्कर बापा स्मारक सदन, नई दिल्ली।

33. अखिल भारतीय दयानन्द सेवाश्रम संघ,
महाऋषि दयानन्द भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली।

34. अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद,
15, केनिंग लेन, नई दिल्ली।

[अनुवाद]

एजवाल (मिजोरम) के निकट तुइरियल में हवाई पट्टी के निर्माण पर व्यय

2402. श्री लाल डहोमा : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मिजोरम में एजवाल के निकट तुइरियल में हवाई पट्टी के निर्माण पर कुल कितना व्यय हुआ;

(ख) मई, 1984 तक मरम्मत पर कुल कितना व्यय किया गया;

(ग) क्या मई, 1984 के पश्चात् मरम्मत के लिए धन मन्जूर करने हेतु मिजोरम सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ङ) हवाई पट्टी की वर्तमान स्थिति क्या है;

(च) क्या एक और हवाई पट्टी के निर्माण का कोई प्रस्ताव है; और

(छ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) और (घ). जी, हां। नागर विमानन विभाग ने, मिजोरम राज्य सरकार से लगभग 20.00 लाख रुपये की लागत से धावनपथ पर पुनः फर्श बिछाने, प्रचालन क्षेत्र में बाड़ लगाने, "रिटेनिंग" दीवारों का निर्माण, आदि कार्य करने का अनुरोध किया है। इस प्रयोजन के लिए नागर विमानन के महानिदेशक ने निधियों की व्यवस्था की है।

(ङ) विमान-पट्टी की मरम्मत की जा रही है।

(च) जी, नहीं।

(छ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

जैसलमेर तथा बीकानेर के लिए वायुदूत सेवाएं

2403. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने देश के किन-किन स्थानों को "वायुदूत" सेवाओं से जोड़ने का निर्णय किया था तथा उन्हें किस तारीख तक इस प्रकार जोड़ दिए जाने का प्रस्ताव था;

(ख) वहां पर अभी तक "वायुदूत" सेवायें प्रारम्भ न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार को जैसलमेर तथा बीकानेर के लिए वायुदूत सेवायें प्रारम्भ करने का विचार है और यदि हां, तो कब तक ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख). संलग्न विवरण में दिए गए उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के 14 स्टेशन और भारत के अन्य भागों में 23 स्टेशन वायुदूत के प्रचालन की आरम्भिक प्रावस्था में वायुदूत की विमान सेवा द्वारा जोड़े जाने के लिए निर्धारित किए गए थे। तथापि, इन स्टेशनों को विमान सेवा द्वारा जोड़े जाने के लिए कोई निश्चित समयावधि नियत नहीं की गई थी। इन स्टेशनों में से नीचे दिए गए स्टेशनों के लिए विमान सेवाओं की व्यवस्था की जा चुकी है :

1. शिलांग	8. राउरकेला
2. कूच बिहार	9. लुधियाना
3. तेजु (इंडियन एयरलाइन्स)	10. कोटा (इंडियन एयरलाइन्स)
4. कुडप्पा	11. देहरादून
5. राजमुन्द्री	12. पंतनगर
5. जमशेदपुर	13. रायबरेली
7. नांदेड़	

इसके अतिरिक्त वायुदूत ने रूपसी, कमालपुर, कैलाशहर, ऐजवल, गया, मुजफ्फरपुर, तक की सेवाएं शुरू की थीं, परन्तु ये सेवाएं कम भार गुणक अथवा धावनपथ की सतह के खराब हो जाने के कारण बन्द करनी पड़ी थीं। वायुदूत दिल्ली, चण्डीगढ़, कुल्लू, लखनऊ, बम्बई, कांडला, सूरत, भावनगर, अहमदाबाद, औरंगाबाद, रत्नागिरी, कलकत्ता, राँची, भुवनेश्वर, गोहाटी, सिल्चर, तिरुपति, बंगलौर और मैसूर के लिए भी विमान सेवाएं प्रचालित करता है। निर्धारित स्टेशनों को अब तक विमान सेवाओं द्वारा न जोड़े जाने के मुख्य कारणों में से एक कारण आधारभूत संरचना और विमान क्षमता की कमी है।

(ग) जी, हाँ। आधार संरचना संबंधी सुविधाएं उपलब्ध होने पर जैसलमेर और बीकानेर के लिए वायुदूत सेवाएं शीघ्र ही शुरू की जा सकती हैं।

विवरण

1. उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के स्टेशन

1. रूपसी	8. दपोरिजो
2. शिलांग	9. इटानगर
3. कमालपुर	10. पारसीघाट
4. कैलाशहर	11. सदिया
5. गंगटोक	12. तेजू
6. कूच बिहार	13. जेरो
7. एलांग	14. ऐजवल

2. उत्तर-पूर्वी क्षेत्र से बाहर के स्टेशन

1. कुडप्पा	12. जगदलपुर
2. राजमुन्द्री	13. नांदेड़
3. वारंगल	14. राउरकेला
4. जमशेदपुर	15. लुधियाना
5. गया	16. कोटा

6. मुजफ्फरपुर	17. बीकानेर
7. पूर्णिया	18. जैसलमेर
8. रायचूर	19. तंजौर
9. हुबली	20. देहरादून
10. कालीकट	21. गाजीपुर
11. बिलासपुर	22. पन्तनगर
	23. रायबरेली

1984 के दौरान इंडियन एयरलाइन्स की उड़ानों में बिलम्ब होना

2404. **श्री विजय एन० पाटिल :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1984 में इंडियन एयरलाइन्स की उड़ानों में बिलम्ब होने की घटनायें 1983 की तुलना में बढ़ गयी ; और

(ख) यदि हां, तो विलम्ब होने की घटनाओं के बढ़ने के क्या कारण हैं तथा इंडियन एयरलाइन्स द्वारा कार्यक्षमता में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाये जाने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी, हां। वर्ष 1983 की तुलना में वर्ष 1984 में इडियन एयरलाइन्स के समय पर निष्पादन में मामूली सी कमी हुई थी।

(ख) इंडियन एयरलाइन्स ने वर्ष 1983 में प्रचालित की गई 93, 502 उड़ानों की तुलना में उसी विमान बेड़े से वर्ष 1984 में 1, 02,227 उड़ानें प्रचालित की। विमानों का अधिक उपयोग करने के परिणामस्वरूप प्रत्येक प्रारम्भिक देरी के परिणामस्वरूप और देरियां हुई। एयरलाइन के नियंत्रणाधीन वाणिज्यिक और इंजीनियरी जैसे देरी के कारणों का लगातार प्रबोधन किया जाता है और उन्हें कम से कम करने के लिए सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं। वर्ष 1985 के पहले दो महीनों में इंडियन एयरलाइन्स के समय पर निष्पादन में सुधार दिखाई दिया है।

तमिलनाडु में परमाणु ऊर्जा केन्द्र की स्थापना

2405. **श्री ई० एस० एम० पकीर मोहम्मद :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने परमाणु ऊर्जा संयंत्र पूर्ण रूप से कार्य कर रहे हैं तथा सरकारी क्षेत्रों के लिए ऊर्जा का उत्पादन कर रहे हैं ;

(ख) क्या सरकार का विचार देश में कुछ और परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का है ; और

(ग) क्या इन योजनाओं में तमिलनाडु भी शामिल है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और इलेक्ट्रोनिक्स विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) परमाणु बिजली पैदा करने वाले पांचों यूनिट संतोषजनक रूप से काम कर रहे हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) स्थल चयन समिति ने परमाणु बिजलीघर लगाने के लिए दक्षिणी विद्युत क्षेत्र में अन्य स्थलों के साथ-साथ तमिलनाडु स्थित स्थलों की भी उपयुक्तता का अध्ययन किया है। दक्षिणी क्षेत्र के बारे में, तमिलनाडु भी जिसका एक भाग है, स्थल चयन समिति की रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है।

राष्ट्रीय उद्यान

2405. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने उद्यानों को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है ; और

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान पर्यावरण विभाग के मंत्री और सचिव ने इनमें से कितने उद्यानों का दौरा किया ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीर सेन) : (क) इस समय देश में 53 राष्ट्रीय उद्यान हैं।

(ख) 1982, 1983 तथा 1984 के दौरान तत्कालीन पर्यावरण उपमंत्री ने 24 राष्ट्रीय उद्यानों का दौरा किया था। उक्त अवधि के दौरान पर्यावरण विभाग के सचिव ने किसी उद्यान का दौरा नहीं किया।

दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग की माले में आयोजित बैठक में हुई चर्चा

2407. **श्री एडुआर्डो फलीरो** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग के सदस्य देशों की स्थायी समिति ने हाल ही में माले (मालदीव) में आयोजित बैठक में किन विषयों पर चर्चा की थी; और

(ख) इन चर्चाओं के क्या परिणाम निकले ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) दक्षिण एशियायी क्षेत्रीय सहयोग की स्थाई समिति के फरवरी 1985 में माले में हुए तीसरे अधिवेशन में जिन मुख्य विषयों पर विचार-विमर्श किया गया, वे थे—दक्षिण एशियायी क्षेत्रीय सहयोग के कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा तथा 1985 के अन्त में ढाका में होने वाले दक्षिण एशियायी क्षेत्रीय सहयोग के शिखर सम्मेलन की तैयारी। कार्यसूची में जो अन्य मुख्य विषय शामिल थे, वे हैं—वित्तीय व्यवस्थाओं की समीक्षा, सहयोग के नए क्षेत्रों का पता लगाना तथा विश्व की आर्थिक स्थिति की समीक्षा करना।

(ख) समिति ने दक्षिण एशियायी क्षेत्रीय सहयोग के कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में हुई प्रगति पर अपना संतोष जाहिर किया। इसने इस बात को दोहराया कि कार्यात्मक गतिविधियों तथा विशिष्ट परियोजनाओं को तैयार करने पर अधिक बल दिए जाने की आवश्यकता है। अनेक देशों ने दक्षिण एशियायी क्षेत्रीय सहयोग के कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए अतिरिक्त वित्तीय अंशदान देने की घोषणा की। समिति ने यह निर्णय किया कि मई 1985 में थिम्पू में इसके अगले अधिवेशन में गतिविधियों का एक संकलित कार्यक्रम तैयार किया जाएगा।

जहां तक दक्षिण एशियायी क्षेत्रीय सहयोग के शिखर सम्मेलन का संबंध है, समिति ने उस घोषणा/चार्टर की संभाव्य बातों पर प्राथमिक विचार विमर्श किया जिसे शिखर सम्मेलन द्वारा

स्वीकार किया जा सकता है और यह निर्णय किया कि वर्तमान अध्यक्ष (मालदीव) इस संबंध में और परामर्श करेंगे तथा विदेश मंत्रियों की थिम्पू में होने वाली अगली बैठक में उनके विचारार्थ एक संशोधित प्रारूप प्रस्तुत करेंगे।

समिति ने विश्व की आर्थिक स्थिति की समीक्षा की तथा बराबर चल रहे उस आर्थिक संकट पर अपनी गहरी चिन्ता व्यक्त की जिसका विशेषकर विकासशील देशों पर गहरा प्रभाव पड़ा है। इसने विकास के लिए मुद्रा और वित्त संबंधी अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाए जाने के आह्वान की बात पुनः दोहराई।

[हिन्दी]

हिन्दी सलाहकार समिति की बैठकें

2408. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की वर्ष 1984 में कितनी बैठकें हुई;

(ख) इन बैठकों में क्या संकल्प पारित किए गए; और

(ग) इन संकल्पों के क्रियान्वयन के संबंध में ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष इलैक्ट्रानिकी विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) दो, श्रीमान्।

(ख) निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किए गए थे :—

(1) वैज्ञानिक विषयों पर हिन्दी में मूल कृतियों के लेखन को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए विभाग पुरस्कार प्रदान करने की एक स्कीम शुरू करें।

(2) विभाग एक द्विभाषिक (अंग्रेजी/हिन्दी) वर्ड प्रोसेसर को खरीदें।

(3) विभाग में आयोजित बैठकों में हिन्दी के प्रयोग को प्रोत्साहन दिया जाए।

(4) विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति बैठकों के कार्यवृत्त और उन पर लिए गए निर्णय भी हिन्दी सलाहकार समिति के सदस्यों को भिजवाए जाएं।

(5) विभाग विज्ञान और प्रौद्योगिकी विषयों पर कोई भी विभागीय पत्रिका छपवायें, तो उसकी प्रतियाँ हिन्दी सलाहकार समिति के सदस्यों को भिजवाई जाएं।

(6) हिन्दी के सभी पदों को भरा जाए।

(7) रोजमर्रा के सरकारी कामकाज में हिन्दी के सरल शब्दों के प्रयोग को प्रोत्साहन दिया जाए।

(ग) उपर्युक्त मदों पर की गयी कार्रवाई नीचे क्रमानुसार दी गयी है :—

(1) वैज्ञानिक विषयों पर हिन्दी की मूल कृतियों के लेखन को प्रोत्साहन देने के लिए विभाग द्वारा उपयुक्त पुरस्कार प्रदान करने के लिए एक स्कीम तैयार की गयी है और इसे योजना आयोग, राजभाषा विभाग तथा अन्य वैज्ञानिक विभागों को उनके विचार प्रकट करने के लिए भिजवायी गयी है।

(2) द्विभाषिक वर्ड प्रोसेसर खरीदने की वांछनीयता पर विचार किया जाएगा, जब नयी

मशीन की आवश्यकता पड़ेगी।

(3) और (7). विभागीय बैठकों में और रोजमर्रा सरकारी कामकाज में हिन्दी और सरल हिन्दी के प्रयोग को पहले से ही प्रोत्साहित किया जा रहा है। परन्तु यह एक सतत प्रक्रिया है।

(4) और (5). इन प्रस्तावों को कार्यान्वित किया गया है।

(6) इस समय हिन्दी अनुवादक का केवल एक पद खाली है और इसे भरने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गयी है।

[हिन्दी]

पिथौरागढ़, बद्रीनाथ तथा केदारनाथ के लिये वायुदूत सेवाएं

2409. **श्री हरीश रावत :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान देश के कुछ दूरस्थ शहरों के लिए वायुदूत सेवा उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो क्या पिथौरागढ़, बद्रीनाथ तथा केदारनाथ आदि क्षेत्रों के लिए यह सुविधा उपलब्ध कराये जाने की संभावना है?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं। पिथोरागढ़, बद्रीनाथ और केदारनाथ को वायुदूत सेवाओं से जोड़ने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

हिन्द महासागर क्षेत्र में खनिज पदार्थ खोजने का अधिकार

2410. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्द महासागर क्षेत्र में खनिज पदार्थों की खोज करने के अधिकार के भारत के दावे को समुद्री कानून तैयार करने वाली समिति द्वारा मान्यता दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो खोज कार्य कब प्रारम्भ किया जायेगा?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष और इलेक्ट्रानिकी विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) भारत ने मध्य हिन्द महासागर में एक खनन-स्थल के पंजीकरण हेतु अन्तर्राष्ट्रीय समुद्र-तल प्राधिकरण के प्रारंभिक आयोग को आवेदन-पत्र दिया हुआ है।

(ख) फ्रांस, सोवियत रूस और जापान जैसे अन्य अग्रगामी निवेशक देशों के आवेदन-पत्रों के साथ-साथ भारत के आवेदन-पत्र की भी जांच की गई। हालांकि अन्य अग्रगामी निवेशक देशों के मामले में उनके संबंधित खनन स्थलों के समन्वयनों में यथेष्ट अतिव्याप्तियां पाई गई हैं, लेकिन भारत के मामले में ऐसी कोई अतिव्याप्ति नहीं पाई गई है। ऐसी संभावना है कि ज्यों ही नियमों और क्रिया-विधियों को पूर्णतया तैयार कर लिया जाएगा, भारत के आवेदन-पत्र के पंजीकरण को अन्तिम रूप

दिया जाएगा। इसके बाद, भारत अपने नाम में पंजीकृत खनन-स्थल में विस्तृत खोज-कार्य प्रारम्भ करेगा।

भारतीय पर्यावरण सोसायटी को आर्थिक अनुदान

2411. **श्री बी० के० गढ़वी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूतपूर्व पर्यावरण विभाग और अब पर्यावरण और वन मंत्रालय ने भारतीय पर्यावरण सोसायटी को कुल कितनी राशि के आर्थिक अनुदान दिए हैं;

(ख) क्या भारतीय पर्यावरण सोसायटी ने विभाग में अनुदान मंजूर करने वाले अधिकारियों को कोई पर्यावरण सम्बन्धी पुरस्कार प्रदान किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीर सेन) : (क) से (ग). भारतीय पर्यावरणीय सोसायटी को 1980 से 1985 तक दिए गए कुल अनुदान की राशि 3, 73, 000/ -रुपये है। ये अनुदान इनके लिये दिये गये—

(I) "ट्रीज एण्ड फौरेस्ट" पर सामग्री की हिन्दी अंग्रेजी सामग्री प्रकाशित करने;

(II) विश्व पर्यावरण दिवस समारोह, विद्यालय पोस्टर प्रतियोगिता तथा प्रदर्शनी; .

(III) उच्च पर्यावरणीय शिक्षा पर राष्ट्रीय संगोष्ठी, कार्यवाहियों का प्रकाशन इत्यादि;

(IV) जैव मंडल स्थिरता पर क्षेत्रीय सम्मेलन;

(V) दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के लिए क्षेत्रीय जन संचार सम्मेलन;

(VI) केन्द्रीय तथा दक्षिण एशियाई देशों के लिये क्षेत्रीय मानव तथा जैवमंडल (एम. ए. बी.) कार्यशालाएं;

(VII) पर्यावरणीय शिक्षा पर अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन, तथा

(VIII) ग्रामीण युवा प्रशिक्षण पर एक पर्यावरणीय शिक्षा परियोजना।

2. भारतीय पर्यावरणीय सोसायटी ने एक वार्षिक पुरस्कार चलाया है—पर्यावरणीय विज्ञानों के लिए रामदेव पदक। यह विशिष्ट वैज्ञानिकों,प्रशासकों को उनके व्यक्तिगत क्षमता में पर्यावरणीय विज्ञानों में उनके सहयोग की मान्यता में दिया जाता है। साधारणतया पुरस्कार वास्तविक प्रस्तुतिकरण के एक वर्ष पहले निश्चित किए जाते हैं।

वर्ष	किसको पुरस्कृत किया गया	क्षेत्र
1980	डा० माइकल सी० रौयस्टन संकाय सदस्य, अन्तर्राष्ट्रीय प्रबन्ध शिक्षा के लिए पर्यावरणीय प्रबन्ध केन्द्र, जनेवा।	पर्यावरण प्रभाव/प्रबन्ध
1981	पुरस्कृत नहीं किया गया	

वर्ष	किसको पुरस्कृत किया गया	क्षेत्र
1982	डा० एम० एस० स्वामीनाथन, महानिदेशक अन्तर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, फिलिपाईन्स, मनीला।	कृषि एवं पर्यावरण
1983	डा० टी० एन० खुशू सचिव पर्यावरण विभाग नई दिल्ली।	पर्यावरण को पौधों एवं प्रबन्ध से उर्जा
1984	डा० मुस्तफा तोल्वा कार्यकारी निदेशक, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरणीय कार्यक्रम, नैरोबी।	पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार

रेनीगुन्टा हवाई अड्डे के धावन पथ (रनवे) सुविधाओं के विस्तार का प्रस्ताव

2412. **श्रीमती एन० पी० झांसी लक्ष्मी** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन के लिए आने वाले पर्यटकों के राष्ट्रीय महत्व को ध्यान में रखते हुए रेनीगुंटा हवाई अड्डे पर बोइंग विमानों को उतरने तथा रात्रि सेवाओं के लिए धावन पथ सुविधाओं का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख). सातवीं योजना की अवधि में रेनीगुंटा (तिरुपति) हवाई अड्डे पर धावनपथ का विस्तार करने और उसे सुदृढ़ करने का प्रस्ताव है ताकि इसे दिन के समय बोइंग-737 विमान के लिए उपयुक्त बनाया जा सके।

भारत में इन्टरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एजेंसी (आई० ए० टी० ए०) के अन्तर्गत पंजीकृत ट्रेवल ऐजेन्सियां

2413. **श्री सुरेश कुरुप** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कुल कितनी ट्रेवल ऐजेन्सियाँ हैं :

(ख) उनमें से इन्टरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट ऐजेन्सी (आई० ए० टी० ए०) के अन्तर्गत कितनी ट्रेवल ऐजेंसियां पंजीकृत हैं;

(ग) क्या सरकार की ओर से उन ट्रेवल ऐजेंसियों को दी गई मंजूरी निरस्त करने का कोई

प्रस्ताव है जो आई० ए० टी० ए० के अन्तर्गत पंजीकृत नहीं हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख). पर्यटन विभाग द्वारा रखे जाने वाले रिकार्डस के अनुसार, 165 यात्रा अभिकरणों (ट्रैवल ऐजेंसियों) को पर्यटन विभाग ने मान्यता प्रदान की है। इनमें से सभी इन्टरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट ऐजेंसी (आई०ए० टी० ए०) के साथ पंजीकृत है।

(ग) और (घ). विभाग द्वारा अपनाई जा रही नीति के अधीन किसी भी ट्रेवल एजेंसी को मान्यता प्रदान करने के लिए इन्टरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट ऐजेंसी (आई० ए० टी० ए०) के साथ पंजीकरण कराना एक शर्त है।

सीमा-पार से परमाणु खतरा

2414. **डा० कृपासिन्धु भोई** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत परमाणु हथियार न रखने वाले उन चार "ताकतवर" देशों में गिना जाता है, जो अब से 10 वर्ष के भीतर परमाणु शस्त्रों के निर्माण की "कुछ" क्षमता रखते हैं;

(ख) क्या सीमा-पार से परमाणु खतरे को देखते हुए निकट भविष्य में परमाणु शस्त्रों का भण्डार जमा करने की वांछनीयता पर विचार किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो किसी भी संभावित खतरे का मुकाबला करने के लिए अपनी सेनाओं को पूर्णरूप से सज्जित रखने के लिए क्या उपाय किए गए हैं अथवा करने का विचार है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष और इलेक्ट्रोनिक्स विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) क्योंकि भारत का विश्वास परमाणु हथियारों में नहीं है इसलिए भारत की गणना परमाणु हथियार न रखने वाले उन देशों में करने का प्रश्न ही नहीं उठता जिनके बारे में परमाणु हथियार बनाने में सक्षम होने का अनुमान लगाया गया है।

(ख) सरकार की नीति को ध्यान में रखते हुए, यह प्रश्न उठता ही नहीं।

(ग) देश की सुरक्षा को कायम रखने और किसी भी परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए समुचित तथा आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

राज्यों को प्रदूषण नियन्त्रण हेतु केन्द्रीय सहायता

2415. **डा० जी० विजय रामा राव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न सरकारी औद्योगिक एस्टेटों में वातावरण और जल प्रदूषण के नियन्त्रण हेतु क्या निवारक उपाय किए हैं;

(ख) क्या राज्य सरकारों को इस सम्बन्ध में कोई वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रयोजन हेतु राज्यवार आबंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वीर सेन) : (क) जल (निवारण एवं प्रदूषण नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा वायु (निवारण एवं प्रदूषण नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के अनुसार प्रदूषण के निवारण एवं नियन्त्रण के लिए राज्य अपने राज्य बोर्डों के द्वारा सरकारी औद्योगिक क्षेत्रों मे प्रदूषण समस्याओं को सम्मिलित करते हुए वातावरणीय तथा जल प्रदूषण दोनों को नियन्त्रित करने के लिए आवश्यक कदम उठा रहे हैं। राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्डों से यह अनुरोध किया गया है कि वे सम्बन्धित औद्योगिक विकास अभिकरणों से औद्योगिक क्षेत्रों में सार्वजनिक अपशिष्ट जल उपचार सुविधाएं प्रदान करने के लिए उपयुक्त कदम उठाये।

(ख) और (ग). जी, नहीं।

अरुणाचल प्रदेश में बर्मा के विद्रोही

2416. **श्री वांगफा लोवांग** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बर्मा के विद्रोही अरुणाचल प्रदेश के तिरप जिले में चोरी छिपे घुस कर निर्दोष ग्रामीणों की हत्या करते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने बर्मा के विद्रोहियों के प्रवेश को रोकने और ग्रामीणों को सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) बर्मा क्षेत्र में अपने ठिकानों से संचालन कर रहे नागालैंड की राष्ट्रीय समाजवादी परिषद (एन० एस० सी० एन०) के भूमिगत नागा अरुणाचल प्रदेश के तिरप जिले में आक्रमण करते रहे हैं। 1984 के दौरान उन्होंने तिरप जिले में दो व्यक्ति मारे।

(ख) 12-4-1984 को नागालेंड की राष्ट्रीय समाजवादी परिषद (एन० एस० सी० एन०) के भूमिगत नागाओं ने लोंगपोंग ग्राम के प्रधान पर आक्रमण किया और गोली मार कर हत्या कर दी।

12-6-1984 को तिरप जिले में नामपोंग सर्कल के अन्तर्गत एक गांव की अंचल समिति के एक सदस्य की तीन अज्ञात बदमाशों द्वारा, जिनके एन० एस० सी० एन० भूमिगत नागा होने का संदेह था, हत्या की गई।

(ग) जिला अधिकारियों से सीमावर्ती गांवों का बार-बार दौरा करने के लिए कहा गया है ताकि इस क्षेत्र में फिर से विश्वास पैदा किया जा सके। सम्पूर्ण आसूचना तन्त्र को सशक्त बनाने के भी कदम उठाए गये हैं। बर्मा सीमा पर गश्त बढ़ा दी गई है।

आन्ध्र प्रदेश में कुडप्पा तथा तिरुपति से नई दिल्ली तक विमान सेवा

2417. **श्री के० रामचन्द्र रेड्डी** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आन्ध्र प्रदेश में कुडप्पा और तिरुपति से नई दिल्ली तक विमान सेवा प्रारम्भ करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस प्रस्ताव को कब तक कार्यान्वित किया जाएगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी, नहीं। तथापि हाल ही में कुडप्पा और तिरुपति को हैदराबाद से वायुदूत सेवाओं द्वारा जोड़ा गया है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

विमान किरायों में जोड़े जाने वाले ईंधन प्रभार को समाप्त किया जाना

2418. **श्री विनेश सिंह** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या विश्व बाजार में पेट्रोलियम की कीमतों में कमी को ध्यान में रखकर विमान किरायों में जोड़े जाने वाले ईंधन प्रभार को अब समाप्त किया जायेगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : देश में इस समय जिस मूल्य पर विमानन टर्बाइन ईंधन उपलब्ध है। उसमें कोई कमी नहीं हुई है। इसलिए इंडियन एयरलाइन्स के किरायों के एक भाग के रूप में ईंधन अधिप्रभार को समाप्त करने का प्रश्न ही नहीं है।

"फैमिली पंजिका" शुरू किया जाना

2419. **श्री अनादि चरण दास** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति की सिफारिश के अनुसार अब तक कितने राज्यों में 'फैमिली पंजिका' शुरू की गई है; और

(ख) शेष राज्यों में "फैमिली पंजिका" कब तक शुरू किये जाने की सम्भावना है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) और (ख). "विकास पत्रिका" नामक पहचान एवं प्रबोधन कार्ड, कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्रालय में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा ऐकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए सभी राज्य सरकारों द्वारा अपनाये जाने के लिए शुरू की गई थी। बड़ी संख्या में राज्यों ने विकास पत्रिका को या तो शुरू कर दिया है या वे इसे शुरू करने के तरीकों का निर्धारण कार्य कर रहे हैं।

[हिन्दी]

इन्दौर में इलैक्ट्रॉनिक जाँच तथा विकास केन्द्र

2420. **श्री महेन्द्र सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश लघु क्षेत्र में स्थापित किए जाने वाले इलेक्ट्रोनिक उद्योगों की जाँच सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए इन्दौर में एक इलैक्ट्रॉनिक जाँच तथा विकास केन्द्र की स्थापना के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भेजा गया प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के पास लम्बित है, और यदि हां, तो कब से और इस पर कब तक निर्णय ले लिया जायेगा ; और

(ख) क्या मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इन्दौर में स्थापित किये जाने वाले प्रस्तावित इलेक्ट्रॉनिक उद्योग समूह के लिए प्रस्तावित लघु उद्योग एककों हेतु आवेदन-पत्र केन्द्रीय सरकार के पास स्वीकृति के लिए लम्बित पड़े हैं; और यदि हां, तो कब से और उन पर कब तक निर्णय ले लिया जायेगा ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और इलेक्ट्रॉनिकी विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

आई० एन० ए० के शहीदों की याद में मणिपुर में एक अतिथिगृह

2421. **प्रो० मिजिनलंग कामसन** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मणिपुर सरकार ने आइ० एन० ए० के शहीदों की याद में 44 लाख रुपये की अनुमानित लागत से एक अतिथि गृह की स्थापना हेतु केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख). मणिपुर सरकार ने मोइरंग में आइ० एन० ए० कम्पलेक्स के लिए 18.50 लाख रुपए की अनुमानित लागत पर एक अतिथि-गृह के लिए एक संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। प्रस्ताव विचाराधीन है।

"सफारी" उद्यानों की स्थापना करना

2422. **श्री राधाकान्त डिगाल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विभिन्न स्थानों पर कितने "सैफारी" उद्यान स्थापित किए गए हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार उड़ीसा में शेर के मौजूदा "सफारी" उद्यानों का विस्तार करने का है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या विशेष उपाय किए जाने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीर सेन): (क) उपलब्ध जानकारी के अनुसार देश में निम्नलिखित स्थानों पर शेर "सफारी" उद्यान स्थापित किए गए हैं :

(1) हैदराबाद, आंध्र प्रदेश

(2) बन्नारघाटा, कर्नाटक

(3) नन्दन कानन, उड़ीसा

(4) बोरीविली, महाराष्ट्र

(5) चतबीर, पंजाब

(6) गिर, गुजरात (निर्माणाधीन)

(ख) और (ग). उड़ीसा के नन्दनकानन में स्थित शेर "सफारी" उद्यान का विस्तार करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, आन्तरिक सड़क प्रणाली में सुधार करने के बारे में विचार किया जा रहा है।

हरिजन और गिरिजन परियोजना को अधिक व्यवहार्य बनाने के लिए सहायता

2423. **डा० के० जी० आदियोडी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार समय अनुसूची पूर्ण आवंटन व्यय करने के पश्चात भी केरल

के वायनाड, अटटापडी और इदुकी जैसे स्थानों में हरिजन और गिरिजन परियोजना को अधिक व्यवहार्य बनाने के लिए अतिरिक्त सहायता देना है; और

(ख) क्या भविष्य में अन्य समस्याओं से बचने के लिए परियोजनाओं के संबंध में मूल्यांकन अध्ययन कराने का कोई विचार है;

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) गृह मंत्रालय अनुसूचित जातियों के विकास के लिए विशेष कम्पोनेंट योजना और जनजातीय व्यक्तियों के विकास के लिए जनजातीय उपयोजना के लिए केवल सरकार को विशेष केन्द्रीय सहायता की स्वीकृति देता है। इसके अतिरिक्त राज्य योजना की धनराशियां भी खर्च की जाती हैं । आरंभ की गई योजनाओं में भिन्न भिन्न क्षेत्र जैसे कृषि, सहकारिता, शिक्षा, लघु सिंचाई, ग्राम कुटीर और लघु उद्योग शामिल हैं। मंत्रालय को ऐसी किसी परियोजना की जानकारी नहीं है जो पूरा आबंटन खर्च करने के पश्चात भी व्यवहार्य नहीं बना हो।

(ख) केरल जनजाति अनुसंधान संस्थान ने समेकित जनजाति विकास परियोजना अटटापडी का मूल्यांकन किया है और बालबाडियों तथा नर्सरी योजनाओं और आवास जैसी कुछ चुनी हुई योजनाओं के अतिरिक्त समेकित जनजातीय विकास परियोजना इदुकी का मूल्यांकन करने का प्रस्ताव है।

दिल्ली और अन्य स्थानों पर हुई हिंसक घटनाओं की न्यायिक जांच

2424. **श्री एस० एम० भटटम :**

श्री वसुदेव आचार्य :

श्री पियूष तिरकी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या के बाद दिल्ली और अन्य स्थानों पर हुई हिंसक घटनाओं की व्यापक जांच कराने का है;

(ख) क्या यह बात सच है कि पत्रिका "सन्डे" में प्रकाशित प्रधानमंत्री के साथ प्रेस इंटरव्यू में उक्त संभावना का संकेत दिया गया था; और

(ग) इस संबंध में सरकार का क्या रवैया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (ग). न्यायिक जांच कराने का मामला सरकार के विचाराधीन है।

1861 के पुलिस अधिनियम को बदलने का प्रस्ताव

2425. **श्री टी० बशीर** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय पुलिस आयोग द्वारा 1861 के पुलिस अधिनियम को बदलने के लिए कोई सिफारिश का प्रस्ताव किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) और (ख). राष्ट्रीय पुलिस आयोग जिसकी स्थापना देश में पुलिस प्रशासन में सुधार करने हेतु सिफारिश करने के लिए की गई

थी, ने एक पुलिस बिल तैयार किया है जिसमें पुलिस बलों के कर्त्तव्यों, शक्तियों के पुन: व्यवस्थिकरण के उपबन्ध हैं। पुलिस विधेयक के मसौदे का ब्यौरा आयोग की आठवीं रिपोर्ट में दिया गया है। आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की प्रतियां दिनांक 30-3-83 को सभा पटल पर रखी जा चुकी हैं। राज्य सरकारों को उचित कार्रवाई करने के लिए प्रतियां भेजी गई हैं। राज्य सरकारों को पुलिस विधेयक मसौदे पर अपने विचार भेजने के लिए अनुरोध किया गया है।

केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-1 के लिये चयन सूची में अधिकारियों को शामिल करना

2426. **श्री शान्ति धारीवाल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सचिवालय सेवा की ग्रेड-1 के लिए वर्ष 1979, 1980 और 1981 की चयन सूचियों में शामिल करने हेतु अधिकारियों की संख्या कितनी है; जैसा कि केन्द्रीय सचिवालय सेवा (ग्रेड-1) और चयन ग्रेड में पदोन्नति विनियम, 1984 के विनियम 3 के अंतर्गत निर्धारित किया गया है;

(ख) उक्त चयन सूचियों में शामिल किये गए अधिकार की वास्तविक संख्या कितनी है;

(ग) यदि उसमें कोई कमी है तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस अंतर को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) और (ख). वर्ष 1979, 1980 और 1981 के लिए केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-1 की चयन सूचियों की पद संख्या तथा इन्हीं वर्षों से सम्बन्धित चयन सूचियों में वास्तव में शामिल किए गये अधिकारियों की संख्या नीचे दर्शायी गई है—

चयन सूची का वर्ष	चयन सूची की पद संख्या	चयन सूची में शामिल किए गये अधिकारियों की संख्या
1979	148	148
1980	142	143
1981	123	122

(ग) एक अधिकारी, जिसका मामला मोहरबन्द लिफाफे में रखा गया था उसका नाम वर्ष 1979, 1980 और 1981 की पात्रता सूची में था। जब मोहर बन्द लिफाफे को खोला गया तो उसका नाम उसकी वरिष्ठता के आधार पर वर्ष 1980 की चयन सूची में शामिल कर लिया गया। वर्ष 1980 की चयन सूची में वस्तुत: शामिल किए गए अधिकारियों की संख्या में जो एक की वृद्धि हुई और वर्ष 1981 की चयन सूची में जो एक की कमी हुई, उसका कारण यही है।

(घ) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश में एक रहस्यमय संगठन का पता लगाया जाना

2427. श्री मोहम्मद महफूज अली खां :

श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 20 फरवरी, 1985 से टाइम्स आफ इंडिया में उत्तर प्रदेश में समानांतर सरकार चलाने का दावा करने वाले एक रहस्यमय संगठन का पता लगाए जाने के संबंध में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ग) उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, समानान्तर सरकार चलाने के उद्देश्य से 'कर्मबीर राम राज्य भारत सोसायटी समिति' के नाम के एक संगठन का कानपुर जिले में पता लगा है। उक्त संगठन का तथाकथित 'प्रधान अध्यक्ष' एक व्यक्ति बेनीराम यादव सपुत्र श्री विशाल यादव, निवासी गांव हृदयपुर, थाना बिधंनु जिला कानपुर बताया जाता है। जब जिला कानपुर में बिधंनु स्थित संगठन के मुख्यालय पर पुलिस द्वारा छापा मारा गया तो अन्य चीजों के साथ-साथ वर्दियां, उपकरण, मुहरें, दस्तावेज, गिरफ्तारी वारंट के नोटिस आदि बरामद किए गए। यह मालूम हुआ होता है कि संगठनकर्त्ताओं का उद्देश्य कथित समानान्तर सरकार के अधीन विभिन्न पदों पर सामान्य व्यक्तियों की नियुक्ति के लिए उनसे धन ऐंठना था। एक मामला दर्ज किया गया है और बेनीराम यादव सहित 6 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं। जांच पड़ताल की जा रही है।

भारतीय सिविल सेवा और इंजीनियरी परीक्षाओं में रसायन-इंजीनियरी विषय का शामिल किया जाना

2428. श्री लक्ष्मण मलिक : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रशासनिक सेवा परीक्षा के लिए वैकल्पिक विषयों में रसायन इंजीनियरी शामिल नहीं है, हालांकि सिविल इंजीनियरी और विद्युत इंजीनियरी को शामिल किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इसे भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा इंजीनियरी सेवा परीक्षाओं, दोनों में शामिल करने का है, जैसाकि भारतीय वन सेवा परीक्षा के मामले में किया गया है ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्यमंत्री : (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) और (ख). सिविल सेवा (प्रारम्भिक और मुख्य) परीक्षा के ऐच्छिक विषयों की सूची में रसायनिक इंजीनियरी सम्मिलित नहीं की गई है, जबकि सिविल सेवा (प्रारम्भिक और मुख्य) परीक्षा के ऐच्छिक विषयों की सूची में सिविल मकैनिकल और विद्युत इंजीनियरी के विषयों को शामिल किया गया है। सिविल सेवा परीक्षा की वर्तमान योजना मुख्यतः डा० डी० एस० कोठारी की अध्यक्षता वाली भर्ती नीति और चयन पद्धतियों संबंधी समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। इस समिति ने युक्त योजना में सम्मिलित किये जाने वाले ऐच्छिक विषयों के बारे में भी सिफारिश की थी। ऐच्छिक विषयों की सूची तैयार करते समय समिति ने निम्नलिखित विचार व्यक्त किए थे :—

"....प्रारम्भिक और मुख्य दोनों परीक्षाओं के लिए यह सूची इतनी सीमित नहीं होनी चाहिए जिससे इसमें बैठने वाले उम्मीदवारों को विषय चुनने में ही कठिनाई हो। इसके विपरीत, अगर सूची काफी लम्बी हो गई तो भी स्तर में एकरूपता बनाए रखना सम्भव नहीं हो सकेगा। इसके अलावा जब वैकल्पिक विषयों की सूची काफी लम्बी हो जाती है तो विभिन्न विषयों में बैठने वालों की संख्या बहुत कम हो जाती है। इसका नतीजा यह होता है कि एक ही परीक्षा अनेक अलग-अलग परीक्षाओं में विभाजित हो जाती है। इसलिए जिन विषयों में प्रतियोगी उम्मीदवारों की संख्या अपेक्षाकृत कम हो जाती है, अगर इसके विपरीत कोई सबल कारण न हो तो उनको पाठ्यक्रम में रखना नहीं चाहिए। यह स्पष्ट है कि सिविल सेवा परीक्षा में वैकल्पिक विषयों का निर्धारण करने के लिए कोई निश्चित मापदंड नहीं हो सकता। हमने मुख्य परीक्षा में अधिक सामान्य विषयों में से लगभग सभी को सम्मिलित करने का प्रयत्न किया है—केवल उन्हीं विषयों को छोड़कर जो विशेष रूप से व्यावसायिक या प्राविधिक होते हैं। विभिन्न सेवाओं की सामान्य आवश्यकताओं को भी हमने दृष्टि में रखा है।

यह तो स्वाभाविक है कि इस प्रकार की सूची बनाने में अनेक परस्पर विरोधी आवश्यकताओं और अवरोधों के बीच में समझौता करना पड़ता है।"

यह देखा जाएगा कि कोठारी समिति ने "रसायनिक इंजीनियरी को अधिक 'सामान्य' विषयों में से एक विषय नहीं समझा था और यही कारण है कि इस समिति ने इस विषय को ऐच्छिक विषयों की सूची में शामिल नहीं किया था। ऐच्छिक विषयों की सूची के संबंध में कोठारी समिति की सिफारिशों को सरकार ने 1978 में स्वीकार कर लिया था। 'रसायनिक इंजीनियरी' के विषय के संबंध में इसके बाद कोई पुनरीक्षा नहीं की गई थी।

सिविल सेवा परीक्षा के ऐच्छिक विषयों की सूची में 'रसायनिक इंजीनियरी' को शामिल करने से संबंधित कोई भी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

2. इंजीनियरी सेवा परीक्षा संघ लोक सेवा आयोग द्वारा सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में समूह 'क' और समूह 'ख' इंजीनियरी पदों में भर्ती करने के लिये केवल चार विषयों में अर्थात् सिविल मैकेनिकल, विद्युत और इलैक्ट्रानिक तथा दूर सचार इंजीनियरी में आयोजित की जाती है। अतः परीक्षा की चार विषयोन्मुखी योजनाएं तैयार की गई हैं और इनमें कोई ऐच्छिक विषय विद्यमान नहीं है। चूंकि रसायनिक इंजीनियरी अपने आप में एक अलग ही विषय है अतः इसे इंजीनियरी सेवा परीक्षा की वर्तमान योजना में शामिल नहीं किया जा सकता।

हिमाचल प्रदेश में यूरेनियम वाले स्थानों की खुदाई

2430. **प्रो० नारायण चन्द पराशर :**

श्री के० डी० सुल्तानपुरी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आणविक ऊर्जा विभाग हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर और कुछ अन्य जगहों में यूरेनियम का पता लगाने के लिए खुदाई का काम करवा रहा है;

(ख) यदि हां, तो उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां पर खुदाई का काम चल रहा है और खुदाई का काम किन तारीखों से शुरू किया गया है; और

(ग) अब तक किये गए खोज कार्य के परिणाम क्या निकले हैं और वहां पर उक्त काम कब तक चलाये जाने की संभावना है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और इलेक्ट्रोनिक्स विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख)	काम कब शुरू किया गया	
(i) अस्टोधा, जिला हमीरपुर	16-8-1977	काम 24-9-1984 को बंद कर दिया गया
(ii) रूया, जिला हमीरपुर	25-12-1984	काम चल रहा है

(ग) अस्टोधा में खनन करने से शिवालिक की चट्टानों में यूरेनियम के खनिजीकरण के अधःस्तलीय स्वभाव के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। रूया मे खनन-कार्य शुरू ही हुआ है तथा उसके और 3 से 4 वर्ष तक चलने की संभावना है।

वन क्षेत्र का ह्रास

2431. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 18 मार्च, 1985 के इकानोमिक टाइम्स में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें कहा गया है कि स्वतंत्रता के बाद से वन क्षेत्र निरन्तर घट रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस प्रक्रिया को रोकने के लिए तुरन्त कदम उठाने और सातवीं पंचवर्षीय योजना में हरे-भरे वन क्षेत्र में पर्याप्त वृद्धि सुनिश्चित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो संबंधित राज्यों के सहयोग से इस प्रयोजन के लिए किस प्रकार के कदम उठाये जाने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीर सेन) : (क) जी हां।

(ख) राष्ट्रीय सुदूर सेंसिंग एजेंसी द्वारा एकत्र किए गए आंकड़ों से पता चलता कि 1972-75 तथा 1980-82 के बीच समूचे देश में लगभग 18.74 प्रतिशत वन क्षेत्र को हानि हुई है। राष्ट्रीय सुदूर सेंसिंग एजेंसी के अनुमानों का विश्लेषण किया जा रहा है। और उनके अनुमानों में गलती की मात्रा ज्ञात करने के लिए उन्हें परिष्कृत किया जा रहा है। इन उपायों में नमूना विश्लेषण भूमि की जांच शामिल है।

(ग) और (घ). देश के वनों के, संरक्षण तथा विकास के लिए निम्नलिखित उपाए किए गए हैं :—

(1) वन भूमि के गैर-वन भूमि के रूप में अन्धाधुंध उपयोग किए जाने को रोकने के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 बनाया गया है।

(2) वनों के कार्यकरण के लिए कार्यकारी (प्रबन्ध) योजनायें तैयार करने और क्षेत्र स्तर पर

प्रवर्तन तंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए राज्यों और संघ क्षेत्रों को मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए गए हैं।

(3) वन संरक्षण के पक्ष में आवश्यक बल प्रदान करने तथा इस प्रयोजन के लिए विशाल जन आन्दोलन शुरू करने के लिए राष्ट्रीय वन नीति की समीक्षा की जा रही है।

(4) वनों पर दबाव कम करने हेतु, विशेष रूप से प्रति स्थापनी सामग्रियों के उपयोग को प्रोत्साहन देकर पद्धतियां तैयार करने की दृष्टि से गहन अध्ययन किया जा रहा है।

(5) हमारे वन संसाधनों पर दबाव कम करने के उपाय के रूप में 1985-86 के बजट में आयातित लुगदी और लकड़ी के टुकड़ों को पूर्णतः कर मुक्त करने और सभी उपभोक्ता उद्योगों को इस रियायत को देने का प्रस्ताव है। कुछ विशिष्ट रूपों में लकड़ी पर 100 प्रतिशत सीमा शुल्क के वर्तमान स्तर से घटाकर यथा मूल्य 10 प्रतिशत किए जाने का भी प्रस्ताव है।

(6) ईंधन तथा चारा वृक्षारोपण के तहत, प्रत्येक वर्ष विशेष रूप से लगभग 50 लाख हैक्टार भूमि लाने के उद्देश्य से एक वृहत वृक्षारोपण कार्यक्रम शुरू किया गया है।

विलम्ब से बचने के लिए सेवा नियमों में संशोधन करना

2432. प्रो० नारायण चन्द पराशर : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार प्रशासन को सुव्यवस्थित करने के लिए सरकारी कार्यालयों में विभिन्न स्तरों पर फैसले लेने उन्हें क्रियान्वित करने में होने वाले अत्यधिक विलम्ब के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में विचार के लिये रखे गये प्रस्ताव किस किस्म के हैं और क्या विलम्ब को एक दोष समझा जायेगा;

(ग) क्या इसके लिये सेवा नियमों अथवा संविधान में कोई संशोधन करने पर भी विचार हो रहा है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त संशोधन किस किस्म का होगा और वह कितना व्यापक होगा तथा इस काम पर कितना समय लगने की सम्भावना है?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) से (घ). सरकारी कर्मचारियों पर लागू होने वाले विभिन्न आचरण नियमों के उपबन्धों के अनुसार, वे हमेशा कर्त्तव्यनिष्ठा बनाए रखेंगे। अतः फैसले लेने/फैसले को कार्यान्वित करने में अत्यधिक विलम्ब एक प्रकार का कदाचार है तथा अनुशासनिक प्राधिकारी दोषी सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध, इस सम्बन्ध में निर्धारित नियमों के अनुसार कार्रवाई कर सकते हैं। अतः सरकार सेवा नियमों में कोई संशोधन करने का विचार नहीं रखती। सरकार, प्रक्रिया में सुधार लाने तथा समुचित स्तरों पर शक्तियों के अधिकाधिक प्रत्यायोजन के लिए निरन्तर लगी हुई है ताकि फैसले लेने/फैसले को कार्यान्वित करने में देरी को कम किया जा सके।

पर्यटक/यूथ होस्टलों का निर्माण

2433. प्रो० नारायण चन्द पराशर : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटन विभाग और भारत पर्यटन विकास निगम अन्तर्राष्ट्रीय युवा वर्ष, 1985 की गतिविधियों के भाग के रूप में युवकों को पर्यटन और यात्रा के लिए बढ़ावा देने हेतु राज्यों में प्रतिरूपी विभागों के सहयोग से सभी जिला मुख्यालयों, विश्वविद्यालय परिसरों में पर्यटक/यूथ होस्टलों के निर्माण के लिये कोई कार्यक्रम शुरू करेगा;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तैयार किये गये कार्यक्रम की संक्षिप्त रूप रेखा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना में देश में पर्यटन को बढ़ावा देने संबंधी नीति के रूप में कोई ऐसा व्यापक कार्यक्रम शामिल किया जायेगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) से (ग). छठी पंचवर्षीय योजना तक पर्यटन विभाग ने देश के विभिन्न भागों में 18 युवा होस्टलों का निर्माण कराया था; 10 (दस) और युवा होस्टल निर्माण की विभिन्न अवस्थाओं में हैं और वर्ष 1985 के दौरान इनके पूर्ण हो जाने की संभावना है। ये सभी परियोजनाएं संबंधित राज्य सरकारों के सहयोग से चलाई गई थीं। भारत पर्यटन विकास निगम के पास युवा होस्टलों के निर्माण के लिये कोई विशिष्ट स्कीम नहीं है।

अब पर्यटन विभाग देश में पर्यटकों की अभिरुचि के स्थानों पर बजट पर्यटकों को आवास उपलब्ध कराने के लिए संबंधित राज्य सरकारों के सहयोग से यात्री निवासों के निर्माण की एक स्कीम पर विचार कर रहा है। इससे नवयुवकों के बीच यात्रा-संवर्धन करने में मदद मिलेगी।

जनजाति-उप-योजना क्षेत्रों को केन्द्रीय सहायता

2434. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवीं और छठी पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों को जन जाति उप-योजना क्षेत्रों के लिए वर्ष-वार और राज्य-वार कितनी विशेष केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई;

(ख) पांचवीं और छठी योजना के दौरान उप-योजना क्षेत्रों के लिए राज्यों द्वारा कितनी धनराशि दी गई;

(ग) क्या विशेष केन्द्रीय सहायता के सन्दर्भ और उद्देश्य पूरे हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) बराबर की राशि के अनुदान को बदलकर विशेष केन्द्रीय सहायता की व्यवस्था लागू करने के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) 1974-75 से 1978-79 तक और 1980-81 से 1984-85 तक राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को दी गयी विशेष केन्द्रीय सहायता के राज्यवार और वर्ष बार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) पाचवीं योजना (1974-79) के दौरान राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों ने जनजाति उप-योजना क्षेत्रों के लिए लगभग 760 करोड़ रु० और छठी योजना अवधि के लिए उन्होंने लगभग 3550 करोड़ रु० की धन राशियां दीं।

(ग) और (घ). समेकित जनजाति विकास परियोजनाओं में जनजातीय उप-योजना कार्य-

विवरण

जन-जातीय उप-योजना दी गई विशेष केन्द्रीय सहायता (रु० लाखों में)

		1974-75	1975-76	1976-77	1977-78	1978-79	1980-81	1981-82	1982-83	1983-84	1984-85
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आन्ध्र प्रदेश	39.00	123.00	194.75	285.25	283.00	337.22	383.00	428.41	511.52	589.40
2.	असम	24.00	100.00	203.00	257.00	325.00	319.01	367.00	411.00	477.33	539.58
3.	बिहार	56.00	281.00	614.00	807.50	994.90	973.98	1212.28	1349.28	1566.69	1832.47
4.	गुजरात	44.00	200.00	326.00	473.10	624.70	568.64	718.26	798.26	908.26	1087.62
5.	हिमाचल प्रदेश	—	31.00	68.00	90.00	150.00	81.22	121.94	140.20	158.27	200.51
6.	कर्नाटक	2.50	10.00	20.00	24.00	28.00	17.17	61.00	68.00	77.98	122.61
7.	केरल	2.50	15.00	26.00	25.00	26.00	57.00	48.00	56.00	62.51	64.01
8.	मध्य प्रदेश	57.00	506.00	1097.00	1554.25	1922.80	1923.51	2412.83	2677.83	3104.95	3652.52
9.	महाराष्ट्र	30.00	104.00	231.00	378.25	528.00	544.16	578.67	646.00	758.75	799.33
10.	मणिपुर	—	43.00	90.00	128.00	177.00	112.05	150.00	171.00	197.09	238.94
11.	उड़ीसा	86.00	292.00	537.00	770.15	1033.00	886.45	1166.42	1344.42	1495.89	1763.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.	राजस्थान	50.00	150.00	246.25	298.10	388.50	516.49	590.79	636.79	722.12	839.30
13.	सिक्किम		—	—	—	—	10.00	22.00	25.00	29.17	37.17
14.	तमिलनाडु	2.50	12.00	44.00	45.00	54.00	80.87	95.00	105.00	121.88	135.41
15.	त्रिपुरा	11.00	36.00	68.40	96 40	115.00	130.58	142.00	159.00	181.92	199.34
16.	उत्तर प्रदेश	1.00	5.00	11.00	15.00	18.00	19.07	14.81	17.81	24.39	26.00
17.	पश्चिम बंगाल	25.00	72.00	149.00	225.00	268.00	364.58	376.00	421.00	500.08	524.60
18.	अ० नि० द्वीप	—	20.00	17.00	1[illegible].00	43.00	14.00	16.53	40.00	95.00	3.00
19.	गोआ दमन और दीव	—	—	8.00	11.00	22.00	12.81	4.00	5.00	6.00	7.00
	जोड़	430.50	2000.00	4000.00	5500.00	7000.00	6968.81	8480.53	9500.00	11000.00	12662.00

क्रमों, समेकित जनजाति विकास परियोजनाओं से बाहर जनजातीय क्षेत्रों के लिए कार्यक्रमों और आदिम जनजातियों के लिए कार्यक्रमों हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता दी गई है। 181 समेकित जनजाति विकास परियोजनायें बनाई गई हैं और 245 क्षेत्रों का भी पता लगाया गया है। आदिम जनजातियों के 72 समुदायों का विशेष कार्यक्रमों के लिए पता लगाया गया है। क्षेत्रों और समूहों के लिए इन कार्यक्रमों को राज्य सरकारों द्वारा सामान्यतः संतोषजनक ढंग से कार्यान्वित किया जा रहा है।

(ङ) विशेष केन्द्रीय सहायता जन-जातीय उप-योजना के प्रारम्भ से ही राज्य सरकारों के प्रयासों के लिए योगात्मक सहायता है।

उद्योगों की स्थापना के कारण उड़ीसा में नदी प्रदूषण

2435. श्री गिरिधर गोमांगो : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में उद्योगों की स्थापना के कारण कौन-कौन सी नदियां प्रदूषित हो रही हैं;

(ख) वायु और जल प्रदूषण के कारण कुल कितनी जनसंख्या और गांव प्रभावित हुए हैं;

(ग) उड़ीसा सरकार और उद्योगों ने वायु जल प्रदूषण रोकने के लिए अब तक क्या कदम उठाए हैं; और

(घ) उनके मन्त्रालय ने प्रदूषण रोकने के लिए क्या दिशा निर्देश जारी किए हैं और वहां भविष्य में प्रदूषण रोकने के लिए क्या प्रशासनिक और विधायी उपाय सुझाए हैं ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीर सेन) : (क) उड़ीसा में ब्राह्मणी, नागावली, कोलाब, बडानन्दी, महानदी, मन्दिरा, रुसीकुल्या प्रमुख नदियां हैं जहां औद्योगिक बहिस्राव बहाया जा रहा है।

(ख) वायु एवं जल प्रदूषण से प्रभावित कुल जनसंख्या तथा गांवों का सर्वेक्षण अभी नहीं किया गया है।

(ग) तथा (घ). उड़ीसा राज्य सरकार तथा प्रदूषण के निवारण एव नियन्त्रण के लिए राज्य बोर्ड ने नदियों में तथा प्रभावित जनसंख्या एवं गांवों में विशेष प्रदूषण मूल्यांकन करने के लिए कार्यक्रम शुरू किए हैं। प्रमुख प्रदूषक उद्योगों का उनके बहिस्रावों को कम से कम माम्य मानकों के अन्तर्गत लाने के लिए प्रबोधन किया जा रहा है।

उड़ीसा राज्य बोर्ड जल (प्रदूषण का निवारण एवं नियन्त्रण) अधिनियम 1974 तथा वायु प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण अधिनियम, 1981 में निर्धारित विधायी एवं अन्य उपायों से सचेत हैं।

प्रमुख उद्योगों को लगाने तथा लाइसेंस जारी करने के पहले "अनापत्ति जांच" की शर्त लगाई गई है।

दिल्ली में अपराध तथा दुर्घटनाएं

2436. श्री हन्नान मोल्लाह : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली में 1984 और 1985 के दौरान दंगों, डकैतियों, हत्याओं, चौरियों और सेंध मारने, बलात्कार, दहेज के कारण मौतों, बच्चों के अपहरण, आत्म हत्या, दुर्घटनाओं (सड़क दुर्घटनाएं, औद्योगिक दुर्घटनाएं) के कारण मौतों, कारों की चोरी लड़कियों के साथ छेड़छाड़ और महिलाओं को अपमानित करने की कितनी घटनाएं हुई ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : ब्यौरा इस प्रकार से है :

	1984	1985 (15-3-1985 तक)
दंगे	439	23
डकैतियां	29	7
हत्या	312	53
चोरी	12092	2771
सेंधमारी	1568	367
बलात्कार	115	16
दहेज के कारण मौतें	45	8
बच्चों का अपहरण	759	146
आत्म हत्या	491	77
दुर्घटना-मौतें	2471	488
कार चोरी	866	175
महिलाओं के साथ छेड़खानी	641	105
महिलाओं को अपमानित करना	104	24

भारत में ग्रुपों पर आरोप लगाते हुए श्रीलंका के राष्ट्रपति का कठोर दृष्टिकोण वाला भाषण

2437. श्री जी० जी० स्वैल : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीलंका के राष्ट्रपति ने दिनांक 20 फरवरी को श्रीलंका की संसद में अपने भाषण में भारत में ग्रुपों पर अब गतिविधियों में सांठ-गांठ का आरोप लगाया जिसे उन्होंने भावी "अन्तिम लड़ाई" की संज्ञा दी और यह चेतावनी दी कि यदि श्रीलंका ने पर्याप्त उपाय नहीं किए तो श्रीलंका की अन्तर्राष्ट्रीय सीमाएं दक्षिण में कोलम्बो तक पहुंच जाएंगी;

(ख) क्या सरकार ने कठोर दृष्टिकोण वाले इस भाषण के सम्बन्ध में श्रीलंका के राष्ट्रपति के साथ मामला उठाया है; और

(ग) क्या सरकार इस घटना को ध्यान में रखकर श्रीलंका में तमिलों के प्रश्न के साथ-साथ अपनी स्थिति का मूल्यांकन कर रही है?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). भारत सरकार ने उनकी इस टिप्पणी पर अपना खेद व्यक्त किया है।

जिस आरोप का हम बहुत बार खंडन कर चुके हैं, उसे दोहराए जाने पर सरकार का खेद व्यक्त करने के लिए हमारे विदेश सचिव ने श्रीलंका के हाई कमिश्नर को बुलाया।

एयर इंडिया द्वारा प्रायोजित टी० वी० धारावाहिक कार्यक्रम "सौरी"

2438. **श्री सनत कुमार मंडल : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया देश में दूरदर्शन नेट वर्क के माध्यम से प्रसारण के लिए कुछ कार्य-क्रमों धारावाहिक कार्यक्रम प्रायोजित कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या उद्देश्य हैं और उन पर वर्ष 1984-85 में कितनी धनराशि खर्च की गयी है;

(ग) दूरदर्शन पर "सौरी" धारावाहिक को प्रायोजित करने का क्या औचित्य है और इस पर कितनी धनराशि खर्च की गयी है; और

(घ) क्या एयर इंडिया विदेशों में भी इस प्रकार के धारावाहिक कार्यक्रम प्रायोजित करता है और इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी, हां। 1984-85 के वित्त वर्ष में एयर इंडिया ने दूरदर्शन नेटवर्क के माध्यम से निम्नलिखित कार्यक्रम प्रायोजित किए थे :

(1) लास एंजलिस में ओलम्पिक खेलों के उद्‌घाटन समारोह का आधे घन्टे का सीधा प्रसारण।

(2) लास एंजलिस में ओलम्पिक खेलों के समापन समारोह का आधे घन्टे का सीधा प्रसारण।

(3) लास एंजलिस में ओलम्पिक खेलों के उद्‌घाटन समारोह की मुख्य-मुख्य झलकियों का आधे घन्टे का प्रसारण।

(4) ब्रिटिश धारावाहिक फिल्म "सारी" की दस घटनाएं।

(ख) एयर इंडिया ने अधिक यातायात वाले क्षेत्रों में एयर इंडिया के संवर्धन की दृष्टि से इन कार्यक्रमों का प्रायोजित किया था। वर्ष 1984-85 में इन कार्यक्रमों को प्रायोजित करने पर 16.75 लाख रुपये राशि खर्च हुई थी।

(ग) 1984-85 के वित्त वर्ष में एयर इंडिया की विज्ञापन नीति का उद्देश्य अधिक और उच्च श्रेणी से यात्रा करने वाले यात्रियों, अर्थात् एक्जिक्यूटिव श्रेणी या प्रथम श्रेणों से यात्रा करने वालों से संरक्षण प्राप्त करना था। एयर इंडिया की विज्ञापन एजेन्सी ने उन्हें यह सलाह दी थी कि अंग्रेजी टेलीविजन धारावाहिक फिल्में विशेषकर प्रहमन ऐसे अधिक और उच्च श्रेणी से यात्रा करने वाले यात्रियों को आकर्षित करती हैं। इसलिए एयर इंडिया ने दूरदर्शन के पास उपलब्ध इस श्रेणी के कई कार्यक्रमों की जांच की और उनमें उसे उपलब्ध सबसे अच्छी फिल्म "सारी" को चुना। इस कार्यक्रम को आयोजित करने पर प्रत्येक धारावाहिक फिल्म पर 1 लाख रुपये की दर से 10 लाख रुपये की राशि खर्च की गई।

(घ) जी, नहीं।

[हिन्दी]

बंजरभूमि को उपजाऊ भूमि में बदलना

2439. **श्री सी० जंगा रेड्डी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने घोषणा की थी कि प्रतिवर्ष 50 लाख हेक्टेयर बंजर भूमि को उपजाऊ भूमि में बदला जाएगा;

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में की गई घोषणा का पाठ क्या है;

(ग) विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में उपर्युक्त बंजर भूमि से परती, लवणीय और रिसाव में प्रभावित विभिन्न प्रकार की भूमि का क्षेत्र कितना है और वहां पर सिंचाई के कौन से साधन उपलब्ध हैं और इन क्षेत्रों के उपजाऊ बनाने के लिए कौन से सामान उपलब्ध कराए जाने हैं; और

(घ) क्या इस योजना पर प्रतिवर्ष 3 करोड़ रुपये से अधिक की राशि व्यय किये जाने का विचार है और क्या वार्षिक योजनाओं और बजट में इस राशि का प्रावधान किया जायेगा ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीर सेन) : (क) और (ख). प्रधान मन्त्री ने 5 जनवरी, 1985 को राष्ट्र के नाम अपने सन्देश में कहा है :

"वनों की निरन्तर कटाई ने हमें "प्रमुख पारिस्थितिकी और सामाजिक-आर्थिक संकट में डाल दिया है। इस प्रवृति को रोका जाना चाहिए। मैं ईंधन को लकड़ी तथा चारा रोपण के तहत प्रत्येक वर्ष 50 लाख हेक्टार भूमि लाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय बंजर-भूमि विकास बोर्ड की तत्काल स्थापना करने का प्रस्ताव करता हूं। हम वन रोपण के लिए एक जन आन्दोलन शुरू करेंगे"।

(ग) ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

क्र० सं०	श्रेणी	क्षेत्र दस लाख हैक्टार में
1.	कृषि योग्य अकृष्य भूमि	16.73
2.	चालू परती भूमि के अलावा परती भूमि	9.82
3.	बंजर तथा अकृष्य भूमि	20.17
4.	जल लग्न क्षेत्र	6.00
5.	लवणीय मिट्टी	2.50
6.	क्षारीय मिट्टी	5.50
7.	उबड़-खाबड़ तथा गुलियां	4.00
8.	नदी तट की भूमि	2.73
9.	झूम खेती के तहत क्षेत्र	4.33

उपरोक्त 1, 2, 3 तथा 9 मदों के लिए उपलब्ध राज्यवार आंकड़े संलग्न विवरण में दिए गए हैं। अन्य मदों के राज्यवार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

देश की वर्तमान सिंचाई क्षमता 570 से 600 लाख हैक्टार है। आशा है कि यह आगामी दो

अथवा तीन दशकों तक पर्याप्त रूप में बढ़ जाएगी। सिंचाई क्षमता में इस वृद्धि से अकृष्य भूमि को भी लाभ पहुंचेगा।

(घ) निधियों की सही आवश्यकता का हिसाब लगाया जा रहा है और स्वीकृत लक्ष्य निर्धारित करने के लिए अपेक्षित प्रावधानों को वार्षिक योजनाओं में शामिल किया जाएगा।

विवरण

क्षेत्र (000) हैक्टार में

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	बंजर तथा अकृष्य भूमि	चालू परती के अलावा परती भूमि	कृषि योग्य अकृष्य भूमि	झूम खेती के तहत क्षेत्र
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	2340	1351	871	104
2.	असम	1542	109	135	490
3.	बिहार	1011	939	447	97.
4.	गुजरात	2503	332	1986	—
5.	हरियाणा	65	—	31	—
6.	हिमाचल प्रदेश	141	13	224	—
7.	जम्मू व कश्मीर	231	8	147	—
8.	कर्नाटक	844	558	502	—
9.	केरल	86	27	129	11
10.	मध्य प्रदेश	2322	1096	1907	49
11.	महाराष्ट्र	1733	802	993	
12.	मणिपुर	1419	—	—	300
13.	मेघालय	231	261	455	456
14.	नागालैंड	—	422	49	657
15.	उड़ीसा	265	189	249	3709
16.	पंजाब	98	—	41	—
17.	राजस्थान	2917	2089	6415	—
18.	सिक्किम	205	—	11	—
19.	तमिलनाडु	577	459	343	—
20.	त्रिपुरा	120	2	2	136
					107

1	2	3	4	5	6
21.	उत्तर प्रदेश	1141	716	1143	—
22.	पश्चिम बंगाल	121	61	374	—
23.	अरुणाचल प्रदेश	19	105	85	281
24.	गोवा दमन तथा द्वीप	16	—	94	—
25.	मिजोरम	201	259	74	480
26.	पांडिचेरी	—	—	2	—
27.	अण्डमान तथा निकोबार	1	2	12	—
28.	चंडीगढ़	—	—	—	—
29.	दादर तथा नगर हवेली	—	—	1	—
30.	दिल्ली	18	17	1	—
31.	लक्षद्वीप	—	—	—	—
कुल योग		20167	9817	16723	6770

[अनुवाद]

अन्तर्राष्ट्रीय वायु यातायात नियमों का उल्लंघन

2441. **श्री नरसिंह राव सूर्यवंशी** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय वायु यातायात नियम अथवा कानून बने हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या किसी देश ने भारतीय वायु सीमा क्षेत्र में अथवा किसी अन्य देश में भारतीय वायुयान के मामले में इन नियमों का उल्लंघन किया है;

(ग) यदि हां, तो ऐसा किन देशों द्वारा किया गया था तथा उनके द्वारा किन नियमों का उल्लंघन किया गया; और

(घ) क्या अपहृत भारतीय विमानों के किसी अन्य देश में अपहरणकर्त्ताओं के साथ उतरने पर उन नियमों का उल्लंघन किया गया था ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी, हां। अन्तर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन ने अन्तर्राष्ट्रीय विमानन में लगे विमानों द्वारा पालन किए जाने के लिए विभिन्न नियम और विनियम निर्धारित किए हैं।

(ख) हाल में ऐसे किसी उल्लंघन की सूचना नहीं मिली है।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(घ) जी, नहीं। वायु यातायात सेवा नियम अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों के उचित प्रचालन को विनियमित करने के लिए है और विमान अपहरण इसके अधीन नहीं आता।

स्वदेशी सिलिकॉन के रेशों और वेफरों का विकास

2442. **श्री हन्नान मोल्लाह :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार की स्वदेशी सिलिकॉन के रेशों और वेफरों का उत्पादन बढ़ाने संबंधी योजना क्या है; और

(ख) इस मामलों में क्या प्रगति हुई है; और

(ग) ऐसी चीजों का आयात कब तक बंद कर दिया जाएगा ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और इलेक्ट्रोनिकी विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) तथा (ख) : इस समय देश में तीन उत्पादन अभिकरण हैं जिन्हें सिलिकॉन एकल क्रिस्टलों तथा वेफरों के विनिर्माण के लिए लाइसेंस दिए गए हैं। इनमें से दो अभिकरणों ने अपना कार्य शुरू कर दिया है। इसके अलावा, सार्वजनिक क्षेत्र की तीन कम्पनियों ने भी मुख्यतः अपनी आन्तरिक खपत के लिए ऐसी सुविधाएं स्थापित्त की हैं।

(ग) जैसे ही स्वदेशी उत्पादन गुणवत्ता/मात्रा तथा मूल्य की दृष्टि से राष्ट्रीय आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेंगे, वैसे ही इस पहलू पर विचार किया जाएगा।

पश्चिमी घाट विकास योजना

2443. **प्रो० पी० जे० कुरियन :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में पश्चिमी घाट क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले गांवों के विकास के लिए पश्चिमी घाट विकास योजना के अन्तर्गत कोई व्यापक योजना तैयार की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) और (ख). पश्चिमी घाट क्षेत्र में केरल भाग के अन्तर्गत आने वाले गांवों के विकास के लिए पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कोई व्यापक योजना तैयार नहीं की गई है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 'पारिस्थितिकी संरक्षण तथा पारिस्थितिकी विकास' पर बल दिया गया है और उपलब्ध कराई गई धनराशि राज्य योजना में सामान्य योगज के रूप में है।

[हिन्दी]

नागा विद्रोहियों द्वारा भारतीय सेना कर्मियों की हत्या

2444. **श्री मूल चन्द्र डागा :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत चार वर्षों में फरवरी, 1985 तक मणिपुर और इसके समीपवर्ती क्षेत्रों में नागा विद्रोहियों ने कितने भारतीय सेना कर्मियों की हत्या की;

(ख) अब तक कितने नागा विद्रोही गिरफ्तार किए गए हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) मारे गए सेना कर्मियों के उत्तराधिकारियों और घायल हुए जवानों को अब तक कितनी

क्षतिपूर्ति दी गई है;

(घ) नागा विद्रोहियों से कितनी मात्रा में आधुनिकतम हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ और ये हथियार और गोलारुद किस तरह बरामद किए गए हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) गत चार वर्षों में फरवरी 1985 तक मणिपुर में नागा विद्रोहियों द्वारा 33 भारतीय सेना कर्मियों की हत्या की गयी।

(ख) गिरफ्तार किए गए नागा विद्रोहियों की संख्या 291 है। इन गिरफ्तार व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमे चलाए गए।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) अब तक बरामद किए गए भिन्न भिन्न प्रकार के शस्त्रों की संख्या 82 है। इसके अतिरिक्त 800 राऊंड गोला बारूद बरामद किया गया है। ये शस्त्र तथा गोला बारूद जवाबी विद्रोही कार्रवाइयों के दौरान तथा आत्म-समर्पण करने वाले व्यक्तियों से बरामद किया गया।

[अनुवाद]

कर्नाटक में एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना

2445. **श्री बी० वी० देसाई :**

श्री बी० एस० कृष्ण अय्यर :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कर्नाटक में एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना हेतु अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस निर्णयानुसार काडरा बांध के निकट काली नदी पर दो यूनिटें बनाई जाएंगी जिनमें से प्रत्येक 235 मेगावाट की होगी;

(ग) यदि हां, तो प्रस्तावित संयंत्र की मुख्य बातें क्या हैं;

(घ) इससे कर्नाटक राज्य में किस सीमा तक बिजली की स्थिति में सुधार होगा; और

(ङ) इन दो विद्युत संयंत्रों के कब तक पूरा होने की संभावना है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष और इलैक्ट्रोनिकी विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) दोनों यूनिट मानकीकृत दाबित भारी पानी रिएक्टर किस्म के हैं और इनमें प्राकृतिक यूरेनियम को ईंधन के रूप में तथा भारी पानी को मंदक और शीतलक के रूप में काम में लाया जाता है।

(घ) दोनों यूनिट पूरी तरह चालू हो जाने पर 470 मेगावाट बिजली पैदा करेंगे।

(ङ) आशा है कि दोनों यूनिट सन् 1994 तक तैयार करके चालू कर दिए जाएंगे।

गैर-परम्परागत ऊर्जा उपकरण बेचने का अमरीका की फर्म का प्रस्ताव

2446. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका की मैक्डानल डोंगलास नामक फर्म ने भारत को गैर-परम्परागत ऊर्जा उपकरण बेचने का प्रस्ताव किया है;

(ख) क्या सरकार ने उक्त प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है; और

(ग) ऐसे उपकरण खरीदने के बारे में सरकार की क्या नीति है क्योंकि देश में उक्त उपकरणों के निर्माण के लिये उपयुक्त स्तर की प्रौद्योगिकी उपलब्ध है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और इलैक्ट्रानिकी विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) भारत सरकार को अपारंपरिक ऊर्जा युक्तियों की बिक्री के लिए अमरीका की मैक्डानल डोगलास नामक फर्म द्वारा कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं भेजा गया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) विदेशों से इस प्रकार के उपकरणों की खरीद 'प्रौद्योगिकी नीति विवरण' और आयात नीति द्वारा नियंत्रित होती है जो प्रति वर्ष जारी की जाती है। 1985-86 के लिए आयात नीति निरूपण के अधीन है।

सातवीं योजना के दौरान परिवहन और संचार का विकास

2447. **श्री चित्त महाता** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में परिवहन और संचार के विकास हेतु कुछ प्रगतिशील कदम उठाने का है; और

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) और (ख). सातवीं पंचवर्षीय योजना अभी तैयार की जा रही है। तथापि, परिवहन और संचार से संबधित योजना कार्यनीति "सातवीं पंचवर्षीय योजना कार्यनीति" नामक दस्तावेज में बताई गई थी जिसे दि० 30 जुलाई, 1984 को लोक सभा के पटल पर प्रस्तुत किया गया था।

राष्ट्रीयकृत बैंकों में नियुक्ति के पश्चात मूल कार्यालय में धारणाधिकार

2448. **श्री जितेन्द्र प्रसाद** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 10 वर्ष से कम सरकारी सेवा करने के पश्चात सिण्डीकेट बैंक, आरियंटल बैंक आफ कामर्स आदि जैसे बैंकों में हिन्दी अधिकारी के रूप में नियुक्त होने वाले व्यक्तियों को अपने मूल कार्यालयों में धारणाधिकार रखने की अनुमति दी जाती है ताकि उनको पेंशन का लाभ प्राप्त हो सके;

(ख) यदि हां, तो 10 वर्ष से अधिक सरकारी सेवा वाले चयन किए गए व्यक्तियों को इस प्रयोजन हेतु धारणाधिकार रखने की अनुमति नहीं दी जाती है;

(ग) यदि हां, तो उसका क्या औचित्य है; और

(घ) सरकार द्वारा 13-14 वर्ष सरकारी सेवा करने वाले व्यक्तियों को अपने मूल कार्यालय में धारणाधिकार रखने की अनुमति के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ताकि उन्हें भी पेंशन सबंधी लाभ प्राप्त हो सकें ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा मंत्रालय तथा पेंशन मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्री के०पी० सिंह देव) : (क) से (घ). केन्द्रीय सरकार के ऐसे स्थायी कर्मचारियों को जो उचित अनुमति से बैंकों में नियुक्तियां स्वीकार कर लेते हैं और जिन्हें बाद में उनके मूल कार्यालयों के अनुमोदन से वहीं खपा लिया जाता है, अनुपातिक सेवा-निवृत्ति प्रसुविधाएं मंजूर करने के प्रयोजन से राष्ट्रीयकृत बैंकों को, केन्द्रीय सरकार द्वारा नियंत्रित और पूर्णत: अथवा अधिकांशत: वित्तपोषित स्वायत्त निकायों के रूप में माना जाता है। सरकार द्वारा जारी किए गए मौजूदा निदेशों के अनुसार स्वायत्त निकायों में नियुक्तियां स्वीकार करने वाले स्थायी सरकारी कर्मचारियों को, कुछेक शर्तों पर, एक विशेष अवधि के लिए मूल संवर्ग में अपना धारणाधिकार बनाए रखने की अनुमति दी जा सकती है।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में बायोगैस संयंत्र

2449. **श्री आर० एम० भोसे** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार विभिन्न राज्यों में शीघ्र ही बायोगैस संयंत्र स्थापित करने के यत्न कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है; और

(ग) महाराष्ट्र में अब तक कितने बायोगैस संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं और चालू वित्त वर्ष के दौरान कितने बायोगैस संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और इलेक्ट्रोनिकी विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ग). "बायोगैस विकास की राष्ट्रीय परियोजना" के अंतर्गत सरकार द्वारा पारिवारिक बायोगैस संयंत्रों की स्थापना का कार्य 1981-82 से कार्यान्वयन के अधीन है। इसी प्रकार से, महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्यों में समुदायों और संस्थाओं के लिए प्रदर्शन योजना के अंतर्गत बड़े आकार के सामुदायिक और संस्थागत बायोगैस संयंत्रों की भी स्थापना की जा रही है। बायोगैस विकास की राष्ट्रीय परियोजना के लिए पारिवारिक बायोगैस संयंत्रों, और छठी योजना अवधि के लिए सामुदायिक/संस्थागत बायोगैस संयंत्रों के संबंध में फरवरी, 1985 तक राज्यवार प्राप्ति बताने वाली सूचना संलग्न विवरण I और II में दी गई है। बायोगैस विकास की राष्ट्रीय परियोजना के अंतर्गत 1985-86 के लिए पारिवारिक बायोगैस संयंत्रों का प्रस्तावित लक्ष्य 2.5 लाख का है और इसी अवधि के लिए सामुदायिक और संस्थागत बायोगैस संयंत्रों के लिए यह लक्ष्य 100 संयंत्रों का है। 1985-86 के लिए राज्यवार लक्ष्यों और निधि की आवश्यकताओं को राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

विवरण-एक

छठी योजना अवधि के दौरान बायोगैस विकास की राष्ट्रीय परियोजना (परिवार आकार) के अन्तर्गत राज्यवार प्राप्ति

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश	प्राप्तियां 1981-82	1982-83	1983-84	1984-85 (फरवरी, 85 तक संपूर्ण)
1.	आन्ध्र प्रदेश	515	3324	7669	13037
2.	असम	23	180	208	388
3.	बिहार	2064	5312	6001	2766
4.	दिल्ली	.5	8	34	6
5.	गुजरात	1807	5217	7004	6374
6.	हरियाणा	47	2259	2551	2409
7.	कर्नाटक	1282	3037	7274	5668
8.	केरल	262	392	1277	2024
9.	मध्य प्रदेश	468	5154	5602	3050
10.	महाराष्ट्र	3061	8615	24009	37014
11.	उड़ीसा	280	1152	1552	1474
12.	पंजाब	505	1082	1356	1571
13.	राजस्थान	1220	2404	2581	6551
14.	तमिलनाडु	1275	5005	7326	12237
15.	उत्तर प्रदेश	12188	12502	15239	19811
16.	पश्चिमी बंगाल	274	1315	1665	553
17.	अन्य राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश	98	548	1276	2893
	योग	25369	57408	92590	1,17,820*

*इसके साथ-साथ फरवरी, 1985 में 37,236 संयन्त्र स्थापनाधीन थे।

विवरण-दो

फरवरी, 1985 तक लगाए गए सामुदायिक और संस्थागत बायोगैस संयंत्र की राज्यवार संख्या

क्रम सं०	राज्य	फरवरी, 1955 तक पूरे किए गए सामुदायिक/स्थागत बायोगैस संयंत्रों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	6
2.	असम	1
3.	बिहार	—
4.	दिल्ली	1
5.	गुजरात	2
6.	हरियाणा	2
7.	हिमाचल प्रदेश	—
8.	कर्नाटक	2
9.	केरल	1
10.	मध्य प्रदेश	6
11.	महाराष्ट्र	5
12.	उड़ीसा	1
13.	पंजाब	3
14.	पाण्डिचेरी	1
15.	राजस्थान	11
16.	तमिलनाडु	2
17.	उत्तर प्रदेश	15
18.	पश्चिमी बंगाल	1
	योग	60*

* इसके साथ-साथ फरवरी, 1985 में 182 सामुदायिक/संस्थागत बायोगैस संयन्त्र निर्माणाधीन थे।

जेलों में विचाराधीन कैदी

2450. **श्री दिलीप सिंह भूरिया** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में राज्यवार विभिन्न जेलों में कितने विचाराधीन कैदी हैं;

(ख) उनमें से कितने एक वर्ष से अधिक समय से विचाराधीन कैदी हैं; और

(ग) उनमें से ऐसे कितने कैदी हैं, जिनके विरुद्ध न्यायालय में अब तक कोई आरोप-पत्र दाखिल नहीं किया गया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) और (ख). "जेल" राज्य का विषय है। तथापि उपलब्ध सूचना संलग्न विवरण में दी गयी है।

(ग) "जेल" और "पुलिस" राज्य का विषय होने के कारण अखिल भारतीय स्तर पर इस प्रकार की सूचना संकलित नहीं की जाती है।

विवरण

राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	जेलों में विचारणाधीन कैदियों की संख्या	एक वर्ष से अधिक समय से जेलों में रह रहे विचारणाधीन कैदियों की संख्या	टिप्पणी
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	2915	105	31-1-85 को आंकड़े
असम	2388	191	तदैव
बिहार	20414	4290	31-12-82 को आंकड़े
गुजरात	1426	29	31-12-84 को आंकड़े
हरियाणा	1259	51	तदैव
हिमाचल प्रदेश	98	3	31-1-85 को आंकड़े
जम्मू व कश्मीर	423	109	31-12-84 को आंकड़े
कर्नाटक	2593	297	31-1-85 को आंकड़े
केरल	1393	716	तदैव
मध्य प्रदेश	9165	753	तदैव
महाराष्ट्र	5893	262	तदैव
मणिपुर	313	76	तदैव
मेघालय	244	177	31-12-84 को आंकड़े
नागालैंड	396	97	तदैव
उड़ीसा	4098	360	31-12-84 को आंकड़े

1	2	3	4
पंजाब	6330	180	तदैव
राजस्थान	3176	514	तदैव
सिक्किम	29	2	31-12-84 को आंकड़े
तमिलनाडु	1336	26	31-12-84 को आंकड़े
त्रिपुरा	152	10	तदैव
उत्तर प्रदेश	18500	1188	30-6-84 को आंकड़े
पश्चिम बंगाल	5694	324	31-1-85 को आंकड़े
अ० व नि० द्वीप समूह	38	—	31-1-85 को आंकड़े
अरुणाचल प्रदेश	कोई—	जेल नहीं—	—
चण्डीगढ़	120	22	31-12-84 को आंकड़े
दादर व नगर हवेली	6	1	तदैव
दिल्ली	1890	296	तदैव
गोआ, दमण और दिव	48	2	तदैव
लक्षद्वीप	—	—	तदैव
मिजोर	205	84	तदैव
पांडिचेरी	57	—	तदैव

[अनुवाद]

इलेक्ट्रानिक टेलीफोन स्वीचिंग टैक्नालाजी का विकास

2451. श्री बी० बी० देसाई : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलेक्ट्रॉनिक टेलीफोन स्वीचिंग टैक्नालाजी के विकास संबंधी वृहत राष्ट्रीय परियोजना का प्रारम्भिक कार्य पूरा हो गया है और विशेषज्ञ दल को विश्वास है कि तीन वर्षों में स्वदेशी स्वीचिंग प्रणाली उपलब्ध हो जायेगी ;

(ख) यदि हां, तो नई टैक्नालाजी के बारे में विशेषज्ञों द्वारा की गई टिप्पणी की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) नई प्रणाली पर कब तक कार्य प्रारम्भ कर किया जायेगा ;

(घ) इस प्राणाली के कब तक पूरा होने तथा चालू हो जाने की संभावना है ; और

(ङ) इस नई प्रणाली पर कुल कितना व्यय होगा ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और इलेक्ट्रॉनिकी विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) विशेषज्ञों के मतानुसार, नई प्रौद्योगिकी से निम्नलिखित मुख्य तत्वों की पूर्ति होगी :

(i) इससे यातायात, पर्यावरण तथा तकनीकी दक्षता की दृष्टि से भारतीय दूरसंचार नेटवर्क की विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति होगी।

(ii) वर्तमान दूरसंचार नेटवर्क में तेजी से हो रही वृद्धि के साथ तालमेल रखने के लिए तथा इसका एकीकरण सुचारू रूप से करने के लिए इसका स्वरूप माड्यूलर एवं लचीला होगा।

(iii) यह आंकड़ा, प्रतिदर्श, वीडियो कान्फरेंसिंग आदि जैसी दूरमिति सेवाओं का चरण-बद्ध रूप से लागू करने में सहायक होगा।

(v) इससे विनिर्माण तथा सूक्ष्म एवं जटिल किस्म की प्रौद्योगिकीयदक्षता को स्वदेश में विकसित करने में सहायता मिलेगी।

(v) इससे स्विचन उपस्करों के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी तथा अन्य विकासशील देशों को इसके निर्यात की संभावना बढ़ेगी।

(ग) नई प्रणाली पर कार्य अगस्त, 1984 से शुरू हो गया है।

(घ) आशा की जाती है कि वर्ष 1987 के मध्य भाग तक परीक्षण के लिए यह प्रणाली तैयार हो जाएगी।

(ङ) नई प्रणाली के विकास की अनुमानित लागत 35 करोड़ रु० है।

एयर इंडिया के कर्मचारियों को तमगे और प्रमाण-पत्र

2452. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एशियाई खेलों की सफलता के लिए एयर इंडिया के कर्मचारियों के सहयोग के लिए उन्हें दिए जाने वाले प्रशंसा प्रमाणपत्र और तमगे किन परिस्थितियों में गुम हो गए थे;

(ख) इस चूक के लिए दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या अनुशासनिक कार्यवाही की गई है अथवा की जा रही है; और

(ग) क्या एयर इंडिया के संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को इस बीच ये प्रशंसा-प्रमाणपत्र और तमगे दे दिए गए हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) एयर इंडिया को उनके अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा एशियाई खेलों में की गई सेवा के उपलक्ष में उनमें वितरण करने के लिए नौवें एशियाई खेलों की विशेष संगठन समिति से 50 पदक और 100 प्रमाण-पत्र प्राप्त हुए थे। एयर इंडिया के बम्बई स्थित निगम कार्यालय में से ये पदक गुम पाये गए थे।

(ख) एयर इंडिया एक कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही कर रही है जिसके पास इनमें से कुछ पदक प्राप्त हुए थे।

(ग) जी, हां।

सातवीं योजना के दौरान आदिवासी जनसंख्या वाले राज्यों को केन्द्रीय सहायता

2453. **कुमारी पुष्पा देवी :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों को छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान विभिन्न उप-योजना कार्यक्रमों के लिए कितनी राशि की विशेष केन्द्रीय सहायता दी गई;

(ख) क्या सरकार का विचार पिछड़ी और आदिवासी जनसंख्या वाले कुछ राज्यों की सातवीं योजनावधि के दौरान विभिन्न उप-योजना कार्यक्रमों के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता की राशि बढ़ाने का है; और

(ग) मध्य प्रदेश को सातवीं योजना के दौरान उपर्युक्त प्रयोजन के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता की कितनी राशि दी जाने की संभावना है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) सूचना संलग्न विवरण में दी जाती है।

(ख) और (ग). सातवीं योजना अवधि के दौरान राज्यों संघ शासित क्षेत्रों को दी जाने वाली विशेष केन्द्रीय सहायता की राशि को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

विवरण

छठी योजना में राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को दी गयी विशेष केन्द्रीय सहायता

(रुपये लाखों में)

	1980-81	1981-82	1982-83	1983-84	1984-85
1	2	3	4	5	6
आन्ध्र प्रदेश	337.22	383.00	428.41	511.52	589.40
असम	319.01	367.00	411.00	477.33	539.58
बिहार	973.98	1212.28	1349.28	1566.89	1832.47
गुजरात	558.64	718.26	798.26	908.26	1087.62
हिमाचल प्रदेश	81.22	121.94	140.20	158.27	200.51
कर्नाटक	17.17	61.00	68.00	77.98	122.61
केरल	57.00	48.00	56.00	62.51	64.01
मध्य प्रदेश	1923.51	2412.83	2677.83	3104.95	3652.52
महाराष्ट्र	544.16	578.67	646.00	758.75	799.33
मणिपुर	112.05	150.00	171.00	197.09	239.94
उड़ीसा	886.45	1166.42	1344.42	1495.89	1763.19
राजस्थान	516.49	590.79	636.79	722.11	839.30

1	2	3	4	5	6
सिक्किम	10.00	22.00	25.00	29.18	37.17
तमिलनाडु	80.87	95.00	105.00	121.88	135.41
त्रिपुरा	130.58	142.00	159.00	181.92	199.34
उत्तर प्रदेश	19.07	14.81	17.81	24.39	26.00
पश्चिम बंगाल	364.58	376.00	421.00	500.08	524.60
अ० व नि० द्वीप समूह	14.00	16.53	40.00	95.00	3.00
गोवा, दमण और दिव	12.81	4.00	5.00	6.00	7.00
जोड़	6968.81	8480.53	9500.00	1100.00	12662.00

इन्सैट की अधिष्ठापित क्षमता

2455. **श्री जी० जी० स्वैल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इन्सैट को भूमंडल कक्षा में अब तक कितना समय हो गया है, और क्या यह सुचारु ढंग से काम कर रहा है;

(ख) दूर संचार, दूरदर्शन प्रसारण वायुमण्डलीय फोटोग्राफी, भूमि के और भूगर्भीय नक्शे तैयार करने और मौसम संबंधी भविष्यवाणी करने के लिए इसकी अधिष्ठापित क्षमता कितनी है;

(ग) क्या हम इसकी पूरी क्षमता का उपयोग कर पाने में सफल रहे हैं; और

(घ) इन्सैट अपनी कक्षा में कितने समय तक रहेगा ?

विज्ञान और प्रोद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष और इलेक्ट्रोनिकी में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) अगस्त 30, 1983 को छोड़े गए इन्सैट-1 बी० उपग्रह ने कक्षा में 19 माह पूरे कर लिए हैं। उपग्रह का कार्यनिष्पादन तथा सामान्य स्वास्थ्य सन्तोषप्रद रहा है।

(ख) इन्सैट-1 बी० उपग्रह में स्थिर उपग्रह सेवा (एफ० एस० एस०) के प्रयोजन के लिए बारह प्रेषानुकर चैनल, उपग्रह प्रसारण सेवा (बी० एस० एस०) के लिए दो उच्च शक्ति के प्रेषानुकर चैनल, मौसमविज्ञानीय भू-पर्यवेक्षण के लिए एक अत्यन्त उच्च विभेदन रेडियोमीटर(वी० एच० आर० आर०), और उपस्थिति निर्पेक्ष आंकड़ा संकलन प्लेटफार्मों (डी० सी० पी०) से मौसमविज्ञानीय, जलविज्ञानीय, और समुद्रविज्ञानीय आंकड़ों के रिले के लिए एक आंकड़ा रिले प्रेषानुकर (डी० आर० टी०) हैं। प्रारंभिक भू-खण्ड सुविधाओं, सम्प्रेषण तकनीकों और योजनाबद्ध परस्पर संबद्धताओं के आमाप वर्गीकरण से बारह एफ० एस० एस० प्रेषानुकर चैनलों में से दस से लगभग 4000 द्वि-पथ वाक् सर्किट अथवा समकक्ष सर्किट प्राप्त किए जाते हैं; दो एफ० एस० एस० चैनलों की प्रकार्यात्मक अतिरिक्त के रूप में आयोजना की गई है। दो उच्च-शक्ति के बी० एस० एस० प्रेषानुकर चैनल टी० वी० के सीधे प्रसारण एवं कार्यक्रम वितरण संचार जाल सेवा की सहायता करते हैं; इसके अलावा, कई अन्य संकीर्ण-बैण्ड सेवाएं जैसे रेडियो संचारजाल, राष्ट्रीयकृत संचारजाल के टी० वी० कार्यक्रमों इत्यादि के लिए द्वितीय श्रव्य चैनल भी दूरदर्शन के साथ इन उच्च-शक्ति के बी० एस० एस० प्रेषानुकर चैनलों का उपयोग करते हैं। इन्सैट-1 बी० में रखे अत्यन्त उच्च विभेदन रेडियो-

मीटर (वी० एच० आर० आर०) को, मौसम प्रणालियों के आधे-आधे घंटे के सिनॉप्टिक प्रेक्षण प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है।

(ग) इन्सैट-1 बी० का उपयोग सामान्यतया सन्तोषप्रद रूप में प्रगति कर रहा है और वर्तमान कैलेण्डर वर्ष के अन्त तक इसका पूर्ण उपयोग होने की संभावना है। इस समय, इन्सैट-1 बी० के साथ सभी 30 स्थिर दूर संचार भू-केन्द्र प्रचालन में हैं और परिपथ जाल पर कुल 2033 द्वि-पथ वाक् सर्किटों अथवा समकक्ष सर्किटों का भार है। इसके अलावा, अल्प सूचना वाली मांगों की सहायता के लिए चार परिवहनीय टर्मिनल उपलब्ध हैं। इस, समय इन्सैट-1 बी० सुविधाओं का उपयोग करते हुए लगभग 65 लम्बी दूरी के मार्ग प्रचालन में हैं। टी० वी० सेवा के लिए दोनों उच्च शक्ति के बी० एस० एस० प्रेषानुकर चैनलों का उपयोग किया जा रहा है। देश में विद्यमान लगभग 172 टी० वी० ट्रांसमीटरों में से 163 इन्सैट-1 बी० के संचार-जाल में हैं। ये प्रेषानुकर चैनल द्वि-चैनल रेडियो संचार की भी सहायता कर रहे हैं; मार्च 15 तक, अकाशवाणी के 91 अभिष्ट रेडियो स्टेशनों में से 57 को आवृत्त किया गया है; इस माह पूर्ण पांच-चैनल के रेडियो संचार जाल के प्रचालन किए जाने की संभावना है। राष्ट्रीय संचार जाल के कार्यक्रमों, जो मार्च, 1985 में प्रारंभ हुए हैं, के लिए द्वितीय श्रव्य चैनल को भी इन्सैट-1 बी० के दो बी० एस० एस० प्रेषानुकर चैनलों में से एक चैनल से प्राप्त किया गया है। इस समय मौसम विज्ञानीय प्रतिबिम्बन उपकरण इन्सैट-1 बी० के वी० एच० आर० आर० को लगभग 6000 मौसम संबंधी प्रतिबिम्बकियों को प्रदान करने के लिए कमाण्ड भेजी गयी है। इन्सैट की सीमा संबंधी प्रतिबिम्बकियों को मौसम विज्ञानीय आंकड़ा उपयोग केन्द्र (एम० डी० यू० सी०) में नियमित रूप में संसाधित किया जा रहा है। ऊपरी पवन के चार्ट और समुद्री सतह के तापमान के चार्ट जैसे आंकड़ा उत्पादों का निरन्तर निर्माण किया जा रहा है। संसाधित प्रतिबिम्बकियों को देश में लगभग चौदह गोण आंकड़ा उपयोग केन्द्रों को वास्तविक काल में भेजा जा रहा है। इसके साथ ही, 15 मार्च तक, पेंतीस आंकड़ा संकलन प्लेटफार्मों (डी० सी० पी०) को स्थापित किया जा चुका है।

(घ) इन्सैट एक प्रचालनात्मक प्रणाली है और इसीलिए इसके अन्तरिक्ष खण्ड को सतत आधार पर प्रचालन में बनाए रखने के लिए डिजाइन किया गया है इन्सैट की प्रथम पीढ़ी (इन्सैट-1) के उपग्रहों को निर्धारित कालावधि कक्षा में सात वर्ष की रखी गयी है। द्वितीय पीढ़ी के इन्सैट (इन्सैट-11) उपग्रह भी सात वर्षीय कक्षीय कालावधि के होंगे। पिछले 19 महीनों में इन्सैट-1 बी० के कार्यनिष्पादन के आधार पर तथा इसमें रखे शेष ईंधन के वर्तमान अनुमान के आधार पर इन्सैट 1- बी० की उपयोगी कक्षीय कालावधि 1989 के अन्त तक की है। दो उपग्रह वाले इन्सैट-1 अन्तरिक्ष खण्ड को पूरा करने के लिए तथा कक्षा में सक्रिय अतिरिक्त क्षमता प्रदान करने के लिए अगले इन्सैट-1 उपग्रह, इन्सैट-1 सी० के 1986 के मध्य में इन्सैट-1 बी० के साथ शामिल होने की आशा है।

भारतीय खेल प्राधिकरण

2456. श्री जी० जी० स्वैल : क्या युवा कार्य और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने हाल ही में भारतीय खेल प्राधिकरण के मुख्यालय का दौरा किया था और यदि हां, तो कर्मचारियों तथा अन्य मामलों पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है;

(ख) प्राधिकरण को कितना बजट आवंटित किया गया है; और

(ग) इसने अब तक कितनी राशि व्यय की है ?

युवा कार्य और खेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) युवा कार्य और खेल राज्य मंत्री ने भारतीय खेल प्राधिकरण (एस० ए० आई०) के कार्यालयों का दौरा किया था और उन्होंने इसके कर्मचारियों की स्थिति और अन्य मामलों को नोट किया था।

(ख) 1985-86 के लिए एस० ए० आई० के लिए बजट प्रस्ताव कुल 550 लाख रुपये तक है।

(ग) एस० ए० आई० जब से आरम्भ हुआ है इसने 31 मार्च, 1985 तक लगभग 288 लाख रुपये तक का खर्च किया है।

तिहाड़ जेल के अधिकारियों पर हमला

2457. **श्री मोहम्मद महफूज अली खां** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिहाड़ जेल में रखे गये पंजाब के उग्रवादियों द्वारा तिहाड़ जेल के कुछ अधिकारियों पर हाल ही में हमला किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) 13-3-1985 को लगभग 5-15 बजे अपराह्न 2 विचारणाधीन कैदियों और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत नजरबंद एक कैदी ने जिला जेल के सहायक अधीक्षक पर हमला किया और उसे जख्मी कर दिया। जेल प्राधिकारियों ने तुरन्त अलारम बजाया और स्थिति को नियंत्रित कर लिया। बाद में सहायक अधीक्षक की राममनोहर लोहिया अस्पताल में डाक्टरी जाँच करायी गयी।

(ग) अपराधी कैदियों के विरुद्ध जनकपुरी पुलिस स्टेशन में भा० दं० सं० की धारा 186/353 332/ 506/34 के तहत एक मामला दर्ज किया गया है। गम्भीर जेल अपराध करने के कारण पंजाब जेल नियमावली के उपबंधों के अन्तर्गत, जो संघ शासित क्षेत्र दिल्ली में लागू हैं, 3 अभियुक्त व्यक्तियों को तीन माह के लिए पृथक्करण और इसी अवधि में उनसे मुलाकात बंद करने की सजा दी गयी है। इन तीन कैदियों पर कड़ी निगरानी भी रखी जा रही है।

पाकिस्तान की परमाणु क्षमता में वृद्धि

2458. **श्री नारायण चौबे** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पाकिस्तान की परमाणु क्षमता में उत्तरोत्तर वृद्धि होने के देश में तथा विदेशों से निरन्तर प्राप्त समाचारों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) भारत परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए विदेशों पर कितना आश्रित है;

(घ) सरकार का हमारे देश के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को आत्म-निर्भर बनाने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(ङ) क्या यह कार्यक्रम समयबद्ध है, यदि हां तो देश के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के वर्तमान चरण को आत्म-निर्भर बनाने के लिए क्या अस्थायी समयसीमा निर्धारित की गयी है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और इलेक्ट्रानिकी विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज बी० पाटिल) : (क) जी, हां ।

(ख) सरकार ने हमारी सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं की दृष्टि से इन समाचारों पर ध्यान दिया है ।

(ग) से (ङ). भारत इस समय विश्व के उन इने-गिने देशों में से एक है जो परमाणु विद्युत रिएक्टरों का डिजाइन बनाने, उनका निर्माण करने और उन्हें चलाने का काम स्वयं ही कर सकते हैं । यह हमारे लगातार किए गए इस प्रयास का परिणाम है कि परमाणु बिजली संबंधी कार्यक्रम के लिए आवश्यक जनशक्ति को प्रशिक्षित और तैयार किया जाए तथा टैक्नोलाजी विकसित की जाए ।

[हिन्दी]

आणविक विद्युत संयंत्रों में बिजली का उत्पादन

2459. **श्री दिलीप सिंह भूरिया** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के आणविक विद्युत संयंत्रों से इस समय कितनी बिजली का उत्पादन हो रहा है; और

(ख) इस प्रकार प्राप्त बिजली की प्रति यूनिट लागत क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और इलेक्ट्रानिकी विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज बी० पाटिल) : (क) हमारे देश के सभी पांच परमाणु बिजलीघर इस समय काम कर रहे हैं । मार्च, 1985 में उनका विद्युत-स्तर और मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन निम्नलिखित रहे हैं :—

यूनिट	2-4-85 को विद्युत-स्तर	मार्च, 1985 में सकल उत्पादन
तारापुर परमाणु बिजलीघर		
पहला यूनिट	160 मेगावट	118
दूसरा यूनिट	160 मेगावाट	116
राजस्थान परमाणु बिजलीघर		
पहला यूनिट	170 मेगावाट	60
दूसरा यूनिट	200 मेगावाट	104
मद्रास परमाणु बिजलीघर		
पहला यूनिट	210 मेगावाट	40

(ख) इस समय तारापुर परमाणु बिजलीघर से सप्लाई की जाने वाली बिजली की दर 34-89 पैसे प्रति किलोवाट घंटा है । राजस्थान परमाणु बिजलीघर और मद्रास परमाणु बिजलीघर

के पहले यूनिट के मामले में यह दर क्रमश: 35-49 पैसे प्रति किलोवाट घंटा और 42-01 पैसे प्रति किलोवाट घंटा है।

[अनुवाद]

उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में नये पर्यटन केन्द्र

2460. **श्री जितेन्द्र प्रसाद :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में नये पर्यटन केन्द्र स्थापित करने तथा पर्यटन महत्व के स्थानों के विकास के लिये पिछले तीन वर्षों के दौरान कोई सहायता उपलब्ध की गई है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार विकास किये गये स्थानों तथा स्थापित किये गये केन्द्रों का ब्योरा क्या है; और

(ग) 1985-86 में केन्द्रीय सहायता का प्रावधान किया गया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) विभाग ने उत्तर प्रदेश और हिमालय प्रदेश की सरकारों के परामर्श से केन्द्र, राज्य और प्राइवेट सेक्टर के संयुक्त संसाधनों के माध्यम से अवस्थाबद्ध विकास के लिए प्रत्येक में तीन यात्रा परिपथ अभिनिर्धारित किए हैं, जिनके अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में 25 और हिमालय प्रदेश में 22 केन्द्र शामिल हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान विभाग ने उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में निम्नलिखित स्कीमें आरम्भ की हैं :—

उत्तर प्रदेश : (1) ट्रेकिंग उपस्कर नौकाओं और पॉलों की खरीद।

(2) औली में रेस्तरां और कुटीरों का निर्माण।

हिमाचल प्रदेश : हिमभारती (आई० आई० एस० एंड एम०) द्वारा नारकंडा में शीतकालीन स्कीइंग पाठ्क्रम।

(ग) राज्य सरकारों के परामर्श से वर्ष 1985-86 के लिए स्कीमों को अंतिम रूप प्रदान किया जाएगा।

पर्यटन से अर्जित राजस्व

2461. **प्रो० पी० जे० कुरियन :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान पर्यटन से अर्जित राजस्व में वृद्धि की प्रतिशतता का वर्ष-वार ब्योरा क्या है;

(ख) प्रत्येक वर्ष के लिए लक्ष्य रखे गये थे ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रिलीज किए गए अनुमानों के आधार पर, 1980-81 से 1982-83 के वर्षों के दौरान पर्यटन से विदेशी मुद्रा आय और पिछले वर्षों की तुलना में प्रतिशत अन्तर नीचे दिए गए हैं :—

	करोड़ रुपए	पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत अन्तर
1980-8	1166.3	26.8
1981-82	1063.9	(—) 8.8
1982-83	1130.6	6.3

(ख) लक्ष्य पर्यटक आगमनों के रूप में निर्धारित किए जाते हैं न कि अर्जित किए गए राजस्व के रूप में। छठी योजनावधि के दौरान पर्यटक आगमन का अभिवृद्धि-लक्ष्य 15 प्रतिशत प्रति-वर्ष था।

केरल को पिछड़ा राज्य घोषित करना

2462. प्रो० पी० जे० कुरियन : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल को पिछड़ा राज्य नहीं माना गया है;

(ख) क्या इसके परिणामस्वरूप केरल पिछड़े राज्यों को मिलने वाली कुछ रियायतों से वंचित हो गया है; और

(ग) यदि हां, तो केरल को पिछड़ा राज्य घोषित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) छठी योजना की अवधि में राष्ट्रीय औसत से कम प्रतिव्यक्ति आय वाले राज्यों के लिए परिशोधित गाडगिल फार्मूले के अन्तर्गत अलग से रखी हुई केन्द्रीय सहायता के 20 प्रतिशत में भाग प्राप्त करने की पात्रता के संदर्भ में केरल को उसकी प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से कम होने के अर्थ में पिछड़ा हुआ राज्य नहीं माना गया है।

(ख) राज्य योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता के आवंटन के मामले में पिछड़े राज्यों को कोई अन्य रियायत नहीं दी गई है।

(ग) यह राष्ट्रीय औसत की तुलना में केरल की प्रति व्यक्ति आय पर निर्भर करेगा।

स्वदेशी पर्यटन को बढ़ावा देने की योजना

2463. प्रो० पी० जे० कुरियन : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में स्वदेशी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये कोई व्यापक योजना तैयार की गई है;

(ख) क्या स्वदेशी पर्यटकों के लिये विद्यमान सुविधाएं पर्याप्त हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो स्वदेशी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किन उपायों पर विचार किया जा रहा है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) से (ग). सातवीं पंचवर्षीय योजना में स्वदेशी पर्यटन का संवर्धन करना विभाग की एप्रोच का एक प्रमुख अंग है। इस उद्देश्य को दृष्टि में रखते हुए विभाग ने ट्रेकिंग और माउनटेनीयरिंग, समुद्र-तट अवकाश, वन्य-जीव, पर्यटन, और पर्यटक रुचि के स्थानों पर सस्ते होटलों का निर्माण जैसे विभिन्न शीर्षकों के अन्तर्गत, स्कीमों के प्रतिपादन का सुझाव दिया है। राज्य सरकारों के परामर्श से ठोस परियोजनाओं को अन्तिम रूप दिया जाएगा। विभाग विभिन्न राज्यों और संघशासित क्षेत्रों के राज्य पर्यटन विकास निगमों द्वारा देश के विभिन्न भागों की यात्रा करने हेतु स्वदेशी पर्यटकों के लिए भी एक-मुश्त दौरों की व्यवस्था करने के वास्ते किए जाने वाले प्रयासों में समन्वय भी कर रहा है। स्वदेशी पर्यटकों के लिए सुविधाओं का विकास एक सतत प्रक्रिया है जिसमें केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार और प्राइवेट सैक्टर समन्वय के साथ अपनी-अपनी भूमिकाएं अदा करते हैं।

तीर्थाटन अभिरुचि के स्थानों पर धर्मशालाओं/सरायों/मुसाफिरखानों आदि का निर्माण/स्थापना करने के लिए विभाग ने भारतीय यात्री आवास विकास समिति नाम एक स्वायत्त सोसाइटी का 1978 में पंजीकरण कराया था। सोसाइटी ने सरकार से अनुदान तथा साथ-ही-साथ व्यक्तियों/संस्थानों से दान (डोनेशंस) प्राप्त किए हैं। छठी योजनावधि के दौरान पर्यटन विभाग ने भारतीय यात्री आवास विकास समिति को सहायक अनुदान के रूप में 40 लाख रुपये रिलीज किए हैं।

समिति ने दो धर्मशालाओं का कार्यचालन प्रारम्भ कर दिया है और अन्य पांच धर्मशालाओं का निर्माण-कार्य प्रगति पर है। अगले कुछ वर्षों के दौरान समिति द्वारा 10 और स्थानों पर निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिए जाने की संभावना है।

सातवीं योजना के दौरान विभाग पर्यटक अभिरुचि के स्थानों पर बजट-पर्यटकों के लिए यात्री निवासों का निर्माण करने की एक स्कीम पर भी विचार कर रहा है। ब्यौरे राज्य सरकारों के परामर्श से तैयार किए जाएंगे।

परमाणु संयंत्रों हेतु विदेशी सहायता

2464. **श्री नवीन रावणी** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी अन्य देश ने भारत में परमाणु संयंत्रों की स्थापना में सहायता देने की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं और क्या भारत सरकार ने उनकी पेशकश को स्वीकार कर लिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और इलेक्ट्रानिकी विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग). भारत अपने रिएक्टर बना रहा है लेकिन ऐसी पेशकशों पर हमेशा गौर करेगा जो उसकी अपनी क्षमताओं और कार्यक्रमों के अनुरूप हों।

वर्ष 1984 के दौरान रेलगाड़ियों में डकैतियां

2465. **श्री नवीन रावणी** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984 के दौरान देश में रेलगाड़ियों में डकैतियों के कितने मामले होने के समाचार है;

(ख) क्या इस अवधि में आंकड़ों को देखते हुए वर्ष 1983 की इस अवधि में डकैतियां बढ़ रही है;

(ग) क्या वर्ष 1984 के दौरान कोई गिरफ्तारी की गई तथा उक्त वर्ष में डकैती के दौरान मामले हल किए ; और

(घ) यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (घ). राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्र अपराधों से संबंधित कानूनों को लागू करने के लिए उत्तरदायी है। वर्ष 1983 और 1984 के दौरान सूचित की गई गाड़ियों में डकैतियों/लूटपाट के सम्बन्ध में उपलब्ध सूचना संलग्न विवरण, में दी गई हैं। वर्ष 1989 के दौरान गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या और वर्ष 1984 के दौरान हल किए गए डकैती के मामलों की संख्या के बारे में अखिल भारतीय आधार पर कोई आंकडे नहीं रखे जाते हैं।

2. रेलवे रेल मार्गों पर अपराधों की घटनाओं को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय कर रही है :—

(1) गाड़ियों के चालकों को संकट कालीन सीटी बजाने के निदेश दिए गए हैं यदि गाड़ी अचानक असारणीबद्ध रूप से रुकती है ताकि मार्ग रक्षक दल को सचेत किया जा सके।

(2) कोच एटेंडेंटों सतर्क रहने और आरक्षित डिब्बे में अनधिकृत प्रवेश को रोकने के निदेश दिए गए हैं।

(3) रेलवे के अनुसंधान, डिजाइन और मानक संगठन को डिब्बों के सरकावों किवाड़ों को ताला लगाने की व्यवस्था में सुधार करने, अनधिकृत प्रवेश को रोकने के लिए प्रवेश द्वारा में सुधार करने और डिब्बों को भीतर तथा बाहर बेहतर प्रकाश सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए सुझाव देने की सलाह दी गई है।

3. यात्रियों और उनके सामान की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं—

(1) रात्रि पैसेंजर/मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों में सशस्त्र पुलिस तैनात की जाती है।

(2) संदिग्ध व्यक्तियों पर निगरानी रखने के लिए सादे कपड़ों में कर्मचारी तैनात किए गए हैं।

(3) रास्ते के रेलवे स्टेशनों पर जहां कोई थाना या बाह्य चौकी नहीं हैं, वहां जिला पुलिस कर्मचारियों को संदिग्ध व्यक्तियों पर निगरानी रखने के लिए गाड़ियों के आने जाने के समय पर रेलवे स्टेशन पर उपस्थित रहने के लिए निदेश दिए गए हैं।

(4) सक्रिय अपराधियों की हिस्ट्री शीट खोली जा रही हैं।

(5) पुलिस के बचाव दलों को प्रत्येक स्टाप पर उतरने जहां पर गाड़ियां रुकती हैं। और गाड़ियों का चक्कर लगाने तथा संदिग्ध व्यक्तियों पर निगरानी रखने के लिए आदेश दिए गए हैं।

विवरण

वर्ष 1983 तथा 1984 में सूचित की गई चलती गाड़ियों में हुई डकैतियों/लूटपाट की राज्य-वार घटनाएं

	1983			1984		
राज्य का नाम	डकैती	लूटपाट	जोड़	डकैती	लूटपाट	जोड़
आन्ध्र प्रदेश	1	2	3	1	2	3
असम	6	16	22	3	16	19
बिहार	43	37	80	45	37	82
दिल्ली	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	1	1
गुजरात	1	6	7	शून्य	4	4
गोवा दमण और दीव	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
हरियाणा	शून्य	2	2	शून्य	शून्य	शून्य
जम्मू और कश्मीर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
केरल	शून्य	शून्य	शून्य	1	4	5
कर्नाटक	2	1	3	2	1	3
मध्य प्रदेश	4	14	18	4	16	20
महाराष्ट्र	12	38	50	9	39	48
उड़ीसा	5	5	10	2	6	8
पंजाब	1	4	5	शून्य	6	6
राजस्थान	4	5	9	2	8	10
तमिलनाडु	शून्य	2	2	1	2	3
उत्तर प्रदेश	15	51	66	22	55	77
पश्चिम बंगाल	15	36	51	30	30	60
हिमाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
जोड़	109	219	328	122	227	349

कोणार्क में प्रकाश तथा ध्वनि कार्यक्रम

2466. **श्री जगन्नाथ पटनायक :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पर्यटन महत्व के किन-किन स्थानों पर ध्वनि तथा प्रकाश कार्यक्रम दिखाये जाते हैं ;

(ख) क्या नये स्थानों पर ध्वनि तथा प्रकाश कार्यक्रम आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या उड़ीसा में कोणार्क को भी उक्त कार्यक्रम में सम्मिलित किया जायेगा?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) पर्यटक अभिरुचि के जिन स्थानों पर ध्वनि-व-प्रकाश कार्यक्रमों को शुरू किया गया है, नीचे दिए गए हैं :

(i) लाल किला, दिल्ली

(ii) साबरमती आश्रम, अहमदाबाद

(iii) शालीमार उद्यान, श्रीनगर

(iv) तीनमूर्ति हाउस, नई दिल्ली

(ख) बक्सर (बिहार) में ध्वनि-व-प्रकाश-प्रदर्शन का कार्य प्रगति पर है।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

पश्चिम बंगाल में संयुक्त स्टेडियम का निर्माण

2467. **श्री हन्नान मोल्लाह : क्या युवा कार्य और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह तथ्य मालूम है कि पश्चिम बंगाल सरकार 'साल्ट लेक' के पास एक अत्याधुनिक संयुक्त-स्टेडियम का निर्माण कर रही है ;

(ख) क्या सरकार का स्टेडियम के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता मांगने के संबंध में पश्चिम बंगाल की सरकार की ओर से कोई अभ्यावेदन भी मिला है ;

(ग) यदि हां, तो उक्त स्टेडियम के निर्माण में मदद करने हेतु क्या कार्यवाही की गयी है ;

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार स्टेडियम के निर्माण को पूरा कराने के लिए वित्तीय और अन्य सभी प्रकार की सहायता देगी ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

युवा कार्य और खेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) से (ङ). सरकार को मालूम है कि 'साल्क लेक' सिटी में पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा आधुनिक संयुक्त स्टेडियम निर्मित किया जा रहा है। उपर्युक्त स्टेडियम को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता हेतु 1983 में पश्चिम बंगाल सरकार से विभाग में अन्तिम अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था। राज्य सरकार को दिसम्बर, 1983 में सूचित किया गया था कि ऐसी वित्तीय सहायता जो इस प्रयोजनार्थ स्वीकृत पद्धति के अन्तर्गत स्वीकार्य था, स्टेडियम के लिए भी स्वीकार्य है। तथापि, संसाधनों की कठिनाई के कारण केन्द्रीय सरकार के लिए स्टेडियम को पूरा करने हेतु अपेक्षित बड़ी मात्रा में वित्तीय सहायता देना सम्भव नहीं था। बजट कठिनाइयां अभी भी जारी हैं।

पश्चिम बंगाल में साल्ट लेक इलेक्ट्रोनिक्स परियोजना

2468. **श्री हन्नान मोल्लाह : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने इलेक्ट्रोनिक्स विभाग को निर्देश दिया है कि इलेक्ट्रोनिक्स औद्योगिक लाइसेंसों हेतु सभी लम्बित पड़े प्रस्तावों को निपटाया जाये;

(ख) यदि हां, तो इस बीच विभाग द्वारा इस प्रकार के कितने प्रस्ताव मंजूर किए गए हैं;

(ग) इस प्रकार के एकक किन-किन स्थानों पर स्थापित किए जाने वाले हैं;

(घ) इन परियोजनाओं में कितनी पूंजीनिवेश होगा तथा उनका राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या पश्चिम बंगाल की साल्ट लेक इलेक्ट्रोनिक्स परियोजना की इस निर्देश के अन्तर्गत आती है;

(च) क्या इस बीच उक्त परियोजना को विभाग द्वारा मजूरी दे दी गई है;

(छ) यदि हां, तो कब; और

(ज) यदि नहीं, तो उसके विस्तृत कारण क्या हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री राजीव गांधी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (ज). ये प्रश्न ही नहीं उठते ।

श्रीलंका में हो रहे जातीय संघर्ष पर भारत में प्रतिक्रिया

2469. **श्री बी० बी० देसाई** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रतिनिधि मंडल के नेता ने जनेवा में आयोजित संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग को यह बताया है कि भारत-श्रीलंका में हो रहे जातीय संघर्ष के प्रति निरपेक्ष नहीं रह सकता है क्योंकि इसका भारत पर भारी सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक दवाव पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले के प्रति संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की प्रतिक्रिया क्या है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) श्रीलंका में जातीय हिंसा की घटनाओं के बाद संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग श्रीलंका में मानवाधिकार की स्थिति पर विचार-विमर्श करता रहा है ।

हमने श्रीलंका की सरकार को यह बता दिया है कि श्रीलंका में जातीय समस्या के राजनीतिक समाधान को सुविधाजनक बनाने के लिए भारत की सदभावनात्मक सहायता की अगर जरूरत हो तो वह उपलब्ध रहेगी ।

इंडियन एयरलाइन्स के विमानचालकों और अन्य केबिन कर्मचारियों को भोजन भत्ता

2470. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस के पाइलटों और अन्य केबिन कर्मचारियों को दिए जाने वाले भोजन में कोई अन्तर है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) एयर इंडिया और अन्य प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय एयरलाइनों में इस संबंध में वर्तमान प्रथा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी, हां ।

(ख) इंडियन एयरलाइन्स के विमानचालक, केबिन कर्मीदल की तुलना में उच्च दरों वाले होटलों में ठहरते हैं और वे केबिन कर्मीदल की तुलना में, अपने पदस्तर के अनुरूप, अधिक भोजन भत्ते के अधिकारी हैं।

(ग) एयर इंडिया के विमानचालक भी केबिन कर्मीदल के सदस्यों की तुलना में अधिक भोजन भत्ता पाने के अधिकारी हैं। तथापि अन्य अन्तर्राष्ट्रीय एयरलाइनों में उनकी स्थिति के बारे में जानकारी नहीं है।

विकासशील देशों के बीच दक्षिण-दक्षिण सहयोग के क्षेत्रों में हुई प्रगति

2471. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विकासशील देशों के बीच और अधिक दक्षिण-दक्षिण सहयोग बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है अथवा इस संबंध में कोई प्रगति हुई है ;

(ख) दक्षिण में अन्य देशों के लिए रेल, उद्योग और कृषि के क्षेत्र में भारत की क्या विशेष भूमिका होगी ; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी, हां। द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय स्तरों पर अधिकाधिक दक्षिण-दक्षिण सहयोग की दिशा में पर्याप्त प्रगति हुई है।

(ख) और (ग). भारत इन क्षेत्रों विकासशील देशों के बीच सहयोग को बढ़ाने की दिशा में किए गए प्रयत्नों से निकट रूप से जुड़ा रहा है। बहुपक्षीय स्तर पर भारत गुटनिरपेक्ष कार्य-योजना तथा 77 देशों के समूह की काराकस कार्य-योजना के कार्यान्वयन में सक्रिय रूप से भाग ले रहा है। इन कार्यकलापों में उद्योग और कृषि सहित बहुत से क्षेत्र शामिल हैं। गुट-निरपेक्ष आंदोलन के अध्यक्ष के रूप में भारत गुटनिरपेक्ष कार्य-योजना के बारे में अनुवर्ती कारंवाई के लिए और 77 देशों के समूह के अध्यक्ष के सहयोग से काराकस कार्य-योजना के अन्तर्गत कार्यकलापों के साथ इसके समन्वय के लिए उत्तरदायी है।

द्विपक्षीय स्तर पर भारत ने कई विकासशील देशों को विशेषकर अफ्रीका और एशिया में, इन क्षेत्रों में तकनीकी सहायता प्रदान की है। हमने विभिन्न विकासशील देशों में 200 से अधिक संयुक्त उद्यम स्थापित किए हैं। हमने इराक, अल्जीरिया आदि देशों में रेल निर्माण-कार्य भी किया है। हाल ही में हमने भयंकर सूखा और अकालग्रस्त सहारा के दक्षिण-वर्ती अफ्रीकी देशों को 100,000 टन गेहूं दिया है। हम इन देशों को उनका खाद्यान्न बढ़ाने में भी सहायता दे रहे हैं।

पश्चिम बंगाल में अर्ध-सैनिक बलों की तैनाती

2472. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल सरकार ने 1981-82 से 1984-85 के दौरान (वर्षवार अलग अलग) कितनी बार केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के बटालियनें मंगायी;

(ख) पश्चिम बंगाल सरकार ने क्या कानून और व्यवस्था पर नियंत्रण रखने के लिए सीमा सुरक्षा बल आदि जैसे किसी अन्य अर्ध सैनिक बलों की भी मांग की थी;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) से (ग). पश्चिमी बंगाल सरकार ने समय-समय पर अर्द्धसैनिक बलों की तैनाती के लिए अनुरोध किया है। अनुरोध के अनुरूप, पश्चिमी बंगाल सरकार को मार्च, 1981 से फरवरी, 1985 की अवधि के दौरान भेजी गई अर्द्ध-सैनिक बलों की कम्पनियों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

पश्चिमी बंगाल में मार्च, 1981 से फरवरी, 1985 की अवधि
के दौरान अर्द्ध सैनिक बलों की तैनाती

1. केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल :

मास व वर्ष	अर्द्ध-स्थायी आधार पर स्थायी चौकसी कर्तव्यों सहित विधि और व्यवस्था कर्तव्यों पर तैनात कंपनियों की संख्या	अस्थाई आधार पर स्थायी चौकसी कर्तव्यों सहित विधि और व्यवस्था कर्तव्यों पर तैनात कंपनियों की संख्या	विधानसभा/लोकसभा चुनावों से संबंधित विधि और व्यवस्था कर्तव्यों पर तैनात कंपनियों की संख्या
1	2	3	4
मार्च 1981	9	—	—
अप्रैल 1981	10	—	—
मई 1981	10	—	—
जून 1981	10	—	—
जुलाई 1981	10	—	—
अगस्त 1981	12	—	—
सितम्बर 1981	12	—	—
अक्तूबर 1981	12	—	—
नवम्बर 1981	12	—	—
दिसम्बर 1981	12	—	—
जनवरी 1982	12	—	—
फरवरी 1982	12	—	—
मार्च 1982	10	—	—
अप्रैल 1982	10	—	—
मई 1982	10	—	50 (विधानसभा चुनाव)
जून 1982	10	—	—

1	2	3	4
जुलाई 1982	10	—	—
अगस्त 1982	10	—	—
सितम्बर 1982	9	—	—
अक्तूबर 1982	10	—	—
नवम्बर 1982	10	—	—
दिसम्बर 1982	8	—	—
जनवरी 1983	8	—	—
फरवरी 1983	8	—	—
मार्च 1983	8	—	—
अप्रैल 1983	8	—	—
मई 1983	8	—	—
जून 1983	8	—	—
जुलाई 1983	8	—	—
अगस्त 1983	8	—	—
सितम्बर 1983	10	—	—
अक्तूबर 1983	8	—	—
नवम्बर 1983	8	—	—
दिसम्बर 1983	8	5	—
जनवरी 1984	8	5	—
फरवरी 1984	8	—	—
मार्च 1984	9	—	—
अप्रैल 1984	9	—	—
मई 1984	8	—	—
जून 1984	9	—	—
जुलाई 1984	10	—	—
अगस्त 1984	10	—	—
सितम्बर 1984	10	—	—
अक्तूबर 1984	10	—	—
नवम्बर 1984	10	—	—

1	2	3	4
दिसम्बर 1984	10	—	14 (लोकसभा चुनाव)
जनवरी 1985	10	—	—
फरवरी 1985	8	—	—
2. सीमा सुरक्षा बल :			
मार्च 1981	—	—	—
अप्रैल 1981 से	—	—	—
दिसम्बर 1981			
जनवरी 1982 से	—	—	—
अप्रैल 1982			
मई 1982	—	—	37 (विधानसभा चुनाव)
जून 1982 से			
दिसम्बर 1982	—	—	—
जनवरी 1983 से			
अप्रैल 1983	—	—	—
मई 1983	—	6	—
जून 1983 से			
दिसम्बर 1983	—	—	—
जनवरी 1984 से			
फरवरी 1984	—	—	—
मार्च 1984	—	1	—
अप्रैल 1984	—	1	—
मई 1984	—	—	—
जून 1984	—	1	—
जुलाई 1984 से			
सितम्बर 1984	—	—	—
अक्तूबर 1984	—	4	—
नवम्बर 1984	—	2	—
दिसम्बर 1984	—	3	—
—तदैव	—	—	11 (लोकसभा चुनाव)

1	2	3	4
जनवरी 1985 से फरवरी 1985	—	—	—
3. आसाम राइफल्स :			
दिसम्बर 1984	—	—	6 (लोकसभा चुनाव)

पांचवी और छठी योजना के अन्तर्गत पश्चिम बंगाल के लिए आर्थिक योजना आबंटन

2473. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवीं और छठी योजना अवधि के अन्तर्गत 1977 से 31 मार्च 1985 तक (वर्षवार) पश्चिम बंगाल को कितना वास्तविक वार्षिक योजना आबंटन किया गया ;

(ख) उक्त आबंटन में से वास्तविक खर्चा कितना हुआ और पश्चिम बंगाल में योजना आबंटन न खर्च हो सकने के कारण 1977 से 1984-85 तक प्रत्येक वर्ष कितनी वास्तविक धनराशि व्यपगत हो गयी ;

(ग) क्या इससे कृषि, उद्योग, डेयरी विकास और विद्युत उत्पादन संबंधी कार्यक्रमों के संदर्भ में पश्चिम बंगाल की विकासात्मक वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) और (ख). सूचना संलग्न विवरण-1 में दी गई है।

(ग) और (घ). योजना व्यय में कमी वास्तविक उपलब्धियों को प्रभावित करने वाले उपादानों में से एक है। छठी योजना के लक्ष्यों की तुलना में कुछ क्षेत्रों में वास्तविक उपलब्धियां संलग्न विवरण-2 में दी गई हैं।

विवरण-1

वार्षिक योजनाओं 1977-85 के अन्तर्गत परिव्यय/व्यय (पश्चिम बंगाल)

(करोड़ रु०)

	अनुमोदित परिव्यय	व्यय	कालम 2 के मुकाबल भिन्नता
1	2	3	4
पांचवीं पंचवर्षीय योजना			
1977-78	316.42	303.65	(—) 12.77
1978-79	371.40	368.49	(—) 2.91
1979-80	450.00	383.21	(—) 66.79

1	2	3	4
छठी पंचवर्षीय योजना			
1980-81	575.10	449.20	(—) 125.90
1981-82	638.00	454.33	(—) 183.67.
1982-83	490.00	470.55	(—) 19.45
1983-84	540.00	506.94	(—) 33.06
1984-85	(राज्य द्वारा मांगें गए परिव्यय और उपलब्ध संसाधनों के बीच अधिक अन्तर होने के कारण योजना को अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका),		

विवरण-2

पश्चिम बंगाल में छठी योजना के दौरान कुछ क्षेत्रों में वास्तविक उपलब्धियों में कमी

मद	इकाई	छठी योजना लक्ष्य	सम्भावित उपलब्धि
कृषि			
खाद्य उत्पादन	हजार टन	12000	9030
गन्ना	,,	2600	800
पटसन और मेस्ता	,,	4500	4300
विद्युत			
प्रतिस्थापित क्षमता में वृद्धि कमी इस प्रकार है :—	मे०वा०	1368	898
(1) कोलघाट तापीय विद्युत घर	,,	630	210
(2) रमम्म एच० ई० पी०	,,	50	शून्य
पम्पसैटों को बिजली-चालित करना	संख्या	77145	17656
उद्योग			
लघु उद्योग			
औद्योगिक एस्टेट/क्षेत्र यूनिटों की संख्या	संख्या	1620	1040

अन्तरिक्ष में गतिविधियां

2474. **श्री हुसेन दलवाई :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्तरिक्ष में गतिविधियों को और आगे बढ़ाने के लिये सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ; और

(ख) भारत अन्तरिक्ष में अपनी सभी गतिविधियां स्वयं करने में कब तक समर्थ हो जाएगा ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष और इलेक्ट्रानिकी विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) अन्तरिक्ष में गतिविधियों को और आगे बढ़ाने के लिए उठाए जा रहे कदम वे हैं, जिनका ब्यौरा 1980-90 दशाब्द के अन्तरिक्ष प्रोफाइल में दिया गया है। सरकार द्वारा स्वीकृत 1980-90 दशाब्द के अन्तरिक्ष कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य निम्न प्रकार हैं :—

(1) सुदूर संवेदन प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग के लिए भारतीय सुदूर संवेदन (आई० आर० एस०) उपग्रह का विकास करना तथा राष्ट्रीय संसाधनों के सर्वेक्षण और प्रबन्ध प्रणाली की स्थापना को बढ़ावा देना ;

(2) एस० एल० वी०—3 प्रमोचक राकेट की क्षमताओं में सुधार करना, संवर्धित नीतभारों के लिए इसके परिवर्तियों का विकास करना और उनका प्रमोचन करना। इसका एक सहवर्ती तत्व, देश में स्थित रेंजों से ध्रुवीय सूर्य-तुल्यकालिक मिशनों में सुदूर संवेदन उपग्रहों की स्थापना में सक्षम प्रमोचक राकेटों का विकास करना है ;

(3) राष्ट्रीय आवश्यकताओं के लिए संचार, मौसम विज्ञान और अन्य अन्तरिक्ष उपयोगों में भू-तुल्यकालिक मिशनों की प्रमोचन क्षमता अर्जित करना ;

(4) इसरो दूरमिति, अनुवर्तन और दूरआदेश संचारजाल (इस्ट्रैक) एवं राष्ट्रीय जांच तथा प्रमोचन रेजों का उपयोग करना तथा इनकी क्षमताओं का विस्तार करना ;

(5) इन्सैट (भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह) प्रणाली के अन्तरिक्षयानों के स्वदेशीकरण के कार्य को तीव्र करना, ताकि भारतीय निर्मित उपग्रहों द्वारा आयातित प्रथम पीढ़ी के अन्तरिक्ष-खण्ड को प्रतिस्थापित किया जा सके ; और

(6) अन्तरिक्ष-संबद्ध कार्यों को करने के लिए देश में औद्योगिक अवसंरचना का विकास और सुदृढ़ करना ;

(ख) भारतीय अन्तरिक्ष कार्यक्रम राष्ट्रीय विकास के लिए अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी के आत्म-निर्भर प्रयोग के लक्ष्य की दिशा की ओर निर्देशित है, इसका मुख्य जोर (1) विविध राष्ट्रीय उपयोगों के लिए उपग्रह संचार ; (2) संसाधनों के सर्वेक्षण और प्रबन्ध के लिए उपग्रह सुदूर संवेदन पर्यावरणीय मानीटरन और मौसम विज्ञानीय सेवा तथा (3) इन अन्तरिक्ष सेवाओं को प्रदान करने के लिए स्वदेशी उपग्रहों और प्रमोचक राकेटों के विकास और प्रचालनीकरण पर है। उपर्युक्त लक्ष्य के 1980-90 दशाब्द के अन्तरिक्ष प्रोफाइल में शामिल परियोजनाओं और कार्यक्रमों के पूरा होने के साथ प्राप्त किए जाने की संभावना है। फिर भी, ऐसे अवयव होंगे, जिनमें साज-समान, उपकरणों इत्यादि के आयात को पूरी तरह टाला नहीं जा सकता है।

मथुरा तेल शोधक कारखाने का ताजमहल पर प्रभाव

2475. **श्री हुसैन दलवाई** : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आगरा स्थित ताजमहल इस समय किस हालत में है ;

(ख) क्या मथुरा शोधक कारखाने के कारण इस सुन्दर स्मारक को क्षति पहुंच रही है ; और

(ग) सरकार का विश्व के इस महानतम स्मारक को बचाने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासानिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) ताजमहल की संरक्षण स्थिति अच्छी है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण वायु प्रदूषण का निरंतर मानीटर कर रहा है और इस प्रयोजन के लिए आस-पास की वायु को मापने के लिए अति संवेदी अनुश्रवण उपस्कर तथा विविक्त द्रव्य का विश्लेषण करने हेतु एक क्षेत्र प्रयोगशाला स्थापित की है। संबंधित एजेंसियों द्वारा दो ताप संयंत्रों को बन्द करने, रेलवे समाहार यार्ड में भाप इंजनों के स्थान पर डीजल इंजन लाने के कदम उठाए गए हैं। इसके अतिरिक्त मथुरा और आगरा के बीच में हरा-भरा क्षेत्र विकसित किया जा रहा है। ताजमहल के संरचनात्मक संरक्षण, रासायनिक संरक्षण और सौंदर्यपरक तथा पर्यटक अपेक्षाओं जैसे सभी पहलुओं की जांच करने तथा इसकी संरक्षण स्थिति ठीक रखने के उपायों की सिफारिश करने के लिए जून, 1984 में एक विशेषज्ञ समिति भी गठित की गई है।

हज यात्रा के लिए बम्बई, दिल्ली, मद्रास और त्रिवेन्द्रम् से एयर इंडिया की उड़ानें

2476. **श्री हुसैन दलवाई** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हज यात्रा के लिए एयर इंडिया की बम्बई और दिल्ली से मक्का के लिए प्रतिवर्ष कितनी उड़ानें होती हैं ;

(ख) क्या सरकार का विचार स्थानीय तीर्थ-यात्रियों की सुविधा के लिए मद्रास और त्रिवेन्द्रम् से भी हवाई उड़ानें शुरू करने का है ; और

(ग) यदि हां, तो कब से ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) एयर इंडिया द्वारा पिछले छः वर्षों में हज यात्रा के लिए बम्बई/दिल्ली से जद्दा तक प्रचालित चार्टर उड़ानों की संख्या इस प्रकार है :—

वर्ष	**उड़ानों की संख्या**
1979	14
1980	21
1981	19
1982	28
1983	29
1984	53

(ख) प्रचालनात्मक बाध्यकारिताओं के कारण एयर इंडिया की इस समय 1985 के हज मौसम के लिए मद्रास या त्रिवेन्द्रम् से उड़ानों का प्रचालन करने की कोई योजना नहीं है।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

पांच सितारा होटलों का निर्माण

2477. **श्री चित महाता :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक कितने पांच सितारा होटलों का निर्माण किया गया है और सातवीं पंचवर्षीय योजना में कितनों का निर्माण किया जाना है और उनके निर्माण के प्रयोजन क्या हैं ; और

(ख) अब तक कितनी धनराशि का निवेश किया गया है और शेष पांच सितारा होटलों के निर्माण पर कितनी धनराशि का निवेश किया जाना है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) सरकार की अनुमोदित सूची में इस समय 5-स्टार (5-स्टार डीलक्स सहित) श्रेणी में 53 कार्यरत होटल हैं। इस श्रेणी में अब तक निर्माण के लिए अनुमोदित होटलों की संख्या 22 है। इन होटलों का अनुमोदन, विदेशी पर्यटकों के लिए उनकी उपयुक्तता को ध्यान में रखते हुए किया गया है।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

देश में गरीबी को दूर करने के लिए खर्च की गई धनराशि

2478. **श्री चित्त महाता :** क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश से गरीबी हटाने के कार्य पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है ;

(ख) देश के ग्रामीण क्षेत्रों में अब तक कितनी गरीबी हट गई है ; और

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना में उक्त कार्यक्रम पर और कितनी धनराशि खर्च की जाएगी ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) छठी योजना में गरीबी दूर करने के प्रमुख कार्यक्रम ये थे—एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत छठी योजना निवेश ये थे—ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 1463.79 करोड़ रु० (दिसम्बर, 1984 तक) ; राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत 1649.54 करोड़ रु० (जनवरी, 1985 तक) ; और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अंतर्गत 292.90 करोड़ रु० (जनवरी, 1985 तक)।

(ख) गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों के अनुमान, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा किए गए परिवार उपभोक्ता व्यय से संबंधित सर्वेक्षण पर आधारित हैं। 1977-78 के लिए सर्वेक्षण के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों की संख्या 252.8 मिलियन होने का अनुमान लगाया गया था। छठी पंचवर्षीय योजना में गरीबी दूर करने के लिए अनेक कार्यक्रम कार्यान्वित किए गए हैं। परिवार उपभोक्ता व्यय से संबंधित अन्तिम सर्वेक्षण 1983 में किया गया था। सर्वेक्षण के परिणाम उपलब्ध होने के बाद इस बारे में अनुमान लगाए जाएंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में किस सीमा तक गरीबी दूर की गई है।

(ग) सातवीं योजना को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

पंजाब में परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना

2479. **प्रो० रामकृष्ण मोरे :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पंजाब में, एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संयंत्र के कब तक चालू होने की संभावना है ?

विज्ञान और प्रोद्योगिकी मन्त्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष और इलेक्ट्रानिकी विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख). उत्तरी विद्युत क्षेत्र में, जिसमें पंजाब भी शामिल है, भविष्य में परमाणु बिजलीघर लगाने की दृष्टि से विभिन्न स्थलों के बारे में अन्तिम निर्णय अभी लिया जाना है।

कम्प्यूटरों का उत्पादन बढ़ाना

2480. **प्रो० रामकृष्ण मोरे :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कम्प्यूटरों के वर्तमान 2000 कम्प्यूटर प्रतिवर्ष के उत्पादन को बढ़ा कर 1985-86 के अन्त तक 10,000 कम्प्यूटर प्रतिवर्ष करने का फैसला किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रोद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा अन्तरिक्ष और इलेक्ट्रॉनिकी विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) वर्ष 1985-86 के अन्त तक कम्प्यूटरों के उत्पादन के लिए कोई विशिष्ट लक्ष्य नहीं निर्धारित किया गया है। किन्तु, सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष अर्थात् 1989-90 के लिए निर्देशात्मक लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

उड़ीसा में पर्यटन के विकास की बृहत योजना

2481. **श्री सोमनाथ रथ :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में पर्यटन के विकास की कोई वृहत् योजना तैयार की गई है ;

(ख) यदि हां, तो इस वृहत् योजना के कार्यान्वियन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा अब तक कितनी धनराशि दी गई है ; और

(ग) वर्ष 1985-86 में उक्त योजना के कार्यान्वियन हेतु कितना वित्तीय प्रावधान किया गया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) से (ग). कोणार्क के लिए एक मास्टर योजना तैयार की गई है। उदयगिरी-रत्नागिरी-ललितगिरी और चिल्का झील के बारे में मास्टर योजनाएं नगर और ग्राम आयोजना संगठन द्वारा तैयार की जा रही है। विभाग ने कोणार्क में 3.49 लाख रुपये की लागत से एक प्रसाधन ब्लाक के निर्माण का कार्य हाथ में लिया है जिसमें से 2.61 लाख रु० की एक धनराशि राज्य सरकार को पहले ही रिलीज की जा चुकी है। उदयगिरी/रत्नागिरी/ललितगिरी और चिल्का झील के लिए स्कीमें राज्य सरकार द्वारा मास्टर योजनाओं को अन्तिम रूप दिए जाने और अधिसूचित किए जाने के बाद ही प्रारंभ की जाएंगी।

उजाड़ भूमि का ऊर्जा वनों के लिए उपयोग करने की योजना

2482. **श्री सोमनाथ रथ :** क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने उजाड़ भूमि का ऊर्जा स्रोतों के लिए उपयोग करने के सम्बन्ध में गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत विभाग द्वारा भेजी गई योजना को स्वीकृति दे दी है ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के लिए किए गए वित्तीय आवंटन का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उक्त योजना के कब क्रियान्वित किये जाने की आशा है ?

विज्ञान और प्रोद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष और इलेक्ट्रॉनिकी विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ग). अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत विभाग की प्रस्तावित योजना में उजाड़ भूमि को ऊर्जा बागवानी के लिए प्रयोग करने वाला पहलू भी शामिल है। अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत विभाग को सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए आवंटित की जाने वाली राशि का अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं हुआ है। अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत विभाग के वार्षिक योजना बजट में वर्ष 1985-86 के लिए ऊर्जा बागवानी की प्रदर्शन परियोना के लिए 2 करोड़ रुपये की राशि रखी गई है। उपलब्ध राशि (फण्ड) के अन्तर्गत ही ऊर्जा बागवानी का कार्य प्रारम्भ किया जाएगा।

हिन्द महासागर में अमरीका की गतिविधियां

2483. **श्री सी० पी० ठाकुर :**

श्री बृज मोहन महन्ती :

क्या **विदेश मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमेरिका ने श्रीलंका में शक्तिशाली ट्रांसमीटर की स्थापना कर हिन्द महासागर में अपनी गतिविधियां बढ़ाई हैं ; और

(ख) भारत का इस आधुनिक प्रणाली के विरुद्ध, जो हमारी रक्षा सम्बन्धी सभी तैयारियों पर नजर रखेगी, क्या कदम उठाने का विचार है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) प्राप्त सूचना के अनुसार, श्रीलंका में लगाए जाने वाले शक्तिशाली ट्रांसमीटर वॉयस ऑफ अमरीका के शार्ट वेव रिले स्टेशन के ही अंग हैं।

(ख) सरकार उन सभी घटनाओं पर सतर्कतापूर्ण नजर रख रही है जिनका भारत के सुरक्षा पर्यावरण पर प्रभाव पड़ सकता हो।

चित्तौड़गढ़, राजस्थान में सीमेंट उद्योग के कारण प्रदूषण

2484. **प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि सीमेंट उद्योग देश में प्रदूषण के लिए जिम्मेवार दूसरा बड़ा कारण है ;

(ख) सीमेंट उद्योग द्वारा प्रदूषण के कारण राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में कितने हेक्टेयर भूमि को नुकसान पहुंचा है ; और

(ग) प्रदूषण रोकने के लिए सीमेंट उद्योग द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं और इस सम्बन्ध में क्या अन्य कदम उठाने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीर सेन) : (क) जी हां।

(ख) बिड़ला सीमेंट उद्यम चित्तौड़गढ़ के आस-पास किये गये भू-उपयोग के अध्ययन से पता लगा है कि कृषि योग्य भूमि को कोई नुकसान नहीं हुआ है।

(ग) राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्र बोर्ड के अनुसार, बिड़ला एवं जे० के० सीमेन्ट उद्यम ने पहले ही प्रदूषण नियन्त्रण उपकरण लगा लिए हैं तथा उत्सर्जन के निर्धारित मानकों को प्राप्त करने के लिए परामर्शदाता भी नियुक्त कर लिए हैं।

[हिन्दी]

हिन्द महासागर में सैनिक अड्डों के कारण खतरा

2485. **प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत :** क्या **विदेश मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्द महासागर में सैनिक अड्डे स्थापित हो जाने और पाकिस्तान में इलेक्ट्रोनिक जासूसी केन्द्र खोले जाने के कारण खाडी के देशों पर गम्भीर संकट छाया है ;

(ख) इन खतरों से उबरने के लिए भारत द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(ग) क्या इन संकटों का संयुक्त रूप से मुकाबंला करने के लिए सोवियत संघ के साथ कोई समझौता किया गया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) सरकार ने अपना यह विचार बार-बार व्यक्त किया है कि हिन्द महासागर में बड़ी शक्तियों की सैनिक उपस्थिति से तटवर्ती राज्यों की सुरक्षा को खतरा है। अतः हिन्द महासागर में जिसमें खाड़ी के देश भी शामिल हैं, बड़ी शक्तियों को सैनिक सुविधाएं देना सरकार के लिए चिन्ता का विषय होगा।

सरकार ने कई अवसरों पर पाकिस्तान में अत्युत्तम अस्त्रों के प्रवेश, जिसमें तथाकथित "हाकी" अर्ली वार्निंग एयरबोर्न डिफेंस सिस्टम शामिल है, के बारे में अपनी चिन्ता से अवगत करा दिया है।

(ख) सरकार उन सभी घटनाओं पर अत्यधिक सतर्कता से निगरानी रख रही है जिनका देश की सुरक्षा से ताल्लुक हो।

(ग) जी, नहीं।

[अनुवाद]

परमाणु ऊर्जा विनियमन प्राधिकरण की स्थापना

2486. **प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत :** क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परमाणु ऊर्जा के कार्यों के सुरक्षा पहलुओं को विनियमित करने के लिए एक परमाणु ऊर्जा विनियमन प्राधिकरण की स्थापना की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बधी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष और इलेक्ट्रोनिकी विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) सन् 1983 में एक परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड की स्थापना परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत बनाए गए नियामक और सुरक्षा सम्बन्धी कार्य करने के लिए इसलिए की जा चुकी है कि सुरक्षा सम्बन्धी मानक निर्धारित किए जाएं, और नियम तथा विनियम बनाए जाएं तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि न्यूक्लियर ऊर्जा सम्बन्धी सुविधाओं के डिज़ाइन तैयार करने, उन सुविधाओं का निर्माण करने तथा उन्हें चलाने के दौरान सुरक्षा सम्बन्धी कोडों और मानकों का अनुपालन किया जा रहा है। इस बोर्ड के अध्यक्ष डा० ए० के० डे० हैं।

[हिन्दी]

श्रीलंका में तमिल भाषी शरणार्थी

2487. **प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत :** क्या **विदेश मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले एक वर्ष के दौरान श्रीलंका से भारत को कितने तमिल भाषी शरणार्थी आए ;

(ख) क्या वे लोग उचित वीसा लेकर भारत आये हैं और क्या वह वीसा की अवधि समाप्त होने के पश्चात् भी वापस नहीं गये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उन्हें वापस श्रीलंका भेजने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाई की जा रही है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जुलाई, 1983 से मार्च, 1985 के बीच भारत आने वाले तमिल भाषी शरणार्थियों की संख्या 85,000 से अधिक है।

(ख) इनमें ऐसे शरणार्थियों की बहुत बड़ी संख्या है जो बीजा के बिना भारत आए हैं। जो शरणार्थी यात्रा दस्तावेजों के साथ आए थे, उनके बीजा की अवधि समाप्त हो जाने पर थोड़े समय के लिए बढ़ा दी गई हैं।

(ग) सरकार ने श्रीलंका के प्राधिकारियों पर बार-बार इस बात का जोर दिया है कि ऐसी परिस्थितियां कायम करना बहुत जरूरी है जिसमें ये शरणार्थी सुरक्षा और गरिमा की भावना के साथ अपने घरों को लौट सकें।

[अनुवाद]

पर्यावरण के सम्बन्ध में फ्रान्स के साथ समझौता

2488. **श्री दिग्विजय सिंह :** क्या **प्रधान मन्त्री** यह बतानें की कृपा कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यावरण के बारे में भारत का फ्रांस के साथ समझौता है ;

(ख) क्या नदी बेसिन प्राधिकरणों को स्थापित करने और चलाने की फ्रांसिसी प्रणाली को भारत में लागू करने के लिए उसका अध्ययन किया जा रहा है ; और

(ग) फान्सिसी प्रणाली गंगा घाटी बोर्ड से किस प्रकार भिन्न है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वीर सेन) : (क) जी हां।

(ख) यद्यपि फ्रांस सरकार ने अपना अनुभव देने की पेशकश की है, लेकिन फ्रांस की नदी घाटी प्राधिकरणों की धारणा इस वीसंग में भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल प्रतीत नहीं होती हैं।

(ग) केन्द्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना गंगा के प्रदूषण के निवारण के लिए कार्रवाई योजना के कार्यान्वयन के निरीक्षण के विशेष उद्देश्य से की गई है, जबकि फ्रांस में नदी घाटी प्राधिकरणों के पास नदी घाटी प्रबन्ध के अलग-अलग पहलुओं के निरीक्षण का प्रचुर शासनादेश है।

सहायकों/डेस्क अधिकारियों/अवर सचिवों को बारी-बारी से बदले जाने के सम्बन्ध में जारी अनुदेश

2489. **श्री सनत कुमार मण्डल :** क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मन्त्री द्वारा चलाये गये स्वच्छ प्रशासन के अभियान को ध्यान में रखते हुए और मामलों के तत्काल निपटान को सुनिश्चित करने के लिए उनके मंत्रालय ने जन-कार्य करने वाले

विभिन्न मंत्रालयों और विभागों—जैसे वाणिज्य, उद्योग, वित्त, पेट्रोलियम तथा रसायन औ मंत्रालय आदि—में सहायकों/डैस्क आफिसरों/अवर सचिवों तथा उससे ऊपर के अधिकारियों के लिए जो कि अति संवेदनशील स्थानों पर पिछले 3 वर्ष के आंशिक समय से कार्य कर रहे हैं, उन्हें बारी-बारी से बदले जाने के सम्बन्ध में कोई विभागीय अनुदेश जारी किए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी, हां। ये अनुदेश सरकारी कर्मचारियों के सभी प्रवर्गों के लिए लागू हैं।

(ख) इनके ब्यौरे प्रकट करना लोक हित की दृष्टि से उचित न होगा।

[हिन्दी]

शिमला हवाई अड्डे के निर्माण पर व्यय हुई धनराशि

2490. **श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शिमला हवाई अड्डे के निर्माण पर सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान कितनी धनराशि व्यय की है ; और

(ख) समूची योजना पर सरकार द्वारा व्यय की जाने वाली धनराशि का ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) केन्द्र सरकार ने पिछले तीन वर्षों में शिमला हवाई अड्डे के निर्माण पर कोई राशि खर्च नहीं की है।

(ख) ऐसा अनुमान है कि प्रस्तावित हवाई अड्डे को प्रचालनों के योग्य बनाने की दृष्टि से बचे हुए भूमि कार्य को करने के लिए तथा धावनपथ, सम्बद्ध पट्टियों, अंतस्थ भवन, आदि का निर्माण करने के लिए 4.72 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे। सक्षम प्राधिकारी/प्राधिकरण द्वारा इस परियोजना की मंजूरी कर देने पर, इस व्यय का केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन किए जाने का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

दक्षिण अफ्रीका में प्रदर्शनकारियों की हत्या

2491. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक : क्या विदेश मंत्री** यह बताने की करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण अफ्रीका में, हाल ही में शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने वालों की भारी पैमाने पर हत्या की गई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या दक्षिण अफ्रीका में इस प्रकार की हत्याओं के विरुद्ध, सरकार द्वारा इस मामले को संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाने के लिए कोई प्रयास किए जा रहे हैं ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ख). खबरों के अनुसार, 21 मार्च 1985 को शार्पवील नरसंहार की 25वीं वर्ष गांठ पर केप प्राविंस में पृथ्वासन के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए लगभग 4000 लोगों की शांतिपूर्ण भीड़ पर दक्षिण अफ्रीका की पुलिस ने गोली

चलाई। बताया जाता है कि इस गोली बारी में उन्नीस व्यक्ति मारे गए। इससे पहले फरवरी 1985 के मध्य में. भी कई अश्वेत व्यक्ति केपटाऊन के निकट क्रास रोड्स में एक कालोनी से बलपूर्वक हटाए जाने पर विरोध प्रकट करते हुएं पुलिस की गोली में तथा अन्य झड़पों से मारे गए थे।

(ग) और (घ). 21 मार्च के हत्याकांड से पहले ही भारत ने 10 मार्च, 1985 को गुट निरपेक्ष देशों की ओर से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् में एक संकल्प रखा जिसमें शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों की निर्मम हत्या की भर्त्सना की गई थी और साथ ही परिषद् से यह भी कहा गया था कि वह यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट और पृथ्वासन-विरोधी अन्य संगठनों के 16 नेताओं पर लगाए गए "घोर देशद्रोह" का आरोप वापस लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका सरकार को मजबूर करे। इस संकल्प में दक्षिण अफ्रीका में कैद इन नेताओं और अन्य राजनीतिक बंदियों की बिना शर्त रिहाई की भी मांग की गई थी, यह संकल्प 12 मार्च को सर्वसम्मति से पास हुआ, सुरक्षा परिषद के सभी 15 सदस्यों ने इसके पक्ष में मत दिया।

भारत शार्पवील नरसंहार की 25वीं वर्षगांठ के मौके पर पृथ्वासन विरोधी संयुक्त राष्ट्र विशेष समिति के तत्वावधान में हुई विशेष बैठक में एक प्रमुख भागीदार था। इन बैठकों में यह मांग की गई कि जातिवादी सरकार पृथ्वासन की नीति छोड़ दे और साथ ही जातिवादी सरकार से सहयोग करने वाले देशों से भी अपील की कि वे इस प्रकार का सहयोग देना बंद कर दें।

राजधानी में वायु प्रदूषण

2492. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक :**

श्री विलास मुत्तेमवार :

श्री कमला प्रसाद सिंह :

क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 7 मार्च, 1985 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित समाचारों की ओर दिलाया गया है जिसमें कहा गया है कि प्रदूषण बोर्ड द्वारा किए गये एक अध्ययन से पता चलता है कि 55,000 औद्योगिक यूनिटों और सात लाख वाहनों के कारण राजधानी में वायु प्रदूषण में काफी वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय जल प्रदूषण निवारण और नियन्त्रण बोर्ड ने भी राजधानी में प्रदूषण को कम करने के कुछ उपायों की सिफारिश की है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में और प्रदूषण रोकने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वीर सेन) : (क) सरकार को प्रैस रिपोर्ट की जानकारी है। तथापि जल प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण के केन्द्रीय बोर्ड के अध्ययनों से यह पता नहीं चलता है कि राजधानी में 55,000 औद्योगिक एककों और 7 लाख वाहनों के कारण वायु प्रदूषण में काफी वृद्धि हुई है। अनुमानित आंकड़े केन्द्रीय बोर्ड से उदभूत नहीं हुए हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) चूंकि 82 प्रतिशत औद्योगिक प्रदूषण 3 बिजली घरों, 4 प्रतिशत रसायनिक संयंत्रों तथा 14 प्रतिशत 400 औद्योगिक एककों से होता है, अतः निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

(i) उड़न—राख (फलाई एश) नियंत्रण उपायों के अनुरुपान्तरण (रिट्रोफिट) के लिए ताप बिजली घरों को निदेश दिए गए थे।

(ii) दिल्ली विद्युत प्रदाय उपक्रम को राजघाट बिजलीघर को बन्द करने के लिए निदेश दिया गया था।

; इस पावर स्टेशन को बंद करने हेतु नये संयंत्र में उड़न-राख (फलाई एश) के नियन्त्रण एवं राख के उपयोग की शर्तों के साथ 2 × 67.5 मेगावाट क्षमता वाला कोयला पीसने का पावर संयंत्र बनाने के लिये पर्यावरणीय दृष्टिकोण से सहमति दे दी गई है।

(iii) एक रासायनिक संयंत्रण को सल्फ्यूरिक अम्ल की एकल रूपान्तरण एकल शोष्य विधि से द्विगुणित रूपान्तरण द्विगुणित शोष्य विधि अपनाये जानें के लिए निर्देश दिया गया है।

(iv) दूसरी रासायनिक इकाई की अच्छी रख-रखाव की स्थितियों के प्रयोग में लाने के निर्देश दिए गए हैं।

(v) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली के रासायनिक इन्जिनियरिंग विभाग के माध्यम से केन्द्रीय बोर्ड ने प्रदर्शन हेतु धमन भट्टी के एक उन्नत मंडल का विकास किया है। इस डिजाइन के व्यापारीकरण के लिए खोज-बीन की जा रही है।

(iv) दिसम्बर, 1985 तक अनुपालन के लिए, मोटर वाहन अधिनियम, 1939 के अन्तर्गत निस्सरण मानकों को सम्मिलत करने हेतु (निकट भविष्य के लिए), दिल्ली प्रशासन को सम्बन्धित नियमों में संशोधन करने के लिये कहा गया है।

ईसाई-मिशनों द्वारा पूर्वोत्तर इलाकों में अनुसूचित जातियों और आदिवासियों का धर्म-परिवर्तन

2493. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 10 मार्च, 1985 के "नवभारत टाइम्स" में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि गत तीन महीनों के दौरान यूरोप के देशों, ब्रिटेन और चीन से अनेक ईसाई-मिशन भारत आये हैं ;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि ये मिशन भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में हिन्दू धर्म और गांधीवाद के विरुद्ध प्रचार कर रहे हैं तथा अनुसूचित जातियों और आदिवासियों का धर्म-परिवर्तन कर रहे हैं ; और

(ग) इस सम्बंन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) जी, हां, श्रीमान्। (यह समाचार 10 मार्च, 1985 के नवभारत टाइम्स में प्रकाशित हुआ था)।

(ख) और (ग). इस प्रकार की कोई विशिष्ट सूचनाएं प्राप्त नहीं हुई है। इस मामले में संबंधित प्राधिकारी सतर्कता बरतते हैं।

जम्मू और कश्मीर में पर्यटकों का पहुंचना

2494. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 10 मार्च, 1985 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित

इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि जम्मू और काश्मीर में पाकिस्तान समर्थक संगठन की गतिविधियों में अचानक वृद्धि भारी चिंता का कारण बन गए हैं और इसका आगामी पर्यटन मौसम पर भी बुरा प्रभाव पड़ा है ;

(ख) इस स्थिति का सामना करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) क्या इससे राज्य की अर्थ-व्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ा है जो कि पिछले दो वर्षों में पर्यटकों के कम पहुंचने से पहले बहुत खराब है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). जी, हां। पिछले दो वर्षों के दौरान जम्मू और कश्मीर में कानून और व्यवस्था की स्थिति में गड़बड़ी हो जाने से पर्यटक व्यवसाय को धक्का लगा जिसके कारण राज्य की अर्थ-व्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ा है। पर्यटन उद्योग के विभिन्न घटकों को हुई क्षति का जायजा लेने के लिए योजना आयोग द्वारा गठित की गई अधिकारियों के एक केन्द्रीय दल नें अक्तूबर' 84 में जम्मू और कश्मीर का दौरा किया।

विदेशी मीडिया में प्रतिकूल प्रचार को निष्प्रभावी करने के लिए पर्यटन विभाग ने अपने विदेश-स्थित कार्यालयों के माध्यम से कश्मीर में सामान्य हालात होने के तथ्य को प्रचारित करने के लिए एक अभियान चलाया है। जम्मू और कश्मीर में ही अलग से पर्यटन का संवर्धन करने के लिए किए गए कुछ विशेष प्रयास इस प्रकार हैं :—

(1) एक अवकाश-बिहार-स्थल के रूप में ही नहीं बल्कि समागमों और सम्मेलनों के लिए एक आदर्श-केन्द्र के रूप में भी जम्मू और कश्मीर के बारे में मार्केटिंग की जा रही है।

(2) इण्डियन एयर लाइंस द्वारा दिल्ली-श्रीनगर-दिल्ली सैक्टर में 4 या उससे अधिक यात्रियों के ग्रुपों के लिए राउंड ट्रिप फेयर्स पर 30 प्रतिशत के विंटर ग्रुप डिस्काउंट फेयर्स की पेशकश की गई है ! यह 1 नवम्बर से 31 मार्च तक वैध है। यह डिस्काउंट "गुलमर्ग विंटर पैकेज" का उपयोग करने वाले पर्यटकों के लिए भी उपलब्ध है।

(3) जम्मू और कश्मीर पर्यटन विकास निगम द्वारा 1400 रुपये की लागत पर कश्मीर में सात दिन का एक स्पेशल पैकेज टूअर चलाया गया है जिसके अन्तर्गत गुलमंग में 3 दिन की स्कीइंग शामिल है ; और

(4) श्रीनगर और बम्बई के बीच एक फ्लाइट का प्रवर्तन एवं दिल्ली और श्रीनगर के बीच इण्डियन एयरलाइन्स फ्लाइट्स की संख्या में वृद्धि करना।

उड़ीसा में पर्यटन का विकास

2495. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस तथ्य के बावजूद कि उड़ीसा में बहुत अधिक पर्यटन क्षमता है जो उसके मनमोहक समुद्र तटों, भव्य वास्तुकला के प्राचीन स्मारकों, वन्य जीव-जन्तुओं से परिपूर्ण सघन वनों तथा प्रसिद्ध तीर्थ स्थानों से स्पष्ट है, इसका बहुत ही कम विकास हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उड़ीसा में पर्यटन विकास के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ;

(ग) उड़ीसा में कितने पर्यटन कार्यालय और पर्यटन काउन्टर काम कर रहे हैं ;

(घ) क्या उड़ीसा में और अधिक पर्यटन कार्यालय तथा पर्यटक काउन्टर खोलने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख). पर्यटन आधार-संरचना सम्बन्धी सुविधाओं का विकास और संवर्धन करना एक सतत प्रक्रिया है। उड़ीसा की समृद्ध पर्यटक संभाव्यता को ध्यान में रखते हुए, केन्द्र राज्य और प्राइवेट सेक्टरों के मिले जुले संसाधनों से अवस्थाबद्ध विकास के लिए पर्यटन विभाग ने राज्य सरकार के परामर्श से राज्य के 20 केन्द्रों को शामिल करते हुए दो यात्रा परिपथ निर्धारित किए हैं। छठी योजना के दौरान विभाग ने निम्नलिखित स्कीमें प्रारम्भ की हैं जो कार्यान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में है :

(i) कोणार्क की मास्टर प्लान।

(ii) चिल्का झील और उदयगिरी-ललित गिरी-रत्नगिरी की मास्टर प्लानें।

(iii) नन्दन कानन में लायन सफारी का विकास।

(iv) सिमलीपाल में वन-गृह।

(v) कोणार्क में टायलेट ब्लाक।

(vi) चिल्का झील में नौकाओं की व्यवस्था।

(vii) खंडगिरी-उदयगिरी में प्रकाश-पुंज व्यवस्था।

(viii) एक पंजीकृत सोसाइटी भारतीय यात्री आवास विकास समिति के जरिए पुरी में एक यात्रिका का निर्माण।

(ix) भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा होटल कलिंग अशोक भुवनेश्वर का विस्तार।

(x) भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा उड़ीसा पर्यटन विकास निगम के सहयोग से पुरी में एक संयुक्त उद्यम होटल का निर्माण।

(xi) भुवनेश्वर में एक भारत सरकार पर्यटक कार्यालय खोलना।

(ग) से (ङ). उड़ीसा के विभिन्न भागों में राज्य सरकार के 16 पर्यटक कार्यालय हैं। इसके अतिरिक्त दिल्ली तथा कलकत्ता स्थित एक-एक कार्यालय और राज्य के विभिन्न रेलवे स्टेशनों/एयरपोर्ट पर अवस्थित 15 पर्यटक काउन्टर हैं। तथापि, विभाग का भुवनेश्वर में अपने मौजूदा पर्यटक कार्यालय के अतिरिक्त राज्य में कोई अन्य पर्यटक कार्यालय या काउंटर खोलने का प्रस्ताव नहीं है।

दिल्ली पुलिस द्वारा उप-निरीक्षक का लिस्ट "एफ" (एक्जीक्यूटिव) में पदोन्नति

2496. **श्री केशवराव पारधी :** क्या गृह मन्त्री दिल्ली पुलिस द्वारा उप-निरीक्षक की लिस्ट "एफ" (एक्जीक्यूटिव) में पदोन्नति के बारे से 25 जुलाई 1984 के अतारांकित प्रश्न 497 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लिस्ट "एफ" में से अब तक कितने अभ्यर्थियों को निरीक्षक के पद पर पदोन्नत किया गया है तथा उनमें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अभ्यार्थियों की संख्या कितनी है ;

(ख) क्या पदोन्नति में आरक्षण तथा 40 प्वाइंट रोस्टर को भी कार्यान्वित किया गया है ;

(ग) यदि हां, तो उक्त लिस्ट "एफ" में से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कितने

उप-निरीक्षकों को निरीक्षक के पद पर पदोन्नत किया गया है तथा कितने बकाया चले आ रहे आरक्षित रिक्त स्थानों को भरा गया है ;

(घ) यदि नहीं, तो उक्त उपबन्धों का उल्लंघन करने तथा बकाया चले आ रहे आरक्षित रिक्त पदों को न भरने के क्या कारण हैं ; और

(ङ) लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार के आधार पर उक्त लिस्ट "एफ" तैयार करते समय पात्रता मानदण्ड सामान्य एवं विस्तारित विचारणीय सीमा क्या थी ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) अनुसूचित जाति के 9 और अनुसूचित जनजाति के 5 उम्मीदवारों को पदोन्नत किया गया है।

(ख) जी, हां, श्रीमान्।

(ग) और (घ). अनुसूचित जाति श्रेणी के 9 कान्स्टेबलों और अनुसूचित जनजाति श्रेणी के 5 कान्स्टेबलों को पदोन्नत किया गया है। अनुसूचित जाति श्रेणी में कोई बकाया नहीं है। तथापि अनुसूचित जनजाति श्रेणी में बकाया पदों को नहीं भरा जा सका क्योंकि अपेक्षित संख्या में उम्मीदवार परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर सके।

(ङ) दिल्ली पुलिस (पदोन्नति और स्थायीकरण) नियम 1980 के नियम 17 के अनुसार 6 वर्ष की सेवा वाले, स्थायी उप-निरीक्षक (एक्जीक्यूटिव) पात्र थे।

आदिवासी संस्कृति

2497. **श्री राम भगत पासवान : क्या संस्कृति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत के आदिवासियों की संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए कोई विशेष कदम उठाये हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार भारत में आदिवासियों की संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए राज्य सरकारों को उचित निदेश जारी करेगी ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) और (ख). जी, हां।

संस्कृति विभाग, स्वैच्छिक संगठनों और संग्रहालयों को वित्तीय सहायता की योजनाओं का संचालन करता है। इन योजनाओं के संचालन में, जनजातीय कला स्वरूपों और संस्कृति तथा उनके संरक्षण के सम्बन्धित परियोजनाओं को तरजीह दी जाती है।

2. तीन राष्ट्रीय अकादमियां, अर्थात संगीत नाटक अकादमी, ललित कला अकादमी और साहित्य अकादमी, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा पूर्णतः वित्त-पोषित हैं, की भी जनजातीय संस्कृति के संरक्षण और सुरक्षा सम्बन्धी योजनाएं हैं।

3. संगीत नाटक अकादमी के श्रव्य रेकार्डिंग, वीडियो रेकार्डिंग और 60 एम० एम० चलचित्रों के रूप में जनजातीय कला स्वरूपों को बढ़ावा देने में जनजातीय क्षेत्र में विस्तृत कार्य किया है। "जनजातीय संस्कृति का विकास" नामक योजना के अन्तर्गत देश के विभिन्न भागों में जनजातीय

उत्सवों के लिए निधियां दी जाती हैं। अकादमी ने सम्बन्धित राज्य अकादमियों के माध्यम से हिमाचल प्रदेश लक्षद्वीप, सिक्किम और मणिपुर में जनजातीय संगीतोत्सव आयोजित किया है अकादमी के पास संगीत वाद्यों, मुखौटों और कला वस्तुओं का एक बहुत बड़ा संग्रह है जिनकी संख्या 600 से अधिक है। अकादमी जनजातीय कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है।

4. ललित कला अकादमी लोक कला के प्रलेखन के लिए टेप रेकार्डिंग, तथा चित्रों और नमूनों के संग्रह सहित लोक कला का सर्वेक्षण भी आयोजित कर रही है।

5. साहित्य अकादमी का जनजातीय कथाओं और उडिया और कन्नड में गीतों के संग्रह को प्रकाशित करने का भी कार्यक्रम है।

6. शिक्षा मन्त्रालय के अन्तर्गत केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर जनजातीय और अन्य सीमावर्ती भाषाओं को स्कूली शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा में उनके उपयोग में सहयोग देने के उद्देश्य से उन्हें प्रोन्नत करने और उनके विकास में व्यस्त है। जनजातीय भाषाओं सहित भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा मन्त्रालय द्वारा स्वैच्छिक संगठनों को भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(ग) और (घ). हालाकि केन्द्रीय सरकार निर्देश जारी नहीं कर सकती, फिर भी जनजातीय कलाओं के विभिन्न स्वरूपों के संरक्षण की आवश्यकता पर राज्य सरकारों से आग्रह करने और उनकी योजनागत योजनाएं तैयार करते समय उपयुक्त प्रावधान करने का प्रयास किया जाएगा।

मन्त्रालय तथा इसके कार्यालयों में नैमत्तिक मजदूर

2498. **श्री राम भगत पासवान :** क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान उनके मन्त्रालय और इसके कार्यालयों/विभागों/अधीनस्थ कार्यालयों/सम्बद्ध कार्यालयों में कितने नैमितिक मजदूरों को कार्यालय-वार और वर्ष-वार स्थायी किया गया है ;

(ख) कितने नैमित्तिक मजदूर दो वर्ष से अधिक समय से काम कर रहे हैं और उन्हें नियमित नहीं किया गया है और उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या उनके मन्त्रालय ने उन्हें स्थायी करने के लिए कोई समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया है ;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान मन्त्रालय और इसके कार्यालयों में वर्ग "घ" के नियमित पदों के विरुद्ध समाविष्ट अनियत श्रमिकों की संख्या नीचे लिखे अनुसार है :

(i) विदेश मन्त्रालय का मुख्यालय :

1982	5
1983	26
1984	कोई नहीं

(ii) विदेश मन्त्रालय होस्टल :

1982	कोई नहीं
1983	5
1984	कोई नहीं

(iii) अन्य अधीनस्थ/सम्बद्ध कार्यालय :

अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

(ख) उन अनियत श्रमिकों की संख्या, जो दो वर्ष से अधिक समय से काम कर रहे हैं लेकिन वर्ग "घ" के नियमित पदों पर समाविष्ट नहीं किए गए हैं, इस प्रकार हैं :—

(i) विदेश मन्त्रालय	61
(ii) विदेश मन्त्रालय होस्टल	3

अन्य अधीनस्थ/सम्बद्ध कार्यालय—जैसा कि ऊपर "क" (iii) में दिया गया है।
इन अनियत श्रमिकों को 20 मार्च, 1979 के बाद काम पर लगाया गया था परन्तु रोजगार कार्यालय के माध्यम से नहीं।

(ग) मन्त्रालय वर्ग "घ" के नियमित पदों के विरुद्ध अनियत श्रमिकों को समाविष्ट करने के लिए कोई समयबद्ध कार्यक्रम नहीं बना सकता क्योंकि निर्धारित मानदण्डों में छूट नहीं दी जा सकती।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ने सरकारी कार्यालयों में काम कर रहे अनियत श्रमिकों को नियमित करने के लिए मानदंड निर्धारित किए हैं। ये हैं :—

(i) अनियत श्रमिक रोजगार कार्यालय के माध्यम से ही 20 मार्च, 1979 के बाद भर्ती किया गया हो।

(ii) उन्होंने लगातार दो वर्ष तक हर वर्ष कम से कम 240 दिन काम किया हो।

(iii) उनके पास आयु, शिक्षा आदि जैसी अन्य निर्धारित योग्यताएँ हों।

अनियत श्रमिकों को अभी तक वर्ग "घ" के नियमित पदों के विरुद्ध समाविष्ट नहीं किया गया है क्योंकि वे रोजगार कार्यालय के माध्यम से भर्ती के मानदण्ड को पूरा नहीं करते थे।

खिलाड़ियों के लिए घटिया भोजन

2499. **श्री राम बहादुर सिंह :** क्या युवा कार्य और खेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 5 मार्च, 1985 के "इण्डियन एक्सप्रैस" में "सबस्टेण्डर्ड फूड फार-प्लेयर्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है, जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि नेशनल बैडमिन्टन चैम्पियनशिप के जिसमें 300 खिलाड़ियों ने भाग लिया था लगभग दो दर्जन पुरुष और महिला अधिकारियों ने जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में खान-पान प्रबन्ध द्वारा उन्हें घटिया किस्म का भोजन परोसे जाने के प्रति रोष व्यक्त किया है।

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) खिलाड़ियों को घटिया भोजन परोसने के लिए जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि भविष्य में उनके लिए बढ़िया भोजन की व्यवस्था की जाएगी, क्या कदम उठाये जाने का सरकार का विचार है ?

युवा कार्य और खेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सरकार महसूस करती है कि रिहायशी खण्ड में खान-पान की व्यवस्था संतोष-जनक होनी चाहिए। भारतीय खेल प्राधिकरण ने अब सफाई और स्वास्थ्य के अनुकूल वातावरण को सुनिश्चित करने के लिए और उपाय अपनाने के अलावा खाने के नमूने की जांच और परीक्षण की पद्धति शुरू की है।

प्रतिनियुक्ति पर आए अधिकारियों को उनके मूल कार्यालय वापिस भेजना

2500. **श्री राम बहादुर सिंह** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिनियुक्ति पर आये उन सभी अधिकारियों को, जिन्होंने प्रतिनियुक्ति पर पांच वर्ष पूरे कर लिए हैं उनके मूल कार्यालय वापिस भेजने की सरकार की नीति है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार के सभी मन्त्रालयों और विभागों को ये अनुदेश जारी कर दिए गए हैं कि प्रतिनियुक्ति पर पांच वर्ष पूरे करने वाले सभी अधिकारियों को तुरन्त उनके मूल कार्यालय वापिस भेज दिया जाए ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) तथा (ख). सामान्य प्रतिनियुक्ति आदेशों द्वारा शासित अधिकारियों के सभी मामलों में केवल उन पदों को छोड़कर जिनमें पदावधि अपेक्षतया लम्बी निर्धारित की गई हो, प्रतिनियुक्ति की अवधि अधिक से अधिक तीन वर्ष होगी। प्रशासनिक मंत्रालय ऐसे मामलों में जिनमें लोक हित की दृष्टि से समय-वृद्धि आवश्यक समझी जाती हो, अपने सचिव के आदेश प्राप्त करके निर्धारित समय सीमा के बाद एक वर्ष तक की वृद्धि की मंजूरी दे सकते हैं। एक वर्ष के बाद की समय-वृद्धि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के विशेष अनुमोदन से दी जाएगी।

1983 में तत्कालीन प्रधान मन्त्री ने निदेश दिया था कि सामान्य प्रतिनियुक्ति आदेशों द्वारा शासित संवर्ग-बाह्य पदों पर प्रतिनियुक्ति के सभी मामलों में पदावधि सम्बन्धी नियम कड़ाई से लागू किए जाने चाहिए। तत्कालीन प्रधान मन्त्री के निदेश सभी मन्त्रालयों/विभागों को सूचित कर दिए गए थे। बाद में, नवम्बर, 1984 में वर्तमान प्रधान मन्त्री ने पदावधि सम्बन्धी नियमों का कड़ाई से पालन करने के लिए अन्य निदेश जारी किए। यह निदेश मन्त्रिमण्डल सचिव द्वारा मन्त्रालयों/विभागों के सभी सचिवों को भेज दिया गया था ताकि वे उसका पालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आवश्यक कार्रवाई करें।

विदेशों से उपहार के रूप में आग्नेयास्त्र

2501. **श्री राम बहादुर सिंह** :
श्री सी० पी० ठाकुर :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विदेश से उपहार के रूप में आग्नेयास्त्रों के आगमन में अकस्मात वृद्धि हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो दिसम्बर, 1984, जनवरी, 1985 और फरवरी, 1985 में ऐसे कितने

आग्नेयास्त्र प्राप्त हुए और पूरे वर्ष (1984) के दौरान कुल कितने आग्नेयास्त्र प्राप्त हुए ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (ग). इस समय छोटे आग्नेयास्त्रों के आयात की (क) उपहार योजना और (ख) सामान नियमों के अन्तर्गत अनुमति है। आग्नेयास्त्रों के आयात के लिए जून, 1984 तक मुख्य आयात तथा निर्यात नियंत्रक कार्यालय द्वारा 121 सीमा शुल्क अनुमति परमिट जारी किए गए थे। दिसम्बर, 1984, जनवरी, 1985 और फरवरी, 1985 के महीनों में आये हथियारों के बारे में और वर्ष 1984 के लिए भी सम्बन्धित सूचना सम्बन्धित प्राधिकारियों से एकत्र की जा रही है।

हथियारों के निर्माण पर पाबन्दी

2502. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1958 में हथियारों का निर्माण केवल सरकारी क्षेत्र तक सीमित करने का निर्णय किया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या अनेक लाइसेंस प्राप्त गैर-सरकारी बन्दूक कारखाने हैं जो प्रतिवर्ष हजारों हथियार बना रहे हैं ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या सरकार का देश में हथियार बनाने वाले इन सभी गैर-सरकारी कारखानों को बन्द करने अथवा अपने हाथ में लेने का विचार है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (घ). गैर सरकारी एजेंसियों द्वारा हथियारों और गोलाबारूद के निर्माण से संबंधित सरकारी नीति 1956 के औद्योगिक नीति संकल्प को ध्यान में रखकर बनाई गई थी। इस नीति के अनुसार हथियारों तथा गोलाबारूद का निर्माण केन्द्र सरकार का एकाधिकार होगा। परन्तु, गैर-सरकारी क्षेत्र में जिन वर्तमान यूनिटों को हथियारों तथा गोलाबारूद के निर्माण के लिए पहले से लाइसेंस दिया हुआ था, उनको निम्नलिखित शर्तों के अधीन ऐसा निर्माण करते रहने की अनुमति दी गई :—

(1) रिवाल्वर, पिस्तौल और राइफल हथियार और ऐसे हथियारों में प्रयोग किए जाने वाले गोलाबारूद का निर्माण नहीं किया जाना है ;

(2) कड़े से कड़े सुरक्षा पूर्वोपाय किए जाते हैं ताकि ऐसी फैक्ट्रियों के उत्पाद अनधिकृत हाथों में न पहुंच सकें ;

(3) ऐसी यूनिटों के कार्य उनके द्वारा पहले सह निर्माण की जा रही मदों तक ही सीमित रहने चाहिए ;

(4) भारत सरकार की पूर्वानुमति के बिना अपने उत्पादन का क्षेत्र बढ़ाकर और/अथवा उनके द्वारा उत्पादन में मदों की क्षमता बढ़ाकर अपने कार्यकलापों का विस्तार नहीं करना है ; और

(5) ब्रीच लोडिंग शाट गनों का, भारत सरकार के अनुमोदित विनियमों के अनुसार अभेद्य परीक्षण किया जाना चाहिए।

निम्नलिखित अपवादों को छोड़कर हथियारों और गोलाबारूद के निर्माण के लिए कोई नये लाइसेंस स्वीकृत नहीं किए जाएंगे :—

(1) जब तक परकुशन कैप्स और एयर-राइफल्स/एयर-गन्स का निर्माण कार्य आर्डिनंस फैक्ट्रियों में शुरू न किया जाये तब तक गैर सरकारी फर्मों द्वारा इनके निर्माण पर कोई आपत्ति नहीं होगी ;

(2) हथियारों तथा गोलाबारूद की मरम्मत और ऐसी मरम्मत करने के प्रयोजन के लिए ऐसे सामान के अवयवों तथा हिस्सों के निर्माण के लिए गैर सरकारी पार्टियों को दिए जा रहे लाइसेंसों पर कोई आपत्ति नहीं होगी, बशर्ते कि ऐसे अवयव/हिस्से आदि का, पूर्ण हथियारों/गोलाबारूद के प्रयोजन अथवा उन्हें जोड़ने में प्रयोग करने के लिए निर्माण न किया जाए ।

भारत सरकार हथियारों और गोलाबारूद के निर्माण के लिए प्राधिकारी है, लेकिन राज्य सरकारों उनके लाइसेंसों के नवीकरण के लिए प्राधिकारी है । गैर-सरकारी निर्माताओं की सूची संलग्न विवरण में दी जाती है ।

देश में हथियार बनाने वाली गैर-सरकारी यूनिटों को समाप्त करने अथवा उन्हें हाथ में लेने का कोई प्रस्ताव इस समय विचाराधीन नहीं है ।

विवरण

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	कम्पनी का नाम	लाइसेंस क्षमता
1	2	3	4
1.	असम	1. मै० पी० दास एण्ड कं० गोहाटी	450 ए० बी० बी०
		2. मै० इंडियन नेशनल आमर्स कं, गोहाटी	205 एस० बी० एल०
2.	बिहार	1. मै० फीजर एण्ड कं०	298 बी० एल० गन
		2. मै० आनर्स स्ट्रंग कं०	168
		3. मै० बी० एस० ए० कार्पोरेशन	681
		4. मै० बी० एस० ए० ब्रादर्स	411
		5. मै० बैजनाथ एण्ड कं०	119
		6. मै० बीरो एण्ड कं०	389
		7. मै० बुद्ध एण्ड सन्स	588
		8. मै० जी० एल० शर्मा एण्ड कं	110
		9. मै० दास एण्ड कं०	898
		10. मै० इम्पीरियल आमर्स एण्ड कं०	176
		11. मै० गिरधारी एण्ड सन्स	227
		12. मै० गिरधारी लाल एण्ड कं०	284
		13. मै० मेवा लाल एण्ड कं०	495

1	2	3	4
		14. मै० ओरियंटल आमर्स एण्ड कं०	302
		15. मै० जुन्नी लाल शर्मा एण्ड कं०	251
		16. मै० एम० बन्सी धर एण्ड सन्स	335
		17. मै० ग्रीन एंड कं०	285
		18. मै० सौखी एंड सन्स	352
		19. मै० रोयल आर्मस एंड कं०	308
		20. मै० ए० जी० एम० सहकारी समिति	1869
		21. मै० डिलैक्स आमर्स एण्ड कं०	472
		22. मै० हिन्द आमर्स एंड कं०	153
		23. मै० एम० चन्द एंड कं०	220
		24. मै० एम० होरिल एंड कं०	234
		25. मै० हजारी एंड सन्स	226
		26. मै० टिट्टुर एंड कं०	264
		27. मै० मुन्सी एंड कं०	216
		28. मै० एन० पी० शर्मा एंड सन्स	431
		29. मै० शकुन्तला देवी	74
		30. मै० लायन एण्ड लायन आर्मस एंड कं०	361
		31. मै० नोटन एंड कं०	116
		32. मै० जहूरी एंड सन्स	2 88
		33. मै० शर्मा एंड सन्स	296
		34. मै० बन्दो एण्ड सन्स	61
		35. मै० त्रिदिप एण्ड कं०	210
		36. मै० बीनावती देवी	74
		37. मै० बिहार स्माल आर्मस बखत्यारपुर	598
3.	हिमाचल प्रदेश	1. मै० हसबी एंड कं मण्डी	840बीएल/एमएल गन
		2. मै० वीर सिंह एंड कं० मण्डी	480 बीएल/एमएल गन
		3. मै० कजीन्स, मण्डी	780 बीएल/एमएलगन
		4. मै० प्रेम सागर एण्ड सन्स, मण्डी	780 बीएल/एमएलगन
4.	जम्मू और कश्मीर	1. मै० मेहर सिंह, एण्ड संस, जम्मू	700 शाट गन्स
		2. मै० खुर्मी गन वर्कस, जम्मू	600 " "

1	2	3	4
		3. मै० हेमराज गन, जम्मू	180 " "
		4. मै० तवी आर्मस एण्ड कं०	600 " "
		5. मै० स्टैंडर्ड गन वर्कस जम्मू	300 " "
		6. मै० पापुलर गन वर्कस जम्मू	600 " "
		7. मै० अमर वर्कशाप, जम्मू	600 " "
		8. मै० फ्रेंड्स एण्ड कं० जम्मू	600 " "
		9. मै० सन्तोख गन	300 बी एल गनस्
		10. मै० प्रीतम सिंह एण्ड संस जम्मू	360 " "
		11. मै० गोवर्धन लाल एंड संस जम्मू	672 " "
		12. मै० उत्तम गन वर्कर्स, जम्मू	360 " "
		13 मै० भार्गव आर्मस कं० जम्मू	300 शाटगनस्
		14. मै० कलसी गन वर्कस, जम्मू	600 " "
		15. मै० फ्री इंडिया गन मैनिफैक्चरर्स् जम्मू	600 " "
		16. मै० बुमराह गन मैनिफै०, जम्मू	150 " "
		17. मै० खजुरि ा गन वकर्स जम्मू	300 " "
		18. मै० नया कश्मीर सिन्डीकेट, जम्मू	600 " "
		19. मै० खालसा गन वर्कस, जम्मू	360 " "
		20. मै० शिव गन वर्कस, जम्मू	3000 " "
		21. मै० खैरुद्दीन एंड संस, जम्मू	600 एम एल/बीएल
		22. मै० मार्डन गन वकर्स, जम्मू	600 बी एल
		23. मै० विश्व कर्मा गन वर्कस, जम्मू	300 " "
		24. मै० गुलाम गन फैक्ट्री, उधमपुर	180 " "
		25. मै० हन्टर गन फैक्ट्री, उधमपुर	350 " "
		26. मै० भारत स्माल आर्मस प्रा० लि० कथुआ	4800 बी एल/एम एल
		27. मै० सोहन सिंह इंजिनियर वकर्स, कथुआ	150 " "
		28. मै० जारु गन फैक्ट्री, श्रीनगर	540 गन
		29. मै० सुभाना गन फैक्ट्री, श्रीनगर	300
		30. मै० उमेर दीन गन फैक्ट्री, राजौरी	60
5.	कर्नाटक	1. मै० द्वारका आर्मस स्टोर, बेल्लारी	3,000 बीएल/एमएल गन्स
		2. मै० सुजाता आर्मस मैनी फै० कं० बेल्लारी	750 बीएल/एम

1	2	3	4
		3. मै० हिमाचल आर्मस मैनिफै०कं०, बेल्लारी	1800 " "
6.	मध्य प्रदेश	1. मै० राजपूत गन सर्विस, रेवा	600 बीएल गन्स एक वर्ष में
		2. मै० मोहन लाल गोपालकृष्ण गुप्ता सागर	126 एम एल गन्स
		3. मै० भारत आर्मस कं० भोपाल	100 एम एल गन्स
		4. मै० कैपीटल आर्मस क० भोपाल	54 " "
		5. मै० देवास गन कैंप्स फैक्ट्री, देवास	225 " "
		6. मै० हुसैनी एंड कं० देवास	321 " "
		7. मै० फिदा हुसैन, इन्दौर	144 " "
7.	राजस्थान	1. मै० नारायण जगन्नाथ सिकलिर, राजस्थान	1500 बीएल गन्स
		2. मै० वर्दीचन्द पन्ना लाल, राजस्थान	1000 एम एल गन्स
		3. मै०मोहन लाल कालू राम	200 " "
		4. मै० वैस्टर्न यूनाइटेड ट्रेसर्स	200 " "
		5. मै० अब्दुल हकीम उस्ता	200 " "
		6. मै० मिस्त्री नसीर मोहम्मद फतेह मोहम्मद	500 " "
		7. मै० इन्साफ अली एंड संस, जोधपुर	500 एमएल/बीएलगन
		8. मै० न्यू लाईट आर्ट वर्कस, जोधपुर	3000 एम एल
		9. मै० गणेष आर्मस एंड कं०	333 एम एल गन्स
		10. मै० भाटी एण्ड कं० जोधपुर	667 गनस
		11. मै० रसूल बक्स एंड सन्स, भीलवाड़ा	200 एम एल गन्स
		12. मै० अब्दुल गनी एण्ड संस, भीलवाड़ा	100 " "
		13. मै० राजस्थान गन मैनिफै० कं० उदयपुर	500 " "
8.	मणिपुर	1. मै० ईस्ट एंड आमर्स कं०	657 बी एलगन्स
9.	उत्तर प्रदेश	1. मै० ए० के० निओगी एंड संस, कानपुर	766 एम एल/बीएल गन
		2. मै० राधा प्रसाद, गाजीपुर	9 "
		3. मै० नरेन्द्र एण्ड कम्पनी, देहादून	400 "

समुद्रतल गवेषणा हेतु अनुसंधान पोत

2503. **श्री विजय एन० पाटिल :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके विभाग ने समुद्रतल गवेषणा हेतु कोई अनुसंधान पोत खरीदे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और इलैक्ट्रानिकी विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख). जी हां, श्रीमन् । महासागर विकास विभाग ने गहन समुद्र सर्वेक्षण और गवेषणा हेतु पश्चिम जर्मनी सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत, पश्चिम जर्मनी से एक परिष्कृत समुद्रवैज्ञानिक अनुसंधान जलयान "सागर कन्या" प्राप्त किया है। यह जलयान 100,34 मीटर लम्बा है और इसका कुल टन भार लगभग 4,000 टन है ; इसमें 13 प्रयोगशालाएं हैं और प्रत्येक में बहुत ही परिष्कृत उपस्कर लगे हुए हैं। 4 संगणक (कम्प्यूटर) भी लगे हैं। विभाग ने डेनिश सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत, डेनमार्क से एक अन्य अनुसंधान जलयान "सागर सम्पदा" भी प्राप्त किया है। यह 71.50 मीटर लम्बा है और इसका कुल टन भार 2661 टन है। इस जलयान में 6 उत्कृष्ट प्रयोगशालाएं हैं। इस जलयान की विशेषता यह है कि इसका पेटा (आवरण) बर्फ सहन करने में सक्षम है और इससे अन्टार्कटिक जल में मछलियां पकड़ी जा सकती हैं।

राजभाषा समिति का प्रतिवेदन

2504. **श्री विजय एन० पाटिल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजभाषा समिति ने कोई प्रतिवेदन अथवा अन्तरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य निष्कर्ष और सिफारिशें क्या हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

नई दिल्ली से मद्रास के लिए इंडियन एयरलाइन्स की उड़ानों में वृद्धि

2505. **श्री ई० एस० एम० पकीर मोहम्मद** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का नई दिल्ली से मद्रास के लिए इंडियन एयरलाइंस की उड़ानों में वृद्धि करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी, नहीं। दिल्ली और मद्रास के बीच प्रदान की गई क्षमता वर्तमान यातायात की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त समझी जाती है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

20-सूत्री कार्यक्रम की असन्तोषजनक प्रगति

2506. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों से योजना आयोग को मिली नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत अधिकांश योजनाओं की क्रियान्विति दिसम्बर, 1984 तक असन्तोष रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में प्रत्येक राज्य की प्रगति का ब्यौरा क्या है ;

(ग) उक्त कार्यकरण के असन्तोषजनक रहने के क्या कारण हैं ; और

(घ) इस मामले में क्या कार्यवाही की गयी है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी, नहीं । राज्य सरकारों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार 20-सूत्री कार्यक्रम का कार्यान्वयन 11 सूत्रों के अन्तर्गत बहुत अच्छा 4 सूत्रों के अन्तर्गत 'अच्छा' और 6 सूत्रों के अन्तर्गत 'कम' था। वर्गीकरण इस आधार पर किया गया है कि दिसम्बर के अन्त तक वार्षिक लक्ष्य की 60 प्रतिशत उपलब्धि को 'बहुत अच्छा' पाना गया है, 51 प्रतिशत से 60 प्रतिशत उपलब्धि को 'अच्छा' माना है और 50 प्रतिशत से कम को 'असंतोषजनक' माना है । रिपोर्टों से यह भी पता चलता है कि आधे से अधिक राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में आधे से अधिक सूत्रों में उपलब्धि 60 प्रतिशत से अधिक रही ।

(ख) दिसम्बर, 1984 तक 20-सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन में राज्यों के निष्पादन सम्बन्धी विवरणों का एक सेट संलग्न है । **[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 834/85]**

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(घ) मासिक प्रगति रिपोर्टों के जारी होने के बाद, योजना आयोग राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखते रहे हैं जिनमें उन सूत्रों के बारे में उल्लेख किया गया है जिनमें निष्पादन असंतोषजनक रहा है और उनसे इनके सम्बन्ध में उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए आग्रह किया जाता रहा है ताकि लक्ष्य प्राप्त किए जा सकें ।

वन्य जीवों की संख्या में वृद्धि के लिए कदम

2507. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि वन्य जीवों की संख्या बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वीर सेन) : वन्य प्राणि संरक्षण तथा इससे उनका समग्र स्तर सुधारने और उनकी संख्या बढ़ाने के उपाय किए जा रहे हैं । ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गये हैं ।

विवरण

भारत में वन्य प्राणि संरक्षण के लिए हाल के वर्षों में अनेक उपाय किए गए हैं । महत्वपूर्ण उपाय नीचे दिए गए हैं :—

(1) सम्पूर्ण देश में वन्य प्राणि संरक्षण सम्बन्धी समान कानून की व्यवस्था करने के लिए वन्य प्राणि (संरक्षण) अधिनियम, 1972 नामक एक केन्द्रीय कानून, बनाया गया है । वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 वन भूमि का गैर वन भूमि के प्रयोजनों के लिए अंधाधुंध उपयोग को रोकना है जो देश में वन्य प्राणियों का मुख्य आवासी स्थल हैं ।

(2) **भारतीय वन्य प्राणि बोर्ड**

यह देश की इस क्षेत्र में एक उच्चतम सलाहकार निकाय है । 1980 से प्रधान मंत्री द्वारा सभापति के रूप में इसका कार्यभार सम्भालने के पश्चात इसकी महत्ता तथा प्रभाव बढ़ गया है :

(3) 1980 में 19 राष्ट्रीय पार्कों तथा 205 आश्रय स्थलों से, देश में आरक्षित क्षेत्रों का नेट-वर्क, 53 राष्ट्रीय पार्कों तथा 247 आश्रय-स्थलों तक बढ़ाया गया है, जिस के तहत देश में कुल भूमि क्षेत्र का लगभग 3 प्रतिशत और वन भूमि का लगभग 12 प्रतिशत है ।

(4) बाघ परियोजना तथा घड़ियाल परियोजना

विशेष परियोजनाएं खतरे में पड़ी प्रजातियों को बचाने के लिए शुरू की गई है और ये सफल साबित हुई हैं।

(5) वन्य पशु, पक्षियों, पौधों का व्यापार तथा वाणिज्य के साथ-साथ निर्यात तथा आयात तथा उनके व्युत्पादितों पर सख्ती से नियन्त्रण किया गया है।

(6) राष्ट्रीय उद्यानों तथा आश्रय स्थलों (बाघ आरक्षण स्थलों सहित) और चिड़ियाघरों का विकास करने में मदद करने तथा संरक्षण तथा शिक्षा सम्बन्धी जागरुकता बढ़ाने के लिए, केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं शुरू की गई हैं।

(7) वन्य प्राणि प्रशिक्षण, शिक्षा तथा अनुसंधान के विकास के लिए भारतीय वन्य प्राणि संस्थान नामक राष्ट्रीय स्तर का संस्थान स्थापित किया गया है।

(8) संरक्षण के लिए आम जागरुकता पैदा करने तथा सार्वजनिक समर्थन प्राप्त करने के लिए प्रत्येक वर्ष अक्तूबर के प्रथम सप्ताह मनाया जाता है।

(9) भारत पांच अन्तर्राष्ट्रीय समझौतों के लिए हस्ताक्षरकर्त्ता है—वन्य जीव-जन्तु और वनस्पति को खतरे में पड़ी हुई किस्मों के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से सम्बन्धित सम्मेलन (साइट्स), आर्द्रभूमि, व्हेलिंग, प्रवासी प्रजातियां और रूस के साथ प्रवासी पक्षियों के सम्बन्ध में।

(10) हाल ही में अपनाई गई राष्ट्रीय वन्यप्राणि कार्यात्मक योजना, जो भविष्य में वन्य-प्राणि संरक्षण के लिए नीति कार्यक्रमों और परियोजनाओं की संरचना की व्यवस्था करता है। इसके मुख्य घटक ये हैं :—

—आरक्षित क्षेत्रों के प्रतिनिधि नेटवर्क की स्थापना ;

—आरक्षित क्षेत्रों का प्रबन्ध तथा आवासी पुर्नस्थापना ;

—बहु उपयोगी क्षेत्रों में वन्य प्राणि आरक्षण ;

—खतरे में पड़ी तथा आतंकित प्रजातियों का पुनर्वास ;

—बन्दी अवस्था में प्रजनन कार्यक्रम ;

—वन्य प्राणि शिक्षा तथा निर्वचन ;

—अनुसंधान तथा प्रबोधन ;

—बेशी कानून तथा अन्तर्राष्ट्रीय समझौते ;

—राष्ट्रीय संरक्षण नीति ; तथा

—स्वैच्छिक निकायों/ गैर सरकारी संगठनों के साथ सहयोग।

कार्यकारी योजना का कार्यान्वियन शुरू किया गया है और पहले ही अनेक कदम उठाए गए हैं नोडल एजेंसी वन्य प्राणि आरक्षण का केन्द्रीय निदेशालय तथा भारतीय वन्य प्राणि संसाधन है, जिसे राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों एवं स्वैच्छिक निकायों और अन्य राष्ट्रीय अन्तर्राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों का सक्रिय सहयोग प्राप्त है।

कार्यकारी योजना को सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-90) के लिए वन्य प्राणि संरक्षण कार्यक्रमों का केन्द्रीय विषय बना दिया गया है।

[हिन्दी]

स्वदेशी पर्यटन को बढ़ावा देने की योजना

2508. **श्री मूलचन्द डागा : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटन विभाग ने स्वदेशी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कोई योजना तैयार की है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ;

(ग) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान इस योजना को कार्यान्वित किया गया है ;

(घ) उस पर अब तक कितनी धनराशि व्यय की गई है ; और

(ङ) सरकार की स्वदेशी पर्यटन को बढ़ावा देने के नीति के फलस्वरूप पिछले तीन वर्षों के दौरान पर्यटकों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) से (घ). सातवी पंचवर्षीय योजना में स्वदेशी पर्यटन का संवर्धन करना विभाग की एप्रोच का एक प्रमुख अंग है। इस उद्देश्य को दृष्टि में रखते हुए विभाग ने ट्रेकिंग और माउनटेनीयरिंग, समुद्र-तट अवकाश, जल-क्रीड़ाएं जिनमें श्वेत जल-क्रीड़ाएं शामिल हैं, वन्य जीव पर्यटन और पर्यटक रुचि के स्थानों पर सस्ते होटलों का निर्माण जैसे विभिन्न शीर्षकों के अन्तर्गत, स्कीमों के प्रतिपादन का सुझाव दिया है। राज्य सरकारों के परामर्श से ठोस परियोजनाओं को अन्तिम रूप दिया जाएगा। विभाग, विभिन्न राज्यों और संघशासित क्षेत्रों के राज्य पर्यटन विकास निगमों द्वारा देश के विभिन्न भागों की यात्रा करने हेतु, स्वदेशी पर्यटकों के लिए एक-मुश्त दौरों की व्यवस्था करने के वास्ते किए जाने वाले प्रयासों में समन्वय भी कर रहा है।

तीर्थाटन अभिरूचि के स्थानों पर धर्मशालाओं/सरायों/मुसाफिरखानों आदि का निर्माण/स्थापना करने के लिए विभाग ने भारतीय यात्री आवास समिति नामक एक स्वायत्त सोसाइटी का 1978 में पंजीकरण कराया था। सोसाइटी ने सरकार से अनुदान तथा साथ ही साथ व्यक्तियों/संस्थानों से दान (डोनेशंस) प्राप्त किए हैं। छठी योजनावधि के दौरान पर्यटन विभाग ने भारतीय यात्री आवास विकास समिति को सहायक अनुदान के रूप में 40 लाख रु० रिलीज किए हैं।

समिति ने दो धर्मशालाओं का कार्यचालन प्रारम्भ कर दिया है और अन्य पांच धर्मशालाओं का निर्माण कार्य प्रगति पर है। अगले कुछ वर्षों के दौरान समिति द्वारा 10 और स्थानों पर निर्माण-कार्य प्रारम्भ कर दिए जाने की सम्भावना है।

सातवीं योजना के दौरान विभाग पर्यटक अभिरूचि के स्थानों पर बजट-पर्यटकों के लिए यात्री निवासों का निर्माण करने की एक स्कीम पर भी विचार कर रहा है। ब्यौरे राज्य सरकारों के परामर्श से तैयार किए जायेंगे।

(ङ) फिलहाल स्वदेशी पर्यटन से सम्बन्धित आंकड़ों को एकत्र करने के लिए कोई कार्य-प्रणाली (मशीनरी) नही है।

और अधिक युवक केन्द्र खोलना

2509. **श्री हरीश रावत : क्या युवा कार्य और खेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कुल कितने नेहरू युवक केन्द्र कार्यरत हैं और क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में और अधिक युवक केन्द्र खोलने का है ;

(ख) यदि हां, तो ये केन्द्र किन स्थानों पर खोले जायेंगे ;

(ग) क्या कुछ वर्तमान युवक केन्द्रों में कर्मचारियों की कमी है ; और

(घ) यदि हां, तो इन कमी को पूरा करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं।

युवा कार्य और खेल विभागों में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) और (ख). देश में 197 नेहरू युवक केन्द्र चल रहे हैं। लगभग 100 अतिरिक्त केन्द्रों को चालू वित्तीय वर्ष के दौरान ऐसे स्थानों पर स्थापित करने का प्रस्ताव है जिन पर राज्य सरकारों के परामर्श से निर्णय लिया जाना है।

(ग) और (घ). कुछ केन्द्रों में पूर्णकालीन युवा समन्वयकों को तैनात किया जाना है। इस प्रयोजनार्थ संघ लोक सेवा आयोग से सिफारिशों के लिए अनुरोध किया गया है। कुछ केन्द्रों में लिपिकों की भी कमी है जिसके लिए उपयुक्त प्राधिकरणों से सम्पर्क किया गया है।

विमानों से पक्षियों के टकराने से इण्डियन एयरलाइन्स को हुई हानि

2510. **श्री हरीश रावत :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पक्षियों के विमानों से टकराने के फलस्वरूप इंडियन एयरलाइन्स को पिछले एक वर्ष के दौरान कुल कितनी हानि हुई ;

(ख) क्या यह सच है कि पक्षियों के टकराने की अधिकतर दुर्घटनायें हवाई अड्डों के पास हुई हैं ; और

(ग) यदि हां, तो हवाई अड्डों के आसपास के क्षेत्र में सफाई रखने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है जिससे वहां पक्षी आकर्षित न हों ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) पिछले एक वर्ष में (दिनांक 1-4-84 से 31-3-85 तक) पक्षियों के टकराने के कारण, इंडियन एयरलाइन्स के विमानों की मरम्मत पर आई लागत 59.06 लाख रुपए (केवल उनसठ लाख और छः हजार रुपये) है।

(ख) जी, हां।

(ग) धावनपथ पट्टियों के चारों ओर की घास को काटने, कीड़े-मकोड़ों को मारने के लिए कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करने, कूड़े-करकट को जलाने के लिए भस्मकों का प्रयोग करने, प्रचालन क्षेत्र में सोडियम प्रकाश की व्यवस्था करने, प्रचालन क्षेत्र में कूड़े-करकट डाले जाने को रोकने, विमान-पट्टियों में और आसपास सामान्य सफ़ाई व्यवस्था में सुधार करने जैसे उपाय बराबर किए जा रहे हैं।

हवाई अड्डे में और आसपास सफाई के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने की दृष्टि से विविध माध्यमों के जरिए शिक्षा अभियान चलाने का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

अल्प संख्यकों संबंधी उच्च शक्ति प्राप्त पैनल द्वारा की गई सिफारिशों का क्रियान्वयन

2511. **श्री जी० एम० बनातवाला :** क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने डा० गोपाल सिंह की अध्यक्षता में गठित अल्पसंख्यकों सम्बन्धी उच्च

शक्ति प्राप्त पैनल की सिफारिशों पर विचार किया है ;

(ख) उक्त पैनल द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) सिफारिशों पर सरकार ने क्या निर्णय किएं है ;

(घ) क्या पैनल की रिपोर्ट सभा पटल पर रखी जाएगी ;

(ङ) यदि हां, तो सिफारिशों के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में क्या कोई कार्यवाही की गई है ; और

(च) यदि तब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है, तो कब तक निर्णय ले लिए जायेंगे तथा शीघ्र निर्णय लेने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) से (च). रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है। सभा पटल पर रिपोर्ट रखने के बारे में उपयुक्त निर्णय उचित समय पर किया जाएगा।

[हिन्दी]

हिमाचल प्रदेश में पर्यटन संवर्धन की योजनायें

2512. **श्री के० डी० सुल्तानपुरी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा पर्यटन तथा नागर विमानन के संवर्धन हेतु छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान कार्यान्वित की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हिमाचल प्रदेश सरकार को कितनी धनराशि उपलब्ध की जा रही है और किन-किन स्थानों के लिए ऐसी योजनायें तैयार की जायेंगी और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

[अनुवाद]

पालम हवाई अड्डे पर एयर इण्डिया में काम करने वाले नैमित्तिक मजदूरों/चपरासियों/ भार-वाहकों को नियमित किया जाना

2513. **श्री केशव राव पारधी** :

श्री सिद्धलाल मुरमू :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल/मई, 1979 में नैमित्तिक/मजदूरों/चपरासियों/भारवाहकों आदि के रूप में नियुक्त किए गए लोगों की संख्या एवं नाम क्या हैं तथा उनमें से अब तक नियमित किए जा चुके लोगों की संख्या एवं नाम क्या हैं ;

(ख) उनमें से शेष को नियमित न किए जाने के क्या कारण हैं, हालांकि वे नियमित अन्तराल के साथ वहां पर कार्य कर रहे हैं ; और

(ग) उन्हें कब तक नियमित किया जाएगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख). अप्रैल-मई, 1979 में एयर इण्डिया में आठ नैमित्तिक मजदूर नियुक्त किए गए थे। इनमें से एक अर्थात् श्री जयभगवान सिंह को ही नियमित किया गया है। अपेक्षित सूचना का विवरण संलग्न है।

(ग) इस समय पदों के बनाने पर प्रतिबन्ध है। यह प्रतिबन्ध हट जाते ही और दिल्ली कार्यालय के पद मंजूर कर दिए जाते ही इन नैमित्तिक मजदूरों की अपनी-अपनी बारी पर नियमित नियुक्ति पर विचार किया जाएगा।

विवरण

क्रम	नैमित्तिक मजदूर का नाम	नैमित्तिक मजदूर के रूप में नियुक्ति पर आने की तारीख	टिप्पणी
1	2	3	4
1.	श्री बाबू लाल सुपुत्र श्री मुन्नीलाल	2-4-1979	उन्होंने 180 दिनों की नौकरी पूरी नहीं की थी, इसलिए इनका नाम स्थायी प्रतीक्षा सूची में शामिल नहीं किया गया।
2.	श्री जयभगवान सिंह सुपुत्र श्री खुशीराम	5-4-1979	दि० 15 नवम्बर, 1983 से नियुक्त।
3.	श्री अमरजीतसिंह सुपुत्र बलबीर सिंह	6-4-1979	इन्हें चुना गया था परन्तु बार बार अनुस्मारक भेजने के बावजूद ये नियुक्ति पूर्व चिकित्सा जांच के लिए नहीं पहुंचे। इसलिए स्थायी प्रतीक्षा सूची से उनका नाम हटा दिया गया था।
4.	श्री सुखबीर सिंह, सुपुत्र श्री नन्दलाल	9-4-1979	उनके खिलाफ दुराचरण की शिकायत थी। इसलिए उनका नाम स्थायी प्रतीक्षा सूची से हटा दिया गया था।
4.	श्री नारायणदास, सुपुत्र श्री बाबूलाल	9-4-1979	भर्ती पर प्रतिबन्ध होने के कारण तथा रिक्ति उपलब्ध न होने के कारण इन्हें स्थायी आधार पर नियुक्त नहीं किया गया है।
6.	श्री एस० सी० शर्मा, सुपुत्र श्री एम० सी० शर्मा	9-5-1979	—वही—
7.	श्री जयशंकरम सुपुत्र श्री बनारसी राम	24-5-1979	भर्ती पर प्रतिबन्ध होने के कारण तथा रिक्ति उपलब्ध न होने के कारण इन्हें स्थायी आधार पर नियुक्त नहीं किया गया है।

1	2	3	4
8.	श्री रवीन कुमार सुपुत्र श्री पी० आर०शर्मा	28-5-1979	एयर इण्डिया के दिल्ली कार्यालय द्वारा उन्हें भेजे गए पत्रों के बावजूद वे स्थायी पद के लिए साक्षात्कार के लिए उपस्थित नहीं हुए । इसलिये स्थायी प्रतीक्षा सूची से उनका नाम हटा दिया गया है ।

गैर चयन सूची अनुभाग अधिकारियों की अवर सचिव के रूप में पदोन्नति

2514. **श्री बनवारी लाल बैरवा : क्या प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1983 के केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड 1 के चयन सूची अधिकारियों को अभी तक नियमित आधार पर अवर सचिवों के रूप में नियुक्त नहीं किया गया है ;

(ख) क्या केन्द्रीय सचिवालय सेवा की ग्रेड 1 की चयन सूची में अब तक शामिल न किए गए 60 अनुभाग अधिकारियों को कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के आदेशों के अन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालयों में अवर सचिवों के रूप में पदोन्नत किया गया है ;

(ग) क्या इन 60 गैर-चयन सूची अधिकारियों की अवर सचिवों के रूप में नियुक्ति करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया गया है, जबकि अवर सचिवों के नियमित रिक्त पदों पर चयनसूची अधिकारियों को अभी तक पदोन्नत किया जाना है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में तथा संस्कृति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) वर्ष 1983 के लिए केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड 1 की चयन सूची में शामिल सभी अधिकारियों को, ऐसे अधिकारियों को छोड़कर जो लम्बी छुट्टी अथवा प्रतिनियुक्त आदि पर होने के कारण उपलब्ध नहीं हैं, विभिन्न मन्त्रालयों/विभागों में समायोजित कर दिया गया है ।

(ख) कार्मिक प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी किए गए आदेशों द्वारा दिनांक 18-9-1984 को मन्त्रालयों/विभागों को कहा गया था कि वे 60 डेस्क/अनुभाग अधिकारियों को, उनके द्वारा धारित डेस्क/अनुभाग अधिकारी के पदों को वैयक्तिक आधार पर अवर सचिव के स्तर तक अपग्रेड करके, एक वर्ष की अवधि के लिए पूर्णतः तदर्थ आधार पर अवर सचिव के रूप में नियुक्त कर दें ।

(ग) तथा (घ). चूंकि ये पदोन्नतियां सीमित अवधि के लिए पूर्णतः तदर्थ प्रकृति की थीं इस लिए नियमों के अधीन इस मामले में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करने की आवश्यकता नहीं थी ।

ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन सम्बन्धी कार्यक्रम

2515. **श्री मोहम्मद महफूज अली खां : क्या योजना मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण रोजगार के अवसर पैदा करने, गरीबी की प्रतिशतता और ग्रामीणों के गांवों में शहरों की ओर पलायन में कमी लाने के मामले में छठी योजना अवधि के दौरान कितना लक्ष्य उपलब्ध हो पाया है ; और

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन सम्बन्धी कार्यक्रम में आयोजन सम्बन्धी क्या कमियां पाई गई हैं और क्या सरकार का विचार सातवीं योजना अवधि के दौरान अपेक्षित परिणाम उपलब्ध करने के लिए इन कमियों को दूर करने का है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी और बेरोजगारी दूर करने के उद्देश्य से सातवीं योजना में अनेक कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। प्रमुख कार्यक्रम ये हैं—स्वीकृत ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम। इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत लक्ष्यों और निष्पादन सम्बन्धी एक विवरण संलग्न है। कुछ अन्य सुनियोजित उपाय जो इन उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक होंगे, वे हैं—पुनर्वितरणात्मक भूमि सुधार, सूखा प्रवृत्त क्षेत्र और रेगिस्तान विकास कार्यक्रम, और न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में मूल सुविधाओं की व्यवस्था करना है ताकि ग्रामीण जनसंख्या के रहन-सहन की दशाओं में सुधार किया जा सके। यह आशा की जाती है कि इन सभी उपायों से ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर प्रवजन कम करने में भी सहायता मिलेगी।

(ख) यह कार्यनीति सामान्यतः संकल्पनात्मक रूप में सही मानी गई है। तथापि, जो प्रचालनात्मक समस्याएं ध्यान में आई हैं, सातवीं पंचवर्षीय योजना तैयार करने के सन्दर्भ में उन पर ध्यान दिया जा रहा है।

विवरण

एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत निष्पादन

मद	इकाई	छठी योजना के लक्ष्य	1980-81	1981-82	1982-83	1983-84	1984-85
1	2	3	4	5	6	7	8
1. एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम							
1. आवंटन	(करोड़ रु०)	1500.00	250.55	300.66	400.88	407.36	407.36
2. व्यय	,,		158.64	264.65	359.59	406.09	274.82†
3. जुटाई आवधिक गई जमा राशि	,,	3000.00	289.05	467.59	713.98	773.51	518.92
4. सहायता प्राप्त परिवारों की संख्या	(लाख में)	150.00	27.27	27.13	34.55	36.85	24.03†
5. लाभान्वित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के परिवारों की संख्या	(लाख में)		7.81	10.01	14.05	15.37	10.17

1	2	3	4	5	6	7	8
6. लाभान्वित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति के जोड़ के प्रतिशत के रूप में (प्रतिशत में)			28.6	36.9	40.07	41.7	42.32
7. प्रति परिवार निवेश	(रुपए)		1642	2698	3107	3201	3303
2. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम							
1. आवंटन	(करोड़ रु०)		340.00	360.00	380.00	400.00	460.00
2. व्यय	,,		217.53	317.71	394.76	392.22	327.32†
3. सृजित रोजगार (श्रम दिवस श्रम दिवस के मिलियन में) लक्ष्य		300-400 प्रति वर्ष	—	335.7	353.2	322.2	309.1
(ख) उपलब्धि			413.6	354.5	351.2	302.02	203.97†
3. ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम							
(क) आवंटन	(करोड़ रु०)						500.00
(ख) व्यय	,,						202.90†
(ग) सृजित रोजगार (श्रम दिवस) श्रम दिवस मिलियन में)							
(1) लक्ष्य							300.00
(2) उपलब्धि							195.00†

†प्रत्येक राज्य की सूचित करने की अवधि अलग-अलग है

ब्रिटेन में रहने वाले सिक्ख कमान्डों की अकाली नेताओं के परिवारों का सफाया करने की योजना

2516. **श्री मोहम्मद महफूज अली खां** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 20 मार्च, 1985 के "टाइम्स आफ इण्डिया" में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि ब्रिटेन में रहने वाले सिक्ख कमान्डों ने उन सिक्खों के परिवारों को सफाया करने की योजना बनाई है, जो पंजाब समस्या पर सरकार के साथ कोई समझौता करेंगे ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रक्रिया है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ख). सरकार ने टाइम्स आफ इण्डिया में यह खबर देखी है। सरकार ने एक दल, जो अपने आपको "सर्वेंट्स आफ पन्थ सिक्ख कमांडो दस्ता" कहता है के मूल पत्र का पाठ भी देखा है जो लन्दन से प्रकाशित पंजाबी साप्ताहिक "देश

परदेश" के 1 मार्च के अंक में छपा था। यह साप्ताहिक और इसका सम्पादक उग्रवादी विचारधाराओं के लिए विख्यात है। लन्दन स्थित हमारे हाई कमीशन ने औपचारिक तौर पर ब्रिटिश विदेश और राष्ट्र मण्डल कार्यालय का ध्यान इस पत्र की ओर ध्यान दिलाया है जिसमें इस बात की ओर संकेत किया गया है कि इसका सम्पादक इस समाचार पत्र के कालमों का उपयोग न केवल लोगों को हत्या के लिए उकसाने के लिए कर रहा है, बल्कि हत्या करने के उनके इरादे की घोषणा करने के लिए भी कर रहा है। ब्रिटिश प्राधिकारियों से यह अनुरोध किया गया है कि वे इस समाचार-पत्र इसके सम्पादक और तथाकथित "सिक्ख कमांडो दस्ता" के विरुद्ध समुचित दण्डात्मक कदम भी उठाएं।

हैदराबाद में विषैले रसायनों द्वारा प्रदूषण

2517. **डा० जी० वी० रामाराव : क्या प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हैदराबाद में आई० डी० पी० सी०, एच० टी०, एच० सी० एच०, एच० ए० सी० और एन० एफ० सी० जैसे सरकारी उपक्रमों के अन्तर्गत कारखानों से बाहर निकलने वाले ऐसे विषैले रसायनों का ब्यौरा क्या है, जिनसे आस-पास का समूचा क्षेत्र दूषित हो रहा है ;

(ख) जल के दूषण और पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं ताकि प्रदूषण को विश्व स्वास्थ्य संघठन द्वारा निर्धारित सीमाओं तक सीमित रखा जा सके ; और

(ग) हैदराबाद में तथा इसके आस-पास के क्षेत्रों में शुद्ध जल प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वीर सेन) : (क) आंध्र प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, आई० डी० पी० एल०, एच० एम० टी०, एच० सी० एल०, एच० ए० एल०, एवं एन० एफ० सी० द्वारा उनके परिसरों के बाहर कोई रसायन विषाक्त नहीं बहाया जाता है।

(ख) इस समय उपर्युक्त उद्योगों का कोई भी बहिस्त्राव पेयजल प्रक्रिया में प्रवेश नहीं कर रहा है। बोर्ड आई० एस० आई० मानकों अथवा स्थिति पर आधारित विशेष अनुबन्धों का निर्धारण कर रहा है। डब्लयू० एच० ओ० की सीमाएं नहीं अपनाई गई।

(ग) स्वास्थ्यवर्धक पेय जल को सुनिश्चित करने के लिए नियमित प्रबोधन किया जाता है। जल के नमूनों का रासायनिक एवं जीवाण्विक (बैक्टीरीयोलोजिकल) प्राचलों से परीक्षण के अलावा, वितरण प्रणाली में बची हुई क्लोरीन की प्रतिदिन जांच की जाती है। मासिक बैठकों का भी आयोजन किया जाता है तथा दोनों शहरों में पेय जल की दुरस्त आपूर्ति के लिए पुनरीक्षण उपाय किए जाते हैं।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के छात्रों की मैट्रिकोत्तर छात्रवृति

2518. **श्री जी० विजय रामा राव : क्या गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में, राज्यवार वर्ष 1984-85 में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कितने छात्रों को मैट्रिकोत्तर छात्रवृति का लाभ मिला है ;

(ख) क्या मूल्यों में तथा जीवन निर्वाह व्यय और शिक्षा की लागत में सामान्य वृद्धि को देखते हुए छात्रवृति की राशि में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ग) क्या मेधावी छात्रों को विषय छात्रवृति प्रदान करके प्रोत्साहित करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

(ख) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृति योजना की पहले 1980 में पुनरीक्षा की गई थी और छात्रवृति की संशोधित दरें 1 जुलाई, 1981 से लागू हुई। इस योजना की यथा समय पुनः पुनरीक्षा की जाएगी।

(ग) और (घ). भारत सरकार के विचाराधीन कोई प्रस्ताव नहीं है। परन्तु कुछ राज्य/संघ शासित क्षेत्र प्रशासन मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति के अतिरिक्त अपनी निधि से योग्य छात्रों को प्रोत्साहन दे रहे हैं।

विवरण

क्र० सं०	राज्य/सं० शा० क्षेत्र	अनु० जाति	अनु० जनजाति	जोड़
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	93000	9753	1.02753
2.	असम	12982	19728	32710
3.	बिहार	26400	37816	64216
4.	गुजरात	31929	18399	50328
5.	हरियाणा	8269	—	8269
6.	हिमाचल प्रदेश	1600	1400	3000
7.	जम्मू व कश्मीर	—	उपलब्ध नहीं	
8.	कर्नाटक	48127	3641	51768
9.	केरल	27364	1480	28844
10.	मध्य प्रदेश	18100	8252	26352
11.	महाराष्ट्र	95964	17431	113395
12.	मणिपुर	400	5100	5500
13.	मेघालय	32	4940	4972
14.	नागालैंड	—	8374	8374
15.	उड़ीसा	13122	10153	23275
16.	पंजाब	20265	—	20265
17.	राजस्थान	13625	9681	23306
18.	सिक्किम	25	305	330
19.	तमिलनाडु	61568	432	62000

1	2	3	4	5
20.	त्रिपुरा	3320	1751	5071
21.	उत्तर प्रदेश	189515	1387	190902
22.	पश्चिम बंगाल	47180	4486	51666
	संघ शासित क्षेत्र			
23.	दादरा व नगर हवेली	0	153	162
24.	दिल्ली	6872	—	6872
25.	गोवा, दमन व दीव			
26.	मिजोरम	—	6463	6463
27.	पांडिचेरी	591	—	591
	जोड़	720259	171125	891384

[हिन्दी]

राजस्थान में वायुदूत सेवाओं का विस्तार

2520. **श्री विष्णु मोदी :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजस्थान में वायुदूत सेवाओं के विस्तार के लिए किसी प्रस्ताव पर विचार किया है/मन्जूरी दी है ;

(ख) यदि हां, तो वायुदूत सेवा के विस्तार की इस योजना के अन्तर्गत लिए जाने के लिए किन-किन स्थानों का चयन किया गया है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) से (ग). आरम्भ में राजस्थान में कोटा, बीकानेर और जैसलमेर के तीन स्टेशन वायुदूत सेवाओं द्वारा जोड़े जाने के लिए निर्धारित किए गए थे। इसी बीच कोटा को इण्डियन एयरलाइन्स द्वारा विमान सेवा से जोड़ दिया गया। आवश्यक आधार संरचनात्मक सुविधाओं का विकास होने पर चालू वित्त वर्ष में बीकानेर और जैसलमेर को वायुदूत सेवाएं शुरू करने का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

आन्ध्र प्रदेश में पर्यटक केन्द्र

2521. **श्री के० रामचन्द्र रेड्डी :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आन्ध्र प्रदेश में कादिरी तालुक में "थी माम्मा मारीमानु" नामक एक बड़े बरगद के पेड़ के बारे में मालूम है जो कि 10 एकड़ भूमि पर फैल चुका है ;

(ख) क्या सरकार का विचार इस स्थान को विश्राम-गृह और पर्यटकों के रहने की सुविधा जैसी आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराके पर्यटक केन्द्र के रूप में विकसित करना है ; और

(ग) क्या बरगद का यह पेड़ एशिया में सबसे बड़ा है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख). "थी माम्मा मारीमानु" के नाम से विख्यात बरगद का पेड़ अनन्तपुर जिले में कादिरी तालुक से दक्षिण-पूर्व दिशा में 13 मील की दूरी पर स्थित है और बताया गया है कि यह 5 एकड़ में फैला हुआ है। केन्द्रीय सरकार को, माम्मा मारीमानु" को एक पर्यटक अभिरुचि के रूप में विकसित करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ग) अनन्तपुर जिला गजेटियर के अनुसार यह बरगद का पेड़ दक्षिण भारत में अपनी किस्म के सबसे बड़े पेड़ों में से एक है ।

एक परिवार को एक नौकरी

2522. **श्री अनादिचरण दास :** क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश भर में "एक परिवार को एक नौकरी" "एक परिवार एक शिशु," और "एक परिवार-एक मकान" योजनाएं शुरू करने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी, नहीं।

तथापि यह उल्लेखनीय है कि बेरोजगारी को उत्तरोत्तर कम करना छठी पंचवर्षीय योजना के उद्देश्यों में से एक था और सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-90) के नीति पत्र में भी कार्यक्रमों और नीतियों को उत्पादनकारी रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य के अनुरूप बनाने की परिकल्पना की गई है। छठी योजना में आर्थिक विकास के जरिए रोजगार सृजित करने के अलावा, लाभग्राही-उन्मुख और रोजगार उपलब्ध कराने वाले समूह कार्यक्रमों के जरिए विशेष कार्यक्रमों की शुरुआत की गई जिन्हें "गरीबी दूर करने के लिए "कार्यक्रमों" के रूप में जाना जाता है । इनमें राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवकों को प्रशिक्षण देने सम्बन्धी स्कीम शामिल हैं। वर्ष 1983 में 2 नए कार्यक्रम शुरू किए गये :—ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम और शिक्षित बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने सम्बन्धी स्कीम । इन स्कीमों के ब्यौरे वार्षिक योजना दस्तावेज में वर्षानुवर्ष दिए गये हैं जिसे सदन के सभा पटल पर प्रस्तुत किया जा चुका है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

मणिपुर में विद्रोहियों की गतिविधियां

2523. **प्रो० मिजिनलंग कामसन :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 दिसम्बर, 1984 से अब तक मणिपुर में नागरिकों या अधिकारियों अथवा सुरक्षा दलों की टुकड़ियों पर विद्रोहियों द्वारा लूटमार, हमले या घात लगाकर हमला करने के कितने मामले हुए हैं ;

(ख) घटनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) स्थिति पर नियंत्रण करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) मामलों की संख्या पन्द्रह है।

(ख) मणिपुर में 1-12-1984 के बाद घटनाओं का ब्यौरा जिनमें विद्रोहियों का हाथ था, संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) सुरक्षा उपाय कड़े कर दिये गये हैं। प्रभावित क्षेत्रों में खोजबीन की गई है और कड़ी सतर्कता बरती जा रही है।

विवरण

दिनांक 1-12-84 से मणिपुर हिंसक घटनाओं की सूची

क्रम सं०	दिनांक	स्थान	संक्षिप्त विवरण
1.	4-12-84	इम्फाल	मैताई उग्रवादियों ने मणिपुर पुलिस गश्त पर गोली चलाई किन्तु दोनों ओर से किसी के हताहत होने की कोई रिपोर्ट नहीं मिली।
2.	10-12-84	इम्फाल	अज्ञात मैताई उग्रवादियों के ग्रुप ने बन्दूक की नोंक पर इम्फाल के प्राथमिक विद्यालय की प्रधानाध्यापिका से 3000 रुपये छीन लिए।
3.	31-12-84	कैमलालंग लैरक, सैबम, लेकई इम्फाल	कुछ मैताई उग्रवादियों ने राज्य सरकार के एक अधिकारी से इम्फाल में एक .32 पिस्तौल छीन लिया।
4.	4-1-85	संगाई पोरोऊ इम्फाल	अज्ञात सशस्त्र बदमाशों के एक ग्रुप ने स्थानीय पैट्रोल पम्प के कर्मचारी से बन्दूक की नोंक पर 25000 रुपये की लूट ली।
5.	7-1-85	डाकखाना लीलोंग ब्रांच लीलौंग	दो अज्ञात युवकों ने, जिन पर मैताई उग्रवादी होने का सन्देह है, डाकखाना सिन्गजामई, ईम्फाल से 832 रुपये छीन लिये।
6.	30-1-85	ग्रामीण बैंक लीलोंग ब्रांच, लीलोंग	दो अज्ञात युवकों ने बन्दूक की नोंक पर ग्रामीण बैंक लीलोंग से 5989 रुपये छीने और साइकिल पर भाग गये। विश्वास किया जाता है कि युवक मैताई उग्रवादी थे।
7.	30-1-85	लाम लोंग बाजार, बाजार, खुराई, थाना-लाम्फेल, इम्फाल	एक छोटा शस्त्र लेकर तीन अज्ञात युवक लाम लोंग बाजार में नोनमनीपुरी की दुकान में घुसे और 10,000 रुपये की मांग की। दूकानदार ने जब मांग पूरा करने में असमर्थता व्यक्त की तो युवकों ने

क्रम	दिनांक	स्थान	संक्षिप्त विवरण
			दो-तीन राऊंड गोलियां चलाईं और दुकानदार तथा उसके सहायक को जख्मी करके कैश बाक्स से दिन भर की कुल बिक्री उठा ली और साइकिल पर, जिस पर वे आये थे, भाग गए। दोनों घायलों को आर० एम० सी० अस्पाल में दाखिल करवा दिया गया।
8.	31-1-85	ए० ओ० सी० इम्फाल	दो अज्ञात युवकों ने उत्तरी ए० ओ० सी० इम्फाल के द्वार के पास बिरेन्द्र बबलीवाल से एक स्कूटर तथा 18950 रु० छीन लिए।
9.	1-2-85	पोलिटेकनीक टेकईट, इम्फाल	छोटे शास्त्रों से लैस चार अज्ञात युवकों ने, जिन पर मैताई उग्रवादी होने का सन्देह है, पोलिटेक्नीक के दो कर्मचारियों से 88303 रु० की राशि छान ली।
10.	17-2-85	इम्फाल	मैताई उग्रवादियों के ग्रुप ने इम्फाल के एक मैताई के निवास से लगभग 40,000 रुपये मूल्य के स्वर्ण आभूषण जबरन उड़ा लिए।
11.	3-3-85	खराई सोइबाम, लैकई, इम्फाल	कुछ अज्ञात मैताई उग्रवादियों ने इम्फाल में एक मैताई के घर पर छापा मारा तथा सोना और 1500 रुपये लेकर भाग गये।
12.	8-12-84	लेइशी में ली लीटिंग के बीच (जिला उखरूल)	नागा (एन० एस० सी० एन०) यू० जी० एन० ने 8 दिसम्बर को मणिपुर के मुख्यमन्त्री के रक्षकों पर घात लगाकर चार कार्मिकों को मार दिया तथा 7 अन्यों को घायल कर दिया।
13.	18-2-85	चासाद के नजदीक (उखरूल)	दिनांक 18 फरवरी को भूमिगत एन० एस० सी० एन० ग्रुप ने चासाद के नजदीक जिला उखरूल में सुरक्षा बल के वाहन पर घात लगाई, परिणामस्वरूप 13 सुरक्षा बल के कार्मिक मारे गये जिसमें एक जे० सी० ओ० तथा विल्लेज वोलिन्टयर फोर्स (वी० वी० एफ०) था। एन० एस० सी० एन०, 13 शस्त्र एक एल० एम० जी०, 9 एस० एल० आर०

क्रम	दिनांक	स्थान	संक्षिप्त विवरण
			तथा 3 कारबाइन तथा मृत सुरक्षा बल/वी० वी० एफ० कार्मिकों के समान को ले उड़े।
14.	13-3-85	चैक्पी का रोग (जिला चांदेल)	एन० एस० सी० एन० के एक भूमिगत ग्रुप ने 13 मार्च, की रात को चैक-पिका रोंग (जिला चान्देल) में विल्लेज वोलन्टिर फोरस (वी० वी० एफ०) के रुंरूग्डनल नामक एक कार्यकर्ता की उसके निवास स्थान पर गोली मारकर हत्या कर दी।
15.	13-3-85	चैक्पी का रोंग (जिला चान्देल)	इससे पहले, उसी शाम को एन० एस० सी० एन० के उपर्युक्त ग्रुप ने एस० डी० ओ० चक्पी का रोंग से 700 रुपये छीन लिए।

दिल्ली पुलिस व्यवस्था में प्रस्तावित परिवर्तन

2524. **डा० कृपासिन्धु भोई :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पुलिस व्यवस्था में कुछ दूरगामी परिवर्तन करने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) दिल्ली की कानून और व्यवस्था की स्थिति को बेहतर बनाने में उक्त परिवर्तन कहां तक सहायक होंगे ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) से (ग). दिल्ली पुलिस प्रशासन के शीघ्र अध्ययन के लिए गठित ग्रुप द्वारा की गई सिफारिशों पर दिल्ली प्रशासन तथा गृह मंत्रालय द्वारा अध्ययन किया जा रहा है ताकि अनुवर्ती कार्रवाई की जा सके।

"अकाली दल टु गो अहेड विध एक्शन प्लान" शीर्षक से समाचार

2525. **श्री भोलानाथ सेन :**

श्री आनन्द सिंह :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 20 मार्च, 1985 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "अकाली दल टु गो अहेड विध एक्शन प्लान" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त कार्यवाही, योजना और अकाली दल द्वारा यदि कोई अल्टीमेटम दिया गया तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) अकाली दल की वर्तमान मांगें क्या हैं ; और

(घ) सरकार ने उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) से (घ). सरकार ने अकाली दल के कार्यक्रम के

बारे में प्रेस रिपोर्ट देखी है। उनकी वर्तमान मांगों के सम्बन्ध में कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

तीन वरिष्ठ मंत्रियों की एक मंत्रिमंडलीय समिति, जिसका गठन समस्या का अध्ययन करने और यथाशीघ्र किसी शान्तिपूर्ण समझौते के विकल्पों का पता लगाने के लिए किया गया है, इस समस्या मामले के विभिन्न पहलुओं की जांच कर रही है। इस समस्या के समाधान के लिए अनुकूल वातावरण बनाने की दृष्टि से कई अकाली नेताओं को, जो नजरबन्द थे, छोड़ दिया गया है; समिति ने चंडीगढ़ में समाज के विभिन्न वर्गों से भेंट की है। शीघ्र ही यह पंजाब के अन्य भागों का भी दौरा करेगी।

पैट्रोलियम के मूल्यों में वृद्धि के कारण एयर इण्डिया, इण्डियन एयरलाइन्स और वायुदूत सेवा के परिचालन व्यय में वृद्धि

2526. **श्री भोलानाथ सेन :**

श्रीमती किशोरी सिंह :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पैट्रोलियम मूल्यों में हाल ही में हुई वृद्धि के परिणामस्वरूप एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइन्स और वायुदूत सेवा के परिचालन व्यय में वृद्धि होने की सम्भावना है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) यह विमान सेवाएं ईंधन पर अतिरिक्त व्यय को किस प्रकार वहन करेंगी ; और

(घ) क्या अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु विमान भाड़ों में वृद्धि का कोई विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी, हां।

(ख) इंडियन एयरलाइन्स और वायुदूत का प्रचालन खर्च कमश: 35.72 करोड़ तथा 75 लाख रुपये तक बढ़ जाने का अनुमान है। एयर इंडिया के मामले में पैट्रोलियम की कीमतों में वृद्धि से केवल अन्तर्देशीय क्षेत्रकों पर और अभ्यास उड़ानों पर प्रभाव पड़ेगा जिसके लिए 40 से 50 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय करना पड़ेगा।

(ग) और (घ). अतिरिक्त व्यय का इंडियन एयरलाइन्स और वायुदूत प्रचालन परिणामों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा जिससे किरायों को संशोधित करके उनमें वृद्धि करना आवश्यक हो जाएगा। एयर इंडिया अतिरिक्त व्यय का भार वहन कर सकेगा।

सातवीं पंचवर्षीय योजना में वानिकी

2527. **श्री सनन्त कुमार मण्डल :** क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में वन संवर्धन में सुधार करने एवं उसे सुदृढ़ करने तथा दीर्घकालिक आधार पर जनता और राष्ट्र की आवश्यक जरूरतों को पूरा करने के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना में वानिकी के नये जोरदार प्रयास करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं और पश्चिम बंगाल के सुन्दर वन क्षेत्र में इस दिशा में क्या सुधार किये जाने की सम्भावना है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वीर सेन) : (क) जी, हां।

(ख) मुख्य विशेषता है कच्छ वनस्पति सहित सभी उजड़े क्षेत्रों में यथा सम्भव तेजी से वन-रोपण करना। सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पश्चिम बंगाल के सुन्दरवन में लगभग 5000

हैक्टार क्षेत्र में 4.5 करोड़ रुपये (वानिकी क्षेत्र के परिव्यय का लगभग 5 प्रतिशत) की लागत पर वन-रोपण किए जाने का प्रस्ताव है। ये आंकड़े अस्थायी हैं, क्योंकि सातवीं-पंचवर्षीय योजना को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है। इससे बात और तरंग से उत्प्रेरित भू-क्षरण को कम करने में मदद मिलेगी और सुन्दरवन में बेजोड़ कच्छ वनस्पति पारिस्थितिकी पद्धति सुदृढ़ बनेगी। इससे क्षेत्र में और आसपास के समुदायों को लाभकारी रोजगार भी मिलेगा।

परमाणु ऊर्जा संयंत्रों से उत्पादित विद्युत की अधिक लागत

2528. **श्री धर्मवीर सिंह :** क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) परमाणु ऊर्जा संयंत्र में एक मेगावाट विद्युत के उत्पादन पर कितनी लागत आती है ;

(ख) क्या यह पन और ताप विद्युत पर आने वाली प्रति मेगावाट लागत से सस्ती है ;

(ग) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा हाल ही में परमाणु ऊर्जा का उत्पादन बढ़ाने का निर्णय किए जाने का क्या कारण है ; और

(घ) क्या सरकार प्रति यूनिट अधिक लागत पर्यावरण को खतरे और परमाणु रिएक्टरों की अपेक्षाकृत कम मियाद को ध्यान में रखते हुए परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के द्वारा ऊर्जा का उत्पादन बढ़ाने की अपनी नीति पर पुनः विचार करेंगी ?

विज्ञान और प्रोद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष और इलेक्ट्रानिकी विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) देश के परमाणु बिजलीघरों से की जाने वाली बिजली की सप्लाई की मौजूदा दर 35 से 42 पैसे प्रति किलोवाट घंटा है। पूंजी-निवेशपर 12 प्रतिशत की दर से मिलने वाला प्रतिफल भी इस दर में शामिल है।

(ख) जिन स्थलों के बारे में विचार किया जा रहा है उनमें, कोयले से चलने वाले ताप बिजली घरों में उत्पादित बिजली की अपेक्षा परमाणु बिजली सस्ती पड़ती है। पन-बिजली से तुलना इसलिए नहीं की गई है कि पन-बिजली के सभी उपलब्ध श्रोतों को काम में लाना वांछनीय होगा।

(ग) यह प्रश्न उठता ही नहीं।

(घ) ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों से होने वाली जोखिमों और उनके लाभों के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर किए गए अध्ययनों से पता चला है कि बिजली के उत्पादन के लिए परमाणु ऊर्जा का उपयोग करना पर्यावरण दृष्टि से एक हितकर विकल्प है और कोयले से चलने वाले बिजलीघरों की तुलना में इनका प्रभाव पर्यावरण पर कुल मिलाकर कम पड़ता है। परमाणु बिजलीघरों और कोयले से चलने वाले बिजलीघरों की अभिकल्प आयु एक समान है।

हिन्द महासागर और दक्षिण एशिया में परमाणु प्रभाव से मुक्त क्षेत्र

2529. **श्री धर्मवीर सिंह :** क्या **विदेश मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधानमन्त्री ने बल्गेरिया दूरदर्शन की कुमारी डेनिला कुनेवा को दिए गए एक साक्षात्कार में हिन्द महासागर को शांति क्षेत्र बनाये जाने के एक अंग के रूप में हिन्द महासागर को परमाणु प्रभाव से मुक्त क्षेत्र बताने की आवश्यकता पर बल दिया है ; और

(ख) क्या प्रधान मंत्री के उपरोक्त वक्तव्य से दक्षिण एशिया में परमाणु प्रभाव से मुक्त-क्षेत्र स्थापित करने सम्बन्धी भारत के पहले प्रस्ताव पर पुनर्विचार का संकेत करता है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) भारत हिंद महासागर में शांति

क्षेत्र बनाए जाने के संयुक्त राष्ट्र के 1971 के संकल्प संख्या 2832 (× ×) का समर्थन करता है। इस संकल्प में अन्य बातों के अलावा महाशक्तियों से "हिन्द महासागर से, महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा के सन्दर्भ में निर्मित सभी अड्डे, सैनिक स्थापनाएं और सम्भारतन्त्रीय सप्लाई सुविधाएं, नाभिकीय और व्यापक विनाश के हथियारों की तैनाती तथा हिन्द महासागर में महाशक्तियों की सैनिक उपस्थिति के सभी स्वरूपों को समाप्त करने" का अनुरोध किया गया है।

(ख) जी, नहीं।

आदिवासी क्षेत्रों के बारे में हाल्दीपुर समिति की सिफारिशें

2530. **श्री गिरधर गोमांगो : क्या गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के जनजाति क्षेत्रों के बारे में हाल्दीपुर समिति द्वारा सिफारिश की गई कार्मिक नीति की जांच की है ;

(ख) यदि हां, तो रिपोर्ट में की गई मुख्य सिफारिशें क्या हैं और कितनी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है ; और सम्बद्ध मंत्रालयों और राज्यों को उनसे अवगत करा दिया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस विलम्ब के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) कार्यदल रिपोर्ट में मुख्य सिफारिशें जनजाति क्षेत्रों में तैनात अधिकारियों को दी जाने वाली आर्थिक तथा अन्य प्रतिपूर्तियों तथा प्रोत्साहन के बारे में थीं। इनमें भरती, योग्यता, प्रशिक्षण तथा आरक्षण नीति भी शामिल है। इस रिपोर्ट को पांचवीं योजना के दौरान जनजाति उप-योजना को सूत्र-बद्ध करने के लिए आधारभूत नीति दस्तावेज के रूप में लिया गया था। सातवें वित्त आयोग ने वित्तीय प्रोत्साहनों से सम्बन्धित सिफारिशों को लागू करने के लिए राज्यों को केन्द्रीय अनुदान प्रदान किया ये वर्ष 1979-84 के दौरान उन्हें उपलब्ध कराई गयी थी। आठवें वित्त आयोग ने भी राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता प्रदान की है जो वर्ष 1985-86 से आगे उन्हें उपलब्ध करवाई जायेगी।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

न्यूजीलैंड द्वारा अपने पत्तनों में परमाणु अस्त्रों से लैस विदेशी जहाजों के प्रवेश पर रोक लगाने की नीति

2531. **श्री धर्मवीर सिंह : क्या विदेश मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि न्यूजीलैंड की लेबर पार्टी की नई सरकार ने अपने पत्तनों में परमाणु अस्त्रों से लैस विदेशी जहाजों के प्रवेश पर रोक लगाने की नीति बनाई है ; और

(ख) क्या सरकार का विचार भारतीय पत्तनों में भी विदेशी परमाणु युद्ध पोतों के प्रवेश को अनुमति न देकर उसी प्रकार की नीति अपनाने का है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) न्यूजीलैंड के बन्दरगाहों में विदेशी नाभिकीय शस्त्रों से लैस जहाजों के प्रवेश पर प्रतिबन्ध लगाने का जो निर्णय न्यूजीलैंड सरकार ने लिया है वह इस सम्बन्ध में भारत सरकार के विचारों और नीतियों से मेल खाता है।

(ख) भारत सरकार किसी भी देश के लड़ाई के उन जहाजों को भारतीय बन्दरगाहों में आने की अनुमति नहीं देती जिनमें नाभिकीय शस्त्र हों।

रोमन कैथोलिक चर्च. पश्चिम बंगाल द्वारा प्रलोभन देकर अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों का धर्म परिवर्तन

2532. **श्री रेणुपद दास :** क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृष्णनगर, पश्चिम बंगाल में स्थित रोमन कैथोलिक चर्च की क्या-क्या गतिविधियां हैं ;

(ख) इसके द्वारा हाल ही में कितनी भू-सम्पत्तियां अर्जित की गई हैं और इस समय कृष्ण नगर में इसकी कुल कितनी परिसम्पत्तियां हैं ;

(ग) क्या सरकार को यह जानकारी है कि यह चर्च लम्बे समय से पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में भौतिक-प्रलोभन देकर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कुछ व्यक्तियों का धर्म परिवर्तन करने में लगा हुआ है ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) कृष्ण नगर, जिला नादिया, पश्चिम बंगाल में स्थित रोमन कैथोलिक चर्च स्कूल, अस्पताल, राहत समितियां चलाकर गरीब व्यक्तियों के बीच राहत और कल्याण कार्यों में लगा हुआ है। वे ईसाई धर्म सिद्धांतों को फैलाने के कार्य भी करते हैं।

(ख) चर्च ने हाल में नादिया जिले के भिन्न-भिन्न भागों में 40 बीघे जमीन प्राप्त की है। अनुमान है कि लगभग 98 लाख रुपये की चर्च कुल परिसम्पत्तियां हैं।

(ग) हाल के पिछले कुछ समय में नादिया जिले में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के व्यक्तियों के ईसाई धर्म में परिवर्तित होने के बारे में कोई विशिष्ट सूचना नहीं है। किन्तु चर्च द्वारा दिए गए प्रलोभन से 1976 में नादिया जिले के 34 आदिवासी परिवारों की ईसाई धर्म में परिवर्तित होने की सूचना प्राप्त हुई है।

(घ) चर्च की गतिविधियों पर पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा नजर रखी जा रही है।

राज्यों द्वारा छठी योजना के लिए निर्धारित धनराशि की तुलना में किया गया व्यय

2533. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल :** क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों द्वारा उनके लिए छठी योजना में नियत की गई धनराशि की तुलना में किए-गए व्यय के राज्यवार-आंकड़े उपलब्ध हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) उन राज्यों के नाम क्या हैं जो कई वर्षों से वास्तव में नकारात्मक अंशदान कर रहे थे और केवल केन्द्रीय सहायता और ओवरड्राफ्टों पर निर्भर थे ;

(घ) क्या उक्त-योजना व्यय के परिणामस्वरूप योजना लक्ष्य प्राप्त किया जा सके ; और

(ङ) यदि हां, तो सातवीं योजना अवधि के दौरान ऐसी बातों की पुनरावृत्ति न होने देने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाने की योजना बनाई जा रही है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है।

(ग) असम, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा जैसे विशेष श्रेणी राज्यों के अलावा, किसी राज्य का नकारात्मक अंशदान नहीं रहा है।

(घ) सभी राज्यों में योजनेतर व्यय में विभिन्न कारणों से वृद्धि हुई है जिसके कारण योजना के लिए संसाधनों की उपलब्धता में कमी हुई है। योजना उपलब्धियों में कमी कुछ सीमा तक योजना व्यय में कमी के परिणामस्वरूप हुई है।

(ङ) सातवीं योजना के लिए राज्यों के संसाधनों का यथार्थवादी आधार पर मूल्यांकन किया जा रहा है।

विवरण

छठी योजना 1980-85—योजना परिव्यय/व्यय—राज्य

(करोड़ रु०)

राज्य	योजना परिव्यय	प्रत्याशित व्यय 1980-85*
1	2	3
आन्ध्र प्रदेश	3100.00	3231.64
असम	1115.00	1282.59
बिहार	3225.00	2989.77
गुजरात	3680.00	3855.22
हरियाणा	1800.00	1634.48
हिमाचल प्रदेश	560.00	655.18
जम्मू और कश्मीर	900.00	920.94
कर्नाटक	2265.00	2632.89
केरल	1550.00	1583.23
मध्य प्रदेश	3800.00	3933.66
महाराष्ट्र	6175.00	6529.27
मणिपुर	240.00	242.42
मेघालय	235.00	261.60
नागालैंड	210.00	224.71
उड़ीसा	1500.00	1555.72
पंजाब	1957.00	1901.18
राजस्थान	2025.00	2087.51
सिक्किम	122.00	130.41
तमिलनाडु	3150.00	3593.57

1	2	3
त्रिपुरा	245.00	284.18
उत्तर प्रदेश	5850.00	6206.70
पश्चिम बंगाल	3500.00	2294.06
जोड़ :	47204.00	48039.93

*चार वर्षों के लिए (अर्थात 1980-81 से 1983-84 तक) वास्तविक व्यय तथा 1984-85 के लिए अनुमोदित परिव्यय शामिल है।

अमेरिकी उच्च प्रोद्योगिकी की जानकारी का हस्तान्तरण

2534. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल : क्या विदेश मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उच्च प्रोद्योगिकी के आदान प्रदान के प्रश्न पर अमेरिका की सरकार से एक समझौता कर लिया है ;

(ख) क्या सरकार दूसरे देशों से उच्च प्रौद्योगिकी की भी जानकारी के आयात के लिए निर्धारित किए गए मानदण्डों को सभापटल पर रखेगी ; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या सुरक्षात्मक उपाय किए गए हैं कि विदेशी प्रोद्योगिकी के नाम पर देश में परित्याजित प्रौद्योगिकी का आयात न हो ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) भारत सरकार और अमरीका सरकार के बीच प्रौद्योगिकी के अन्तरण पर एक समझौता ज्ञापन नवम्बर, 1984 से सम्पन्न हुआ था। जैसाकि इस समझौता-ज्ञापन में तय किया गया था, दोनों सरकारों के प्रतिनिधि समझौता-ज्ञापन की क्रियान्वयन-प्रक्रिया तैयार करने के लिए मार्च, 1985 में मिले। इन पर इस समय भारत सरकार की सामान्य क्रिया-प्रणाली के अनुसार विचार हो रहा है।

(ख) और (ग). जनवरी, 1983 में घोषित प्रौद्योगिकी नीति वक्तव्य में प्रौद्योगिकी प्राप्त करने के दिशा-निर्देश निर्धारित किए गए हैं। इसमें यह व्यवस्था है कि प्रौद्योगिकी के चुनाव और उसके स्रोतों पर, उसे प्राप्त करने के वैकल्पिक उपायों पर, महसूस की जा रही प्रमुख जरूरतों को पूरा करने में इसकी भूमिका पर और उत्पादों, लागत तथा संबद्ध शर्तों की संगतता पर ध्यान दिया जाएगा।

प्रौद्योगिकी नीति वक्तव्य में सक्षम दलों के प्रौद्योगिकी मूल्यांकन तंत्र की बात कही गई है जो अतिउन्नत प्रौद्योगिकी, भारी पूंजी-निवेश और राष्ट्रीय सुरक्षा से सम्बन्धित प्रौद्योगिकी के आयात के सभी मामलों पर सलाह देगा। जहां प्रौद्योगिकी के आयात की आवश्यकता तय पाई जाए वहां यह सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाएंगे कि प्रौद्योगिकी उच्चतम स्तर की और हमारी जरूरतों और संसाधनों के अनुरूप हो।

मैसर्स ग्लेक्सो लेबोरेटरीज द्वारा अनुसंधान कार्य पर किया गया व्यय

2535. **श्री रामभगत पासवान : क्या प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का मैसर्स ग्लेक्सो लेबोरेटरीज लिमिटेड द्वारा अनुसंधान कार्य पर दर्शाए गए व्यय तथा उसके द्वारा अनुसंधान क्षेत्र में किए गए वास्तविक कार्य की जांच करने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष और इलेक्ट्रानिकी विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी०पाटिल) : (क) और (ख). औद्योगिक अनुसंधान में कार्यरत उद्योग को प्रोत्साहन प्रदान करने की एक स्कीम के अन्तर्गत मैसर्स ग्लेक्सो लि., थाने, महाराष्ट्र के उद्योगान्तर्गत अनुसन्धान केन्द्र को 1973 में मान्यता प्रदान की गई थी। मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार इस केन्द्र को अपनी सुविधाओं, कर्मचारियों पर किए गए व्यय, उपलब्धियों और मान्यता का नवीकरण प्राप्त करते समय परिकल्पित कार्य के कार्यक्रम के सम्बन्ध में आवाधिक विवरणियां भेजनी होती हैं। ऐसी विवरणियां मान्यता के नवीकरण के लिए आवेदन के साथ प्राप्त की गयी हैं ; और उनकी मान्यता का समय-समय पर 31-3-85 तक नवीकरण किया गया था। अनुसंधान केन्द्र ने हाल ही में मान्यता के और नवीकरण प्राप्त करने के लिए अपनी विवरणियां भिजवायी हैं।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय सेवा स्वयंसेवक योजना लागू करना

2536. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या **युवा कार्य और खेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय सेवा स्वयंसेवक योजना के लक्ष्य क्या हैं, वर्ष 1983-84 और 1984-85 के दौरान राज्यवार-और संघ राज्य-क्षेत्र वार कितने स्वयंसेवक तैनात किए गए थे और किन-किन स्थानों पर तैनात किए गए थे तथा इन दो वर्षों के दौरान इन पर अलग-अलग कितनी धनराशि खर्च की गई थी तथा इस धनराशि की व्यवस्था कैसे की गई थी ; और

(ख) क्या सरकार ने किसी भी समय राष्ट्रीय सेवा स्वयंसेवक तोजना का उत्तरोत्तर विकास किया है और यदि हां, तो कब तथा उससे क्या निष्कर्ष निकले हैं तथा क्या उन्हें संतोषजनक पाया गया है ?

युवा कार्य और खेल विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) और (ख). राष्ट्रीय सेवा कर्मी योजना ऐसे युवा व्यक्तियों को जिन्होंने प्रथम डिग्री पूरी की है, को अवसर प्रदान करने और उन्हें पूर्णकालीन आधार पर राष्ट्र निर्माण कार्यकलापों में स्वेच्छा से शामिल करने पर लक्षित है। राष्ट्रीय सेवा कर्मी केन्द्रों के ग्रामीण युवा कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए नेहरू युवक केन्द्रों से सम्बद्ध हैं। वर्ष 193-84 और 1984-85 के दौरान क्रमशः 329 और 579 सेवा कर्मी लगाएं गए थे। वर्ष 1983-84 और 1984-85 के दौरान ऐसे जिलों में जहां सेवा कर्मी लगाए गए थे, कि राज्य वार सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

वर्ष 1983-84 और 1984-85 के दौरान योजना पर किया गया कुल खर्च निम्नलिखित था :—

(i) 1983-94	...13.80 लाख रुपये (लगभग)
(ii) 1984-85	...20.28 लाख रुपये (लगभग)

राशि विभाग के बजट आवंटन से प्रदान की गई थी।

योजना का 1983 में पुनरीक्षण समिति द्वारा मूल्यांकन कराया गया था। समिति ने योजना को स्वैच्छिक आधार पर राष्ट्रीय विकास के कार्यक्रमों में युवा व्यक्तियों को शामिल करने के सन्दर्भ में उपयोगी पाया और इसे चरणों में कार्यक्रम को बढ़ाने की और जारी रखने की सिफारिश की थी।

विवरण

1983-84 और 1984-85 के दौरान ऐसे जिले जहां योजना संचालित थी के राज्यवार नाम

क्रम सं०	राज्य का नाम	जिला का नाम	लगाए गए सेवाकर्मियों की संख्या 1983-84	1484-85
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	1. चित्तूर	2	4
		2. कुदापाह	2	4
		3. गुन्टूर	—	2
		4. करीमनगर	—	1
		5. खम्माम	1	2
		6. कुरनूल	1	4
		7. निजामाबाद	2	4
		8. सिद्दीपेट	—	4
		9. श्री काकुलम	2	4
		10. विशाखापत्तनम	2	4
		11. विजयवाड़ा	3	—
2.	असम	12. डिब्रूगढ़	—	4
		13. धुर्बी	1	1
		14. गोहाटी	2	4
		15. नवगांव	—	2
		16. सिल्चर	—	4
		17. तेजपुर	1	4
3.	बिहार	18. पश्चिमी चम्पारन	2	3
		19. भागलपुर	3	4
		20. भोजपुर	2	4
		21. छपरा	—	3
		22. दरभंगा	1	4
		23. रांची	1	4
		24. मुंगेर	2	3
		25. मुजफ्फरपुर	2	4

1	2	3	4	5
		26. नालन्दा	—	3
		27. प्लामख	4	3
		28. पटना	2	—
		29. पूर्णिया	2	—
4.	गुजरात	30. नाडियाड	2	4
		31. भुज	—	4
		32. हिम्मतनगर	—	3
		33. जूनागढ़	2	4
		34. मेहसाणा	—	4
		35. सुरेन्द्र नगर	2	4
5.	हरियाणा	36. भिवानी	2	4
		37. गुड़गांव	1	4
		38. करनाल	—	4
		39. रोहतक	2	3
6.	हिमाचल प्रदेश	40. बिलासपुर	4	4
		41. चम्बा	5	4
		42. धर्मशाला	3	4
		43. हमीरपुर	4	4
		44. किन्नौर	2	4
		45. कुल्लु	1	2
		46. सोलन	2	4
		47. ऊना	3	4
7.	जम्मू और कश्मीर	48. कथुआ	—	3
8.	कर्णाटक	49. बीजापुर	—	4
		50. बेलगांव	1	4
		51. बीदार	2	4
		52. चिकमंगलूर	3	4
		23. गुलबर्गा	2	4
		54. हासन	2	4

1	2	3	4	5
		55. मादीकारी	2	4
		56. मंगलौर	1	4
		57. मंडया	2	4
		58. मैसूर	2	2
		59. रायचुर	—	4
9.	केरल	60. एलेप्पी	1	4
		61. कनानौर	—	4
		62. थोडूपूझा	4	4
		63. कोजिकोड	1	3
		64. मलापुरम	—	4
		65. पालघाट	1	4
		66. त्रिवेन्द्रम	2	4
		67. त्रिचुर	4	4
10.	मध्य प्रदेश	68. बेतूल	5	4
		69. छत्तरपुर	4	4
		70. देवास	3	2
		71. धार	—	4
		72. दुर्ग	—	3
		73. ग्वालियर	4	4
		74. होशगाबाद	4	4
		75. इन्दौर	2	2
		76. जबलपुर	2	4
		77. जशपुरनगर	5	5
		78. झबुआ	—	4
		79. काकेज	3	4
		80. सिहोर	1	4
		81. शाजापुर	3	4
		82. शिवपुरी	3	—
11.	मणिपुर	83. इम्फाल	3	3
		84. सेनापती	—	4

1	2	3	4	5
12.	नागालैण्ड	85. कोहिमा	2	—
13.	उड़ीसा	86. बालनगीर	—	2
		87. मयूरभंज	3	4
		88. ब्रहमपुर	2	4
		89. कालाहान्डी	—	2
		90. धेनक नाल	3	2
		91. केईओनझर	2	4
		92. कोनापुट	3	3
		93. फुलबानी	2	2
		94. सम्बलपुर	3	3
		95. सुन्दरगढ़	2	4
14.	पंजाब	96. अमृतसर	4	3
		97. फरीदकोट	1	4
		98. फिरोजपुर	2	—
		99. होशियारपुर	—	4
		100. कपूरथला	2	2
		101. पटियाला	2	3
		102. रोपड़	2	4
		103. संदरूर	1	2
15.	राजस्थान	104. अजमेर	2	4
		105. बाड़मेर	1	2
		106. भरतपुर	2	4
		107. भीलवाड़ा	2	2
		108. बीकानेर	—	4
		109. बून्दी	4	4
		110. चित्तोड़गड़	—	4
		111. चुरू	2	2
		112. डूंगरपुर	1	—
		113. जयपुर	3	4

1	2	3	4	5
		114. जैसलमेर	1	3
		115. जोधपुर	1	2
		116. जालौर	—	3
		117. सवाई माधोपुर	—	3
		118. उदयपुर	1	2
16.	तमिलनाडु	119. कोयम्बतूर	2	—
		120. कुड्डालार	1	4
		121. धरमापुरी	3	4
		122. मदुरै	1	4
		123. पुदूकोट्टाई	2	4
		124. सलेम	4	4
		125. शिवगंगा	2	4
		126. तिरुचीरापल्ली	2	4
		127. उधगूमंडलम	2	4
		128. वैल्लौर	4	3
17.	त्रिपुरा	129. अगरतला	1	4
		130. धरमनगर	2	4
18.	उत्तर प्रदेश	131. अल्मोड़ा	2	5
		132. इलाहाबाद	2	2
		133. अलीगढ़	2	3
		134. आजमगढ़	—	1
		135. बदायूं	3	3
		136. बांदा	2	4
		137. बिजनौर	2	4
		138. देहरादून	4	5
		139. देवरिया	3	3
		140. फतेहगढ़	2	3
		141. फतेहपुर	3	4
		142. फैजाबाद	3	4

1	2	3	4	5
		143. गाजीपुर	4	5
		144. गोरखपुर	2	5
		145. झाँसी	3	5
		146. लखीमपुर खेरी	3	5
		147. मथुरा	2	4
		148. मेरठ	2	5
		149. मिर्जापुर	4	5
		150. पौड़ी गढ़वाल	2	3
		151. पिथौरागढ़	5	4
		152. प्रतापगढ़	2	—
		153. रायबरेली	4	5
		154. रामपुर	4	4
		155. सीतापुर	4	5
		156. सुल्तानपुर	4	4
		157. उन्नाव	3	5
		158. वाराणसी	4	4
19.	पश्चिम बंगाल	159. बर्दवान	2	4
		160. डायमंड हार्बर	2	4
		161. जलपाई गुड़ी	3	4
		162. मिदनापुर	4	4
		163. मुर्शिदाबाद	2	—
		164. पुरुलिया	2	4
	संघ शासित क्षेत्र			
20.	चंडीगढ़	165. चंडीगढ़	2	4
		166. अलीपुर (दिल्ली)	—	5
		167. महरोली (दिल्ली)	2	4
21.	गोवा, दमन और दीव	168. दमन	—	4
22.	पांडिचेरी	169. पांडिचेरी	1	4

खिलाड़ियों को सुविधाएं

2537. **श्री हरीश रावत : क्या युवा कार्य और खेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खिलाड़ियों को उपलब्ध सुविधाओं का स्तर सुधारने का कोई प्रस्ताव भारतीय ओलम्पिक एसोसिएशन द्वारा सरकार के पास भेजा गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

युवा कार्य और खेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) और (ख). सरकार को खिलाड़ियों के लिए सुविधाओं सहित खेलों के विकास के विभिन्न पहलुओं पर भारतीय ओलम्पिक एसोसिशन से कई पत्र प्राप्त होते हैं। किसी विशेष संदर्भ के अभाव में, इस सम्बन्ध में ब्यौरे प्रस्तुत करना सम्भव नहीं है। तथापि, सरकार की राष्ट्रीय खेल संघों के लिए वित्तीय सहायता की पद्धति है, जिसके अनुसार खिलाड़ियों को स्वीकार्य सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।

[अनुवाद]

राज्य इलेक्ट्रानिक्स एककों सम्बन्धी नई नीति

2538. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह : क्या प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सरकारी क्षेत्र के राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स एककों को उन क्षेत्रों से निकालने का है जिनमें गैर-सरकारी क्षेत्र, कार्य करना चाहता है, जैसा कि 10 मार्च, 1985 के "इकानोमिक टाइम्स" में समाचार प्रकाशित हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इससे यह प्रकट होता है कि नीति में परिवर्तन किया जा रहा है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा अन्तरिक्ष और इलेक्ट्रॉनिकी विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) तथा (ख). सरकार देश में इलेक्ट्रॉनिकी के विकास की गति में तेजी लाने का सुनिश्चिय करना चाहती है। इसकी सर्वव्यापी स्वरूप को देखते हुए तथा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादकता तथा कार्यक्षमता को बढ़ाने में इलेक्ट्रॉनिकी की जो महत्ता है, उसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से समय-समय पर विशिष्ट उपायों की घोषणा की है। इन उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ दूरसंचार उपस्करों के विनिर्माण के सम्बन्ध में मार्च, 1984 में घोषित नीति, नवम्बर, 1984 में कम्प्यूटर नीति, तथा मार्च, 1985 में घोषित इलेक्ट्रॉनिकी से सम्बन्धित नीति पर एकीकृत उपाय शामिल हैं। इन नीतियों में घोषित विशिष्ट उपायों में से कुछ उपायों द्वारा दूरसंचार जैसे कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में निजी क्षेत्र की कम्पनियों की सहभागिता के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया है, तथा लघु एवं सूक्ष्म कम्प्यूटरों के उत्पादन की क्षमता को उदार बनाया गया है, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत आने वाली कम्पनियों को वाणिज्यक स्तर पर अनुपलब्ध प्रौद्योगिकी के क्षेत्र प्रवेश करने के लिए आमंत्रित किया गया है तथा किसी भी क्षेत्र में बिदेशी साम्या पूंजी की कम्पनी (40 प्रतिशत तक) को छूट दी गई है। ऐसा करते समय सरकार ने इस बात को ध्यान में रखा कि इलेक्ट्रॉनिकी के विशिष्ट क्षेत्रों में द्रुत गति से वृद्धि करने की आवश्यकता है तथा उपस्करों की वर्तमान उपलब्धता में वृद्धि करने और आयात पर प्रतिबन्ध लगाने की आवश्यकता के साथ-साथ सरकार के साधन-स्रोतों की स्थिति क्या है। सरकार के सीमित साधन-स्रोतों तथा इनमें से कुछ क्षेत्रों में प्रवेश पाने के लिए निजी क्षेत्र की लालसा और निजी क्षेत्र में साधन-स्रोतों की उपलब्धता के कारण यह उचित समझा गया कि महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सरकार के पूंजी निवेश के उचित स्तर तक सीमित रखा जाए।

इलेक्ट्रॉनिकी के क्षेत्र में सातवीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों को हासिल करने के उद्देश्य से

योजना आयोग की पहल पर कुछ मार्गदर्शी सिद्धान्त तैयार किए गए हैं जिनपर अनुवर्ती कार्रवाई राज्य स्तरीय इलेक्ट्रॉनिकी विकास निगमों की सातवीं पंचवर्षीय योजना छठी योजना के दौरान प्राप्त उनके अनुभव पर आधारित होगी और इसे राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी योजना के अनुरूप होना चाहिए ; तथा राज्य स्तरीय इलेक्ट्रॉनिकी विकास निगमों को अपने प्रयासों को केवल उन्हीं कुछ क्षेत्रों में केन्द्रित करने होंगे जिनमें उनके पास क्षमता मौजूद है और वे अपनी शक्ति साधन-स्रोतों तथा प्रयासों को व्यापक बाजारों तथा प्रौद्योगिकियों में फैलाने की कोशिश न करें और उन्हें विशेषज्ञता के कम से कम एक क्षेत्र में तो स्वदेशी आधार का विकास करने की दिशा में अनुसंधान तथा विकास पर ध्यान केन्द्रित करना ही चाहिए ताकि आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आवश्यक उत्पाद स्वदेशी क्षमताओं पर ही आधारित हों।

अमेरिका का यूनेस्को से अलग होना

2539. **श्री चित्त महाता : क्या विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका "यूनेस्को" से अलग हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इसका वर्तमान परस्पर निर्भर थर्मो-न्युक्लीयर विश्व में "यूनेस्को" के कार्यकरण और संयुक्त राष्ट्र की व्यवस्था पर कोई प्रभाव पड़ेगा ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का इस बारे में क्या कदम उठाने का विचार है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी, हां।

(ख) अमरीका 31 दिसम्बर, 1984 को "यूनेस्को" से अलग हो गया।

(ग) किसी सदस्य देश के "यूनेस्को" से अलग हो जाने से सार्वभौमता के सिद्धान्त पर, जोकि राष्ट्र संघ तंत्र के अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है, प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। पश्चिम के अनेक विकसित देशों ने "यूनेस्को" की कार्य-प्रणाली को बदलने की तात्कालिक आवश्यकता पर बल दिया है और उनमें से कुछ ने यह संकेत दिया है कि "यूनेस्को" में जिस तरह के परिवर्तन वे चाहते हैं, यदि वैसे पर्याप्त परिवर्तन इस संगठन में नहीं किए जाते तो उनका इरादा है कि वे "यूनेस्को" में शामिल रहने या इसके साथ अपने सम्बन्धों पर पुनः विचार करेंगे। "यूनेस्को" के बजट के मूल्यांकित अंशदानों में अमरीका का हिस्सा चूंकि 25% है इसलिए उसके हट जाने से बजट में गम्भीर कमी आ जाएगी। जाहिर है कि इससे "यूनेस्को" के कुछेक कार्यक्रमों में कटौती करनी पड़ेगी।

(घ) भारत और अन्य गुटनिरपेक्ष देशों ने "यूनेस्को" के प्रति पूर्ण समर्थन और विश्वास व्यक्त किया है। हम "यूनेस्को" के कार्यकारी बोर्ड में और इसकी अस्थायी समिति में सक्रिय भाग ले रहे हैं जिन्होंने "यूनेस्को" के कामकाज में सुधार लाने के कई ठोस और रचनात्मक उपायों की सिफारिश की है। भारत 407,245 अमरीकी डालर की रकम छोड़ने पर राजी हो गया है जो मुद्रा में उतार-चढ़ाव के कारण हमारे पहले के अंशदानों पर हमें मिलनी थी। अन्य कई देशों में भी "यूनेस्को" को अपनी तात्कालिक वित्तीय कठिनाइयों का सामना करने में सहायता देने के लिए इसी तरह के उपाय किए हैं।

भारत और अन्य गुटनिरपेक्ष देशों को कतिपय देशों द्वारा "यूनेस्को" से अलग हो जाने या अलग हो जाने की धमकी देने पर खेद है। हम "यूनेस्को" के आदर्शों को प्राप्त करने और संयुक्त राष्ट्र संघ तथा संयुक्त राष्ट्र संघ परिवार के अन्तर सरकारी संगठनों को मजबूत बनाने के लिए निरन्तर काम करते रहने के प्रति कृत संकल्प हैं।

[हिन्दी]

राजस्थान में कोटा हवाई अड्डे का स्थानान्तरण

2540. **श्री विष्णु मोदी :**

श्री शांति धारीवाल :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में कोटा हवाई अड्डा चारों ओर से 3 लाख से भी अधिक की आबादी वाले क्षेत्र से घिरा हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस हवाई अड्डे को किसी अन्य स्थान पर स्थानान्तरित करने पर विचार किया है ;

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा तैयार की गई योजना का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नगर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी, नहीं। तथापि कोटा हवाई अड्डे के एक तरफ शहर के बाहर कुछ औद्योगिक इकाइयां स्थापित हो गई हैं।

(ख) से (घ). औद्योगिक इकाइयों से वर्तमान विमान प्रचालनों की सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है, इसलिए इस हवाई अड्डे को यहां से हटाने की इस समय कोई योजना नहीं है।

[अनुवाद]

बड़े शहरों में प्रदूषण रोकने के लिए कदम

2541. **श्री विष्णु मोदी : क्या प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि विशेषतः दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास सहित बड़े शहरों में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीर सेन) : बड़े शहरों में बढ़ते हुए प्रदूषण की रोकथाम के लिए उठाये गये कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

(1) उद्योगों को प्रदूषण नियन्त्रण उपाय अपनाने के लिए सहमत करना।

(2) चूककर्ता उद्योगों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही।

(3) विभिन्न उद्योगों के लिए प्रदूषण के न्यूनतम राष्ट्रीय मानकों का बनाना तथा केन्द्र एवं राज्य बोर्डों द्वारा उनका चरणबद्ध क्रियान्वयन।

(4) वायु प्रदूषणकारी उद्योगों के लिए उत्सर्जन सीमा का निर्धारण।

(5) शहरों के एक भाग में अथवा पूरे शहर में वायु प्रदूषण नियन्त्रण क्षेत्र (ओं) की घोषणा।

(6) नगर-निगमों की पारस्परिक कार्यवाही से नगरीय अपशिष्टों का प्रगामी नियन्त्रण।

(7) प्रदूषण नियन्त्रण उपकरण की स्थापना एवं संतोषजनक निष्पादन के लिए वित्तीय प्रोत्साहन ; विशेषकर लघु उद्योगों के लिए, सार्वजनिक निस्सरण उपचार संयंत्रों की स्थापना हेतु बढ़ावा देना।

(8) प्रदूषण नियन्त्रण के लिए लागत प्रभावी प्रौद्योगिकीयों का विकास।

(9) अन्य शहरों के लिए वाहनों के निःशेष निस्सरणों पर जन जागरूकता अभियान तथा वाहनों के निःशेष निस्सरण मानकों के प्रवंतन हेतु कदम उठाना जैसा कि बम्बई में प्रारम्भ किया गया है।

केन्द्रीय सरकार के मन्त्रालयों में कार्यरत भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के राज्य संवर्ग

2542. **श्री आनन्द पाठक :** क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार के मन्त्रालयों, विभागों, सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में अवर सचिव तथा उप-सचिव के स्तर तक कार्यरत भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के राज्य संवर्गों के क्या नाम हैं, उनके आबंटन का वर्ष क्या है तथा उन्हें एस० डी० ओ०, डिस्ट्रिक्टर मजिस्ट्रेट/कलक्टर/डिप्टी कमिश्नर के रूप में कितने वर्ष तक काम करने का अनुभव है ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री० के० पी० सिंह देव) : कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में उपलब्ध सूचना के आधार पर अपेक्षित सूचना दर्शाने वाली दो सारणियां विवरण के रूप में संलग्न हैं :—

(क) केन्द्र में उप-सचिव तथा उसके समकक्ष पदों पर सेवारत भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का संवर्ग द्वारा आबंटन तथा (i) एस० डी० ओ० और (ii) कलेक्टर के रूप में अनुभव की अवधि (पृ० 191 से 192)।

(ख) केन्द्र में अवर सचिव तथा उसके समकक्ष पदों पर सेवारत भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का संवर्ग द्वारा आबंटन तथा (i) एस० डी० ओ० और (ii) कलेक्टर के रूप में अनुभव की अवधि (पृ० 192 से 193)।

[हिन्दी]

घाघरा नदी में प्रदूषण को रोकना

2543. **श्री निर्मल खत्री :** क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा "घाघरा नदी" में प्रदूषण रोकने सम्बन्धी किसी योजना पर विचार किया जा रहा है ;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि घाघरा नदी अयोध्या से गुजरती है जो कि एक तीर्थ स्थल है और इसमें बहुत गन्दगी है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वीर सेन) : (क) घाघरा के लिए कोई प्रदूषण नियंत्रण योजना केन्द्र अथवा राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) जी हां, बहरहाल, वहां केवल घरेलू मलजल, ठोस अपशिष्ट तथा उद्योगों के निस्सरणों से कुछ प्रदूषण है।

विवरण

सारणी-1

केन्द्र में उप सचिव तथा समकक्ष पदों पर सेवारत भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का संवर्ग द्वारा आवंटन तथा (i) एस० डी० ओ० और (ii) कलेक्टर के रूप में अनुभय की अवधि

राज्य	केन्द्र में भा०प्र० से० के अधि-कारियों की सं०	एस०डी०ओ० के रूप में अनुभव की अवधि*				कलेक्टर के रूप में अनुभव की अवधि@			
		1 वर्ष से कम	1 वर्ष से अधिक और दो वर्ष से कम	2 वर्ष से अधिक और तीन वर्ष से कम	3 वर्ष और अधिक	1 वर्ष से कम	1 वर्ष से अधिक और दो वर्ष से कम	2 वर्ष से अधिक और तीन वर्ष से कम	3 वर्ष और अधिक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	19
1. आंध्र प्रदेश	11	—	1	9	1	1	9	1	—
2. असम मेघालय	4	1	1	1	1	3	1	—	—
3. बिहार	13	—	7	6	—	4	3	3	3
4. गुजरात	8	—	3	4	1	2	—	2	4
5. हरियाणा	6	—	3	1	2	2	2	1	2
6. हिमाचल प्रदेश	4	—	3	1	—	—	3	—	1
7. जम्मू तथा कश्मीर	3	—	2	1	—	1	1	—	1
8. कर्नाटक	13	1	2	9	1	3	8	2	—
9. केरल	5	—	1	3	1	3	—	2	—
10. मध्य प्रदेश	10	—	3	5	2	1	3	3	3
11. महाराष्ट्र	13	—	7	5	1	2	4	6	1
12. मणिपुर त्रिपुरा	7	2	5	—	—	—	3	4	—
13. उड़ीसा	5	1	3	1	—	2	1	1	1
14. पंजाब	5	—	3	1	1	2	1	2	—
15. राजस्थान	2	—	2	—	—	—	1	1	—

*एस० डी० एम०, सहायक कलेक्टर, सहायक आयुक्त, उप कलेक्टर तथा संयुक्त कलेक्टर के पदो पर अधिकारियों के अनुभव की अवधि (प्रशिक्षण-अवधि को छोड़कर) सहित।

@उपायुक्त तथा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पदों पर अधिकारियों के अनुभव की अवधि सहित।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16. तमिलनाडु	4	1	2	1	—	3	1	—	—
17. संघ शासित	12	4	2	6	1	5	2	4	—
18. उत्तर प्रदेश	15	9	5	1	—	3	5	5	2
19. पश्चिम बंगाल	7	—	1	6	—	4	1	2	—
कुल	147†	19	56	60	12	42	49	39	18

†वे 4 अधिकारी इसमें शामिल नहीं हैं जिनके बारे में सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है।

सारणी-2

केन्द्र में अवर सचिव तथा समकक्ष पदों पर सेवारत भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का संवर्ग द्वारा आबंटन तथा (क) एस० डी० ओ० (ख) कलेक्टर के रूप में अनुभव की अवधि

राज्य	केन्द्र में सेवारत अधि-कारियों की सं०	एस०डी०ओ० के रूप में अनुभव की अवधि*				कलेक्टर के रूप में अनुभव की अवधि@		
		1 वर्ष से कम	1 वर्ष से अधिक और दो वर्ष से कम	2 वर्ष से अधिक और तीन वर्ष से कम	3 वर्ष और अधिक	1 वर्ष से कम	1 वर्ष से अधिक और दो वर्ष से कम	2 वर्ष और अधिक
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. आन्ध्र प्रदेश	2	—	—	2	—	2	—	—
2. असम मेघालय	3	—	2	1	—	2	1	
3. बिहार	2	—	2	—	—	1	1	
4. हरियाणा	1	1	—	—	—	1	—	
5. हिमाचल प्रदेश	2	—	2	—	—	1	—	1
6. जम्मू तथा कश्मीर	2	—	—	1	1	1	1	1
7. कर्नाटक	1	—	—	1	—	1	—	
8. केरल	1	—	1	—	—	1	—	
9. मध्य प्रदेश	2	—	2	—	—	1	—	1
10. महाराष्ट्र	7	—	1	5	1	6	1	—
11. मणिपुर-त्रिपुरा	6	1	4	1	—	3	1	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. नागालैण्ड	4	1	3	—	—	4	—	—
13. उड़ीसा	4	—	3	1	—	4	—	—
14. पंजाब	1	—	1	—	—	1	—	—
15. राजस्थान	2	—	1	1	—	2	—	—
16. सिक्किम	2	2	—	—	—	1	—	1
17. तमिलनाडु	5	—	2	3	—	5	—	—
18. संघ शासित क्षेत्र	1	—	1	—	—	1	—	—
19. उत्तर प्रदेश	8	—	4	4	—	8	—	—
20. पश्चिम बंगाल	6	1	1	4	—	6	—	—
योग :	62†	6	29	25	2	52	5	5

*एस० डी० एम०, सहायक कलेक्टर, सहायक आयुक्त, उप कलेक्टर तथा संयुक्त कलेक्टर के पदों पर अधिकारियों के अनुभव की अवधि (प्रशिक्षण की अवधि छोड़कर) सहित।

@उपायुक्त तथा मजिस्ट्रेट के पदों पर अधिकारियों के अनुभव की अवधि सहित।

†वे 2 अधिकारी इसमें शामिल नहीं जिनके बारे में सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है।

[अनुवाद]

प्रदूषण विरोधी और खतरा विरोधी उपायों का उल्लंघन करने पर विशेष दण्ड लगाया जाना

2544. **श्री पूर्णचन्द्र मलिक :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार प्रदूषण विरोधी और खतरा विरोधी उपायों का उल्लंघन करने पर विशेष दण्ड लगाने की व्यवस्था करने पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वीर सेन) : (क) जल प्रदूषण (निवारण एवं नियन्त्रण) अधिनियम, 1981 की व्यवस्थाओं के अन्तर्गत प्रदूषण करने वालों को दण्ड दिया जा सकता है। तथा प्रदूषण-विरोधी उपायों के उल्लंघन पर जुर्माना किया जा सकता है।

(ख) अधिकार देने वाली व्यवस्थायें जल (प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण) अधिनियम 1974 के खण्ड 41, 42, 43, 44 तथा 45 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण) अधिनियम, 1981 के खण्ड 37, 38, 39, में है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

आयातित सी जेड सिलीकान क्रिस्टल्स और वेफर से सीमा शुल्क हटाना

2546. **श्री सत्य गोपाल मिश्र** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1983 में आयातित सी जेड सिलिकान क्रिस्टल्स और वेफर्स से, जिसका देश में भी उत्पादन होता है, लगभग 70% सीमा-शुल्क हटा दिया था ;

(ख) यदि हां, तो उक्त आयातित माल के लिए सीमा शुल्क में इतनी भारी कटौती करने के क्या कारण है; और

(ग) भारतीय उत्पाद को मुआवजे के रूप में दिये गए प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रोद्योगिकी मन्त्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष और इलैक्ट्रानिक्स विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) सरकार ने इलैक्ट्रानिक उद्योग को दिए गए बहुत से प्रोत्साहनों के एक भाग के रूप में, अगस्त, 1983 में सिलिकान एकल क्रिस्टल्स और वेफर्स पर सीमा-शुल्क को घटाकर 40% कर दिया है।

(ख) ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य देश में निर्मित इलैक्ट्रानिक संघटकों और उपकरणों के मूल्यों में कमी लाना था।

(ग) इसके साथ ही उपरोक्त प्रोत्साहनों के अन्तर्गत सिलिकान एकल क्रिस्टल्स और बाद में वैफर्स के निर्माण में प्रयुक्त होने वाली मूलसामग्री "पोली सिलिकान" पर भी सीमा शुल्क 87% से घटाकर 0% कर दिया गया। इसके बाद एकल क्रिस्टल्स सिलिकान के निर्माण में प्रयोग होने वाले "क्वार्टस कुसिवल" का प्रोत्साहन स्वरूप सीमा-शुल्क 40% से घटाकर 0% कर दिया गया है।

12.00 म० प०

[अनुवाद]

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस तथ्य की ओर आपका ध्यान आकृषित करना चाहता हूं कि सदन में मेरे द्वारा गम्भीर मामलों की सूचना देने के बाद सौभाग्यवश सरकार ने इन पर बहुत दिलचस्पी ली है। इनमें से एक मुखगेश जयकिशन के बारे में था और दूसरा राजेन्द्र सेठिया के बारे में। अब हरियाणा में एक अन्य घटना हुई है। हरियाणा के एक व्यापारी ने जिसका राजनीतिज्ञों के साथ गहरा सम्बन्ध है, राष्ट्रीयकृत बैंकों से भारी रकम ऋण के रूप में प्राप्त की है और आयात के लिए अवैध रूप से भारी विदेशी मुद्रा भी प्राप्त थी। मैं जानना चाहता हूं कि इस बारे में जो मैंने सूचना दी थी उसका क्या हुआ ?

अध्यक्ष महोदय : मैं देखूंगा।

प्रो० मधु दण्डवते : इससे केन्द्रीय सरकार सम्बन्धित है। इस मामले को उठाने की अनुमति दीजिए ताकि आप सूचना एकत्रित कर सकें।

अध्यक्ष महोदय : मैं जानता हूं कि मुझे तथ्य प्राप्त करने हैं।

प्रो० मधुदण्डवते : यह धन इकट्ठा करने का हरियाणवी ढंग है। इस बारे में आपका क्या व्यवस्था है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं देखूंगा।

प्रो० मधुदण्डवते : क्या आप सूचना इकट्ठी करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : मैं देखूंगा।

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : महोदय पूरे देश में विशेष रूप से पंजाब के संदर्भ में आतंकवाद द्वारा घृणित रूप से सिर उठाने के बारे में मैं आपका ध्यान बार बार आकर्षित कर रहा हूँ। वहां क्या हो रहा है उसे आपके ध्यान में लाया जा चुका है। महोदया श्रीमती गांधी के हत्यारे बेअंत सिंह के पिता को बहुत महान बताया जा रहा है और उसे मालाएं पहनाई गई। उसकी पत्नी को पंजाब में चारों ओर घुमाया जा रहा है। यह हृदय दहलाने वाला दृश्य है। लोगोंवाल की रिहाई के बाद से उन्होंने जो आतंकवादी मुद्रा अपनाई है जिस तरह से वह बातें करते हैं, साक्षात्कार करते हैं तथा लन्दन में चौहान द्वारा निर्वासित सरकार गठित करने की घोषणा यह सभी देश के लिए खतरा बनी हुई है। ये सभी बातें महत्वपूर्ण हैं। सरकार को एक विस्तृत वक्तव्य के साथ आना चाहिए। गृह मंत्री जी यहां हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि सरकार को कुछ कार्रवाई के लिए निर्देश दें और एक वक्तव्य दें। यह भयंकर अपराध है। इन अपराधियों के विरुद्ध जो उनको बचाते हैं कड़ी कार्यवाई करनी चाहिए तथा उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए। यह वह विषय है जो राष्ट्रीय प्रभुसत्ता पर बुरा प्रभाव डाल रही है।

श्री कमलनाथ (छिंदवाड़ा) : महोदय, कल एक समारोह में श्रीमती गांधी के एक हत्यारे के पिता—सतवंत सिंह के पिता को अकाली दल के मंच पर लाया गया तथा उनका स्वागत किया गया। उनको महान बताया गया और उन्हें फूलों के हार पहनाए गए। बैठकें की जा रही हैं। क्या यह हत्या का समर्थन करना नहीं है ? क्या यह हत्या को उकसाना नहीं है ? गृह मंत्री जी इस बारे में क्या कर रहे हैं ? (व्यवधान)

प्रो० के० के० तिवारी : जब ये बातें हो रही हों तो हम चुप और निस्सहाय दर्शक की तरह बैठ सकते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह मेरी समझ से बाहर है कि एक व्यक्ति इतना नीचे गिर सकता है। मैं नहीं जानता कि किन शब्दों में इसकी निन्दा की जाए। मूल मानवीय प्रकृति भी मर जाती है या मूल मानवीय मूल्य इस कदर गिर जाते हैं। यह गृह मन्त्री के ऊपर है कि वह कार्यवाई करें। मैं भौचक्का हूं। मुझे दुःख हुआ है ! मैं नहीं जानता कि इस बारे में क्या कहा जाए।

श्री कमल नाथ : सरकार इनके साथ बातचीत करना क्यों चाह रही है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं।

श्री प्रिय रंजन दासमुंशी (हावड़ा) : महोदय, मैं आपका ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि इस देश में पत्रकारों को जब वे सम्मेलन में शामिल होते हैं तो उन्हें हर किस्म का संरक्षण दिया जाता है।

अध्यक्ष महोदय : वे इस देश के नागरिक हैं।

श्री प्रिय रंजन दासमुंशी : वाराणासी में हुए राष्ट्रीय पत्रकार संघ (नेशनल यूनियन आफ जर्नलिस्ट्स) सम्मेलन में जो पत्रकार कलकत्ता से सभा में शामिल होने के लिए आ रहे थे उन्हें जी० आर०पी० ने जोधिदी स्टेशन पर मारा। रेल मन्त्री जी को इस बारे में कार्रवाई करनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : यह कानून और व्यवस्था की समस्या है इसे यहां उठाया नहीं जा सकता। अनुमति नहीं दी जाती है। यह कानून और व्यवस्था की समस्या है। मैं इसको नहीं ले सकता हूं।

(व्यवधान)**

श्री कमल नाथ : गृह मन्त्री जी यहां बैठे हैं। इस तरह के प्रमुख विषय पर आप उन पर बात करने के लिए दबाव क्यों नहीं डालते हैं कि जब तक अकाली ऐसा दृष्टिकोण अपनाये रखेंगे तब तक वह उनके साथ बातचीत नहीं करेंगे।

दूसरी तरफ सरकार उनको बता रही है कि हम आपको यह बांध देंगे हम आपको यह और वह सुविधा देगें ! यह क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : यह अकालियों के लिए नहीं है, यह बांध तो पंजाबियों के लिए है। यह पूरे देश के लिए है।

प्रो० पी० जे० कुरियन (इदुक्की) : 30 मार्च को, दूरदर्शन के 'हम लोग' कार्यक्रम में केरल के लोगों के प्रति कुछ अपमानजनक और अभद्र बातें कही गई थीं जो इनकी बेइज्जती थी। महोदय इस प्रकार की टिप्पणियां देना दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं सूचना और प्रसारण मन्त्री से मामले में कार्रवाई करने के लिए अनुरोध करता हूं। उन्हें जांच समिति नियुक्त करनी चाहिए। सरकार को सदन में यह आश्वासन देना चाहिए कि इस तरह की बात फिर से दोबारा नहीं दुहराई जाएगी और जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : माननीय सदस्य यह से बात मेरे ध्यान में लाए हैं। किसी के दिल को दुखाने का कोई इरादा नहीं था कल कार्यक्रम शुरू होने से ठीक पहले दूरदर्शन द्वारा एक व्यक्तव्य दिया गया था जिसमें उन्होंने खेद प्रकट किया और माफी मांगी थी।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह कानून और व्यवस्था की समस्या है। इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता।

(व्यवधान)

श्रीमती गीता मुखर्जी खड़ी हुई—

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं, महोदया।

[हिन्दी]

आप से मुझे यह उम्मीद नहीं है।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : मैं कह रहा हूं कि बिहार राज्य के गया जिले के जहानाबाद अनुमण्डल के अन्दर सैकड़ों हरिजनों की हत्या भूमि-सेना द्वारा की गई है। इधर हाल में कोकरसा गांव में दो हरिजनों के सिर काट कर ले गये हैं······

** कार्यवाही में वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह राज्य का विषय है । अनुमति नहीं दी जाती है ।

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर) : मैंने दिल्ली उच्च न्यायालय के जज के बारे में मामला उठाया था । यह समाचार पत्र में आया है······

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप होम वर्क कर के आया करिए अमल दत्त जी

[अनुवाद]

आपकी बात तथ्यों के आधार पर नहीं है । मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता हूँ ।

अब सभा पटल पर पत्र रखें जायेंगे ।

12.08 म० प०

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

[अनुवाद]

वायुयान अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : मैं वायुयान अधिनियम, 1934 की धारा 14क के अन्तर्गत, वायुयान (दूसरा संशोधन) नियम, 1985, जो 23 मार्च, 1985 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 292 (अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पणी (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 662/85]

अखिल भारतीय सेवा अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना तथा सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केन्द्र, नई दिल्ली, के वर्ष 1983-84 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन और लेखा परीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं ।

(1) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) भारतीय वन सेवा (संवर्ग सदस्य-संख्या का नियतन) दूसरा संशोधन विनियम, 1985, जो 26 मार्च, 1985 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 308 (अ) में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) भारतीय वन सेवा (वेतन) तीसरा संशोधन नियम, 1985 जो 26 मार्च, 1985 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 309 (अ) में प्रकाशित हुए थे ।

(तीन) भारतीय वन सेवा (संवर्ग सदस्य-संख्या का नियतन) तीसरा संशोधन विनियम, 1985, जो 29 मार्च, 1985 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 327 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय वन सेवा (वेतन) चौथा संशोधन नियम, 1985, जो 29 मार्च, 1985 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 328 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल० टी०-663/85]

(2) सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केन्द्र, नई दिल्ली, के वर्ष 1983-81 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन* और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलम्ब होने के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 664/85]

———

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : क्या हो गया महन्ती जी ?

[अनुवाद]

श्री बृजमोहन महन्ती (पुरी) : अनिवार्य वस्तुओं की कीमतों में अत्यधिक वृद्धि हुई है। उन्हें एक वक्तव्य देना चाहिए।

श्री कमल नाथ : गृह मन्त्री जी को कम से कम यह बता दिया जाना चाहिए कि वह इस बारे में कुछ कहें। उन्हें कुछ कहने दो।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इस बारे में पहले ही पूछा है। इसके अलावा और मैं क्या कह सकता हूँ ?

श्री कमल नाथ : उन्हें कहने दो। मैं बातचीत नहीं करूंगा। कृपया उन्हें बता दीजिए। अन्यथा आप अपने कर्त्तव्य में असफल हो जायेंगे।

अध्यक्ष महोदय : श्री कमल नाथ। जो कुछ मैंने कहा है क्या मैं उससे अधिक कुछ कह सकता हूं ?

श्री कमल नाथ : महोदय, आपने उन्हें कुछ नहीं कहा है। यदि आपने उन्हें कहा है तो उन्होंने इसे नहीं सुना है। कृपया उन्हें फिर से बताइये।

अध्यक्ष महोदय : वह जिन्दा मानव है और वह जानते हैं कि मेरा क्या तात्पर्य है। मैं समझता हूँ कि पूरा सदन इससे सहमत है। क्या आप समझते हैं कि इस सदन में इस बात पर कोई विरोध हुआ है।

अब श्री शिवराज पाटिल सभा पटल पर पत्र रखेंगे।

———

*वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखे 29 जनवरी, 1985 को सभा पटल पर रखे गए थे।

[-2/7/30/1/c]　**सभा-पटल पर रखे गये पत्र—जारी**

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना तथा सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 15क के उपबन्धों कार्यकरण के सम्बन्ध में वर्ष 1983 का वार्षिक प्रतिवेदन

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष और इलेक्ट्रोनिक्स विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(1) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 22 की उपधारा (3) के अन्तर्गत केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (पहला संशोधन) नियम, 1985 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति जो 2 मार्च, 1985 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 225 में प्रकाशित हुए थे।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित अधिसूचना को सभा पटल पर रखने में विलम्ब होने के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० -665/85]

(3) सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 की धारा 15 क की उपधारा (4) के अन्तर्गत, उक्त अधिनियम की धारा 15 क के उपबन्धों के कार्यकरण के सम्बन्ध में वर्ष 1983 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०-666/85]

मंत्रीमण्डल सचिवालय के संकल्प में, जिसमें मन्त्रिमंडल से सम्बद्ध विज्ञान परामर्शदात्री समिति का संशोधित गठन दिया हुआ है परिवर्तन करने वाला संकल्प

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : मैं मंत्रिमण्डल सचिवालय के दिनांक 4 जून, 1983 के संकल्प संख्या 84/1/1/83-केब० में, जिसमें मन्त्रिमण्डल से सम्बद्ध विज्ञान परामर्शदात्री समिति का संशोधित गठन दिया हुआ है, परिवर्तन करने वाले 23 जनवरी, 1985 के संकल्प संख्या 13016/6/84-एडमिन० 1 (ए) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखती हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी०-667/85]

———

[अनुवाद]

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति।

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : यह बहुत बुरा है। यह तो वही बात हुई कि चोर से कहो चोरी करो और शाह से कहो कि सजग रहो।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रो० तिवारी पूरा सदन का एक मत है। इसे नष्ट करने की कोशिश मत करो।

प्रो० के० के० तिवारी , विपक्ष चुप क्यों है ? (व्यवधान)

प्रो० मधुदण्डवते (राजापुर) : उन्हें ऐसा नहीं करने दीजिए। उन्हें विपक्ष में फूट डालने का प्रयास मत करने दीजिए। अध्यक्ष महोदय हम सभी आप से सहमत हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : यह क्या कह रहे हैं आप लोग ?

[अनुवाद]

कृपया बैठ जाइये। आप सभी कृपया बैठ जाइये।

प्रो० मधु दण्डवते : उन्हें विपक्ष में फूट मत डालने दीजिए। हम इसका विरोध करते हैं।

प्रो० के० के० तिवारी : मेरी ऐसी मन्शा नहीं है (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। क्या आप बैठेंगे या नहीं ? आपको क्या चाहिए ? कृपया बैठ जाइये।

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : महोदय, इन्हें माफी मांगनी चाहिए। (व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : हमने इस घटना की केवल निन्दा ही नहीं की बल्कि उस दिन मैंने सदन में खड़े होकर यह कहा था कि जो श्री दास मुन्शी ने कहा है उससे हम पूर्ण रूप से सहमत हैं। हम सभी ने उस घटना की निन्दा की है। फिर भी उन्होंने समस्त विपक्ष को चुनौती देने का दुस्साहस किया है।

(व्यवधान)

प्रो० के० के० तिवारी : आपको इसकी निन्दा करनी ही चाहिए। आपने किसी के साथ कोई एहसान नहीं किया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री तिवारी बैठ जाइये। जब मैं कहता हूं बैठ जाइए तो, कृपया बैठ जाइए। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। (व्यवधान)

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर) : महोदय, आप उन्हें कुछ भी नहीं बताते हैं···

अध्यक्ष महोदय : श्री अमल दत्ता, कृपया बैठ जाइए। श्री अमर राय प्रधान, कृपया बैठ जाइए। श्री चौबे कृपया बैठ जाइये।

(व्यवधान)

श्री नारायण चौबे : हम आपके निर्णय का पालन करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें पहले ही कह दिया है कि इस मुद्दे पर सदन एक मत था मैंने इसकी

सराहना की थी। अभी दो मिनट पहले ही मैंने कहा था कि इस पर कोई मतभेद नहीं था। यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया था।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : राव बीरेन्द्र सिंह वक्तव्य देंगे।

(व्यवधान)

श्री अमल दत्त : महोदय, जब वे नियम तोड़ते हैं तो आप कुछ नहीं करते। आप उनको दण्ड नहीं दे सकते। आप उनसे माफी नहीं मंगवा सकते। आप उनसे उनके शब्द वापस नहीं करा सकते। परन्तु हम नियमों का पालन कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री अमल दत्त, मैंने उससे भी अधिक कर दिया है। क्या आप वह नहीं समझ सकते? क्या आप अंग्रेजी नहीं समझ सकते? मैंने जो कहा है वह प्रो० दण्डवते से पूछिए।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, आपने बिल्कुल सही काम किया। मैं इसके बारे में सन्तुष्ट हूं। उसके बाद भी विपक्ष को इस तरह से बदनाम करने की उन्हें छूट क्यों दी जा रही है?

अध्यक्ष महोदय : छूट देने का प्रश्न ही नहीं उठता। मैंने जो कुछ कहा था, यदि उन्होंने सुना होता तो, वे ऐसा करते ही नहीं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृतान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : राव बीरेन्द्र सिंह वक्तव्य देंगे।

———

12.12 म० प०

रोलर आटा मिलों को खुले बाजार से गेहूं खरीदने के लिए दी गई अनुमति के बारे में वक्तव्य

[अनुवाद]

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : माननीय सदस्यों को मालूम ही है कि खुले बाजार में गेहूं की उपलब्धता बहुत अच्छी है और आगामी फसल के दौरान इसकी सप्लाई में और बहुत अधिक वृद्धि हो जाने की सम्भावना है। अब तक रोलर फ्लोर मिलों को खुले बाजार में गेहूं की खरीद करने की इजाजत नहीं थी, लेकिन उन्हें केवल भारतीय खाद्य निगम द्वारा गेहूं सप्लाई किया जाता था। सरकार महसूस करती है कि रोलर फ्लोर मिलों को अब बाजार से दूर रखना ठीक नहीं है। उपभोक्ताओं के लिए गेहूं के पदार्थों की सप्लाई बढ़ाने और मिलों की उनकी पूरी क्षमता का उपयोग करने में मदद करने और किसानों को प्रतियोगी मूल्यों पर अपने फालतू गेहूं का निपटान करने के लिए वैकल्पिक साधन सुलभ करने की दृष्टि से यह निश्चय किया गया है कि रोलर फ्लोर मिलों

** कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

को तत्काल अपनी जरूरत तक खुले बाजार से सीधे गेहूं की खरीद करने की अनुमति दी जाए। यह सुविधा भारतीय खाद्य निगम से गेहूं प्राप्त करने की मौजूदा सुविधा के अलावा होगी। खुले बाजार से गेहूं की खरीदारी करने की यह अनुमति इस शर्त पर होगी की मिलों द्वारा दिया जाने वाला मूल्य सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम नहीं होगा। व्यापारियों पर लगी गेहूं का स्टाक रखने की सीमा पहले ही हटाई जा चुकी है और देश भर में गेहूं के संचलन पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : बहुत अच्छा। अब हम अगले मद—नियम 377 के अधीन मामलों पर चर्चा करते हैं। श्री मदन पान्डेय।

12.16 hrs.

नियम 377 के अधीन मामले

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[हिन्दी]

(एक) उत्तर प्रदेश तथा अन्य क्षेत्रों में मच्छरों के बढ़ते हुए उत्पात को रोकने के लिए मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम को पुनरुज्जीवित करने की आवश्यकता

श्री मदन पाण्डेय (गोरखपुर) : भारत के प्राय: सभी प्रान्तों विशेषकर उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के प्रधान नगर जैसे गोरखपुर आदि में मच्छरों के कारण मलेरिया, फाइलेरिया, मस्तिष्क ज्वर तथा अन्य कई प्रकार की बीमारियों के कारण स्वास्थ्य संबंधी संकट उत्पन्न हो गया है। मलेरिया उन्मूलन अभियान अरसे से बंद हैं। मच्छर भगाने वाली मशीनों तथा दवाइयों का नितांत अभाव है। दवाइयां अव्वल तो उपलब्ध ही नहीं हैं और जो दवाइयां उपलब्ध हैं भी वे या तो पुरानी हो गई हैं या मच्छर आदि उनके इतने अभ्यस्त हो गये हैं कि दवाइयां छिड़कने या फयूमीगेशन करने के बाद भी मरते नहीं हैं जिसके कारण भारत के सभी भागों में मच्छर ने अभी से अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया है और लोग मलेरिया से पीड़ित हो रहे हैं। ऐसी हालत में यदि केन्द्रीय सरकार ने उन्मूलन अभियान को सक्रिय नहीं किया तथा ड्रेनेज व्यवस्था को सुधारने के लिये प्रान्तों को आदेश नहीं दिया तो उक्त बीमारियां महामारी का रूप ले लेंगी।

अत: अनुरोध है कि केन्द्रीय सरकार तत्काल इस तरफ ध्यान दे।

(दो) बिहार में पेयजल की कमी की समस्या को हल करने की आवश्यकता

श्रीमती कृष्णा साही (बेगूसराय) : उपाध्यक्ष महोदय, इस वर्ष अनावृष्टि के कारण देश के अनेक प्रान्त विशेषकर बिहार में सूखे की स्थिति उत्पन्न हो रही है। फसलों की बड़े पैमाने पर क्षति, जानवरों के लिए चारे और सुदूर ग्रामीण जिलों में पेयजल की अत्यन्त कमी होने की सम्भावना है। दीर्घ एवं अल्पकालीन जलपूर्ति योजनाओं का युद्ध स्तर पर बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यान्वयन शीघ्रातिशीघ्र आवश्यक है। इस दिशा में भारत सरकार की ओर से राज्य सरकार को निदेश देने की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करती हूं। छोटे शहरों और गांवों में 1967 ई० से पेयजल आपूर्ति योजनायें अधूरी चली आ रही हैं जिनपर भारत सरकार की भी काफी बड़ी धनराशि व्यय हो चुकी है, जिसका उपयोग ग्रामीण जनता के द्वारा नहीं हो सका है। यदि तत्काल भारत सरकार इस समस्या की ओर ध्यान दे तो कम खर्च में ही ग्रामीण जनता को पेयजल उपलब्ध हो सकता है जो हमारे जीवन की न्यूनतम आवश्यकता है।

(तीन) उत्तर प्रदेश के मुसलमान मेहतरों के लिए वहां के हिन्दू मेहतरों के समान आरक्षण तथा अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करने की आवश्यकता

श्री महावीर प्रसाद (बांसगांव) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान उत्तर प्रदेश में बसे उन लाखों मुस्लिम स्वीपर्स को विशेष सुविधा व आरक्षण देने की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं, जिनका मुख्य पेशा सड़े गले नाली नालों, संडासों के मलमूत्र की सफाई करनी है। जो समाज का सर्वाधिक शोषित, पीड़ित और दलित वर्ग है। सदियों से इसी पेशे को करके अपने जीवन का निर्वाह करता आ रहा है। लेकिन इस वर्ग को किसी भी प्रकार की विशेष सुविधा या आरक्षण सरकार द्वारा नहीं प्राप्त है। जबकि हिन्दू स्वीपर्स इसी पेशे को करते हुए शिक्षा में, नौकरी में तथा राजनीति में भी विशेष सुविधा एवं आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं।

अतः आपके माध्यम से केन्द्रीय सरकार से निवेदन करूंगा कि मुस्लिम स्वीपर्स को भी हिन्दू स्वीपर्स के समान ही विशेष सुविधा एवं हर प्रकार की आरक्षण प्रदान करें, ताकि उनके बच्चे भी समाज में अपना एक स्थान बना सकें।

[अनुवाद]

(चार) पुरी, कोणार्क तथा भुवनेश्वर के जो कि तीर्थ स्थान तथा पर्यटकों के आकर्षण के केन्द्र हैं, चारों ओर विकास कार्य आरम्भ करने की आवश्यकता

श्री ब्रजमोहन महन्ती (पुरी) : पुरी, कोणार्क तथा चिल्का झील और भुवनेश्वर में वर्षों से असंख्य पर्यटक आते रहे हैं। पुरी, कोणार्क तथा भुवनेश्वर केवल पर्यटकों के आकर्षण के केन्द्र ही नहीं हैं बल्कि तीर्थ यात्रा के भी स्थान हैं। बहुत से विदेशी तथा भारतीय नागरिक मन्दिरों के सौन्दर्य-परक तथा कलात्मक निर्माण तथा प्राचीन काल की उड़िया वास्तुकला का आनन्द लेने के लिए इन स्थानों का भ्रमण करते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों को समुद्र तथा इसके आस-पास का क्षेत्र तथा पुरी और कोणार्क का सुन्दर समुद्री बालूतट अति आकर्षक लगते हैं। चिल्का झील, जिसमें बहुत किस्म के पक्षी प्रायः आते जाते रहते हैं, एक अद्वितीय पर्यटक स्थल है।

परन्तु इस क्षेत्र का बुनियादी विकास अपर्याप्त है। कोणार्क से बालीघाई तक बने 'मेरीन ड्राइव' को पुरी तक और इससे आगे हरचन्दी तक बढ़ाया जाना चाहिए। चिल्का झील के आस-पास के क्षेत्र का विकास अच्छी सड़कों तथा नौका सुविधाएं देकर किया जाना है। पर्यटन विभाग द्वारा पूरे क्षेत्र का सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। इस क्षेत्र के विकास का कार्य शीघ्र शुरू किया जाना चाहिए ताकि ये स्थान पर्यटकों के लिए, विशेष रूप से अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए, और अधिक आकर्षण के केन्द्र बन सकें।

[हिन्दी]

(पांच) बिहार में उर्वरकों की कमी

प्रो० चन्द्र भानु देवी (बलिया) : उपाध्यक्ष महोदय, गत दो-तीन वर्षों से बिहार में रबी और खरीफ की फसलों के मौकों पर उर्वरकों की भारी कमी रही है और इसके परिणाम स्वरूप राज्य में कृषि उत्पादन पर बुरा असर पड़ा है। इसका मुख्य कारण यह है कि उर्वरक पूर्ति व्यवस्था हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर्स कम्पनी की बरौनी यूनिट से की जाती है, जो अपने दिए गए वचन का पालन इसलिए नहीं कर पाती क्योंकि पिछले कुछ समय से इसका उत्पादन काफी कम हो रहा है। इसके फलस्वरूप

बरौनी यूनिट से बिहार राज्य के लिए ई० सी० पूर्ति व्यवस्था पूर्ण रूप से नहीं हो सकी। गत तीन वर्षों से उर्वरकों का उत्पादन तेजी से कम हो रहा है और इसका मुख्य कारण है कम्पनी की कमजोर प्रबन्ध व्यवस्था। अतः मैं यह सुझाव देना चाहूंगी कि प्रबन्ध व्यवस्था में सुधार करते हुए तथा अन्य उचित कदम उठाते हुए बरौनी में उत्पादन बढ़ाने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाए। जब तक कि बरौनी यूनिट के कार्य में अपेक्षित सुधार न हो तब तक उर्वरकों की अतिरिक्त आपूर्ति अन्य उर्वरक कम्पनियों से कराई जाए।

दुर्भाग्य से बिहार में बिजली की कमी ने भी उर्वरक कारखाने की समस्या को बढ़ाया ही है। यद्यपि बरौनी के लिए कैपटिव पावर प्लान्ट की स्वीकृति हो चुकी है, लेकिन इस दिशा में प्रगति इतनी धीमी है कि इसे पूरा होने में अभी कम से कम दो-तीन वर्ष का समय और लगेगा। कैपटिव पावर प्लान्ट पूरा करने के लिए कुछ सशक्त कदम उठाने की समयबद्ध कार्यक्रम के रूप में प्राथमिकता के आधार पर जरूरत है।

[अनुवाद]

(छः) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को अन्तरिम सहायता की दूसरी किस्त का भुगतान करने के लिए शीघ्र घोषणा करने की आवश्यकता

श्री ललित माकन (दक्षिण दिल्ली) : जून 1983 में चतुर्थ वेतन आयोग का गठन किया गया था। लगभग दो वर्ष बीत गए हैं परंतु उसने अभी तक रिपोर्ट नहीं दी है। इससे केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों में बहुत असन्तोष व्याप्त है। चतुर्थ वेतन आयोग का गठन सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों तथा केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतन में असमानता को दूर करने के लिए किया गया था। इस समय भारतीय बीमा निगम का अवर श्रेणी लिपिक केन्द्रीय सरकार के अवर श्रेणी लिपिक से 450 रुपए अधिक ले रहा है। केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी अन्तरिम सहायता की दूसरी किश्त की घोषणा का बहुत ही उत्सुकता से इन्तजार कर रहे हैं। केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के तनाव तथा असन्तोष को समाप्त करने के लिए वित्त मंत्री को चतुर्थ वेतन आयोग से अन्तरिम सहायता की दूसरी किस्त की घोषणा करने के लिए कहना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री नारायण चौबे।

श्री नारायण चौबे : महोदय, मैं आ रहा हूं।

प्रो० मधु दंडवते : आप सरकारी पक्ष से ही अपना वक्तव्य दे सकते हैं।

(सात) केसियारी में भासरघाट के निकट सुवर्ण रेखा पर बांध बनाने के पश्चिम बंगाल सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति देने और उसे सातवीं पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करने की मांग

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : पश्चिमी बंगाल के मिदनापुर जिले के लोग विशेष रूप से केसियारी, दन्तान, मोहनपुर, पतासपुर, इगरा, कन्टई, बेल्दा, नारायणगढ़, आदि इलाकों के लोग सिंचाई की सुविधाओं की कमी के कारण परेशान हैं। समस्त पश्चिमी बंगाल में हरियाणा पंजाब, आन्ध्र प्रदेश, आदि राज्यों की अपेक्षा, सिंचाई सुविधायें बहुत ही कम हैं। यहां तक कि उपरोक्त क्षेत्रों में पश्चिमी बंगाल की औसतन सुविधा से भी कम सुविधा है। उपरोक्त क्षेत्र की केवल 6 या 7 प्रतिशत भूमि को सिंचाई के साधनों से पानी मिलता है। कृषि पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर करती है जो प्रायः किसानों को धोखा देती है।

किसानों की परेशानी को कम करने के लिए पश्चिमी बंगाल का केसियारी खंड में भासराघाट के निकट सवर्ण रेखा पर बांध बनाने का प्रस्ताव था। इस बारे में केन्द्रीय जल आयोग, योजना आयोग तथा राज्य सरकार के बीच वर्षों से पत्र-व्यवहार चल रहा है। सातवीं पंचवर्षीय योजना में इसे स्वीकार करने के लिए लोग आन्दोलन कर रहे हैं। मेरा अनुरोध है कि योजना आयोग को इस प्रस्ताव पर स्वीकृति देनी चाहिए तथा इसे सातवीं पंच वर्षीय योजना में शामिल किया जाना चाहिए।

(आठ) बंगलौर तथा दिल्ली के बीच सीधी अतितीव्रगामी रेलगाड़ी प्रतिदिन चलाने की आवश्यकता

श्री वी० एस० कृष्णा अय्यर (बंगलौर दक्षिण) : दिल्ली तथा बंगलौर के बीच रेल सेवा बहुत ही अपर्याप्त है, क्योंकि कर्नाटक एक्सप्रेस नाम की केवल एक ही गाड़ी है जो सप्ताह में दो बार चलती है तथा बंगलौर जाने वाले यात्रियों का विशेषकर आपात कार्य की स्थिति में, समय नष्ट होता है। इस अपर्याप्त सेवा के कारण लोग अपनी छुट्टियों का समुचित तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके साथ-साथ दिल्ली तथा बंगलौर के बीच यातायात बहुत अधिक बढ़ रहा है, क्योंकि बंगलौर देश का तेजगति से उन्नति कर रहा शहर है। इसलिए बंगलौर तथा दिल्ली के बीच प्रतिदिन शीघ्र ही एक सीधी अति तीव्र गामी गाड़ी चलाने की अति आवश्यकता है।

गुंटाकल-बंगलौर लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित किये जाने से बंगलौर तथा दिल्ली के बीच प्रतिदिन गाड़ी चलाने के कारण रेल सेवा में सुधार होने की उम्मीद थी। आन्ध्रप्रदेश (ए० पी०) एक्सप्रेस तथा कर्नाटक एक्सप्रेस के मिला देने से भी दिल्ली, सिकन्दराबाद-बंगलौर के बीच प्रतिदिन एक सीधी अतितीव्रगामी गाड़ी की सुविधा मिलने की योजना थी। दुर्भाग्यवश, किन्हीं अज्ञात कारणों से उपर्युक्त योजनायें खटाई में पड़ गयीं।

इसलिए मैं सुझाव देता हूँ कि आन्ध्र प्रदेश एक्सप्रेस तथा कर्नाटक एक्सप्रेस को मिलाकर एक कर देना चाहिए तथा इसे कोई और उचित नाम दिया जाना चाहिए। इससे अतिरिक्त सुविधाओं के बिना ही दिल्ली, सिकन्दराबाद तथा बंगलौर के बीच प्रतिदिन एक अतितीव्रगामी रेल सेवा उपलब्ध हो सकेगी तथा इससे केवल दिल्ली, बंगलौर तथा दिल्ली, के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को ही मदद नहीं मिलेगी, बल्कि इससे हैदराबाद तथा बंगलौर के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को भी मदद मिलेगी। इससे आन्ध्र प्रदेश तथा कर्नाटक दोनों ही राज्यों के लोगों को मदद मिलेगी।

इसलिए मैं रेल मन्त्री से उपर्युक्त रेल सेवा तुरन्त चालू करने का आग्रह करता हूं।

[हिन्दी]

(नौ) पश्चिम जर्मनी में बड़े पैमाने पर गायों का वध होने से बचाने के लिए उनका आयात करके उन्हें हिमाचल प्रदेश के किसानों को मुफ्त देने की आवश्यकता

श्री के० डी० सुल्तानपुरी (शिमला) : उपाध्यक्ष महोदय, समाचार पत्रों से पता चला है कि यूरोपीय देशों में दुधारू गायें लगभग दस लाख की संख्या में है, जिनकी संख्या अत्यधिक होने के कारण उनका वध किया जा रहा है। चूंकि वहां पर दूध और मक्खन इत्यादि वस्तुओं का इतना अधिक जमाव हो गया है कि उन्हें अब इन पशुओं की जरूरत ही नहीं रही।

मैं प्रधान मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि हिमाचल प्रदेश एक शरदऋतु वाला प्रदेश है। वहां पर ये पशु भली-भांति पल सकते हैं और वहां के लोगों को पौष्टिक आहार की जरूरत है, जो दूध के द्वारा पूरी हो सकती है। भारत सरकार भी ग्रामीण विकास योजनाओं के द्वारा पशुओं का प्रावधान करती

है, परन्तु ये पशु गरम प्रदेश के होने के कारण वहां पर अधिक दूध नहीं देते हैं। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि इनका आयात करके उनका वध होने से रोका जाए और उनको हिमाचल प्रदेश के लोगों को निःशुल्क रूप से अधिक-से-अधिक संख्या में देने का प्रयत्न करें ताकि वे अपनी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ कर सकें। मैं यह भी सुनिश्चित करना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश के लोगों ने यह मांग की है कि इनके पालन पोषण की पूरी ज़िम्मेदारी लेते हैं।

———

12.27 म० प०

अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1985-86

विदेश मंत्रालय

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम मद संख्या 7 पर विचार करेंगे। चूंकि माननीय सदस्य श्री रामनगीना मिश्र ने कल बोलना शुरू किया था, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वह अपना भाषण जारी रखें।

[हिन्दी]

श्री रामनगीना मिश्र (सलेमपुर) : मान्यवर, कल मैं विदेश मंत्रालय के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट कर रहा था। अपने मन की कुछ बातें मैंने कल कहीं और कुछ जो शेष हैं उन्हें आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं।

मान्यवर, बड़े आश्चर्य की बात है, जिस पर हमें गहराई से विचार करना चाहिये, हमारी नीति गुटनिरपेक्षता की है, हम उपनिवेशवाद के विरुद्ध हैं, जातिभेद के विरुद्ध हैं और चाहते हैं कि सब लोग शान्ति से रहें तथा हम भी शान्ति से रह सकें, लेकिन क्या कारण है कि हमारी बात नहीं मानी जाती है। इसमें कहीं न कहीं कुछ कारण जरूर है। हमने अभी देखा और उस पर कुछ डिस्कशन भी हुआ कि जब हम अपनी सरहद पर अपनी सुरक्षा के लिये तार लगा रहे हैं या कोई सुरक्षा की अन्य व्यवस्था कर रहे हैं तो बंगला देश कहता है कि वह नहीं करने देंगे। मैं देहात का रहने वाला हूं। एक छोटी सी बात कहता हूं—एक पड़ोस में दो घर हैं, एक थोड़ा कमज़ोर है, दूसरा पड़ोसी पहले पड़ोसी का आये-दिन नुकसान करता रहता है। अब पहला पड़ोसी अपनी सुरक्षा के लिये चाहता है कि ऐसी चहार-दीवारी दोनों के बीच में बना दे जिससे दूसरा उसे तंग न कर सके, तो दूसरा पड़ोसी कहता है कि हम चहार-दीवारी नहीं बनाने देंगे। ठीक यही हालत हमारी है। मैं जानना चाहता हूं—कौन सा ऐसा मुल्क है, जर्मनी को छोड़ कर, जो अपनी सरहद को चारों तरफ से घेर रहा है? हम भी मजबूरन ऐसा करना चाहते हैं ताकि हमारे पड़ोसी से कोई कलह न हो। आये-दिन बंगला देश की तरफ़ से लोग हमारे यहां आते हैं और तरह-तरह के खुराफ़ात करते हैं। भारत के लोग बंगला देश में जा कर खुराफात नहीं करते हैं। इसलिये अपनी सुरक्षा के लिये हम तार लगाना चाहते हैं लेकिन वे कहते हैं कि हम नहीं लगाने देंगे। इस को रोकने के लिये गोलियां चलाते हैं। हमारी नीति निष्पक्षता की है। हम सब से प्रेम मौहब्बत चाहते हैं लेकिन इस का क्या उपाय है जिससे हमारी सुरक्षा भी बनी रहे और हम उनके दोस्त भी बने रहें।

ठीक यही हालत लंका की है। भारत मूल के निवासी लंका में हज़ारों-हज़ार की संख्या में कत्ल किये जा रहे हैं और ठीक इसके विपरीत हमारे देश के रहने वाले अमरीका और इंगलैंड में भी हैं और वहां भारत के खिलाफ़ कुराफात कर रहे हैं और भारत को दो टुकड़ों में बांटने की कोशिश कर रहे हैं और खालिस्तान बनाने में वहां की सरकारें उनकी मदद कर रही हैं और उन को प्रोत्साहन दे

रही हैं। रुपया वहां से आ रहा है और स्वर्ण मंदिर में जब हमारी फ़ौज ने प्रवेश किया, तो जो वहां पर हथियार मिले, वे कहां के थे। वे हथियार चीन, अमरीका और पाकिस्तान के थे, यह हमें सुबूत मिल चुका है। हमारी सरहदों से मिले हुए जो पड़ोसी देश हैं, उनकी क्या हालत है। पाकिस्तान हमें मजबूत नहीं देखना चाहता, बंगलादेश हमें मजबूत नहीं देखना चाहता और वही हालत लंका की है और हम संत की तरह रोज उनसे विनय और बिनती करते हैं कि शान्ति रखो लेकिन वे ऐसा नहीं कर रहे हैं और इसके कुछ कारण हैं जो बहुत स्पष्ट हैं। आप यह देखें कि रूस की सरहद पर किसी मुल्क ने कोई कुराफात नहीं की, अमरीकाकी सर सरहद पर किसी ने कोई कुराफात नहीं की और ब्रिटेन की सरहद पर किसी ने कोई कुराफत नहीं की और हम देखते हैं कि हमारी सरहद पर कुराफात होती है। असम, मिजोरम और नागालैंड में कहां के लोग आते हैं। इस का मूल कारण मेरे देखने में यही है कि हम अभी बहुत मजबूत नहीं हैं। हम सबसे दोस्ती उसी हालत में कर सकते हैं जब देश को मजबूत बनाकर रखें। हमें वह दिन याद है कि जब चीन से युद्ध हो रहा था, तो देश की रक्षा के लिए देहात के लोगों ने जितना सोना था, देश के नाम पर दे दिया था। हम जितने भी लोग यहां बैठे हुए हैं और इस देश में बिखरे हुए हैं, सभी यह चाहते हैं कि हमारा भारत देश सबल रहे। मैं तो यहां तक कहूंगा कि हम आधे पेट खाकर इस देश में रहना पसन्द करेंगे और गुलाम बनना पसंद नहीं करेंगे इसलिए मैं मंत्री जी से यह कहूंगा कि हमें अपनी नीति का निरीक्षण करना चाहिए कि इसमें क्या कमी है। मेरे देखने में तो इस का यही कारण है कि हम संख्या में अधिक हैं लेकिन हम में सामरिक शक्ति नहीं है, जिससे वे हम से डर सकें। वे हम से मदद चाहते हैं, तो हम मदद भी करें और हम मदद करते भी हैं लेकिन कुछ ताकतें हैं जैसे अमरीका है, जो उन्हें हमारे साथ नहीं होने देता। अमरीका अपार धन देकर और हथियार देकर उन को लैस करता है क्योंकि वह सोचता है कि भारत एक विशाल मुल्क है, 70 करोड़ लोगों का मुल्क है और अगर वह शक्तिशाली हुआ, तो ठीक नहीं होगा। अगर वह निश्चिन्त रहेगा, तो विकास करेगा और उसकी फ़ौजी शक्ति बढ़ेगी। इसलिए उसकी यह नीति है कि इसको कमजोर किये रखा जाए ताकि यह आगे न बढ़ सके।

अभी दिल्ली में 6 राष्ट्रों का सम्मेलन हुआ था और उसमें एक प्रस्ताव पारित किया गया था जिसमें कहा था कि महा-शक्तियां परमाणु अस्त्रों का परीक्षण रोकें। उसके लिए एक ने जवाब दिया रूस ने और उस ने कहा कि हम कुछ समय तक के लिए इसे रोक रखते हैं लेकिन हम अमरीका की प्रतिक्रिया देखना चाहते हैं। उसने परमाणु परीक्षण रोका और मिसाइल का लगाना रोका किन्तु अमरीका की तरफ़ से कोई रेस्पोंस नहीं मिला। इससे मालूम होता है कि अमेरीका चाहता है कि समूचे विश्व में उसका एकछत्र राज्य हो और यही कारण है कि वह हमारे पड़ोस के देशों की मदद कर रहा है। हम कहते हैं कि हम परमाणु बम नहीं बनाएंगे किन्तु हमारे पड़ोस का मुल्क पाकिस्तान परमाणु बम बना रहा है। हमारी सरहदों का उल्लंघन कर के काश्मीर और पंजाब में उनके लोग आते हैं और कुछ लोग पकड़े भी गये हैं। तो मेरा कहना यह है कि सरकार को पुनः अपनी नीति पर विचार करना चाहिए और अपनी सामरिक शक्ति को बढ़ाना चाहिए और विश्व की परिस्थिति को देखकर भारत सरकार को परमाणु बम बनाना चाहिए और अगर इससे भी कुछ बढ़िया बम बन सके, तो वह भी बनाना चाहिए। जिससे कि विश्वमें हम यह साबित कर सकें। अगर हमारे ऊपर कोई हमला करेगा तो हम उसका मुकाबला करने में सक्षम हैं।

मान्यवर हमने बहुत कोशिश की लेकिन अभी तक पंजाब का मसला तय नहीं हुआ। हम देख रहे कि आये दिन इंग्लैंड में अरब के खिलाफ मीटिंगें आयोजित की जा रही हैं ब्रिटेन के लोग और संसद सदस्य वहां पर खालिस्तानियों को प्रोत्साहन दे रहे हैं। हमने इसके खिलाफ मांग भी की है

लेकिन केवल हाथ जोड़ने से काम नहीं चलेगा।

यह बात सही है कि आज के समय में कोई भी बड़े से बड़ा मुल्क भी किसी मुल्क को गुलाम नहीं बना सकेगा। हमको इंग्लैंड से मांग करनी चाहिए कि अगर आप हमारे मुल्क के खिलाफ ऐसी कार्यवाही करोगे तो हमको भी आपके लिए सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा। हम आये दिन यह कहते रहते हैं कि हम किसी मुल्क के खिलाफ नहीं हैं लेकिन और कोई मुल्क भी हमारे मुल्क के खिलाफ कोई साजिश न करे।

अमेरिका को भी हमारे मुल्क के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। आज अमेरिका से पाकिस्तान को आधुनिक शस्त्र मिल रहे हैं, परमाणु बम मिल रहे हैं चीन की भी यही हालत है। वह भी बंगलादेश और पाकिस्तान को आधुनिक हथियार दे रहा है। चीन ने हमारी सरहदों पर सड़कें बना रखी हैं, हमारी जमीन पर चौकियां बनाई हैं। हमें एक तरह घेरने की कोशिश की जा रही है। यह सारी साजिशें हमारे खिलाफ चल रही हैं।

मान्यवर, हमने यह देखा कि हमारे देश में जो फ्रांस और रूस के राष्ट्राध्यक्ष आये और उन्होंने यहीं सेन्ट्रल हाल में भाषण दिया और अपने अपने देशों की नीति को अपनी-अपनी मातृभाषा में रखा। जब अरब के लोग यहां आते हैं तो अपनी वेशभूषा में आते हैं और अपनी भाषा में ही यहां बात करते हैं। लेकिन अफसोस है कि अंग्रेज यहां से चले गये लेकिन वे अपनी संस्कृति और भाषा की गुलामी हम पर थोप गये। जब हम लोग विदेशों में जाते हैं, या हमारे मंत्रिगण विदेशों में जाते हैं और वहां पर संसद की मीटिंगों या पब्लिक मीटिंगों में भाषण करते हैं तो अंग्रेज़ी भाषा में करते हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि भारत की गरिमा को बढ़ाने के लिए वहां पर सभी को हिन्दी में लेक्चर देना चाहिए। हम अभी भी अंग्रेजों की पुरानी परम्परा पर चल रहे हैं। इससे हमारी पहचान विश्व में नहीं बढ़ेगी। अगर हमें अपनी पहचान विश्व में बढ़ानी है तो हमें अपनी मातृभाषा में ही विदेशों में बात करनी चाहिए जिससे कि विदेशी भी हमारी मातृभाषा सीखने पर मजबूर हों। (व्यवधान) मैं आपसे निवेदन करूंगा···

एक संस्कृत का श्लोक है—

कृताः प्रयत्ना कार्यं सिद्धम्
न भवेत् कुत्र दोषः।।

अगर प्रयत्न करने पर भी काम सिद्ध न हो तो पुनः निरीक्षण करो कि कहां दोष है।

इसलिए हमें भी सोचना चाहिए कि हमें अपनी विदेश नीति में वह सफलता क्यों नहीं मिल रही है जितनी कि मिलनी चाहिए। आज श्रीलंका में हजारों, लाखों आदमी मारे जा रहे हैं। जब श्रीलंका हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है तो हमको इस मामले को सुरक्षा परिषद में उठाना चाहिए और उस पर पोलिटिकल प्रेशर डालना चाहिए। बंगला देश से हमारे यहां लाखों रिफ्यूजी आये और हमने उनका सारा खर्चा बर्दाश्त किया। मजबूर होकर हमें फौजी एक्शन भी लेना पड़ा। इसी तरह से हमारे यहां श्रीलंका से भी लाखों लोग रिफ्यूजी बन कर आ रहे हैं। हमें अगर अपने देश की पूरी तरह से रक्षा करनी है तो भारत को शक्तिशाली बनना होगा और इसके लिए हमें देश में सारे आधुनिक शस्त्रों का निर्माण करना होगा। हमें अपने देश को इतना मजबूत बनाना चाहिए जिससे कि कोई भी मुल्क हमारे साथ बुरा व्यवहार न कर सके और हमारी ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाये।

इन शब्दों के साथ मैं इन मांगों का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री बी० आर० भगत (आरा) : अन्तराष्ट्रीय स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। राष्ट्रों के बीच सहयोग होने के स्थान पर संघर्ष पूर्ण सम्बन्ध हुआ है। हथियारों की दौड़ और बढ़ती जा रही है। अभी कुछ समय पहले तक प्रमुख परमाणु शक्तियां रचनात्मक वार्ता के लिये बिलकुल तैयार नहीं थीं। अब एक आशा का संकेत मिल रहा है कि यदि वर्षों तक नहीं तो महीनों तक पूरी तरह ठप्प रहने के बाद अब जेनेवा में वार्ता चल रही है। अभी कल और आज भी श्री गोर्बाचेव और श्री रीगन—दोनों नेताओं से इस सम्बन्ध में रचनात्मक संकेत मिले हैं कि वे इस वार्ता के उद्देश्यों को परिभाषित करने के सम्बन्ध में सहमत हो गये हैं अर्थात वे हथियारों में कमी करने तथा सामान्य तथा परमाणु निरस्त्रीकरण की दिशा में धीरे-धीरे बढ़ने के बारे में सहमत हो गये हैं। किन्तु इस स्थिति में युद्ध के आरम्भ होने की संभावना बहुत बढ़ रही है और परमाणु खतरे से विश्व के विनाश का खतरा उत्पन्न हो गया है। इसी तरह एक तरफ यह कठिन स्थिति बनी हुई है और दूसरी ओर विश्व में आर्थिक संकट गहराता जा रहा है जिससे विकासशील तथा विकसित देशों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। विकसित देशों में अत्यधिक क्षमता उपलब्ध है किन्तु उसका उपयोग नहीं हो रहा है, लाखों लोग बेरोजगार हैं और हथियारों की दौड़ बढ़ती जा रही है जिस पर एक वर्ष में व्यय बढ़ कर 1000 बिलियन डालर हो जाने वाला है। विकासशील देश ऋण के जाल में फंसे हैं और उन्हें रियायती दरों पर मिलने वाले वित्त में कमी हो रही है। इसके परिणामस्वरूप अनेक देशों में विकास की प्रक्रिया एकदम रुक गई है। व्यापार की शर्तों के कारण, जो विकासशील देशों के विरुद्ध हैं, कम आय वाले विकासशील देश दिवालिया होने जा रहे हैं। अतः इस कारण से भी तनावों में वृद्धि हो रही है।

भारत ने स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय से इसी नीति का अनुसरण किया है, पहले हमारे नेता जवाहर लाल नेहरू के नेतृत्व में और बाद में श्रीमती इन्दिरा गांधी ने इस नीति को आगे बढ़ाया और अब उस नीति को लागू करने का दायित्व हमारे नये प्रधान मन्त्री के कंधों पर आ पड़ा है जिन्होंने अपनी प्राथमिकताओं का स्पष्ट तौर पर निरूपण कर दिया है। किन्तु भारत की विदेश नीति का मूल आधार हमेशा विश्व में शान्ति स्थापित करना रहा है।

द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात समूचा विश्व दो सिद्धान्तवादी सैनिक गुटों में बंट गया था। और एशिया, अफ्रीका और लातीनी अमरीका में नये स्वतन्त्र हुए उभरते देशों के लिये यह स्थिति बड़ी ही अवास्तविक थी क्योंकि उनकी दोनों गुटों के बीच के प्रतिस्पर्द्धा में कोई रुचि नहीं थी। वे तो विकास प्रक्रिया द्वारा तथा देश में स्थायित्व के द्वारा नई स्वतन्त्रता को स्थायी बनाना चाहते थे। वे इस बात को समझते थे कि युद्ध और संघर्ष की स्थिति में वे विकास नहीं कर पायेंगे और यदि अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध संघर्ष के द्वारा निर्धारित होंगे तो विकास सम्भव नहीं होगा। अतः इन देशों की स्वतन्त्रता दांव पर लगी थी। अतः पांचवें दशक तथा छठे दशक के आरम्भ में पंडित जवाहर लाल नेहरू द्वारा अपनाई गई नीतियों के कारण ही गुट-निरपेक्षता तथा शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व का मार्ग प्रशस्त हो सका और श्रीमती इन्दिरा गांधी ने एक अन्य सन्दर्भ में सातवें दशक में तथा आठवें दशक के आरम्भ में इस पथ का विकास किया और चुनौती का सामना करने का प्रयास किया। मूलरूप से गुट-निरपेक्ष आंदोलन ही इसका सबसे बड़ा आधार था। जब गुट-निरपेक्ष देशों का सर्वप्रथम सम्मेलन हुआ तो 25 देश उसके सदस्य थे। अब दिल्ली में जो सम्मेलन हुआ है, उसमें पर्यवेक्षकों तथा अतिथियों सहित 120 देशों ने भाग लिया है। आज शान्ति का महत्व बहुत बढ़ गया है क्योंकि यदि विश्व में शान्ति नहीं रहेगी और यदि परमाणु युद्ध छिड़ गया तो समूचे विश्व का समूची मानव जाति का विनाश हो जाएगा। अतः इस

समस्या की ओर तुरन्त ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसाकि आप जानते हैं कि हमारी स्वर्गीय प्रधान मन्त्री ने 22 मई, को पांच महाद्वीपों के नेताओं को आमन्त्रित किया तथा प्रसिद्ध मई घोषणा जारी की जिसमें विश्व के देशों से कहा गया था कि हथियारों की दौड़ पर रोक लगाओ तथा परमाणु हथियारों के लिए परमाणु अनुसन्धान तथा विकास हेतु सभी प्रकार के परीक्षणों पर प्रतिबंध लगाने के लिये एक व्यापक परीक्षण प्रतिबंध सन्धि करो। इस सम्बन्ध में हमारे नये प्रधान मन्त्री ने कदम उठाया है और दिल्ली में 28 जनवरी को घोषणा की है, इसे 'दिल्ली घोषणा' के नाम से जाना जाता है। 6 राष्ट्रों के शिखर सम्मेलन में एक घोषणा जारी की गई जिसमें इस समस्या की ओर तुरन्त ध्यान देने की आवश्यकता पर बल दिया गया। इसी प्रकार, प्रधान मन्त्री ने नीति विषयक वक्तव्य में कहा है कि शान्ति और विकास को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। वे आगे कहते हैं कि इस क्षेत्र में अपने पड़ोसी देशों से सम्बन्धों में सुधार करना हमारे लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है और वे इस सम्बन्ध में पहल करेंगे। यह श्रेय उनके रचनात्मक व्यक्तित्व को जाता है कि उन्होंने दो बहु-आयामी मोर्चों पर पहल की है—एक तो उन्होंने विकास और शान्ति और दूसरे समूची मानवता से सम्बद्ध महत्वपूर्ण मामलों पर पहल की है। उन्होंने विशेष रूप से आर्थिक सम्बन्धों के अपेक्षाकृत कठिन क्षेत्र में भी पहल की है जहां आप देखेंगे कि अधिक से अधिक राष्ट्र अपने व्यक्तिगत हित-साधन के लिए द्विपक्ष-वाद का अधिक सहारा ले रहे हैं। अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक संकट से सम्बद्ध कतिपय मामलों का हल बहु-पक्षवाद में है इसे विश्व आधार पर हल करना होगा। किन्तु उद्योगिक राष्ट्र अपनी समस्याओं के तुरन्त समाधान के लिए द्विपक्षीय और यहां तक कि क्षेत्रीय समाधान के लिए लालायित रहते हैं और इस प्रकार विकासशील देशों में जो थोड़ी बहुत प्रगति की संभावना रहती है, वे भी समाप्त हो जाती है। उदाहरण के तौर पर, जैसाकि मैंने पहले कहा है कि कतिपय उद्योगिक देश अरबों डालर सैनिक प्रयोजनों पर खर्च कर रहे हैं। किन्तु पिछले अन्तर्राष्ट्रीय विकास सहायता (आई० डी० ए०) ऋण, सातवीं सांपूर्ति के लिए उन्होंने जितनी धनराशि देनी थी, वे उतनी नहीं दे सके, वे पहले 16 बिलियन डालर दे रहे थे किन्तु अब उसे घटा कर 9 बिलियन डालर कर दिया है। वही उद्योगिक देश, जो सैनिक प्रयोजनों पर हजारों अरब डालर खर्च कर रहे हैं, कहते हैं उनके पास 7 बिलियन डालर नहीं हैं, वे इतनी धनराशि देने की स्थिति में नहीं हैं। वे सैनिक कार्यों पर हजारों बिलियन डालर खर्च कर सकते हैं किन्तु रियायती दरों पर ऋण देने के लिए उनके पास पैसा नहीं है, जबकि यह ऋण अफ्रीका, एशिया तथा लातीनी अमरीका में कम आय वाले देशों के विकास के लिए दिया जाना था। यदि इन राष्ट्रों को रियायती दरों पर विकास के लिए इस प्रकार ऋण न दिया गया तो उनकी राज-नीतिक स्थिरता खतरे में पड़ जाएगी। किन्तु उन्होंने यह ऋण उपलब्ध नहीं किया। इसलिए, विकास-शील देशों में रियायती दरों पर दिए जा रहे वित्त में कमी आती जा रही है जिसके कारण वहां ऋण एवं विकास सम्बन्धी संकट पैदा हो गया है। अनेक देश अपना ऋण वापिस करने की स्थिति मे नहीं हैं, वे विकास नहीं कर पा रहे हैं, वे किसी वस्तु का निर्यात नहीं कर सकते, वहां किसी प्रकार का उत्पादन नहीं हो रहा है। उनके संकट का कोई हल नहीं है। आज वित्तीय व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में कोई समाधान दिखाई नहीं देता। भारतीय नेताओं-पहले हमारी स्वर्गीय प्रधान मन्त्री श्रीमती गांधी द्वारा और अब हमारे वर्तमान प्रधान मन्त्री द्वारा की गई पहल के कारण हमें दक्षिण और दक्षिण के बीच सहयोग की आशा नजर आने लगी है हम अब और प्रतीक्षा नहीं कर सकते हैं। यदि उत्तर और दक्षिण में, यदि समृद्ध तथा गरीब देशों में, विकसित और विकासशील देशों में सहयोग की भावना नहीं है तो विकासशील देशों को ही परस्पर सहयोग करने का प्रयास करना चाहिये। परस्पर आर्थिक सहयोग के लिए इ० सी० डी० सी० की अनेक बैठकें हो चुकी है जिसके कारण उनके सही दिशा में बढ़ने के

संकेत मिलते हैं ।

इसी प्रकार, दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग के सम्बन्ध में आप जानते हैं कि विदेश मन्त्रियों ने 1983 में दिल्ली घोषणा का सूत्रपात किया था । इस संस्था की अनेक बैठकें हो चुकी हैं, एक बैठक माल द्वीप में हुई थी और अब ढाका में इस वर्ष भी एक बैठक होने जा रही है । अत: इस क्षेत्र में, दक्षिण एशिया क्षेत्र के देशों में सहयोग होना महत्वपूर्ण है । इस सन्दर्भ में मैं कुछ उन पहलुओं का उल्लेख करना चाहूंगा जिसका प्रभाव पड़ोसी देशों के साथ हमारे सम्बन्धों पर पड़ेगा क्योंकि प्रधान मन्त्री ने अपने पहले प्रसारण भाषण में कहा था । कि हम अपने पड़ोसी देशों के साथ अपने सम्बन्ध सुधारना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने परस्पर सम्मान, समता, अहस्तक्षेप, सहयोग और परस्पर विश्वास को आधारभूत सिद्धान्तों के रूप में स्वीकार किया है । उन्होंने इन सिद्धान्तों के आधार पर पहल की है और मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि उन्होंने विदेश सचिव को इन देशों में भेजा था, विदेश सचिव पाकिस्तान और नेपाल की यात्रा कर चुके हैं और वे इस क्षेत्र में अन्य देशों की यात्रा भी करने वाले हैं । वे अब श्रीलंका में हैं । सम्बन्धों के क्षेत्र में कुछ कठिनाइयां हैं तथा सबसे पहले श्रीलंका की बात करते हुए मैं यह कहना चाहूंगा कि सबसे पहले मुझे यह बात नजर आती है···(व्यवधान) मैं इस सम्बन्ध में कठिनाइयों के बारे में अनभिज्ञ नहीं हूं किन्तु हमें अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण ढंग से रहना होगा । यदि हम आपस में सहयोग नहीं करेंगे तो संघर्ष से हमें हानि होगी, सभी विकासशील देश हैं, गरीब देश है वे विकास की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, वे स्थिरता चाहते हैं, अत: यह सभी के हित में है— यह मानी हुई बात है कि उन्हें परस्पर सहयोग करना चाहिए । श्रीलंका के प्रश्न को पहले लेते हुए मैं यह कहना चाहता हूं कि मेरे विचार से वहां मूल समस्या यह है कि वहां दोनों जातियों में इस समय जोरदार संघर्ष चल रहा है हिंसा और घृणा का वातावरण बना हुआ है अत: श्रीलंका सरकार को उनमें विश्वास पैदा करना होगा । संघर्ष, हिंसा और घृणा से समस्या के समाधान में सहायता नहीं मिलेगी, समस्या को बातचीत से सुलझाना होगा और इसके लिये सरकार को उनमें विश्वास पैदा करना होगा । भारत को दोष देने से कोई लाभ नहीं होगा । भारत पर यह दोष लगाया गया है कि यह उग्रवादियों की सहायता कर रहा है । भारत ऐसा नहीं कर रहा । भारत ने बार बार यह कहा है कि श्रीलंका की अखण्डता और एकता में उसका निहित स्वार्थ है । उसने कहा है कि वह श्रीलंका में किसी का हस्तक्षेप नहीं करना चाहता । यह आश्वासन बार बार दिया गया है और अब जब विदेश सचिव ने वहां की यात्रा की है और भी इस आश्वासन को दोहराया होगा और मुझे आशा है कि उन्हें सद्बुद्धि आयेगी कि अब धीरज चुकता जा रहा हैं । उपाध्यक्ष महोदय जिस क्षेत्र से आपका सम्बन्ध है, उसमें 40,000 तमिल भाषी शरणार्थी रह रहे हैं और धीरज चुकता जा रहा है जब तक इस प्रश्न का हल···

उपाध्यक्ष महोदय : शरणार्थियों की सख्या अब 40,000 नहीं, 90,000 हो गई है ।

श्री बी० आर० भगत : अच्छा, अब यह संख्या 90,000 हो गई है। फिर तो स्थिति और भी शोचनीय है । अत: इस बात की और भी आवश्यकता है कि इस समस्या को तुरन्त शान्तिपूर्ण ढंग से सुलझाया जाए ।

पाकिस्तान के साथ सम्बन्धों के विषय में मैं यह कहना चाहता हूं कि हमें इस क्षेत्र में प्रत्येक देश तथा पाकिस्तान के साथ विशेष रूप से अच्छे सम्बन्ध बनाने चाहिये । किंतु हमें इस बात पर भी बल देना होगा कि पाकिस्तान के साथ हमारे सम्बन्ध शिमला समझौते के अनुसार द्विपक्षवाद के आधार पर ही अच्छे हो सकते हैं । ज्यों ही आप इसके अतिरिक्त अन्य तत्वों को बीच में लाएंगे, बाहरी शक्तियों

को बीच में लायेंगे, अन्य बाहरी लोगों को लायेंगे तो समस्या जटिल हो जायेगी। भारत-पाकिस्तान सम्बन्ध इसका उदाहरण है। पाकिस्तान के साथ हमारे सम्बन्ध तब तक नहीं सुधर सकते जब तक पाकिस्तान हथियारों की दौड़ के विस्तार में लगा रहेगा और अमरीका से हथियार प्राप्त करता रहेगा। स्ट्रेटिजिक इंस्टीट्यूट आफ लन्दन, लंदन के सामरिक संस्थान ने हाल में एक अध्ययन किया है। इसमें कहा गया है कि पाकिस्तान भारत की तुलना में प्रति व्यक्ति 3 गुणा अधिक हथियारों पर खर्च कर रहा है। पाकिस्तान कुल राष्ट्रीय आय का 7 प्रतिशत सैनिक प्रयोजनों पर खर्च कर रहा है जबकि भारत 32 प्रतिशत खर्च का रहा है। इसके अतिरिक्त पाकिस्तान को सभी सहायता रियायती दरों पर मिल रही है, अमरीका तथा कुछ अरब देशों से उसे हथियार रियायती दरों पर मिल रहे हैं। यह तो उसके अपने व्यय के अतिरिक्त है। इससे दोनों देशों के बीच सम्बन्ध प्रभावित हो रहे हैं। भारत पाकिस्तान के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों का प्रयास करता रहा है। आप युद्ध न करने के समझौते की पेशकश कर सकते हैं। किन्तु जब तक परस्पर विश्वास का अभाव रहेगा, इससे कोई लाभ नहीं होगा। एक ओर तो आप युद्ध न करने की पेशकश करते हैं, दूसरी ओर आप भारतीय समाचार पत्रों को पाकिस्तान में आने नहीं देते। अब भारती फिल्मों और गीतों को पाकिस्तान में नहीं आने दे रहे हैं हालांकि वहां की जनता में इनकी बड़ी मांग है। अब छोटे छोटे सांस्कृतिक, व्याप्रारिक तथा अन्य समझौतों की अनुमति नहीं दी जा रही है। इससे पाकिस्तानी शासकों के मानस की दुविधा का पता चलता है और इसलिए हम इस बात पर बल देते हैं कि इन सब बातों के होते हुए भी हम पाकिस्तान के साथ सद्भावनापूर्ण एवं सहयोगपूर्ण सम्बन्ध बनाना चाहते हैं जिससे एक दूसरे को लाभ होगा। हम यह कहना चाहते हैं कि जब तक बाहरी हस्तक्षेप, बाह्य सहायता, बाह्य सामरिक हित, विभिन्न विश्वीय सामरिक हित इस क्षेत्र में महत्व पाते रहेंगे, तब तक घनिष्ठ सम्बन्ध बनाने में यह प्रमुख बाधा उपस्थित करते रहेंगे। यह बात सभी देशों के बारे में लागू होती है। उदाहरण के तौर पर, बंगला देश के साथ हम बहुत बढ़िया आर्थिक सहयोग कर रहे हैं। किन्तु फरक्का, ब्रराज अथवा सीमा पर बाड़ लगाने जैसे कारक भी है तनाव पैदा करने वाले। यह मामला आज प्रश्न काल में उठाया गया था। वे इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति नहीं कर सकते। हम अपने क्षेत्र में बाड़ लगा रहे हैं, 'नो-मैंड' क्षेत्र में भी नहीं लगा रहे हैं। यह हमारे अपने क्षेत्र में है। असम में समस्याएं पैदा की गई हैं। यह इतनी अधिक गम्भीर समस्या बन गई है कि हम अवैध रूप से आने वाले लोगों पर रोक लगाना चाहते हैं। यह एक आन्तरिक एवं वैध मामला है। किन्तु इस पर आपत्ति की जा रही है। यह रवैया अत्यन्त ही अविवेकपूर्ण है किन्तु हम इस समस्या का समाधान करने की आशा रखते हैं। इन कारकों के होते हुए भी हम बंगलादेश के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध चाहते हैं।

इसी प्रकार, नेपाल में भी हमारे विदेश सचिव गये हैं और हमें आशा है कि निकट भविष्य में हम कतिपय आर्थिक समझौतों, पन बिजली परियोजनाओं तथा विभिन्न अन्य परियोजनाओं के बारे में करार पर हस्ताक्षर करेंगे। कुछ बड़ी परियोजनाएं हैं। मुझे आशा है कि उनके बारे में बातचीत चल रही होगी। हम नेपाल के साथ लाभदायी एवं सहयोगपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करना चाहते हैं। इसी प्रकार हम भूटान, बर्मा, अथवा मालदीव के साथ घनिष्ट सम्बद्ध बनायेंगे। हम यह कहना चाहते हैं कि दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग तभी हो सकता है, जब हम परस्पर अच्छे राजनीतिक सम्बन्ध बना सकें तथा इस प्रकार हम यूरोपीय कामन मार्किट की तरह एक परस्पर लाभकारी क्षेत्रीय सहयोग का विकास कर सकेंगे। इसी प्रकार, इस क्षेत्र में भी लाभ हो सकता है। इस सम्बन्ध में मैं अपने विदेश राज्य मन्त्री तथा विदेश सचिव के प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूं। उन दोनों ने ईरान और ईराक की यात्रा की ओर इस प्रकार संघर्ष कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दोनों ही देश

विकासशील देश हैं। वे हमारे अच्छे मित्र हैं। उनकी भारत के साथ बहुत अच्छी दोस्ती है। किन्तु यह अत्यन्त दुःख की बात है कि वहां निरन्तर युद्ध चल रहा है। लगभग 400 हजार लोग मारे गये हैं। कितनी ही सम्पति नष्ट हो रही है। मुझे खुशी है कि उन्हें कुछ रचनात्मक परिणाम प्राप्त

1.00 म० प०

होने के संकेत मिले हैं। यद्यपि इसके परिणाम सामने आने की शीघ्र संभावना नहीं है किन्तु मुझे आशा है कि युद्ध जल्दी ही ससाप्त हो जाएगा और पुननिर्माण की प्रक्रिया आरम्भ हो जाएगी। निर्माण में बड़ी देर लगती है, विनाश में देरी नहीं लगती, निर्माण में देर लगती है।

मुझे खुशी है कि सरकार ने विश्व शान्ति स्थापित करने, परमाणु विभीषिका रोकने तथा अन्तर्राष्ट्रीय विकास सुनिश्चित करने के बारे में प्राथमिकतायें निर्धारित कर दी हैं। विकास एकदम रुक गया था। हर वर्ष अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक संकट और गम्भीर होता जा रहा है जिसके कारण अन्तर-राष्ट्रीय तनाव बढ़ रहे हैं। हमारे क्षेत्र में भी तनाव बढ़ रहे हैं हम इस क्षेत्र को तनाव मुक्त क्षेत्र बनाना चाहते हैं ताकि हम अपने पड़ोसी देशों के साथ शान्ति से रह सकें और परस्पर सहयोग कर सकें।

हिन्द महासागर एक शान्ति का क्षेत्र है। संयुक्त राष्ट्र संघ में इस सम्बन्ध में सर्वसम्मति से घोषणा की गई थी। किन्तु तब से, इसे शक्ति का क्षेत्र बनाने के स्थान पर वहां परमाणु शस्त्र तथा परमाणु अड्डे बनाए जा रहे हैं। यह पुनः तनाव का क्षेत्र बन गया है। हमारे लिए महत्व की बात यह है कि इस क्षेत्र में कहीं संघर्ष नहीं होना चाहिए। यहां शांति का वातावरण होना चाहिए आरम्भ से ही हमारा यही विश्वास रहा है। जवाहर लाल नेहरू यही कहा करते थे, इन्दिरा जी यही बात कहा करती थीं और अब हमारे प्रधान मन्त्री श्री राजीव गांधी भी यही बात कह रहे हैं। हम स्थिरता बनाये रखना चाहते हैं। हम सभी क्षेत्रों में स्थिरता चाहते हैं क्योंकि स्वदेश में स्थिरता और विकास का सम्बन्ध विश्व में स्थिरता और विकास से होता है।

विकासशील देशों के लिए यह आवश्यक है कि शांति रहे तथा समता और न्याय पर आधारित आर्थिक व्यवस्था का विकास किया जाए ताकि समूचे विश्व में विकसित और विकासशील देशों में समता के आधार पर बहुमुखी विकास हो सके। प्रत्येक विकासशील देश के लिए आवश्यक है कि वह विकास करे। यह हमारी विदेश नीति की निरन्तरता है अर्थात सदैव शांतिपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करना गुट-निरपेक्षता और विश्व में विभिन्न देशों को शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की दिशा में प्रयास करते रहना। विभिन्न देश किसी भी सामाजिक आदेश, राजनीतिक आदेश या कोई भी विचारधारा अपना सकते हैं। लेकिन उन्हें आपस में मिलकर और सहयोग से रहना चाहिए। आपसी संघर्ष से तो विनाश ही हो सकता है। इस परमाणु युग में रक्षा और सुरक्षा का प्रश्न पारम्परिक युग में रक्षा और सुरक्षा के प्रश्न से भिन्न है। अतः हमें सहयोग से काम करना है।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद से हमारी विदेश नीति की यही मुख्य धारणाएं रही हैं। यह नीति अब तक बनी हुई है। प्राथमिकताएं निर्धारित की गई हैं। मुझे खुशी है कि सरकार ने प्राथमिकताएं निर्धारित की हैं। मैं विदेश मन्त्रालय, विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री और निःसंदेह प्रधान मंत्री को बधाई देता हूं जो योजनाबद्ध तथा गतिशील ढंग से इन प्राथमिकताओं को कार्यान्वित करने तथा हमारी विभिन्न समस्याओं को हल करने के लिए इन नीतियों को बना रहे हैं। यह आशा की किरण है।

इन शब्दों के साथ मैं विदेश मन्त्रालय के सम्बन्ध में अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री बी० बी० रमैया (ऐलुरु) : उपाध्यक्ष महोदय, यह एक ऐसा मामला है, जिसे हमें अच्छी तरह समझना होगा तथा विश्व के विभिन्न देशों के साथ सम्बन्ध स्थापित करने होंगे।

सर्वप्रथम हम अपनी बात अपने पड़ोसी देशों से आरम्भ करते हैं। जहां तक पाकिस्तान की बात है, इन सम्बन्धों में हमेशा उतार-चढ़ाव आया है। लगता था कि हमारे सम्बन्धों में सुधार हो रहा है। लेकिन पुनः उसके साथ सम्बन्ध खराब हो गए हैं। हमें निरन्तर कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और उनके साथ हर अवस्था में बार-बार कई तरह से चर्चा करने के बावजूद भी हम इन समस्याओं का समाधान नहीं कर पाए हैं।

अब हम अफगानिस्तान को लेते हैं। हमें दो मुख्य देशों के बीच बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। हमारी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है। हमारे कार्य और हमारी नीतियां वास्तव में पूरे विश्व की आपसी समझ-बूझ की द्योतक हैं।

श्रीलंका के सम्बन्ध में हमें आज एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। यद्यपि हमारे सभी पड़ोसी देश छोटे-छोटे हैं, लेकिन वे बहुत सहयोगी नहीं हैं। न ही हम उनके साथ उनकी इच्छानुसार समझौता कर पाए हैं और न वे हमारे साथ मिलकर रहने में खुशी महसूस कर पाए हैं। श्रीलंका की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। उस क्षेत्र में रहने वाले हमारे तमिल मित्रों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और उन्हें निरन्तर अपनी जान का डर बना हुआ है। यदि ऐसा जारी रहा तो हमें न केवल उस देश में अपितु विभिन्न अन्य देशों में भी कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। हमारे देश के लोग कई बार दूसरे स्थानों पर गए हैं और उन्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा।

श्रीलंका की समस्या बहुत गम्भीर समस्या है। यद्यपि यह देश छोटा है, लेकिन आज यह हमें धमकियां दे रहा है। हर बार ऐसा लगता है कि उन्होंने समझौता कर लिया है लेकिन पुनः वे दूसरे तरीके से वही बात कर रहे हैं। इसलिए हमें बड़ी सुदृढ़ नीति बनाने की आवश्यकता है। अनुनय की नीति का पालन करते रहने का कोई फायदा नहीं है। यदि यह जारी रहा, तो वे इसे हमारी कमजोरी समझेंगे। जब तक हम कड़ा रुख नहीं अपनाते तथा गंभीरता से अपनी नीतियों का पालन नहीं करते तो सब समझेंगे कि हम केवल दूसरों को मनाना ही जानते हैं लेकिन कोई प्रभावी निर्णय लेने में समर्थ नहीं हैं। बंगला देश में भी पहले क्या हुआ ? यहां तक कि आज भी हम सीमा सम्बन्धी मामले पर चर्चा कर रहे हैं। उनकी इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया होती है ? इससे हमारी कमजोरी का पता चलता है। हर जगह हमें बहुत कड़ा और सरल रुख अपनाना चाहिए। हम विश्व के अन्य विभिन्न भागों पर नजर डाल सकते हैं, वहां एक देश अपने पड़ोसी देशों को किस तरह सहयोग दे रहा है। साझा व्यापार (कामन मार्केट) के विभिन्न देशों में न केवल आपसी सम्बन्ध ही मैत्रीपूर्ण हैं बल्कि हर स्तर पर उनका कार्य-व्यापार और आपसी समझ बहुत अच्छी है। अर्थ-व्यवस्था में सुधार लाया जाना चाहिए। हमें अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंध सुधारने चाहिए। दुर्भाग्य से हम अभी तक कुछ नहीं कर पाए हैं। यदि आप पूर्वी यूरोप के देशों को देखें तो पायेंगे कि उन देशों में आपसी समझ है। रूस के सहयोग से उन्होंने इस बात का निर्णय लिया कि उन्हें किन उत्पादों का उत्पादन करना है और उनकी आवश्यकता कितनी है और कौन देश उनकी आवश्यकता के अनुसार और उनकी मांग के अनुसार सप्लाई कर सकता है। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर केवल आपसी समझ होना ही काफी नहीं अपितु विभिन्न दृष्टिकोणों से उन्हें आर्थिक विकास या सांस्कृतिक गतिविधियों का लक्ष्य भी निर्धारित करना चाहिए। इस तरह विभिन्न पहलुओं से हमें विकास करना चाहिए। यदि आप

एशिया में अपने पड़ोसी देशों पर नजर डालें, तो पायेंगे कि उनका सब लक्ष्य साझा है। उनका व्यापार साझा है उनमें आपसी सझ-बूझ है लेकिन दुर्भाग्य से जहां तक पड़ोसी देशों के साथ हमारे सम्बन्धों का प्रश्न है, विभिन्न प्रयास करने के बावजूद हम किसी स्तर पर कोई सम्बन्ध स्थापित नहीं कर पाए। मैं नहीं जानता कि वास्तव में हमारी नीति क्या है। यहां तक कि आप एशियाई देशों पर नजर डाल सकते हैं। हम अभी तक उनके साथ सांझा व्यापार करने में सफल क्यों नहीं हो पाए जबकि वे ऐसा करने में समर्थ हैं ? हमारा देश बड़ा है। हमारी अपनी शक्ति है। परन्तु पड़ोसी देशों को हम से बहुत सहायता की आवश्यकता है। हमारे यहां संसाधन और श्रम-शक्ति भी अधिक है। यदि हम अपने पड़ोसी देशों के साथ किसी तरह व्यापार करने में सफल नही हैं, तो फिर हम कर ही क्या सकते हैं ? हमारा देश अपने पड़ोसी देशों के साथ सांस्कृतिक सम्बन्ध और आपसी समझ भी नहीं बना पाया है। आवश्यकता इस बात की है कि हमें हर स्तर पर मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करने चाहिए।

कम्पूचिया को देखिए। हमको अंतिम नीति नहीं बना पाए हैं। इस संबंध में अब हमें निश्चित निर्णय ले लेना चाहिए।

उदाहरण के लिए ताइवान को लीजिए। चीन के संयुक्त राष्ट्र अमरीका के साथ सम्बन्ध मैत्रीपूर्ण नहीं थे। लेकिन आज संयुक्त राष्ट्र अमरीका के चीन के साथ अच्छे सम्बन्ध हैं। हम ताइवान को मान्यता नहीं दे पाए हैं। हम ऐसा क्यों नहीं कर पाए ? यह एक ऐसा मामला है जहां हम केवल सिद्धांतों के आधार पर ही नहीं बने रह सकते। हमें लचीला रुख अपनाना चाहिए और देखना चाहिए कि अन्य देशों के हमारे देश के साथ कैसे संबंध हैं और हम किस हद तक उनके साथ अच्छे व्यापारिक संबंध स्थापित कर सकते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है। आज ताइवान हमारे विरुद्ध बिलकुल नहीं है। अपितु उसके बावजूद हम मान्यता नहीं दे पाए जबकि संयुक्त राष्ट्र अमरीका का चीन के साथ व्यापार आदि चल रहा है तथा ताइवान के साथ भी उसके सम्बन्ध अच्छे हैं। यदि बड़े देश ऐसा कर सकते हैं, यदि इस तरह वे अच्छे सम्बन्ध स्थापित कर पाए हैं तो हमें क्या कठिनाई है ? हम भी यही तरीका क्यों नहीं अपनाते ? हम सिद्धांतों और नीतियों पर नहीं बने रह सकते। इस तरह से हमें कुछ प्राप्त नहीं होगा। यहां तक कि ताइवान को भी इसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है जब तक हम कम्पूचिया के सम्बन्धमें अपनी नीति नहीं बनाते, हम एशियाई देशों के साथ अच्छे सम्बन्ध स्थापित नहीं कर सकते।

आप इंडोनेशिया पर नजर डालिए। जापान का विभिन्न स्तरों पर विभिन्न वस्तुओं पर एकाधिकार है। हम उनके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन वे हमसे दूर रह रहे हैं क्योंकि हम उनके साथ अच्छे सम्बन्ध नहीं बना पाए हैं। यद्यपि इंडोनेशिया के साथ काफी अर्से से हमारे अच्छे संबंध थे अब उनके साथ हमारे सम्बन्ध कुछ बिगड़ गए हैं।

अफ्रीका को देखिए। दुर्भाग्य से अफ्रीका के कुछ देशों के साथ हमारे सम्बन्ध अच्छे नहीं है। नि: संदेह कुछ देशों के साथ हमारे सम्बन्ध मैत्रीपूर्ण हैं। किन्तु उन देशों को भी हमारे बारे में कुछ संदेह है।

यहां तक कि दक्षिण अमरीका के देशों से, जहां से हमें कई फायदे उठाने चाहिए थे, विदेशों में हमारे राजदूतावास कुछ अधिक फायदा नहीं उठा पाए हैं, वे उन देशों के साथ अच्छे सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंध स्थापित नहीं कर पाए हैं। यद्यपि वे हमारे साथ व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित करने के इच्छुक थे, हम उनकी अकांक्षाओं के अनुरूप उनके साथ सम्बन्ध स्थापित नहीं कर पाए हैं।

अब हम बड़े देशों, संयुक्त राष्ट्र अमरीका और संयुक्त संघ को लेते हैं। वहां भी हम उपयुक्त

फायदा नहीं उठा पाए हैं।

हमारा देश विश्व का प्रमुख देश है। हम गुट निरपेक्ष सम्मेलन के भी प्रमुख हैं और उस हैसियत से हमसे शांति के लिए पहल करने की आशा की गई थी परन्तु हमारे प्रयास करने के बाद भी हमारा प्रभाव अधिक नहीं है। कल प्रधानमंत्री जी ने सदन में यह जिक्र किया कि वह ईरान और इराक के बीच समझौता कराने का प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन हमारे प्रयासों के बावजूद, हमें उस दिशा में अधिक सफलता नहीं मिल पाई है।

अब हम खाड़ी के देशों पर आते हैं। खाड़ी के देशों में काम कर रहे हमारे देश के लोगों की हमारे दूतावास उचित सहायता नहीं कर रहे हैं। यह विदेश मंत्रालय का एक बड़ा दायित्व है। उन्हें विदेशों में रहने वाले भारतीयों का ध्यान रखना चाहिए। कभी कभार जब यहां के लोग विदेश जाते हैं तो हमारे दूतावास उनकी बहुत कम सहायता करते हैं। मंत्रियों पर तो ध्यान दिया जाता होगा लेकिन अन्य लोगों पर ध्यान ही नहीं दिया जाता। व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित करने के लिए हमें उन विभिन्न वस्तुओं और उपकरणों के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण जानकारी होना आवश्यक है। जो उन देशों को हमारे देश से प्राप्त करने हों। दूतावासों में राजदूत सहायकों को यह सब जानकारी एकत्र करनी चाहिए और इसे हमारे देश तक पहुंचाने के लिए कदम भी उठाने चाहिए ताकि हम उनके साथ व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित कर सकें। दुर्भाग्य से हमारे दूतावासों ने इस सम्बन्ध में बहुत कम प्रयत्न किया है। यदि हमारे पास यह सब सूचना होती तो अपनी श्रम शक्ति और प्रौद्योगिकी संसाधनों की सहायता से हम अधिक प्रगति कर सकते थे। वास्तव में इससे संसाधन देने वाले और लेने वाले, दोनों पक्षों को फायदा होगा।

दूतावासों में हमारे कर्मचारियों पर बहुत राशि खर्च की जाती है लेकिन दुर्भाग्य से उन्होंने इस सम्बन्ध में कुछ नहीं किया है। यहां तक कि विदेशों में पढ़ रहे भारतीय छात्रों का भी यही कहना है कि उन्हें दूतावासों से उतनी सहायता नहीं मिल रही है जितनी मिलनी चाहिए थी। यहां तक कि विदेशों में रह रहे भारतीय डाक्टरों की भी कई समस्याएं थीं और दूतावासों से उन्हें भी अपेक्षित सहायता नहीं मिल पा रही थी। अंततः हमने विदेशों में अपने कार्यालय केवल पारपत्र और वीसा जारी करने के लिए ही तो नहीं खोले हैं।

मैं दूसरा मुद्दा यह उठाना चाहता हूं। काफी अर्से से जर्मनी साथ हमारी वीसा प्रणाली नहीं थी। लेकिन हाल ही में अब वीसा प्रणाली लागू कर दी है और उसके साथ शर्तें भी बहुत कठोर लगा दी हैं। कल जब हम यहां जर्मन के अधिकारियों के साथ इस समस्या पर चर्चा कर रहे थे तो उन्होंने हमें बताया कि वे हमें उन्हीं शर्तों पर वीसा दे रहे हैं जिन शर्तों पर हम जर्मन वासियों को वीसा दे रहे हैं। मैं नहीं जानता कि वे कौन सी शर्तें हैं जिनके आधार पर हम उन्हें वीसा जारी कर रहे हैं। वे कहते हैं कि जो हम उनके साथ कर रहे हैं वे केवल उसी को दोहरा रहे हैं। अतः ऐसे मामलों में हमें बहुत सावधान रहना होगा।

मुझे विश्वास है कि मैंने जिन मुद्दों का जिक्र किया है, मंत्री महोदय उन पर विचार करेंगे तथा सभी देशों के साथ अच्छे और मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने तथा साथ ही व्यापारिक सम्बन्ध भी बढ़ाने का भी प्रयत्न करेंगे। महोदय मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस वाद-विवाद में भाग लेने का अवसर प्रदान किया।

[हिन्दी]

श्री रामप्यारे पनिका (राबर्ट्सगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, शुरू में ही मैं विदेश मंत्रालय के सम्बन्ध में जो विस्तृत रिपोर्ट हमें विदेश मंत्रालय से प्राप्त हुई है, उसके लिए माननीय मंत्री जी और मंत्रालय के सम्बद्ध अधिकारियों को धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने इस विस्तृत रिपोर्ट को बनाकर हर पहलू से विदेश नीति को समझने का साधन उपलब्ध कराया है।

मैं सबसे पहले 1980 के बाद जब हमारी सरकार पुन: सत्ता में आई तथा उसके पूर्व की स्थिति के बारे में थोड़ा सा संकेत करते हुए अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। आपको याद होगा जनता राज के समय बुनियादी तौर से उन्होंने यह कहा था कि हम विदेश नीति में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहते हैं। लेकिन उनके कार्यान्वयन की रीति-नीति ऐसी रही कि हमें कई जगहों पर, चाहे अमरीका में हमारे राजदूत को खुशामद करनी पड़ी हो, चाहे चीन में उस समय के विदेश मंत्री श्री अटल बिहारी बाजपेयी जी को अपमानित होना पड़ा हो, चाहे बिनौ राय से गये श्यामनन्दन मिश्र जी को इंग्लैंड में अपमान का सामना करना पड़ा हो, एक तरह से ऐसे कारण शुरू हुए थे जिनसे हमारी विदेश नीति और भारत की प्रतिष्ठा पर थोड़ी-सी आंच आई। लेकिन जिस दूरदर्शिता और दृढ़ता के साथ हमारी आदरणीया स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी जी ने पुन: उस नीति पर, जिसकी स्थापना पंडित जवाहर लाल नेहरू ने की थी, चलना शुरू किया तो उन नीतियों की स्पष्टता दुनिया के सामने आई। यह सही बात है कि पिछले 5 वर्षों में हम उत्तरोत्तर अपनी विदेश नीति के बारे में दुनिया को साफ़-साफ़ बतलाते रहे हैं।

यह बात सही है कि इस समय हथियारों की बढ़ती हुई होड़, अन्तर्राष्ट्रीय तनाव, नाभिकीय अस्त्रों की होड़ लगी हुई है। इस परिस्थिति में अभी हाल में हमारे नये प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी जी ने विदेश नीति के सम्बन्ध में जिस नीति को स्पष्ट किया है, मैं उसको कोट करना चाहता हूं। इससे हमारी विदेश नीति का खुलासा हो जाता है—उन्होंने कहा है—

"हमने हमेशा शान्ति की दिशा में काम करने में विश्वास किया है। हमारी नीति पारस्परिकता और पारस्परिक लाभ के आधार पर सभी देशों के साथ दोस्ती करने और दोस्ती रखने की है। गुट-निरपेक्षता, न्याय, समानता और पारस्परिकता के आधार पर नई अर्थ-व्यवस्था के प्रति हम वचनबद्ध हैं अर्थात् हम शान्ति और विकास के प्रति पूरी तरह से समर्पित हैं। हम राज्यों की स्वतन्त्रता की रक्षा करने में तथा हस्तक्षेप और दखलअन्दाजी न करने की नीति में विश्वास रखते हैं।

इन्हीं नीतियों में विश्वास रखते हुए, आपको याद होगा, तथाकथित पश्चिम और पूरब, उत्तर और दक्षिण के तमाम देशों के साथ नजदीकी रिश्ता रखने का प्रयास स्वर्गीय श्रीमती इन्दिरा गांधी जी ने शुरू किया। लेकिन यह बात भी सही है कि पिछले कई वर्षों से श्री लंका के साथ हमारे संबंध जिस तरह के रहे हैं, खास तौर से हमारे तमिल मूल के निवासी वहां पर जिस जातीय घृणा के शिकार हो रहे हैं, 40 हजार लोगों को वहां से भागकर हमारे देश में शरण लेनी पड़ी है, रोजाना वहां पर जिस तरह की घटनायें घट रही हैं; उस समस्या को हल करने का साधन निश्चित है कि मिलिट्री नहीं हो सकती, इसके लिये हमें राजनीतिक हल निकालना पड़ेगा। हमारे देश के पहले कई मंत्री और सैक्रेटरीज समय-समय पर वहां गये तथा श्री लंका को समझाने का प्रयास किया कि इसका हल केवल राजनीतिक हल ही हो सकता है। लेकिन इसके साथ ही श्री लंका सरकार का जो व्यवहार रहा, खास तौर से उन्होंने हमारे मछुआरों को अपमानित किया, मारा और गिरफ्तार किया, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे देश की विदेश नीति ऐसी रही कि जब उन का जहाज या उनके आदमी हमारे एरिया में

आये तो हम ने उन के साथ एक मानवीय व्यवहार किया।

पाकिस्तान को लीजिये —हमारे सचिव वहां गये। पहले भी उन के साथ अनेक बार बातें हुई हैं। हमने जो फ्रैण्डशिप टी टी (मैत्री संधि) का प्रस्ताव रखा था या नो-वार पैक्ट क्या दो अलग-अलग चीजें हैं? भारत और भारतवर्ष की सरकार ने सर्वदा यह कोशिश की है कि शिमला पैक्ट की जो भाषा और भाव हैं उनका आचरण किया जाय। लेकिन इनके इरादे साफ़ नहीं हैं। इसलिये मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आज जो उन्होंने हमारे उग्रवादियों को अपने यहां शरण दी है या जो हमारे हाइजैकर्स वहां हैं उनके साथ जैसा व्यवहार हो रहा है ये सारे काम ऐसे नहीं हैं जिन को भुलाया जा सकता है। अभी हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी राष्ट्रपति चेरनेन्को के देहावसान के अवसर पर रूस गये थे। तो मान्यवर उन्होंने कहा कि हम सहयोग का और सौहार्दपूर्ण वातावरण चाहते हैं, लेकिन बाद में जो उनके बयानात अखबारों में आए, तो वे कुछ और थे। तो यह बड़ी गंभीर स्थिति है। हमें जो क्लेरिटी आफ थाट होना चाहिए, निश्चित तौर पर उसी पर चलना चाहिए।

अभी हमारे दूसरे साथी बोल रहे थे कि अमेरीका ने चीन से भी अच्छे संबंध रखे हैं और ताइवान से भी संबंध रखे हैं। इस संबंध में मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारी नीति ऐसी नहीं होनी चाहिए। जो डुअल पालिसी है, जो दोहरी नीति है या जो दोहरे कार्यक्रम हैं, उन पर हमें नहीं चलना चाहिए। यही बात और देशों के साथ भी है। आप यह देखें कि हम किस प्रकार से एक के बाद एक देश से अपने संबंध सुधारना चाहते हैं। अभी पड़ोसी देश श्रीलंका की बात आई और पाकिस्तान की बात आई। आप यह देखें कि हम किस तरह से अच्छे संबंध नेपाल के साथ बनाना चाहते हैं और भूटान के साथ हमारे कितने अच्छे संबंध हैं। यही नहीं कि राजनीतिक संबंधों की बात हो, भूटान की तरक्की के लिए हमने उनकी पांचवीं पंचवर्षीय योजना में सहायता की और 1987 से जो उनकी छटी पंचवर्षीय योजना चलाई जाने वाली है, उसमें भी हम ने सहायता करने का आश्वासन दिया है। नेपाल के बारे में भी आपने देखा कि देवी घाट की जो हाइड्रो-इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, उस का शिलान्यास वहां के महाराजा द्वारा कराया। इस तरह से नेपाल से और भूटान से और साथ ही साथ बर्मा से हमारे कार्डियल रिलेशन्स हैं। मालदीप से भी समारे अच्छे रिलेशन्स हैं। यह हमने विदेश नीति के आधार पर किया। दूसरे देशों की इन्टैगरिटी और दूसरे देशों के मामलों में नान-इन्टरफियरेन्स हमारी बिदेश नीति के मौलिक सिद्धान्त रहे हैं। और उन सिद्धान्तों पर चल कर हम अच्छे सम्बन्ध स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं।

यही नहीं दुनिया में जो अन्तर्राष्ट्रीय तनाव बढ़ रहा है और न्यूकिलयर वेपन्स से जो अन्तर्राष्ट्रीय खतरे बढ़ रहे हैं, उनको कम करने में भी हमने बड़ा महत्वपूर्ण योगदान किया है और दुनिया का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है और खास कर जो छ: देशों का यहां सम्मेलन हुआ था, उन देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने इस तरफ बड़े देशों का ध्यान खींचा है। जो 5-6 देश उसमें शामिल हुए, मैं उन का नाम लेना चाहता हूं। अर्जेनटीना, तनजानिया, स्वीडन, मेक्सीका और ग्रीस के राज्याध्यक्ष यहां पर इकट्ठा हुए थे और वे एक प्रस्ताव लाए थे कि निरस्त्रीकरण किया जाए और जो बढ़ते हुए न्यूकिलयर हथियार हैं, उनको खत्म किया जाए क्योंकि हीरोशिमा में जो इनका उपयोग हुआ, उसके नतीजे हमने देख लिये। यह अपील यही नहीं कि 22 मई को हम ने की बल्कि फिर जो यह सम्मेलन हुआ, 29 मई को इस बात को दोहराया और दुनिया को यह बताया कि जब तक निरस्त्रीकरण की ओर हम अग्रसर नहीं होंगे, दुनिया में शान्ति नहीं हो सकती। किस तरह से हम अपनी फोरेन पालिसी को आगे बढ़ा रहे हैं, यह सभी जानते हैं। बंगलादेश के साथ भी हम अच्छे संबंध बनाना चाहते हैं। और इसकी चर्चा आज ही हो रही थी। हम उनसे व्यापार और ट्रेड को बढ़ाना चाहते हैं लेकिन यह दुर्भाग्य की

बात है कि जब हम अपनी तरफ तार लगाने की बात करते हैं तो आये दिन सीमा से यह शिकायत आती है कि उधर से लोग छिप कर आते हैं और हमारे लोगों पर आक्रमण करते हैं और लोगों को तंग करते हैं। हम हर देश से अपने संबंध अच्छे बनाना चाहते हैं।

जैसाकि हमारे दूसरे साथियों ने कम्पूचिया के बारे में कहा है, यह बात सही है कि भारत उससे बहुत चिंतित है। इन्डो-चाइना की जो समस्याएं हैं, उनसे भारत चिंतित है। यह जो तनाव आया है, तो इस तनाव को दूर करने के लिए एक जगह बैठकर बात करनी पड़ेगी। यही नहीं कि राजनीतिक दृष्टि से दूसरे देशों के साथ सम्पर्क स्थापित करने का हमने काम किया है और दुनिया में शान्ति स्थापित करने का अथक प्रयास किया है बल्कि आर्थिक क्षेत्र में भी हमने काम किया है। लन्दन में जब शिखर सम्मेलन हुआ, औद्योगिक मुल्कों का, तो हमारे देश की तत्कालीन प्रधान मंत्री जी ने सभी राज्याध्यक्षों को पत्र लिखा कि सभी राष्ट्रों को इस तरह का व्यवहार करना पड़ेगा ताकि अमीर और गरीब देशों में जो खाई बढ़ रही है, वह मिट सके।

अभी यह कहा गया कि हमारा जो फोरेन मंत्रालय है, उसने व्यापारिक क्षेत्र में और तकनीकी क्षेत्र में काम नहीं किया। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि 1964 में विदेश मंत्रालय का तकनीकी शिक्षा के लिए और विदेशों से संबंधों के लिए जो बजट था, वह 4 लाख 40 हजार रुपये का था और हमें खुशी है कि 20-22 वर्षों में पिछले साल यह बढ़कर करीब साढ़े छः करोड़ रुपये हो गया है। यह हम राजनीतिक शक्ति या डिप्लोमेटिक शक्ति के लिए नहीं कर रहे हैं बल्कि हम यह अपने देश के उत्तरोत्तर आर्थिक विकास के लिए कर रहे हैं। हम दूसरे देशों से आधुनिक तकनीक लाने का भी अथक प्रयास कर रहे हैं।

हमने देखा कि अफ्रीकी देशों में सूखा पड़ा। हमारे देश के प्रधान मंत्री ने वहां एक लाख टन गेहूं भेजा। क्या विदेशों से सम्बन्ध सुधारने की दिशा में यह कदम नहीं है? हमारे प्रधान मंत्री ने मध्य एशिया के लोगों को जो संदेश दिया उससे वहां के लोगों की परेशानियां कम हुई और वहां शांति के लिए मार्ग प्रशस्त हुआ। क्या यह इस बात का निश्चित प्रमाण नहीं है कि हमारे देश के प्रधान मंत्री, हमारे देश के विदेश मंत्री और हमारा विदेश मंत्रालय हर विषय पर चौकन्ना है और हम कह सकते हैं कि वह हर परिस्थिति से निपटने की ताकत रखता है?

इन दिनों मैं कुछ देशों में गया था। मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वहां जो हमारे अधिकारी काम करते हैं उनकी तमाम परिस्थितियों और कठिनाइयों के बारे में हमें कुछ थोड़ा अधिक ध्यान देना होगा। हम साऊथ कोरिया में गये और वहां अधिकारियों के रंग-ढंग को देखा। मैं यह नहीं कहता कि हमें सादगी से काम नहीं लेना चाहिए लेकिन हमको यह भी देखना होगा कि हमारे जो अधिकारी विदेशों में काम करते हैं उनके बच्चों की शिक्षा-दीक्षा का स्तर दूसरे देशों के प्रतिनिधियों के मुकाबले में गिरने न पाये जिससे कि उन अधिकारियों का मनोबल नीचा हो। यह ठीक है कि विदेशों में भी हमने सेन्ट्रल स्कूल की व्यवस्था की हुई है लेकिन हमारे अधिकारी शिक्षा के मामले में कठिनाई का अनुभव करते हैं। मैं मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि वे इस ओर ध्यान दें।

हमारे देश की जो विदेश नीति रही है उसके सफल संचालन के लिए मैं अपने प्रधान मंत्री जी, मंत्री जी और मंत्रालय को धन्यवाद देना चाहता हूं कि कितनी कठिन परिरस्थितियों में उन्होंने काम किया। भारत की जो भौगोलिक स्थिति है, जितनी आबादी है उसमें हमें जो सफलता मिली है वह कम नहीं है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री तरुण कांति घोष, श्री पनिका, आपने अधिक समय ले लिया है; आपने 20 मिनट से भी अधिक समय लिया। कृपा अपना स्थान ग्रहण कीजिए। मैंने अगले वक्ता को बुलाया है। कार्यवाही वृत्तांत में कुछ सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री राम प्यारे पनिका : **

[अनुवाद]

श्री तरुण कान्ति घोष (बारासट) : महोदय, मैं सरकार की विदेश नीति का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। जब से हमने स्वतन्त्रता संग्राम में अपनी भूमिका निभाई है,मेरे विचार से यही ऐसा विषय है जिसके सम्बध में हमें समूचे देश की जनता और समस्त राजनीतिक दलों का पूर्ण समर्थन प्राप्त है। हमारी विदेश नीति एक ऐसी नीति है जिसे सम्पूर्ण राष्ट्र का समर्थन प्राप्त है। जब लोग यह कहते हैं कि भारत एक गुट-निरपेक्ष देश है तो मैं जोरदार शब्दों में यह कहना चाहता हूं कि निःसन्देह भारत तटस्थता के पथ पर चलेगा किन्तु यह पथ सकारात्मक तटस्थता का पथ होगा। भारत उचित को उचित और गलत को गलत कहने से डरता नहीं है। वह बात को साफ साफ कहने से नहीं डरता है।

इस सम्बन्ध में मैं विदेश मन्त्री एवं प्रधान मन्त्री महोदय से विचारार्थ कतिपय सुझाव देना चाहता हूं।

सबसे पहली बात तो यह है कि जब भी हम रूस और अमरीका के बारे में बात करते हैं तो—निसन्देह ये देश महत्वपूर्ण देश हैं—हमें एक बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। मेरे विचार से हमें अपने समस्त पड़ोसी देशों के साथ अत्यन्त मधुर सम्बन्ध बनाने होंगे। महोदय, बंगला देश के सम्बन्ध में तथा सीमा पर बाड़ लगाने तथा अन्य बातों के बारे में प्रश्न काल में जो कुछ कहा गया है मैं वह सुन रहा था। बंगला देश का उद्‌भव तब हुआ जब पाकिस्तान के तानाशाह ने विश्व के उस भाग में नर-संहार करना चाहा और वहां की जनता उठ खड़ी हुई और उसने विद्रोह कर दिया। केवल इतना ही नहीं, हमारे देश की तत्कालीन प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने आगे बढ़ कर मानवीय आधार पर पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को सभी प्रकार की सहायता दी और बाद में बंगला देश का जन्म हुआ। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमें इस पड़ोसी देश-बंगला देश से मैत्री पूर्ण सम्बन्ध बनाने चाहिये हम वस्तुतः इस देश से एक ही वस्तु का आयात कर रहे हैं वह है अखबारी कागज और इसका भी हम बहुत कम मात्रा में आयात कर रहे हैं। दूसरी ओर, हम इस देश को अनेक वस्तुओं का निर्यात कर सकते हैं। इसलिए, मैं यह अनुरोध करना चाहता हूं कि विदेश मन्त्रालय वाणिज्यमंत्रालयके साथ परामर्श करके यह पता लगाये कि हम बंगला देश के साथ अपना व्यापार कैसे बढ़ा सकते हैं। अन्य पड़ोसी देशों के बारे में भी यही बात कहना चाहता हूं। महोदय, यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि पाकिस्तान कतिपय विदेशी शक्तियों के प्रभाव में है और जब से पाकिस्तान बना है तब से वह भारत का विरोध ही करता

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

रहा है। हम उसी प्रकार की भावना से प्रेरित होकर 'जैसे को तैसा' वाली बात नहीं करना चाहते। हम तो वास्तव में पाकिस्तान के साथ अत्यन्त मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों की स्थापना करना चाहते हैं। मैं नहीं जानता कि हम इस उद्देश्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं ? जब इन्दिरा जी जिन्दा थीं, तो उन्होंने पाकिस्तान के साथ अत्यन्त मधुर सम्बन्ध स्थापित करने का हर सम्भव प्रयास किया था और मुझे विश्वास है कि राजीव जी भी वैसा कर रहे हैं।

अब, दक्षिण की ओर हिन्द महासागर में श्रीलंका एक छोटा-सा देश है। श्रीलंका के प्रति हमारे हृदय में पूर्ण सम्मान एवं सदभावना है। किन्तु जिस प्रकार वे वहां तमिलभाषी जनता के साथ व्यवहार कर रहे हैं, वह ठीक नहीं है और उसके कारण स्थानीय तमिलभाषी एवं सिंहलियों के बीच तनाव पैदा हो गया है। हमारे यहाँ अनेक तमिलभाषी शरणार्थी बन कर आ रहे हैं इसे तुरन्त रोका जाना चाहिए। इसलिए इस मामले का शीघ्र ही समाधान खोजा जाना चाहिए और इसे लम्बे अरसे तक यूं ही नहीं चलने देना चाहिए।

महोदय, मध्य पूर्व के देशों के साथ हमारे सम्बन्ध भी मजबूत होने चाहिए। हम इन देशों से न केवल तेल प्राप्त कर रहे हैं, बल्कि वहाँ अनेक भारतीय कार्य कर रहे हैं और वे हम से अनेक वस्तुएं खरीद रहे हैं। हमें इन देशों के साथ अच्छे और मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध बनाने का प्रयास करना चाहिए। दुर्भाग्य से, इन देशों में भी अमरीका और रूस का प्रभाव है। यही बात अफ्रीकी देशों पर भी लागू होती है। भारत गुट-निरपेक्ष देशों का नेता है। हमें अफ्रीका में पीड़ित जनता को राहत देने के मामले में आगे आना चाहिए। इस सम्बन्ध में हमें पश्चिमी देशों में यह भावना पैदा नहीं होने देना चाहिए कि केवल वही निर्धन और दलित लोगों के रक्षक हैं। हमें अपने उपलब्ध साधनों के साथ सभी अन्य गुट-निरपेक्ष देशों के साथ मिलकर चलना चाहिए ताकि हम उन अफ्रीकी देशों की सहायता कर सकें जिन्होंने 2000 वर्षों से भी अधिक अवधि तक हमारी ही तरह विदेशी दासता के अधीन कष्ट झेले हैं।

महोदय, दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों के साथ भी-मेरे विचार से सम्बन्धों को मजबूत किया जा सकता है। किन्तु मैं अपने विचार व्यक्त नहीं कर पा रहा हूं। यहाँ भी महाशक्तियां अपनी वैसी ही भूमिका निभा रही हैं। जहाँ तक चीन का सम्बन्ध है, मुझे यह जान कर अत्यन्त प्रसन्नता हुई है कि चीन और भारत में सम्बन्धों को सामान्य बनाने के लिए हर प्रकार का प्रयास किया गया है। चीन में हमारी औद्योगिक वस्तुओं की बिक्री की विपुल संभावनाएं हैं और विश्व में प्रत्येक देश, चाहे वह यूरोपीय देश है अथवा अमरीका, सभी चीन के विशाल बाजार में अपनी वस्तुएं बेचने का प्रयास कर रहे हैं। विश्वास है कि भारत को इस मामले में पीछे नहीं रहना चाहिए और यदि हम चीन के साथ अपने सम्बन्ध अच्छे बना सकें तो हम भारतीय वस्तुओं की उन्हें सप्लाई कर सकते हैं जिससे भारतीय अर्थ व्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।

जहाँ तक महाशक्तियों के साथ हमारे संबंधों की बात है, निःसन्देह हम अमरीका और रूस से मैत्रीपूर्ण संबंध चाहते हैं किन्तु इसके साथ हम यह नहीं भूल सकते कि रूस आरम्भ से यानि स्वतन्त्रता प्राप्ति काल से ही हमारा मित्र रहा है। रूस के साथ हमारे सम्बन्ध एक अलग धरातल पर हैं किन्तु हम अमरीका के साथ भी अपने संबंधों का विकास करना चाहते हैं। हमें यह प्रयास करना चाहिए कि अमरीका इस बात को महसूस करे कि वे भी एक लोकतन्त्र है और हमारा देश भी एक लोकतान्त्रिक देश है किन्तु अभी तक उनका यह प्रयास रहा है कि वे इस क्षेत्र में तानाशाही का समर्थन करते रहे हैं और उन्होंने हमें रक्षा पर धन व्यय करने पर बाध्य किया है। यही धन हम अपनी जनता का जीवन स्तर ऊंचा उठाने में व्यय कर सकते थे। हमें उन्हें यह बात महसूस करवानी चाहिए।

रूस और अमरीका हथियारों के नियन्त्रण के विषय पर मिल कर विचार-विमर्श कर रहे हैं। हमें इस संबंध में अपनी आवाज उठानी चाहिए कि हथियारों पर ही नियन्त्रण क्यों, हथियारों को बिल्कुल क्यों न समाप्त कर दिया जाए ? इससे क्या अन्तर पड़ता है कि किसी देश के पास 2000 एटम बम हैं अथवा 1800 एटम बम इससे क्या अन्तर पड़ता है ? इन दोनों देशों के पास इतने परमाणु हथियार हैं कि वह विश्व को अनेक बार नष्ट कर सकते हैं। भारत तथा अन्य शान्ति प्रिय देशों को यह पक्ष लेना चाहिए कि समस्त परमाणु शस्त्रों को नष्ट कर दिया जाये। उनमें कमी करने अथवा उनकी वृद्धि पर नियन्त्रण से कोई लाभ नहीं होगा। अब, कांग्रेस सेनेट में यह बहस हो रही है कि क्या उन्हें दस युद्धास्त्रों (वॉर-हेड्स) वाले एम० एस० प्रक्षेपणों के निर्माण का अनुमोदन करना चाहिए। इन प्रक्षेपणास्त्रों से असंख्य लोग मारे जा सकते हैं। रूस भी इसी प्रकार के शस्त्रास्त्रों का निर्माण करेगा। हम 'अन्तरिक्ष युद्ध' स्टारवार की बात कर रहे हैं। मैं इस बात को नहीं समझ सका कि समस्त परमाणु हथियारों को बिल्कुल नष्ट करने में क्या हानि है ? हमारी विदेश नीति यही होनी चाहिए और मेरे विचार से हमारी विदेश नीति यही है।

मैं तो यह कहना चाहता हूं कि समस्त अविकसित देशों के साथ हमारे सम्बन्ध मजबूत होने चाहिए, विकासशील देशों के साथ भी हमारे सम्बन्ध मजबूत होने चाहिए किन्तु उन राष्ट्रों के साथ सम्बन्धों के बारे में अधिक बल दिया जाना चाहिए जिन्होंने हमारी तरह पराधीनता काल में कष्ट झेले हैं।

मुझे विश्वास है कि आज भी हमारे महान नेता श्री जवाहर लाल नेहरू द्वारा निरूपित नीति का पालन किया जा रहा है। श्रीमती इन्दिरा गांधी ने भी इसका पालन किया था और उसे सशक्त आधार दिया था और मुझे यह विश्वास करने का भी कारण दिखाई देता है कि श्री राजीव गांधी के गतिशील नेतृत्व में भी उसी नीति का न केवल अनुपालन किया जाएगा अपितु उसे और मजबूत बनाना जाएगा।

मैं आपका और समय नहीं लेना चाहता किन्तु अन्त में यह कहना चाहूंगा कि भारत को पाकिस्तान, बंगला देश, श्रीलंका तथा सभी पड़ोसी देशों के यथाशीघ्र मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध बनाने चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं इस मन्त्रालय के बजट प्रस्तावों का समर्थन करता हूं।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (बुलन्दशहर) : उपाध्यक्ष महोदय, दूसरे विश्व युद्ध से मानसिक आघात लगने और कष्टों को झेलने के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ के आविर्भाव से विश्व ने राहत की सांस ली थी और समूचे विश्व में लोगों ने यह सोचना आरम्भ किया था कि शायद अब समय आ गया है जब हमारी यह सुन्दर धरा को युद्धों से उत्पन्न विपत्तियों से मुक्त हो जायेगी और यहां शान्ति स्थापित होगी और समूचे विश्व में समृद्धि होगी पिछले 40 वर्षों के पश्चात जब हम अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति को देखते हैं तो हम पाते हैं कि जिस स्थिति की हमने 40 वर्ष पहले परिकल्पना की थी, स्थिति उससे बिल्कुल भिन्न है।

1.40 म० प०

[श्री जैनुल बशर पीठासीन हुए]

मुझे यह कहते हुए खेद हो रहा है कि इस सम्बन्ध में हमारी समस्त आशाओं पर तुषारपात हो गया है। आज हम यह देखते हैं कि दोनों महाशक्तियों में पहले की तरह ही मतभेद विद्यमान है और दोनों ही महाशक्तियां विपुल विनाश के परम्परागत और परमाणु हथियार बड़े पैमाने पर जमा

कर रही हैं। अब वे अन्तरिक्ष युद्ध में प्रयुक्त होने वाले हथियारों के अन्वेषण पर विचार कर रही हैं, इससे इस भयावह स्थिति को एक और नया आयाम मिल जाएगा। वास्तव में यह सोचकर अत्यन्त कष्ट होता है कि कुछ देश प्रत्येक वर्ष करोड़ों-अरबों डालर हथियारों पर खर्च कर रहे हैं जबकि आधा विश्व आर्थिक ठहराव, गरीबी, अनाज की कमी आदि का सामना कर रहा है। महोदय, आज विश्व का दृश्य बड़ा ही भयावह है। यदि हमें इस स्थिति का सफलतापूर्वक सामना करना है, तो हमें इन नकारात्मक प्रवृत्तियों से संघर्ष करना होगा और विश्व में परिवर्तन लाना होगा।

महोदय, हमारी विदेश नीति का प्रमुख उद्देश्य अतीत में और वर्तमान में भी यही रहा है कि विश्व में शान्ति स्थापित की जाए तथा विश्व के समस्त देशों विशेष रूप से तीसरे विश्व के देशों में आर्थिक विकास की गति तेज की जाए। किन्तु इस प्रशंसनीय उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि इस दिशा में पहले हम अपने घर अपने देश से कार्य आरम्भ करें और उसके पश्चात अपने समीप के पड़ोसी देश में यह कार्य करें। हमारे प्रधान मन्त्री और हमारी सरकार इस मामले के महत्व को समझती है और हमारे प्रधान मन्त्री ने इस कार्य को पूर्ण और प्राथमिकता दी है। जब तक किसी देश की अपनी स्थिति ही सही न हो, वे विश्व के किसी भी मंच पर साहस अथवा विश्वास के साथ नहीं बोल सकता और इसके लिये हमारे प्रधान मन्त्री ने देश की आन्तरिक समस्याओं का समाधान करने के लिए महत्वपूर्ण पहल की है। आज इन समस्याओं में सर्वाधिक समस्या पंजाब की है और जैसाकि आप जानते हैं हमारे प्रधान मन्त्री ने इस समस्या को यथाशीघ्र सुलझाने के लिए पहल की है।

आर्थिक मोर्चे पर भी उन्होंने कतिपय निर्णय लिये हैं जिनकी बजट प्रस्तुत किये जाने के समय घोषणा की गई थी और हमें आशा है कि इसके परिणामस्वरूप, हमारे देश में आर्थिक परिस्थितियों और औद्योगिक विकास में सुधार होगा। यदि एक बार देश में शान्ति स्थापित हो जाती है और आर्थिक समृद्धि प्राप्त हो जाती है तो हम अन्तर्राष्ट्रीय मामलों के सम्बन्ध में एक निश्चित दृष्टिकोण अपना सकते हैं।

हमारे पड़ोसी देशों के साथ सम्बन्धों के बारे में सभा को मालूम है कि प्रधान मन्त्री ने पड़ोसी देशों के साथ हमारे सम्बन्धों में आये अवरोधों को दूर करने का भरसक प्रयास किया है। हमारे विदेश सचिव ने हमारे कुछ पड़ोसी देश की यात्रा की है और वहां उन्होंने विचार-विमर्श किया जिससे लाभ हुआ है। निःसन्देह श्रीलंका और हमारे देश के बीच कतिपय समस्याएं हैं और बंगला देश तथा और हमारे बीच भी कुछ समस्याएं हैं। मैं यह कहना चाहती हूं कि इस प्रकार की समस्याएं स्वाभाविक हैं। पड़ोसियों में हमेशा समस्याएं होती हैं और होती रहेंगी। किन्तु बात यह है कि हमें एक प्रकार ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए और अपने पड़ोसी देशों के साथ इस प्रकार के सम्बन्ध होने चाहिए कि जब भी कभी किसी समस्या का सामना करना पड़े उसे चर्चा और बातचीत द्वारा मैत्रीपूर्ण ढंग से सुलझाया जाये। हमारी सरकार इस समय यही कर रही है।

हमारे विदेश सचिव ने इन देशों का दौरा किया। वह किसी समाधान के साथ वापस नहीं आये, हमें ऐसी आशा भी नहीं थी कि समस्या का एकदम समाधान निकल आयेगा किन्तु उनकी यात्राओं से एक ऐसा वातावरण अवश्य तैयार हुआ है जिससे हमें महत्वपूर्ण मामलों को समझने में सहायता मिलेगी और हमें आशा है कि जब इन देशों के साथ दूसरी और तीसरी बार बात होगी, उससे इन समस्याओं के समाधान में सहायता मिलेगी।

पड़ोसी देशों के साथ हमारे सम्बन्ध सामान्यतया अच्छे हैं। जैसाकि मैंने बताया है कि इन सम्बन्धों में उतार-चढ़ाव आता रहता है किन्तु मेरा विचार यह है कि हमारी विदेश नीति और विदेशी नीति की संरचणा इतनी लचीली है कि इस प्रकार की बातों को सहन कर सकती है और आगे आने वाले समय में इन समस्याओं का समाधान कर सकती है।

हमारे पड़ोसी देशों के साथ सम्बन्धों के बारे में मैं समस्याओं का उल्लेख नहीं करूंगा क्योंकि सभी माननीय सदस्य उनसे परिचित हैं। किन्तु मैं यही कह रहा हूं कि इन समस्याओं का बड़े साहस के साथ समाधान करने का प्रयास किया जा रहा है। इस समय मैं यह बताना चाहता हूं कि इन पड़ोसी देशों के साथ समस्याएं सुलझाने में हमें दो बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। पहली तो यह है कि हमारे देश का आकार इतना बड़ा है और औद्योगिक तथा आर्थिक दृष्टि से इतना सुदृढ़ है कि हमारे छोटे पड़ोसी देशों को सन्देह होना या भारत से आशंकित रहना स्वाभाविक है। निस्सन्देह, हम उन आशंकाओं और सन्देहों को दूर करने का पूर्ण प्रयास करते हैं। परन्तु यह सब स्थिति के कारण है और हमारे देश के आकार तथा इसकी सुदृढ़ता को देखते हुए इन समस्याओं का बना रहना लाजिमी है।

दूसरी बाधा इस क्षेत्र में कुछ बाहरी शक्तियों का हस्तक्षेप है जो यह नहीं चाहतीं कि पड़ोसी देशों के साथ हमारे अच्छे संबंध हों अथवा उनसे मधुर या मैत्रीपूर्ण संबंध हों क्योंकि वे समझती हैं कि यदि हमारे पड़ोस में स्थिति अच्छी रही और भारत को विकास करने का अवसर मिला तथा चारों ओर शान्ति हुई तो भारत एक दिन अत्यन्त शक्तिशाली देश के रूप में उभरेगा और उन देशों के लिए एक चुनौती बन जाएगा जो हमारे क्षेत्र में छाये हुए हैं। और यही मुख्य कारण है कि वे इस बात की ओर पूरा ध्यान देती हैं कि पड़ोसी देशों के साथ हमारे सम्बन्धी कहीं मधुर या मैत्रीपूर्ण न हो जाए अन्य शब्दों में कहा जाए तो वे चाहते हैं कि हमेशा कटुता बनी रही।

इस प्रकार ये हमारी मुख्य कठिनाइयां हैं। हम उनसे अवगत हैं और हर सम्भव प्रयास कर रहे हैं। मैं विदेश मंत्री को इस क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य करने के लिए सराहना करता हूं। समस्याएं कठिन हैं और जिन परिस्थितियों में उन्हें काम करना पड़ रहा है वे और भी कठिन हैं। इन सबके बावजूद मैं महसूस करता हूँ कि उन्होंने इस सम्बन्ध में काफी प्रगति की है और मैं इससे अत्यन्त प्रसन्न हूं।

हमारे प्रधान मंत्री ने इन सभी प्रमुख घटनाओं और समस्याओं की ओर ध्यान दिया है और कुछ पहल की है जिनका जिक्र सभा में हो चुका है और जो वास्तव में स्वागत योग्य है।

हम परमाणु विध्वंस और इसके परिणामस्वरूप विश्व के समक्ष उत्पन्न खतरे की बात कर रहे हैं। इस वास्तविकता से कोई इन्कार नहीं कर सकता और हमारा देश सामान्य स्थिति लाने के लिए, विश्व में एक तनाव रहित और लड़ाई-झगड़े रहित वातावरण उत्पन्न करने के लिए अपनी शक्ति के अन्दर सभी संभव प्रयास कर रहा है और हमारा यह प्रयास है कि विश्व की सभी समस्याएं सौहार्द और शान्तिपूर्ण ढंग से हल हों। यह सब हम संयुक्त राष्ट्र संघ और गुट निरपेक्ष संगठन के माध्यम से तथा अन्य विभिन्न स्तरों पर कर रहे हैं।

प्रधान मंत्री द्वारा जनवरी में यहाँ छः राष्ट्रों का सम्मेलन बुलाकर की गई पहल का हम स्वागत करते हैं जिसके बाद दिल्ली घोषणा की गई। इस सम्मेलन के दौरान इस सारे प्रश्न पर प्रकाश डाला गया और सम्पूर्ण विश्व को आगामी खतरे की चेतावनी दी गई। इन परिस्थितियों में परमाणु

विध्वंस, जिसमें धनी और निर्धन, शक्तिशाली और कमजोर सभी मारे जायेंगे और विश्व का विनाश हो जाएगा, को रोकने के लिए हम सबको क्या करना चाहिए ? हमें आशा है कि सभी संबंधित देश दिल्ली घोषणा का गहराई से अध्ययन करेंगे और इस ओर अपेक्षित ध्यान देंगे।

प्रधान मंत्री ने हमारे विदेश राज्य मंत्री को, जो यहां सभा में उपस्थित हैं, अपने दूत के रूप में ईरान भेजा ताकि ईराक-ईरान के बीच कोई समझौता कराया जा सके। मुझे विश्वास है कि उनकी यात्रा के फलस्वरूप इन दो देशों के बीच युद्ध को बन्द करने के मामले में कुछ अनुकूल प्रतिक्रिया अवश्य उत्पन्न हुई होगी। अब तक कुछ नहीं हुआ है या हमें इस सम्बन्ध में जानकारी नहीं है परन्तु मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम जो प्रयास कर रहे हैं वे अन्त में सफल होंगे और ईरान-ईराक के बीच चल रहा दुर्भाग्यपूर्ण युद्ध एक दिन अवश्य समाप्त होगा।

अत्यन्त महत्वपूर्ण आर्थिक मोर्चे पर भी हमने अतीत में उत्तर और दक्षिण के देशों के बीच वार्तालाप अथवा विचार-विमर्श के लिए प्रयास किए हैं क्योंकि हम अनुभव करते हैं कि यदि विकासशील देशों को विकास करना है और त्वरित विकास करना है तो वे उन समृद्ध देशों के सहयोग, सहायता और मार्गदर्शन से कर सकते हैं, जो इस दौड़ में हमसे काफी आगे हैं। उनका सहयोग अत्यन्त महत्वपूर्ण है। परन्तु हम अपने प्रयास में सफल नहीं हुए हैं। कुछ समृद्ध देश इस सारे मामले में अपने कदम पीछे खींच रहे हैं। अन्य शब्दों में कहा जाए तो वे वास्तविकता का सामना करने के लिए और हमारे साथ मेज के गिर्द बैठकर यह बात करने के लिए तैयार नहीं हैं कि छोटे और कमजोर देशों की सहायता कैसे की जाए। परन्तु यह एक अत्यन्त कठिन समस्या है। जब तक हमें बड़ी शक्तियों का सहयोग नहीं मिलता तब तक हम इस दिशा में प्रगति नहीं कर सकते। मैं माननीय विदेश मंत्री को सुझाव देता हूं कि उत्तर-दक्षिण वार्ता पर अधिक ध्यान देने की बजाय हमें विकासशील देशों में परस्पर सहयोग के प्रश्न पर विचार करना चाहिए और उसके लिए मेरे विचार में हमारे पास कार्यवाही के लिए कार्यक्रम की रूप रेखा है जिसमें विकासशील देशों के बीच परस्पर सहयोग के लिए कुछ योजनाएं बनाई गई हैं और विचार रखे गये हैं। अतः हम गुट-निरपेक्ष आन्दोलन अथवा '77 देशों के ग्रुप' के तत्वावधान में इकट्ठे होकर यह निर्णय ले सकते हैं कि हम परस्पर सहायता से बेहतर व्यापार संबंध रखने और अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए एक-दूसरे की सहायता कैसे कर सकते हैं और मुझे विश्वास है कि हम अपनी स्थिति में सुधार कर सकते हैं। हमें बड़ी शक्तियों की कृपा पर निर्भर रहने की बजाए परस्पर सहयोग पर बल देना चाहिए।

पिछली बार जब गुट-निरपेक्ष शिखर सम्मेलन दिल्ली में हुआ था तो उसमें विश्व की वित्तीय और मुद्रा प्रणाली में एक परिवर्तन लाने का निर्णय लिया गया था जो कि हमारे विचार में समृद्ध देशों के ज्यादा पक्ष में है और निर्धन देशों को आपेक्षित लाभ नहीं मिल रहा है। इस सम्बन्ध में हमारी स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने इस समूचे मामले कि क्या-क्या परिवर्तन किए जाने हैं, विचार करने के लिए और प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए गुट-निरपेक्ष राष्ट्रों की एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की थी। मुझे पता चला है कि प्रतिवेदन अब पूरा हो गया है और प्रस्तुत कर दिया गया है और सम्बन्धित देशों में परिचालित किया जा रहा है और उसका अध्ययन किया जा रहा है। मैं माननीय मंत्री महोदय से इस मामले पर अधिक ध्यान देने और इसे शीघ्र निपटाने का अनुरोध करता हूं। सभी देश इस प्रतिवेदन पर विचार करें और इकट्ठे होकर विश्व सम्मेलन बुलाएं और इस प्रणाली में जो हमारे लिए बिल्कुल लाभप्रद नहीं है, और जो केवल कुछेक देशों के लिए ही लाभप्रद है अपेक्षित परिवर्तन करने का प्रयास करें और यह असमानता यथाशीघ्र समाप्त होनी चाहिए।

मैं मंत्री महोदय का ध्यान उस अत्यन्त महत्वपूर्ण मामले की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जो श्री फलीरो ने कल उठाया था। यह मुद्दा हमारी विदेश नीति के आर्थिक पहलू के बारे में है। अब इस बारे में काफी लम्बे समय से बात की जा रही है। मुझे काफी समय तक इस मंत्रालय से मुझे संबद्ध रहने का अवसर मिल चुका है। तब भी वे इस पर अक्सर विचार किया करते थे। हमारी विदेश नीति में समुचित आर्थिक बात को महत्व नहीं दिया गया है। हमेशा राजनीतिक सम्बन्धों पर बल दिया गया है। परन्तु सच यह है कि राजनीतिक सम्बन्ध निस्सेन्देह, महत्वपूर्ण है परन्तु आर्थिक आधार के बिना राजनीतिक सम्बन्ध आधारहीन और अर्थहीन हैं। अतः हमें आर्थिक सम्बन्धों पर अधिकाधिक बल देना चाहिए और उसके लिए मेरे विचार में विदेशों में स्थित हमारे वर्तमान प्रतिनिधियों को समुचित दिशा दी जानी चाहिए, हमारे कूटनीतिक प्रतिनिधियों को समुचित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए और उनसे यह कहा जाना चाहिए कि हमेशा राजनीतिक संबंधों पर निर्भर रहने की बजाय वे दूसरे देशों के साथ आर्थिक और वाणिज्यिक सम्बधों को विकसित करने पर जोर दें। यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इस दिशा में कुछ प्रयास किया गया है। परन्तु मैंने देखा है कि अधिकांश कूटनीतिक अधिकारी अब भी ऐसे मामलों से निपटने को अपनी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल समझते हैं और ऐसे मामलों को वे अपने अधीनस्थ कर्मचारियों पर छोड़ देते हैं और मुझे अशंका है कि इसको उपेक्षा होती है मैं चाहता हूं कि इस पहलू की ओर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए।

हिन्दमहासागर को शान्ति क्षेत्र बनाए जाने के प्रश्न पर काफी लम्बे समय से बात चल रही है। यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमे तटवर्ती देशों में अत्यधिक तनाव उत्पन्न हो गया है और खतरा हमारे देश के निकट सिमट आया है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने हिन्द महासागर पर विश्व सम्मेलन बुलाने के बारे में एक संकल्प पारित किया है परन्तु वहां भी बड़ी शक्तियों द्वारा कठिनाइयां उत्पन्न करने के कारण यह सम्मेलन नहीं बुलाया गया है। यह आवश्यक है कि यह सम्मेलन यथाशीघ्र बुलाया जाना चाहिए और मेरे ख्याल में हम इस दिशा में और प्रयास कर सकते हैं। हमें किसी न किसी प्रकार बातचीत से और अनुनय से दो बड़ी शक्तियों को एक दूसरे के निकट लाना चाहिए और एक बैठक करने के लिए आग्रह करना चाहिए, ताकि इस प्रश्न की ओर ध्यान दिया जा सके और इस विपत्ति को, जो हमारी अपनी सीमा के इतने निकट हैं, दूर अथवा कम किया जाना चाहिए।

जहां तक हमारी विदेश नीति के बुनियादी सिद्धान्तों का सम्बन्ध है, मेरे विचार में उनके बारे में कोई विवाद नहीं है और मेरे विचार में ये अब भी उतने ही प्रभावशाली हैं जितने उस समय थे जब विदेश नीति का प्रतिपादन किया गया था। परन्तु हमारे ऊपर कभी-कभी विदेश नीति के बुनियादी सिद्धान्तों का पालन न करने का आरोप लगाया जाता है। यह आरोप बुनियादी तौर पर गलत है। भारत अपनी विदेश नीति के बुनियादी सिद्धान्तों से कभी नहीं हटा है। मेरे विचार में वे सिद्धान्त इतने लचीले हैं कि हमारे समक्ष आने वाले सभी संकट और घटनाएं उसमें समा सकती हैं ओर हमें शिकायत का अवसर नहीं मिल सकता।

अन्त में मैं माननीय मंत्री महोदय को पहल करने के लिए और हमारी समस्याओं को हल करने का प्रयास करने के लिए बधाई देता हूं।

इन्हीं शब्दों में साथ मैं विदेश मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का पूर्ण समर्थन करता हूं।

सभापति महोदय : श्री अब्दुल रशीद काबुली।

[हिन्दी]

श्री अब्दुल रशीद काबुली (श्रीनगर) : सभापति महोदय, जहां तक हिन्दुस्तानी की खारजा पालिसी का ताल्लुक है, इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि दुनिया में अमन लाने के सिल-

सिले में भारत का बड़ा सहयोग रहा है। जहां तक एटामिक वार फेयर का ताल्लुक है, उसके खिलाफ भी भारत ने एक राय आम्मां खड़ी की है। और दुनिया में जो पसमांदा मुल्क हैं उनके लिए भारत ने गैरजानिबदार मुल्कों के लीडर की हैसियत से दुनिया में बराबर आवाज उठाई है और उसका बहुत असर भी पड़ा है।

मैं समझता हूं हमें जो एक लीगेसी रवायत पं० जवाहर लाल नेहरू की तरफ से मिली थी, उनकी जो मेहनत और जो आदर्श थे उसकी वजह से दुनिया में हिन्दुस्तान का वकार और दर्जा बहुत बढ़ गया है लेकिन मैं यह बताना चाहूंगा कि हिन्दुस्तान की जो पर्सनेलिटी उभरनी चाहिए थी और जो वकार बुलन्द होना चाहिए था उस हद तक बुलन्द नहीं हुआ है। हमारे सामने जो बुनियादी दिक्कतें हैं वह यह है कि हमसाया मुल्कों के साथ हमारे ताल्लुकात ठीक नहीं हैं। हम यह नहीं कहते कि हमारी तरफ से बहुत ज्यादा गलतियां हुई हैं लेकिन इतना मैं कहना चाहूंगा कि हमसे भी कुछ कोताहियां हुई हैं, कुछ गल्तियां हुई हैं और कुछ उन मुल्कों का भी दखल है जोकि आस-पास हमसाया हैं। मैं समझता हूं हमारे फारेन मिनिस्टर को यह बात जहन में रखनी होगी कि हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं—चीन, नेपाल बंगलादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका—उनके साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए और हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है जिसके पास ज्यादा रिसोर्सेज हैं, बहुत बड़े पोंटशल्स हैं, जिसने टेक्नालाजी और इण्डस्ट्री में बहुत आगे कदम बढ़ाए हैं, वह अपने हमसाया मुल्कों को बहुत कुछ दे सकता है। चीन के अलावा भारत सबसे बड़ा मुल्क है, ताकत के लिहाज से, शक्ति के लिहाज से और जितना भी इसका इन्फ्रास्ट्रक्चर है इण्डस्ट्री में, टेक्नालाजी में या मैन-पावर में जो इसकी ताकत है उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। ऐसी हालत में मैं समझता हूं जब हिन्दुस्तान को सारी दुनिया में एक अपनी इमेज बनानी है, अपनी एक पोजीशन बनानी है तो उसकी शुरूआत अपने हमसाया मुल्कों से ही करनी होगी और इसमें गिव ऐंड टेक की पालिसी अख्तियार करनी होगी। एक बड़ा देश होने के नाते हमें अपने हमसाया मुल्कों बंगला देश की साइकोलोजिकल, सोशियो एकोनामिक और दीगर डिफीकल्टीज को समझना होगा। इसी तरह से पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका के मसायल को जानना होगा। इस सिलसिले में मैं अर्ज करना चाहता हूं कि आप पहले चीन को ही ले लें। उसके साथ हालात पहले की निस्बत बेहतर हैं, अब चाइना से उतनी मुखालिफत नहीं है जो कभी एक जमाने में थी जबकि हमारे और उनके दर्म्यान जंग हुई थी। अक्साई-चिन, लद्दाख या नेफा में वे आगे बढ़े और हमारे इलाके पर उन्होंने कब्जा किया था लेकिन आज वह सूरत नहीं पाई जाती है।

2.00 म० प०

आज जब अमरीका और चाइना बहुत करीब रह सकते हैं, उनके दोस्ताना ताल्लुक बढ़ सकते हैं, तो मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान और चीन के बेहतर ताल्लुकात हो सकते हैं। चीन और हिन्दुस्तान भी दोस्त बन सकते हैं। मैं समझता हूं कि भविष्य में चीन के साथ कोई हालात बिगड़ने का अन्देशा नहीं है, हालात बेहतर होने की उम्मीद ज्यादा नजर आ रही है। अफगानिस्तान के मसले को भी देखना होगा। इससे इन्कार नहीं किया जा सकता कि रूस के साथ हमारे अच्छे ताल्लुक हैं। मुश्किल हालात में उसने फक्तन-फवक्तन हिन्दुस्तान की मदद की है और उस मदद की हमको कदर करनी चाहिए। और मुल्कों के मुकाबले में रूस के साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। लेकिन मैं सरकार को खबरदार करना चाहता हूं कि अफगानिस्तान इस वक्त आतिश-फिशां पर खड़ा है, वॉलकैनो वहां पर है, जो कि फटने वाला है और उसमें से लावा निकलेगा। एक बात हमको माननी है कि कार्मल की जो वजीरात है, वह एक सोशलिस्ट गवर्नमेंट है, जिससे बहुत से रिवोल्युशनरी स्टैप्स लिए हैं और एग्रेरियन रिफार्म्स भी किए हैं। मगर यह बात हमको माननी पड़ेगी

कि वहां अफगानिस्तान में लोगों का सहयोग उनको नहीं मिल रहा है। वहाँ का अवाम अभी तक कार्मेल को अपना नहीं समझते। इस बिना पर वहाँ एक बड़ी भारी जंग जारी है। रूस की फौजें व कार्मेल एक तरफ हैं और वहाँ के मकामी-बाशिन्दे एक तरफ हैं। यह कहना कि वहाँ पर बगावत है और बाहर के मुल्कों की ताकत पर जंग लड़ी जा रही है, यह गलत बात है। हमें हकीकत पसन्दी से काम लेना होगा। इसको हमारी सरकार को देखना होगा कि हमारे अफगानिस्तान के मामले में अपने हित में कौन-सी बात जाती है। मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान को भी अपने असरो-रसूरा का इस्तेमाल करना चाहिए और एक मौजूं हल तलाश करना चाहिए, जिसमें वहाँ की सोशिलिस्ट सरकार का इन्टरेस्ट कायम रहे और वहाँ के आवाम के इन्टरेस्ट की बात भी आ जाए। इसका एक पीसफुल नैगोशिएटेड पोलिटिकल सैटलमेंट सामने आना चाहिए। यह बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसमें हिन्दुस्तान की गवर्नमेंट को एकतरफा कार्यवाही नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपने मुल्क के मफादात को मद्दे नजर रखते हुए इसका हल निकालना चाहिए। रूस के साथ बातचीत करके, कर्मल के साथ बात-चीत करके कोई वाजिब हल निकालना चाहिए। नहीं तो खुदा न-ख्वास्ता अगर कोई जंग लड़ी गई तो उसके शोले हिन्दुस्तान को भी अपनी लपेट में ले सकते हैं। इसलिए मैं बता देना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान को इस मुद्दे की ओर ध्यान देना चाहिए।

दूसरी बात यह कि पाकिस्तान हमारा इमीडिएट नेबर, करीबी हमसाया है। जहां तक हिन्दुस्तान और पाकिस्तान का ताल्लुक है, हमारी तहजीब, तमद्दुन और हमारा मांजी एक मुश्तरका है। इसको तकसीम करना अब भी मेरी समझ से बाहर है। नेशनल कान्फ्रेंस वालों ने कभी भी जहनी तौर पर इसको दो मुल्क तसलीम नहीं किया। हम कह सकते हैं कि एक मुल्क है और एक मुल्क के दो टुकड़े हुए हैं। एक दिल के दो टुकड़े हुए हैं। जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, पाकिस्तान को एक वहम है, जिसका वहाँ के कुछ पोलिटिशन्स ने फायदा उठाकर हिन्दुस्तान के लिए मुश्किलात पैदा कर दिए हैं। पाकिस्तान में अब भी इस किस्म के एलीमेंटस पाए जाते हैं, जो पाकिस्तान में लोगों को भड़का रहे हैं कि हिन्दुस्तान अभी भी पाकिस्तान को तसलीम नहीं कर रहा है। हमें इस सोच, इसका मुकाबला करना होगा। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को सही रास्ते पर लाना मुश्किल नहीं है। पाकिस्तान में अपनी समस्याएं हैं, उनकी अपनी मुश्किलात हैं। पाकिस्तान को इस बात का अहसास होगा कि हिन्दुस्तान एक बहुत बड़ा देश है। बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी ताकत है, इसके साथ टकराना उनके अपने हित में नहीं है। एक चीज जिस पर बार-बार झगड़ा हो रहा है, वह जम्मू-काश्मीर का मसला है। मैं इसके बारे में बतलाना चाहता हूं -1975 में इन्दिरा जी और शेरेकाश्मीर शेख अब्दुल्ला के दरमियान आपस में जो फैसला हुआ, उस वक्त काश्मीर में जो एक सिसेशनिस्ट मूवमेंट चल रही थी, उसका अन्त हुआ। हिन्दुस्तान और काश्मीर के लोग फिर से एक-दूसरे के नजदीक आये और उस वक्त से एक नया दौर शुरू हुआ। उसके बाद से पाकिस्तान की तरफ से भी ज्यादा बढ़ने की कोशिश नहीं की गई। वैसे पाकिस्तान और हिन्दुस्तान के दरमियान तीन लड़ाइयां हुईं 1947 की बात छोड़ दीजिये वह तो उस जमाने की बात थी, लेकिन उसके बाद एक लड़ाई 1964 में हुई, दूसरी कच्छ में हुई और तीसरी 1971 बंगला देश के साथ हुई। इन सबका काश्मीर पर भी गहरा असर हुआ। लेकिन शेरेकाश्मीर के साथ हुए समझौते के बाद नेशनल कान्फ्रेंस की लीडरशिप में वहाँ के लोगों की जो राय बनी, उसके आधार पर पाकिस्तान को जबाव दिए गए। आज भी जम्मू-काश्मीर का विधान इस बात को साफ तौर से वाजा करता है कि वह इलाका जिसको उधर के लोग आजाद काश्मीर कहते हैं और हमारे यहाँ आक्यूपाइड काश्मीर कहते हैं, उस इलाके के लिए 24 नस्तितें स्टेट असेम्बली में खाली रहेंगी। अब यह आपका काम है कि आप किस तरीके से पाकिस्तान के साथ इस मामले को तय

करेंगे । लेकिन जहां तक रियायती असेम्बली का ताल्लुक है ये 24 नशिस्ते खाली रहेंगी।

मैं यह भी अर्ज करना चाहता हूं—हमारे फारेन मिनिस्टर साहब को इस बात का ख्याल रखना चाहिये कि जहां तक हमारे इन्टरेस्ट का ताल्लुक है हमको इस मुल्क के अन्दर जम्हूरियत की हर कीमत पर हिफाजत करनी होगी । मैं यह समझता हूं कि आज जो असम या पंजाब या काश्मीर के मामलात उभारे जा रहे हैं उनके पीछे बैरुनी ताकतों का भी हाथ है। आप असम के मामले को लीजिए—अगर असम में हमको वाकई खारजी ताकतों को रोकना है, उनके जो हथकण्डे वहां चल रहे हैं, जो मुश्किलात वे पैदा कर रहे हैं उनका मुकाबला करना है तो असम के मामले में जल्द से जल्द सैटिलमैंट करना होगा। जहां तक पंजाब के मामले का ताल्लुक है यह सिर्फ हम तक महदूद नहीं है । यह अन्दरूनी मामला नहीं है, इसका गैरमुल्की ताकतों के साथ भी ताल्लुक है । इस लिए हम एक बात को समझ लें जब तक वहां बेचैनी रहेगी, एक दूसरे के लिए यकीन नहीं होगा, ये बैरुनी ताकतें उसका फायदा उठायेंगी और ये तमाम फौसेज़ि एनकरेज हो जाएंगी जिनका मकसद हिन्दुस्तान को कमजोर करना है, पंजाब में मुश्किलात पैदा करना है । इसलिए मैं आपके माध्यम से इनका हल बतलाना चाहता हूं—पंजाब में, जोकि हमारी बार्डर स्टेट है, नगोशियेटिव सटिलमेंट जल्द से जल्द कराएं। वहां के हर सरदार या सिख को हिन्दुस्तान का दुश्मन मत समझें। जो हमारी सिख कम्यूनिटी हैं, मैं समझता हूं, उसने बहुत अजीमतरीन कुर्बानियां इस मुल्क के लिए दी हैं और वे कभी भी किसी से पीछे नहीं रहे हैं। इसलिए अगर हमने इन्तिहापसन्द ताकतों को भड़काने का मौका फराहम किया, अगर हम इस मामले को ज्यादा से ज्यादा ढील देते गए तो इसके बहुत गलत नतायज सामने आ सकते हैं। इसलिए पंजाब के मामले को हमें अन्तर्राष्ट्रीय पर्सपेक्टिव में देखना पड़ेगा। सरकार को चाहिए कि इसमें ताखीर न करे । इस सदन में भी और पिछली पार्लियामेंट में भी रोज इस मसले पर बहस होती थी कि पंजाब का हल जल्द से जल्द निकाला जाय । मैं समझता हूं- प्राइममिनिस्टर साहब ने पिछले दिनों जो कदम उठाये हैं, मैं उनको खुशआमदीद कहता हूं और दरख्वास्त करता हूं कि जितना जल्द मुमकिन हो पंजाब का हल तलाश करें।

आखिर मैं यह अर्ज करना चाहता हूं—जहां तक अरब देशों का ताल्लुक है, ये बहुत सारे मुल्क हैं, इनकी आबादी 10 करोड़ से ज्यादा है। उनके साथ जो हमारा तहजीबी रिश्ता है, जो कल्चरल रिलेशन्ज हैं, वे किसी भी मुल्क से ज्यादा हैं। पाकिस्तान को जो यह गुमान था कि वह दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम मुल्क है, बंगला देश बनने के बाद वह चीज भी खत्म हो गयी। हमारे मुल्क में मुसलमानों की आबादी दस करोड़ है जो कि पाकिस्तान के मुकाबले में ज्यादा है। इसलिए हमें अरब मुल्कों के साथ अपने रिश्ते को और भी बेहतर बना कर उस रिश्ते का फायदा उठाना चाहिए। उनके पास पैट्रोल बहुत ज्यादा है, हमारे पास टेक्नोलोजी है। हम उनको भी बहुत कुछ दे सकते हैं और हम उनसे भी बहुत कुछ ले सकते हैं जिससे कि हमारे मुल्क को भी बहुत फायदा होगा और उनको भी फायदा होगा। इससे अरब मुल्कों के साथ हमारे ताल्लुकात मजबूत होंगे।

यह बदकिस्मती की बात है कि प्राइम मिनिस्टर ने हमारे आनरेबल मिनिस्टर की रहनुमाई में जो एक डेलीगेशन ईरान और ईराक भेजा था उसके असरदार नतीजात सामने नहीं आए। हिन्दुस्तान का जो मनसब जो पोजीशन इस सब-कांटीनेंट में होनी चाहिए वह इस वक्त इतनी मजबूत नहीं है। अगर हमारी पोजीशन उतनी मजबूत होती तो ईरान-इराक में हमारी बातों का कुछ असर नजर आता और उन्हें कुछ हमारी बात माननी चाहिए थी। हमें इस बात की कोशिश करते रहना चाहिए कि वह मनसब वह स्थान हमें मिले और इस सिलसिले में आनरेबल मिनिस्टर को जरूरी कदम उठाने चाहिए।

شری عبد الرشید کابلی (سری نگر) : سبھاپتی مہودے، جہاں تک ہندوستان کی خارجہ پالیسی کا تعلق ہے اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے کہ دنیا بھر اس بارے کے سلسلے میں بھارت کا بڑا سہیوگ رہا ہے۔ جہاں تک ایشیا اور دیگر کا تعلق ہے ان کے حالات بھی بھارت نے ایک رائے عامہ کھڑی کی ہے۔ اور دنیا میں جو پسماندہ ملک ہیں ان کے لیے بھارت نے غیر جانبدار ملکوں کے لیڈر کی حیثیت سے دنیا میں برابر آواز اٹھائی ہے اور اس کا اثر بھی پڑا ہے۔

میں سمجھتا ہوں ہمیں جو ایک لگیسی (Legacy) پنڈت جواہر لال نہرو کی طرف سے ملی تھی ان کی جو محنت اور جو آدرش تھے اس کی وجہ سے دنیا میں ہندوستان کا وقار اور درجہ بہت بڑھ گیا ہے لیکن میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ہندوستان کی جو پوزیشن ابھرنی چاہیے تھی اور جو وقار بلند ہونا چاہیے تھا اس حد تک بلند نہیں ہوا ہے۔ ہمارے سامنے جو بنیادی دقتیں ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم سایہ ملکوں کے ساتھ ہمارے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہماری طرف سے بہت زیادہ غلطیاں ہوئی ہیں لیکن اتنا میں کہنا چاہوں گا کہ ہم سے بھی کچھ کوتاہیاں ہوئی ہیں کچھ غلطیاں ہوئی ہیں اور کچھ ان ملکوں کا بھی دخل ہے جو کہ آس پاس ہم سایہ ہیں۔ میں سمجھتا ہوں ہمارے فارن منسٹر کو یہ بات ذہن میں رکھنی ہوگی کہ ہمارے جو پڑوسی ملک ہیں۔ چین نیپال بنگلہ دیش پاکستان سری لنکا۔ ان کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہونے چاہیے اور ہندوستان بہت بڑا ملک ہے جس کے پاس زیادہ ریسورسز ہیں بہت بڑے پوٹنشلس ہیں جنہوں نے ٹیکنالاجی اور انڈسٹری میں بہت آگے قدم بڑھائے ہیں۔ وہ اپنے ہم سایہ ملکوں کو بہت کچھ دے سکتا ہے۔ چین کے علاوہ بھارت سب سے بڑا ملک ہے طاقت کے لحاظ سے شکتی کے لحاظ سے اور جتنا بھی اس کا انفراسٹرکچر ہے انڈسٹری میں ٹیکنالاجی میں یا مین پاور میں جو اس کی طاقت ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ ایسی حالت میں میں سمجھتا ہوں جب ہندوستان کو ساری دنیا میں ایک اپنی اہم جگہ بنانی ہے اپنی ایک پوزیشن بنانی ہے تو اس کی شروعات اپنے ہم سایہ ملکوں سے ہی کرنی ہوگی اور اس میں گیو اینڈ ٹیک کی پالیسی اختیار کرنی ہوگی۔ ایک بڑا دیش ہونے کے ناتے ہمیں اپنے ہم سایہ ملکوں بنگلہ دیش کی سانگلا جیکل سوشیو اکنامک اور دیگر ڈفیکلٹیز کو سمجھنا ہوگا۔ اسی طرح سے پاکستان نیپال سری لنکا کے مسائل کو جاننا ہوگا۔ اس سلسلے میں میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج بدلے چین کو ہی لے لیں۔ اس کے ساتھ حالات پہلے کی نسبت بہتر ہیں اب چائنا سے اتنی مخالفت نہیں ہے جو کبھی ایک زمانے میں تھی جب کہ ہمارے اور ان کے درمیان جنگ ہوئی تھی۔ اکسائی چین لداخ کا علاقہ میں وہ آگے بڑھے اور ہمارے علاقے پر انہوں نے قبضہ کیا تھا لیکن آج وہ صورت نہیں پائی جاتی ہے۔

آج جب امریکہ اور جاپان بہت قریب رہ سکتے ہیں۔ ان کے دوستانہ تعلق بڑھ سکتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان اور چین کے بہتر تعلقات ہو سکتے ہیں۔ چین اور ہندوستان بھی دوست بن سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پڑوسی میں چین کے ساتھ کوئی حالات بگڑنے کا اندیشہ نہیں ہے حالات بہتر ہونے کی امید زیادہ نظر آرہی ہے۔ افغانستان کے مسئلے کو ہمیں دیکھنا ہوگا۔ اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ روس کے ساتھ ہمارے اچھے تعلق ہیں۔ مشکل حالات میں اس نے وقتاً فوقتاً ہندوستان کی مدد کی ہے اور اس مدد کی ہم کو قدر کرنی چاہیے۔ اور ملکوں کے مقابلے میں روس کے ساتھ ہمارے سمبندھ بہت اچھے ہیں لیکن میں سرکار کو خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ افغانستان اس وقت آتش فشاں پر کھڑا ہے والکینو وہاں پر ہے جو کہ پھٹنے والا ہے اور اس میں سے لاوا نکلے گا۔ ایک بات ہم کو ماننی ہے کہ کارمل کی جو سرکار ہے وہ ایک سوشلسٹ گورنمنٹ ہے جس نے بہت سے ریوالیوشنری اسٹیپس لیے ہیں اور ایگریرین ریفارمز بھی کیے ہیں۔ مگر یہ بات ہم کو ماننی پڑے

کہ وہاں افغانستان میں لوگوں کا سپورٹ ان کو نہیں مل رہا ہے۔ وہاں کا عوام ببرک کارمل کو اپنا نہیں سمجھتے۔ اس بنا پر وہاں ایک بڑی بھاری جنگ جاری ہے۔ روس کی فوجیں و کارمل ایک طرف ہیں اور وہاں کے مقامی باشندے ایک طرف ہیں۔ یہ کہنا کہ وہاں پر بغاوت ہے اور باہر کے ملکوں کی طاقت پر جنگ لڑی جا رہی ہے یہ غلط بات ہے۔ ہمیں حقیقت پسندی سے کام لینا ہوگا۔ اس کو ہماری سرکار کو دیکھنا ہوگا کہ ہمارے اپنے ہت میں کون سی بات جاتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان کے معاملے میں ہندوستان کو بھی اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کرنا چاہیے اور ایک موزوں حل تلاش کرنا چاہیے۔ جس میں وہاں کی سوشلسٹ سرکار کا انٹرسٹ قائم رہے اور وہاں کے عوام کے انٹرسٹ کی بات بھی آ جائے۔ اس کا ایک پیس فل نیگوشیئیٹڈ پولیٹیکل سیٹلمنٹ سامنے آنا چاہیے۔ یہ بات میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس میں ہندوستان کی گورنمنٹ کو ایک طرفہ کارروائی نہیں کرنی چاہیے بلکہ اپنے ملک کے مفادات کو مدنظر رکھتے ہوئے اس کا حل نکالنا چاہیے۔ روس کے ساتھ بات چیت کر کے کارمل کے ساتھ بات چیت کر کے کوئی واجب حل نکالنا چاہیے۔ نہیں تو خدا نہ خواستہ اگر کوئی جنگ چھڑ گئی تو اس کے شعلے ہندوستان کو بھی اپنی لپیٹ میں لے سکتے ہیں۔ اس لیے میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کو اس طرف بھی دھیان دینا چاہیے۔

دوسری بات یہ کہ پاکستان ہمارا امیڈئیٹ نیبر قریبی ہمسایہ ہے جہاں تک ہندوستان اور پاکستان کا تعلق ہے ہماری تہذیب تمدن اور ہمارا ماضی ایک مشترکہ ہے۔ اس کو تقسیم کرنا اب بھی میری سمجھ سے باہر ہے۔ نیشنل کانفرنس والوں نے کبھی بھی دو قومی نظریہ کو دو ملک تسلیم نہیں کیا۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک ملک ہے اور ایک ملک کے دو ٹکڑے ہوئے ہیں۔ ایک دل کے دو ٹکڑے ہوئے ہیں۔ جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے پاکستان کو ایک وہم ہے جس کا وہاں کے ملٹری پولیشنز نے فائدہ اٹھا کر ہندوستان کے لیے مشکلات پیدا کر دیے ہیں۔ پاکستان میں اب بھی اس قسم کے ایلیمنٹس پائے جاتے ہیں۔ جو پاکستان کے لوگوں کو بھڑکا رہے ہیں کہ ہندوستان ابھی بھی پاکستان کو تسلیم نہیں کر رہا ہے۔ ہمیں اس سوچ کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو صحیح راستے پر لانا مشکل نہیں ہے۔ پاکستان میں اپنے مسائل ہیں ان کی اپنی مشکلات ہیں۔ پاکستان کو اس بات کا احساس ہوگا کہ ہندوستان ایک بہت بڑا دیش ہے۔ بہت بڑی شکتی ہے بہت بڑی طاقت ہے اس کے ساتھ ٹکرانا ان کے اپنے ہت میں نہیں ہے۔ ایک چیز جس پر بار بار جھگڑا ہو رہا ہے وہ جموں کشمیر کا مسئلہ ہے میں اس کے بارے میں بتلانا چاہتا ہوں ۱۹۷۵ میں اندرا جی اور شیر کشمیر شیخ عبداللہ کے درمیان آپس میں جو فیصلہ ہوا اس وقت کشمیر میں جو ایک سٹیلمنٹ موومنٹ چل رہی تھی اس کا انت ہوا۔ ہندوستان اور کشمیر کے لوگ پھر سے ایک دوسرے کے نزدیک آئے اور اس وقت سے ایک نیا دور شروع ہوا۔ اس کے بعد سے پاکستان کی طرف سے بھی زیادہ بڑھنے کی کوشش نہیں کی گئی۔ ویسے پاکستان اور ہندوستان کے درمیان تین لڑائیاں ہوئیں۔ ۱۹۴۷ کی بات چھوڑ دیجیے وہ تو اس زمانے کی بات تھی لیکن اس کے بعد ایک لڑائی ۱۹۶۵ میں ہوئی۔ دوسری کچھ میں ہوئی اور تیسری ۱۹۷۱ میں بنگلہ دیش کے ساتھ ہوئی۔ ان سب کا کشمیر پر بھی گہرا اثر ہوا۔ لیکن شیر کشمیر کے ساتھ ہوئے سمجھوتے کے بعد نیشنل کانفرنس کی لیڈرشپ میں وہاں کے لوگوں کی جو رائے بنی اس کے آدھار پر پاکستان کو جواب دے دیے گئے۔ آج بھی جموں کشمیر کا ودھان اس بات کو صاف طور سے واضح کرتا ہے کہ وہ علاقہ جس کو ادھر کے لوگ آزاد کشمیر کہتے ہیں اور ہمارے یہاں اکیوپائیڈ کشمیر کہتے ہیں۔ اس علاقے کے لیے ۲۴ نشستیں آج بھی اسمبلی میں خالی پڑی ہیں۔ اب یہ آپ کا کام ہے کہ آپ کس طریقے سے پاکستان کے

ساتھ اس معاملے کو حل کرینگے - لیکن جہاں تک ریاستی اسمبلی کا تعلق ہے یہ ۲۴ نشستیں خالی رہینگی -

میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں ہمارے ہوم منسٹر صاحب کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جہاں تک ہمارے انٹریسٹ کا تعلق ہے ہم کو اس ملک کے اندر جمہوریت کی ہر قیمت پر حفاظت کرنی ہوگی - میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جو آسام یا پنجاب کے معاملات ابھر رہے ہیں ان کے پیچھے بیرونی طاقتوں کا بھی ہاتھ ہے - آپ آسام کے معاملے کو لیجیے اگر آسام میں ہم کو واقعی خارجی طاقتوں کو روکنا ہے ان کے جو ہتھکنڈے وہاں چل رہے ہیں جو مشکلات وہ پیدا کر رہے ہیں ان کا مقابلہ کرنا ہے تو آسام کے معاملے میں جلد سے جلد سیٹلمینٹ کرنا ہوگا - جہاں تک پنجاب کے معاملے کا تعلق ہے یہ صرف ہم تک محدود نہیں ہے - یہ اندرونی معاملہ نہیں ہے اس کا غیر ملکی طاقتوں کے ساتھ بھی تعلق ہے - اس لیے ہم ایک بات کو سمجھ لیں جب تک وہاں بےچینی رہے گی - ایک دوسرے کے لیے یقین نہیں ہوگا - یہ بیرونی طاقتیں اس کا فائدہ اٹھائینگی اور یہ تمام فورسز اکٹھی ہو جائینگی جن کا مقصد ہندوستان کو کمزور کرنا ہے پنجاب میں مشکلات پیدا کرنا ہے اس لیے میں آپ کے مادھیم سے ان کا حل بتلانا چاہتا ہوں - پنجاب میں جو کہ ہماری بارڈر اسٹیٹ ہے وہاں سیٹلمینٹ جلد سے جلد کرائیں - وہاں کے جو سردار یا سکھ ہیں ہندوستان کا دشمن مت سمجھیں - جو ہماری سکھ کمیونٹی ہے میں سمجھتا ہوں اس نے بہت عظیم ترین قربانیاں اس ملک کے لیے دی ہیں اور وہ کبھی بھی کسی سے پیچھے نہیں رہے ہیں - اس لیے اگر ہم نے انتہا پسند طاقتوں کو بڑھاوا دیا اور اگر ہم اس معاملے کو زیادہ سے زیادہ ڈھیل دیتے گئے تو اس کے بہت غلط نتائج سامنے آ سکتے ہیں - اس لیے پنجاب کے معاملے کو ہمیں انٹرنیشنل پرسپیکٹیو میں دیکھنا پڑیگا - سرکار کو چاہیے کہ اس میں تاخیر نہ کرے - اس سدن میں بھی اور پچھلی پارلیمنٹ میں بھی روز اس مسئلے پر بحث ہوتی تھی کہ پنجاب کا حل جلد سے جلد نکالا جائے - میں سمجھتا ہوں - پرائم منسٹر صاحب نے پچھلے دنوں جو قدم اٹھائے ہیں میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں اور درخواست کرتا ہوں کہ جتنا جلد ممکن ہو پنجاب کا حل تلاش کریں -

آخر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں - جہاں تک عرب دیشوں کا تعلق ہے یہ بہت سارے ملک ہیں ان کی آبادی ۱۰ کروڑ سے زیادہ ہے - ان کے ساتھ جو ہمارا تہذیبی رشتہ ہے جو کلچرل ریلیشنز ہیں وہ کسی بھی ملک سے زیادہ ہیں - پاکستان کو جو یہ گمان تھا کہ وہ دنیا کا سب سے بڑا مسلم ملک ہے بنگلہ دیش بننے کے بعد وہ چیز بھی ختم ہو گئی - ہمارے ملک میں مسلمانوں کی آبادی دس کروڑ ہے جو کہ پاکستان کے مقابلے میں زیادہ ہے - اس لیے ہمیں عرب ملکوں کے ساتھ اپنے رشتے کو اور بھی بہتر بنا کر اس رشتے کا فائدہ اٹھانا چاہیے - ان کے پاس پٹرول بہت زیادہ ہے ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے - ہم ان کو بھی بہت کچھ دے سکتے ہیں اور ہم ان سے بھی بہت کچھ لے سکتے ہیں جس سے کہ ہمارے ملک کو بھی بہت فائدہ ہوگا اور ان کو بھی فائدہ ہوگا - اس سے عرب ملکوں کے ساتھ ہمارے تعلقات مضبوط ہونگے -

یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ پرائم منسٹر نے ہمارے آنریبل منسٹر کی رہنمائی میں جو ایک ڈیلیگیشن ایران اور عراق بھیجا تھا اس کے اچھے نتیجے سامنے نہیں آئے - ہندوستان کا جو منصب جو پوزیشن اس سب کانٹی نینٹ میں ہونی چاہیے وہ اس وقت اتنی مضبوط نہیں ہے - اگر ہماری پوزیشن اتنی مضبوط ہوتی تو عراق ایران میں ہماری باتوں کا کچھ اثر نظر آتا اور انہیں کچھ ہماری بات ماننی چاہیے تھی - ہمیں اس بات کی کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ وہ منصب وہ استھان ہمیں ملے اور اس سلسلے میں آنریبل منسٹر کو ضروری قدم اٹھانے چاہیے -

[अनुवाद] ✓

श्री पी० चिदाम्बरम (शिवगंगा) : सभापति महोदय, इस अवसर पर आबंटित समय का उपयोग मैं एक मुद्दे पर अर्थात् श्रीलंका पर बोलने के लिए करना चाहता हूं जो कि इस समय अत्यन्त महत्वपूर्ण मुद्दा है और जिसने तमिलनाडु तथा सम्पूर्ण देश की भावनाओं को हिला कर रख दिया है।

महोदय, श्रीलंका की घटनाओं पर सब जगह क्रोध प्रकट किया जा रहा है। तमिलनाडु के लोगों के एक वर्ग में यह आशंका है, यह चिन्ता है कि यदि श्रीलंका के मामले को हल नहीं किया गया तो एक भयानक विस्फोट होगा। एक अन्य वर्ग है, हालांकि यह एक छोटा वर्ग है, जो इन घटनाओं से क्रुद्ध है और हाल ही की कुछ घटनाओं से, जिनसे कुछ वर्गों में भ्रान्ति उत्पन्न हुई है, निराश है। हाल ही में जिस एक अन्य बात से और अधिक आशंका उत्पन्न हुई है वह श्रीलंका सरकार द्वारा हमारे विदेश सचिव की यात्रा के बाद दिया गया वक्तव्य है। बाद में निस्सन्देह, इसे स्पष्ट कर दिया गया था। जिस एक अन्य बात से आशंका उत्पन्न हुई है वह विदेश राज्य मंत्री द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर श्रीलंका की तरफ समुद्र में भारतीय मछुआरों के मछली पकड़ने के अधिकार संबंध में दिया गया वक्तव्य है। मैं इन मामलों पर विस्तार से बोलना चाहता हूं परन्तु मैं इसे मुझे दिए गए समय में ही समाप्त कर दूंगा।

सर्वप्रथम, शरणार्थियों की समस्या है। जैसा कि आप जानते हैं कि 1983 की हिंसा के बाद से श्रीलंका से 5,000 शरणार्थी आये थे और बाद में शान्ति हो गई थी। पांच फरवरी, 1985 को शरणार्थियों का एक और दल आया और 5 फरवरी 1985 से 28 फरवरी, 1985 तक 10838 शरणार्थी रामेश्वरम पहुंचे। एक मार्च, 1985 और 9 मार्च, 1985 के बीच 3674 शरणार्थी रामेश्वरम पहुंचे। हम वियतनाम और कम्बोडिया के 'बोट पीपल्स' की बात किया करते थे। ये 1985 के 'बोट पीपल्स' हैं। वे एक सौ या दो सौ रुपये प्रति व्यक्ति देकर रात के अन्धेरे में नावों द्वारा भाग कर यहां आए। वे पैसों के बिना कुछ सामान के साथ आए। परिवार टूट गए, कुछ मामलों में माता-पिता आ गए और बच्चे वहीं रह गए कुछ अन्य मामलों में बच्चे आ गए और माता-पिता वहीं रह गए कुछ अन्य मामलों में एक बच्चा यहां आ गया और एक वहीं रह गया। इस प्रकार परिवार छूट गए और यह फरवरी और मार्च से हो रहा है। वे सब मन्नार जिले से आए। अधिकांशतः मछुआरे थे, अधिकांशतः ईसाई थे। परन्तु सभी तमिल भाषी थे। इसके बाद भारत और श्रीलंका के बीच विनिमय हुआ और उसके बाद शान्ति छा गई। पिछले सप्ताह से पुनः लोग आने शुरू हो गए हैं। इस बार वे न केवल मन्नार जिले से बल्कि वावुनिया और ट्रिनकोमाली से भी आ रहे हैं। अब केवल मछुआरे नहीं आ रहे हैं। किसान आ रहे हैं। केवल ईसाई नहीं आ रहे हैं। हिन्दू भी आ रहे हैं। दो अन्य जिलों में श्रीलंका की सेना सक्रिय है। मन्नार जिला वास्तव में खाली करा लिया गया है। मन्नार में प्रत्येक भारतीय तमिल को सताया गया है और मन्नार जिले से निकाल दिया गया है।

हाल ही में मैं रामेश्वरम में था। मैंने दम्पतियों से बात की, बच्चों से बात की, वृद्धों से बात की, युवतियों से बात की और युवकों से बात की। क्या तस्वीर है, वहां की? श्रीलंका में ऐसा स्वयं कानून है। यह अब सिविल नियन्त्रण में नहीं है संभवतः राष्ट्रपति जयवर्द्धने सेना का बन्दी है। वह निर्दिष्ट स्थान पर हस्ताक्षर करता है। वह श्रीलंका की सेना की भाषा बोलता है। श्रीलंका की सेना क्या कर रही है? श्रीलंका की सेना 500 के समूह में किसी गांव में जाती है और हर घर की तलाशी लेती है। मैंने युवतियों से बात की। 14 से 15 वर्ष की युवतियों ने मुझे बताया कि उनके साथ पढ़ने वाली कई

लड़कियां गुम हो गई हैं। उन्होंने बताया कि उनके मित्र युवा लड़के गुम हो गए हैं। उन्हें फिर कभी नहीं देखा गया। युवा लड़कों की हत्या का सबसे अधिक इस्तेमाल किये जाने वाला तरीका यह है कि युवा लड़कों को रबड़ या साइकिल के टायर से बांध दिया जाता है और आग लगाकर शव को जंगल में फेंक दिया जाता है। युवतियों के साथ बलात्कार किया गया है।

युवा लड़कियों ने अपने मित्रों का नाम बताया तथा कहा कि उनके मित्र एक दिन गायब हो गये थे। श्रीलंका सरकार की सेवा में 4000 रुपये वेतन पाने वाला एक वरिष्ठ श्रम निरीक्षक श्रीलंका के रुपयों के साथ भारत में अपने परिवार के पास लौट आया है। उसने मुझे बताया कि उसके पास दो कार तथा दो मकान थे और वह एक बहुत बड़ा अधिकारी था। वह क्यों लौटा? सीमा शुल्क विभाग में कार्यरत तथा 2000 रुपये वेतन पाने वाली एक महिला जांच निरीक्षक अपने पति, जो एक प्राइवेट परिवहन कम्पनी में कार्य करता था, के साथ सपरिवार लौट आई है। मन्नार के एक नौवहन ठेकेदार ने बताया कि उसके पास एक शानदार कोठी, नौकर-चाकर, कारें और एक बड़ा परिवार था। अपना सब कुछ छोड़-छाड़ कर वह वापिस आ गया है। यदि श्रीलंका में कोई सुरक्षा है तो ते लोग क्यों आ रहे हैं? शरणार्थियों को मैंने कहा कि इस बात की तमिलनाडु के निवासियों को अत्यधिक चिन्ता है। कोई विश्वास नहीं करता। मैं इस बात को पुन: दोहराता हूं कि किसी को यह विश्वास नहीं है कि श्रीलंका में पुन: सामान्य स्थिति हो जायेगी। किसी को यह विश्वास नहीं कि वह वापस लौट सकेगा और शांति और इज्जत का जीवन जी सकेगा। जब हम उनसे पूछते हैं कि क्या वे वापिस लौटेंगे तो कहने के लिये तो वे कहेंगे कि स्थिति के सामान्य हो जाने पर वे लोग लौट जायेंगे। किन्तु किसी को भी यह विश्वास नहीं है, कि श्रीलंका में सामान्य स्थिति हो जायेगी। कहने के लिए तो वे कह देते हैं कि वे वापस लौट जायेंगे किन्तु उन्हें यह विश्वास नहीं कि वे लोग कभी लौट भी सकेंगे या नहीं।

एक और भी बड़ी गम्भीर समस्या है। वह समस्या भारतीय मछुआरों से सम्बन्धित है। किसी समय में रामेश्वरम् में 1000 यान्त्रिक नावें और 1000 देशी नावें थीं। अब 200 नावों से अधिक नहीं हैं। और किसी भी दिन 50 से 60 नावें समुद्र में नहीं जाती हैं। (व्यवधान)

. इस समय दो समझौते लागू हैं। मैं निष्ठापूर्वक अभिलाषा करता हूं कि विदेश मंत्रालय के राज्य मंत्री इन समझौतों की ओर ध्यान देंगे। मैंने एक सांसद के रूप में तथा एक वकील के रूप में उसका अध्ययन किया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि दो समझौते हुए थे। पहला समझौता 26 जून, 1974 को हुआ था। यह समझौता पॉक स्ट्रेट की अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में है। इस समझौते में दो प्रमुख खण्ड है। एक है अनुच्छेद 5 और दूसरा अनुच्छेद 6 है। अनुच्छेद 5 का पाठ निम्नलिखित है—

"उपर्युक्त के अध्यधीन अब भी भारतीय मछुआरे और तीर्थयात्री पहले की तरह कच्च, थीवू आ-जा सकेंगे होगी तथा इसके लिए उन्हें श्रीलंका से यात्रा दस्तावेज या वीसा लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।" अनुच्छेद का पाठ निम्नलिखित है :

'भारत और श्रीलंका के जहाज एक दूसरे के जल में उन अधिकारों का लाभ उठाते रहेंगे जो वे परम्परागत रूप से उठाते रहे हैं।'

एक समझौता और हुआ था। प्रथम समझौते पर प्रधान मंत्रियों के हस्ताक्षर हुए थे। एक दूसरा समझौता सचिव स्तर पर दिनांक 23-3-1976 को हुआ था। यही वह समझौता है जिसके

कारण विधिक स्थिति के बारे में पूरी गलतफहमियां हुई हैं। मेरे विचार से विदेश मंत्रालय के कुछ अधिकारियों ने इस समझौते का गलत अर्थ लगाया है जिसके कारण ये सारी परेशानियां हुई हैं। इस समझौते में कहा गया है कि पॉक स्ट्रेट के लिए जो अन्तर्राष्ट्रीय सीमा रेखा मानी गई है उसी को मन्नार की खाड़ी तक, जो बंगाल की खाड़ी के उत्तर और पूर्व में है, बढ़ा दिया जाएगा। कृपया नक्शा देखिये। बंगाल की खाड़ी उत्तर और पूर्व में है, मन्नार की खाड़ी दक्षिण और पश्चिम में है तथा पॉक स्ट्रेट दोनों के बीच में है। अन्तर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पॉक स्ट्रेट के लिये मानी गई थी और मन्नार की खाड़ी तथा बंगाल की खाड़ी के लिये भी अन्तर्राष्ट्रीय सीमा रेखा मानी जानी थी।

इस समझौते में अनुच्छेद 5 और 6 में समान कोई अन्य खण्ड नहीं है। वास्तव में, मैं तो यहां तक कहना चाहूंगा कि इस बात की जांच-पड़ताल करने की आवश्यकता है कि जब सचिव स्तर पर हुए बाद के समझौते पर हस्ताक्षर किये गये थे तब अनुच्छेद 5 और 6 के अनुरूप खंड क्यों नहीं रखा गया था। यह समझौता उस पूर्व समझौते का अनुपूरक था जिस पर दोनों प्रधान मंत्रियों ने हस्ताक्षर किये थे।

तथापि, दूसरे समझौते से पहले समझौते का अतिक्रमण नहीं होता है। मैं यह बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि दूसरा समझौता पहले समझौते का अनुपूरक है। यह समझौता पहले के स्थान पर नहीं था। इससे पहले समझौते का अतिक्रमण नहीं हुआ था। यह केवल अन्तर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को बढ़ाने से सम्बन्धित था।

पहले और दूसरे समझौतों का यह अर्थ निकाला गया कि 1983 तक भारतीय जहाज और भारतीय मछुआरे अन्तर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से आगे की ओर श्रीलंका तक जा सकते थे और वे कच्चा थीवू, जो एक झींगा बहुल क्षेत्र है, तक जा सकते थे। 1974 से तथा 1976 के बाद तक भी और 1983 तक भारतीय जहाज निर्बाध रूप से कच्चा थीवू तक जाते थे यह बात कहां से आई कि 1983 के बाद, श्रीलंका दूसरे समझौता को मान रहा है और यह कह रहा है कि भारतीय जहाज अन्तर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पार नहीं कर सकते। सबसे अधिक गलत और सबसे अधिक दुःख की बात तो यह है जिससे मैं चिन्तातुर होकर कहता हूँ कि अब भारतीय प्राधिकारी भी इसका यह अर्थ लगा रहे हैं कि भारतीय जहाज अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पार नहीं कर सकते। समुद्र रक्षक तथा नौ सेना प्राधिकारी यह कहते हैं कि —"यदि आप अन्तर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पार करेंगे तो हम आपकी सुरक्षा नहीं करेंगे।"

इस समय दो समस्यायें हैं। एक वैधानिक है। मेरा विचार है कि वह कानूनी तौर पर गलत है। हमें मन्नार की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी और पॉक स्ट्रेट के जल के किसी भी भाग में मछली पकड़ने का अधिकार है। विदेश मंत्रालय इस बात की जांच करे। वे कानून सम्मत राय दें। वे महा अभिवक्ता की राय लें। मेरे विचार से, हमें समुद्र में कहीं भी मछली पकड़ने का अधिकार है। इस बात का भारत में तथा तमिलनाडु में विशेष स्वागत किया जाएगा। विदेश मंत्रालय यदि आपेक्षित हो तो कानूनी राय लेकर तत्काल यह घोषणा कर दे कि भारतीय जहाजों को समुद्र के किसी भी भाग में मछली पकड़ने का निर्बाध अधिकार है और किसी अन्य प्रकार का अर्थ हमें मान्य नहीं होगा।

अन्तर्राष्ट्रीय सीमा रेखा क्या है? यह न तो कोई घेरा है, न कोई दीवार है और न कोई पर्दा। यह एक सांकेतिक रेखा है। गरीब मछुआरों को कैसे पता चल सकता है कि वह रेखा पार कर गया है अथवा नहीं? तट रक्षक सुबह 2 घंटे और शाम को 2 घंटे गश्त लगाते हैं और वे रामेश्वरम् के तट पर आ जाते हैं। इसके अतिरिक्त समय में क्या होता है? रात में उनकी सुरक्षा कौन करेगा? इसलिए, मैं यह बात कहता हूं कि अपने मछुआरे की रक्षा हर प्रकार से करनी चाहिए।

अब, और भी दो गंभीर मामले हैं। एक मामला शरणार्थियों का है और दूसरा मछुआरों का। श्रीलंका की क्या स्थिति है ? क्या श्रीलंका सार्वभौमिक मानव अधिकार की घोषणा को स्वीकार नहीं करता ? क्या श्रीलंका आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों से सम्बन्धित प्रतिज्ञापत्र, नागरिक और राजनैतिक अधिकारों से सम्बन्धित प्रतिज्ञापत्र तथा याचिका दायर करने के अधिकार से सम्बन्धित ऐच्छिक संलेख सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय अधिकार सम्बन्धी तीन विधेयकों का पक्षधर नहीं है ? क्या श्रीलका दंड और जाति संहार अपराध निवारक अभिसमय का पक्षधर नहीं है ? श्री लंका में जो हो रहा है, वह जाति संहार है।

इसे जाति संहार की संज्ञा कैसे दी जाय ? इसका नाम लेने का अर्थ है कोई भी ऐसा कार्य करना जिसका उद्देश्य किसी राष्ट्र, जाति, वंश या धार्मिक ग्रुप को पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से नष्ट करना। निषेधात्मक कार्यवाही होती है किसी ग्रुप के सदस्यों की हत्या करना, किसी ग्रुप के सदस्यों की गंभीर शारीरिक अथवा मानसिक हानि पहुंचाना, किसी भी ग्रुप के व्यक्तियों पर जानबूझकर जीवन की ऐसी शर्तें थोपना जिससे उसका वास्तव में विनाश हो जाये।

जाफना में क्या हो रहा है ? लोगों का उत्पीड़न किया जा रहा है। तमिलों को रोजगारों से और स्कूलों से वंचित रखा जा रहा है; उन्हें अपनी परम्परागत घरों से हटाया जा रहा है, उन्हें सेना में भर्ती नहीं किया जाता, उन्हें पुलिस में भर्ती नहीं किया जाता, उन्हें सिविल सेवाओं में भर्ती नहीं किया जाता। यदि यह जाति संहार नहीं है, तो क्या है ? इस प्रतिज्ञापत्र के पक्षधरों ने यह कहा है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि जहां जाति संहार किया जाता है, वह उस देश के क्षेत्राधिकार सम्बन्धी खण्ड के अन्तर्गत नहीं आता। यह एक ऐसा विषय है जिसका सम्बन्ध प्रत्येक देश से है। आज यह केवल जाति संहार का प्रश्न नहीं है। जाति संहार के कारण भारत में शरणार्थियों की संख्या बढ़ रही है। 1948 के कैबिनेट (प्रतिज्ञापत्र) के अन्तर्गत यह जाति संहार है। हम लोग उससे सचेत हो सकते हैं। हम लोग कार्यवाही कर सकते हैं। इस समय भारत में 10,000 शरणार्थी हैं। यह भारत की समस्या है। यह अब केवल श्रीलंका की समस्या नहीं रही है और हमें इसे श्रीलंका की आन्तरिक समस्या मानकर इसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिये।

शरणार्थियों और मछुआरों की समस्याओं के बारे में देरी करना ठीक नहीं। मैं यह नहीं चाहता कि भारत को बड़े भाई की भूमिका अदा करनी पड़े किन्तु वास्तव में हमारा देश भी एक छोटा देश नहीं है। इस क्षेत्र में हमारा देश बड़ा देश है। इस बात का ध्यान रखना हमारा कर्त्तव्य है कि इस क्षेत्र में कहीं जाति संहार न हो और लोगों को विस्थापित न किया जाये। अपने मछुआरों के प्रति भी हमारा कोई कर्त्तव्य है।

विदेश मंत्रालय के माननीय राज्य मंत्री से तथा सरकार से मेरा अनुरोध है कि तमिलनाडु के लोगों की दुःख भरी भावना पर ध्यान दिया जाय और श्रीलंका की समस्या का शीघ्र समाधान किया जाय।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम् (सलेम) : महोदय, इस चर्चा के दौरान मैं इस विषय पर जो बोलना चाहता हूं, वह श्री चिदम्बरम् के भाषण के अनुरूप ही है किन्तु विचारों के बारे में थोड़ा-सा अन्तर है।

श्रीलंका में तमिलों की समस्या एक मानव-जातीय समस्या है। जब श्रीलंका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी उसी दिन यह समस्या पैदा हो गई थी इस समस्या की शुरुआत 1948 में ही हो गई थी, जबकि इस वर्ष नागरिकता अधिनियम बनाया गया था—भारतीय और पाकिस्तानी निवासी

नागरिकता अधिनियम, 1948 की धारा 18 प्रभावी हुई थी और जब लगभग आधे तमिलों की जो अनेक वर्षों से श्रीलंका में रह रहे थे, वहां से हटाया गया था। इस समस्या की शुरुआत तो उस दिन से हो गई थी और वास्तव में इसकी शुरुआत 1956 में हुई जब राजभाषा अधिनियम पारित किया गया था जिसमें उस समय वहां की राजभाषा सिंघल भाषा बनाई गई थी उसी समय तमिल विरोधी दंगे आरम्भ हो गये थे जिसमें हजारों व्यक्ति मारे गये थे। इस दंगे का नेतृत्व सिंघालियों द्वारा किया गया था। यह जातीय हिंसा कोई नई नहीं है। इसका जन्म केवल 1983 या 1980 में नहीं हुआ है। इसकी शुरुआत 1948 में हो गई थी और तत्पश्चात् 1957 में पहला समझौता हुआ था।

मैं माननीय विदेश मंत्री को इस बात की ओर ध्यान देने का अनुरोध करता हूं कि 1957 में बांदा-चेल्वा समझौता वास्तव में सिंघल उपनिवेशवाद को समाप्त करने के लिए हुआ था, जो अब हो रहा है और जो उस समय हो रहा था जबकि क्षेत्रीय स्वायत्तता देने, शक्तियां प्रदान करने, तमिलों का अपना प्रतिनिधि चुनने तथा उन चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा शासन किए जाने की बातें उठाई गई थीं। यह बात ध्यान देने योग्य है कि 1957 के उस समझौते को 1958 में श्रीलंका के वर्तमान राष्ट्रपति श्री जयवर्द्धने के कारण कार्यान्वित नहीं किया गया जो उस समय विरोधी दल में थे और जिन्होंने बोध और धार्मिक व्यक्तियों के साथ मिल कैन्डी मार्च का नेतृत्व किया था। उन्होंने उस विशाल आन्दोलन का नेतृत्व किया था जिसमें हजारों व्यक्ति दंगा करते थे, तमिलों की सम्पत्ति नष्ट करते थे और जब वह विरोधी दल में थे, तब उन्होंने उस समझौते, को जिससे तमिल की समस्या, जो जातीय समस्या थी उसे सुलझाया जा सकता था, को कार्यान्वित नहीं होने दिया और जिसके परिणामस्वरूप तमिल न केवल द्वितीय श्रेणी के नागरिक रह गये और राज्य विहीन हो गए अपितु लगभग अस्पृश्य बन गए और उस राज्य में उनके साथ पशुवत व्यवहार किया जाता था। इसके पश्चात् 1961 में तमिलों की फेडरल पार्टी ने सत्याग्रह किया। और वास्तव में उस समय लगभग सभी तमिलों ने सत्याग्रह किया चाहे वे 4000 वर्ष पूर्व अथवा 200 वर्ष पूर्व ब्रिटिश शासन काल में श्री लंका में बसे थे, तथा श्री लंका में बसे तमिलों के प्रत्येक दल ने, प्रत्येक राजनैतिक दल ने सत्याग्रह आरम्भ किया। उस समय राजभाषा अधिनियम के कार्यान्वयन का काम एक ओर रख दिया गया था।

दूसरा तथ्य है कि 1965 में एक समझौता हुआ था जो डडली-चेलवा समझौते के नाम से प्रसिद्ध है। जिसमें न्यायोचित रूप से भाषा के रूप में तथा जिला विकास परिषद में तमिल के प्रयोग करने का प्रावधान किया गया। विरोधी दल ने इसको भी विरोध किया और इस प्रस्ताव को निरस्त कर दिया गया। 1971 में विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए मानवीकरण आरम्भ किया जो चल नहीं पाया। 1977 से यही स्थिति चल रही है। यह उस दंगे के तरह नहीं है, जैसा दंगा इन्दिरा जी की मृत्यु के बाद दिल्ली में हुआ था। यह स्थिति उससे अधिक खराब है। सेना को छूट दे दी गई थी। सेना संगठित रूप में हो गयी थी। वे घर-घर गये, उनके पास उनके पते थे। उनके पास उन व्यक्तियों का नाम था जिसका उन्हें वध करना था। उनके पास उन मकानों का पता था जिन्हें उन्हें जलाना था। यदि किसी सिंघली के घर में कोई तमिल परिवार किराये पर रहता था तो उस तमिल परिवार के सदस्यों को बाहर ले जाकर कत्ल कर दिया गया और उनका सामान लूट लिया गया किन्तु उस सिंघली को छुआ तक नहीं गया और उसकी सम्पति को सुरक्षित रहने दिया गया। इससे यह स्पष्ट है कि सिंघलियों की सम्पति की सुरक्षा की गई और तमिलों, को चाहे वे उच्च अधिकारी थे अथवा अन्तर-राष्ट्रीय महत्व के व्यक्ति या सामान्य व्यक्ति थे, निकाल बाहर किया गया और जान से मार दिया गया। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना श्रीलंका में घट रही है।

इसके साथ ही, एक महत्वपूर्ण बात और है जिसकी ओर विदेश मंत्री ध्यान देने की कृपा

करेंगे कि विदेश सचिव द्वारा श्रीलंका का दौरा किए जाने के पश्चात् ऐसा प्रतीत होता है कि श्रीलंका की सरकार ने समाचार-पत्रों को यह बात जान-बूझकर बता दी है, जो उनके लिए बड़ा ही सरल कार्य है, कि एक ओर श्री भंडारी तथा दूसरी ओर श्रीलंका के राष्ट्रपति के बीच कोई समझौता हुआ है और शांति वार्ता चल रही है। इस कदम का स्वागत है। हम यह नहीं कह रहे हैं कि हम राजनैतिक समझौते के पक्ष में नहीं हैं। हम तमिल समस्या का समाधान चाहते हैं। हम भी चाहते हैं कि कोई समझौता हो जाए। ऐसी स्थिति में मैं एक बात स्पष्ट कह देना चाहता हूं। सबसे पहली तथा अति महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों पक्षों के इरादे नेक होने चाहिए। उनका रवैया मुंह में राम बगल में छुरी वाला नहीं होना चाहिए, जैसा कि श्रीलंका अपना रहा है। सन् 1983 में उन्होंने राजनीतिक समझौते की बात की थी तथा परिशिष्ट 'ग' तैयार कर लिया गया था, जिसमें क्षेत्रीय परिषदों का जिक्र किया गया था, क्षेत्रीय परिषदें केवल नाम के लिए ही नहीं होती थी बल्कि ऐसी क्षेत्रीय परिषदें जिनमें शक्ति हो—जहाँ चुने गए प्रतिनिधि हों— यदि तमिल लोग अपना प्रतिनिधि चुनना चाहते तो वे ऐसा कर सकते थे, तथा इसी प्रकार की सभी चीजों का उसमें उल्लेख था—राज्यों की तरह एक संघीय ढांचा तैयार करना था परन्तु उसकी ओर ध्यान नहीं दिया गया तथा वह समझौता आज तक नहीं हो पाया।

जो बात मैं कहना चाहता हूं और यह भी चाहता हूं कि मन्त्री जी उस ओर ध्यान दें, वह यह है कि हम, तमिल लोग, राजनीतिक समझौते के लिए सदैव सामने आए हैं। हमारी जाति एक शान्ति प्रिय जाति रही है। परन्तु हमें इतना अधिक पीछे नहीं धकेलना चाहिए। हमें विश्व की राय पर भरोसा है, हमें अपने देश, भारत पर विशेष रूप से भरोसा है कि वे हमारी समस्या के समाधान के लिए कदम उठाएंगे। परन्तु इसका मतलब यह नहीं कि वे असहाय हैं। तमिल एक जाति है, एक शान्तिप्रिय जाति है, वह एक अनुशासित जाति है। हम प्रतिभा सम्पन्न रहे हैं, हम हमेशा उन्नति तथा संस्कृति के बारे में चिन्तित रहे हैं। परन्तु इसका मतलब यह नहीं कि हम कायर हैं। हम इसे अच्छा नहीं समझेंगे कि हमारी माताओं, बहनों तथा भाइयों को मारा जाए, उनके साथ बलात्कार किया जाए तथा उनकी हत्या की जाए, हम चुप नहीं बैठेंगे। हां, इसका समाधान शान्तिपूर्ण ढंग से करेंगे। परन्तु हमें मूर्ख मत बनाइएगा। हमें समाधान चाहिए। श्रीलंका सरकार हमारे ऊपर विश्वास नहीं कर रही। वहां काफी हिंसा हो चुकी है। श्रीलंका का इतिहास स्वयं यह बताता है कि श्रीलंका निरन्तर तमिल विरोधी रहा है तथा वहां उनके विरुद्ध राज्य द्वारा संगठित रूप से दुर्व्यवहार होता रहा है। तमिलों ने श्री लंका में जितनी भी आर्थिक उन्नति की है उसे उन्होंने हर बार नष्ट कर दिया है। इस बार वे सीमा से भी काफी आगे निकल गए हैं। राष्ट्रपति जयवर्धन के अनुसार कि तो तुल्फ भी, जो एक प्रजातन्त्रीय, नरम हृदय वाला राजनीतिक संगठन है, उग्रवाद की बात करता है। और बहुत कुछ कहना बाकी है। यह कहना आसान है कि हम राजनीतिक समाधान कर लेंगे। परन्तु मैं मन्त्री जी से यह प्रश्न पूछना चाहूंगा कि क्या भारत वर्ष को, लोगों को तथा तमिल लोगों को मूर्ख बनाने का यह और प्रयास तो नहीं हो रहा। अगला कदम क्या होगा? क्या हम चुप ही रहेंगे? क्या हम केवल राजनीतिक समाधान की ही बात करते रहेंगे? क्या हम केवल शान्ति की ही बात करते रहेंगे—तथा शान्ति किस कीमत पर? वास्तव में तमिलों की हत्या की जा रही है तथा उन्हें देश से निकाला जा रहा है?

यह केवल लोगों के बीच में आकर बोलने या राजनीतिक भाषण देने का ही प्रश्न नहीं है। मैं इस सदन में जोरदार शब्दों में यह कहना चाहता हूं कि तमिलनाडु के लोग चुप नहीं रहेंगे। शरणार्थियों की कहानियां सुनकर आज प्रत्येक तमिल का खून खौल रहा है। मेरे मित्र श्री चिदम्बरम्

ने कुछ उदाहरण दिए हैं। हजारों तथा लाखों लोग इससे प्रभावित हैं। गाँव बिल्कुल खाली करा दिए गए हैं तथा जलाकर राख कर दिए हैं। समस्त सभ्यता को नष्ट किया जा रहा है तथा हम बैठे-बैठे शांतिपूर्ण समझौते की बात कर रहे हैं। हाँ, हम इस राजनीतिक समझौते का स्वागत करते हैं परन्तु हमें यह आशा करनी चाहिए कि श्रीलंका के राष्ट्रपति जो कहते हैं वह वास्तव में कर दिखायेंगे। हमें आशा है कि वे मुंह में राम बगल में छुरी वाली बात नहीं कर रहे। मुझे आशा है कि वे बदल गए हैं उनकी विचारधारा में परिवर्तन हुआ है, वह सन् 1958 का कैण्डी मार्च किसी अन्य रूप में दोहरायेंगे तो नहीं। जैसा कि मैंने पहले कहा है कि 'कैण्डी मार्च' वह मार्च था जिसने तमिलों के साथ हुए समझौते को नष्ट कर दिया था।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य का समय समाप्त हो गया है। कृपया समाप्त कीजिए।

श्री एन० वी० एन० सोमू (मद्रास उत्तर) : महोदय, यह हमारी अपनी समस्या है।

सभापति महोदय : यह प्रत्येक व्यक्ति की समस्या है। यह प्रत्येक भारतीय की समस्या है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूब नगर) : यह समस्त देश की समस्या है।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : मैं यहाँ केवल भारत सरकार की ही नहीं बल्कि समस्त सदन से अनुरोध करता हूं कि हम एक संयुक्त शक्ति के रूप में श्रीलंका को यह स्पष्ट कर दें कि हम बड़े भाई या बड़ी बहन नहीं हैं तथा यह कि आप छोटे भाई या छोटी बहन नहीं हैं, हम एक पड़ोसी देश हैं, हम मानव-अधिकारों के उल्लंघन के बारे में चिन्तित हैं, यह कि हम केवल अपनी चिन्ता शब्दों में ही व्यक्त नहीं कर रहे बल्कि समय आने पर हम इस पर कार्रवाई भी करेंगे। श्रीलंका को यह स्पष्ट कर दिया जाना चाहिए। उन्हें यह स्पष्ट कर दिया जाना चाहिए कि वे समस्त जाति को नष्ट नहीं कर सकते। उनके केवल यह कहने से ही काम नहीं चल सकता कि 'शान्त रहिए' यह हमारी आन्तरिक समस्या है। यह श्रीलंका की आन्तरिक समस्या नहीं है। यह समस्या विश्व समुदाय से भी सम्बन्धित है। क्या कोई सरकार राज्य-हिंसा तथा आतंकवाद का इस्तेमाल कर सकती है तथा समस्त जाति को नष्ट कर सकती है और उसके बाद क्या वह यह कह सकती है कि 'हम ऐसा करते हैं क्योंकि यह हमारी आन्तरिक समस्या है।' ऐसी भी कोई चीज है जिसे विश्व कहते हैं तथा केवल राष्ट्र ही आपस में बात-चीत नहीं कर सकते, उससे भी कहीं और अधिक है। इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण राष्ट्र होने के नाते यह हमारा कर्त्तव्य है। तमिल हों, या बर्मी या कोई अन्य जाति, जब उनका नरसंहार किया जा रहा हो तो हमारा सर्वप्रथम कर्त्तव्य है कि हम उनकी जाति की रक्षा करें।

इस समय मैं केवल इतना ही कह कर समाप्त करता हूँ। हमारे लिए वक्तव्य देना ही पर्याप्त नहीं है। केवल प्रतिनिधि भेजना ही हमारे लिए पर्याप्त नहीं है। हमें श्रीलंका सरकार को यह स्पष्ट करना ही होगा कि यह आखरी समय है, बिल्कुल आखरी समय जब तमिल समझौते के लिए तैयार हैं, इसके बाद वे युद्ध करेंगे, अन्त तक युद्ध करेंगे। यही समग्र कार्रवाई होगी। हम केवल शान्ति स्थापित करने के ही रूप में बात नहीं करेंगे। उस समय हम उनको यह सबक सिखाने की बात करेंगे कि 'जैसे को तैसा' का क्या मतलब होता है।

आपको धन्यवाद।

श्री अजीत सिंह डाभी (कैरा) : सभापति महोदय, मैं केवल दो या तीन बातें करना चाहता हूं। यदि हम अपने देश के विदेशी मामलों का सिंहावलोकन करें तो यह देखेंगे कि भारत ने पिछले 30 वर्षों में पहले प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू तथा बाद में श्रीमती इन्दिरा गांधी के अधीन

अपनी विदेश नीति का संचालन प्रतिष्ठता तथा निडरता से किया है।

महोदय, पिछले महीने राजधानी में, जनता पार्टी के प्रमुख नेता तथा भारत के भूतपूर्व प्रधान मन्त्री श्री मोरारजी देसाई ने एक वक्तव्य दिया था कि सरकार अपनी विदेश नीति निर्भय होकर चलाए। महोदय भारत की राजनीति में श्री देसाई अपनी*** के लिए प्रसिद्ध हैं। वह अप्रत्यक्ष रूप से यह कहना चाहते हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में वर्तमान सरकार, महा शक्तियों--रूस तथा अमरीका, से बहुत डरी हुई है। महोदय यह बहुत रोचक है क्योंकि हम सभी जानते हैं कि श्री देसाई ने तत्कालीन भारत के प्रधान मन्त्री के रूप में सन् 1977 में एक नीति अपनाई थी जिसे उन्होंने राष्ट्रीय नीति कहा था। उन्होंने कहा था कि भारत परमाणु विस्फोट शांति के प्रयोजनों के लिए भी नहीं करेगा। अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की इस तरह की राष्ट्रीय नीति की घोषणा हमारे जैसे प्रभुता सम्पन्न राष्ट्र द्वारा, देश की राजधानी अर्थात दिल्ली, से की जानी चाहिए थी। इसके बजाय अमरीका को खुश करने के लिए श्री देसाई अमरीका गए तथा एक विदेश की राजधानी वाशिंगटन से तथाकथित राष्ट्रीय नीति की घोषणा की। महोदय इसका कारण यह था कि श्री देसाई डरते थे (तथा जनता नेता ने यह कहा कि भारत अपनी नीति को निडरता से चलाए) श्री देसाई को यह डर लगता था कि अमरीका तारापुर विद्युत संयत्र के लिए तथा अन्य अति आवश्यक आर्थिक सहायता भारत को नहीं देगा। यह और कुछ भी नहीं, दूसरे देश अर्थात अमरीका को प्राथमिकता देने के लिए, अपने देश की प्रभुसत्ता का परित्याग करना है। अमरीका जो पिछले कई वर्षों से, सारे विश्व में अपने हितों की रक्षा के लिए तथा अपना प्रभुत्व स्थिर रखने के लिए, भारत को अपने अनुरूप चलाने का भरसक प्रयास कर रहा है। महोदय, दूसरे देश की राजधानी में जाकर राष्ट्रीय नीति की घोषणा करना, हमारे देश के लिए अति लज्जा की बात है तथा मैं प्रो० मधु दंडवते वह यहाँ मौजूद नहीं हैं इसलिए जनता पार्टी के अन्य वरिष्ठ सदस्य को यह सुझाव दूंगा कि वे जनता पार्टी के इस दादा श्री मोरार जी देसाई को यह सलाह दें कि उन्हें ऐसे हास्यजनक वक्तव्य नहीं देने चाहिए जो देश के लिए अपमानजनक हैं।

प्रधान मंत्री पं० जवाहर लाल नेहरू तथा श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व के अधीन भारत को डर के बारे में पता भी नहीं था। तथा आज भी भारत हमारे साहसी, स्पष्टवादी तथा युवा प्रधान मंत्री, श्री राजीव गांधी के अधीन अपनी विदेश नीति को निडर होकर चला रहा है।

महोदय मैं एक बात और कहना चाहता हूँ जिसपर अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर चर्चा चल रही है। भारत तथा अमरीका दोनों ही लोकतन्त्र में विश्वास करते हैं। राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रायः एक प्रश्न पूछा जाता है कि यद्यपि भारत तथा अमरीका विश्व के सबसे बड़े विद्यमान लोकतन्त्र हैं तो फिर पिछले 20 वर्षों से इन दोनों देशों के बीच सम्बन्ध इतने कटु क्यों हैं? उत्तर यह है कि अमरीका लोकतन्त्र प्रचार बहुत करता है उसका आदर नहीं करता। यह इस तथ्य से स्पष्ट हो जाता है कि अमरीका, पाकिस्तान, बंगला देश तथा अन्य बहुत से देशों की सैनिक तानाशाही सरकार का अधिक समर्थन करता है। यह इसलिए है कि भारत ने हमेशा लोकतन्त्र का रास्ता अपनाया है तथा उसने कार्य करने की स्वतन्त्रता को बनाए रखा है जिसके कारण अमरीका भारत को विश्व में अपने हितों तथा प्रभुत्व के अनुरूप ढालने में बड़ी परेशानी का सामना कर रहा है। विश्व के बहुत से देश अमरीका के राजनीतिक तथा आर्थिक दबावों के सामने झुक गए हैं परन्तु भारत कभी नहीं झुका है जबकि अमरीका ने मदद देना बन्द कर दिया था। जैसा कि सन् 1965 तथा 1971 में पाकिस्तान से लड़ाई के बाद किया गया था। भारत टूट जाएगा परन्तु झुकेगा नहीं। सर कटा सकते हैं लेकिन

*** अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया।

सर झुका सकते नहीं।

बहुत सारी बातोंपर चर्चा हो चुकी है अब मैं केवल उन महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करूंगा जिन पर चर्चा नहीं हुई है। मैं अपने पड़ोसी देश नेपाल का उल्लेख करना चाहता हूं। नेपाल अभी भी इस बात पर दृढ़ है कि दोनों महाशक्तियों अर्थात रूस तथा अमरीका, चीन तथा भारत की गारन्टी दिलवाकर इसे शान्ति का क्षेत्र बनाया जाए। यह और कुछ नहीं है बल्कि नेपाल के साथ हमारे संबंधों में प्रत्यक्ष रूप से तथा जानबूझ कर हस्तक्षेप कराना है। हमारे पड़ोसियों द्वारा उनके साथ हमारे संबंधों के मामले में महाशक्तियों द्वारा हस्तक्षेप कराने की उनकी इच्छा में कोई बड़ा अन्तर्राष्ट्रीय हाथ प्रतीत होता है इसलिए भारत को सतर्क रहना चाहिए तथा नेपाल को अन्तर्राष्ट्रीय षड्यन्त्र का अखाड़ा न बनाने दिया जाए।

हमारे देश द्वारा अपनाई गई गुट निरपेक्ष नीति के बारे में बहुत कहा जा चुका है। मैं यह कहना चाहूंगा कि भारत गुट निरपेक्ष आन्दोलन का सिरमौर है। यद्यपि कुछ गुट निरपेक्ष देशों ने इस आन्दोलन का झुकाव दोनों महाशक्तियों रूस तथा अमरीका की ओर करने का प्रयास किया है। लेकिन भारत स्थिर रहा है तथा उसने इस तरह का झुकाव नहीं होने दिया है। इन वर्षों के दौरान भारत गुट निरपेक्ष आन्दोलन के नेता के रूप में गुट निरपेक्ष आन्दोलन को सफलता दिलाता आया है तथा उसने इसे रूस पक्षीय अथवा रूस-विरोधी धड़ों में विभाजित नहीं होने दिया है।

महोदय, आने वाले वर्ष, गुटनिरपेक्ष आन्दोलन के लिए तथा इस कारण से भारत के लिए एक चुनौती है। भारत, दोनों महाशक्तियों, अर्थात रूस तथा अमरीका के बीच लगी हथियारों की अन्धाधुन्ध होड़ को रोकने में सफल नहीं हो पाया है। गुटनिरपेक्ष आन्दोलन के नेता के रूप में भारत ने ईरान तथा ईराक के बीच 5 वर्ष से चले आ रहे युद्ध को रोकने का प्रयास किया है। हमारे प्रधान मन्त्री, श्री राजीव गांधी ने इस युद्ध को रोकने की अपील की थी, परन्तु ईरान तथा ईराक दोनों ही गुटनिरपेक्ष देश होते हुए भी, इन्होंने यह युद्ध बन्द नहीं किया। इस तरह की अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं के कारण कई बार गुटनिरपेक्ष आन्दोलन के प्रयोजन पर ही सन्देह होने लग जाता है। परन्तु यह सभी को विश्वास है कि केवल गुटनिरपेक्ष आन्दोलन ही विश्व को विध्वंस से बचा सकता है। जनता पार्टी ने भी यह घोषणा की थी उनकी विदेश नीति गुट निरपेक्ष है तथा उन्होंने इसे विशुद्ध गुटनिरपेक्ष की संज्ञा दी। परन्तु विशुद्ध गुटनिरपेक्ष के इस आवरण के अधीन जनता पार्टी ने अपनी विदेश नीति को अमरीका की ओर झुकाव रखने वाली बनाया। गुटनिरपेक्ष का विचार सर्वप्रथम जवाहर लाल के दिमाग में आया था तथा उन्होंने मिस्र के राष्ट्रपति नासर तथा युगोस्लेविया के राष्ट्रपति टीटो के साथ मिलकर इसे संयुक्त रूप से प्रवर्तित, समर्थित तथा कायम रखा। ये महान लोग कभी नहीं सोच सकते थे कि गुटनिरपेक्ष आन्दोलन अशुद्ध या झूठा भी हो सकता है। जनता पार्टी की विदेश नीति न तो विशुद्ध ही थी और न ही गुट निरपेक्ष।

श्री वी० सोमनाद्रीसवरराव (विजयवाड़ा) : परन्तु उस अवधि के दौरान कोई समस्या नहीं आई।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : क्योंकि आप अपनी ही समस्याओं में उलझे हुए थे।

श्री अजीत सिंह बाभी : यदि आप गुटनिरपेक्षता की बात करते हैं तो इसका मतलब केवल तटस्थता नहीं है। इसका मतलब है विचारों तथा कार्रवाई की स्वतन्त्रता। उदाहरण के लिए अफ्रीका तथा एशिया के देशों में भारत ने उपनिवेशवाद तथा नव-उपनिवेशवाद का विरोध किया था। भारत

ने ऐशिया तथा अफ्रीका के उन देशों के हितों का समर्थन किया जो विदेशी शासन के अधीन कष्ट भोग रहे थे तथा अपनी स्वतन्त्रता प्राप्त करने का प्रयास कर रहे थे। भारत में साम्यवादी चीन को संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रवेश दिए जाने का समर्थन किया था यद्यपि चीन ने सन् 1962 में हमारे विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया था। रूस हमारा बहुत अच्छा दोस्त है तथा बांगला देश संघर्ष के दौरान उसने सच्ची मित्रता का प्रमाण दिया है फिर भी हमारी स्वर्गीय प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने राष्ट्रपति ब्रेजनेव की एशियाई सामूहिक सुरक्षा योजना और साम्यवाद चीन के साथ राजदूतों के आदान-प्रदान के सामान्य विचार को स्वीकार नहीं किया हांलाकि रूस इससे बहुत अप्रसन्न था। अफगानिस्तान का हाल का ही मामला लीजिए। जब अफगानिस्तान में रूस की फौजों ने प्रवेश किया तब हमारी स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री मती इंदिरा गांधी ने दृढ़ विश्वास और निर्भयता के साथ यह घोषणा की कि भारत किसी भी देश में विदेशी फौजों की मौजूदगी के विचार को समर्थन नहीं देता।

जहां तक हमारे देश द्वारा गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाने का संबंध है, यह मूल रूप से सही है तथा यह असफल होने नहीं जा रही है। भारत के प्रथम प्रधान मंत्री जवाहर लाल नेहरू गुटनिरपेक्ष आन्दोलन के संस्थापकों में से एक थे। जैसा मैंने कहा कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन विचार और कार्य की स्वतन्त्रता देता है। पंडित जवाहर लाल नेहरू ने भारत की गुट निरपेक्ष नीति के बारे में इस तरह कहा है:

> "यदि विश्व में कोई देश भी इसका अनुसरण नहीं करता है तो भी भारत इसका अनुसरण करेगा चाहे हमें इसे अकेले ही क्यों न चलाना पड़े"

हमारे महान कवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने ठीक इसी तरह एक गान लिखा है

> "जदि तोके डाक छूने केउना आशे
>
> ताबे एकला चलो, एकला चलो, एकला चलो"

इसी के साथ मैं विदेश मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री पीयूष तिरकी (अलीपुरद्वार) : दोनों ओर से सदस्यों ने पहले ही बहुत-सी बातें कही हैं। लेकिन मैं केवल अपने निकटतम पड़ोसियों जैसे भूटान, नेपाल, बंगला देश और पाकिस्तान के बारे में बताना चाहता हूं। मैंने अपने विचार कटौती प्रस्तावों द्वारा पहले ही व्यक्त किए हैं और उन्हें अब मैं दोबारा बताना नहीं चाहता हूं। मैं चाहूंगा कि विदेश मंत्री उनके बारे में अपने विचार व्यक्त करें।

श्रीलंका की समस्या के बारे में इस सदन में तमिलनाडु से हमारे दोस्तों ने कहा है कि यह तमिल समस्या है। लेकिन वह सत्य नहीं है। यह सदन तथा समस्त भारत इस समस्या के बारे में गंभीर रूप से चिंतित है और यदि श्रीलंका में तमिलों को मारने के लिए सैनिक कार्रवाई की जाती है तो वे तमिल लोग ही नहीं है, वे भारतीय हैं। अतः यदि श्रीलंका में सैनिकों द्वारा भारतीय मारे जाते है तो हमारे सैनिक भी शान्त नहीं बैठ सकते। श्रीलंका हमारा निकटतम पड़ोसी है अतः जब कभी हमारा पड़ोसी ग़लत काम करता है तो हमें बहुत निर्भीक होना चाहिए और अब यह गलत काम हो रहा है। कम से कम यह भारत के साथ अच्छे पड़ोसी की तरह व्यवहार नहीं कर रहा है। भारत और श्रीलंका दोनों राष्ट्रमण्डल के देश हैं और राष्ट्रमण्डल देशों के कतिपय नियम होते हैं श्रीलंका सरकार को यह बता दिया जाना चाहिए कि उसे उन नियमों का पालन करना चाहिए तथा मानवीय ढंग से व्यवहार करें और एक समुदाय को जो कि तमिल नहीं भारतीय है लोगों को खतम करने की कोशिश न करे।

भूटान के साथ हमारे सम्बन्धों के बारे में मैं कहूंगा कि हमारी सरकार ने भूटान में कई परि-

योजनाओं को सही ढंग से लिया है। भारत के लोग वहां पर विशेषकर चूखा परियोजना संख्या । पर तथा उस देश के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। भूटान के साथ हमारे सम्बन्ध अच्छे हैं और उस देश के साथ अपने सम्बन्धों को बढ़ाने के लिए प्रत्येक क्षेत्र उपलब्ध हैं।

अपनी आजादी के बाद से सभी स्थानों से शरणार्थियों को स्वीकार करके बड़ी भारी भूल कर रहे हैं। सबसे पहले हमने तिब्बत से शरणार्थी लिए थे। उसके बाद कई देशों से और अब श्रीलंका से। अतः हमारी विदेश नीति में अवश्य कुछ त्रुटियां हैं जिससे हर जगह भारतीयों की उपेक्षा की जाती है तथा उन्हें, भारत में वापस लौटने को विवश किया जाता है। हमने घोषणा की है कि हमारी राष्ट्रीय नीति न्याय, समानता तथा आपसी सहयोग पर आधारित है लेकिन समानता कहां है? और सहयोग कहां है? यदि हम सभी देशों के लिए समान है तो विश्व में हमारे लोगों को तंग नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन उन्हें तंग किया जा रहा है और उन्हें किसी भी समय वापस जाने के लिए कह सकते हैं।

इसके बाद मैं अब बंगला देश के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। बंगला देश मेरे निर्वाचन क्षेत्र से लगा हुआ है। इसलिए उस बारे में बहुत गंभीर हूं। बंगला देश में सैनिक शासन है। लेकिन हमारा मिशन वहां क्या कर रहा है? वह राष्ट्र-विरोधियों तथा जिन्हें हम सी० आई० ए० के एजेंट कहते हैं,... उनका प्रशिक्षण केन्द्र बन गया है। विदेश मंत्रालय क्या कर रहा है? बंगला देश के लोग हम सैनिक शासन से छुटकारा पाने की कोशिश कर रहे हैं। वे हमारे साथ हैं और उस सरकार के साथ नहीं हैं। तो हमारे मिशन वहां इन लोगों की सहायता क्यों नहीं करना चाहते हैं जो बंगला देश में सैनिक शासन से छुटकारा पाने के लिए लड़ाई कर रहे हैं। वे बहुत दुःख भोग रहे हैं। इसलिए हमारे मिशन को उन्हें संगठित करना चाहिए तथा उन्हें सैनिक शासन से छुटकारा दिलाने के लिए उनकी मदद करनी चाहिए।

पाकिस्तान के लोग भी वहां सैनिक शासन से छुटकारा पाने की कोशिश कर रहे हैं अतः हमारे वहां के मिशन को उनकी प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षता राजनीतिक ढंग से या जैसा भी कोई और तरीका हो उससे वर्तमान शासन से छुटकारा पाने के लिए सहायता करनी चाहिए ताकि हमारे सभी पड़ोसी देशों के साथ भाई जैसे संबंध हो सकें।

3.00 म० प०

महोदय, स्वतंत्रता के बाद से हम कश्मीर विषय पर राष्ट्रीय समस्या की बात कर रहे हैं। वह राष्ट्रीय समस्या क्या है? हम कश्मीर के बारे में बात तो करते हैं। हमारी सरकार कश्मीर समस्या को समाप्त करने के लिए निर्भीकता से पाकिस्तान को अधिकृत कश्मीर खाली करने के लिए क्यों नहीं कहती? पाकिस्तान ने हमारे देश के कुछ भाग पहले से ही ले रखे हैं। तथा समस्या का समाधान करने के लिए हमारे साथ बैठने की कोशिश की है। यह एक चाल है। भारत सरकार पाकिस्तान से कश्मीर को तुरंत खाली करने के लिए साहसपूर्वक क्यों नहीं कहती है जिसके बाद हम इस विषय पर बात कर सकते हैं।

हम केवल इतना सोचते हैं कि भूटान के पास साधन आसानी से उपलब्ध हैं।

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री पीयूष तिरकी : मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। हमारे पास बहुत से साधन हैं जिनका भूटान में विकास किया जाना चाहिए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हमें कुछ भूटानी लोगों को यहां

क्यों नहीं बुलाते जो मुर्गी पालन, शहद की मक्खी पालन आदि कामों में विशेषज्ञ हैं। कम से कम हमारी उनके साथ मैत्रीपूर्ण बातचीत होनी चाहिए। पर हम तो ब्रिटेन के विशेषज्ञों को सलाह के लिए बुला रहे हैं। भूटान के लोग भी शहद की मक्खी पालन, पशु पालन, मुर्गी पालन, तथा अन्य ऐसे कामों में विशेषज्ञ है। तो हमें भाइयों की तरह साथ-साथ क्यों नहीं बैठना चाहिए ताकि हम अपने विचारों का आदान-प्रदान कर सकें। इसी तरह हमें पड़ोसी देशों के लोगों को भी विकास कार्यों में सहयोग के लिए साथ साथ बैठने, योजनाओं तथा संक्षिप्त विवरणों को बनाने के लिए बुलाना चाहिए ताकि हमारे पड़ोसी देश भारत के साथ सामान्य रूप से विकसित हो सके हमारे पड़ोसी देश क्षेत्र से बाहर क्यों जा रहे हैं। क्योंकि उन्हें भारत में विश्वास नहीं है, क्योंकि वे सोच रहे हैं कि वे किसी भी तरह बराबर के राष्ट्र नहीं समझे जाते हैं। हम केवल यह सोचते हैं कि यहाँ समाजवाद है और हम अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के बारे में बोलते हैं लेकिन हम उस बारे में उनकी परवाह नहीं करते हैं। अत: ये सीमावर्ती राष्ट्र भी इसी तरह सोच रहे हैं। हम गुट निरपेक्ष है, यह सही है। हमारे मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध हैं। यह सही है। लेकिन उनको उनकी सुरक्षा और उनके विकास के बारे में भारत में कोई विश्वास नहीं है क्योंकि इन्हें साथ बैठने तथा प्रस्तावों को पेश करने में किसी विकास कार्य के लिए हम उन्हें नहीं बुला रहे हैं, भारत के साथ-साथ सभी पड़ोसी देशों का विकास आपको करना है और यदि पड़ोसी यह विश्वास करता है कि हम उन्हें किसी कठिनाई में नहीं रखेंगे तो वे हमारे साथ होगें और यदि ये छोटे राष्ट्र शक्तिशाली होगें तो भारत भी शक्तिशाली होगा अतः अब तथ्य के बारे में सोचने का समय है कि हमारे निकटतम पड़ोसियों को तुरंत विश्वास में लिया जाना चाहिए। हमें उनके साथ बैठना चाहिए और उनकी समस्याओं को सुलझना चाहिए तथा उनके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने चाहिए। इस तरह हम विकास कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : सभापति महोदय, विदेश मंत्रालय की अनुदानों की मागों पर कोई टिप्पणियां करने से पहले मैं विदेश नीति के केवल तीन पहलुओं पर विचार करना चाहता हूं।

3.04 म० प०

[श्री शरद दिघे पीठासीन हुए]

सबसे पहले, कभी कभी गुट निरपेक्ष की केवल संकल्पना की गलतफहमी के कारण और इसके गलत प्रयोग होने से मार्ग से हटने जैसी बात लगती है या कम से कम मनोवैज्ञानिक वातावरण पैदा हो जाता है कि कुछ सही मांग से हटा गया है और मैं गुट निरपेक्षता की क्या संकल्पना बन रही है इसके बारे में मैं अपना मूल्यांकन सदन के सामने प्रकट करना चाहता हूं। इसके बाद सबसे अधिक महत्वपूर्ण पहलू जिसका हवाला प्रो० रवैल ने पहले ही दिया है वह यह है कि शांति और सुरक्षा के हित में तथा हमारे आन्तरिक आर्थिक विकास के हित में भी अपने पड़ोसियों की ओर हमारी पूरी नीति में संशोधन करने की आवश्यकता है। तीसरा, पड़ोसी देशों की सामान्य समस्याओं का हवाला देते समय मैं श्रीलंका की स्थिति से उत्पन्न समस्याओं का विशेष रूप से उल्लेख करना चाहता हूं तथा मैं चाहता हूं कि बहुत दृढ़ और साथ ही प्रभावशाली रवैया अपनाना चाहिये ताकि समस्या हल हो जाए और आगे जटिल न बने।

जहां तक निरपेक्षता की संकल्पना का संबंध है। मैं समझता हूं कि जहां तक हमारे देश का संबंध है यह हमारे राष्ट्रीय जीवन में आम राय के आधार पर पूरी संकल्पना विकसित हुई है। हमें पता लगता है उदाहरण के लिए गांधी जी के नेतृत्व में अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई में कुछ मूल्य नियत किये गए थे और मैं महसूस करता हूं कि गुट निरपेक्षता का संकल्प वास्तव में उन्हीं मूल्यों का विस्तार है जिन्हें हमने गांधी जी के नेतृत्व में अपनी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अपनाया था। गुट निरपेक्ष

आंदोलन के कुछ आधार हैं और ये आधार उसी संग्राम के आधारों पर आधारित हैं। अर्थात् साम्राज्य-वाद विरोधी, उपनिवेशवाद विरोधी, सभी लोगों की स्वतंत्रता तथा विश्व शांति। यह हमारे गुटनिरपेक्ष आंदोलन का आधार है। गुट निरपेक्ष शब्द ने विभिन्न स्थितियां ली हैं। यह मूल रूप से इन तथ्यों के कारण हुआ कि जब भी कभी इस देश में या कहीं और गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन हुआ तो अन्तर्राष्ट्रीय समस्याएं या विवाद विद्यमान होते थे और इसी कारण गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलनों की वास्तविक रूप के कुछ ऐतिहासिक महत्व की उपलब्धियां हुईं। बेलग्रेड में आयोजित पहले शिखर सम्मेलन के समय आपको याद होगा कि यह वह समय था जब वास्तव में शीत युद्ध हो रहा था। परमाणु परीक्षण आरंभ हो चुका था। अत: उस सम्मेलन में मूल विचारणीय विषय शांति और निरस्त्रीकरण था। उसी समय मैं समझता हूं कि बेलग्रेड के शिखर सम्मेलन शुरू होने से ठीक पहले पंडित नेहरू ने एक महत्वपूर्ण वक्तव्य जारी किया था। "गुट निरपेक्षता को अपनाने वाले तथा उसकी आलोचना करने वाले दोनों शायद इसे पूरी तरह भूल गए। पंडित नेहरू ने बार बार यह स्पष्ट किया था कि गुट निरपेक्षता और तटस्थता के बीच मूल अन्तर है। गुट निरपेक्षता का मतलब है कि हम उपलब्ध विभिन्न विकल्पों में किसी भी विकल्प को चुनने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं। तटस्थता वास्तविक रूप से किसी विकल्प को साथ साथ स्वीकार करने के रास्ते से नफरत करती है। दोनों के बीच मूल अन्तर यह है। हमने अपने देश में बार बार यह स्पष्ट किया है कि गुट निरपेक्षता से हमारा यह अर्थ है कि हम प्रत्येक अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति का निर्णय योजना के आधार पर करेंगे और अपने देश की अर्थ व्यवस्था तथा हित को भी ध्यान में रखते हुए हम स्थिति को स्वीकार करेंगे। यह हमारे गुट निरपेक्ष के पहलू का आधार होगा।"

जब काहिरा शिखर सम्मेलन हुआ तो उस समय उपनिवेश स्वतन्त्रता प्राप्त कर रहे थे और इसलिए गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन का मूल विचार उपनिवेशवाद विरोधी था। लुसाका शिखर सम्मेलन के समय अफ्रीका में कई उपनिवेश स्वतन्त्रता प्राप्त कर रहे थे और कई स्वतन्त्रता प्राप्त करने के लिए लड़ रहे थे। इसलिए उस शिखर सम्मेलन का मूल विचार जातीयवाद विरोधी था। जब अल्जीयर्स शिखर सम्मेलन हुआ तो उस समय विकासशील विश्व की आर्थिक समस्याएं बहुत तेज हो गई थीं तथा इसलिए विशेष रूप से विकासशील विश्व के लिए आर्थिक चार्टर बनाने के लिए यह सही समय पाया गया था। उस समय गुट-निरपेक्ष सम्मेलन में इस पक्ष को अत्यधिक महत्व दिया गया और यह उस सम्मेलन का मूल विचार बन गया। कोलम्बो शिखर सम्मेलन का आयोजन होने के समय तक कुछ सांस्कृतिक मुद्दे थे और हिन्द महासागर, जिसे शांति का क्षेत्र समझा जाता था, में भी तनाव पैदा हो गया था। और इसीलिये उस समय हिन्द महासागर को शान्ति क्षेत्र बनाने का नारा काफी महत्वपूर्ण बन गया था। जब हवाना सम्मेलन हुआ तो आपको याद होगा कि इसके अध्यक्ष कास्त्रो थे और उस समय गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के अनेक आलोचकों के मन यह सन्देह था कि शायद हम रूसी गुट के प्रभाव में आ जायेंगे और समस्त गुट-निपेक्ष राष्ट्र साम्यवादी विश्व की ओर झुक जाएंगे। किन्तु वह भय भी निमूर्ल सिद्ध हुआ। एक बार पुन: गुट-निरपेक्ष आंदोलन की मूल स्थिति एवं अभिधारणाओं का सशक्त ढंग से निरूपण किया गया। जब तक नई दिल्ली में शिखर सम्मेलन होने का समय आया उस समय सर्वाधिक महत्वपूर्ण समस्याएं थीं इरान-ईराक युद्ध, इसरायल द्वारा लेबनान पर आक्रमण, अफगानिस्तान में रूसी सेनाएं, कम्पूचिया का प्रश्न तथा हिन्द महासागर में महाशक्तियों की प्रतिद्वन्द्विता। यह स्वाभाविक ही था कि इस शिखर सम्मेलन में इन समस्याओं पर विचार-विमर्श किया जाता और इस प्रकार गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के माध्यम से प्रत्येक बार गुट-निरपेक्ष नीति के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केन्द्रित हो गया। हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा। इस सन्दर्भ में, परमाणु

युद्ध, परमाणु हथियार तथा कतिपय देशों और कतिपय पड़ोसी राज्यों में परमाणु हथियारों के विस्तार के बारे में हमें अपना दृष्टिकोण निर्धारित करना होगा।

आज मैं उन लोगों की तरह भयाक्रान्त नहीं हूं जो यह सोचते हैं कि परमाणु विध्वंस होने वाला है, मेरा ऐसा सोचने का कारण यह नहीं है कि सोवियत गुट और अमरीका गुट उंचे नैतिक सिद्धान्तवादी हैं और नैतिक मूल्य अथवा आचार सम्बन्धी मूल्यों से प्रेरित होकर विश्व शान्ति बनाये रखने के बारे में सोच रहे हैं। पहले तो यहां शक्ति का सन्तुलन था, आज आतंक का सन्तुलन बन गया है। जब पहला बेलग्रेड सम्मेलन आयोजित किया गया था, आपको याद होगा उस समय 5.000 परमाणु हथियार उपलब्ध थे और दिल्ली शिखर सम्मेलन तक आते आते परमाणु हथियारों की संख्या बढ़ कर 50,000 हो गई। इस सन्दर्भ में हमें समूची परमाणु समस्या का मूल्यांकन करना होगा। आज यदि आप अमरीका तथा रूस की वर्तमान परमाणु क्षमताओं को देखें तो आप पायेंगे कि दोनों की समान क्षमताएं हैं और इसी कारण आतंक का सन्तुलन बन गया है। मैं ऐसे लोगों में से हूं जो यह महसूस करते हैं कि यद्यपि अमरीका और रूस के पास पर्याप्त परमाणु हथियार हैं लेकिन परमाणु युद्ध नहीं होगा। मैं ऐसे निराशावादी चिन्तकों में से नहीं हूं जो यह सोचते हैं कि परमाणु विध्वंस होने जा रहा है और समूचा विश्व समाप्त हो जाएगा क्योंकि यदि परमाणु युद्ध होता है तो कौन विजयी होगा और कौन पराजित यह बात असंगत हो जाती है। विजयी और पराजित, दोनों का बहुत नुकसान होगा और अमरीका और रूस कभी भी परमाणु युद्ध नहीं करेंगे क्योंकि चाहे उनमें से कोई भी विजयी हो या पराजित, दोनों का ही विनाश होगा। विजयी देश को भी नुकसान होगा और जो पराजित होगा वह भी समाप्त हो जायेगा। अतः परमाणु हथियारों को दोनों देशों द्वारा न केवल अवरोधक के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है किन्तु इसका प्रयोग ब्लैकमैल करने के लिये भी किया जाता है। अतीत में विकासशील देशों को राजनीतिक ब्लैकमैल करने के लिये विभिन्न प्रकार के तरीके अपनाये जाते थे। आजकल परमाणु ब्लैकमेल करने के लिये परमाणु संरक्षण भी दिया जाता है हमें इस बात पर ध्यान देना होगा कि महाशक्तियां की अपेक्षाकृत छोटे एवं विकासशील देशों के सामने अपनी परमाणु शक्ति का प्रदर्शन करने में ज्यादा रुचि है ताकि उन्हें अपने गुट में खींचा जा सके। इस पहलू को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।

जहां तक इन विभिन्न गुटों की संरचना का सम्बध है, मैं उनमें से नहीं हूं जो गुट-निरपेक्ष समूह में कतिपय तत्वों और कतिपय देशों को लाने की आलोचना करते हैं। उदाहरण के तौर पर, कुछ ऐसे भी लोग है जो यह कहते हैं कि दिल्ली में हाल में आयोजित गुट-निरपेक्ष शिखर सम्मेलन में वास्तव में दोनों ही शक्ति गुटों के प्रतिनिधि थे। इसके विपरीत मेरी यह धारणा है कि यदि दोनों गुटों का प्रभुत्व समाप्त करना है और यदि विकासशील देशों का विश्व में कोई भविष्य बनाना है तो यह बेहतर होगा कि इन दोनों गुटों का प्रभुत्व एवं विशाल संरचना थोड़ी ढीली हो जाये। इसलिए मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि स्पेन और पुर्तगाल ने भी जो नाटो गुट के देश समझे जाते थे गुट-निरपेक्ष आन्दोलन का सदस्य बनने के लिये बहुत संघर्ष किया। मैं इसका स्वागत करता हूं। इसी प्रकार, रोमानिया जैसे देश को जो वॉरसा ब्लाक के अभिन्न अंग माने जाते हैं गुट-निरपेक्ष आन्दोलन में प्रवेश देना इस आधार पर अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए कि वे साम्यवादी देश हैं। वे भी गुट-निरपेक्ष समुदाय का अभिन्न अंग बन गये हैं और रोमानिया के गुट-निरपेक्ष समुदाय में आने का यह ठोस परिणाम निकला है कि उसकी नीति को एक नई दिशा मिली है और उन्होंने यह घोषणा की है कि विदेशी मामलों में हम एक स्वतन्त्र नीति का पालन करेंगे यह नीति वारसॉ सन्धि वाले देशों की नीति से स्वतन्त्र होगी। "और इसलिये इस प्रकार का नया आयाम सामने आया और इसे प्रोत्साहन दिया जाना

चाहिये। मुझे इस बारे में कोई दुःख नहीं है कि गुट-निरपेक्ष समुदाय एक ढीले बन्धन में बंधा है। मुझे इस बात का हर्ष है कि दोनों गुटों में थोड़ा ढीलापन आ रहा है। इस प्रकार के गुटों के आकार टूट रहे हैं। कुछ राष्ट्र गुट-निरपेक्ष गुट के साथ सम्बद्ध हो गये हैं। हमें अपने प्रयासों से और राष्ट्रों को भी अपने गुट, गुट-निरपेक्ष समुदाय की ओर आकर्षित करना चाहिये ताकि दोनों महाशक्तियों के गुटों का प्रभुत्व न रहे और छोटे देशों को वह परमाणु ब्लैकमेल करने की उनसे जो खतरा है उसमें काफी सीमा तक कमी हो सके। आर्थिक पक्ष की बहुत महत्ता है। आज मैं यह महसूस करता हूं कि हम उत्तर दक्षिण सहयोग के बारे में बहुत कहते रहते हैं किन्तु वास्तविकता तो यह है कि यह उत्तर-दक्षिण सहयोग की बात करना व्यर्थ है, हमें अपना ध्यान उत्तर-दक्षिण सहयोग के स्थान पर दक्षिण-दक्षिण सहयोग पर अधिक केन्द्रित करना चाहिए। यद्यपि अनेक मंच है जहां से सम्पर्क बनाये रखना होगा, किन्तु औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी, 'मन्त्र गायन, करना होगा। किन्तु यह सब करते हुए भी हमें उत्तर-दक्षिण के स्थान पर में दक्षिण-दक्षिण सहयोग पर अधिक ध्यान केन्द्रित करना होगा और मुझे विश्वास है कि यदि हम इसपर अपना ध्यान केन्द्रित करेंगे तो अच्छे परिणाम सामने आयेंगे।

हम यह देख रहे हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक भारत जैसे अनेक विकासशील देशों, हमारे पड़ोसी श्री लंका पर भी अपमानजनक शर्तें थोप रहे हैं। जब तक हम अन्तर्राष्ट्रीय वित्त संस्थानों की पुनर्संरचना के लिए पहल नहीं करते, शक्ति गुटों के लोगों द्वारा इन संस्थाओं का ऐसे दुरुपयोग किया जाएगा कि विकासशील देशों का हितसाधन नहीं होगा। भारत जैसे देश का, जिसका आधार और अवधारण सदा आत्मनिर्भरता और गुट-निरपेक्षता रही है, विश्व बैंक एवं अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित आर्थिक नीतियों के समक्ष झुकना खतरानाक होगा। अतः हमें इन अन्तर-राष्ट्रीय वित्त संस्थानों की पुनर्संरचना के लिए नये सिरे से पहल करनी होगी।

हमारे पड़ोसी देशों के सम्बन्ध में अपने दृष्टिकोण में भी हमें परिवर्तन करना होगा। मेरे कहने का अभिप्राय यह नहीं कि इसे पूरी तरह बदलना होगा किन्तु इसमें संशोधन करने की आवश्यकता है। उत्तरी ध्रुव में क्या हो रहा है, अथवा दक्षिण ध्रुव में क्या हो रहा है अथवा आर्म स्ट्रांग के चांद पर उतरने के समय चांद की स्थिति क्या होगी, मेरे लिए इन बातों का बहुत कम महत्व है। मेरे लिए और मेरे देश के लिए महत्व की बात तब होती है जब पाकिस्तान में कुछ होता है, बर्मा में कुछ होता है, बंगला देश अथवा चीन में या इन्डोनेशिया या श्रीलंका में कुछ होता है। इन घटनाओं का अपेक्षाकृत अधिक महत्व होता है क्योंकि इनसे न केवल विश्व प्रभावित होता है बल्कि इन देशों के समीप के देशों पर अधिक प्रभाव पड़ता है। पाकिस्तान में जो भी बात होती है उसका प्रभाव वस्तुतः हमारी आन्तरिक नीतियों और घटनाओं पर पड़ता है। यदि श्री लंका में कोई घटना होती है तो वह उसका आन्तरिक मामला बनकर ही नहीं रह जाता, भारत की, विशेष रूप से उसके दक्षिण में समस्याएं पैदा होती हैं। इसलिए इन समस्याओं की ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। हमें इस सन्दर्भ में अपनी नीति में संशोधन करना होगा।

प्रो० स्वैल, बर्मा में भारत के राजदूत रह चुके हैं, अतः कल उन्होंने बर्मा के बारे में अपने विशेष ज्ञान और अनुभव के आधार पर बर्मा की स्थिति के बारे में स्पष्ट चित्र प्रस्तुत किया। यह भी ठीक है कि चीन अन्य देशों के साथ नये प्रकार के सम्बन्ध स्थापित करने के बारे में सक्रिय प्रयास कर रहा है। चीन जैसे देशों के विरुद्ध अशोभनीय भाषा का प्रयोग करने के स्थान पर मैं चाहूंगा कि आप भी उनसे कुछ सीखें कि वे कैसे नये सम्बन्ध बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, कैसे वे विभिन्न देशों के साथ आर्थिक सम्पर्क और सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि वे इन देशों पर मजबूत पकड़

रख सकें। चीन इस प्रकार ही कार्य कर रहा है। मैं नहीं चाहता कि भारत के आर्थिक रूप से कोई इरादा हो जिससे साम्राज्यवादी प्रभुत्व स्थापित हो किन्तु मैं चाहता हूं कि वे कुछ इस तरह के आर्थिक सम्पर्क बनाये जायें जिससे हमारे हित और हमारे पड़ोसी देशों के हितों में समानता हो जाए। उन्होंने कल बताया था कि चीन बर्मा में बड़े रचनात्मक ढंग से सक्रिय है और वह शिष्ट मंडलों का आदान-प्रदान कर रहा है, और अधिक सहयोग बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। यदि भारत की थल और जल सीमा पर बर्मा एक खतरनाक या भारत विरोधी रवैया अपना लेता है देश भारत है तो यह देश के लिए खतरनाक होगा। इसलिए पाकिस्तान, बंगला देश, श्रीलंका यह सभी महत्वपूर्ण समस्याएं हैं। ये स्थितियां नितान्त महत्वपूर्ण हैं। हमें इन्हें विस्फोटक स्थिति यां बनने से रोकना होगा।

इस सन्दर्भ में पाकिस्तान का उल्लेख किया जाना आवश्यक होगा। लोगों के लिए यह कहना बहुत आसान है कि अयुद्ध सन्धि के बारे में उनकी बात बेतुकी है, यह कहना भी बहुत आसान है कि उनकी पाकिस्तान-भारत मैत्री की बात असंगतिपूर्ण है। यह याद रखना होगा कि भारत जैसे देश में भारत और पकिस्तान के बीच मैत्री से सुखद प्रभाव पड़ेगा, इसी तरह से पाकिस्तान में भी उसका अच्छा प्रभाव होगा। इसलिए अपनी पहचान को खोये बिना, अपने हितों को छोड़े बिना, अपनी प्रभुसत्ता के सम्बन्ध में किसी प्रकार का समझौता किए बिना और अपनी गुट-निरपेक्ष आन्दोलन की अपनी अवधारणाओं से हटे बिना हम पाकिस्तान, बर्मा, नेपाल, चीन और भूटान से बेहतर सम्बन्ध स्थापित कर सकते हैं और यह सम्बन्ध एक बड़े भाई का छोटे भाई के साथ सम्बन्ध की तरह नहीं होगा; क्योंकि यदि इस प्रकार का दृष्टिकोण अपनाया गया तो इससे एक नयी स्थिति और नया खतरा पैदा हो जाएगा। इसलिए, इस बात के होते हुए भी कि पाकिस्तान और अमरीका परमाणु हथियारों के निर्माण में सहयोग करेंगे और अन्य अनेक खतरे भी हैं, इन सब बातों के होते हुए भी एक बात दिमाग में रखनी होगी कि वे हमसे भी यह कह सकते हैं कि हम अपनी सुरक्षा के मामलों में सहायता के लिए रूस पर निर्भर हैं और उस स्थिति में हम यह नहीं कह सकते कि कोई भी देश किसी प्रकार की सहायता नहीं ले सकता। किन्तु हमें इस तथ्य का ध्यान रखना होगा कि जब पाकिस्तान को हथियार मिलते हैं जब भूतकाल में पाकिस्तान को अमरीका से हथियार मिले तो यह भारत के हितों के विरुद्ध दिए गए थे। हमें इस मुद्दे को अन्तर्राष्ट्रीय मंचों के माध्यम से उठाना होगा। हमें इस संबंध में अभिमत तैयार करना होगा और पाकिस्तान के साथ भी सम्बन्ध बनाने होंगे और हमें यह अभिमत बनाना होगा कि किसी प्रकार का परमाणु संरक्षण लेना पाकिस्तान अथवा भारत के हक में नहीं है क्योंकि इससे हमारा स्वतन्त्र अस्तित्व एवं स्वतन्त्र रूप से सम्बन्ध समाप्त हो जायेंगे। हमें इस प्रकार का दृष्टिकोण अपनाना होगा और मुझे विश्वास है कि यदि ऐसा किया गया तो एक भिन्न प्रकार का का वातावरण तैयार हो जाएगा।

मैं आपका अधिक समय नहीं लेना चाहता। किन्तु मैं एक बड़ी महत्वपूर्ण समस्या का उल्लेख करूंगा। यह सभी पड़ोसी देशों की सामान्य समस्या तो नहीं है पर यह एक सामान्य समस्या है और एक विशेष समस्या भी है और यह समस्या श्रीलंका की श्रीलंका में पूरे देश की संरचना में विभिन्नता होने के कारण यहां एक गम्भीर समस्या उत्पन्न हो गई है। श्री लंका भारत की तरह ही अपितु उससे भी अधिक विविधताओं का देश है हमें इस सम्बन्ध में एक मजबूत किन्तु सन्तुलित दृष्टिकोण अपनाना होगा। यह केवल श्रीलंका की आन्तरिक समस्या नहीं है। मेरे विचार से हर देश की प्रभुसत्ता का बहुत महत्व होता है। आप किसी भी प्रभुसत्ता सम्पन्न देश के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। किन्तु इस सभा में एक बहस के दौरान मैंने कहा था कि मैं मानवीय मूल्यों की प्रभुसत्ता में विश्वास करता हूं और मानवीय मूल्यों की प्रभुसत्ता किसी देश की प्रभुसत्ता से अपेक्षाकृत अधिक

महत्वपूर्ण होती है। आप इस अर्थ समझते हैं? श्रीलंका में जो कुछ हो रहा है उससे गुटनिरपेक्ष समुदाय द्वारा स्वीकृत कतिपय मूल्यों को खतरा पैदा हो गया है। अतः इन सभी समस्याओं का दृढ़ता तथा धैर्य के साथ समाधान करना होगा।

श्रीलंका में हिंसा नए आयाम ग्रहण करती जा रही है। निःसन्देह, 1956,1958 और पुनः एक बार 1966 में श्रीलंका में हिंसात्मक घटनाएं हुई थीं। उसके बाद 1977, 1981, 1983 तथा अब 1985 तक वहां हिंसात्मक घटनाएं जारी हैं। किन्तु पहले की हिंसात्मक घटनाओं का स्वरूप कुछ और था किन्तु अब तीन अवसरों पर जो हिंसात्मक घटनाएं हुईं। उनमें सुरक्षा एवं सैनिक बलों ने भाग लिया है इसलिए ये दूसरी तरह की हिंसात्मक घटनाएं हैं। इससे इस समस्या को एक नया आयाम मिल गया है। अतः इस सम्बन्ध में सतर्क रहना होगा। इसके अतिरिक्त, श्री लंका के विशिष्ट ढांचे के कारण तथा वहां विभिन्न दलों के कारण घटनाएं खतरनाक रुख अखत्यार करती जा रही हैं। मैं वहां की जातिगत विभिन्नता, भाषाई एक साम्प्रदायिक स्वरूप की बात कर रहा हूं। 1946 की जनगणना से यह पता चलता है कि सिंहली जनसंख्या 92 प्रतिशत है और ईसाई जनसंख्या 8 प्रतिशत है सिलोन के तमिल भाषा-भाषियों में 81 प्रतिशत हिन्दू हैं और 16 प्रतिशत ईसाई हैं और 3 प्रतिशत बौद्ध है। भारतीय तमिल--- 89 प्रतिशत हिन्दू, 8 प्रतिशत इसाई और शेष बौद्ध जनसंख्या है। मूल जनसंख्या में 99 प्रतिशत मुसलमान और शेष बौद्ध, हिन्दू और ईसाई हैं। श्रीलंका का यह विचित्र एवं वैविध्यपूर्ण स्वरूप है जो तनावों का बढ़ावा देता है तथा उन तनावों के लम्बे समय तक बने रहने से आगे और धार्मिक फूट पड़ती है जिससे सिलोन के तमिल लोग उत्तर में और पूर्व में प्रबल होते हैं तथा अन्य लोग शेष भागों में। इससे और तनाव बढ़ता है तथा सुरक्षा बलों की सहायता से हिंसा को बढ़ावा मिलता है, जिससे लोकतंत्रीय संस्थाओं तथाकथित वयस्क मताधिकार सीमित मताधिकार के आधार पर संसदीय लोकतंत्र में मलीनता आती है तथा वहां पर राजनीति में और पथ भ्रष्टता आती है।

इसके अलावा यह बात भी हमें भूलनी नहीं चाहिए कि श्रीलंका बेशक अपने को गुटनिरपेक्ष कहता है परन्तु उनका अपना अलग दृष्टिकोण है उनकी गुटनिर्पेक्षता पश्चिम की ओर झुकी हुई है। उसमें पूरी अर्थ-व्यवस्था निजी उपक्रमों बहु राष्ट्रकों, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक पर निर्भर करती है तथा उन्हें प्रायः पश्चिम का साथ देने को विवश होना पड़ता है। उसके फलस्वरूप कभी-कभी वे कुछ खास किस्म का दृष्टिकोण अपनाते हैं। जब यह भीषण संकट शुरू और हिंसा का दौर-दौरा होने लगा तब श्री लंका के चोटी के लोगों ने यह कहा कि "अन्य देशों की परवा न करो" पहले ही ऐसी घोषणा कर दी गई थी।

फिर सर्वोच्च शक्तियों का इसमें शामिल होने का खतरा है। अमरीका खतरे के समय में हस्तक्षेप करना पंसद करेगा और यदि वे ऐसा करता है तो सोवियत ब्लाक भी पीछे नहीं रहेगा। इस प्रकार एक शांति का क्षेत्र युद्ध का क्षेत्र बन जायेगा। अतः हमें इस उप-महा द्वीप में पुनः शान्ति स्थापना का यत्न करना चाहिए।

मेरे एक मित्र ने कहा है कि सेना को तैयार रखना चाहिए। इस भाषा के प्रयोग से भारत के लिए औरसमस्याएं पैदा होंगी। मुझे खुशी है कि भारत श्रीलंका के बारे में दृढ़ रवैया अपनाना चाहता है तथा साथ ही उसने नियन्त्रित रुख अपनाया है। श्रीलंका को मिला लेने की तो बात ही नहीं। सैनिक हस्तक्षेप की बात भी नहीं सोचनी चाहिए। निःसन्देह कुछ प्रभाव हो सकते हैं तथा उनसे दृढ़ता से निपटना चाहिए। जब भी श्रीलंका में संकट पैदा होता है तमिल लोग श्रीलंका से भारत आने लगते हैं तथा भारत के दक्षिणी भाग में लगते हैं। उससे पुनर्वास की समस्या पैदा होती है। उससे देश की

अर्थव्यवस्था पर नये दबाव पड़ते हैं। अतः इन समस्याओं को अलग से नहीं देखा जा सकता। यह सही है। परन्तु सभी कठिनाइयों सभी अत्याचारों के बावजूद हमने दृढ़ रुख अपनाना है जोकि नियंत्रित तो हो साथ ही जिसके अन्तर्गत समझौते हो सकें। हम सैनिक हस्तक्षेप की बात नहीं कर सकते। मिला लेने की बात भी हम नहीं सोच सकते। विपक्ष प्रधानमन्त्री से तो यह मांग कर सकता है कि सेना भेज कर श्रीलंका को मिला लो यह तो ठीक है। परन्तु यह रुख अपनाते समय हम याद रखें कि भारत की सीमा पर बहुत से पड़ोसी देश हैं। नेपाल है, चीन है, भूटान है, बंगला देश है, बर्मा है। जिस क्षण ही हम सेना भेजने की बात करेंगे उसका प्रभाव पड़ेगा तथा तनाव फैलेगा। अतः यह उपचार रोग से अधिक भयानक होगा। मैं प्रार्थना करता हूं कि सरकार ऐसा कदम न उठाए कि उपचार रोग से भयंकर हो। मुझे विश्वास है कि इस विशेष कदम को नहीं उठाया जायेगा।

महोदय, मैं अधिक नहीं कहना चाहता। आपने घंटी बजायी है अतः मैं सभा का अधिक समय नहीं लेना चाहता। मैं एक पहलू पर दृढ़ता से आग्रह करना चाहता हूं। हम बहुत सी समस्याओं पर पृथक मत रख सकते हैं; योजना का प्रश्न हो, पंजाब का प्रश्न हो, राज्य पुनर्गठन का प्रश्न हो, विकास प्रयत्नों का प्रश्न हो, राष्ट्रीयकरण का प्रश्न हो, हमारे मित्र मत हो सकते हैं परन्तु देश के सौभाग्य से महात्मा गांधी और पं० जवाहर लाल नेहरू के नेतृत्व में हुए स्वतन्त्रता-संग्राम के दौरान देश में कुछ ऐसे लोकाचार विकसित हुए हैं। यह लोकाचार गुटनिरपेक्षता की भावना का है जिसको हमें संरक्षण प्रदान करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि यही लोकचार भारत को बचा पायेगा, भारत की सुरक्षा करेगा और उसकी समृद्धि कर सकेगा। ये कार्य हमें संयुक्त प्रयत्नों से करने चाहिए। महोदय, आपका धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : सभापति जी, जब खुद मजबूत होते हैं तो अपने आप और ताकतें भी झुकती हैं। सवाल यह नहीं कि सारा देश दो बड़ी-बड़ी ताकतों के साथ लगा हुआ है और जो हमारे देश के अन्दर इस प्रकार के आतंकवादी लोग या उग्रवादी लोग अपना सिर ऊंचा किये हुए हैं और भी कई प्रान्तों में कई हिस्सों में हम लोग कमजोर हैं।

हिन्दुस्तान का नक्शा, हिन्दुस्तान के भूगोल पर चारों तरफ या तो सिवाय लंका के या राजा का राज है या सारी तानाशाही हुकूमत है। सवाल यह नहीं है, सवाल यह है कि सब शासक लोग, चाहे पाकिस्तान हो या और कोई हो, जहां तानाशाही हुकूमत है, वह अपनी हुकूमतों को कायम रखना चाहते हैं, कारण सिर ऊंचा रखना नहीं चाहते।

आज यह जो बात आप बार-बार कह रहे हैं और बड़ी अच्छी शिक्षा दे रहे हैं कि रिश्ता उनसे अच्छा रखिए। सभापति जी, 1962 की लड़ाई किसने की थी, 1965 में क्या हुआ था ? सवाल यह नहीं है कि वह फौजी अपना राज्य कायम करना चाहते हैं, तानाशाही चाहते हैं, कभी यह नहीं चाहते कि उनका राज चला जाये। इसलिये उन पड़ोसी देशों के साथ समझौता एक नये तरीके से हो सकता है और वह तरीका है कि हम उनकी आर्थिक समस्याओं का निराकरण करें। आज जो बड़ी शक्तियां हैं उनके वह मोहरे बने हुए हैं। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान से अच्छा रिश्ता कायम हो। लेकिन यह बात बार-बार कहते हुए हम थक नहीं जाते हैं ? किसने कब यह रिश्ता बन्द कर दिया ? हमने तो यह रिश्ता शुरू किया और हमारी तरफ से आज तक वही है। लेकिन उधर से कोई करना ही न चाहे तो आप बार-बार यही कहते रहेंगे ? दरवाजा खुला है, वह आना चाहें तो आ जायं। लेकिन जिसे अपनी तानाशाही हुकूमत कायम रखनी है, जहां 20 डालर मिलिट्री के एक आदमी पर खर्च हो रहा है जब

कि हिन्दुस्तान में केवल 8 डालर खर्च हो रहा है, उस मुल्क को आप क्या कहेंगे ?

हमारे देश के अन्दर केवल एकता और मजबूती चाहिए। अगर हमारा देश मजबूत बन जाता है तो पड़ोसी देशों से रिश्ता भी अच्छा होगा। यह कुछ लोगों को जो हवा मिलती है वह कहां से मिलती है ? खालिस्तान को हवा दूसरे देशों से मिल रही है। खालिस्तान की बातें ब्रिटेन में या अन्य देशों में होती हैं, आस्ट्रेलिया में होती हैं, और जगह होती हैं। मैं कहता हूं हमारा देश मजबूत बन जायगा, हमारा उत्पादन और बढ़ेगा, हमारी एकोनामिक हालत अच्छी होगी तो हमारी बात श्रीलंका भी सुनेगा और दूसरे भी सुनेंगे चाहे वह कोई हों। हम समस्या का निराकरण आर्थिक तरीके से ही कर सकते हैं। आप नैपाल की मदद कीजिए, उसकी आवश्यकताओं को पूरा कीजिए, भूटान की कीजिए। जो कुछ थोड़ा बहुत हम कर रहे हैं उस को और बढ़ाइए। सारे जो राष्ट्र आसपास के हैं उन को दूसरी ताकतें मदद देना चाहती हैं। उनकी मदद से वहां तानाशाही और फौजीकरण चल रहा है। हिन्दुस्तान ने जनतंत्र में विश्वास किया और हमारी लोकतन्त्र की जड़े मजबूत हैं हम आज भी लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। आस-पास के जितने राष्ट्र हैं वह फौजी राष्ट्र हैं। वह कब चाहेंगे इस बात को कि हमारे साथ सहयोग करें ? हिन्दुस्तान की गवर्नमेंट हर हालत में समझौता करने के लिए तैयार है। लेकिन आप कब तक यह कहते रहेंगे ?

एक बात और मैं कहना चाहता हूं। हमारे विदेश विभाग से अलग-अलग स्टेटमेंट होते हैं। कभी सचिव बोलते हैं, कभी कोई और बोलते हैं, कभी मंत्री जी बोलते हैं, मेरा कहना है एक स्टेटमैंट मंत्री जी का होना चाहिए। क्या विदेश विभाग से अलग अलग स्टेटमेंट हो सकते हैं ? यह एक नयी बात मैं देख रहा हूं। यह एक बड़े सोचने की बात है कि इस प्रकार के जो स्टेटमेंट होते हैं वह बड़ा महत्व रखते हैं, वह एक दिशा देते हैं, इसलिए मंत्री जी इसको अपने तक सीमित रखें। अगर आफिसर्स स्टेटमेंट देने लग जाएं और इंटरव्यू देने लग जाएं तो फिर तो उनको चाहिए कि वह भी सब छोड़-छाड़ कर वहां से बाहर आ जांय। उनको भी अधिकार है लोकतंत्र में। मगर इस तरह से स्टेटमेंट आना, यह एक नयी बात मैंने देखी है। मैं इस पर अधिक टिप्पणी करना नहीं चाहता। यह बात मैंने देखी है और पढ़ी है। उसकी छानबीन करके मैं यहां रखना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि भविष्य में इस पर रोक लगनी चाहिए कि जो आफिस में काम करने वाले बड़े-बड़े पदाधिकारी हैं वह स्टेटमेंट देना न शुरू कर दें और यह न समझ लें कि हम वह स्टेटमेंट दे सकते हैं। उनको अगर कुछ बात करनी है तो अपने घर में कर लें या मंत्री जी से कर लें। लेकिन इस प्रकार के जो स्टेटमेंट होते हैं और मैंने जो स्टेटमेंट देखें हैं उनमें कई बातों में फर्क नजर आता है।

दूसरी बात जो कश्मीर के सम्बन्ध में माननीय सदस्य कह रहे थे मैं कहना चाहता हूं कि यह हमने कब कहा था जो आजाद कश्मीर की बात उन्होंने छेड़ी। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वह जो बात करना चाहते हैं, वह हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनकी नीति को नहीं समझते हैं। क्या उनकी नीति इस तरह की है कि वह हमसे समझौता करें ? उनकी रणनीति दूसरी है, उनकी चाल दूसरी है। लेकिन हम बार-बार ऐसा बोलते हैं जिससे ऐसा लगता है कि जैसे हम कोई कमजोर देश हैं। मैं कहता हूं कि आप हमारे देश में मिलिट्री पर खर्चा कम कर दीजिए। और देश अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, देश ताकतवर हो जाए तो जिसका घर मजबूत होता है उसकी विदेश नीति भी मजबूत होती है। अगर घर कमजोर होगा तो विदेश नीति भी मजबूत नहीं हो सकेगी।

गुटनिरपेक्ष देशों की संख्या जहां पहले केवल 5 ही थी वह आज बढ़कर 123 हो गई है। हमारी जो विदेश नीति है उसकी प्रशंसा सभी ने की है। लेकिन एक बात यह भी है कि ज्यादा

मीटिंग्ज और कांफ्रेन्सिज करने से कोई फायदा नहीं होगा। हमारे मुल्क को अन्दर से मजबूत होना चाहिए। वास्तव में हमारे देश के जो दुश्मन हैं, वह है गरीबी, साम्प्रदायिकता, जातिवाद वगैरह। असल में यही चीजें हमारे देश को कमजोर करती हैं। विदेशों में बैठी हुई कुछ ताकतें ऐसा करने के लिए इशारा करती हैं। अगर इन चीजों को हम अपने देश से समाप्त कर दें, तो दुनिया ज्यादा इज्जत की नजर से हमको देखेगी। जब हमारे विचारों तथा कार्यों में एकरूपता होगी तभी ठीक रहेगा। देश-भक्ति को अपने जीवन का मुख्य आचरण बनाना होगा। सभी लोगों को देशभक्त होना चाहिए लेकिन दुर्भाग्य से आजकल जो अपनी ही भक्ति की भावना पैदा हो गई है, वह नहीं होनी चाहिए। यदि हम अपने देश में चरित्र और करैक्टर नहीं ला सकते हैं तो फिर बड़ी-बड़ी बातें करने से कोई लाभ नहीं होगा। आज भारत में मिशनरीज आकर क्या काम करते हैं वह भी देखना चाहिए। असल में जो देश में गरीबी है वही अभिशाप है। यदि हम गरीबी को समाप्त कर दें तो हमारा देश स्वयं मजबूत बन जायेगा। मजबूती से ही देश की पहचान होती है। कमजोर की बात कौन सुनेगा? इसलिए हमें मजबूत बनना होगा, अपनी शक्ति को बढ़ाना होगा। यही मुझे निवेदन करना था।

श्री महेन्द्र सिंह (गुना) : सभापति महोदय, हमारे प्रधान मन्त्री तथा विदेश मन्त्री को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कठिन व दबाव की राजनीतिक धाराओं के बावजूद सही रूप से नान-एलाइन्ड, तटस्थ रूप में देश की विदेश नीति बनाए रखने के लिए बधाई दूंगा। हमारे देश की जो शुरू से विदेश नीति रही, जिसको नेहरू जी और बाद में श्रीमती इन्दिरा गांधी ने जारी रखा, उसको नान-एलाइन्ड, तटस्थ रूप से भली भांति चलाने के लिए बधाई देना चाहता हूं। छोटे-मोटे मसलों तथा कठिनाइयों के बावजूद पड़ोसी देशों के साथ जो हमारे सम्बन्ध हैं, उनको अच्छा बनाए रखने की कोशिश की गई है जिसके लिए मैं विदेश विभाग के अधिकारियों तथा मन्त्री जी की प्रशंसा करना चाहता हूं। जो भी छोटी-मोटी कठिनाइयां हैं उनको दूर करने के लिए हमें ज्यादा बुद्धिमता तथा अधिक कुशलता का परिचय देना होगा तथा इस सम्बन्ध में जो प्रयास जारी है उसकी भी मैं प्रशंसा करता हूं। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर दुनिया में जो हथियारों की होड़ चल रही है, अमरीका तथा रूस जिस प्रकार से एक दूसरे की होड़ कर रहे हैं, उसमें अपने आपको तटस्थ रखना बहुत जरूरी है। जिस कुशलता से इस कार्य को किया जा रहा है तथा जिस ढंग से यहां पर 105 तटस्थ राष्ट्रों का सम्मेलन सम्पन्न हुआ, जिस तरह से इन्दिरा जी ने तटस्थ राष्ट्रों का ब्लाक बनाया और उसके तहत जिस प्रकार से विदेश व अन्तर्राष्ट्रीय नीति को प्रभावित करने की कोशिश की, उसी को हमारे प्रधान मन्त्री श्री राजीव गांधी जी भी तटस्थ राष्ट्रों के हेड के रूप में जारी रखे हुए हैं। जिसका परिचय अभी-अभी हमारे प्रधान मंत्री ने दिया है। ईराक और ईरान युद्ध को समाप्त करने के लिए हमारे विदेश राज्य मंत्री को भेजा गया और उन्होंने इस बात का प्रयास किया कि इस युद्ध को बन्द कर दिया जाए तथा विश्व में बिगड़ती हुई स्थिति को कन्ट्रोल किया जाए।

सभापति जी, खास तौर से यदि हम पड़ोसी देशों से संबंध की बात करें तो सबसे पहले पाकिस्तान से हमारे सम्बन्धों की बात आती है। पाकिस्तान के हमारे सम्बन्ध अच्छे होने चाहिए। यह इसलिए जरूरी है, क्योंकि हिन्दुस्तान और पाकिस्तान दोनों प्रगति कर सकें। लेकिन कुछ विदेशी ताकतें यह कभी नहीं चाहेंगी कि इस क्षेत्र में बंगला देश, पाकिस्तान और हिन्दुस्तान के सम्बन्ध अच्छे रहें। कारण यह कि यदि ये आपस में लड़ेंगे तो कमजोर होंगे। इसलिए विदेशी ताकतें प्रयास करती रहती हैं कि हमारे सम्बन्ध अच्छे न रहें। इसी प्रयास के तहत अमरीका के प्रतिरक्षा मंत्रालय ने पाकिस्तान को हवा से हवा में मार करने वाले साइड-वाइंडर प्रक्षेपास्त्र देने का निर्णय किया है, जबकि पाकिस्तान की मांग एक हजार की थी। इससे पहले भी अमरीका पाकिस्तान को काफी आणविक शस्त्र दे चुका है और

पाकिस्तान की आणविक क्षमता बढ़ती जा रही है। यह बात मैं खासतौर से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वहां पर प्रजातन्त्र नहीं है, फौजी शासन है और वह कभी भी आणविक शस्त्रों से लैस होकर हमको तकलीफ दे सकता है, परेशान कर सकता है। यह बात हमारे देश के लिए बहुत ही चिन्ता की बात है। इस बात की ओर अमरीका का ध्यान दिलाया जाना चाहिए। हमारे प्रधान मंत्री जी की जून में अमरीका की यात्रा होनी है, ऐसे समय में पाकिस्तान को आणविक शस्त्रों से लैस करने की अमरीका की कोशिश बहुत ही निन्दनीय है। इसके साथ ही साथ हमारे देश में खालिस्तान का मूवमेंट चल रहा है, जो उग्रवादी हैं, ऐसे लोगों को भी अमरीका में शरण मिली हुई है। उन लोगों को भी अमरीका में एक प्रकार से संरक्षण मिला है, इसके खिलाफ तगड़ी कार्यवाही भारत सरकार की ओर से होनी चाहिए। यह हमको अच्छी तरह से उनको बता देना चाहिए कि इस तरह से काम चलने वाला नहीं है।

अमरीका ने पाकिस्तान को एफ-16 के कई विमान दिए हैं और पाकिस्तान को फिर से शस्त्रों से लैस कर रहा है। इन विमानों में 14-14 लाख के साइडवाइंडर प्रक्षेपास्त्र लगने से उन युद्धक विमानों की संहारक क्षमता और भी बढ़ जाएगी, जो कि हमारे देश के लिए खतरा बन सकती है। पाकिस्तान हम पर पहले ही तीन-चार बार हमला कर चुका है। आणविक रूप से पाकिस्तान बहुत आगे बढ़ चुका है। पुलिटजर पुरस्कार विजेता सैमयुअल हर्श के अनुसार बल्व व स्वीचेज के नाम से 50 क्रीओनस स्मगल करते हुए नजीर अहमद वैद्य नाम पाकिस्तानी पकड़ा गया। यह हमारे लिए बहुत ही चिन्ता की बात है। यह एक टाईमिंग डिवाइस है, जो न्यूक्लियर बॉम को ट्राइगर करने के काम में आती है। सैम्युअल हर्ष ने कहा है कि पाकिस्तान अटोमिक इनर्जी कमीशन के उच्चाधिकारों एस० ए० बहु व कर्नल दर के पत्र भी नजीर अहमद वैद्य के पास पकड़े गए हैं। इससे यह साबित हो जाता है कि यह एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। हालांकि अमरीका का जनमत हमारे साथ है। वह यह नहीं चाहता है कि पाकिस्तान को शस्त्रों से सुसज्जित किया जाए। इसी वजह से कार्टर प्रशासन ने पाकिस्तान को शस्त्रों से लैस करने पर प्रतिबन्ध लगा दिया था। वहां की फॉरन रिलेशन्स कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा था :—

[अनुवाद]

पाकिस्तान द्वारा सेटरीफ्यूज एसेम्बली लाइनें जोड़े जाने का पक्का प्रमाण देखा गया। हम जानते हैं कि इस समय पाकिस्तान को बम्ब बनाने के लिए भारी मात्रा में कच्चा माल पहले से प्राप्त हो रहा है। वे पहले ही 100 मिलियन डालर उसके उत्पादन पर व्यय कर चुके हैं।

[हिन्दी]

इसके अलावा पाकिस्तान ने नॉज-पोलिफरेशन-ट्रीटी पर दस्तखत करने से इन्कार कर दिया है और इन्टरनेशनल इन्सपेक्शन के लिए भी उससे मना कर दिया है। यह भी एक चिन्ता की बात है। यह अफसोस की बात है कि अफगानिस्तान में रूसी हस्तक्षेप का बहाना बनाकर अमरीका के कार्टर प्रशासन ने जो प्रतिबन्ध लगाए थे, उन सबको अब रेगन प्रशासन द्वारा हटा लिए गए हैं।

[अनुवाद]

कृपया सिनेटर जान ग्लान की टिप्पणी देखिए :

पाकिस्तान विश्व में अधिक शिल्प विधि को गुप्त रूप से प्राप्त करने में संलग्न है।

[हिन्दी]

1983 में पाक न्यूक्लिअर प्रोग्राम के हैड डा० अब्दुल कादिर ने एम्सटर्डम में न्यूक्लिअर टैक्नालाजी चुराने की कोशिश की, उनको एब्सेन्शिया में वहां कन्विक्ट किया गया। इसी तरह से उच्च-यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट के ब्लू-प्रिन्ट्स चुराने के आरोप में अमरीका और कनाडा में पाक-एजेन्ट्स पकड़े गये। इस लिये पाकिस्तान के मामले में हमको सावधान तो रहना ही है, लेकिन साथ-साथ पाकिस्तान के साथ हमारे सम्बन्ध अच्छे हों, इस दृष्टि से मेरा सुझाव है कि भारत पाकिस्तान के साथ बातचीत करे। हमारे विदेश सचिव वहां गए थे और उन्होंने वहां बातचीत की होगी। हमको किसी तरह से पाकिस्तान को इस बात के लिए तैयार करना चाहिए कि वह हमसे "नो-बम पैक्ट" करे और नो-न्यूक्लियर डिटेन्टे के लिए रूस, अमरीका और चीन गारन्टी दे।

लंका से 50 हजार से ज्यादा शरणार्थी भारत आ चुके हैं। खास तौर से जो मन्नार जिला है वहां से बहुत बड़ी संख्या में शरणार्थी हिन्दुस्तान आ रहे हैं। तमिल भाइयों, खास तौर से दक्षिण भारत के लोगों की भावनाओं का जहां तक सम्बन्ध है, जिस प्रकार श्रीलंका में तमिलों की हत्या की जा रही है, उनकी सम्पत्ति को रोका जा रहा है—यह बहुत चिन्ता की बात है। लेकिन इसमें गुस्सा करने से काम नहीं चलेगा। न यह कहने से कि हिन्दुस्तान को श्रीलंका पर हमला कर देना चाहिए—कोई लाभ होगा, बल्कि यदि हम इस प्रकार की बात करेंगे तो उसका अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए समस्या का हल खोजने के लिए आपसी बातचीत ही ऐसा साधन है जिसके द्वारा जल्दी सफलता मिल सकती है और इसके लिए हमें अपना प्रयास जारी रखना चाहिए।

जहां तक चीन का प्रश्न है, प्रसन्नता की बात है कि दोनों देशों के बीच वार्ता का पांचवां दौर 17 से 20 सितम्बर, 1984 के बीच सम्पन्न हुआ। यह बहुत अच्छी बात है तथा अनेक मामलों में मतभेदों में कमी भी आई है। सांस्कृति, वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिक बातचीत हो रही है, लेकिन असली समस्या चीन के साथ बार्डर की है। इसके लिये हमें बतला देना चाहिए कि इस प्रकार की बातचीत को ज्यादा लम्बा नहीं खींचा जा सकता है। जब तक बार्डर का जो झगड़ा है, जो जमीन हमसे छीन ली गई है उसको लौटाया नहीं जाता है, तब तक हिन्दुस्तान का जो जनमत है उनकी बात को स्वीकार नहीं करेगा। इस लिए चीन के साथ जो भी समझौता किया जाय उसमें भारतीय भूमि पर चीन का कब्जा हटना चाहिए। यदि चीन चाहता है कि मध्य और पूर्वी क्षेत्र में मेकमोहन रेखा की मंजूरी के बदले हम उत्तरी क्षेत्र में अतूसाई चीन का इलाका उसे दे दें तो यह एक गलत मांग होगी और यह कभी सम्भव नहीं होगा। यह बात चीन को बतला दी जानी चाहिए कि समझौता इसी आधार पर हो सकता है कि जो जीते हुए इलाके हैं, वे हमें लौटा दिए जाएं, तभी भारतीय जनमत सन्तुष्ट हो सकेगा और चीन के साथ स्थायी शान्ति हो सकती है।

जापान और कोरिया के साथ हमारे वैज्ञानिक और तकनीकी सम्बन्ध बढ़ रहे हैं—यह अच्छी बात है। खास तौर से एशियन राष्ट्र साउथ-ईस्ट कम्पूचिया की समस्या को हल करने में भारत की रुचि होनी चाहिये तथा हमारा विदेश विभाग इस दिशा में कोशिश कर रहा है।

पश्चिमी एशिया में फिलिस्तीनी जनता को हमारा निरन्तर समर्थन मिलता रहा है तथा भविष्य में भी मिलता रहना चाहिए। लेबनान से ईजराइली सेना की वापसी होनी चाहिए। हमारे प्रधान मंत्री जी ने नान-एलाइण्ड नेशन्ज के अध्यक्ष के रूप में इस दिशा में प्रयास किया है।

अन्त में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं—दक्षिण अफ्रीका की जातिभेद नीति का विरोध तथा उनके स्वतन्त्रता आन्दोलन को समर्थन देने से हमारी प्रतिष्ठा बढ़ी है। नामीबिया में जो हो रहा है,

उसके प्रति हमारी चिन्ता बहुत आवश्यक है और इसके सम्बन्ध में हमें बराबर प्रयास करते रहना चाहिए।

एक बात मैं यह कहना चाहता हूं— ब्रिटेन में खालिस्तानी उग्रवादियों को संरक्षण मिल रहा है-ब्रिटेन को इसके लिए स्पष्ट रूप से भारत का विरोध प्रकट करना चाहिए । जगजीत सिंह चौहान को बी०बी०सी० का उपयोग करने दिया गया और उसने वहां से प्रधान मन्त्री जी की हत्या की धमकी दी—इसके विरुद्ध हिन्दुस्तान की जनता में बहुत ज्यादा आक्रोश है। जब भारत ने अपने हाई कमिश्नर को वहां नहीं भेजा, तब उनके रुख में थोड़ा परिवर्तन आया, अब यह खालिस्तानी नेता वहां बैठे-बैठे उस तरह की भाषा नहीं बोल रहा है जिसका उपयोग वह पहले कर रहा था। अब तो वह कहता है कि मैं बहुत शांतिप्रिय आदमी हूं। मैं ऐसा समझता हूं कि हमको बहुत पहले ही ब्रिटेन को इस सम्बन्ध में बतला देना चाहिए था और ब्रिटेन में तब तक हाई कमिश्नर नहीं भेजना चाहिए जब तक ब्रिटेन वहां के उग्रवादियों पर रोक लगाने को तैयार न हो।

इन शब्दों के साथ मैं विदेश मन्त्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री गौरी शंकर राजहंस (झंझारपुर) : सभापति महोदय, कल इसी सदन में कहा गया था कि आज जो श्रीलंका में हो रहा है और वहां से तमिल लोगों को निकाला जा रहा है, यदि उत्तरी भारत के लोगों के साथ ऐसा होता तो वे समझते कि क्या हो रहा है। मैं उत्तरी भारत का हूं। मैं अपने दक्षिण भारत के भाइयों की भावनाओं को बहुत अच्छी तरह से समझता हूं।

अभी पाँच-छः दिन पहले टेलिविजन पर दिखाया गया कि किस तरह से तमिल शरणार्थी रामेश्वरम् आ रहे हैं। उनके साथ इन्टरव्यू भी दिखाया गया। श्रीमान, भारत एक है और हमारी सहानुभूति उन लोगों के साथ है जिन पर यह जुल्म ढाया जा रहा है। मैंने देखा कि रोती हुई महिलाएं कह रही थीं कि किस तरह से उनके पतियों और बच्चों को गोली मार दी गयी और जब संवाददाता ने उनसे पूछा कि अगर श्रीलंका में वहां पर आम दिनों जैसी स्थिति कायम हो जाए तो वे वहां पर वापस जाना चाहेंगी। इस पर उन्होंने कहा कि हमें हिन्दुस्तान में भूखे मर जाना स्वीकार है लेकिन हम श्रीलंका वापस नहीं जाएंगी।

श्रीमान्, मैंने जब रोती हुई महिला को देखा तो मुझे सीता की याद आ गयी। मैंने पहले भी इस सदन में कहा था कि मैं सीता की जन्मभूमि से आता हूं। एक बार पहले भी सीता की आह ने लंका में तबाही मचा दी थी, आज फिर से सीता की आह आ रही है, मुझे डर है कि कहीं फिर से इतिहास दोहराया न जाए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि फिर से किसी महिला की आग लंका में न लग जाए। आज जो कुछ भी वहां हो रहा है उसे हम आंख मूंद कर नहीं देख सकते। हमारा स्वार्थ उसमें छिपा है।

मैं लौट कर आपको उन दिनों की ओर ले चलता हूं जब चीन ने तिब्बत के लोगों को परेशान किया था। उस वक्त भारत ने कहा था कि यह चीन का आंतरिक मामला है। उस वक्त भी तिब्बत से लाखों शरणार्थी भारत आ रहे थे। उस वक्त भी हमने बहुत भयानक भूल की। अगर उस समय हमने यह भूल न की होती तो भारत में जो एक लाख तिब्बती शरणार्थी हैं वह भारत पर बोझ बनकर नहीं रह जाते और आज अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का रुख दूसरा होता।

अगर आज आप यह कहें कि यह समस्या श्रीलंका का निजी मामला है तो यह मैं मानने के लिए

तैयार नहीं हूं। यह समस्या बहुत भयंकर है और यह समस्या बहुत ही विस्फोटक रूप धारण कर लेगी अगर हम समय रहते नहीं चेते। आज जो कुछ श्रीलंका में हो रहा है, ऐसा विश्व में कहीं भी नहीं हुआ। दूसरे विश्वयुद्ध के समय जिस तरह से हिटलर ने अपने यहां के लोगों पर अत्याचार किए थे उसी तरह के अत्याचार श्रीलंका में भी निर्दोष लोगों पर किए जा रहे हैं और उन्हें मारा जा रहा है। आखिर वे लोग जायेंगे तो जायेंगे कहां। आज ये शरणार्थी एक लाख हैं, कल दो लाख हो जाएंगे, फिर तीन लाख और पांच लाख भी हो सकते हैं। इससे भी भयानक बात यह है कि आज आप श्रीलंका से शरणार्थियों को यहां आने दीजिए, कल को इस समस्या का दूसरे देशों के साथ भी हमें सामना करना पड़ सकता है और वहां से भी भारतमूल के लोगों को निकाला जा सकता है।

मैं नेपाल के बार्डर पर रहता हूं। वहां पर पहाड़ी लोग तराई के भारत मूलक लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं मैं अच्छी तरह जानता हूं, अगर हमने समय रहते इस ओर ध्यान न दिया तो दो साल बाद नेपाल में भी यही समस्या हमें देखने को मिलेगी जो आज श्रीलंका में देखनी पड़ रही है। इस समस्या का दुनिया के दूसरे देशों में हमें सामना करना पड़ सकता है।

मैं तो यह कहता हूं कि यहां पर एक ऐसा मन्त्रालय होना चाहिए जो विदेशों में रहने वाले भारतमूल के लोगों के हितों को देखे। अगर इसी तरह से दुनिया के देशों से भारतमूल के लोग निकाले जायेंगे और वे यहां पर आते जाएंगे तो भारत की जनसंख्या तेजी से बढ़ती जाएगी। श्रीलंका की समस्या मामूली समस्या नहीं है। आज वहां से भारतमूल के लोगों को निकाला जा रहा है, कल को कैनाडा से भी निकाला जा सकता है और कहीं से भी उन्हें निकाला जा सकता है। इसलिए इस समस्या को बहुत गम्भीरता से देखना चाहिए।

जब हम विदेश में जाते हैं तो हमसे अक्सर पूछा जाता है कि क्या बात है कि आपकी चीन से नहीं पट रही है, बंगला देश से नहीं पट रही है, पाकिस्तान से नहीं पट रही है, श्रीलंका से भी नहीं पट रही है। इसके उत्तर में हमारे पास कहने को कुछ भी नहीं होता। हमें उस साधु की याद आती है जिसने सांप से कहा था कि तुम्हें तो काटने के लिए मना किया था, फुफकारने के लिए थोड़े ही मना किया था। इसलिए हम अपने दांत तो दिखाएं। आज जिस बंगलादेश को हमने आज़ादी दिलाई, उस बंगलादेश की आज हालत यह है कि वह हमें वहां पर तार नहीं लगाने दे रहा है, तबाह किए हुए है। हम अपने पूर्वी क्षेत्र में तबाह हो गए हैं। नेपाल भी ऊपर से दोस्ती की बात कर रहा है, लेकिन वहां पर हिन्दुस्तानियों के साथ जो बर्ताव कर रहा है वह किसी से छिपा हुआ नहीं है। यह बात ठीक है कि हम उन लोगों से दोस्ती का व्यवहार करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि उनके साथ बड़े भाईजैसा व्यवहार करें, लेकिन हमें भी तो उतनी इज्जत वहां से मिलनी चाहिए। नेपाल आज कह रहा है कि हमें पीस ज़ोन बनाओ, पीस जोन बनाओ, आखिर ऐसी कौन-सी आफत आ गयी है जो वह इस तरह की बात कर रहा है। श्रीमन, मैं कहता हूं कि ये जो समस्यायें है, अपने पड़ौसियों के साथ जो समस्याएं हैं, ये बड़ी गंभीर समस्यायें हैं। आपने अखबारों में देखा होगा कि श्री रमेश भण्डारी श्रीलंका गए और देश विदेश के अखबारों में चर्चा हो गई कि कोई सीक्रेट अंडरस्टेंडिंग हुई है। मैं कहना चाहता हूं कि श्री रमेश भण्डारी गए थे श्रीलंका तो सबसे पहले मंत्री जी को इस सदन में बयान देना चाहिए था कि क्या उन्होंने अंडरस्टेंडिंग की है। अखबारों में रिपोर्ट आई कि अंडरस्टेंडिंग हुई है कि भारत कहेगा कि हम टेररिस्ट्स एक्टीविटीज में विश्वास नहीं करते हैं, इसलिए लंका सरकार जो चाहे तमिलों के साथ करे। सरकार को इस बात का स्पष्टीकरण करना चाहिए कि रमेश भण्डारी ने वहां पर क्या बात की। मैं कहता हूं कि जनता के प्रतिनिधि इस तरह का इंटरव्यू दें, ब्यूरोक्रेट्स को इंटरव्यू देने का कोई

अधिकार नहीं है। यह जानना है श्रीमन्, हमें जनतन्त्र के मुताबिक ही काम करना चाहिए। जिन लोगों ने हमें जिताकर भेजा है, वे लोग कहते हैं कि किसी अधिकारी को क्या हक है कि वह पालिसी-स्टेटमेंट दे। इसलिए हम जनता के प्रतिनिधि होने के नाते जानना चाहते हैं कि वहां पर क्या अंडर-स्टैंडिंग हुई है। (व्यवधान) इन समस्याओं को आप गम्भीरता से सोचिए। हम चाहते हैं कि अपने पड़ौसियों से सम्बन्ध सुधरें, लेकिन हम यह नहीं चाहते हैं कि कोई दया की भीख हमें दे। हमें अपने को मजबूत बनाना चाहिए। आज समय आ गया है कि जब हम सारी समस्याओं पर सावधानी से सोचें।

आज हम पाकिस्तान को मिठाई भेज रहे हैं और पाकिस्तान हमें फन भेज रहा है। श्रीमन् मैं भी अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का विद्यार्थी हूं, मुझे याद है कि चीन के साथ भी यही होता था। लोग कहते थे कि चीन कभी नहीं चढ़ाई करेगा, क्योंकि चीन तो हमारा साथी है, दोस्त है, क्योंकि चीन कहता है कि चीन ने और हमने साथ-साथ अंग्रेजों के अत्याचार सहे हैं। हम इस भूल-भुलैया में रह गए कि चीन कभी हमारे साथ कुछ नहीं करेगा, लेकिन चीन ने जो चाल मारी, उससे हम आज तक नहीं निकल पा रहे हैं। महोदय, मेरा कहना है कि हम रियलिस्टिक बनें प्रैक्टीकल बनें। जब तक हम दांत नहीं दिखायेंगे, टीथ नहीं दिखाएंगे, तब तक कोई हमारी इज्जत नहीं करेगा। हम अपने को इस तरह से बनाएं, जिससे लोग हमारी इज्जत करें। हमारे लिए नेशनल इंटरेस्ट से बढ़कर दुनिया में कोई चीज नहीं है। जब तक हम मजबूत नहीं होंगे, दूसरे हमारी इज्जत नहीं करेंगे। धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर) : महोदय, किसी देश की विदेश नीति उसके पूरे विश्व के साथ संबंधों को समाहित किए हुए होती है। माननीय सदस्यों ने उसके राजनीतिक और आर्थिक पक्ष पर बल दिया है। मैं उसके आर्थिक पहलू पर बल दूंगा। मेरे मित्रों का कथन है कि निरस्त्रीकरण आणविक शस्त्रों पर रोक संबंधी भारतीय प्रयासों पर शक्तिशाली देश इसलिए ध्यान नहीं देते क्योंकि भारत स्वयं शक्तिशाली नहीं है। यह शक्ति आर्थिक विकास से पैदा होगी। स्वतन्त्रता के बाद इसने शुरू में ही समझ लिया था कि हमें आर्थिक दृष्टि से आत्म-निर्भर होना चाहिए और तभी हमारी प्रभुसत्ता की रक्षा हो सकती है। हम केवल राजनीतिक उद्देश्यों से ही गुटनिरपेक्ष नहीं रहे हैं परन्तु इसके पीछे, दीर्घकालीन आर्थिक उद्देश्य भी है।

4.00 म० प०

हमारी विदेश नीति ऐसी होनी चाहिए कि हम एक कम विकसित देश के रूप में आगे बढ़ सकें। हमें स्वतन्त्रता के समय की अपनी निर्धनता से अवश्य ऊपर उठना चाहिए। ऐसा तभी सम्भव है यदि हम संसाधनों के बहुत अधिक भाग को रक्षा प्रयोजनों के लिए न लगायें। गुटनिरपेक्ष रहने का एक कारण यह भी है हम शान्तिपूर्ण उपायों से विकास कार्यों में अपने संसाधनों को लगाना चाहते हैं। हम अपने लक्ष्य को अपेक्षित सीमा तक प्राप्त नहीं कर पाये। जैसे-जैसे समय व्यतीत होता है हम देखते हैं कि हमारे संसाधनों का अधिक अंश रक्षा प्रयोजनों के लिए लगने लगा है। हम अपने देश का विकास न केवल अपने संसाधनों से अपितु अन्य देशों से संसाधन प्राप्त करके भी करना चाहते हैं, जो कि पहले से धनी तथा विकसित हैं। हमने कुछ अन्य साधनों से ऋण लेने के प्रयास किए हैं जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि तथा विश्व बैंक से सहायता प्राप्त करते हैं जोकि निर्धन देशों के लिए नहीं अपितु धनी राष्ट्रों द्वारा अपने लिए गठित किए गए थे, ताकि धनी देश द्वारा युद्ध से विनष्ट दूसरे धनी देश को सहायता दी जा सके। परन्तु हम उनका कुछ उपयोग पांचवे और छठे दशक में कर

पाये हैं। सातवें दशक के दौरान भी संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा निर्धन देशों को वित्तीय सहायता के लिए कुछ नई संकल्पनायें तैयार की हैं। हमने उनसे कुछ लाभ उठाया है। परन्तु हम देखते हैं कि यह प्रणालियाँ अधिक जटिल बन गई है। सातवें दशक के मध्य से नई आर्थिक नीति के लिए एक आन्दोलन शुरू हुआ। शुरू में इसे हमने आरम्भ नहीं किया था अतः हम उसका श्रेय नहीं ले सकते। यह लेटिन अमरीकी देशों द्वारा विकसित देशों के कुछ कवियों द्वारा जिनकी विकासशील देशों के प्रति सहानुभूति है शुरू किया गया था। ब्रानट आयोग का चेयरमेन भी एक धनी—देश पश्चिमी जर्मनी का नागरिक है जो धनी राष्ट्रों से निर्धन राष्ट्रों को संसाधनों के स्थानान्तरण का पक्षपाती है तथा इस कार्य के लिए उन्होंने धनी राष्ट्रों के कुल राष्ट्रीय उत्साह के लिए 1 प्रतिशत की राशि नियत की है। इसके बावजूद हम देखते हैं धनी देशों द्वारा गरीब देशों को वित्तीय सहायता दिया जाने की शर्तें अत्यन्त कठोर हो गयी हैं। कम से कम सातवें दशक के मध्य में नरम शर्तों पर प्राप्त ऋण प्रणाली अब समाप्त होती जा रही है। वास्तव में संयुक्त राष्ट्र अमरीका जोकि सबसे बड़ा दाता देश रहा है धीरे-धीरे पीछे हट रहा है। उन्होंने एक अत्यन्त महत्वपूर्ण संगठन 'यूनेस्को' से तो अपने को पृथक कर लिया है। अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण (आई० डी० ए०) के ऋण की इस वर्ष की .16 बिलयन डालर की सहायता देने से भी उन्होंने इन्कार कर दिया है। उसे घटा कर पिछले वर्ष से इसे कम करके .9 बिलयन डालर कर दिया गया है।

हम केवल अपने ही लाभ तथा आर्थिक उत्थान के लिए कार्य नहीं करते। हमारा एक अन्य कर्त्तव्य भी है जोकि अपने से कम सौभाग्यशाली गरीब देशों के प्रति है जोकि हमारे देश से छोटे तथा कम शक्तिशाली हैं। हम ऐसी स्थिति में हैं कि हम तीसरे विश्व के देशों, जिनकी संख्या भी बहुत अधिक है, का प्रतिनिधित्व करते हैं, और उनकी आवाज उठाते हैं उनके शीघ्र विकास की आवश्यकता है। उदाहरण के तौर पर अफ्रीका में हमारा विश्व के एक से कम विकसित देश है जहां पर कि लोग भारत में भी अधिक संख्या में भूख और कुपोषण से मरते हैं। हमें कुछ हद तक उनका नेतृत्व भी करना होता है। हमने नए अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की वकालात की है फिर यह संकल्पना भी हमारे द्वारा शुरू नहीं की गयी। परन्तु हमने इसे हाथ में ले लिया है तथा इसके लिए कार्य किया है। परन्तु इसके लिए अभियान चला कर हमें क्या उपलब्धि हुई है। यह मुख्य बात है। मेरा मत है कि बेशक हम बहुत सी बातें कहते हैं बेशक हम कहते हैं कि ब्राटन वुडस द्वारा तैयार की गई आर्थिक संरचना का पुनर्गठन किया जाना चाहिए।

संयुक्त राष्ट्र महासंघ के तत्वाधान में या किसी और के तत्वाधान में इस बहुद्देश्शीय आर्थिक प्रणाली के लिए अधिक राशि अदा करने के लिए विकसित देशों पर कोई जिम्मेदारी अवश्य होनी चाहिए ताकि संसाधनों का अन्तरण किया जा सके, प्रौद्योगिकी का अन्तरण किया जा सके, तृतीय विश्व के देशों के विकास के लिए आवश्यक समस्त सम्बन्धों में परिवर्तन किया जा सके तथा उन प्रणालियों को युक्तिसंगत बनाया जा सके। यह एक नई अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था है। इस अन्तर-राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के लिए आवश्यक है कि व्यापारिक प्रतिबन्ध कम किए जाएं, ब्याज की दर में कमी की जाए तथा प्रौद्योगिकी का अन्तरण एक औद्योगिक घटाने से दूसरे औद्योगिक घटाने में तथा एक देश से दूसरे देश के आधार पर न होकर, बहुउद्देशीय ऐजेन्सियों के माध्यम से होना चाहिए। लेकिन हम इन सभी चीजों की मांग केवल सम्मेलनों में ही कहते हैं। हमारी समस्त राजनयिक प्रणाली की यही कार्य विधि रही है—कि हम सम्मेलनों में मिलते हैं, हम चर्चा करते हैं हम घोषणा करते हैं तथा फैसले बताते हैं तथा फिर रात्रि भोज या प्रतिभोज के बाद इधर-उधर हो जाते हैं तथा इसके बाद कुछ नहीं होता। वास्तव में यही सब हम करते आ रहे हैं। यह सम्मेलन की राजनीति है कि पहले सम्मेलन

करो फिर प्रीतिभोज या रात्रिभोज तथा फिर घोषणा तथा उसके बाद कोई अनुवर्ती कार्रवाई नहीं। हम कितनी ही बार मिल चुके हैं। हम कैरकास में मिले थे। उस समय हमने कई चीजों की युक्तियां निकाली थीं, विकासशील देशों के बीच आर्थिक सहायता के लिए बहुत से कार्यक्रम शुरू किए थे, व्यापार तरजीह की एक विश्व प्रणाली निकाली थी, तथा विकासशील देशों के लिए एक बैंक बनाया था जिसको संक्षेप में दक्षिण बैंक कहा गया था उसके बाद फिर ऐशिया क्षेत्रीय सहयोग। इस तरह की सभी चीजों के बारे में विचार किया था। पर आधारित बड़ी बड़ी चीजों की कल्पना तो करते हैं। हम चर्चा करते हैं तथा हम नीति सम्बन्धी फैसलों की भी घोषणा कर देते हैं। पर बाद में इस पर कोई कार्रवाई नहीं करता। यहां तक कि दक्षिण एशिया के देशों के सम्मेलन तथा एशियाई क्षेत्रीय सहयोग के बारे में भी कुछ नही किया गया है। जैसाकि श्री दंडवते ने कहा है कि दक्षिण के देशों के बीच और अधिक सहयोग होना चाहिए। हम इसके बारे में विचार करते आ रहे हैं, बात करते आ रहे हैं तथा हम इस पर निर्णय भी लेते आ रहे हैं। इस पर विचार करने के लिए हमने समितियां भी नियुक्त की हैं परन्तु अभी तक कोई ठोस उपलब्धि नहीं हो पाई। विकास बैंक के बारे में कुछ भी नहीं किया गया। हम इस स्थिति पर पहुंच गए हैं कि भारत अपने निकट के पड़ोसियों, जैसे नेपाल तथा भूटान के बारे में बहुत कम कार्य कर रहा है। हम क्या कर रहे हैं ? इस रिपोर्ट में जो आंकड़े किए गए हैं वे बहुत ही कम हैं अर्थात् केवल 6.5 करोड़ रुपए। सन् 1984-85 के दौरान इस ओर बस इतना ही खर्च किया गया। इन दो पड़ोसियों के साथ तो अभी तक हमारी किसी किस्म की कोई शत्रुता नहीं है। हमारी थोड़ी-सी शत्रुता बंगला देश के साथ है, थोड़ी-सी पाकिस्तान के साथ है तथा थोड़ी-सी श्रीलंका के साथ है परन्तु इन दोनों पड़ोसियों के साथ हमारे शान्तिप्रिय सम्बन्ध हैं। परन्तु इन देशों को हम सहायता के रूप में क्या दे रहे हैं ? केवल 6.5 करोड़ रुपए। हमें इसे रिपोर्ट में दिखलाते हुए शर्म आनी चाहिए थी। हमें चाहिए कि इसमें वृद्धि की जाए।

जहां तक दक्षिण एशिया के दूसरे देशों का सम्बन्ध है हम क्या कर रहे हैं ? तकनीकी जानकारी के रूप में क्या हमारे पास पर्याप्त संसाधन नहीं हैं ? वे हमारे पास हैं। परन्तु जिस प्रकार हम प्रौद्योगिकी का अन्तरण अपने देश के गरीबों को नहीं कर रहे वैसे ही हम इसे दक्षिण एशिया के देशों को भी नहीं दे रहे। हम उनसे कई प्रकार से फायदा उठा सकते हैं। हमारी घोषणायें एक अलग चीज हैं तथा वास्तव में यह है कुछ और। हम पश्चिम का मुंह ताकते रहते हैं हमारी राजनयिक सेवा में आप किसी व्यक्ति को नेपाल या भूटान में नियुक्त करने का प्रयास कीजिए। वह उसे पसन्द नहीं करेगा। उसे न्यूयार्क या वाशिंगटन या लन्दन, पेरिस या जर्मनी भेज दीजिए, वह इस पर उछल पड़ेगा। यह हमारा रवैया है क्योंकि वहां प्रीतिभोज तथा सुख सुविधा और आराम अधिक है।

हमें रवैया बदलना होगा। क्योंकि जब तक ऐसा नहीं किया जाएगा हम कुछ भी नहीं कर सकते। केवल रात्रिभोज सम्मेलनों से आपको सफलता नहीं मिल सकती। हमें अपने देश के लोगों को गतिशील बनाना होगा। जैसे कि परमाणु युद्ध तथा 'स्टार वार' के खतरे की घोषणा करने के सिवाय, हम इसके बारे में कुछ भी नहीं कर पाए हैं, हम अपने लोगों को भी गतिशील नहीं बना पाए हैं। हम अमरीका में उन लोगों के समूहों के साथ भी सम्बन्ध स्थापित करने में सफल नहीं हुए हैं जो खुद अमरीका के बजट में कटौती करने का प्रयास कर रहे हैं। उस लक्ष्य की ओर हमने क्या किया है ? हमने कुछ भी नहीं किया। हमने उन समूहों को प्रोत्साहित करने या उनके साथ सम्बन्ध स्थापित करने के लिए कुछ भी नहीं किया है जो यह कहने का प्रयास कर रहे हैं कि विकसित देशों से संसाधनों का अधिक मात्रा में अन्तरण कम विकसित देशों को किया जाए। यह हमारा रात्रिभोज की राजनीति है।

इस प्रकार के राजनीतिक सम्मेलन समाप्त होने चाहिए तथा कुछ कार्रवाई होनी चाहिए। अगली बार जब आप अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें तो आप यह कहने योग्य हों कि यह ठोस चीजें हमने की हैं तथा यह नहीं कहना कि आपने प्रयास तो किया था परन्तु उससे कुछ प्राप्त नहीं हुआ। महोदय, हमें आशा है कि जो हम अब कह रहे हैं उसकी ओर कुछ ध्यान दिया जायेगा। विदेश मन्त्री यहां मौजूद हैं। उन्हें यह देखना है कि जो भी काम निर्धारित किया जाए उन्हें लागू किया जाना चाहिए तथा यह नहीं होना चाहिए कि प्रयास तो बहुत किए गए हैं परन्तु उनसे कुछ उपलब्धि नहीं हुई। जब हम अगली रिपोर्ट पर वाद-विवाद करें तो इसका सार ऐसा नहीं होना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री जैनुल बशर (ग़ाजीपुर) : सभापति महोदय, जब हम विदेश के मामले पर चर्चा कर रहे हैं तो हमारी आंखें सबसे पहले अपने पड़ोसी देशों की तरफ जाती हैं। उनके साथ सम्बन्धों के मामले में हमारे देश की हमेशा यह नीति रही है कि उनके साथ शांति और मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम रखें। वर्षों से हमारी विदेश नीति के संचालन का उद्देश्य और ध्येय यही रहा है, लेकिन उसमें हमें कहां तक सफलता मिली है, इसके बारे में अगर देखें तो हम आसानी से कह सकते है कि हम बहुत हद तक सफल नहीं हुए हैं।

चीन और पाकिस्तान हमारे पड़ोसी हैं और उनसे हमारी लड़ाई हो चुकी है। बंगला देश, जिसको बनाने में हमारे देश ने बड़ी सहायता की, उससे भी आज हमारे सम्बन्ध अच्छे नहीं दिखाई देते। श्रीलंका के सम्बन्ध में भी हमारे सम्मानित सदस्यों ने जिन घटनाओं का उल्लेख किया है, उन्हें सभी जानते हैं कि वहां क्या कुछ हो रहा है, उससे भी हमारे सम्बन्ध अच्छे नहीं हैं।

आखिर क्या कारण है कि हमारी अच्छी नीयत, ठीक भावनाओं और सारे प्रयासों के बावजूद भी हमारे सम्बन्ध पड़ोसी देशों के साथ ऐसे नहीं हैं जैसे हमारी सरकार, जनता और हम चाहते हैं?

इसका कारण मैं यह समझता हूं कि हमारे पड़ोसी देशों में ऐसी सरकारें हैं, जो वहां की जनता के द्वारा चुनी हुई नहीं हैं। पाकिस्तान, बंगला देश और बर्मा में आज फौजी हुकूमत है। श्रीलंका में परोक्ष रूप से पीछे से फौजी ही शासन कर रहे हैं। यह इतिहास है कि जहां-जहां भी फौजी शासक और फौजी सरकारें होती हैं, वह किसी-न-किसी प्रकार अपने पड़ोसी देशों या दूसरे देशों से नफरत की भावना पैदा कर के शासन में बने रहना चाहती हैं। पाकिस्तान ने हमेशा भारत से नफरत की बुनियाद पर फौजी शासन पाकिस्तान में कायम रखा। बंगलादेश ने भी इसी की सीख ली है और वहां भी फौजी भारत से नफरत और फीअर की साइकलोजी पैदा करके वहां अपना शासन कायम रखना चाहते हैं। श्रीलंका में भी फौजी यही काम कर रहे हैं। वह हमारे तमिल भाइयों पर जो कि श्रीलंका में रह रहे हैं, उन पर अत्याचार करके, दमन की कार्यवाही करके श्रीलंका में अपना फौजी शासन कायम रखना चाहते हैं।

मैं समझता हूं कि हमें अपने पड़ोसी देशों के साथ विदेशी नीति में दो तरफ से कार्यवाही करनी पड़ेगी। एक तो हमें वहां की सरकारों के साथ सम्बन्ध स्थापित करने पड़ेंगे और दूसरे वहां की जनता के साथ भी हमें अपने सम्बन्ध स्थापित रखने पड़ेंगे। जब भी इन देशों में जनतंत्र रहा है, तब हमारे सम्बन्ध अच्छे हुए हैं। मैं एक मिसाल देना चाहता हूं। स्वर्गीय जुल्फिकार-अली-भुट्टो जब सैनिक तानाशाह के साथ वहां के विदेश मंत्री थे तो वह भारत के साथ एक हजार साल की लड़ाई की बात किया करते थे और वही भुट्टो जब जनतांत्रिक पाकिस्तान के प्रधान मंत्री हुए तो भारत और

पाकिस्तान के सम्बन्धों के सुधार में उन्होंने अग्रणीय भूमिका अदा की और चैम्पियन बन भारत और पाकिस्तान सम्बन्धों में सुधार किया, लेकिन जब फिर वहां फौजी शासन आया तो हमारे सम्बन्ध वहां से बिगड़ने शुरू हो गये। उसी तरह बंगला देश में जब मुजीबुर्रहमान की सरकार थी, जब वहां जनतांत्रिक सरकार थी तो हमारे सम्बन्ध बंगला देश से बहुत अच्छे थे, लेकिन जब वहां पर फौजी सरकार आई, सेना की सरकार आई तो बंगला देश से हमारे सम्बन्ध खराब होते गये। इसलिये मैं समझता हूं कि पड़ोसियों के सम्बन्ध के मामले में हमें वहां की जनता से भी सम्बन्ध स्थापित करने होंगे।

आज पाकिस्तान और बंगला देश में जनतांत्रिक शक्तियां मोर्चा लिये हैं। आज वहां के लोग जनतंत्र को कायम करने के लिये, डेमोक्रेसी को बहाल करने के लिए पाकिस्तान और बंगला देश में संघर्ष कर रहे हैं। वह चाहते हैं और देखते हैं कि भारत में जिस प्रकार से जनतंत्र ठीक प्रकार से काम कर रहा है तो बंगला देश और पाकिस्तान में जनतंत्र ठीक प्रकार से कायम क्यों नहीं हो सकता। इसके लिये वह संघर्ष कर रहे हैं, इसके लिए आवश्यक है कि हमारी सरकार, हमारे देश की जनता इस प्रकार के संघर्षों पर नैतिक समर्थन दे, मॉरल सपोर्ट उनको देनी चाहिए क्योंकि जब तक वहां सैनिक सरकार रहेगी हमारे पड़ोसी खासकर बंगला देश और पाकिस्तान से हमारे सम्बन्ध सुधर नहीं सकते। जब वहां जनतांत्रिक सरकारें, जनता की चुनी हुई सरकार वहां वापिस आ जायेंगी तो मुझे पूरी आशा है कि हमारे और वहां के लोगों के सम्बन्ध सुधर सकते हैं।

पाकिस्तान और बंगला देश के साथ हमारे ऐतिहासिक सम्बन्ध हैं, हमारा खून का रिश्ता है।' हमारी संस्कृति का, हमारे कल्चर का रिश्ता है। इन लोगों को हम से केवल फौजी तानाशाह अलग किये हुए हैं। वहां की जनता और हम एक हैं और हम एक साथ मिलकर शांति के साथ रहना चाहते हैं।

सभापति जी, श्रीलंका के मामले में हमारी सरकार कदम उठा रही है। तमिल लोगों के जीवन की रक्षा के लिये जिस प्रकार से सरकार कदम उठा रही है, मैं उसके बारे केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि सरकार थोड़ा अपना रुख कड़ा करे क्योंकि जिस प्रकार से नरसंहार की सूचनायें भारत में आ रही हैं, जिस प्रकार से शरणार्थी भारत में आ रहे है, वह सारी बातें बता रही हैं। उससे हमारे देश के लोगों का गुस्सा होना स्वाभाविक ही है। मैं अपने तमिल भाइयों को यह बताना चाहता हूं कि जितना गुस्सा उनको है, उतना गुस्सा देश के सभी भाग के लोगों को है। हम उसमें उनसे पीछे नहीं हैं और हम चाहते हैं कि सरकार को इस मामले में कड़ा रुख अपनाना होगा। हम यह नहीं कर सकते, जैसाकि हमारे साथियों ने कहा कि हम फौजी कार्यवाही करें, लेकिन फौजी कार्यवाही का समय अभी नहीं आया है, इसलिये फौजी कार्यवाही से कम जितनी भी सख्त कार्यवाही हो, हमें उठानी चाहिये। श्रीलंका दुश्मनों का व्यवहार कर रहा है। वह पाकिस्तान इज्राइल से जासूस मंगा रहा है, इसलिये श्रीलंका के बारे में हम को फिर से गौर करना होगा और जो भी सख्त रवैया अपनाना हो, उसे अपनाना होगा, अन्यथा लोगों की जो भावना है, वह और उग्र होती जायेगी।

सभापति जी, अब मैं आपका ध्यान पश्चिमी एशिया की तरफ ले आना चाहता हूं। पश्चिम एशिया के देशों से हमारे सम्बन्ध हमेशा बहुत अच्छे रहे हैं। पश्चिम एशिया के देशों की आजादी के मामले में पश्चिम एशिया के देशों में जब भी कोई घटना घटी है, भारत ने हमेशा उनका साथ दिया है। अभी जो ईरान और ईराक के बीच जो लड़ाई हो रही है वह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। यह लड़ाई कई वर्षों से चल रही है, तीन चार वर्षों से चल रही है और इसका अन्त समझ में नहीं आता। हमारे प्रधान मन्त्री ने निर्गुट राष्ट्रों के सम्मेलन के अध्यक्ष के नाते जो कदम उठाए हैं वह सराहनीय हैं।

हमारे विदेश मंत्रालय के जो राज्य मन्त्री हैं। खुर्शीद आलम खां साहब, ये ईराक और ईरान गए थे और इन्होंने काफी कोशिश की है कि वहां लड़ाई खत्म हो। वह लोग अपने मतभेद भुला कर बातचीत के द्वारा अपनी समस्याओं का समाधान करें। इसमें उनको कुछ सफलता भी मिली है। हम चाहेंगे कि जब वह अपना जवाब देंगे इस वहम का तो ईरान और ईराक के सम्बन्ध में जो कार्यवाही सरकार की तरफ से हुई है खास तर जो उन्होंने कार्यवाही की है उसका क्या नतीजा निकला है और कितनी जल्दी यह लड़ाई खत्म होने की सम्भावना है, इसके बारे में बताएंगे।

अन्त में मैं एक प्वाइंट और कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। हमारे जो एशियान और अफ्रीकन देश हैं उनके साथ जिस तरह से हमारे सम्बन्धों में बढ़ोत्तरी होनी चाहिए थी उस तरह से नहीं हो रही है। इन देशों के साथ सम्बन्ध बढ़ाने में हमको कुछ ज्यादा दिलचस्पी लेनी चाहिए। केवल राजनैतिक कारणों से नहीं बल्कि हमारे जो पड़ोसी देश हैं, जो हमारे क्षेत्र के देश हैं इनके साथ हमारे आर्थिक सम्बन्धों में भी इससे वृद्धि हो सकती है और बहुत बड़ा बाजार हमको मिल सकता है। हमारे पक्के और कच्चे माल के लिए एशिया और अफ्रीका के देश बहुत बड़े बाजार वाले देश हैं। मैं एक सुझाव इस सम्बन्ध में देना चाहता हूं कि जैसे यूरोपियन कामन मार्केट है वैसे ही क्या हम एशियन कामन मार्केट या अफ्रो-एशियन कामन मार्केट की शुरुआत करने के लिए पहल नहीं कर सकते ? ऐसे कामन मार्केट की शुरुआत से उन देशों के साथ हमारे आर्थिक संबंध अच्छे होंगे और हम आपस में मिलजुल कर आगे बढ़ सकते हैं। जब हमारे आर्थिक सम्बन्ध अच्छे होंगे तो हमारे राजनैतिक सम्बन्ध भी अच्छे होंगे। यह हमारे क्षेत्र के देश हैं इनके ऊपर हमें विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए।

इस मामले में एक सुझाव यह देना चाहूंगा कि इन एशियन और अफ्रीका देशों में हमारे जो दूतावास हैं चाहे वह छोटे ही देश हैं लेकिन उनका स्तर हमें बढ़ाना चाहिए, उनका स्टाफ बढ़ाना चाहिए और भारत के बारे में, भारत की अर्थ-व्यवस्था के बारे में, भारत के व्यापार, भारत की सभ्यता और संस्कृति के बारे में उन देशों में ज्यादा प्रचार करना चाहिए और इस बात की पूरी कोशिश करनी चाहिए कि उन देशों के साथ जो हमारे क्षेत्र के देश हैं हमारे सम्बन्ध काफी मधुर हों, काफी अच्छे हों।

इन शब्दों के साथ मैं विदेश मन्त्रालय के अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री डालचन्द्र जैन (दमोह) : सभापति महोदय, जो डिमांड संख्या 28 विदेश मन्त्रालय की 1.9 करोड़ रुपए की राजस्व व्यय की और 75 करोड़ की पूंजी व्यय की पेश हुई है उसका मैं समर्थन करता हूं। साथ ही साथ आपके माध्यम से एक बात सदन के ध्यान में लाना चाहता हूं कि 25 करोड़ रुपये की पूंजीगत व्यय के लिए प्रावधान किए गए हैं उसमें ज्यादातर दूतावास के निर्माण के लिए व्यय रखा गया है, मैं कहना चाहता हूं कि अभी जो व्यवस्था हो अगर उससे काम चल सकता हो तो इस तरह का यह खर्च हमको बचाना चाहिए। अभी इस देश में, अध्यक्ष महोदय कह रहे थे कि स्कूल बिल्डिगें हैं लेकिन खेलने के ग्राउन्ड नहीं हैं, तो ऐसी जगह स्कूल न खोले जायें जहां खेलने के लिए ग्राउन्ड न हों। देश में स्थिति यह है कि जहां प्राइमरी स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं वहां उनके लिए स्कूल की बिल्डिंग नहीं है, बिल्डिंग है तो उस पर छप्पर नहीं है और छप्पर है तो बच्चों के बैठने के लिए कोई चीज नहीं है। जो आवश्यक हो वह जरूर होना चाहिए। यदि किसी भी तरह से बचत की जा सकती है तो मैं चाहूंगा बचत की जाए।

पड़ोसी देशों के साथ जो हमारी विदेश नीति है, गुट-निरपेक्षता और अन्तर्राष्ट्रीय शक्ति की, उसमें निश्चित रूप से भारत का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है और गुट-निरपेक्षता सम्मेलन के हमारे माननीय प्रधान मन्त्री अध्यक्ष हैं यह इस बात का सबूत है कि गुट-निरपेक्षता की नीति आज सारी दुनिया चाहती है। लेकिन हमारे जो पड़ोसी देश हैं उन्होंने किसी तरह से हमारे साथ अच्छे सम्बन्ध नहीं बनाए रखे हैं जबकि हमारी ओर से हमेशा कोशिश रहती है कि सभी के साथ हमारे सम्बन्ध अच्छे रहें। वैसे तो नीति यह कहती है कि जैसे को तैसा होना चाहिए और शक्ति की हमेशा पूजा की जाती है। हम तो उनके साथ हमेशा बातचीत के जरिए सद्भावना कायम करना चाहते हैं और आगे भी चाहेंगे लेकिन जैसे श्रीलंका की समस्या है, उनके संबंध में हमने बहुत बात-चीत कर ली है लेकिन अभी तक कोई भी हल निकलने की सूरत नहीं दिखाई दे रही है, अतः उस नीति पर हमें पुर्नविचार करना चाहिए। मेरा सुझाव है कि विदेशों में जहां कहीं भी हमारे भारतवासी हैं, उनकी स्थिति के सम्बन्ध में हमारे दूतावासों को पूरा ध्यान रखना चाहिए। यह हमारे दूतावासों का कर्त्तव्य है। यदि कहीं भी कोई बात होती है तो दूतावासों को तुरन्त भारत सरकार के ध्यान में लाना चाहिए ताकि श्रीलंका या बंगलादेश जैसी स्थिति न बनने पाए। दूतावासों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जहां कहीं भी हमारे भारतवासी हैं वे अपनी संस्कृति, वेश-भूषा और अपनी भाषा का प्रयोग कर सकें। जिन देशों में भारतवासी हैं उन देशों को भी उनका ध्यान रखना चाहिए।

अभी डिस्कशन में यह बात आई थी कि हिन्दी का प्रयोग होना चाहिए लेकिन हिन्दी का प्रयोग नहीं होता है। यद्यपि बजट की मांग में हिन्दी के प्रोत्साहन के लिए प्रावधान किया गया है लेकिन यह अनिवार्य होना चाहिए कि विदेशों में जो भी काम हो— जिस तरह से दूसरे देशों के लोग अपनी भाषा में काम करते हैं, उसी प्रकार से हमारे देश के लोग भी अपनी भाषा में काम करें। यह मेरा सुझाव है और मुझे आशा है सदन इससे सहमत भी होगा कि जहां कहीं भी रहें हम पहले अपनी भाषा, अपनी संस्कृति और अपनी मान-मर्यादा का ध्यान रखें।

किसी भी हालत में हम किसी देश से कोई झगड़ा नहीं करना चाहते लेकिन यदि कोई सामने आता है तो उससे डरना भी नहीं है। जिस तरह से भी हो हमें अपने पड़ोसी देशों के साथ अपनी समस्याओं को सुलझाना है। बहुत अरसे तक कोई समस्या लटकती रहे यह ठीक नहीं है। हमें अपने नागरिकों का मनोबल बढ़ाना है और बाहर भी जो भारतवासी हैं उनका भी सम्मान बना रहे—इस बात का विशेष ध्यान विदेश विभाग को रखना होगा। बस इतना ही मुझे आपसे निवेदन करना था। धन्यवाद।

श्री दिलीप सिंह भूरिया (झाबुआ) : सभापति महोदय, मैं प्रस्तुत विदेश मन्त्रालय की मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। आपने जो मुझे समय दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। हमारे राष्ट्र के मान चित्र पर पं० जवाहर लाल नेहरू उभरकर सामने आए थे और उन्होंने हमारी विदेश नीति, गुट-निरपेक्षता की नीति का बीजारोपण किया था, उसी नीति को लेकर हम आज भी चल रहे हैं।

पंडित जवाहर लाल नेहरू ने 7 सितम्बर, 1946 को अपने रेडियो में हमारी नीति के बारे में कहा था—"हमारा विचार है, जहां तक सम्भव हो गुटों की राजनीति से दूर रहें, एक दूसरे के खिलाफ जिनकी वजह से पहले युद्ध हो चुके हैं और फिर खतरनाक युद्ध हो सकते हैं, उनसे दूर रहें।" आज उसी नीति का हमारी स्वर्गीय नेता श्रीमती इंदिरा गांधी ने पालन किया। हमारी जो गुट-

निरपेक्षता की नीति है, वह एक जन-आन्दोलन बनकर खड़ी हुई है। इन्दिरा जी ने अपने ही देश के लोगों में नहीं, बल्कि दुनिया में ऐसी मानव जातियां जिनका शोषण होता था, उनकी इसके जरिए बचाने का प्रयास किया है, चाहे वह यूनाइटेड नेशन में ही क्यों न हो। हमको इस बात का गर्व है कि हमारे युवा प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी भी उसी नीति को क्रियान्वित कर रहे हैं। खास तौर से पड़ोसी देश के साथ भाई चारा हो, दोस्ती हो, इन सब बातों की ओर प्रयास कर रहे हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए, उन्होंने अभी हमारे विदेश सचिव, श्री भंडारी जी को, श्रीलंका, अफगानिस्तान और पाकिस्तान आदि देशों में विचार-विमर्श के लिए भेजा। हम अपनी नीति को ऐसी शक्तिशाली नीति बनाना चाहते हैं, जिससे हम भी शान्ति के साथ रहें और वे भी शान्ति के साथ रहें।

हमारा देश गांधी और गौतम बुद्ध का देश है। हम किसी से झगड़ा नहीं करना चाहते हैं, लेकिन पड़ोसी देशों में अभी भी हथियारों की होड़ जारी है और युद्ध के काले बादल मंडरा रहे हैं, इसके लिए हमको सतर्क रहना पड़ेगा। पड़ोसी देश पाकिस्तान को अमरीका द्वारा खतरनाक हथियार दिए जा रहे हैं, पता नहीं वह किसके साथ लड़ना चाहता है। भारत गरीबी के खिलाफ विकासशील देशों को ऊपर उठाना चाहता है। मानव जाति को ऊपर उठाना चाहता है, मगर अमरीका का प्रशासन पूरी तरह हथियार बनाने वाली कम्पनियों के गिरोह से बन्धा हुआ है। वे लोग हथियार बेचना चाहते हैं, मिसाइलें बेचना चाहते हैं। हम जन संचार के माध्यम से इस देश की जनता और दुनिया की मानव जाति को जगाना चाहते हैं। लंदन में सम्मेलन की बात हो रही है, भारत को खंडित करने की बात हो रही है, उन ताकतों के खिलाफ क्या हमारी पॉलिसी और नीति का प्रचार हो रहा है, इसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। हमें गर्व है कि हम इस विचार को दुनिया में फैलाने जा रहे हैं।

अभी रेंगन प्रशासन ने पाकिस्तान को हवा से हवा में मार करने वाले साइड-वाइंडर एफ-16 विमान में लगाने के लिए दिए हैं। इस ओर भी भारत सरकार को ध्यान देना चाहिए। हमारे प्रधान मन्त्री, श्री राजीव गांधी, अमरीका की यात्रा पर जाने वाले हैं, हमें उम्मीद है कि वे वहां इस सम्बन्ध में बातचीत करेंगे। ये बातें भारत को परेशान करने वाली हैं। हम किसी से लड़ाई नहीं लड़ना चाहते हैं हम तो जो काले और गोरे मनुष्यों को दबाने की बात है उसके खिलाफ आवाज उठाना चाहते हैं। हमारे देश में श्रीलंका के शरणार्थी आ रहे हैं। हमने हमेशा लोगों की मदद की है और आज भी भारत की उसी परम्परा का पालन कर रहे हैं। लेकिन ये लोग जानबूझ कर भारत में अव्यवस्था फैलाना चाहते हैं। हमें उनका मुकाबला करने के लिए अपने आपको तैयार करना पड़ेगा। हम लड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर कोई हम पर अक्रमण करे तो हम ईंट का जवाब पत्थर से दें—यह योजना अवश्य होनी चाहिए। यह ठीक है कि हम अहिंसा में विश्वास रखते हैं। महात्मा गांधी जी जब अंग्रेजों से लड़े तो उनके शरीर पर एक लंगोटी और हाथ में एक लकड़ी थी, उसके जरिए उन्होंने देश को आजाद करा लिया। देश के अन्दर जो जनता की आवाज है वही उसकी ताकत है और उस आवाज की एकता से देश मजबूत होता है। जो लोग प्रशासन के जरिए, बन्दूक की गोलियों के जरिये लोगों की आवाज को दबाना चाहते हैं उनके खिलाफ़ दुनिया के तमाम देशों को आवाज़ उठानी चाहिए।

चीन के साथ हमारे विवादों को लेकर 1962 में झगड़ा हुआ, मगर आज चीन जिस तरह से शान्ति की आवाज को सुनकर अपने को बदलने की चेष्टा कर रहा है, अपनी नीति में परिवर्तन कर रहा, जैसे चीन और ब्रिटेन में हांगकांग के विवाद को समाप्त करने की कोशिश की गई और उनमें कम्प्रोमाइज भी हुआ, उसी तरह से हमने भी चीन के साथ सम्बन्ध बनाने की कोशिश की है और हो सकता है कि हमारे जो विवाद चीन के साथ हैं, एक दिन वे भी हल हो जाएं।

हमारे देश के जिन लोगों की विदेशों में पोस्टिंग होती है, कभी-कभीं हम देखते हैं कि नौकरी छोड़ कर उस देश की नागरिकता ले लेते हैं। मेरा सुझाव है कि जिन लोगों को हम विदेशों में भेजें उनका इतना नेशनल करेक्टर हो कि वे देश के प्रतिवफादार रहें। इसी तरह हमारे यहां जो दूसरे देशों के राजदूत आते हैं, उनके बहुत सेलोग हमारे यहां सी० आइ० डी० करते हैं। ऐसे बहुत से लोगों को अभी हाल में श्रीराजीव जी ने निकाला है और वे पकड़े भी गए हैं जो इन विदेशी लोगों की मदद कर रहे थे। इसके लिए मैं श्री राजीव जी को धन्यवाद देता हूँ। लेकिन अभी भी ऐसे बहुत से लोग देश में मौजूद हैं जिनके बारे में हमें सतर्क रहनाचाहिए। वे जानबूझ कर हमारे यहां सी० आइ० डी० करते हैं तथा दूसरों को हमारी बातें बतलाते हैं—उनके खिलाफ हमें कार्यवाही करनी चाहिए।

अन्त में इतना ही कहना चाहता हूं —हम सब को मिलकर ऐसा प्रयास करना चाहिए जिससे यह राष्ट्र शक्तिशाली बने, भारत की नीति का बहुत तेजी से विकास हो। श्रीमती इन्दिरा गांधी जी जिन नीतियों को लेकर दुनिया के देशों के सामने आई और शहीद हो गई, उनकी आत्मा आज भी हमारे साथ है, हमें उन नीतियों को लेकर आगे बढ़ना है और हमारे गौरव श्रीराजीव गांधी जी उन नीतियों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, उन नीतियों का पालन कर रहे हैं।

इन शब्दों के साथ मैं विदेश विभाग की मांगों का समर्थन करता हूँ।

[अनुवाद]

*डा० एस० जगत रक्षकन (चिंगलपट्टु) : माननीय सभापति महोदय, मैं अपनी पार्टी, अखिल भारतीय अन्ना द्रमुक की ओर से विदेश मन्त्रालय की अनुदान मांगों पर कुछ शब्द कहना चाहता हूं।

सर्वप्रथम मैं अपने देश के चारों ओर उत्पन्न खतरों का उल्लेख करना चाहूंगा। पश्चिम में पाकिस्तान तथा पूर्व में बंगलादेश हमारे देश की सीमा में घुसने का निरन्तर प्रयास कर रहे हैं। वे आसाम, नागालैंड, त्रिपुरा, कश्मीर तथा पंजाब में उग्रवादी तत्वों का पोषण कर रहे हैं तथा उन्हें प्रेरित भी कर रहे हैं। हमारे सर पर अनिष्टकारी युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। सैनिक कूटनीतिज्ञों के अनुसार तीसरा विश्व युद्ध हिन्द महासागर से ही आरम्भ होगा, जो संघर्ष-स्थल बन गया है। दूसरे शब्दों में, हमारे देश को दक्षिण की ओर से भी खतरा है। यहां श्रीलंका में युद्ध के व्यापारी जातिवाद की आग भड़का रहे हैं। वे पूर्ण रूप से श्रीलंका को हथियारों से लैस कर रहे हैं। मेरे से पहले भाषण देने वाले माननीय सदस्य ने यह बताकर बहुत अच्छा किया कि यह समस्या तमिलों की ही नहीं है बल्कि यह एक राष्ट्रीय समस्या है। पिछले वर्षों से यह राष्ट्रीय समस्या और भी विकट हो गई है। एक लाख से अधिक लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया है तथा सात हजार महिलाओं की इज्जत लूट ली गई है। फिर भी यह तमिलों की ही समस्या कही जा रही है। मुझे यह कहते हुए दुःख है कि इस तथाकथित राष्ट्रीय समस्या को हल करने के लिए अभी तक कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया।

मैं सदन को यह याद दिलाना चाहूंगा कि केन्द्रीय सरकार ने बंगला देश की समस्या को सुलझाने के लिए कितनी तत्परता दिखाई थी। यहां वो गम्भीरता नहीं दिखाई गई है। केवल उन्हीं घिसी पिटी बातों, समझौतों को दोहराया गया है तथा दौरे किये जा रहे हैं। इस समस्या का समाधान करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया है। वास्तव में मुझे यह कहते हुए दुःख है कि हमने मानवाधिकार सम्मेलन में भी उनकी आवाज नहीं उठाई, जबकि हम यह मानते हैं कि श्रीलंका में मानवाधिकारों का

* तमिल भाषा में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

उल्लंघन हिंसात्मक ढंग से किया जा रहा है। यहां यह स्मरण करना उपयुक्त होगा कि दूर के देश साइप्रस के मामले में हमारी सरकार ने कैसी प्रतिक्रिया जाहिर की थी तथा साइप्रस में शान्ति बनाये रखने के लिए मिशन भिजवाने के लिए हमारी आवाज सभी अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर गूंजती रही। परन्तु जब श्रीलंका में नरसंहार हो रहा है, जो हमारी सीमाओं से केवल 35 किलोमीटर दूर है, तो हम चुप बैठे हैं। यह इतिहास की बात है कि राजा चोला के शासन के समय श्रीलंका चोला साम्राज्य के अधीन था। इस पर भी हम चुप हैं कि श्रीलंका में सात हजार महिलाओं की इज्जत लूट ली गई है। परन्तु जिस समय श्रीलंका में दो विदेशी दम्पतियों का अपहरण किया गया था तो सारे विश्व में प्रोटेस्ट मार्च किया गया था। वे ही देश अब श्रीलंका में किए जा रहे तमिलों पर अत्याचार को चुप्पी से देख रहे हैं।

मैं आगाह करना चाहूंगा कि यदि यह और सहन किया गया तो देश में गम्भीर समस्या उत्पन्न हो जायेगी।

ब्रिटिश वायसराय लार्ड विलिंगडन ने कहा था कि श्रीलंका में त्रिनकोमाली हिन्द महासागर की आंख है। हिन्द महासागर की यह आंख आज अमरीकी में नौसेना का अड्डा बन गई है। श्रीलंका सरकार ने त्रिनकोमाली में स्थित 105 तेल के भारी टैंकों को अमरीका की एक कम्पनी को पट्टे पर दे दिया है। इन तेल टैंकों द्वारा समस्त अमरीकी बेड़े को निरन्तर ईंधन सप्लाई किया जा सकता है। पूर्वी समुद्र तट से पश्चिमी समुद्र तट पर आने जाने के लिए हमारे व्यापारिक पोतों तथा नौ सेना के पोतों के लिए सीधा समुद्री मार्ग नहीं है, हमें त्रिनकोमाली से घूमकर ही जाना पड़ता है। हमारे नौसेना बेड़े को इससे कितना खतरा है इसका अन्दाजा आप लगा सकते हैं। त्रिनकोमाली में अमरीका ने एक बहुत ही शक्तिशाली ट्रान्समिशन टावर भी बना लिया है जो हमारे देश में जहां भी जो कुछ हो रहा है उसकी जासूसी करेगा। श्रीलंका ने शायद इसे पर्याप्त नहीं समझा तथा उसने अमरीका के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं केवल इस प्रयोजन से कि वह श्रीलंका के चारों ओर समुद्र तट पर वैज्ञानिक अनुसन्धान करेगा। वास्तव में मुझे डर है कि श्रीलंका के समुद्र तट पर चारों और बारूदी सुरंगें हैं और उनसे किसी देश के नौ सेना के जहाज को क्षति हो सकती है।

श्रीलंका में अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नहीं है। आप 15 से 40 वर्ष तक की उम्र के तमिल आदमी या औरत को वहां नहीं देख सकते। जबकि हम शान्तिपूर्ण समझौते की बात करते हैं, वहां प्रतिदिन 200 से 300 तमिलों को वहां से निकाला जा रहा है। श्रीलंका के लोग हथियार लेकर चल सकते हैं परन्तु तमिल नहीं, जिनकी जिन्दगी को निरन्तर खतरा है, वे अपनी रक्षा किसी हथियार से नहीं कर सकते। तमिलों के लिए नागरिकता के अधिकार नहीं हैं। जिन लोगों को उम्रकैद हुई थी उन्हें रिहा कर दिया गया है ताकि वे तमिलों को तंग कर सकें। परम्परागत तमिल क्षेत्रों में राज्य सरकार द्वारा उपनिवेशन किया जा रहा है।

महोदय, अच्छे पड़ौसी सम्बन्ध बनाने के इरादे से हमने कच्चाथीवु द्वीप श्रीलंका को बड़े प्यार से दे दिया था। परन्तु ये द्वीप श्रीलंका के नौ सेना का अड्डा बन गए हैं। हमारे मच्छेरे, जिन्हें वहां जाने का अधिकार है, वहां नहीं जा सकते। हमारे दल के कार्यकर्ता थीरू दलपथी इस स्थान के आस पास छापामार आक्रमण में मारे गए। मैं मांग करता हूं कि केन्द्र द्वारा कच्चा थीवु द्वीप से सम्बन्धित समझौते को एक पक्षीय रूप में रद्द किया जाए तथा कच्चा थीवु द्वीप हमें दिलाया जाए। मैं इसे श्रीलंका के राष्ट्रपति श्री जयवर्धने की पाकिस्तान यात्रा के सन्दर्भ में कह रहा हूं जहाँ उन्होंने बड़े उत्साह के साथ काश्मीर के लोगों की आत्म निर्णय के अधिकार की मांग का समर्थन किया। क्या यह हमारे देश के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप करना नहीं है? हम उससे क्यों बातचीत करें जबकि वह पड़ौसी राष्ट्रों

से आवेश में आकर हथियार तथा गोलाबारूद की याचना कर रहा है। हमें मानवाधिकार सम्मेलन में अपनी आवाज उठानी चाहिए। श्री पारथसार्थी तथा श्री भंडारी को भेजकर अब कोई बातचीत शुरू नहीं की जानी चाहिए। वे सब व्यर्थ सिद्ध हुए हैं। इस समस्या का स्थायी समाधान ढूंढने का समय अब आ गया है। बचे हुए तमिलों की रक्षा करने के लिए हमारी सेना को श्रीलंका में भेज देना चाहिए, जैसा कि हमने बंगला देश के मामले में किया था।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री जाफर शरीफ (बंगलौर उत्तर) : महोदय, यह अवसर देने के लिए मैं आपका आभारी हूं। जबकि यह अवसर मिलना तो मुझे सुबह चाहिए था परन्तु मेरा यह दुर्भाग्य है कि स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण में उपस्थित नहीं हो सका। फिर भी इस अवसर का प्रयोग मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में, बधाई देने के लिए करना चाहूंगा। भारत राष्ट्र सदा विश्व शान्ति के लिए प्रयत्नशील रहा है चाहें स्वतंत्रता पूर्व समय की बात हो चाहें आज की बात हो। देश की श्रेष्ठ परम्पराएं सदा प्रदर्शित हुई है। इस बारे में प्रधान मंत्री को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अवसर मिलते ही पूर्वजों की परम्पराओं को निभाया है। भारत ने एक गुट-निरपेक्ष और एक विकासशील देश के रूप में गुट निरपेक्ष आन्दोलन को बढ़ावा देने के लिए ही नहीं अपितु विकासशील देशों को सहायता करने के लिए भी अपना कर्तव्य निभाया है। इस संबंध में प्रधान मंत्री की सक्रिय रुचि, सामयिक कार्यवाही तथा तत्परता की प्रशंसा की जानी चाहिए, कि हम लोग विश्व शान्ति का केवल प्रचार ही नहीं करते अपितु तदनुरूप व्यावहारिक कार्यवाही भी करते हैं। हम समाचार पत्रों में पढ़ते रहे हैं तथा बहुत से विश्व नेताओं के वक्तव्य देखते रहे हैं। सभी विश्व शान्ति चाहते हैं। तब भी विश्व में तनाव बना हुआ है। केवल मौखिक समर्थन पर्याप्त नहीं है अपितु व्यावहारिक कार्यवाही भी आवश्यक है। हम अपने कृत्यों से प्रदर्शित कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में भारत का मत स्पष्ट है। हमारी सदा यही नीति रही है। हम परमाणु निरस्त्रीकरण और दो मित्र देशों जैसे ईरान ईराक के बीच युद्ध के सम्बन्ध में हमने सदा इसी नीति की पुष्टि की है। मुझे प्रसन्नता है कि हम भारतीय इस पर गर्व कर सकते हैं कि हम केवल बातें ही नहीं बनाते अपितु वास्तविक रूप में अपनी चिन्ता व्यक्त करते हैं। हमारे प्रधान मंत्री ने यही प्रदर्शित किया है। मैं राज्य मंत्री खुर्शीद आलम खां तथा विदेश सचिव श्री भण्डारी द्वारा ईरान-ईराक यात्रा करने के लिए धन्यवाद देता हूं। इसके कुछ परिणाम निकले हैं। भारत ने एक मित्र देश के रूप में अपना दायित्व निभाया है तथा तनाव कम करने की चेष्टा की है।

मुझे पिछले दिनों इनमें से कुछ देशों की यात्रा करने का अवसर मिला है। मैं जानता हूं कि उन लोगों में हमारे प्रति सद्भावना विद्यमान है। मैं कहना चाहता हूं कि विदेशों में हमारे कुछ दूतावासों ने सद्भावना अर्जित करने के लिए अच्छा कार्य किया है। विश्वास से विश्वास पैदा होता है। जब तक हम दूसरों पर विश्वास नहीं करते, हम यह उम्मीद नहीं कर सकते कि वे हम पर विश्वास करेंगे। हमारी सरकार तथा प्रधान मंत्री ने पड़ोसी देशों के प्रति यही रवैया अपनाया है। विदेश सचिव की ईरान-ईराक यात्रा एक प्रशंसनीय कदम है।

अभी-अभी तमिलनाडु के मेरे बन्धु श्रीलंका के मामले का उल्लेख कर रहे थे। मैं उनकी चिन्ता को समझता हूं। मैं उनका पड़ोसी हूं। देश के सभी लोग वहां रह रहे भारतीय मूल के लोगों के लिए चिन्तित हैं। हम सभी पक्षों के सदस्य समान रूप से चिन्तित हैं तथा उम्मीद करते हैं कि श्रीलंका सरकार भारत सरकार की तथा भारतीय जनता की चिन्ता को अनुभव करते हुए समस्या का राजनीतिक हल निकालने की चेष्टा करेगी।

जहां तक पाकिस्तान का सम्बन्ध है हमारे विदेश सचिव वहां गये थे। मैं समझता हूं कि यदि कोई देश तनाव में रहता है तो उसके लोगों का विकास, प्रगति तथा समृद्धि नहीं हो सकती। कोई भी देश अपनी जनता के कल्याण की चिन्ता को छोड़े बिना अपने संसाधनों को रक्षा के लिए स्थानान्तरित नहीं कर सकता। अतः शान्ति अधिक महत्वपूर्ण है, संघर्ष का कोई लाभ नहीं है। हमारी भूतपूर्व प्रधान मन्त्री ने इसीलिए शिमला समझौता किया।

4.51 म० प० [उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

यदि हमारे पड़ोसी ईमानदार होते तथा हमारी श्रेष्ठ परम्पराएं होंगी तो स्थिति भिन्न होगी। कल तक हम एक ही राष्ट्र थे। दुर्भाग्य से देश का विभाजन हुआ। मैं समझता हूं कि वे लोग अनुभव करेंगे कि विश्वास, निष्ठापूर्वक और शान्तिपूर्वक रहते हुए हम विश्व शान्ति को बढ़ावा दे सकते हैं। मैं समझता हूं कि इस दिशा में हमारे दूतावासों का विशेष दायित्व है। कई बार अपनी यात्राओं के दौरान हम अनुभव करते हैं कि हमारे राजनयिक अधिकारियों को अधिक परिश्रम करना चाहिए ताकि सद्भावना पैदा हो। जहां पर भी उन्होंने प्रयास किए हैं उसके सुपरिणाम निकले हैं। जहां ऐसा नहीं किया गया वहां प्रगति धीमी रही है। अभी पिछले दिन हमारे मित्र श्री दिनेश सिंह कह रहे थे कि हमारी नीति सुस्पष्ट हो ताकि हमारे दूतावास उस दिशा में कार्य कर सकें। मुझे विश्वास है कि यह कोई नई बात नहीं है। हमारी विदेश नीति श्री जवाहर लाल नेहरू के पंचशील के सिद्धांत पर आधारित है। भारत पंचशील का स्तम्भ है। श्रीमती इन्दिरा गांधी ने देश का मस्तिष्क ऊंचा किया। मुझे विश्वास है कि युवा अमरीका राष्ट्रपति जॉन केनेडी की भांति हमारे गतिशील प्रधान मंत्री ने भी न केवल स्वदेशी आवश्यकताओं को समझा है अपितु विश्व शान्ति में भी अपनी रुचि प्रदर्शित की है और मुझे विश्वास है कि अमरीका तथा रूस की उनकी आगामी यात्राओं के अच्छे परिणाम निकलेंगे तथा गुट-निर्पेक्ष आन्दोलन की मदद से देश और ऊंचा उठेगा।

इन शब्दों के साथ मैं विदेश मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं।

यह अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री रामसिंह यादव (अलवर) : महोदय, आज विकासशील देश विकास और समृद्धि के लिए प्रयास कर रहे हैं। परन्तु धनी देश शान्ति की खोज में हैं। वे युद्ध की विभीषिका से तथा पारस्परिक वैमनस्य और अविश्वास के मानसिक रोग से पीड़ित हैं। विश्व के समक्ष एकमात्र आशा भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री जवाहर लाल नेहरू द्वारा चलाये गये आन्दोलन से पैदा हुई है तथा उनके द्वारा शुरू की गई नीति एवं हमारी संस्कृति हमारे इतिहास तथा हमारे लोकतंत्रीय मूल्यों से उद्भूत है। आज गुट-निर्पेक्ष आन्दोलन मानव के बचाव का साधन बन सकता है।

हमारे वर्तमान प्रधान मंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि देश शान्ति की नीति पर चलेगा जो कि हमारे भूतभूर्व प्रधान मंत्रियों श्री जवाहर लाल नेहरू तथा श्रीमती इन्दिरा गांधी ने तैयार की थीं। महोदय मैं उद्धृत करता हूं।

"हमारा सदा शान्ति के लिए कार्य करने पर विश्वास रहा है। हमारी नीति पारस्परिक आदान-प्रदान और आपसी लाभ के लिए सभी देशों की बीच मैत्री की रही है। गुट-निरपेक्षता और नई आर्थिक व्यवस्था जो कि न्याय समानता पारस्परिक सहयोग के प्रति हम वचनबद्ध हैं। इसका अभिप्राय है शान्ति एवं विकास के दोहरे उद्देश्य के लिए पूर्ण निष्ठा। हम राष्ट्रों की स्वतंत्रता एवं दूसरों के मामलों में हस्ताक्षेप न करने की नीति में विश्वास रखते हैं।

महोदय, हमने अपने देश की परम्पराओं का पालन किया है। परन्तु दुर्भाग्य से पाकिस्तान अपने को आधुनिकतम शस्त्रों से लैस कर रहा है। साथ ही 3.2 बिलियन डालर की अमरीकी प्रशासन द्वारा पाकिस्तान के लिए आर्थिक तथा सैनिक सहायता दिए जाने से इस क्षेत्र में असंतुलन पैदा कर दिया है। अमरीकी प्रशासन के रवैये पर भारत सरकार को अवश्य चिन्ता व्यक्त करनी चाहिए। महोदय, हाल ही में अमरीकी प्रशासन द्वारा यह घोषित किया गया था कि 675 मिलियन डालर की सैनिक सहायता इस क्षेत्र को दी जायेगी। यह सहायता निःसन्देह भारत के हितों के विरुद्ध जायेगी। अमरीकी प्रशासन का पाकिस्तान को उनके एफ-16 विमानों के लिए प्रक्षेपणास्त्र सप्लाई करने का निर्णय भी हमारे लिए चिन्ता का विषय है। अमरीकी प्रशासन ने ऐसा व्यक्त किया है कि वह पाकिस्तान को हवाई प्रक्षेपणास्त्र देगा। इनसे भारत को महान खतरा पैदा होता है तथा हमें इस मामले पर अमरीकी प्रशासन से चिन्ता व्यक्त करनी चाहिए। मैं प्रधान मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि अपनी अमरीका यात्रा के दौरान अमरीका प्रशासन से इस बारे में हमारी चिन्ता अवश्य अभिव्यक्त करें। समाचार पत्रों में सन्देह व्यक्त किया गया है कि अमरीका ने तकनीकी समझौते के साथ कुछ शर्तें जोड़ी हैं। ऐसा लगता है कि इस पर उनका किसी तरह का विशेषाधिकार रखा हुआ है क्योंकि वे चाहेंगे कि भारत उनके द्वारा स्थल के निरीक्षण की बात को स्वीकार कर ले। मैं समझता हूं कि यह शर्त भारत के लिए दुःखदायक है जिसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि अनुभव से पता चलता है कि अमरीकी प्रशासन ने जब भी किसी देश को शस्त्रास्त्र दिए गए या शिल्प विधि या अन्य रूप में सहायता दी तो उन्हें उसी देश के हितों के विरुद्ध उपयोग में लाया गया। इतना ही नहीं विश्व का वर्तमान वातावरण इस तरह का है कि हमारे राष्ट्र द्वारा नेतृत्व दिये जाने की आवश्यकता है ताकि उन देशों में शान्ति स्थापित की जा सके जिनको इसकी आवश्यकता है।

5.00 म० प०

पूर्व वक्ता ने बताया है कि हमारे दो मित्र देश ईरान और ईराक युद्धरत हैं। मानवता की रक्षा करने वाले के लिए चिन्ता का विषय है। भारत की विदेश नीति शान्ति तथा युद्ध दोनों समय में सफल रही है। हम विदेश मंत्री द्वारा सुरक्षा परिषद में लेबनान तथा अन्य मामलों पर अपनाये गये रवैये की प्रशंसा करते हैं। चाहे मामला दक्षिण अफ्रीका का हो या अन्य किसी देश का हमारी नीति तथा सिद्धांत सफल रहे हैं।

इन शब्दों के साथ मैं हाल के समय में मंत्री महोदय द्वारा उठाये गये कदमों के लिए उन्हें बधाई देता हूं।

श्री के० टी० थामस (एरनाकुलम) : मैं विदेश मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं।

भारत की विदेश नीति पं० जवाहर लाल नेहरू द्वारा तैयार की गई और उसे नई दिशा दी गई थी। पण्डित जी को हमारे राष्ट्र की विदेश नीति का स्पष्ट अनुभव था। इस संदर्भ में पण्डित जी को उद्धृत करना चाहूंगा उन्होंने बताया था;

> "यह नीति भारत के हालात से जुड़ी हुई है, भारत की प्राचीन विचारधारा के साथ जुड़ी हुई है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय मानस में यही नीति थी तथा यह आज के सम्पूर्ण विश्व के हालात के साथ जुड़ी हुई है।"

पण्डित जी की संकल्पना आज भी वैध है। जब वह विदेश नीति तैयार कर रहे थे तब उनकी कुछ निश्चित विचारधारा थी। एक थी हमारे राष्ट्र के आर्थिक विकास के बारे में। 1947 में जब

हमने स्वतंत्रता प्राप्त की तब हमारा उद्देश्य आर्थिक स्वतंत्रता एवं आर्थिक स्थिरतों प्राप्त करना था।

जैसा कि हम जानते हैं, गुट-निरपेक्षता हमारी विदेश नीति का आधार है। गुट-निर्पेक्षता ने हमें हमारे आर्थिक विकास में काफी सहायता दी है। हमें दोनों शक्ति गुटों से आर्थिक सहायता मिल सकी है। अत: हम पंडित जी के महान विचारों का स्मरण करते हैं। विदेशी सहायता लेने के बारे में पंडित जी के अपने विचार थे। उन्होने कहा कि आर्थिक और राजनैतिक सहायता स्वीकार करते समय कोई अच्छी नीति नहीं है कि हम किसी एक ही देश पर निर्भर रहें हमें अपने आत्म सम्मान की कीमत पर कोई भी मदद नहीं लेनी चाहिए। हम भारत को 21 वीं सदी की ओर ले जाने की बात कह रहे हैं। तो हमें इलेक्ट्रानिकी, कम्प्यूटर प्रणाली आदि के बारे में विदेशी प्रौद्योगिकी प्राप्त करनी होगी। जब हम प्रौद्योगिकी के रूप में विदेशी सहायता प्राप्त करने की बात सोचते हैं तो इसे हमारे आत्म-सम्मान की कीमत पर नहीं किया जाना चाहिए। कि हमें यह प्रौद्योगिकी भारत में ही विकसित करनी है, इसे ध्यान में रखकर सभी प्रयास किये जाने चाहियें।

शांति और आर्थिक विकास एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर शान्ति है तो हम आर्थिक विकास के बारे में सोच सकते हैं। जब पंडित जी पंचशील के बारे में प्रयत्नशील थे उस समय भी वे हमारे पड़ोसी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाये रखने के बारे में सोच रहे थे। ऐसा भी समय आया था जब पड़ोसी देशों के साथ हमारे शान्ति और मित्रतापूर्ण उद्देश्यों के बारे में संदेह किया गया। 1963 में चीन का हमला तथा उसके बाद भारत पाकिस्तान युद्ध के समय हमारे पड़ोसी देशों के साथ हमारे शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, स्वतंत्रता तथा मित्रतापूर्ण विचारों के प्रति संदेह प्रकट किया गया था। परन्तु हम सफलतापूर्वक उस संकट से निकल आये हैं।

मैं बड़े धैर्य और संयम से मेरे मित्र श्री चिदम्बरम द्वारा श्रीलंका समस्या के बारे में दिये गये भाषण को सुन रहा था। स्वाभाविक रूप से हमें श्रीलंका में हमारे तमिल भाइयों के लिये बहुत ही चिन्ता है। हम जानते हैं कि इसका सैनिक समाधान नहीं हो सकता; इसके लिए राजनैतिक हल निकालना होगा। परन्तु कुछ पूर्वोदाहरण हैं। हम जानते हैं कि 1971 में जब बंगलादेश बना तो हमारी महान स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने क्या रवैया अपनाया था। इसी प्रकार से नेहरू जी के जीवन काल के दौरान जब बहुत से अफ्रीकी और एशियाई देशों में संकट उत्पन्न हुए तो उन्होंने कतिपय कठोर कदम उठाये। इसीलिए इतने लम्बे समय से हम समझौते के बारे में सुनते आ रहे हैं। मेरे विचार से समय समाप्त हो चुका है। हमें कुछ कड़े कदम उठाने होंगे। श्रीलंका की समस्या को हमेशा के लिये हल करना होगा।

अब मैं पार-पत्र कार्यालय के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। केरल एक ऐसा राज्य है जहाँ से बहुत से लोग रोजगार के लिए खाड़ी के देशों में जा रहे हैं, कोचीन और कालीकट के व्यक्तियों की संख्या ज्यादा है। पिछले चार अथवा तीन महीनों से काफी अर्जियां पार पत्र बनवाने के लिए पड़ी हुई हैं। केन्द्र सरकार ने अब कुछ कदम उठाये हैं। उन्होंने प्रत्येक पारपत्र के पुलिस द्वारा सत्यापन के लिए 3 रुपये की राशि देनी शुरू कर दी है। इस राशि को बढ़ाया जाना चाहिये।

इसी प्रकार से बहुत से मेरे मित्र और सहपाठी ने यहां पर अध्यापक थे और अब अफ्रीकी देशों में चले गये हैं। लोग केरल को छोड़कर अफ्रीकी देशों में कुछ पैसा कमाने की मंशा से गये थे। परन्तु दुःख की बात यह है कि पिछले डेढ़ बरस से उन्हें उनकी तनख्वाहें भी नहीं मिल रही हैं। वे बहुत ही दिक्कत में हैं, विशेषरूप से नाइजीरिया में लोगों को तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं। अत: सरकार को इस पहलू की भी जांच करवानी चाहिए।

खाड़ी के देशों में काफी संख्या में केरलवासी हैं। मेरा सुझाव है कि विदेशों, विशेष रूप से खाड़ी के देशों में रह रहे भारतीयों की मदद करने के लिये हमें कुछ उपाय करने चाहियें।

इन शब्दों के साथ मैं विदेश मंत्रालय के लिए अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह।

[हिन्दी]

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, बहुत खुशी की बात है कि मुझे 5 मिनट बोलने का मौका दिया है। यह जो विदेश मंत्रालय के द्वारा जो मांगें पेश की गई हैं, उस सम्बन्ध में दो दिन की बहस के बाद जो सुझाव आये हैं, उस पर मैं अपना विचार पेश कर रहा हूं। सबसे बड़ी चीज यह है कि आज हमारी जो वैदेशिक नीति है वह आज की हमारी वैदेशिक नीति नहीं है। जब हमारा देश आजाद हुआ था और जब हम वैदेशिक नीति बना रहे थे तो हमारा उद्देश्य यह ही था कि हम सबके साथ अच्छे सम्बन्ध स्थापित करें। हमारा देश एक ऐसा प्रदेश रहा है जो आज गुट-निरपेक्ष देशों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। मैं चाहूंगा कि यह जो हमारी वैदेशिक नीति है, यह और भी मजबूत होनी चाहिए। उपनिवेशवाद के खिलाफ हमारा देश है और जो देश उपनिवेशवाद के खिलाफ लड़ते है, उसका हमारे देश को नैतिक समर्थन मिलता है। दुनिया में ऐसे बहुत ही कम देश हैं जो कि इस नीति पर चलते हैं।

साथ ही साथ मैं यह कहूंगा कि दो महाशक्तियों का सवाल भी उठ रहा है। इसके लिए एक चीज देखनी होगी कि वह जो शक्तियां हैं, मानव विनाश के लिए कर्मरत हैं वह शक्ति एक ऐसा चित्र तैयार करती हैं, जिनके बारे में बराबर अखबारों में पढ़ने और सुनने का मौका मिलता है। जो हमारी दूसरी शक्ति है वह शक्ति एक ऐसी है जो मानव को बचाने की शक्ति है। वह शक्ति खुलकर उसका विरोध करती है, इसलिए इस तरह की दोनों शक्तियों को एक साथ नहीं रखना होगा।

साथ ही साथ आपकी जो गुट-निरपेक्ष नीति की बात है, जो आपकी दोस्ती सोवियत संघ के साथ या सोशलिस्टिक कंट्री के साथ रहती है वह भी एक उदाहरण है। जब-जब आपके देश पर संकट आया है तो किसने आपकी मदद की ? यह स्पष्ट है। वह एक ऐसी शक्ति है जिस रूस ने खुलकर सच्चे मित्र के रूप में आपकी मदद की है। दूसरी महाशक्ति जो है उसने बराबर विश्वासघात किया है। वह महाशक्ति साम्राज्यवाद अमेरिका है चाहे काश्मीर का मामला हो, चाहे गोआ का मामला हो, उसने डटकर आपका विरोध किया है। ऐसी शक्ति जिसके साथ दोस्ताना सम्बन्ध हैं उसको और मजबूत करना होगा। उसमें आपने आगे बढ़कर काम भी किया है, जिससे काफी लाभ देश को भी हुआ है।

साथ ही मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे प्रधान मंत्री जो अमेरिका जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं, उन्हें वहां पर इस बात पर जरूर जोर देना चाहिए कि जो निःशस्त्रीकरण का सवाल उठा है वह हल होना चाहिए। आज दुनिया के अन्दर ऐसे अस्त्र और शस्त्र तैयार कर लिए गए हैं जिससे किसी न किसी दिन मानवता का विनाश हो सकता है। उनको वहां डट कर इसका विरोध करना चाहिए। जब तक दुनिया का कोई भी देश शांति के रास्ते पर चलता है तब तक समृद्धिशाली बनता है और हर मामले में आगे बढ़ता है। जहां पर किसी भी देश के अन्दर आन्तरिक या बाहरी संघर्ष होता है वह देश कमजोर होता है। इसलिए हम पूरे विश्व में शान्ति स्थापना करना चाहते हैं चाहे वह अमरीका हो चाहे सोवियत यूनियन हो या और भी कोई देश हो, हम सभी से शान्ति चाहते हैं।

दूसरी बात यह है कि हम पड़ोस के देशों के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं, यह एक

अच्छी बात है, लेकिन हमको विश्वास नहीं हो रहा है, जिस तरह से पाकिस्तान के जो मार्शल शासक हैं उनके अखबारों में बयान आता है उससे हमें लगता है कि यह दोस्ताना कहां तक आगे बढ़ेगा यह कहना कठिन है। यह आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन फिर भी अभी हमारे विदेश सचिव यह दोस्ताना बढ़ाने के लिए पाकिस्तान गए थे और वहां से हाल में लौटे हैं, उन्होंने ऐसा प्रमाण दिया है कि सचमुच में वह दोस्ताना आगे बढ़ने जा रहा है। मगर हमें इसमें शंका है, जिस तरह से वहां से बयान आ रहे हैं उसको देखकर ही हमें इस पर शंका होती है।

श्रीलंका के बारे में हमारे दोस्तों ने बड़ी दर्दनाक कहानी आपको सुनाई है। श्रीलंका में जो नरसंहार को खत्म करने के लिए प्रयत्न करना हमारी सरकार का और हमारे विदेश मन्त्रालय का कर्त्तव्य है। हमारा यह कर्त्तव्य है कि हम उस समस्या को सुलझाने की कोशिश करें। हमारे भारत के जो मूलवासी वहां जाकर बस गए हैं उनके सामने क्या संकट आ गया है यह देखना आवश्यक है। सबसे बड़ी चीज यह देखने की है कि जो कुछ श्रीलंका में हो रहा है उसके डर से जो लोग वहां से अपने गांव छोड़कर आ रहे हैं वह हमारे देश में आकर एक आर्थिक बोझ बन रहे हैं। 40 हजार आदमी यहां पहुंच चुके हैं। ऐसी स्थिति में जहां भी इस तरह की घटना घट रहा है उससे हमारा देश प्रभावित हो रहे हैं। इसलिए हमको सबसे पहले इसको हल करना चाहिए। जहां तक दुनिया के अन्दर ऐसी घटनाएं घट रही हैं भारत उससे अछूता नहीं रह सकता। चाहे वह ईरान ईराक की बात हो, चाहे पाकिस्तान की बात हो उससे हिन्दुस्तान अछूता नहीं रहेगा। इसलिए हमारी जो विदेश नीति है उस में जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनके साथ जो हम दोस्ताना करना चाहते हैं वह हमें आगे बढ़ कर करना चाहिए। दोस्ताना का मतलब यह है कि दोनों में ऐसा एक तालमेल हो जिससे हम दोनों इस बात की कोशिश कर सकें कि हमारी दोस्ती आगे बढ़े।

चीन से भी हमें दोस्ताना करना चाहिए और उसको आगे बढ़कर हमें बढ़ाना चाहिए जिस से हमारे देश के अन्दर एक अच्छा वातावरण पैदा हो। पड़ोसी देशों के प्रति हमारे यहां एक अच्छा वातावरण हो जिससें हमारा देश हर मामले में आगे बढ़े। यही कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब माननीय मन्त्री जी उत्तर देंगे।

(व्यवधान)

मैं हरेक की बात सुनूंगा। कृपया बैठ जाइए।

श्री सी० माधव रेड्डी (आदिलाबाद) : राज्य मन्त्री के लिए इस वाद-विवाद का उत्तर देना उपयुक्त नहीं है क्योंकि उनके पास इस महत्वपूर्ण मन्त्रालय का स्वतन्त्र प्रभार नहीं है। कल हमने इस विषय को उठाया था। हमने सोचा कि कल और आज वह प्रधान मन्त्री जी को बताने के लिए सभी बातों को लिख रहे हैं और प्रधान मन्त्री जी उत्तर देंगे। परन्तु मैं देख रहा हूं कि प्रधान मन्त्री जी कल और आज अनुपस्थित हैं यह उचित नहीं है यह इतने महत्वपूर्ण मन्त्रालय का मूल्य कम आंकना है। हम समझते हैं कि राज्य मन्त्री जी द्वारा उत्तर दिया जाना उचित नहीं है। हमें इस पर आपत्ति है।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : वह हस्तक्षेप कर सकते हैं और प्रधान मन्त्री जी उत्तर दे सकते हैं।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन (बडागरा) : महोदय सबसे पहले मुझे अपनी सफाई पेश करने दीजिए कि इन सज्जन व्यक्ति के प्रति मेरी मनमें कोई दुर्भावना नहीं है। यह मेरे काफी अच्छे मित्र हैं। किन्तु मैं एक बात अवश्य ही कहूंगा कि नीति जैसे मामले की जिस प्रकार लापरवाही के साथ सदन में लिया गया है। वह वास्तव में आश्चर्यजनक है ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। पहले ऐसे अवसरों पर हस्तक्षेप करके प्रधान मन्त्री जी प्रसन्न होते थे और उत्तर देते थे। यह एक महत्वपूर्ण विषय है जिस पर कभी-कभी-ही चर्चा की जाती है हम इस सदन में बराबर शिकायत करते रहे हैं कि विदेश नीति के प्रश्न पर बहस करने के लिए हमें पर्याप्त अवसर नहीं मिलते यहाँ पर सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का निर्णय होता है और ये मन्त्री जी हैं जो स्वतन्त्र रूप से विभाग के प्रभारी नहीं है। और इनके तथा प्रधान मन्त्री जी के बीच तो भ्रांति है त्रिशंकु की भांति लटकता रहता है कोई व्यक्ति प्रभारी है परन्तु हम नहीं जानते··· (व्यवधान) मुख्य मसलों को स्पष्ट करना होगा। मुद्दा यही है···(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये। मैंने आपकी बात सुनी है।

श्री के०पी० उन्नीकृष्णन : यह पूर्णतया अलोकतंत्रीय है। ऐसा कभी नहीं हुआ है··· (व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूबनगर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बात बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि भारतीय संसद के इतिहास में विदेश मन्त्रालय पर चर्चा का उत्तर आज तक कभी भी राज्य मन्त्री द्वारा नहीं दिया गया है प्रधान मन्त्री जी स्वयं ही विदेश मन्त्री हैं। कल चर्चा शुरू होने के समय में व्यवस्था के प्रश्न पर खड़ा हुआ था और हम सभी ने सोचा था, श्री माधव रेड्डी ने भी बताया था कि इसका नोट बनाया जाना चाहिए और प्रधान मन्त्री को पहुंचाया जाना चाहिए···(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से आदमी उस बात पर जोर दे रहे हैं।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : जी नहीं महोदय, आपने मुझे अपनी बात पूरी करने की अनुमति दी है। मेरा मुद्दा यह है कि नई सरकार द्वारा सत्ता सम्भालने के पश्चात नई सरकार, विदेश मन्त्री तथा नये प्रधान मन्त्री जी के लिए यह पहला अवसर है। जो विदेश नीति निर्धारित की गई है, उसके बारे में सारे विश्व को जानकारी हो सके। सारा विश्व यह जानना चाहता है कि नई सरकार द्वारा बनायी गयी नई विदेश नीति क्या होगी··· (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने आपकी काफी बातों को सुना है···

(व्यवधान)

श्री पीयूष तिरकी : महोदय यह कार्यवाही में जाना चाहिए कि सत्ताधारी पक्ष विदेश नीति के बारे में बिल्कुल इच्छुक नहीं है और प्रधान मन्त्री जी··· (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह असंगत है ··· (व्यवधान)

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : महोदय, वह 'त्रिशंकु' शब्द का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं ? ··· (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं संसदीय कार्य मन्त्रालय को बोलने के लिए कहूंगा···(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप बैठ जाइये। मन्त्री जी अपनी बात कह रहे हैं। पहले उन्हें बोल लेने दीजिये। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो उनके पश्चात आप कह सकते हैं।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : महोदय, विपक्ष में बैठे हमारे माननीय सदस्यों के प्रति पूरे सम्मान से, उनका तथा उनके विचारों का सम्मान करते हैं, मैं अत्यन्त विनम्रता से कहना चाहता हूं कि ये बातें जो उन्होंने कही हैं कि सत्ताधारी पक्ष विदेश नीति में दिलचस्पी नहीं ले रहा, प्रधान मन्त्री जी नहीं आये और इस चर्चा का उत्तर नहीं दिया, आदि आदि ··· **(व्यवधान)** कृपया आप मेरी बात सुनिये। श्री अमल दत्त मैंने आपके बोलते वक्त हस्तक्षेप नहीं किया और न ही मैं यह आशा करता कि आप ऐसा करें। पूरे सम्मान से मैं कह रहा हूं। आप मुझसे सहमत हों या नहीं परन्तु मुझे बहुत कुछ कहना है। राज्य मन्त्री चर्चा का जबाव देने के लिए एकदम सक्षम है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है··· **(व्यवधान)** प्रधान मन्त्री ने शुरू से ही विदेश नीति संबंधी मामलों में दिलचस्पी ली है। दूसरी बात, यहां तक कि···अब प्रधान मंत्री जी आ आये हैं। प्रधान मन्त्री जी विदेशी मामलों में काफी दिलचस्पी दिखाते हैं। प्रधान मन्त्री जी प्रश्न काल और इसके अलावा भी काफी समय संसद में बिताते हैं। विदेशी मामलों पर भी उन्होंने पहल की है। विदेशी मसलों पर वे काफी दफे बोले भी हैं। अत: ये सब बातें जो आपने कही हैं, ठीक नहीं है। राज्य मंत्री उत्तर देने के लिए एकदम सक्षम हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : अत: इस सम्बन्ध में कोई भी व्यवस्था का प्रश्न नही है क्योंकि संसदीय मामलों के मंत्री ने भी देखा है कि उत्तर देने के लिए राज्य मंत्री सक्षम हैं। मैं नहीं समझता कि इसमें कुछ गलत है···

(व्यवधान)

5.25 म० प० **[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]**

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, आपकी जानकारी के लिए मैं व्यवस्था के प्रश्नों का संक्षिप्त में कहूंगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रथम लोक सभा से लेकर सातवीं लोक सभा तक यह परिपाठी रही है कि···

डा० कृपा सिन्धु भोई (सम्भलपुर) : महोदय आप फिर से उन्हें अवसर दे रहे हैं। पहले ही ये लोग आधा घन्टा ले चुके हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : उन्होंने मुझे अनुमति दी है।

(व्यवधान)

श्री एच० के० एल० भगत : उपाध्यक्ष महोदय ने उनके व्यवस्था के प्रश्न पर पहले ही अपने विचार प्रकट कर दिये हैं। व्यवस्था के प्रश्न में कुछ भी नहीं है।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय आपकी इजाजत से मैं एक निवेदन कर रहा था। क्या आप उन्हे अपने स्थान पर बैठने के लिए कहेंगे ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें इजाज़त दे दी है।

प्रो० मधु दण्डवते : अध्यक्ष महोदय, अभी-अभी मैं कह रहा था कि पहली लोक सभा से लेकर सातवीं लोक सभा तक एक भी अवसर नहीं आया जब विदेश मन्त्रालय की मांगों पर चर्चा का उत्तर केबिनट मंत्री अथवा उस विभाग के स्वतन्त्र प्रभारी मंत्री ने न दिया हो। परिपाटी यह है। आपने सिर्फ नियमों के ही परन्तु हम सदन की परिपाटियों के भी अभिरक्षक हैं। अगर आप स्वयं ही अपने विवेक से **इस परिपाटी को विदा करना चाहते हैं तो आप ऐसा करने के लिए स्वतन्त्र हैं अतः हम यह बात आपके ध्यान में लाना चाहते हैं। मैंने सोचा कि जब संसदीय कार्य मंत्री बोल रहे थे और प्रधान मंत्री जी आ गये हैं, तो मंत्री जी जो गलत बात कह रहे थे, उनकी उपस्थिति में उसे सही किया जा रहा था इसलिए मैंने समझा कि प्रधान मंत्री जी उत्तर देने के लिए आये थे। मैं प्रधान मंत्री जी से चर्चा का उत्तर देने के लिए निवेदन करूंगा जोकि सदन की सभी परम्पराओं और परिपाटियों के अनुसार होगा। इनका अनुसरण किया जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक है। उपाध्यक्ष महोदय ने अपनी तरफ से पहले ही कह दिया था कि यह अनुचित नहीं है अगर मंत्री जी जवाब दें, परन्तु प्रधान मंत्री जी आ गये हैं।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : परन्तु आप उनकी बात को सुधार सकते हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : आप उनकी बात को पूरी कर सकते हैं, महोदय मैं नहीं कहूंगा कि सुधार कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : प्रधान मंत्री जी आ गये हैं और वे इसे स्पष्ट करेंगे।

प्रधान मंत्री (श्री राजीव गांधी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विचार से मेरे विदेश मंत्री इस चर्चा का उत्तर देने के लिए पूरी तरह सक्षम हैं। अगर उनके भाषण के बाद कोई प्रश्न ऐसा बचता है जिसका उत्तर नहीं दिया गया है तो मैं उसका जवाब दूंगा।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : प्रधान मंत्री जी उत्तर दे सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : वह यहां पर बैठे हुए हैं। वे हस्तक्षेप करेंगे और कहेंगे।

श्री बसुदेव आचार्य : मंत्री जी हस्तक्षेप कर सकते हैं। परन्तु अन्तिम उत्तर प्रधान मंत्री जी को ही देना चाहिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वे सभी का सार प्रस्तुत करेंगे।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय क्या हम यह समझें कि राज्य मंत्री हस्तक्षेप करेंगे और अन्तिम जवाब प्रधान मंत्री जी देंगे ?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : बाकी वे संभाल लेंगे।

...(व्यवधान)...

प्रो० मधु दण्डवते : बाकी वह सम्भाल लेंगे।

**अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया।

[अनुवाद]

इसके विपरीत उन्हें सरकार की ओर से बोलना होता है।

[हिन्दी]

जो बाकी रह जाना है, वह सम्भाल लेते हैं।

[अनुवाद]

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : उनके पास विदेश मंत्रालय है।

अध्यक्ष महोदय : वह यहां पर बैठे हुए हैं, इसे देखने के लिए वह प्रारम्भ से ही सदन में हैं। जी हां वे भी इसका उत्तर देंगे, वह भी भाग लेंगे।

श्री बसुदेव आचार्य : प्रश्न यह है क्या उनकी इच्छा हस्तक्षेप करने की या उत्तर देने की है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रधान मंत्री जी ने ही मार्ग दर्शन किया है।

श्री सी० माधव रेड्डी : मंत्री जी को बोलने दीजिए फिर वे जवाब देंगे।

अध्यक्ष महोदय : उन्हें बोलने दीजिए।

(व्यवधान)

श्री सी० माधव रेड्डी : हम इसे सहन नहीं कर सकते।

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक है और यही उचित होगा।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : ऐसा कभी भी नहीं हुआ। यह दुर्भाग्यपूर्ण है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) **:** प्रश्न यह है क्या वह जवाब देंगे अथवा नहीं।

अध्यक्ष महोदय : प्रधान मंत्री जी पहले ही कह चुके हैं कि वह बाद में बोलेंगे अगर कुछ भी ऐसा रह जाता है जिसका उत्तर नहीं मिलता तो वह इसका जवाब देंगे।

श्री बसुदेव आचार्य : प्रधान मंत्री जी को उत्तर देना चाहिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वह भी बीच में भाग लेंगे।

प्रो० मधु दंडवते : यह समझा जाये कि श्री खां के प्रति कोई अनादर का भाव नहीं है इसके विपरीत, वह एक सक्षम व्यक्ति हैं। उनकी योग्यता के बारे में हमें कोई संदेह नहीं है। प्रश्न तो औचित्य और परम्पराओं के बारे में है। हम लोग अपनी परम्पराओं की उत्साह के साथ रक्षा करते रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : वह वाद,विवाद समाप्त कर देंगे।

प्रो० मधु दंडवते :—उनका कहना है कि यदि कोई बात कहने से रह जायेगी तो वह बोलेंगे। यह वाद-विवाद की निंदा है। अन्त में उन्हें उत्तर तो देना ही होगा। वह यह कह सकते हैं कि राज्य मंत्री हस्तक्षेप कर सकते हैं और वह बाद में उत्तर देंगे। (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : प्राइम मिनिस्टर आखिर में देख लेंगे।

[अनुवाद]

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, मेरा यह निवेदन है कि कार्यवाही वृतान्त में यह सम्मिलत किया जाये कि प्रधान मंत्री उत्तर देंगे और यह राज्य मंत्री द्वारा हस्तक्षेप किया जाना होगा। यह इस सभा की परम्पराओं के हित में होगा। इस बात की कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित किया जाये कि अंत में प्रधान मंत्री उत्तर देंगे और यह हस्तक्षेप मात्र है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब, हमें यह कहना चाहिए कि श्री खां चर्चा में हस्क्षेप करेंगे और प्रधान मंत्री चर्चा का उत्तर कल देंगे।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) अध्यक्ष महोदय, आजादी मिलने के समय से ही भारत की विदेश नीति का उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रीय तनाव कम करना, निरस्त्रीकरण पर जोर देना और विश्व शांति को सुदृढ़ करना तथा विकास के लिए विभिन्न राष्ट्रों के साथ मित्रता और सहयोग बढ़ाने का रहा है। अपने देश में इस नीति की सराहना की गई है और इससे विदेशों में भारत का सम्मान बढ़ा है। गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के अध्यक्ष होने के नाते हमारा यह प्रयत्न रहा है कि अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में इस आन्दोलन की भूमिका महत्वपूर्ण और प्रमुख रहे। कुछ सीमा तक हम इस बात का सतत प्रयत्न करते रहे हैं कि इस आन्दोलन की वह भूमिका यथावत बनी रहे जिसकी परिकल्पना इसके प्रवर्तकों ने विशेषकर शांति-स्थापना, निशस्त्रीकरण, उपनिवेशवादसमाप्त करने और अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक मामलों के क्षेत्र में की थी।

महोदय, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है कि अधिकांश सदस्यों ने विशेषकर पड़ोसी देशों के बारे में कहा है। माननीय सदस्य, श्री स्वेल ने जो कुछ कहा है उसे हम स्वीकार करते हैं। कल उन्होंने कितने सुन्दर ढंग से यह बात कही थी कि विश्व में भारत के स्थान का निर्धारण भारत की अपने पड़ोसी देशों के साथ मैत्री बनाये रखने की बात से आरम्भ होना चाहिए। भारत की नीति अपने पड़ोसी देशों से मित्रता बनाये रखने की रही है। भारत क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाना चाहता है। एक दूसरे माननीय सदस्य ने ठीक ही कहा था कि यही एक ऐसा क्षेत्र है जहां क्षेत्रीय सहयोग के लिए अपेक्षित संस्थागत सुदृढ़ ढांचा नहीं है और इसी के समाधान के लिए एम० ए० आर० सी० के माध्यम से हमने प्रयत्न किया था और अन्य पड़ोसी राज्यों के साथ सहयोग करने का हम लोग प्रयत्न करते रहे हैं।

अब चूंकि अधिकांश सदस्यों की प्रबल इच्छा पड़ोसी राज्यों के बारे में जानने की थी, अतः मैं यह बताना चाहूंगा कि अपने पड़ोसी देशों के साथ हमारा सम्बन्ध भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से जुड़ा हुआ है और हम लोग अपने पड़ोसियों के सम्बन्धों को महत्व देते हैं। शांति और स्थिरता बनाये रखने के लिए भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध बनाए रखने के लिए सदा प्रयत्नशील रहा है। प्रधान मंत्री का पद ग्रहण करने के तत्काल पश्चात् श्री राजीव गांधी ने विदेश नीति के उसी आधारभूत दृष्टिकोण और सिद्धांत को दोहराया है जिसे पंडित जवाहर लाल नेहरू और श्रीमती इन्दिरा गांधी ने अपनाया था। दक्षिण एशिया के निकटतम पड़ोसी देशों के बारे में भारत की नीति आपसी विश्वास और सहयोग बढ़ाने की रही है। भारत अन्य देशों के साथ समस्याओं को पारस्परिक सम्मान, सार्वभौमिक समानता और मित्रता के आधार पर सुलझाने के लिए दृढ़ संकल्प है। इसी नीति को अनुसरण में हमारे विदेश सचिव को इन अधिकांश देशों में विभिन्न

अधिकारियों और इन देशों के सचिवों से बात-चीत करने के लिए भेजा गया था। हमारा तथा क्षेत्र का हित इसी में है कि हम लोग मिलकर काम करें और दक्षिण एशिया के देशों के साथ ऐसे सम्बन्ध बनाये जायें जो समानता पारस्परिक सम्मान, लाभ तथा एक दूसरे के आन्तरिक मामलों में दखल न देने और अहस्तक्षेप पर आधारित हों।

जहाँ तक पाकिस्तान जिसके बारे में अनेक माननीय सदस्य बोल चुके हैं, का सम्बन्ध है। मैं संक्षेप में यही कहना चाहूंगा कि भारत प्रभुसत्ता, समानता, अहस्तक्षेप और पारस्परिक हित के आधार पर पाकिस्तान के साथ मैत्रीपूर्ण, और सहयोग पूर्ण सम्बन्ध रखना चाहता है।

राष्ट्रपति जिया-उल-हक के साथ हाल ही में मास्को में तथा नवम्बर, 1984 में नई दिल्ली में हुई मुलाकात में प्रधान मंत्री ने शिमला समझौते के आधार पर सौहार्दपूर्ण और मैत्री पूर्ण सम्बन्ध बनाये रखने की अपनी वचन बद्धता को दोहराया है।

इसके लिये हमारी इच्छा इस बात से ही स्पष्ट हो जाती है कि भारत ने गत कुछ,महीनों के दौरान पाकिस्तान के साथ भारत-पाकिस्तान संयुक्त आयोग की स्थापना शांति और मैत्रीपूर्ण सन्धि, सांस्कृतिक समझौते का एक प्रस्ताव, पर्यटन समझौते पर हस्ताक्षर, दोनों देशों के बीच यात्रा की सुविधा के लिए विभिन्न प्रस्ताव तथा व्यापार सुविधाओं में भेद-भाव न बरतने का प्रस्ताव रखना, आदि, की पेशकश की है।

राष्ट्रपति जिया-उल-हक ने यह दावा किया है भारत के सम्बन्ध में एक शांति-अभियान चलाया गया है। किन्तु पाकिस्तान ने सदा ही हमारे प्रस्तावों का या तो नकारात्मक अथवा निषेधात्मक उत्तर दिया है और इसलिए उनके शब्दों को सही नहीं मान लिया जाना चाहिए। जब भी वह जो कुछ कहें तो उसके समर्थन में उन्हें कार्य भी करने चाहिए।

कुछ हद तक पाकिस्तान का मन्तव्य हमारे विचार में कुछ कारणवश संदेहयुक्त ही रहा है। उनमें से कुछ कारण हैं पंजाब की गतिविधियों के प्रति प्रतिक्रिया, साम्प्रदायिक तथा उग्रवादी एवं अलगाववादी ताकतों को प्रोत्साहन देने की चेष्टा, भारत में घटी घटनाओं को तोड़ मरोड़कर बताना और परमाणु कार्यक्रम के प्रति अपनाया गया पाकिस्तान का रवैया। यह सच है कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने आरोप लगाया है तथा पाकिस्तानी परमाणु वैज्ञानिक डा० अब्दुल हैद खाँ ने भी हाल ही में दावा किया है कि पाकिस्तान के पास पर्याप्त परिष्कृत यूरेनियम है जबकि दूसरी ओर पाकिस्तान के राष्ट्रपति जिया-उल-हक का भी कथन है कि यह अस्त्र बनाने योग्य नहीं है। हमें यह समझ में नहीं आता कि वास्तविकता क्या है, क्या सच समझा जाये और किस बात से इनकार किया जाय और क्या जो परिष्कृत यूरेनियम है वह अस्त्र बनाने के स्तर का है या नहीं।

पाकिस्तान द्वारा आये दिन काश्मीर का मामला उठाया जाना और अपहरण कर्त्ताओं को पाकिस्तान द्वारा प्रोत्साहित किया जाना निंदनीय है। निःसंदेह हमें इस बात से प्रसन्नता है कि पाकिस्तान ने अपहरण कर्त्ताओं पर मामला चलाने का निर्णय लिया है और मुझे आशा है कि वे इस मामले को इतनी ही तत्परता से निपटायेंगे जितनी तत्परता से उन्होंने अपना अपहरण कर्त्ताओं का मामला निपटाया था।

पाकिस्तान के साथ अच्छे सम्बन्ध बनाये रखने में एक बात और बाधक है और वह है पाकिस्तान द्वारा पर्याप्त मात्रा में आधुनिकतम और घातक शस्त्रास्त्रों का प्राप्त करना। यह एक ऐतिहासिक सत्य है कि पाकिस्तान द्वारा जब कभी किसी दलील या किसी शर्त पर ये शस्त्रास्त्र प्राप्त किये

गये तब जैसा कि हमारा अब तक का अनुभव है, इन शस्त्रास्त्रों को भारत के विरुद्ध प्रयोग किया गया है और इसीलिए हम पाकिस्तान से सदा यही कहते रहे हैं कि वह इन शस्त्रास्त्रों को अपने वैध उपयोग में तो प्राप्त कर सकता है किन्तु इतनी अधिक यात्रा में इनको प्राप्त किया जाना संदेह पैदा करता है।

अनेक सदस्यों ने अपने विदेश सचिव द्वारा पाकिस्तान और श्रीलंका के दौरे पर जाने का उल्लेख किया है। इसके बारे में मैं कहना चाहूंगा कि श्रीलंका के मामले में न तो कोई गुप्त बातचीत हुई थी और न कोई गुप्त समझौता। वास्तव में इसी सभा में मैं इस बात से इनकार कर चुका हूं कि श्रीलंका द्वारा जो विज्ञप्ति जारी की गई थी वह उनका वक्तव्य था और वह संयुक्त विज्ञप्ति नहीं थी। इसलिए हमारे विदेश सचिव का श्रीलंका के राष्ट्रपति या श्रीलंका के विदेश सचिव से किसी प्रकार की वार्ता करना केवल इतना ही अर्थ रखता है कि भविष्य में अच्छे सम्बन्ध बनाने के लिए वह वहां गये थे जिससे कि इस बात के सुनिश्चित होने की संभावना बढ़ जाए कि राजनैतिक समझौता हो सकता है और इस प्रकार का राजनैतिक समझौता हो जाये जो सभी सम्बन्धित व्यक्तियों अर्थात् तमिल और सिंघली दोनों को स्वीकार्य हो। और इस समस्या का समाधान यही होना चाहिए।

पाकिस्तान के साथ एक दूसरी समस्या यह रही है कि पाकिस्तान सरकार द्वारा नियन्त्रित प्रचार का माध्यम तरफदारी के समाचार देता रहा है जो दोनों देशों के बीच में आपसी सम्बन्ध सुधारने के उपयुक्त नहीं रहे हैं। इसी प्रकार, जैसाकि मैं कह चुका हूं पंजाब के मामले में पाकिस्तान के हाथ होने का विरोध किया गया है और एक यह भी दोनों देशों के बीच समस्या का एक कारण रहा है। एक बात और है। हमें इस बात को समझते हैं कि पाकिस्तान को अपनी सुरक्षा व्यवस्था करनी चाहिए और इसकी आवश्यकता को पूरा करना चाहिए किन्तु उसके कुछ उत्तरदायी नेता पाकिस्तान की ओर से उत्तेजनात्मक भाषण देते रहे हैं। पाकिस्तान का रक्षा बजट 19/7 के बजट से तीन गुना हो गया है जो 1,016 करोड़ रुपए की तुलना में अब 3,037 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। इसमें उसका घरेलू बजट 54 प्रतिशत है और उसके विदेशी मुद्रा संसाधना 60 प्रतिशत बैठती है। ऐसे सभी प्रमाण हैं जिससे पता चलता है कि पाकिस्तान निरंतर अपनी परमाणु अस्त्र नीति पर चल रहा है। जैसा कि मैं कह चुका हूं कि परमाणु अस्त्र नीति इस क्षेत्र के हित में नहीं है। यहां मैं यह कहना चाहता हूं कि भारत इन दोनों देशों के साथ मित्रता बनाए रखने को वचनबद्ध है। एक बात निश्चित है कि हम इस बात से संतुष्ट हैं कि पाकिस्तान अपनी शांति नीति, जिसे वह शांति अभियान कहते हैं, के प्रति वफादर हे और उनकी कथनी और करनी में बहुत अन्तर नहीं होना चाहिए।

अनेक माननीय सदस्यों ने बंगलादेश का उल्लेख किया है। बंगलादेश के साथ हमारे संबंध कुछ समय तक बड़े मैत्रीपूर्ण और स्थिर रहे हैं। तथापि कुछ महत्वपूर्ण मामलों पर निर्णय लिया जाना शेष है। इन मामलों में गंगा जल का बंटवारा भारत में बड़ी संख्या में प्रवासियों का आगमन, भारतीय राष्ट्रिकों के सम्पत्ति सम्बन्धी दावों का निपटारा, समुद्री सीमा और पूरे द्वीप विवाद का निपटारा शामिल है। यही कुछ समस्यायें हैं। हम लोग उनसे वार्ता करते रहे हैं और हमें आशा है कि इन मामलों का निपटारा समय आने पर हो जायगा, क्योंकि हमने उन्हें सुझाव दिया है कि फरक्का में गंगाजल का बहाव बढ़ाने के लिए उन्हें ब्रह्मपुत्र से जोड़ने वाली एक नहर बनानी होगी और ऐसा करने पर ही वह अपनी जल की आवश्यकता को बढ़ा सकेगा।

बंगला देश के साथ आर्थिक सम्बन्ध अनेक वर्षों से बने हुए हैं। हमारा व्यापार बढ़ रहा है। किन्तु यह सच है कि अपने पड़ोसी देशों के साथ हमारा व्यापार हमारे कुल विदेशी व्यापार का 1.5 प्रतिशत है। इस व्यापार को बढ़ाने की गुंजाइश है। निस्सन्देह, इस ओर अधिक ध्यान दिया जा रहा है।

बंगला देश के लिये निर्धारित ऋण राशि का कुछ सीमा तक उपयोग किया गया है। वह समय बढ़ाना चाहते हैं और हम जून 1985 तक समय बढ़ाने के लिये सहमत हो गये हैं।

अब एक और महत्वपूर्ण मामला है जो श्रीलंका से सम्बन्धित है और जिसके बारे में अधिकांश माननीय सदस्य बोले हैं। श्रीलंका के तमिल 1948 से ही सिंघली सरकार द्वारा बनाये गये कानूनों से यह समझते रहे हैं कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है और इस प्रकार से क्षुब्ध, है। मुख्य समस्यायें है—नागरिकता अधिकार और तमिल भाषा का दर्जा, सरकार द्वारा बौद्ध धर्म को राजकीय धर्म की मान्यता दिया जाना, परम्परागत तमिल क्षेत्रों में राज्य द्वारा प्रायोजित सिंघलियों की बस्ती बनाया जाना, रोजगार देने में भेद-भाव बरतना, शिक्षा में भेदभाव बरतना और विशेषकर उत्तर में बसे तमिल क्षेत्रों के औद्योगिक और आर्थिक विकास में असमानता बरतना।

संवैधानिक उपायों के माध्यम से तमिल दल तथा ग्रुप अपनी परेशानियाँ दूर करने की बराबर माँग करते रहे हैं। किन्तु दुर्भाग्यवश, अत्यन्त निराश होने के कारण उन्होंने 1976 में एक पृथक राज्य की मांग की थी। जुलाई 1983 में हुई हिंसा के बाद हमारी स्वर्गीया प्रधान मंत्री के माध्यम से श्रीलंका और तमिल दलों के साथ राजनैतिक समझौते की बात-चीत आरम्भ हुई थी। तमिल दल एक पृथक राज्य बनाने की अपनी माँग को छोड़ने को तैयार हो गये थे किंतु इसके साथ ही, इस बात पर सहमति व्यक्त की गई थी कि एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया जायगा और इस सर्वदलीय सम्मेलन में श्रीलंका की सरकार द्वारा एक पर्याप्त विधान बनाया जाएगा जिससे कि उनकी शिकायतें दूर की जा सकें। वास्तव में एक सर्वदलीय सम्मेलन आयोजित भी किया गया था और लगभग एक वर्ष तक इसके सत्र भी चलते रहे थे। परन्तु दुर्भाग्य से दिसम्बर 1984 में श्रीलंका के गर्म दल के लोगों तथा बौद्ध याचक वर्ग के दबाव के कारण इस सम्मेलन को भंग करने का निर्णय लिया गया। इस सम्मेलन को बिना किसी उपलब्धि के भंग कर दिया गया। इसीलिए वर्तमान स्थिति उत्पन्न हुई है। इस बीच बहुत संख्या में शरणार्थियों का इस देश में आना शुरू हो गया। शरणार्थियों की संख्या अब 90,000 से भी अधिक है। हमने इन शरणार्थियों को शरण दी है लेकिन हमने श्रीलंका की सरकार को यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि इन शरणार्थियों को सम्मान और सुरक्षा के साथ श्रीलंका वापस जाना होगा। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि ये शरणार्थी राजनैतिक समाधान के पश्चात् शीघ्र ही वापिस चले जायें। श्रीलंका की सरकार को यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है कि इस समस्या का कोई सैनिक समाधान नहीं हो सकता और उन्हें राजनैतिक आधार पर कोई समाधान ढूंढना होगा जो श्रीलंका के तमिल लोगों तथा अन्य सभी लोगों को स्वीकार हो।

इसमें कोई शक नहीं है कि एक प्रतिबन्धित क्षेत्र तथा एक निगरानी क्षेत्र बनने से कुछ समस्याएं बल्कि गम्भीर समस्याएं श्रीलंका के तमिल मछुआरों के लिये पैदा हो गई हैं और वे अपनी आजीविका से हाथ धो बैठे हैं। यह समस्या है जिसका उन्हें सामना करना पड़ रहा है और श्रीलंका से शरणार्थियों के भारत आने वाले के कारणों में से एक यह आर्थिक कारण भी है।

यहां पर मैं इस बात का भी उल्लेख करना चाहूंगा कि बहुत से मानीय सदस्यों ने श्रीलंका के सुरक्षा बलों के बारे में जिक्र किया है। हम भी यह महसूस करते हैं कि श्रीलंका के सुरक्षा बलों को संयम बरतना चाहिए और उन्हें एक अनुशासित तरीके से काम करना चाहिए। हमारे पास निश्चित आंकड़े नहीं हैं परन्तु यह खबर है कि श्रीलंका में बहुत संख्या में लोगों की हत्या की गई है। इसी प्रकार से भारी संख्या में लोगों को जेलों में डाल दिया गया है और जब जब तक कि ऐसी स्थितियां पैदा नहीं की जाती है, जहां लोग मेज पर आमने सामने बैठकर बातचीत कर सकें, समस्या का समाधान ढूंढना

सम्भव नहीं होगा।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमती नहीं है। यह कहना बहुत आसान है। इस संसार में प्रत्येक समस्या का हल है। व्यवधान मत डालिये। बैठ जाइये।

श्री खुर्शीद आलम खां : महोदय, मैं यहां पर उस बात का उल्लेख करना चाहूंगा जो प्रो० मधुदण्डवते ने कही है। हालांकि वह विपक्ष में बैठे हैं फिर भी उन्होंने कहा है कि सेना इस प्रकार की समस्या को हल नहीं कर सकती और मेरे विचार में हमारा भी यही दृष्टिकोण है कि सेना इस समस्या का समाधान नहीं कर पायेगी। जैसा कि मैंने कहा है, इसका राजनैतिक समाधान करना होगा। इसको इस तरीके से हल करना होगा कि यह सभी को मान्य हो जिसमें श्रीलंका के तमिल लोग तथा श्रीलंका के वे तमिल लोग जो यहां इस देश में शरणार्थी के रूप में आ गये हैं भी सम्मिलित है। इन शरणार्थियों को भी सम्मान तथा सुरक्षा के साथ अपने देश में जाने का अवसर मिलना चाहिए।

प्रो० मधु दण्डवते : एक 'बल्यूस्टार' काफी है।

श्री खुर्शीद आलम खां : जहां तक पश्चिम एशिया का संबंध है, मैं कहना चाहूंगा कि पश्चिम एशिया के देशों के साथ हमारे सम्बन्ध बहुत ही अच्छे और मित्रतापूर्ण हैं एवम् भारत और पश्चिम एशिया के देशों के बीच काफी सहयोग है। यह सहयोग दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। इसमें शक नहीं है कि, आज जो समस्याएं हैं, वे पी० एल० ओ० की समस्या तथा ईरान-ईराक युद्ध की समस्या है प्रधान मंत्री ने विशेष रूचि दिखाई माननी सदस्यों को मालूम है कि जब ईरान-ईराक युद्ध बढ़ने लगा तो फलस्वरूप प्रधान मंत्री ने इरान-ईराक युद्ध को बढ़ने से रोकने तथा क्षेत्रिय शान्ति सुनिश्चित करने को सुझाव के सन्देश के साथ अपने विशेष दूत भेजे थे। क्षेत्रिय शान्ति का अर्थ यह है कि नागरिक ठिकानों पर बमबारी नहीं करनी चाहिए, शत-अल-अरब तथा फारस की खाड़ी में नौपरिवहन की स्वतन्त्रता होनी चाहिए, रासायनिक शस्त्रों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, तथा ऐसे युद्धबन्दियों का जो बुरी तरह से घायल हो गए हों या बीमार हों, का आदान-प्रदान होना चाहिए, विशेष दूतों के वहां जाने के पश्चात, प्रधान मंत्री ने कहा था कि मैं तथा विदेश सचिव ईरान और ईराक जायें। हमने पहले ईराक जाकर प्रधान मंत्री का सन्देस उन्हें दिया। ईराक के राष्ट्रपति तथा वहां के नेताओं ने भारत के प्रति बहुत आभार व्यक्त किया क्योंकि भारत इस क्षेत्र में शान्ति सुनिश्चित करने के लिए इतनी अधिक रुचि ले रहा था। अतः ईराक का उत्तर काफी सकारात्मक था। उसी प्रकार से जब हम ईरान गए तो ईरान ने भी भारत की इस कार्य में पहल करने की सद्भावना की प्रशंसा की। लेकिन हम देखते हैं कि अभी भी कुछ क्षेत्रों मे दोनों देशों के बीच अनबन है जिसको हम अभी तक नहीं सुलझा सके हैं। परन्तु अभी मामले को छोड़ा नहीं गया है और हमें आशा है कि जब ईराक और ईरान के प्रतिनिधि गुट-निरपेक्ष ब्यूरो की बैठक जो इस माह की 18 तारीक को होगी के समय भारत आयेंगे तो उनके साथ यह मामला उठाया जायेगा। उस समय हमारे लिए इस मामले पर फिर से विचार करना संभव होगा। इस बीच माननीय सदस्यों ने नोट किया होगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने भी ईरान और ईराक की यात्रा की है और हम अभी तक महासचिव की इस यात्रा के परिणाम के समाचार का इन्तजार कर रहे हैं। लेकिन हम यह महसूस करते हैं कि सम्भवतः किसी क्षेत्र में अभी भी मतभेद बने हुए हैं।

**कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

जहां तक पी० एल० ओ० का सम्बन्ध है माननीय सदस्यों को विदित है कि भारत की नीति हमेशा उनका मांग का समर्थन करने की रही है। इसलिए नहीं कि यह एक अरब का मामला है बल्कि इसलिए कि यह एक बहुत ही उचित मामला है और भारत की यह नीति रही है कि सभी फिलिस्तीनी लोग अपने देश वापिस जायें और अरब की भूमि, जिस पर इजराइल ने कब्जा कर लिया है, को खाली कराया जाए। केवल तभी इस क्षेत्र में स्थायी तौर पर शांति स्थापित हो सकती है। यह भी एक मामला है जिसमें स्वर्गीय प्रधान मन्त्री ने विशेष रुचि ली थी।

सातवें गुट-निरपेक्ष शिखर सम्मेलन की बैठक से पहले चार विदेश मन्त्रियों की एक समिति नियुक्त की गई थी जिसमें भारत के तत्कालीन विदेश मन्त्री भी शामिल थे। वे बहुत से मौकों पर ईरान और ईराक गये थे और यह सुनिश्चित करने की कोशिश की थी कि शान्ति स्थापित हो। परन्तु दुर्भाग्य से इसमें सफलता पाना संभव नहीं हुआ और शान्ति स्थापित करने का उद्देश्य पूरा न हो सका।

भूटान के सम्बन्ध में काफी संख्या में कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गए हैं। मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि भूटान के साथ हमारे सम्बन्ध बहुत ही मधुर हैं। जनवरी 1984 से भूटान नरेश ने भारत की तीन यात्रायें की हैं। भूटान नरेश ने अपनी गत यात्रा के दौरान, जो जनवरी 1985 में की थीं, कहा था—और मैं उसे उद्धत करता हूं :

> "इतिहास में किसी भी समय भारत और भूटान के सम्बन्ध इतने अच्छे नहीं थे जितने आजकल हैं।"

रानी मां ने भी भारत की 1984 में यात्रा की थी। हमारे उनके साथ आर्थिक और वाणिज्यिक सम्बन्धों में सुधार हो रहा है। भारत ने भूटान के 1984 बजट का 42 प्रतिशत से अधिक खर्चा वहन किया है। और वह लगभग 26.6 करोड़ रुपये के बराबर है।

इसी प्रकार योजना के अतिरिक्त हमने 5 करोड़ रुपये लागत की विद्युत पोषण के लिए, शहरी विकास के लिए लगभग 2 करोड़ रुपये, चूखा पन-बिजली परियोजना के लिए 30 करोड़ रुपये, सीमेंट परियोजना के अध्ययनों के लिए 30 लाख रुपये, जोंगसे की मरम्मत के लिए 2 करोड़ रुपये तथा नये सचिवालय की इमारत के लिए 1 करोड़ रुपये की सहायता दी। ये हमने 1984-85 वर्ष में किया था।

इसके अतिरिक्त, 3.4 करोड़ रुपये की लागत से एक माइक्रोवेव लिंक को पूरा किया गया है जिससे संसार के अन्य भागों से भूटान के पास टेलीफोन संबंध हो सके। 2.5 करोड़ रुपये की लागत से थीम्पू से फुंटशोलिंग के बीच लाइन उपलब्ध करायी गई है।

व्यापार समझौता जिस पर 1983 में हस्ताक्षेप किये गये थे, भूटान को तीसरे विश्व के देशों से व्यापार की सुविधा प्रदान करता है। समझौता में भारत से भूटान को निर्यात किए गये सामान पर लगाय गया उत्पादन शुल्क वापस करने की भी व्यवस्था है। और भूटान को भारत का कुल निर्यात लगभग 200 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष है।

जहां तक हमारे सांस्कृतिक सम्बन्धों का प्रश्न है, कालेज विद्यार्थियों, प्रोफेसरों तथा लामाओं के दो प्रतिनिधि मण्डलों ने 1983-84 के दौरान भारत यात्रा की थी। भारत ने एक सी० पी० डब्ल्यू० डी० का प्रतिनिधि मण्डल भूटान में एक खेलकूद केन्द्र तथा एक समुदाय भवन बनाने की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए भेजा था।

नागारजुनसागर विश्वविद्यालय में एक 'भूटानीज चेयर' बनाने के लिए भूटान को 5 करोड़ रुपये दिए गए हैं।

प्रधान मंत्री ने भी शीघ्र ही भूटान जाने का इरादा व्यक्त किया है और मैं आशा करता हूं कि वह शीघ्र ही भूटान जायेंगे।

भारत ने भूटान में उनके यहां पहला अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन का अर्थात् एम० ए० आर० सी० के विदेश मंत्रियों का सम्मेलन, आयोजित करने केलिए पूरी सहायता देने का वायदा किया है। 1985 86 में भूटान को 25 करोड़ रुपये की योजना सहायता दी जाएगी, अर्थात् उनके विकास खर्च के 33 प्रतिशत के लगभग।

6.00 म० प०

इसके अतिरिक्त, भारत विभिन्न परियोजनाओं, जिसमें हाइवे 31-0 से नंगलम तक सड़क बनाना भी शामिल है 15 करोड़ रुपये की और सहायता देने के लिए सहमत हो गया है।

चूखा पन बिजली परियोजना जिसकी लागत 220 करोड़ रुपये है 1986 में बन कर तैयार हो जायेगी जहां तक भारत-भूटान के बीच सीमा का सम्बन्ध है, इसमें कोई समस्या नहीं है। हम भूटान के साथ नागर विमानन समझौता भी करने जा रहे हैं। हमारा भूटान में 50 किलोवाट का एक रेडियो स्टेशन भी स्थापित करने का प्रस्ताव है। संक्षेप में यह है जो हम भूटान में कर रहे हैं, और मेरे विचार में जो भूटान के बारे में कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये थे उन सबका जवाब इसमें आ गया है।

श्री स्वैल ने बर्मा के साथ हमारे संबंधों के बारे में पूछा था उसका भी मैं उल्लेख करना चाहूंगा बर्मा के साथ हमारे सम्बन्ध काफी मधुर हैं। नवम्बर 1984 में जो बर्मा सोशलिस्ट प्रोग्राम पार्टी के चेयरमैन ने० विन भारत आये थे। इससे पहले विदेश मंत्री ने भी भारत यात्रा की थी। अप्रैल, 1984 में बर्मा से एक उच्च-स्तरीय वाणिज्यिक और आर्थिक शिष्ट-मण्डल भारत आया था। यहां हमारे देश में शिष्ट-मंडल की बातचीत लाभप्रद रही और हमें आशा है कि 10 करोड़ रुपये का वाणिज्यिक ऋण भी उपलब्ध कराया जाएगा। बर्मा के व्यापार मंत्री भी नवम्बर 1984 में व्यापार मेला के दौरान आये थे। गतवर्ष तकनीकी स्तर पर बर्मा के साथ समुद्री सीमा की हदबन्दी पर हमारा एक समझौता हुआ था और उसे पूरा कर दिया गया है। अतः मैं यह समझता हूं कि हमारे बर्मा के साथ सम्बन्ध ऐसे हैं कि माननीय सदस्य, श्री स्वैल, यह नहीं कह सकते कि हम उनके साथ फायर ब्रिगेड की तरह से व्यवहार कर रहे हैं।

श्री जी० जी० स्वैल (शिलांग) : बर्मा में चीन का अधिक प्रभाव है।

श्री खुर्शीद आलम खां : जो हम कर रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया है, उनके लिए पर्याप्त है। इसी प्रकार से मालद्वीव के साथ हमारे परम्परागत संबंध हैं। हम द्विपक्षीय आधार पर पड़ोसी राज्यों के साथ संबंध और सुधारने के प्रयास कर रहे हैं। हम "एस० ए० आर० सी०" के माध्यम से सम्बन्ध सुधारने के प्रयास करते हैं। हम इस संगठन का विभिन्न देशों के बीच, विशेषकर पड़ोसी राष्ट्रों के साथ संबंध सुधारने के लिए प्रयोग कर रहे हैं।

ऐसी कई मदों का जिक्र किया गया है जिनके विषय में 'सार्क' राष्ट्रों के बीच अधिक सहयोग किया जा सकता है। ये क्षेत्र हैं कृषि, ग्रामीण विकास, दूर संचार, मौसम विज्ञान, स्वास्थ्य, जनसंख्या, डाक सेवा, परिवहन, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, खेल-कूद तथा संस्कृति। इसके अलावा योजना संगठनों

के प्रतिनिधि सांवधिक बैठकें करते हैं। मुझे विश्वास है, जो क्षेत्र 'सार्क' ने चुने हैं तथा जो प्रबन्ध किए गये हैं उनसे दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों के सम्बन्धों में और सुधार होगा, और वह समय होगा जब हम दक्षिण एशिया की एक साझा मार्किट तथा अन्य ऐसी सुविधाओं के बारे में सोच सकेंगे।

एक माननीय सदस्य : अमरीका के साथ हमारे सम्बन्ध कैसे हैं ?

श्री खुर्शीद आलम खां : अमरीका के साथ हमारे सम्बन्ध बहुत मधुर हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : आप अपने पड़ोसी देश के स्वास्थ्य लाभ के लिए जाम पीजिए।

श्री खुर्शीद आलम खां : मैं आपके स्वस्थ्य लाभ के लिए पीता हूं। अमरीका के साथ एक ही समस्या रही है कि 1981 में अमरीका ने पाकिस्तान को सैनिक सामान सप्लाई करने का एक समझौता किया था जिसमें 32 खरब की कीमत का सैनिक सामान सम्मिलित है। वास्तव में हम पाकिस्तान से कहते रहे हैं कि पाकिस्तान की न्यायोचित शस्त्र आवश्यकता को पूरा किया जा सकता है लेकिन इतनी अधिक मात्रा में शस्त्रों की पाकिस्तान को आवश्यकता नहीं है फिर भी अफगानिस्तान में रूसी सेना की आड़ में कि उसे अपनी रक्षा करने के लिए इनकी आवश्यकता है शस्त्रों की सप्लाई की गई। लेकिन हमारा यह अनुभव रहा है कि जब भी पाकिस्तान को हथियार, बहुत मात्रा में हथियार और विशेषकर घातक तथा आधुनिकतम हथियार सप्लाई किए गये हैं, उनका प्रयोग भारत के विरुद्ध ही हुआ है।

लेकिन मुझे विश्वास है कि जून में प्रधान मंत्री की अमरीका यात्रा से अच्छे परिणाम निकलेंगे। प्रधान मंत्री वहाँ राष्ट्रपति रीगन के निमंत्रण पर जा रहे हैं। इस यात्रा के दौरान प्रधान मंत्री द्विपक्षीय वार्ता और अन्तर्राष्ट्रीय मामलों पर चर्चा करने के अतिरिक्त भारत-महोत्सव, जिसने अमेरिका में कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया है, का उद्‌घाटन भी करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : मानानीय प्रधान मंत्री जी,

प्रधान मंत्री (श्री राजीव गांधी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत की विदेश नीति पिछले 37 वर्ष से भी अधिक समय से समय की कसौटी पर खरी उतरी है। हम उसी नीति का पालन कर रहे हैं। इससे भारत विश्व में अपना एक खास स्थान बना पाया है। एक तरह से, जिस आधार पर हमने स्वतंत्रता संघर्ष किया हमारी विदेश नीति उससे कुछ भिन्न नहीं है। यह विश्व-व्यापी आधार पर उसी आंदोलन का विकास है। हमने साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, जातिवाद और आधिपत्य या पक्षपात के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। ये बुराइयाँ कहीं भी हों, हम आज भी इनके विरुद्ध लड़ेंगे। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ नव-उपनिवेशवाद और नव-साम्राज्यवाद हैं, जो पहले कभी नहीं थे। और वास्तव में निरस्त्रीकरण की तह तक जायें तो क्या ऐसा नहीं लगता कि व्यापक स्तर पर गांधी जी के 'अहिंसा' के रास्ते पर ही चल रहे हैं।

इस विदेश नीति से भारत को सम्मान का दर्जा प्राप्त करने में सहायता मिली है, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि इसने विश्व के सामने कुछ पूर्वोदहरण रखे हैं। इसी विदेश की नीति के कारण गुट निरपेक्ष आन्दोलन की शुरूआत हुई, जो कि आज विश्व का सबसे बड़ा आन्दोलन है तथा मेरा विश्वास है कि इतिहास इसका साक्षी होगा कि इससे उनके क्षेत्रों में तनाव तथा युद्ध टालने में सहायता मिली है। हम शांति, निरस्त्रीकरण और अधिक न्यायपूर्ण, सामाजिक तथा आर्थिक व्यवस्था स्थापित करने के इस मार्ग पर अग्रसर रहेंगे।

माननीय राज्य मंत्री ने अपने वक्तव्य में बहुत से मुद्दों के बारे में बताया है लेकिन मैं कुछ ऐसे मुख्य क्षेत्रों के बारे में कहना चाहता हूं जिनके संबंध में सदन तथा हमारे देश की जनता बहुत चिंतित हैं।

हम इस क्षेत्र में कई तरह से पहल कर रहे हैं। हमने यह महसूस किया है कि यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने क्षेत्र में अपने मूल सिद्धान्तों तथा मूल नीतियों को ध्यान में रखकर, विचलित न होते

हुए अन्य सभी देशों के साथ जहां तक हो सके अच्छे सम्बन्ध स्थापित करें। हम नीति का पालन कर रहे हैं। हमने इन देशों की यात्रा पर गये विदेश सचिव के साथ मिलकर कुछ पहल की है और हमें आशा है कि इससे उन देशों के साथ अच्छे सामाजिक और सांस्कृतिक संबंध स्थापित करने में सहायता मिलेगी। हमें यह देखना है कि हमारे क्षेत्र में जनता के बीच आपसी सम्बन्ध और गहरे हों क्योंकि इसी से इस क्षेत्र में सौहार्द की भावना पनपेगी। केवल इतना ही पर्याप्त नहीं है कि सरकारें एक दूसरे के साथ मिलकर किसी समझौते अथवा संधियों पर अपने-अपने हस्ताक्षर करें। हमें कुछ ऐसे दीर्घकालीन उपाय ऐसा करने की आवश्यकता है, जिनसे हम आपसी हितों का हमेशा ध्यान रखते रहें। हम इस ओर ध्यान देंगे। हमारे विदेश सचिव हाल ही में पाकिस्तान की यात्रा से लौटे हैं। उनकी यात्रा के बारे में कुछ टिप्पणियां की गई हैं कि वहां क्या बात हुई और क्या किया गया। मैं समझता हूं कुछ बातों का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है।

चर्चा शुरू हो चुकी है। लेकिन मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आज हम जिन वार्त्ताओं का जिक्र कर रहे हैं वे युद्ध न करने की संधि अथवा शान्ति समझौता या उस स्तर पर की गई वार्त्ताएं नहीं हैं। हम संबंधों में सुधार करने, दोनों देशों के बीच लेन-देन बढ़ाने तथा सौहार्दता बढ़ाने के सम्बन्ध में बातचीत कर रहे हैं क्योंकि उसी से वातावरण में सुधार आयेगा और इस आधार पर दोनों देशों के बीच उचित रूप से आपसी समझ बढ़ सकती है। दो अवसरों पर राष्ट्रपति जिया से मेरी भेंट हुई एक बार नवम्बर में दिल्ली में तथा दूसरी बार मास्को में। दोनों अवसरों पर हमारी वार्ता सौहार्दपूर्ण रही राष्ट्रपति जिया ने बड़े स्पष्ट ढंग से बताया कि वे दोनों देशों के बीच सम्बन्धों में सुधार करने के लिए क्या करना चाहते हैं। दुर्भाग्य से पहली बार उनसे भेंट होने के बाद पाकिस्तान में ननकाना साहब में जत्थे भेजे जाने की घटना हुई। दूसरी बार उनके साथ वार्त्ता करने के बाद, मैंने एक पत्रिका में उनके द्वारा दिए गए साक्षात्कार के बारे में पढ़ा, जो पुनः उनके द्वारा कही गई बात के एकदम विपरीत था। मैं मात्र आपका ध्यान इन तथ्यों की ओर दिलाना चाहता हूं।

पाकिस्तान जिस तरह अस्त्र-शस्त्र खरीदने में लगा हुआ है उससे हम चिंतित हैं क्योंकि हम समझते हैं कि वह अपनी आवश्यकता से बहुत अधिक खरीद कर रहे हैं। हमारी यह धारणा है कि अमरीका वियतनाम युद्ध के बाद से अफगानिस्तान में मुजहीदीन को अस्त्र-शस्त्र भेजने के लिए अधिकतम धनराशि खर्च कर रहा है और जैसाकि आप जानते हैं; ये शस्त्र उन्हें पाकिस्तान के माध्यम से भेजे जाते हैं। हमें पूरी जानकारी नहीं मिल सकती कि कितने शस्त्र कहां भेजे जाते हैं। इसमें बहुत अधिक मात्रा में धनराशि खर्च की गई है। हम उनके परमाणु कार्यक्रम के बारे में रिपोर्ट जानना नहीं चाहते। हमें अभी भी ऐसा कोई संकेत नहीं मिला है कि वे परमाणु बम्ब नहीं बना रहे हैं। हम जानते हैं कि उन्हें ऐसे विमान दिए जा रहे हैं जिनमें परमाणु हथियार ले जाने की क्षमता है।

कुछ ही दिन पहले, श्रीलंका के राष्ट्रपति ने पाकिस्तान का दौरा किया। और हमें यह चिन्ता थी कि क्या पाकिस्तान की यात्रा के दौरान उन्हें जम्मू काश्मीर के मसले पर चर्चा करनी चाहिए थी। इसी भांति ब्रिटेन में एक मंच बनाया जा रहा है, उसमें भी इस मसले पर चर्चा होगी। मैं नहीं समझता कि यह भी संयोगवश है।

श्रीलंका के सम्बन्ध में हमारे माननीय सदस्य ठीक ही उत्तेजित हैं। लेकिन हमें एक बात को ध्यान में रखना है। वह यह कि श्रीलंका में इस विकट अवधि का जो भी निष्कर्ष निकले, वह ऐसा होना चाहिए कि आने वाले वर्षों में तमिलभाषी लोग श्रीलंका में शांति और प्रेम से रह पावें। हमें केवल एक-दो या पांच वर्षों की बात नहीं सोचनी है। हमें बहुत आगे की बात सोचनी चाहिए और देखना चाहिए कि वहां ऐसा वातावरण उत्पन्न किया जाए कि तमिलभाषी लोग वहां रहते हुए अपने को सुरक्षित समझ सकें और हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे तमिलभाषी लोगों को

भविष्य में श्रीलंका में सुरक्षा और सम्मान से रहना कठिन हो जाय। इसे ध्यान में रखते हुए हम समस्या का समाधान करने का प्रयत्न कर रहे हैं। कई मौकों पर हमने श्रीलका के राष्ट्रपति से भेंट की। हमारा आपस में पत्र-व्यवहार भी हुआ और हम समझते हैं इसके परिणाम अच्छे ही होंगे।

रूस और अमरीका के साथ हमारे सम्बन्ध और मैत्रीपूर्ण होंगे। सोवियत संघ हमारा पुराना मित्र रहा है। उसने कई बार आवश्यकता के समय हमारी मदद की है। हम इसकी सराहना करते हैं और हमेशा इसे ध्यान में रखेंगे। अमरीका के साथ हम अपने मैत्री संबंधों में सुधार करने का प्रयत्न कर रहे हैं हम अपने सम्बन्ध सुधारने का प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो इसमें बाधक सिद्ध हो रही हैं। जैसाकि मैंने पहले कहा कि पहली बात यह कि वे पाकिस्तान को शस्त्र सप्लाई कर रहे हैं। दूसरे हम समझते हैं कि वे पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम के विरुद्ध पर्याप्त कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। हम समझते हैं कि आज भी वहां विदेशों से उपकरण भेजे जा रहे हैं। हम समझते हैं कि तकनीक को भेद दिये जा रहे हैं और उस पर नियंत्रण करने के लिए पर्याप्त कार्य नहीं किया जा रहा लेकिन हम अमरीकी के साथ अच्छे सांस्कृतिक, सामाजिक तथा व्यापारिक सम्बन्ध बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं और मुझे आशा है कि वहां की अपनी यात्रा के दौरान मैं इन मुद्दों की ओर उनका ध्यान दिलाऊंगा और हमें इसका निश्चित जवाब मिलेगा।

गुट निरपेक्ष आन्दोलन विश्व का शान्ति स्थापित करने का सबसे बड़ा आन्दोलन है। और हम इसे मजबूत बनाने के लिए और कदम उठाऐंगे। आगामी सप्ताह दिल्ली में नामीबिया पर मन्त्री स्तर पर बैठक होगी और इसके बाद इसी वर्ष एक और बैठक होगी। हमने इन अफ्रीकी देशों को, जो भारी अकाल और सूखे से पीड़ित थे, एक लाख टन गेहूं भेज कर उनकी मदद की है। यह वास्तव में ऐसा उदाहरण है कि हम कहां उनकी सहायता कर सकते हैं। हमें अब यह नहीं सोचना है कि भारत की स्थिति भी ऐसी हो सकती थी। मात्र 20-25 वर्ष पहले हमारे देश में सूखा पड़ा था, हमें भी इसी स्थिति से गुजरना पड़ा होगा। लेकिन आत्म निर्भर होने तथा विकास सम्बन्धी निश्चित नीतियों के कारण आज हम उन्हें अनाज देने में समर्थ हैं। यह ऐसा क्षेत्र है जहां आपस में दक्षिण क्षेत्रों में लेन-देन वास्तव में महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारा देश एक ऐसा उदाहरण है जो उन्हें बता सकता है कि हमें अपने स्तर से किस तरह ऊंचा उठना है। और समूचे विश्व में यह स्पष्ट उदाहरण है कि कठिनाई के समय हमने सही मार्ग का चुनाव किया और अन्य देश जो दूसरों द्वारा बताये गए विभिन्न सिद्धान्तों और चिकनी-चुपड़ी बातों के अनुसार काम करते रहे वे विकास नहीं कर पाए। गुट निरपेक्ष आंदोलन तथा अन्य मंचों से, जब भी मौका मिला हम नामीबिया तथा दक्षिण अफ्रीका के लोगों का मामला उठायेंगे। यह विश्व में उपनिवेशवाद का अंतिम अवशेष है तथा वास्तव में समूची मानव जाति को तब तक लज्जा महसूस होती रहेगी जब तक इसको समाप्त नहीं किया जायेगा।

हमने विश्व में यह बताने की पहल की कि वास्तव में भारत क्या है—वह नहीं जैसाकि प्रचार माध्यमों से चित्रित किया जाता है और इस उद्देश्य से दो वर्ष पूर्व हमने इंगलैंड में एक भारत-महोत्सव का आयोजन किया था। इस वर्ष हम अमेरिका तथा फ्रांस में भारत-महोत्सव का आयोजन करने जा रहे हैं। इससे अमरीका यूरोप के लोगों को पता चलेगा कि भारत की वास्तविकता क्या है। हम केवल आधुनिक भारत का चित्र ही प्रस्तुत करने नहीं जा रहे हैं अपितु हम वहां अपने देश के कुम्हारों, संगीतकारों, रंगरेजों और ग्रामीण लोगों की भी झांकी प्रस्तुत करेंगे। हम उन्हें अमरीका तथा फ्रांस ले जायेंगे। पूरे विश्व में उनका प्रदर्शन करेंगे और उन्हें बतायेंगे कि वास्तव में वे भारत का महत्वपूर्ण अंग हैं।

ईरान ईराक युद्ध जिस तरह से हो रहा है वह प्रथम विश्व युद्ध के बाद होने वाला सबसे भयंकर युद्ध है। विश्व के अन्य देशों की भांति हमने भी इस युद्ध को समाप्त कराने के लिए अनेक कदम उठाये

हैं दुर्भाग्य से इस युद्ध का अंत नहीं हो रहा है। हम अब भी उस क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिए अपने प्रयास जारी रखेंगे।

पी० एल० ओ० ने बड़ा कड़ा संघर्ष किया है। हमने पहले भी इसका समर्थन किया है क्योंकि हम यह महसूस करते हैं कि उन्हें भी यह अधिकार है कि उनकी मातृभूमि हो। तथा हम भविष्य में भी उनका समर्थन करते रहेंगे।

महोदय, अन्तिम प्रश्न उग्रवादियों तथा पृथकतावादियों के बारे में है जो विभिन्न देशों में अपने अड्डों से भारत का विभाजन करने के लिए प्रचार कर रहे हैं। हमने उन देशों की सरकारों के साथ इस मामले को उठाया है और हम उन पर जो भी दबाव डाल सकते थे, वह हमने डाला है और इस सम्बन्ध में उन्होंने अपनी प्रतिक्रियाएं भी प्रकट की हैं। हम इस पर बड़ी गंभीरता से विचार कर रहे हैं और ऐसा करते रहेंगे। इन वर्षों में भारत की विदेश नीति से यह सिद्ध हो गया है वह केवल भारत के लिए ही नहीं अपितु विश्व के लिए भी सही है और हम इसी नीति के अनुरूप चलते रहेंगे। धन्यवाद।

प्रो० मधु दंडवते : ऐसी परम्पराओं के परिपालन से ही संसद चलती है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया, व्यवधान मत डालिए।

यदि कोई माननीय सदस्य यह न चाहता हो कि उसका कोई कटौती प्रस्ताव पृथक रूप से रखा जाए, मैं विदेश मंत्रालय के सम्बन्ध में अनुदानों की मांगों पर पेश किए गए सभी कटौती प्रस्तावों को एक साथ सभा में मतदान हेतु रखता हूं।

सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए

अध्यक्ष महोदय : अब मैं विदेश मंत्रालय से सम्बन्धित अनुदान की मांग सभा में मतदान हेतु रखता हूं।

प्रश्न यह है :

> "कि विदेश मंत्रालय से सम्बन्धित मांग संख्या 28 के सामने कार्य सूची के स्तम्भ 2 में दर्शाए गए मांग शीर्षों के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों को पूरा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 4 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा सम्बन्धी राशियों से अनाधिक राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

लोक सभा द्वारा विदेश मंत्रालय के सम्बन्ध में वर्ष 1985-86 के लिए स्वीकृत अनुदानों की मांगें

मांग संख्या	मांग का नाम	25 मार्च 1985 को सदन द्वारा स्वीकृत लेखानुदान की मांग की रकम		सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की जाने वाली अनुदान की मांग की रकम	
		राजस्व	पूंजी	राजस्व	पूंजी
	विदेश मंत्रालय	रु०	रु०	रु०	रु०
28.	विदेश मंत्रालय	33,90,92,000	7,11,33,000	1,69,54,62,000	33,56,67,000

उत्तर प्रदेश में बरेली के निकट भारतीय वायु सेना के एक विमान के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के बारे में वक्तव्य

[अनुवाद]

रक्षा मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : अध्यक्ष महोदय, भारतीय वायुसेना के एक विमान के दुर्घनाग्रस्त होने के बारे में मैं अत्यन्त खेद के साथ सदन को सूचित कर रहा हूं जिसमें कुछ सिविलियन व्यक्तियों की मृत्यु हुई और सम्पत्ति को नुकसान पहुंचा।

9 अप्रैल, 1985 को फ्लाइट लेफ्टिनेंट आर एस सोढी बरेली में वायुसेना बेस से एक विमान को सामान्य प्रशिक्षण उड़ान पर ले गए। उड़ान भरने के करीब 10 मिनट बाद उन्होंने महसूस किया कि मुख्य हाइड्रोलिक प्रणाली के हाइड्रोलिक ने काम करना बन्द कर दिया है। पायलट ने विमान को तत्काल हवाई अड्डे की ओर मोड़ा ताकि वह विमान को उक्त बेस पर उतार सके। इतने में बूस्टर हाइड्रोलिक प्रणाली ने भी काम करना बन्द कर दिया और इससे विमान उनके नियन्त्रण से बाहर हो गया। उस समय पायलट जमीन से करीब 900 मीटर की ऊंचाई पर था और विमान सीधे नीचे आ रहा था तथा उसका दायां पंख नीचे गिर रहा था। पायलट ने विमान को नियन्त्रित करने का प्रयत्न किया किन्तु सफलता न मिलने पर विमान से कूद पड़ा।

विमान नीचे आया और रामपुरामाफी गांव के किनारे की कुछ झोंपड़ियों के ऊपर आकर दुर्घनाग्रस्त हो गया। विमान के टुकड़े-टुकड़े हो गए और उसमें आग लग गई। दस सिविलियन व्यक्ति घटनास्थल पर ही मारे गए और दस व्यक्ति घायल हो गए। मृत और घायल व्यक्तियों को मलबे के नीचे से बाहर निकाला गया और घायलों को अस्पताल ले जाया गया जहां पांच व्यक्तियों की जख्मों के कारण मृत्यु हो गई।

वायुसेनाध्यक्ष उसी शाम को दुर्घटनास्थल पर पहुंचे। आज सुबह मैं भी दुर्घटनास्थल तथा जिला अस्पताल में गया जहां जले हुए पांच घायल व्यक्तियों का इलाज हो रहा है। एक व्यक्ति अधिक जला हुआ बताया गया है; अन्य संतोषप्रद ढंग से स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। मैं स्थानीय सैनिक अस्पताल में उक्त पायलट से भी मिला हूं। उनके जख्मों का इलाज चल रहा है।

जान-माल के नुकसान के अतिरिक्त आठ मकान नष्ट हो गए और बारह जानवर मारे गए। आरम्भिक अनुमान के अनुसार करीब एक लाख रुपये की सिविलियन सम्पत्ति, जानवरों और मकानों का नुकसान हुआ।

परिस्थितियों और दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए एक जांच अदालत बिठाने के आदेश दे दिए गए हैं।

उत्तर प्रदेश सरकार ने दुर्घटना में मारे गए प्रत्येक व्यक्ति के सम्बन्धी को पांच हजार रुपये और प्रत्येक घायल व्यक्ति को एक हजार रुपये की अनुग्रहपूर्वक अदायगी करने की घोषणा की है। भारत सरकार ने उक्त दुर्घटना में मारे गए प्रत्येक व्यक्ति के सम्बन्धी को दस हजार रुपये और प्रत्येक घायल व्यक्ति को दो हजार रुपये की अनुग्रहपूर्वक राहत देने की घोषणा की है। उक्त दुर्घटना में मारे गए या जिनकी सम्पत्ति, पशुओं और घरेलू सामान का नुकसान हुआ है उन्हें राहत देने के लिए प्रधान मन्त्री जी ने भी प्रधान मन्त्री राहत निधि से एक लाख रुपये की राशि देने की स्वीकृत दी है।

अध्यक्ष महोदय : सभा कल 11 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

6.28 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा गुरुवार 11 अप्रैल, 1985/
21 चैत्र 1907 (शक) के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

प्रबन्धक, मित्तल प्रिण्टर्स, के-13 नवीन शाहदरा, दिल्ली-32 द्वारा मुद्रित